

प्रथम संस्करण की भूमिका

‘भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार एवं यातायात’ नामक यह पुस्तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बी० कॉम० भाग एक के पाठ्यक्रमानुसार लिखी गयी है। इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं का विवेचन केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं अपितु विश्लेषणात्मक ढंग से किया गया है। विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण नवीनतम प्रकाशित तथा अप्रकाशित आँकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर किया गया है। पुस्तक के आकार को अनावश्यक रूप से स्थूलकाय नहीं होने दिया गया है और इस अच्छे प्रयास में किसी भी आर्थिक समस्या के अति आवश्यक पहलू की उपेक्षा भी नहीं की गई है।

पुस्तक को अत्यन्त सरल एवं बोधगम्य भाषा में लिखा गया है और यह आशा की जाती है कि पाठक-वर्ग इस नवीन कृति का स्वागत करेगा।

—लेखक द्वय

विषय-सूची

(अ) भारतीय कृषि

भारतीय कृषि तथा इसकी मुख्य समस्याएँ : कृषि उत्पादकता (Indian Agriculture and its Main Problems : Agricultural Productivity)	
योजन-काल में कृषि-विकास व हरित क्रान्ति (Development of Agriculture during the Plan-Period and Green Revolution)	17
भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधार (Land Tenure and Land Reform)	33
भारत में कृषि जोतें - भूमि का उर्पावभाजन एवं अपखण्डन (Agricultural Holdings, Sub-Division and Fragmentation of Holdings in India)	55
कृषि जोतों की चकवन्दी (Consolidation of Agricultural Holdings)	68
सहकारी कृषि (Co-operative Farming)	74
कृषि में सहकारिता (Co-operation in Agriculture)	87
कृषि में यंत्रीकरण अथवा कृषि में मशीन का उपयोग (Mechanisation of Agriculture or Introduction of Machinery in Agriculture)	110
कृषि-उत्पादन की बिक्री-व्यवस्था (Marketing of Agricultural Produce)	120
भारत में खाद्य समस्या एवं खाद्य नीति (Food Problem and Food Policy in India)	139
भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग (Cottage and small-scale Industries in India)	152

12	भारत में बेरोजगारी व अदृश्य (कृषि) बेरोजगारी की समस्या (Unemployment and Disguised Unemployment Problem in India)	171
13	ग्रामीण ऋणग्रस्तता (Rural Indebtedness)	191
14	कृषि वित्त (Agricultural Finance)	201
15	भारत में सामुदायिक विकास योजना (Community Development Project in India)	220
16	पंचायती राज (Panchayati Raj)	232
17	भारत की फसले और उनका ढांचा (Crops in India and their Pattern)	237
18	भारत में सिंचाई (Irrigation in India)	254
19	भारत में बहुउद्देशीय नदी-वाली योजनाएँ (River-valley Project of India)	269
20	कृषि श्रमिक (Agricultural Labour)	276
21	कृषि कीमत एवं उनका स्थिरीकरण (Agricultural Prices and their Stability)	293

(ब) उद्योग व व्यापार

22	भारत में प्रमुख बृहत् उद्योग क्षेत्र (Major Industries of India)	302
23	भारत में सार्वजनिक उपक्रम - महत्त्व एवं प्रगति (Public Enterprise in India : Importance and Progress)	349
24	भारत सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of the Government of India)	361
25	भारत में औद्योगिक वित्त (Industrial Finance in India)	388
26	भारत की तटकर अथवा प्रशुल्क नीति (India's Tariff or Fiscal Policy)	408
27	भारत का विदेशी व्यापार (Foreign Trade of India)	418

(स) यातायात

28	भारत में रेल यातायात (Rail Transport in India)	441
29	रेल किराया-भाडा सिद्धान्त व वस्तुओ का वर्गीकरण (Principles of Rates and Fares and Classification of Goods)	469
30	भारत में सडक यातायात (Road Transport in India)	482
31	परिवहन समन्वय (Transport Co-ordination)	500
32	भारत में जल परिवहन (Water Transport in India)	509
33	भारत में वायु परिवहन (Air Transport in India)	520

भारतीय कृषि तथा इसकी मुख्य समस्याएँ :

कृषि उत्पादकता

(Indian Agriculture and its Main Problems
Agricultural Productivity)

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्त्व—कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। इसीलिए जान रसल ने एक स्थान पर लिखा है कि “यदि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार करना है तो वहाँ की कृषि की उन्नति करनी चाहिए।” स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में “कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है। यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार और राष्ट्र दोनों असफल रहते हैं।” निम्नलिखित विवरण से भारतीय कृषि का महत्त्व स्पष्ट हो जायगा—

(1) राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत—राष्ट्रीय आय में कृषि व उससे सम्बद्ध व्यवसायो, जैसे पशुपालन, वानिकी (Forestry) आदि का हिस्सा लगभग 41% है। कोई भी दूसरा ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का इतना बड़ा भाग उत्पन्न होता है। मसाल के अन्य उन्नतिशील देशों की राष्ट्रीय आय में कृषि के अनुपात का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अधिक उन्नतिशील देशों की राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग बहुत कम है। उदाहरणार्थ अमेरिका की राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 5%, कनाडा में 7% तथा आस्ट्रेलिया में 13% है, जबकि भारत में यह लगभग 42% से भी अधिक है।

(2) कृषि जीविका का स्रोत—भारत में कृषि जीविका का प्रमुख स्रोत है। प्रति दस में सात व्यक्ति अर्थात् 70% कृषि पर निर्भर है, जबकि इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा इत्यादि देशों में कुल जनसंख्या का 20% से भी कम भाग कृषि पर निर्भर है। अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का अनुपात स्थिर-सा है, परन्तु इंग्लैण्ड व अमेरिका जैसे विकसित देशों में वह घट रहा है, अर्थात् लोग कृषि से अन्य उद्योगों में जा रहे हैं।

(3) कृषि विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल का प्रमुख स्रोत—भारत में कृषि के महत्त्व का कारण यह है कि इससे छोटे-बड़े सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति होती है। सूती वस्त्र, चीनी, जूट तथा बागान उद्योग, ये सब कच्चे माल के लिए सीधे कृषि पर निर्भर हैं। बहुत से कुटीर व लघु उद्योग भी इससे चलते हैं।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्त्व—भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ, जैसे चाय, तम्बाकू, निलहन, मसाले आदि कृषि वस्तुएँ ही हैं। भारत के निर्यात के मूल्य का लगभग 48% प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि से ही प्राप्त होता है। आज के युग में निर्यात का भारत जैसे विकासशील किसी भी देश में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(5) सरकारी आय-व्ययक की कृषि पर निर्भरता—अपने देश में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट बहुत कुछ कृषि पर निर्भर करते हैं, क्योंकि देश की अधिकांश जनता की आय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि से सम्बन्धित रहती है। अतः कर आदि के रूप में उसकी देय-क्षमता कृषि की स्थिति से प्रभावित होती है। यही कारण है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का आय-व्ययक (बजट) कृषि की स्थिति का अवलोकन करके ही विधान सभाओं और लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

(6) खाद्यान्न एवं कच्चे माल की प्राप्ति—खाद्य पदार्थ किसी भी देश की जनता की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इसकी सम्पूर्ण आवश्यकता के 90% से 95% तक की पूर्ति कृषि से होती है, अन्यथा आयात में अधिक विदेशी विनिमय करना पड़ता। आशा है, अब सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति देश में ही हो जाएगी।

(7) आर्थिक विकास के लिए महत्त्व—कृषि विनास आर्थिक विकास की कुजी है। प्रो० काल्डोर ने अपनी पुस्तक 'आर्थिक विकास की विशेषताएँ' में लिखा है कि कृषि-प्रगति, औद्योगिक प्रगति के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम कृषि-क्रान्ति हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रान्ति आई। प्रो० फिशर ने अपनी पुस्तक 'आर्थिक प्रगति और सामाजिक सुरक्षा' में इस तथ्य पर जोर दिया है कि आर्थिक विकास की किसी भी योजना में कृषि विकास को प्रथम स्थान मिलना चाहिए।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान कृषि एवं उद्योग के बीच अन्तर्सम्बन्ध काफी घनिष्ठ हो गया है। यह अन्तर्सम्बन्ध और आत्मनिर्भरता निम्न बातों से स्पष्ट होती है—(क) कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र और इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र से कृषि क्षेत्र को कच्चे माल तथा अन्य आगतों की पूर्ति; (ख) ग्रामीण जनमख्या के लिये आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे—कपड़ा, फर्नीचर आदि की पूर्ति, (ग) औद्योगिक क्षेत्र को मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति; (घ) सामाजिक उपरिसेवाओं जैसे मशीनों, नदी-घाटी परियोजनाओं, सड़कों आदि के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा आवश्यक पदार्थों की पूर्ति।

(8) उपभोग में कृषि पदार्थों का महत्त्व—भारत में कुल घरेलू उपभोग का लगभग 60% और घरेलू वस्तु उपभोग का 85% प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पदार्थ अथवा उनके द्वारा निर्मित वस्तुएँ ही होती हैं।

(9) अन्य महत्त्व—

(अ) आर्थिक नियोजन में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे उद्योग-धन्धों वाणिज्य और व्यापार तथा यातायात के साधनों पर पड़ता है।

भारतीय कृषि तथा इसकी मुख्य समस्याएँ • कृषि उत्पादकता

(ब) भारत कृषि-प्रधान देश होने के कारण देश में वस्तुओं का मूल्य-स्तर विशेष रूप से कृषि उद्योगों से प्रभावित होता है।

(स) कृषि भारत की परिवहन-व्यवस्था का मुख्य अवलम्बन है, क्योंकि रेलवे, सड़क यातायात का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाने ले जाने से ही प्राप्त होता है।

(द) भारतीय अर्थ-व्यवस्था कृषि-प्रधान होने के कारण सदैव से विकेंद्रित रही है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण ही डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा, 'यदि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास के पहाड़ को लौघना है तो कृषि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।'

वास्तव में कृषि हमारे देश में केवल जीवकोपार्जन का साधन ही नहीं बल्कि अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्र की समृद्धि, योजनाओं की सफलता, राजनैतिक स्थिरता सभी कृषि के विकास पर निर्भर है।

भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएँ

1. आजीविका का प्रमुख स्रोत—भारत में कृषि लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का 69% भाग कृषि से आजीविका प्राप्त करता है।

2. अदृश्य बेरोजगारी—भारतीय कृषि अर्थ-व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि यहाँ अदृश्य बेरोजगारी गम्भीर रूप से विद्यमान है। इसका कारण यह है कि यहाँ कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग आश्रित हैं।

3. श्रम प्रधान कृषि—भारतीय कृषि श्रम-प्रधान है, क्योंकि एक तो यहाँ खेतों का आधार छोटा होने और कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से पूँजीगत साधनों और कृषि उपकरणों का अधिक प्रयोग संभव नहीं है और दूसरी ओर जनसंख्या की अधिकता के कारण श्रम सरलता से कम मजदूरी पर उपलब्ध हो जाता है।

4. भारतीय कृषि मानसून का जुआ—भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन मानसून पर आश्रित रहता है। यदि वर्षा अच्छी हो जाती है तो कृषि में समृद्धि होती है और यदि वर्षा पर्याप्त नहीं होती तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

5. कृषि जोतों का छोटा आकार—भारत में औसत कृषि जोत न केवल बहुत छोटी है, बल्कि छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी है। खेतों का आकार छोटा होने से श्रम और पशु-शक्ति का भारी अपव्यय होता है और कृषि की आधुनिक प्रणाली का उपयोग नहीं हो पाता।

6. निम्न कृषि उत्पादकता—भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और प्रति श्रमिक उत्पादकता दोनों ही बहुत कम हैं।

7. उत्पादन की परम्परागत तकनीक—भारत में कृषि तकनीक परम्परागत है। अतीतकाल से भारतीय कृषक जिन रीतियों का प्रयोग करते आ रहे हैं उनमें योजना अवधि के प्रथम 15 वर्ष तक विशेष परिवर्तन नहीं हुए थे। 1964-65 से गेहूँ का उत्पादन करने वाले प्रदेशों में, जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर-प्रदेश उल्लेखनीय हैं, कृषि विधियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परन्तु जब हम कृषि के स्वरूप को समग्र रूप से देखते हैं तो आज भी कृषि तकनीक परम्परागत ही दृष्टि-गोचर होती है।

8. आबटन कुशलता—प्रायः यह समझा जाता है कि भारत में न केवल कृषि विधियाँ परम्परागत हैं, बल्कि भारतीय कृषक आबटन कुशलता पर कोई ध्यान नहीं देते। परन्तु डब्ल्यू० डी० हापर ने इस धारणा का विरोध किया है। उत्तर-प्रदेश के जौनपुर जिले के सेनापुर गाँव के अपने अध्ययन के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यद्यपि सेनापुर गाँव गरीब है, परन्तु उपलब्ध तकनीकी साधनों के भीतर आबटन कुशलता का स्तर ऊँचा है।

9. खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता—कृषि फसलों की दृष्टि से भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रही है। देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 75% भाई में खाद्यान्न फसलों तथा 25% भाग में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है।

10. महाजनी पूंजी और ग्रामीण ऋणग्रस्तता—भारतीय कृषि पर महाजनी पूंजी का नियन्त्रण काफी प्रबन्ध और ऋणग्रस्तता छोटे कृषकों के जीवन का सामान्य लक्षण है। ऋणग्रस्तता से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऋण का सापेक्ष भाग छोटे किसानों पर अधिक है। आज भी एक-तिहाई कृषि-साक्ष महाजनी तथा साहूकार देते हैं। इस वर्ग की अनुचित कार्यावाहियाँ सर्वविदित हैं। अमित भाबुड़ी के अनुसार तो पश्चिमी बंगाल में अर्ध-सामन्ती व्यवस्था का आधार भी महाजनी शोषण है।

11. कृषिक्षेत्र में विविधता—भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टि से इस देश में मिट्टी, वर्षा, तापमान, सतही पानी की उपलब्धि की दृष्टि से भारत में अन्तर इतने अधिक हैं कि एक ही राज्य के कुछ जिलों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम अन्य जिलों की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयुक्त हो सकता है।

भारत कृषि क्षेत्र में विभिन्न विविधताओं के बीच यदि कोई समानता है तो वह यही है कि देश के सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में 1960-61 के मूल्यों के आधार पर 15 रु० मासिक से कम आय वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है।

भारत में कृषि उत्पादकता (Agricultural Productivity in India)

भारत में कृषि उत्पादकता के सम्बन्ध में फोर्ड फाउन्डेशन दल ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है, "भारतीय कृषि के उच्चतम उत्पादकता की किसी देश की उच्चतम उत्पादकता से तुलना की जा सकती है लेकिन भारत की औसत उत्पादकता बहुत

कम है।”¹

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की समस्या पर दो पहलुओं से विचार किया जा सकता है—(अ) प्रति हेक्टर उत्पादकता (भूमि उत्पादकता) और (ब) प्रति-श्रमिक उत्पादकता (श्रम उत्पादकता)। सामान्यतया कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से तात्पर्य प्रति हेक्टर उत्पादन की मात्रा से होता है। भारतीय कृषि में उत्पादकता का स्तर दोनों ही दृष्टियों से नीचा है। जैसा कि निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है :

(किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)

फसल	विभिन्न देशों में प्रति एकड़ उत्पादन
गेहूँ	। ब्रिटेन 4 100, डेनमार्क 4,000, विश्व 1,420, भारत 1,310
चावल व धान	। आस्ट्रेलिया 6,200, सयुक्त अरब गणराज्य 5,440, विश्व 2,000, भारत 1,710
कपास	। अमरीका 2 290, सोवियत संघ 850, विश्व 340, भारत 160

सम्पूर्ण भारत के लिए, मूल्य की दृष्टि से, भूमि उत्पादकता 1,037 रुपये प्रति हेक्टेयर है। लेकिन क्षेत्रीय दृष्टि से सम्पूर्ण भारत में कृषि उत्पादकता में समानता नहीं है। जिन स्थानों पर भूमि उपजाऊ है तथा अन्य सुविधाएँ, जैसे सिंचाई आदि उपलब्ध है तथा जहाँ नकद फसल अधिक होती है वहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मूल्य अधिक है, जैसे—केरल में 2,716 रुपये, पंजाब 1,859 रुपये, उत्तर प्रदेश 444 रुपये, हरियाणा 1,467 रुपये, मध्यप्रदेश 539 व राजस्थान 461 रुपये।


भारतीय कृषि में अन्य देशों की तुलना में श्रम उत्पादकता (Labour Productivity) कम है जो डालरों में 162 डालर है जबकि कनाडा में 8,126, अमरीका में 2,408, जापान में 2,265, ब्रिटेन में 2,057 है। भूमि उत्पादकता की भाँति श्रम उत्पादकता भी देश के विभिन्न भागों में समान नहीं है। जैसे—यह सम्पूर्ण भारत के लिए 1,213 रुपये है। किन्तु पंजाब में 3,195 रु०, हरियाणा में 2,922 रु०, गुजरात में 1,457 रु०, उ० प्र० में 1,236 रु०, राज० में 1,129 रु०, महाराष्ट्र में 949 रु०, म० प्र० में 856 रु० और बिहार में 755 रु० है।

भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के कारण

यद्यपि योजना काल में कृषि उत्पादकता में कुछ सुधार हुआ है फिर भी भारत में कृषि उत्पादकता अभी कम है। भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने के कारणों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है जैसा कि आगे चार्ट में दर्शाया गया है—

1. निम्न उत्पादकता के कारण ही भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है तथा यही कारण भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का भी है।

भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के कारण



1. प्राकृतिक कारण

जैसा कि हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। यहाँ वर्षा काफी अनिश्चित रहती है। वर्षा कम होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वर्षा अधिक होने से फसलें नष्ट हो जाती है। इस प्रकार कृषि उत्पादन में उच्चावचन का प्रमुख कारण भारतीय कृषि की प्रकृति पर अधिक निर्भरता है।

2. सामान्य कारण

(1) कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव - भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, परन्तु इस 70% कृषि-जनसंख्या द्वारा कुल राष्ट्रीय आय का 40% उत्पन्न किया जाता है। इसका कारण यह है कि कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग आश्रित हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण बहुत से श्रमिक एक ही खेत पर काम करते हैं, जो ऊपर से देखने पर तो कार्यरत लगते हैं किन्तु वास्तव में बेकार होते हैं। वे अदृश्य रूप से बेकार रहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 व्यक्तियों का एक कृषक परिवार भूमि के एक टुकड़े पर कार्य कर रहा है और उससे 30 क्विंटल गेहूँ उत्पन्न होता है। परन्तु यदि 5 व्यक्ति की अपेक्षा 3 व्यक्ति ही इस भूमि के टुकड़े को जोतते हैं, तो भी 30 क्विंटल गेहूँ उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहली परिस्थिति में यह प्रतीत होता था कि 5 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, परन्तु वास्तविक परिस्थिति यह है कि केवल 3 व्यक्तियों के लिए ही रोजगार प्राप्त है। प्रो० नक्स ने इस स्थिति की अदृश्य बेरोजगारी या अतिरिक्त श्रम का नाम दिया है। जब तक भारतीय कृषि से जनसंख्या के अत्यधिक दबाव को कम नहीं किया जायगा, तब तक श्रम उत्पादिता में वृद्धि की सम्भावना नहीं है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होने का तात्पर्य यह हुआ कि एक

निश्चित भूमि की मात्रा पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, जो सम्पूर्ण उत्पाजित सम्पत्ति खा जाते हैं और बचत कुछ भी नहीं होती जिसका विनियोग कृषि के आगे के विकास के लिए जा सके ।

(11) सामाजिक वातावरण—भारतीय गाँव का सामाजिक वातावरण कृषि विकास में बाधक है । भारतीय कृषक अशिक्षित, अज्ञानी, अन्धविश्वासी, रूढ़िवादी एवं भाग्यवादी होने के कारण खेती के पुराने तरीकों से ही पूर्णतया सन्तुष्ट है और आर्थिक प्रगति का विचार उमें प्रेरित नहीं करता । ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-प्रथा और संयुक्त परिवार प्रणाली की अधिक विद्यमानता के कारण कृषकों में उस प्रेरणा का अभाव है जिससे उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहन मिल सके, अतः जब तक पिछड़ेपन को स्थायी रखने वाला वर्तमान वातावरण परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक कृषि की प्रगति की कोई संभावना नहीं है ।

यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इसी दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण के कारण भारत में कृषि उत्पादकता कम है । डब्ल्यू डेविड हापर सेनापुर गाँव के अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय कृषक अपने भौतिक स्रोतों का कुशलता के साथ पूरा-पूरा उपयोग करते हैं । जो०एस० सहोटा भी भारतीय कृषि में साधनों के आबंटन के विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 'इस दावे का समर्थन कर पाना कठिन है कि भारतीय कृषक रूढ़ियों से ग्रस्त हैं और उनका आचरण विवेकपूर्ण एवं मितव्ययी नहीं है अथवा श्रम की सीमात उत्पादकता शून्य है अथवा किसी भी प्रकार की पूँजी की सीमात उत्पादकता अधिक है ।'

(111) भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता—भारतीय कृषक ऋण के बोझ से लदे हैं । महाजनों की शोषण-नीति के कारण "भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही प्राण त्याग देता है ।" अतः भारतीय कृषकों के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ हैं और वे भूमि-सुधार आदि में पर्याप्त पूँजी लगाने में असमर्थ हैं । इसके कारण भी हमारी कृषि की उपज कम है ।

(1) दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था—भारत में कृषि-वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाजार का अभाव रहा है । अतः वे अपनी कृषि से उत्पादित वस्तुओं की बिक्री उचित मूल्य पर नहीं कर पाते । इस दोषपूर्ण कृषि-बाजार व्यवस्था के कारण कृषकों को अपने परिश्रमों का उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता । अपने प्रहाँ उपजों के वैज्ञानिक वर्गीकरण का अभाव है, एवं प्रामाणिक नाप-तोल की व्यवस्था नहीं है । किसान और उपभोक्ता के बीच अनेक मध्यस्थ हैं जो किसानों का शोषण करते हैं । इन सबका प्रभाव कृषि पर बुरा पड़ता है । कृषि उत्पादन से जो बचत कृषि और कृषकों के लाभ के लिए होनी चाहिए वह कृषकों द्वारा उत्पादक वस्तुएँ सस्ते भाव पर खरीद कर साहूकार, महाजन और मध्यस्थ खा जाते हैं । अतः कृषि एवं कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए कोई बचत नहीं हो पाती है ।

3. संस्थानात्मक कारण

(1) जोत का आकार—भारत में औसत जोते न केवल बहुत छोटी हैं, बल्कि छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी हुई हैं। निम्न आँकड़ों से विदित होता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में जोत का औसत आकार कितना छोटा है—

कुछ चुने हुए देशों में जोत का औसत आकार

देश	जोत का औसत आकार	देश	जोत का औसत आकार
अमेरिका	145	बेल्जियम	14
इंग्लैण्ड	20	भारत	5 4
फ्रांस	20	चीन	35

भूमि का आकार तो छोटा है ही, खेतों का आकार भी छोटा है, जिसका भारतीय कृषि की उत्पादिका पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इससे समस्त श्रम और पशुशक्ति का भारी अपव्यय होता है। कृषि की आधुनिक प्रणाली का उपयोग नहीं हो सकता। सिंचाई में कठिनाई होती है व किसानों में झगड़े और मुकदमोंबाजी की दुष्प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं। बहुत-सी भूमि, अति छोटे टुकड़ों होने के कारण परती रह जाती है।

(ii) भू-पट्टेदारी का ढाँचा (Pattern of Land Tenure)--कृषि की कम उत्पादिका का एक महत्वपूर्ण कारण जमीन जोतने वालों के लिए उचित प्रोत्साहन का अभाव रहा है। यद्यपि अब जमींदारी प्रथा का अन्त किया जा चुका है और विभिन्न राज्यों में कृषककारी विधान (Tenancy Legislation) लागू हो चुका है, फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कृषककारी भूमि का स्वामी नहीं है और जमीन पर खेती करने के बदले उसे भारी लगान देना पड़ता है। परिणामतः किसान कृषि उत्पादिका में कोई विशेष रुचि नहीं लेता है। जमींदारी, मालगुजारी, रयतदारी की समाप्ति के पूर्व तो स्थिति और भी बुरी थी।

4. प्राविधिक कारण

(1) उत्पादन की पिछड़ी तकनीक या प्रविधि—(अ) निर्धन व परम्परावादी होने के कारण भारतीय कृषक उत्पादन की पुरानी और अक्षम विधियों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। (ब) उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयुक्त और पर्याप्त खाद आवश्यक है, परन्तु भारत में गोबर की खाद और उर्वरक दोनों की ही बहुत कमी है। (स) कृषि उत्पादिका में वृद्धि के लिये अच्छी किस्म के बीज आवश्यक हैं, परन्तु भारतीय किसान बीजों की किस्म के बारे में उदासीन रहे हैं। कृषि विभाग और बीज-गुणन फार्म (Seed Multiplication Farms) सुधरे बीज के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 'उपयुक्ति मात्रा में अच्छी खाद की

उपलब्धि की भी सुविधाएँ बढ़ाई जा रही है। परम्परागत कृषि-प्रणाली के दोषों को दूर करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। स्पष्ट है कि भारत में कृषि की कम उत्पादिता का एक महत्वपूर्ण कारण उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है।

आयर तथा हेडी की जाँच के अनुसार अमरीका में 1939 से 1961 के मध्य मक्का के प्रति हेक्टर उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसमें 36% सकरण किस्मों के बीजों के प्रयोग, 31 प्रतिशत उर्वरकों के प्रयोग, 18 प्रतिशत क्षेत्रीय विशिष्टीकरण तथा 15 प्रतिशत दूसरे कारणों से हुई थी। इस प्रकार की जाँचों से प्रभावित होकर भारत में भी उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर देकर हरित क्रांति का प्रयास किया गया है जिसमें केवल आंशिक सफलता ही मिली है।

(ii) अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ—कृषि के पिछड़ेपन का एक मूल कारण यह है कि हमारे देश के अधिकांश कृषकों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है और कृत्रिम सिंचाई सुविधाएँ बहुत ही कम उपलब्ध हैं। कुल खेती योग्य भूमि के केवल 22% में ही सिंचाई होती है। इसलिए भारतीय कृषि को वर्षा का जुआ कहते हैं। यदि वर्षा हो जाय, तो अच्छी फसल उत्पन्न हो जाती है अन्यथा नहीं। यही नहीं, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण भारत में केवल इकहरी फसल ही पैदा की जाती है। परिणामतः प्रति एकड़ तथा प्रति श्रमिक उत्पादितता का स्तर बहुत कम है।

(iii) फसलों की असुरक्षा—यद्यपि नियोजन काल में फसलों की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी भी फसलों की पूर्ण सुरक्षा नहीं हो पाती और अनेक प्रकार की बीमारियों से उनकी क्षति होती है, अतः कृषि की उत्पादकता कम रह जाती है। एक अनुमान के अनुसार फसलों की असुरक्षा के कारण भारत में लगभग 5% की हानि होती है।

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने अथवा कृषि विकास हेतु सुझाव

जब तक भारतीय कृषि की उपर्युक्त समस्याओं का समाधान नहीं किया जायगा तब तक भारतीय कृषि का विकास सम्भव नहीं है। भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई अवस्था के जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन्हें दूर करने से ही भारतीय कृषि का स्थायी सुधार व विकास सम्भव है। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :—

(1) संस्थानात्मक उपाय—व्यावसायिक ढाँचे में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये कि केवल 50% लोग ही कृषि पर निर्भर रह जायें। इस हेतु हमें ग्रामीण जनसंख्या के लिये वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था चाहिए। इसी प्रकार भूमि-उपविभाजन और अपखण्डन की समस्या में चकबन्दी और सहकारी खेती का निर्माण अन्तिम समाधान सिद्ध हो सकता है। भू-पट्टेदारी की समस्या का समाधान काश्तकारी विधान को प्रभावशाली ढंग से लागू करके तथा सहकारी खेती का निर्माण करके किया जा सकता है।

(2) तकनीकी उपाय—कृषि उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए सघन कृषि-प्रणाली अपनायी जानी चाहिये। भारतीय सरकार ने इस बात का अहसास करते हुए पहले ही सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को प्रारम्भ कर दिया है। बढ़िया किस्म के उपकरणों का प्रयोग, उर्वरक का उपयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग तथा कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाकर एवं सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करके कृषि की उत्पादिता में वृद्धि करना इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं —

(i) श्रेष्ठतर तकनीकी और उन्नत औजारों का अपनाया—उत्पादिता वृद्धि के लिये श्रेष्ठतर तकनीकी और उन्नत औजारों का अपनाया जाना जरूरी है। परन्तु भारत में किसानों के सकुचित दृष्टिकोण, निर्धनता व अशिक्षा आदि के कारण उन्नत और आधुनिक फार्म-मशीनरी का अधिक उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी विगत वर्षों में कुछ उद्यमी कृषकों ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है।

(ii) उन्नत बीजों का उपयोग—उन्नत बीजों के द्वारा उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। हर्ष की बात यह है कि भारत में कृषि विभाग, इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल सीड्स कारपोरेशन आदि अनेक संस्थाओं ने उन्नत बीजों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये बहुत प्रयत्न किए हैं। कुछ उन्नत किस्मों के नाम इस प्रकार हैं—सोनारा 64, लर्मा रोजी, शर्वती सोनारा, सोनालिक-सफेद लर्मा, पी० वी० 18, ताई चुग नेटिव आदि। भारतवर्ष में उन्नत बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है और लोकप्रिय बनाने का भारतीय लक्ष्य बहुत ही उच्चाकांक्षी है।

(iii) बहुद्देश्यीय फसलों का कार्यक्रम—कृषि उत्पादिता में वृद्धि के लिए बहु-द्देश्यीय फसल कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

(iv) उर्वरक-उपभोग-स्तर बढ़ाना—भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उर्वरक-उपभोग स्तर के बढ़ जाने से कृषि उत्पादन और उत्पादिता की दर बढ़ेगी। भारतवर्ष में उर्वरक उपभोग का स्तर बहुत कम है। परन्तु सरकार किसानों का ध्यान इसके महत्त्व की ओर आकर्षित कर रही है और किसानों को इच्छित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करने का प्रबन्ध भी कर रही है।

(v) कीटनाशक दवाइयों का उपभोग स्तर बढ़ाना—कुल कृषि उत्पादन का लगभग 20% भाग भारत में कीटाणुओं के कारण नष्ट हो जाता है। इससे उत्पादिता कम हो जाती है। भारतवर्ष में कीटनाशक दवाइयों के उपभोग की अभी शुरुआत ही हुई है।

(3) सिंचाई के साधनों का विकास एवं विस्तार—चूंकि भारतीय कृषि मानसून पर अधिकांशतः आधारित है और मानसून अनिश्चित है। अपने प्रगाढ़ प्रयत्न से हम कृषि को मानसून के हाथ का जुआ बने नहीं रहने दे सकते हैं। अतः सिंचाई के साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करना आवश्यक है। उनमें सिंचाई की छोटी, बड़ी और मध्यम

तीनों ही श्रेणियों के साधनों का विकास किया जाना चाहिए और इनका पूरे देश में आवश्यकतानुसार विस्तार एवं विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। इनके विकास में छोटी सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्ता दी जानी चाहिए क्योंकि, ये कम लागत में ही तैयार हो जाती हैं और शीघ्र लाभ देने लगती हैं। शासन इस सम्बन्ध में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से ही सतर्क है और प्रत्येक प्रकार के सिंचाई साधनों का विकास कर रहा है। परन्तु इस समय लघु और मध्यम श्रेणी की सिंचाई प्रायोजनानों की अधिक आवश्यकता है और शासन भी इससे अवगत है। अतः वह इस दिशा में अधिक प्रयत्न कर रहा है।

(4) साख की सुविधाओं में सुधार—कृषकों के पास पूंजी का अत्यधिक अभाव है। इन्हे दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। साहूकारों और महाजनो से प्राप्त साख द्वारा किसानों का शोषण अधिक होता है, लाभ कम। अतः साख की सुविधा में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिए। इसके लिए सहकारी साख-सुविधा, भूमिबन्धक बैङ्क एवं वाणिज्य बैङ्को द्वारा साख सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। तकावी की सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

शासन इस सदर्भ में प्रयत्नशील है। उपयुक्त साख संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है। रिजर्व बैङ्क एवं स्टेट बैङ्क इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैङ्क भी ग्रामाचलों में अपनी शाखाएँ खोलकर कृषि-साख का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

(5) कृषि-विपणन की व्यवस्था का विकास—कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त होना आवश्यक है, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है और कृषि-उत्पादन बढ़ाने में उन्हें प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके लिए अधिकाधिक विपणन समितियाँ एवं मण्डियाँ स्थापित की जानी चाहिए। ग्रामीण कृषि मण्डियों तक यातायात के साधनों एवं मार्गों का विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के अन्न-भण्डार को सुरक्षित रखने के लिए भण्डारागार स्थापित किये जायँ और मूल्यों में स्थायित्व रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। शासन इस दिशा में भी प्रयत्नशील है। वह कृषि-मण्डियों, विपणन समितियों एवं भण्डारागार की सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु इस क्षेत्र में अब भी पर्याप्त विकास की आवश्यकता है।

(6) पशुओं की स्थिति में सुधार—पशुधन कृषि की महत्वपूर्ण पूंजी है। किन्तु हमारे देश में इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। अतः इसमें सुधार करने का प्रयत्न हमें इनके लिए चारा, चिकित्सा एवं नस्ल-सुधार की व्यवस्था करके करना चाहिए।

(7) किसानों के व्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था—कृषि की स्थिति सुधारने के लिए कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की विचारधाराओं में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और भाग्यवाद, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास को समाप्त करना अत्यावश्यक है। ऐसा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अत्यधिक

प्रसार करना आवश्यक है। कृषि की नई एवं आधुनिक प्रणालियों से हमारे किसान अनभिज्ञ हैं। कृषि की नई रीतियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, योग्य एवं शिक्षित भारतीय कृषकों को विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए।

(8) फसल बीमा योजना—ज्ञात ही है कि भारतीय कृषि अतिदृष्टि, अनादृष्टि, बाढ़ और अन्य कई आपत्तियों के कारण अनिश्चित-सी रहती है। अतः कृषकों की स्थिति भी इस संदर्भ में अनिश्चित रहती है, जिसका प्रभाव कृषि और कृषक दोनों पर ही बुरा पड़ता है। अतः कृषि फसलों के लिए बीमा का कार्यक्रम किया जाना चाहिए, ताकि किसी दैवी प्रकोप के बाद किसान, कृषि का अगनी फसल के लिए विनियोग करने के योग्य रह सके। इस कार्यक्रम को कृषकों और शासन के सम्मिलित योगदान से चलाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। आशा किन्तार तीव्रता से होगा।

(9) कृषि-अनुसंधान विस्तार—भारतीय कृषि प्रणाली में अनेक प्रकार के अनुसंधानों का पर्याप्त क्षेत्र है। अतः इसमें अनुसंधान का विस्तार किया जाना चाहिए और किये गये अनुसंधानों को व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाया जाना चाहिए। इससे कृषि में सर्वाङ्गीण सुधार हो सकता है। इस दिशा में भी प्रयत्न तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कई कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं।

(10) भूमि-कटाव पर रोक—वृक्षारोपण, बाँध और मेड़ों का निर्माण करके भूमि-क्षरण को रोकना अत्यावश्यक है; सूखी खेती भी इसमें उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

(11) सहकारी आन्दोलन का उपयोगी ढंग से विस्तार—भारत, जो कि गाँवों में निवास करता है और जहाँ पर 70% लोग कृषक हैं तथा उनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति दयनीय है, वहाँ सहकारिता की महत्ता के सम्बन्ध में कितना भी कहा जाय कम है। किन्तु अभी तक इस क्षेत्र में जो भी विस्तार हुआ है, वह अनेक दृष्टिकोणों से दोषपूर्ण रहा है। अतः इसका विकास सही ढंग पर तीव्र गति से किया जाना आवश्यक है।

(12) बंजर भूमि का सुधार एवं उपयोग—एक ओर हमारे यहाँ कृषि पर अत्यधिक भार है तथा बहुत से लोग भूमिहीन हैं, दूसरी ओर हजारों एकड़ बंजर भूमि पड़ी है। हमें चाहिए कि इसे कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करें। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी और कृषि पर भार कम हो जायगा। केन्द्रीय ट्रैक्टर सन्स्था इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है, राज्यों में भी ट्रैक्टर संगठन सक्रिय हो रहा है।

उपसंहार—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कृषि भारत की अर्थ-व्यवस्था में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर भी इसकी स्थिति ठीक नहीं है। गत बीस वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद भी हमारी कृषि अभी तक समस्याओं से लड़ी पड़ी है। किन्तु यदि वास्तव में हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो पहले कृषि की स्थिति सुधारनी होगी इस दिशा में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। किन्तु

जो भी परिवर्तन लाये जायँ वे दीर्घकाल को ध्यान में रखने हुए लाये जाने चाहिए, ताकि कृषि में मौलिक सुधार हो सके। विकास के लिये किये जा रहे प्रयत्नों में जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। जब तक जनता, विशेषकर कृषको के मस्तिष्क में कृषि के संदर्भ में मौलिक विचार-परिवर्तन नहीं होते, कृषि की स्थिति सुधारना आसान कार्य नहीं होगा। किन्तु इस संदर्भ में जो भी कार्य किये जायँ वे व्यावहारिक एवं वास्तविक होने चाहिए।

कृषि संरचना में सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव—राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपना प्रतिवेदन मार्च 1976 में संसद को प्रस्तुत किया जिसमें देश की कृषि संरचना की वर्तमान स्थिति का अध्ययन भावी प्रगति का अनुमान और कृषि संरचना में सुधार के लिये सुझाव प्रस्तुत किये गये। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(i) कृषि विकास की ऐसी नीति निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कृषि उत्पादन की माँग और पूर्ति के मध्य सन्तुलन आ सके और कृषि उत्पादनों के वितरण की न्याय पूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सके।

(ii) कृषि विकास में प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और सरकारी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(iii) कृषि में विनियोग नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें कृषि के विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त वित्त उपलब्ध हो सके और कृषि में अधिकतम रोजगार उपलब्ध करते हुए अधिकतम उत्पादन संभव हो सके।

(iv) कृषि के लिए आधारभूत आर्थिक संरचना के विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

(v) फसल उत्पादन, पशुधन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और वनों के सम्बन्ध में विकास की समन्वित नीति अपनायी जानी चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों में साथ-साथ विकास हो सके।

(vi) कृषि क्षेत्र में सेवाओं और वस्तुओं की पूर्ति के लिए सम्बन्धित कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए।

(vii) श्रम अतिरेक वाले क्षेत्रों में कृषि में मशीनों के प्रयोग पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए जिसमें अधिक रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

(viii) कृषि जोतों में स्वामित्व जोतों के साथ ही कार्यत्मक जोतों की सीमा का भी निर्धारण किया जाना चाहिए।

भारतीय कृषि का भविष्य विस्तृत खेती की तुलना में गहन कृषि पर अधिक निर्भर है—कृषि दो प्रकार से की जा सकती है प्रथम विस्तृत खेती और द्वितीय गहन खेती। जब कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो इसे विस्तृत खेती तकनीक कहते हैं। इसके विपरीत जब एक निश्चित भूमि क्षेत्र में श्रम, पूँजी तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो इसे गहन खेती तकनीक कहते हैं।

अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय कृषि का भविष्य विस्तृत खेती पर निर्भर करता है अथवा गहन खेती पर। जहाँ तक विस्तृत खेती का प्रश्न है इसके लिए कृषि में प्रयुक्त भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी। इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने से पूर्व देश में भूमि उपयोग के निम्न आँकड़ों का अध्ययन करना उपयोगी होगा।

1977-78 में भूमि का प्रयोग

	(करोड़ हेक्टेयर में)
1. वन (Forests)	6 71
2. खेती के लिए अनुपलब्ध नयी भूमि (Not available for cultivation)	3.9
3. अन्य बिना खेती की गयी भूमि ऊसर भूमि को छोड़कर (Uncultivation Land excluding fallow lands)	3.2
4. ऊसर भूमि (Fallow Lands)	2 28
5. कुल फसली क्षेत्र (Net Area Sown)	17.23
	33 32

उपर्युक्त सारणी के आँकों से पता चलता है कि फसली क्षेत्र में वृद्धि की सम्भावनाएँ कम ही हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि परती और बजर भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों में यह निष्कर्ष निकलता है कि परती भूमि में कमी करके या बजर भूमि को खेती योग्य बना कर कृषित क्षेत्र में इस समय बहुत अधिक वृद्धि की प्रत्याशा नहीं की जा सकती। अधिकांश परती भूमि या तो कम वर्षा वाले प्रदेशों में उपलब्ध है या पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ कुछ मात्रा में परती भूमि रखना अनिवार्य है। इसी प्रकार बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने पर होने वाली भारी लागत के कारण ऐसी बहुत अधिक भूमि को सुधारना संभव नहीं है। खाद्य और कृषि मंत्रालय की बंजर भूमि सर्वेक्षण और भूमि सुधार समिति द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग केवल 20 लाख एकड़ बंजर भूमि को ही कृषि योग्य बनाया जा सकता है। साथ ही भूमि के अन्य उपयोगों में कोई कमी होने की सम्भावना नहीं है, बल्कि सड़की, भवनो और औद्योगिक केन्द्रों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। वन क्षेत्र को भी कम करना उपयुक्त नहीं होगा। यही नहीं जनसङ्ख्या वृद्धि के कारण भी विस्तृत खेती द्वारा विकास की संभावनाएँ अधिक नहीं हैं। अतः असंदिग्ध रूप में यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषित क्षेत्र में वृद्धि करने का अवसर अत्यन्त सीमित है। अतः वर्तमान कृषि योग्य क्षेत्र में ही गहन खेती करने और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करने का सहारा लेना पड़ेगा। अन्य शब्दों में वर्तमान कृषि क्षेत्र में ही श्रेष्ठ बीजों, रासायनिक खादों, अच्छे उपकरणों इत्यादि का प्रयोग किया जाय तो कृषि उत्पादन काफी बढ़ सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गहन कृषि के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी। अतः

देश में गहन कृषि विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के लिये पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध की जाय ।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न

कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में काफी प्रयत्न किए हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(i) सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लघु मध्यम व बड़ी योजनाएँ क्रियान्वित की हैं जिनमें भाखडा नागल बाँध जैसी योजनाएँ भी सम्मिलित हैं ।

(ii) उन्नत बीज उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम व बड़े-बड़े फार्मों की स्थापना की गई है ।

(iii) फसलों को कीटाणुओं व रोगों से बचाने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने अलग से एक 'सैल' की स्थापना की है जो आवश्यकता के समय हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज से कीटनाशक दवाइयों को छिड़कवाता है ।

(iv) भिन्न-भिन्न स्थानों पर रासायनिक खाद बनाने के कारखाने भारतीय खाद्य निगम व अन्य संस्थाओं ने स्थापित किए हैं ।

(v) कृषकों को नवीन तकनीकों को समझाने व उनको कार्य में लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की है ।

(vi) एक कृषक के छोटे-छोटे व बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने के लिए चक्रबन्दी कार्यक्रम लागू किए गए हैं ।

(vii) ग्रामीण साख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए बैंकों को ग्रामीण खोलने के लिए विवश किया है ।

(viii) कृषि के मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई है जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार को सुझाव देता है ।

(ix) सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(x) कृषि अनुसन्धान एवं विकास हेतु कई विश्वविद्यालय खोले गए हैं ।

(xi) विपणन सुविधाएँ देने के लिए लगभग 3,000 बाजारों को नियमित बाजारों में बदल दिया गया है ।

(xii) जोनों को अधिक छोटे होने में रोकने से रोकने के लिए सम्बन्धित कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं ।

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपर्युक्त प्रयत्नों का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है जो निर्देशांक 1966-70 में समाप्त होने वाली 3 वर्षों की अवधि के लिए 100 था वह 1979-77 में बढ़कर 118.7 हो गया है ।

परीक्षा प्रश्न

1. कृषि-उद्योग के महत्त्व की विवेचना कीजिये और उसकी प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए ।

अथवा

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं ? वे किस प्रकार देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का प्रभावित करती हैं ?

अथवा

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि के स्थान की विवेचना कीजिये और इस वक्तव्य की समीक्षा कीजिये—“देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास की किसी भी योजना में कृषि के पुनर्संगठन और सुधार का आधारभूत महत्त्व है ।”

2. देश में कृषि-उत्पादकता कम क्यों है ? इसकी उन्नति के लिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय बताइये ।

अथवा

आप कृषि भूमि की उत्पादकता वृद्धि के लिये अपने प्रान्त में कितने उपायों का सुझाव देंगे ? अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति रही है ?

अथवा

भारतीय कृषि उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र का वर्तमान फसल पद्धति में उपयुक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण कीजिये ।

अथवा

भारत में प्रमुख फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन की विश्व के प्रगतिशील देशों से तुलना कीजिये और भारत में अत्यधिक कम उत्पादन के कारण बताइये ।

[संकेत—कृषि उत्पादकता के कम होने के कारण दीजिए तथा कृषि विकास के लिए सुझाव दीजिए ।]

3. “भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन एवं विकास की मुख्य समस्या कृषि पुनर्गठन है ।” विस्तारपूर्वक समझाइये ।

[संकेत—संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व की विवेचना कीजिए जिससे यह स्पष्ट होगा कि भारतीय नियोजन अभी सफल होगा । इसके बाद कृषि के पुनर्गठन के लिये सुझाव दीजिये ।]

4. “आर्थिक विकास की कुजी कृषि विकास में निहित है ।” इस कथन की विवेचना कीजिए । देश के कृषि विकास के प्रोत्साहन के लिए उपाय बताइए ।

अथवा

[संकेत—इसमें कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्व बताना है ।]

2

योजना-काल में कृषि-विकास व हरित क्रान्ति (Development of Agriculture during the Plan-Period and Green Revolution)

या राज्य एवं कृषि (State and Agriculture)

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश के सुव्यवस्थित आर्थिक विकास के लिये सरकार ने 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया। देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने कृषि विकास के लिये जो विभिन्न कार्य किये और जिनके फलस्वरूप कृषि में जो विकास हुआ उसका सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है—

1. व्यय—विभाजन के पश्चात् देश में खाद्यान्न तथा कृषि जन्य कच्चे माल की जो समस्या उत्पन्न हो गई थी उसे हल करने के लिए योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इस तथ्य को निम्न तालिका से स्पष्ट समझा जा सकता है :—

प्रस्तावित राशि एवं वास्तविक व्यय (करोड़ रु०)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	वार्षिकी योजनाएँ	चतुर्थ योजना	पंचम योजना
	1951-56	1956-61	1961-66	1966-69	1969-74	1974-79
1. कृषि पर निर्धारित व्यय	823	1100	1718	—	3815	8200
2 कुल योजना का कृषि पर प्रतिशत	35	23	23	—	24	20.3
3 वास्तविक व्यय	724	950	1754	1578	3498	6205●
4 कुल योजना का व्यय पर प्रतिशत	37	20	21	21	24	16

●1974-78

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कृषि पर प्रत्येक योजना में व्यय बढ़ा है तथा पाँचवी योजना में कृषि के लिए जो व्यय निर्धारित किया गया है। वह पहली योजना की निर्धारित राशि के 9 गुने से भी अधिक है।

2. उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ—निम्नांकित तालिका में कुछ प्रमुख फसलों के योजनावार उत्पादन लक्ष्य व वास्तविक उत्पादन दिये गये हैं। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में बहुत सफलता मिली किन्तु आगे की योजनाओं में विशेष रूप से तृतीय योजना के उपरान्त इस क्षेत्र में असफलताएँ ही हाथ लगी।

योजनाओं में कृषि के उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

योजना	खाद्य पदार्थ (दस लाख टनो में)	गन्ना (दस लाख टनो में)	तिनहन (दस लाख टनो में)	जूट (दस लाख टनो में)	रई (दस लाख टनो में)
प्रथम लक्ष्य	62.6	6.4	5.6	5.4	4.1
वास्तविक	66.9	6.1	5.7	4.2	4.9
द्वितीय लक्ष्य	81.8	7.9	7.7	5.5	6.5
वास्तविक	82.0	11.1	7.0	4.1	5.3
तृतीय : लक्ष्य (1965-66)	100.0	10.2	10.0	6.2	7.0
वास्तविक	72.0	12.2	6.4	4.5	4.8
चतुर्थ : लक्ष्य (1973-74)	129.0	15.0	10.5	7.4	8.0
वास्तविक	104.6	14.4	8.8	6.2	6.3
पंचम लक्ष्य : (1978-79)	140.0	17.0	14.0	7.7	8.0
वास्तविक (1977-78)	126.0	16.5	8.9	7.1	7.1

3 कृषि आदान—योजनाओं में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि आदानों जैसे—उन्नत बीज, रासायनिक खाद व यंत्रों आदि का उपयोग बढ़ा है साथ ही पूर्ति तथा कृषि विपणन सेवाओं की स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुए हैं।

(i) सिंचाई का विस्तार—नियोजन काल में सिंचित में निरन्तर वृद्धि हुई है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम योजना के अन्तिम वर्षों में क्रमशः 2.28, 2.46, 2.64, 4.49, 5.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र सिंचा गया।

(ii) अधिक उपज वाले बीजों तथा रासायनिक खाद का प्रयोग—हरित क्रांति के साथ-साथ 1965-66 से अधिक उत्पादकता वाले बीजों के अधिकाधिक प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। उर्वकों के प्रयोग में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। विश्व कुछ वर्षों के रासायनिक खाद के उत्पादन को अग्रलिखित तालिका में बताया गया है।

रासायनिक खाद का उत्पादन (हजार टन)

1950-51	60-61	70-71	73-74	79-80	82.83
9	98	830	2013	2223	4100
9	52	229	670	750	1125

(iii) साख -भारत मे कृषक के सामने वित्त की समस्या सदैव बनी रहती है। योजना काल मे इस समस्या को हल करने के सराहनीय प्रयास किये गये है। अल्प एवं मध्यकालीन साख की व्यवस्था प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा की जाती है। दीर्घकालीन साख की व्यवस्था भूमि विकास बैंको द्वारा की जाती है।

कृषि पुनर्वित्त निगम (ARFC) भी कृषि साख प्रदान करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह कृषि के लिए भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, तथा अनुसूचित व्यापारिक बैंको की दीर्घकालीन साख की माँग की पूर्ति करता है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि साख सुविधाओ की वृद्धि की दृष्टि से व्यापारिक बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलने को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा कृषि साख की शर्तों को और अधिक उदार बनाया जा रहा है।

(iv) कृषि विपणन - कृषि विपणन के क्षेत्र में सहकारी विपणन समितियाँ महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। 1960-61 मे प्राथमिक कृषि विपणन समितियों की संख्या 3108 थी जबकि वर्तमान मे इनका संख्या बढ़कर 3592 हो गई है।

4. प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन मे वृद्धि—कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसकी उत्पादकता मे सुधार हुआ है। कृषि की उत्पादकता मे 1952-65 की अवधि मे 1.21 प्रतिशत वार्षिक दर तथा 1967-79 की अवधि मे 1.63 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। विगत 25 वर्षों मे चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 6.7 क्विंटल से बढ़कर 13.4 क्विंटल तथा गेहूँ का उत्पादन 6.6 से बढ़कर 15.7 क्विंटल हो गया। इसी प्रकार कुछ अन्य फसलो के प्रति हेक्टेयर उत्पादन मे निम्न प्रकार वृद्धि हुई है.—

प्रतिहेक्टेयर उत्पादन

(कि० ग्रा०)

कृषि उत्पादन	1955-56	1978-79	1979-80
तिलहन	474	596	532
गन्ना	3289	5141	5000
कपास	88	167	162
पटसन	1082	1307	1308
दाले	476	517	385

5. भूमि-सुधार—कृषि की प्रमुख समस्या भूमि सुधार की है। इस दिशा मे जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश 40% क्षेत्र पर जमींदारो, जागीरदारो, ताल्लुकेदारो आदि का आधिपत्य था। इन्हें समाप्त करके लगभग 2 करोड़ कृषको को भूमिका स्वामित्व सौंप दिया गया है। कृषको के

काश्तकारी अधिकार सुरक्षित करने हेतु तथा लगानों के नियमन की वैधानिक व्यवस्था की गई है। देश में भू जोतो की सीमा-बन्दी के कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। सभी राज्यों द्वारा भू जोतो की चकबन्दी सम्बन्धी कानून पास करके चकबन्दी के प्रयास किये गये हैं तथा जोतो के विभाजित होने पर रोक लगा दी गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास

फरवरी 1981 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किये गये छठी योजना के मसौदे में कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है और कृषि उत्पादन बढ़ाने, देहातो में रोजगार तथा आय के अवसरों में वृद्धि करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य रखे गए हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से छठी योजना के मसौदे में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 11059 करोड़ रुपये तथा सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिए 12160 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इन दो क्षेत्रों पर कुल सरकारी खर्च 23219 करोड़ रुपये पाँचवी योजना (1974-79) में रखे गये परिव्यय 8200 करोड़ रुपये से 283 प्रतिशत अधिक है। कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों और सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपक्षेत्रवार विवरण सारणी में नीचे दिया गया है :—

कृषि एवं ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय

क्षेत्र	व्यय (करोड़ रु०)	कुल व्यय का प्रतिशत
(I) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों (ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित)		
1. कृषि	1771.7	16.02
2. भू-संरक्षण	433.6	3.92
3. पशु-पालन तथा दुग्ध उद्योग	851.4	7.70
4. मछली पालन	371.4	3.36
5. वन	692.6	6.26
6. कृषि वित्तीय संस्थाओं में पूँजी निवेश	821.1	7.42
7. सहकारिता	914.2	8.20
8. खाद्य भण्डारण गोदाम तथा विपणन	433.7	3.92
9. भूमि-सुधार	304.6	2.75
10. सामुदायिक विकास और पंचायत	352.6	3.19
11. अन्य	4112.3	37.19
योग	11,058.8	100.00
(II) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण (इसके अन्तर्गत बड़ी एवं मध्यम व छोटी सिंचाई योजनाएँ तथा बाढ़ नियन्त्रण और भू-संरक्षण सम्मिलित हैं)	12,160.0	100.00
कुल योग (I II का)	23,218.8	—

छठी योजना में कृषि के लक्ष्य

1 फसल उत्पादन—वर्ष 1980-81 में देश में करीब 1230 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। इस वर्ष चावल की उपज सराहनीय रही है। छठी पंच-वर्षीय योजना में 1984-85 तक अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जायेगा। इस अवधि में लगभग 1540 लाख मीटरी टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य है। वर्ष 1981-82 में 1385 लाख मीटरी टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका त्रिवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

खाद्यान्न	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
चावल	580
गेहूँ	380
मोटे अनाज	300
दाले	125
योग	1385

हमारे देश में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण भाग दाले है, परन्तु चिन्ता का विषय है कि दालो का उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है। दालो के उत्पादन को बढ़ाने वाली योजना में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जा रहा है—

- (1) मूँग, उड़द, चना और अरहर की दालो के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना।
- (II) उपलब्ध तकनीको के प्रयोग द्वारा इनके उत्पादन को बढ़ाना।
- (III) मोटे अनाजों, तिलहनो, कपास और गन्ने के साथ दालो की मिली-जुली खेती।

2. उन्नत बीज—कृषि उत्पादन बढ़ाने का दूसरा पहलू उच्चकोटि के बीजों का होना भी है। अच्छे किस्म के बीजों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए एक ठोस एवं व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1980-81 में 25 लाख क्विंटल अच्छे बीजों का वितरण हुआ है और 1981-82 में 32 लाख क्विंटल तक पहुँच जाने का अनुमान है। छठी योजना के अन्त तक यानी 1984-85 तक अच्छे बीजों के उत्पादन एवं वितरण को 58 लाख क्विंटल तक पहुँचाने का प्रयास है। राष्ट्रीय बीज निगम आदि ने बीजों के उत्पादन के सम्बन्ध में छठी योजना में 41 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की है।

कृषि उत्पादन की दिशा में अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1980-81 के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 450 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। वर्ष 1984-85 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 550 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल आ जायेगा।

3. रासायनिक उर्वरक—समग्र कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1984-85 तक हमारी रासायनिक

खाद की खपत बढ़कर 96 लाख मीटरी टन से अधिक हो जायेगी, जबकि वर्तमान में इसकी खपत 54 लाख मीटरी टन के आस-पास है।

4 फसल को हानिकारक कीटों व रोगों से संरक्षण—अधिक उपज देने वाली फसलों को हानिकारण कीटों व रोगों आदि से बचाने के लिए वर्ष 1984-85 तक शुद्ध कीटनाशक औषधियों की खपत 90800 मीटरी टन करने का प्रस्ताव है। कृषि को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने कुल 213 लाख रुपये की लागत से लगभग 12 लाख हेक्टेयर भूमि में हवाई व जमीनी छिड़काव करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। छठी योजना अवधि में फसलों के नुकसान को कम करने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए वनस्पति-रक्षण उपायों को अधिक कारगर बनाया जायेगा।

5. सिंचित क्षेत्र—यह क्षेत्र 1979-80 में 52.6 मिलियन हेक्टेयर था जो बढ़कर 1984-85 में 62.2 मिलियन हेक्टेयर हो जायेगा।

6. अन्य कार्यक्रम—कृषि उपकरणों का सरल बनाया जायेगा, रोजगार एवं उत्पादकता की दृष्टि से उपयोगी मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि वित्त का अधिकाधिक संस्थाकरण किया जायेगा और कमजोर वर्गों को पर्याप्त साख उपलब्ध कराई जायेगी।

योजना-काल में कृषि विकास का मूल्यांकन

यद्यपि योजना-काल में कृषि-विकास में प्रगति हुई है, परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है इसे सराहनीय नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में कृषि-क्षेत्र में असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन—यद्यपि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य निश्चित किये गये हैं परन्तु कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जो कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं उनमें कोई समन्वय नहीं होता है। डॉ० गाडगिल 17 वर्ष पूर्व कहा था कि 'मेरा विचार यह है कि जिसे वास्तव में आर्थिक नियोजन कहा जा सकता है, भारत में व्यवहार में बहुत थोड़ा है और कृषि में तो यह और भी कम है।' डॉ० गाडगिल का यह कथन आज भी सत्य है। कृषि क्षेत्र में नियोजन के अभाव का मुख्य कारण यह है कि सरकार की नीति में स्थिरता नहीं है। उदाहरणार्थ, गेहूँ के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का कुछ समय बाद उसे समाप्त कर देना सरकारी नीति में अव्यवस्था का प्रमाण है।

2. दोषपूर्ण भूमि-सुधार—भारतवर्ष में भूमि-सुधार सम्बन्धी किये गये अनेक उपायों द्वारा देश में एक न्यायपूर्ण और गतिशील भूमि व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु आशातीत सफलता नहीं मिली है। परिणामतः ग्रामीण क्षेत्र में जो संस्थागत सुधार होने चाहिए वे 30 वर्षों के नियोजन द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सके। जापान तथा यूरोप के देशों में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक

होने के बावजूद भी कृषि उत्पादकता अधिक है, वहाँ कृषि में तकनीकी सुधारों से पहले भूमि-सुधारो को लागू किया गया था ।

3 पूँजीवादी कृषि का विकास—सरकार की नवीन कृषि नीति से पूँजीवादी कृषि का विकास हो रहा है, क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों और सिंचाई पर भारी विनियोग करना पड़ता है जो छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के सामर्थ्य से परे है । भारतवर्ष में 12% बड़े किसानों के पास कुल भूमि का 50% है और ये ही 12% बड़े किसान नलकूप, पम्पिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे हैं । परिणामतः नवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ नहीं हुआ है, बल्कि इसके कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम 10% भाग के हाथ में सम्पत्ति का संकेन्द्रण हुआ है ।

4. ग्रामीण ऋणग्रस्तता—भारतीय कृषि व्यवस्था में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की विषय की भाँति व्याप्त है । भारत में ऋण सम्बन्धी अधिनियम ग्रामीण ऋणग्रस्तता की व्यापक बीमारी के लिए प्राथमिक चिकित्सा के रूप में ही कार्य कर सके हैं ।

5 सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था—यद्यपि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है, परन्तु सिंचाई की व्यवस्था दोषपूर्ण है । सिंचाई के कार्यक्रम में पूर्ण समन्वय नहीं है । अत्यन्त सोचनीय बात यह है कि सिंचाई की सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त सिंचाई की लागत में निरन्तर वृद्धि के कारण छोटा किसान सिंचाई की व्यवस्था का लाभ उठाने में असमर्थ है ।

6. लक्ष्यों से तुलना—यदि हम अपनी उपलब्धियों की तुलना लक्ष्यों से करें तो हमें विदित होगा कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं में हमारी कृषि उत्पादन की उपलब्धियाँ निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम रही हैं । अनेक बार तो निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि में ताल-मेल बिठाना भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । उदाहरणार्थ—चतुर्थ योजना में कृषि उत्पादन में 5% वार्षिक वृद्धि लाने की व्यवस्था की गई जबकि वास्तविक उपलब्धि केवल 2.8% वार्षिक ही रही । पंचम योजना के अन्त तक कृषि की वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% आँकी गई है । भारत की तुलना में थाईलैण्ड (4.9), दक्षिण कोरिया (4.1), तुर्की (3.6) तथा मिस्र (3.0) आदि देशों में वृद्धि की दर अधिक है ।

7. आवश्यकताओं से तुलना—30 वर्षों के नियोजन के उपरान्त भी कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं । भारत में अभी तक विशेष रूप से 1975 के अन्त तक खाद्यान्न अभाव की गम्भीर समस्या बनी थी । खाद्यान्न की तरह दूसरे कृषिजन्य पदार्थों की भी कमी की अवस्था बनी रहती है और यदा-कदा हमें आयात का सहारा लेना होता है । दालों के अभाव की समस्या ने तो गम्भीर रूप धारण कर लिया है । संक्षेप में, भारत में कृषि का उत्पादन आवश्यकता से कम है ।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि योजना-काल में कृषि क्षेत्र में यद्यपि उत्साहजनक प्रगति हुई है । किन्तु हमें अभी बहुत आगे जाना है । हर्ष की बात है कि

सरकार और योजना आयोग ने कृषि और ग्राम विकास को योजना का केन्द्र बिन्दु बनाने का फैसला किया है।

हरित क्रान्ति (Green Revolution)

क्रान्ति शब्द में दो बातें सम्मिलित की जाती हैं- (i) किसी घटना में तीव्र परिवर्तन होना, यह परिवर्तन इतना तीव्र होता है कि इसका स्पष्ट आभास होता है। (ii) दीर्घकाल तक इस परिवर्तन के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ मौलिक परिवर्तन आते हैं। जब हम क्रान्ति शब्द के साथ 'हरित' शब्द को जोड़कर 'हरित-क्रान्ति' उपसर्ग का शब्द निर्माण करते हैं तो इसका अर्थ होता है—(क) कृषि उत्पादन में सुस्पष्ट सुधार तथा (ख) एक लम्बी अवधि तक ऊँचे कृषि उत्पादन के स्तर का बने रहना।

भारत में 1966-67 में हरित क्रान्ति का समारम्भ हुआ।

संक्षेप में, सन् 1966-67 व 1968-69 के वर्षों में कृषि उत्पादन में जो आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है उसे ही हरित क्रान्ति कहा जाता है। 1966-77 में खाद्यान्नों का उत्पादन 75 मिलियन टन था, जो 1967-68 में बढ़कर 96 मिलियन टन हो गया। एक वर्ष में ही खाद्यान्नों के उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि निश्चय ही प्रशंसनीय है, भारत के इतिहास में कृषकों को पहले कभी भी इतना अधिक उत्पादन नहीं मिला था।

हरित क्रान्ति के तत्त्व अथवा हरित क्रान्ति के लिए उत्तरदायी घटक—हरित क्रान्ति के लिए उत्तरदायी घटक प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं—

1. भारी उपजदायी बीजों का उपयोग—कृषि विकास की नवीन ब्यूह रचना में उच्च किस्म के बीजों के प्रयोग को विशेष ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से गेहूँ में सोनार-64, कल्याण हीरा, चावल में साबरमती, कृष्ण, राना, पद्मा, जय, विजय, जमना, आई० आर० 8, मक्का में गंगा; ज्वार में सी० एस० एच० तथा बाजरा में एच० बी० 1 मुख्य हैं। सन् 1966-67 में 19 लाख हेक्टेयर भूमि में ऊँची उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता था। जो सन् 1978-80 में लगभग 480 लाख हेक्टेयर हो गया।

2. उर्वरकों के प्रयोग पर अधिक जोर—अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों के प्रयोग के लिए अधिकाधिक रासायनिक खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए देश में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश युक्त खादों का प्रयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। रासायनिक खादों की बढ़ी हुई माँग देश में उत्पादन वृद्धि एवं आयातों के द्वारा पूरी की जा रही है। रासायनिक खादों के उपभोग की मात्रा भी वर्ष 1979-80 में बढ़कर 60 लाख टन हुई जबकि वर्ष 1966-67 में केवल 11 लाख टन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता था।

3 आधुनिक उपकरण एवं संयंत्र—कृषि उत्पादन बढ़ाने मे तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत न्यूनतम करने मे आधुनिक कृषि-यन्त्रो, जैसे ट्रैक्टर, बुलडोजर, ट्र्यूब-वेल्स, डीजल एंजिन, शक्ति-चालित पम्प आदि का योगदान महत्त्वपूर्ण है। भारतवर्ष मे इन सब उपकरणो व संयंत्रो का प्रयोग बढ रहा है।

4 कीटनाशक औषधियों का उपयोग—भारत मे पिछले कुछ वर्षों से कीटाणु व विभिन्न पौध रोगो के नियन्त्रण की दिशा मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने काफी कार्य किया है। नयी कृषि योजना मे सरकार कीटनाशक औषधियाँ और पौधो की रक्षा के लिये उपकरण तैयार करने के लिये तेजी से कदम उठा रही है। देश मे पौध संरक्षण निदेशालय के अन्तर्गत 17 केन्द्रीय पौध संरक्षण केन्द्रो द्वारा फसलो से कीडो व रोगो आदि के नियन्त्रण करने के लिये प्राविधिक परामर्श दिया जाता है। राज्य के कृषि विभाग को कीटनाशक औषधियाँ और पौध संरक्षण यन्त्र दिये गये है। निदेशालय के विभाग राज्यों मे फसलो पर कीटनाशक औषधियाँ छिडकते है और टिड्डी दलो के आक्रमण का सामना करते है।

5 सिंचाई सुविधाओं में विस्तार—गत दो दशाब्दियो मे सिंचाई के साधनो मे वृद्धि हेतु सरकारी एवं निजी दोनो ही क्षेत्रो मे बड़े पैमाने पर विनियोजन किया गया है। 1950-51 मे देश का कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था जो 1978-79 मे बढ़कर 5.26 करोड़ हेक्टेयर हो गया। 1979-80 क अन्त तक लगभग 17.50 करोड हेक्टेयर मे फसलें बोई गईं।

6 भूमि सुधार—स्वतन्त्रता के बाद से लेकर अब तक भूमि सुधार के विषय मे जो प्रमुख कदम उठाये गये है और जिन पर विशेष बल दिया जा रहा है, वे ये है—(अ) जमीदारो व मध्यस्थो का उन्मूलन, (ब) पट्टेदारी का सुधार, (स) भूमि पर अधिकारो की सुरक्षा, (द) भूमि की चकबन्दी के लिए सन्नियम का निर्माण, (य) विद्यमान व भावी जोतो की सीमा पर प्रतिबन्ध आदि। इन सब भूमि सुधारो का लक्ष्य ग्रामीण-व्यवस्था को न्यायोचित बनाना तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि में बाधाओ को दूर करना है। नई कृषि नीति के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे भूमि-सुधार कार्यक्रम के दोषो को दूर करने के प्रयास किये जायेगे।

7 मूल्य उत्प्रेरण—उत्पादको को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु भारत सरकार धान, चावल, गेहूँ, दाल, जौ, बाजरा, मक्का आदि की कीमते प्रत्येक मोसम के लिये घोषित करती है और इन कीमतो पर उपज खरीदने के लिये तत्पर रहती है। अधिकतम कीमते भी विभिन्न स्तरों पर निर्धारित की गई है।

8. बहुउद्देशीय फसलो का कार्यक्रम—कृषि उपज मे वृद्धि के लिये बहुउद्देशीय फसल कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। आजकल देश के कुल सिंचित क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग मे दोहरी फसलें ली जा रही हैं।

धान, मक्का, ज्वार व बाजरा की अल्पावधि वाली किस्मो के विकास होने से फसलो के बिलकुल नए हेर-फेर (New crop rotation) सम्भव हो सके हैं। फसलो के इस हेर-फेर में जौ, रागी, तिलहन, आलू व सब्जियाँ भी शामिल है।

9 विधायन, विपणन एवं संग्रहण की सुविधाओं में वृद्धि—कृषि उत्पादन के विधायन, विपणन एवं संग्रहण की सुविधा में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है। इन सुविधाओं की वृद्धि के फलस्वरूप कृषक अपने उत्पादन की अच्छी कीमत प्राप्त करने और उसका अधिक अच्छा उपयोग करने में सफल हो रहा है। इसका प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जो कि कृषि की स्थिति को सुधारने में सहायक होती है।

10 पर्याप्त कृषि साख—उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को आसान शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न कर रही है। सहकारी आन्दोलन के एक अंग के रूप में कृषि-ऋण निगम स्थापित किये जा रहे हैं।

11 सघन कृषि जिला कार्यक्रम—सन् 1959 में फोर्ड फाउण्डेशन दल की सिफारिश एवं सुझावों को मानकर सन् 1961-62 में सरकार द्वारा 'सघन-कृषि-जिला कार्यक्रम' (Intensive Agricultural District Programme—I. A. D. P.) या पैकेज कार्यक्रम (package Programme) की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के उद्देश्य हैं—(अ) अनाज के वर्तमान अभाव की पूर्ति तथा अधिक शीघ्र आर्थिक विकास हेतु एक आधार बनाने के लिये उत्पादन में वृद्धि करना, (ब) ऐसी वृद्धि के लिये प्रभावकारी कार्यों का प्रदर्शन करना, (स) सघन-कृषि-कार्यक्रमों को अन्य अनुकूल क्षेत्रों में विस्तृत करने हेतु एक पैटर्न स्थापित करना।

सघन कृषि-कार्यक्रम से तात्पर्य यह है कि कृषित भूमि पर ही अच्छी सिंचाई, उन्नत खाद, उन्नत बीज, अधिक शक्ति और श्रम लगाकर अधिक उत्पादन किया जाय। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पचायतो का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि देश में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए नवीन कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि विकास के उन कार्यक्रमों को अविक नहस्व दिया जा रहा है जिनसे शीघ्र लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नवीन कृषि नीति में लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन, अधिक उपज देने वाले बीजों तथा रासायनिक खादों का प्रयोग, चुने हुए कृषि क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग, बहुफसल प्रणाली का विस्तार, कृषि क्षेत्र में समन्वित खोज आदि पर अधिक बल दिया गया है।

हरित क्रांति की उपलब्धियाँ या लाभ—हरित क्रांति के मुख्य लाभ निम्न-लिखित हैं—

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि—हरित क्रांति का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़े हुए कृषि उत्पादन से परिलक्षित होता है। कृषि उत्पादन का सूचकांक जो कि 1965-66 में 80.8 था 1978-79 में 138 हो गया है।

2. कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन—नवीन कृषि विधि को लागू करने से भारत में कृषि का परम्परागत स्वरूप बदला है और किसान नयी तकनीक को अपनाने लगे हैं। लैजिन्स्की का मत है "तकनीकी सुधारों के सम्बन्ध में सबसे उत्साहवर्धक बात यह नहीं है कि इनसे कृषि उत्पादन बढ़ा है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान अब जोखिम उठाने के लिए तत्पर हैं और वे इन्पुटों का उपयोग बढ़ा रहे

है। संक्षेप में नवीन कृषि विकास विधि के प्रभाववश आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति मिली है।

3. श्रम की माँग में वृद्धि—नवीन विधि भूमि की खत कराने वाली और श्रम का अधिक उपयोग करने वाली है जिससे दश में रोजगार में वृद्धि होगी। औजारों और उर्वरकों का उत्पादन करने में अधिक श्रम लगाया जायेगा तथा ट्रैक्टरों और कृषिगत यंत्रों की मरम्मत के लिए कुशल कारीगरों की माँग में वृद्धि होगी।

4 कृषि बचतों में वृद्धि—हरित क्रान्ति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे कृषकों के पास बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस कृषि अनिरेक को देश के विकास के लिए काम में लाया जा सकता है।

5 विश्वास—भारत में हरित क्रान्ति से मुख्य लाभ यह हुआ है कि कृषक, सरकार, व जनता सभी में यह विश्वास जागृत हो गया है कि भारत कृषि पदार्थों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो नहीं हो सकता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्यात भी कर सकता है।

6 आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात सम्बर्द्धन में सहायक—हरित क्रान्ति के कारण कृषि जन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने से इनके आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को तो बचत होगी ही, साथ ही साथ आधिक्य को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

हरित क्रान्ति कितनी हरी रही है

अथवा •

क्या हम हरित क्रान्ति लाने में सफल हुए हैं ?

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है 'कृषि विकास' का नया उपक्रम सन् 1966-67 में शुरू किया गया। इसके द्वारा किसानों में नई गतिशीलता पैदा की जा रही है (क) उन्नत बीजों, विशेषकर अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। (ख) किसानों को कृषि उपज और ऋण देने की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। (ग) नई वैज्ञानिक तकनीकें किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। (घ) फसल संग्रह परिवहन और अनाज की बिक्री की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी सम्भावना है कि इन सब कार्यक्रमों का सामूहिक परिणाम कृषि में हरित क्रान्ति ला देगा।

उपर्युक्त चारों प्रयत्न एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः हरित क्रान्ति के लिए ये सभी आवश्यक हैं। इस क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि की स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य ही हुए हैं, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

उपर्युक्त विवरण से यह सत्य प्रतीत होता है कि 'हरित क्रान्ति' में प्रारम्भ हो गई है और कृषि विकास की ब्यूह रचना उचित दिशाओं में चल रही है। किन्तु निम्नांकित कारणों से यह क्रान्ति पूर्ण सन्तोषप्रद नहीं रही है :—

1. पूंजीवादी कृषि का विकास—नई कृषि उत्पादन-विधि के कारण भारत में

पूँजीवादी कृषि का विकास हो रहा है क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये उर्वरकों और सिंचाई पर भारी विनियोग करना पड़ता है जो छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के सामर्थ्य से परे है। भारतवर्ष में 12% बड़े किसानों के पास कुल भूमि का 50% है और ये ही 12% बड़े किसान नलकूप, पम्पिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे हैं। परिणामतः नवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि इसके कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम 10% भाग के हाथ में सम्पत्ति का मकेन्द्रण हुआ है। अशोक रूद्र, माजिद और तालिब ने पूँजीवादी खेती का विश्लेषण करने के लिये पंजाब के बड़े किसानों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नई कृषि-उत्पादन-विधि के कारण पूँजीवादी खेती का विकास हुआ है।

श्री० जी० आर० सनी ने फिरोजपुर और मुजफ्फरपुर में हरित क्रान्ति के प्रभाव का अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दोनों जिलों में हरित क्रान्ति से धनी और निर्धन किसानों के बीच खाई बड़ी है।

क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि—भारत में हरित क्रान्ति से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। अधिक उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से केवल गेहूँ की प्राति हेक्टेयर उपज में तो वृद्धि हुई है, अन्य किसी फसल पर इस योजना का कोई प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः गेहूँ का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में और विशेष रूप से पंजाब, हरियाण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसानों की सम्पत्ति बढ़ने से कृषि में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो चली है, जबकि देश के अन्य सभी भागों में कृषि का स्वरूप परम्परागत बना हुआ है। अतः कहा जाता है कि "हरित क्रान्ति से निर्धनता के सागर में सम्पत्ति के द्वीप बन गये हैं।"

3. संस्थागत सुधारों की उपेक्षा—ऐसा प्रतीत होता है कि नई उत्पादन-विधि एक एकाग्र बल तकनीकी परिवर्तनों पर है। इसमें संस्थागत सुधारों जैसे भूमि सुधारों की किसी समय काफी जोरों से चर्चा थी, क्या आज उनको लागू करने की आवश्यकता नहीं रह गई है? यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जब तक देश के अधिकांश भागों में काश्तकारी प्रथा एवं बटाई-प्रथा (Share-cropping) विद्यमान है तब तक नीति को व्यापक क्षेत्रों में क्रियाशील नहीं किया जा सकता। अतः कृषि-क्षेत्र में विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि सुधार के उपाय अति शीघ्रता से अपनाए जाने चाहिएँ।

यदि बिना संस्थागत परिवर्तनों के कृषि क्षेत्र में तकनीकी उपायों को बाँधने का प्रयत्न किया जाता है तो इससे परम्परागत कृषि का स्वरूप बदलकर आधुनिक नहीं हो जाता। श्री के० एन० राज का तो मत है कि इससे कृषि क्षेत्र में द्विविधता पैदा हो जाती है अर्थात् एक ओर तो बड़ी संख्या में छोटे किसान परम्परागत ढंग से खेती करते हैं और दूसरी ओर कहीं-कहीं आधुनिक यंत्रीकृत खेती होती है। इस प्रकार देश में अन्तर्क्षेत्र कृषि व्यवस्था का विकास होता है।

4. विभिन्न एजेन्सियों मे ताल-मेल में कमी—नवीन कृषि विधि मे व्यापक आयोजन का अभाव है। इसमे सिंचाई से भी ज्यादा बल उर्वरको पर दिया गया है। श्री आर० एस० सावले के फार्म-प्रबन्ध अध्ययनो के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि विकास मे सर्वोच्च स्थान सिंचाई का है। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्वरक के साथ-साथ सहयोगी तत्वो जैसे समय पर ऋण व बीज का उपलब्ध होना तथा सिंचाई सस्थापको की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री वी० एस० व्यास ने नई उत्पादन विधि के असन्तोषजनक कार्यान्वयन के बहुत से कारण बताए है जैसे राजकीय व्यवस्थाओ—कृषि-विभागो, पंचायतों एवं सहकारी समितियो मे तालमेल की कमी, विस्तार सेवाओ द्वारा सूक्ष्म तकनीक के अनुकूल कार्य न कर पाना एवं सहकारी समितियो द्वारा यथोचित समय पर कृषि-आदानो, विशेषकर उर्वरको को वितरित न कर सकना और साथ ही उधार क्रियाओ की व्यवस्था करने मे असफल होना।

5. कृषि-श्रमिक की वास्तविक मजदूरी मे कमी—भारत सरकार द्वारा हाल ही मे दो जिलो फिरोजपुर (पंजाब) और मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश) मे किये गये फार्म मैनेजमेन्ट सर्वेक्षणो से भी ऐसे ही निष्कर्ष निकलते हैं। फिरोजपुर मे 1956-77 मे पुरुष कृषि श्रमिक की दैनिक मजदूरी 2.46 रुपये थी जो तत्कालीन गेहूँ के मूल्य के आधार पर 73 किलो के बराबर थी। परन्तु 1967-68 मे यद्यपि मजदूरी की दर बढ़कर 5.55 रुपये हो गई, परन्तु तत्कालीन कीमतो पर गेहूँ के रूप मे यह मजदूरी गिरकर 6 कि० ग्रा० ही रह गई। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश मे भी नकद मजदूरी मे वृद्धि 4.8% प्रति वर्ष की दर से हुई परन्तु उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (कृषि श्रमिको के लिए) मे वृद्धि की दर से 47% थी। इस प्रकार इस क्षेत्रमे भी वास्तविक मजदूरी दर प्रायः स्थिर ही बनी रही। अर्थशास्त्री प्रणव वर्धन ने भी कृषि श्रमिको पर हरित क्रान्ति के प्रभाव का अध्ययन किया। श्री वर्धन के अनुसार पंजाब और हरियाणा के जिलो मे दैनिक आकस्मिक पुरुष श्रम की मजदूरी मे 1967-68 मे 1860-61 की अपेक्षा 89% की वृद्धि हुई। परन्तु इसी अवधि मे कृषि श्रमिको द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओ की कीमत मे 93% की वृद्धि हुई। इस प्रकार पुरुष कृषि श्रमिक की वास्तविक औसत दर में कमी हुई है। स्पष्टतः हरित क्रान्ति का लाभ कृषि श्रमिकों को प्राप्त नहीं हुआ है। मार्टिन एबेल का कथन है कि हरित क्रान्ति एक बड़ी सीमा तक कृषि श्रमिको के अथक परिश्रम का फल है, परन्तु यह उसके हाथो से निकलकर बड़े किसानो के गोदामो मे चली गयी है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि—हरित क्रान्ति के अन्तर्गत गहन कृषि विकास कार्यक्रमो को अपनाया गया है और गहन कृषि के परिणाम स्वरूप पजीकरण मे तेजी से वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी मे वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति के कारण पूंजीवादी कृषि प्रणाली को बल मिला है जिससे यंत्रों के बढ़ते हुए प्रयोग से मानव श्रम की माँग घट रही है। ग्रामीण क्षेत्रो में अतिरिक्त रोजगार

की व्यवस्था न होने पर निराशा को जन्म मिलेगा तथा उसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होंगे । कृषि यत्नीकरण की गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए ।

7. ग्रामीण जनसंख्या का शहरो मे पलायन—ग्रामीण क्षेत्रो में बढ़ती हुई बेरोजगारी के फलस्वरूप प्रागोण जनसंख्या शहरो की ओर जा रही है, जहाँ पहले से ही अधिक भीड़ है । इस अतिरिक्त जनसंख्या के शहरो मे जाने से वहाँ स्थानीय यातायात, आवास एवं जनस्वास्थ्य की समस्याएँ अधिक विकट होगी जिनके सामाजिक परिणाम बहुत बुरे होंगे ।

8 अन्य समस्याएँ—हरित क्रान्ति से कृषि पदार्थों के मूल्यो मे गिरावट, कृषि फार्मों की व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को सरल दृष्टिकोण से लेना, कृषि उपजों के संग्रहण की व्यवस्था, आदि के सम्बन्ध मे अनेक नई समस्याएँ उत्पन्न हो रही है जिनके तुरन्त हल की आवश्यकता है । जोत की अधिकतम सीमा 17-18 एकड़ निर्धारित करना हरित क्रान्ति पर एक भारी कुठाराघात सिद्ध होगा ।

हरित क्रान्ति की सफलता हेतु सुझाव

देश में हो रही हरित क्रान्ति की गति को, इसके बुरे प्रभावों को देखकर, कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज आवश्यकता इम बात की है कि नवीन कृषि नीति तथा देश की अर्थव्यवस्था में इस तरह के परिवर्तन किये जायें, जिससे हरित क्रान्ति के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके तथा देश के सभी वर्गों को इसके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । हरित क्रान्ति को अधिक सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. हरित क्रान्ति का विस्तार—हरित क्रान्ति तभी क्रान्ति कही जायेगी । जब कि इसके फल सभी को प्राप्त हो तथा सभी प्रातो तथा सभी फसलो मे यह सफल हो । यदि केवल धनी किसान ही इससे लाभान्वित होंगे तो इससे आय की असमानता में वृद्धि होगी । अतः निर्धन किन्तु प्रगतिशील किसानो (जो बहुसंख्यक है) को अधिकाधिक इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ।

2. संस्थाओं में समन्वय—कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सरकारी विभागो, पंचायतों, सहकारी समितियो व अन्य इभी प्रकार की संस्थाओ मे समन्वय होना चाहिए और इन्हें नवीन कृषि नीति की सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए ।

3. उर्वरकों का यथोचित वितरण—चूँकि अधिक उपज वाले बीजो की खेती के लिए उर्वरक और अच्छी सिंचाई व्यवस्था का होना सबसे अधिक महत्व रखता है । इसलिए यह आवश्यक है कि उर्वरकों के यथोचित वितरण की व्यवस्था की जाय तथा इनके प्रयोग के सम्बन्ध में कृषको को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए । साथ ही, सिंचाई व्यवस्था का समुचित विस्तार होना चाहिए ।

4. मिट्टी का पर्यवेक्षण—चूँकि भारत की मिट्टी मे बहुत अधिक विविधता

योजना-काल में कृषि-विकास व हरित क्रान्ति

पाई जाती है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों को मिट्टी का पर्यवेक्षण करना चाहिए और उपयुक्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीजों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

5. जमीन की न्यूनतम सीमा—जिस तरह किसी व्यक्ति के पास अधिजनम जमीन की सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसी प्रकार इसकी न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। न्यूनतम सीमा से कम भूमि को या तो खरीद लेना चाहिए या किसी बड़े टुकड़े के साथ जोड़ देना चाहिए।

6. फसल बीमा—कृषकों के लिए फसल बीमा योजना शीघ्रता एवं व्यापकता से लागू की जानी चाहिए।

7. कम ब्याज-दर—कम ब्याज दर पर उचित मात्रा में उचित समय पर ऋण दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

8. न्यूनतम मूल्यों की गारण्टी—हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि होने पर मूल्य गिरना स्वाभाविक है। मूल्य में कमी के कारण कृषकों को हानि हो सकती है। इस संभावित हानि से सुरक्षा दिलाने के लिए कृषि जन्य पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता लाना तथा न्यूनतम स्तर के मूल्यों के कम होने पर सरकार द्वारा खरीद की गारण्टी आवश्यक है। अतः कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार परमावश्यक है।

9. लालफीताशाही का उन्मूलन—कृषि नीति सम्बन्धी निर्णयों को अविश्वस्य कार्यान्वित करने के लिए ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं व सरकारी विभागों आदि में समन्वय स्थापित करके लालफीताशाही को कम से कम किया जाना चाहिए।

10. ग्रामीण-रोजगार अवसरों में वृद्धि—हरित क्रान्ति में कुछ श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है। अतः इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की जाय जिससे वहाँ ग्रामीण उद्योग धन्धे पुनः स्थापित हो सकें और बेकार श्रमिकों को काम मिल सके।

11. मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियाँ—हरित क्रान्ति को अधिक गति देने तथा इसके लाभों को समाज के सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध कराने हेतु उचित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए।

12. प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन—प्रगतिशील किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्हें हर सम्भव सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। फसल प्रतियोगिताओं द्वारा उन्हें और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

13. असमानताओं को दूर करने के प्रयत्न—हरित क्रान्ति ने पलस्वरूप बढ़ रही असमानताओं को दूर करने के लिए नवीन कृषि नीति के अन्तर्गत छोटे कृषकों खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुँचाने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाने चाहिए। देश की कर प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों द्वारा बड़े तथा धनी कृषकों से प्रगतिशील दर से

कर वसूल करना चाहिए तथा सार्वजनिक व्यय का अधिकांश लाभ कमजोर एवं निर्धन कृषको को प्रदान किया जाना चाहिए ।

परीक्षा प्रश्न

1. भारतीय योजनाओ मे कृषि-विकास के लिए किये गए प्रयत्नो की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए । क्या ये प्रयत्न कृषि की समस्याओ के समाधान मे सफल रहे है ?

अथवा

“भारतीय कृषि वर्षा के साथ एक जुआ है ।” क्या यह कथन अभी भी सत्य है ? योजना-काल मे भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए जो कदम उठाए है उनकी समीक्षा कीजिए ।

[संकेत—इसमे भारतीय कृषि का पंचवर्षीय योजनाओ मे विकास का वर्णन करना है ।]

2. हरित क्रान्ति से क्या आशय है ? यह किस प्रकार सम्भव हुई और इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

अथवा

भारत मे हरित क्रान्ति पर एक विवेचनान्मक लेख लिखिए ।

अथवा

क्या आप इस विचार से सहमत है —“भारत मे हरित क्रान्ति आ चुकी है, लेकिन पूर्ण नहीं है ।” यदि हाँ तो इसके पूर्ण करने के लिए सुझाव दीजिए ।

[संकेत—इसमे हरित क्रान्ति से आशय, समस्याएँ व समाधान देना है ।]

भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधार (Land Tenure and Land Reforms)

भूमि-व्यवस्था तथा भूमि-सुधार का अर्थ—भूमि-व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसमें किसानों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों एवं उत्तुदायित्वों की व्यवस्था होती है। अधिक स्पष्ट शब्दों में, भूमि-व्यवस्था से आशय (i) भूमि के स्वामी (ii) भूमि को जोतने वाले का भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व तथा (iii) माल गुजारी देने के लिए राज्य से सम्बन्ध की व्याख्या से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि व्यवस्था से अर्थ उस व्यवस्था से है, जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं।

एक आदर्श भूमि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें निम्न गुण हों—(i) भूमि में जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए (ii) लगान उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए (iii) भूमि के हस्तान्तरण की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए (iv) जोतों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत में प्रचलित भूमि-व्यवस्था—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत में भूमि-व्यवस्था या भू-स्वामित्व प्रणाली की निम्न तीन प्रथाएँ प्रचलित थी—

1. रयतवाड़ी प्रथा (Ryotwari System)—इस प्रथा को थामस मुनरो ने सर्वप्रथम सन् 1792 ई० में मद्रास में लागू किया जो धीरे-धीरे बम्बई, बरार, कुर्न मध्य प्रदेश तथा असम में प्रचलित हुई। इस प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं— (i) इसमें किसान का सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है तथा बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता (ii) जब तक भू-स्वामी सरकार को नियमित रूप से लगान देता रहता है तब तक वह भूमि का स्वामी बना रहता है, परन्तु लगान न देने की स्थिति में भूमि पर राज्य का स्वामित्व हो जाता है। (iii) भूस्वामी को स्वेच्छा से कोई भी भूमि छोड़ने का या खरीदने का अधिकार होता है। (iv) बन्दोबस्त लगभग 20 या 30 वर्ष के लिए किया जाता है।

2. महलवाड़ी प्रथा (Mahalwari System)—यह प्रथा सन् 1833 के 'रेग्यूलेशन ऐक्ट' के अनुसार सर्वप्रथम आगरा व अवध में शुरू की गई। इसके पश्चात्

पंजाब व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी लागू की गयी। इस प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—(i) इसके अन्तर्गत गाँव की समस्त भूमि पर गाँव के किसानों का संयुक्त अधिकार रहता है। 'महाल' शब्द का अर्थ है 'गाँव'। (ii) प्रत्येक गाँव का एक नम्बरदार होता है जो मालगुजारी को सरकारी कोष में जमा करता है। (iii) इस प्रथा में गाँव की बेकार बंजर भूमि, कुएँ, वृक्ष आदि सभी किसानों की संयुक्त सम्पत्ति होती है। (iv) इसके अन्तर्गत पहले से चले आये अधिकारों को ही प्रमाण मानकर बँटवारा होता है (v) यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ता है तो वह सम्पूर्ण गाँव वालों की हो जाती है।

3. जमींदारी प्रथा (Zamindari System)—जमींदारी प्रथा ब्रिटिश राज्य की देन है। इसके अन्तर्गत स्थायी बन्दोबस्त वाली जमींदारी तथा अस्थायी बन्दोबस्त वाली जमींदारी प्रथा जैसी दो श्रेणियाँ थीं। स्थायी बन्दोबस्त वाली प्रथा में भूमि पर जमींदारों का पूरा अधिकार होता था और इसमें लगान की मात्रा हमेशा के लिए एक ही बार निश्चित कर दी जाती थी। स्थायी बन्दोबस्त की जमींदारी प्रथा मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित थी। अस्थायी बन्दोबस्त में सरकार का हिस्सा अस्थायी रूप से किसी निश्चित समय के लिए निर्धारित किया जाता था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित थी।

निम्न तालिका से 1947-48 में इन तीनों प्रकार की भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि का विभाजन स्पष्ट हो जाता है।

भूमि व्यवस्था के प्रकार	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	कुल योग का प्रतिशत	प्रमुख राज्य जहाँ यह प्रचलित थी
रैयतवारी	6.12	38	मद्रास, बम्बई (महाराष्ट्र व गुजरात) असम, केरल बंगाल, बिहार और उड़ीसा
जमींदारी (स्थायी बन्दोबस्त)	3.84	24	उड़ीसा
जमींदारी तथा महालवारी (अस्थायी बन्दोबस्त)	6.16	38	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब

भूमि सुधार का अर्थ उद्देश्य एवं महत्त्व

(Meaning, objectives and Importance of Land Reform)

अर्थ—भूमि-सुधार, भूमि व्यवस्था की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है। सामान्यतः भूमि-सुधार के अन्तर्गत (अ) मध्यस्थ वर्गों की समाप्ति, (ब) असामी कानून में सुधार, (स) जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, (द) कृषि का पुनर्संगठन

सम्मिलित किये जाते हैं। इस प्रकार, भूमि-सुधार का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। संक्षेप में, भूमि-सुधार का तात्पर्य कृषि के ढाँचे तथा संगठन में प्रगतिशील परिवर्तन करने से है। प्रोफेसर गुन्नार मिरडल के अनुसार “भूमि-सुधार व्यक्ति और भूमि के सम्बन्धों में नियोजन और संस्थागत पुनर्संगठन है।”

भूमि सुधार के उद्देश्य—भूमि-सुधार निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है—

1. **कृषि उत्पादन में वृद्धि—**भूमि-सुधार का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन बाधाओं को दूर करना है जो कि कृषि ढाँचे में प्राचीन काल से चली आ रही है। इनके द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण होना चाहिये जिससे कि कृषि अर्थव्यवस्था में शीघ्रातिशीघ्र कुशलता और उत्पादकता के ऊँचे स्तर को प्राप्त किया जा सके।

2. **सामाजिक न्याय—**भूमि-सुधार का दूसरा उद्देश्य जो कि पहले उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, यह है कि कृषि पद्धति में विद्यमान शोषण तथा सामाजिक अन्याय के सभी तत्त्वों को समाप्त किया जाय ताकि किसान को सुरक्षा प्राप्त हो सके और ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को एक समान प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त हो सके।

3 **राजनैतिक उद्देश्य—**भूमि सुधार का तृतीय उद्देश्य राजनीतिक है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण जन समूह को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की योजनाएँ बनायी जाती हैं और कार्य रूप में परिणित की जाती हैं।

विकासशील भारतीय अर्थ-व्यवस्था में भूमि-सुधारों का महत्त्व (Importance of Land Reforms in the Developing Indian Economy) भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश के आर्थिक विकास में भूमि सुधारों का विशेष महत्त्व है। क्योंकि अभी तक हमारी भूमि-अधिकार-व्यवस्था, देश के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण रही है। संक्षेप में भूमि-सुधार कार्यक्रमों का महत्त्व निम्नलिखित है .—

1. **कृषि उद्योग का महत्त्व—**भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, देश का आर्थिक विकास कृषि-विकास पर निर्भर करता है और कृषि तभी उन्नत हो सकती है और उत्पादन में तभी पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है जब भूमि-व्यवस्था इसके अनुकूल हो।

भूमि-सुधारों का मुख्य उद्देश्य, भूमि-व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करके, कृषि उत्पादन को अधिकतम करना है। कृषि-उत्पादन मुख्यतया दो प्रकार के तत्त्वों पर निर्भर करता है—तकनीकी और संस्थात्मक।

तकनीकी तत्त्वों में अच्छे बीज, उर्वरक तथा अच्छे औजार आदि का समावेश किया जाता है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है, भले ही किसी प्रकार का भूमि-सुधार लागू न किया जाय।

संस्थात्मक सुधारों के अन्तर्गत भू-स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनर्वितरण, असामी कानूनों में सुधार, मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति व कृषि का पुनर्संगठन आदि आते हैं।

वस्तुतः कृषि विकास के लिए तकनीकी और संस्थात्मक दोनों सुधारों को एक साथ अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक संस्थात्मक परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक तकनीकी सुविधाओं का समुचित प्रयोग नहीं हो सकेगा। अतः तकनीकी परिवर्तन तभी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे, जब भूमि-व्यवस्था ठीक ढङ्ग की होगी। भूमि-सुधार संस्थात्मक परिवर्तन का ही प्रतीक है। अतः कृषि विकास तथा फलस्वरूप आर्थिक विकास के लिए भूमि-सुधार आवश्यक है।

सामाजिक क्षेत्र में महत्त्व—आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय स्थापित करने में भी भूमि-सुधार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि भूमि-सुधार आय तथा सम्पत्ति के समान वितरण में ही सहायक होते हैं। जहाँ भूमि के अधिकतर भाग के स्वामी बड़े-बड़े जमींदार हों, और बहुत से असामियों (Tenants) द्वारा खेती की जाती हो, वहाँ का सामाजिक ढाँचा न्यायोचित नहीं हो सकता। हमारे देश में अनुत्पादक जमींदारों से भूमि-अधिकारों को छुड़ाकर वास्तविक कृषकों को स्थायी अधिकार प्रदान करना, अमीर वर्ग से अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीनों में वितरित करना, जमींदारों का उन्मूलन किया जाना इत्यादि ऐसे सुधार हैं, जिन्हें सामाजिक न्याय की स्थापना करने की दिशा में उचित कदम कहा जा सकता है।

3. अन्य महत्त्व—(अ) भूमि-व्यवस्था का आर्थिक महत्त्व भी है, क्योंकि भूमि का लगान राज्य सरकारों की आय का एक प्रमुख साधन है। (ब) भूमि-सुधार कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि भी होती है, क्योंकि चकबन्दी, भूमि का पुनर्वितरण, वैज्ञानिक ढङ्ग पर जोतों का संगठन इत्यादि ऐसे कार्य हैं, जिनसे कृषि-क्रियाओं का जन्म होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

भूमि सुधार के महत्त्व पर जोर देते हुए डॉ० राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'Land problems of India' में लिखा था कि 'वैज्ञानिक कृषि अथवा सहकारिता को हम कितना ही अपना लें, पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम भूमि व्यवस्था में वांछित सुधार नहीं कर देते।'

प्रो० सैम्युलसन के मतानुसार—“सफल भूमि सुधार के कार्यक्रमों ने अनेक देशों में (साहित्यिक भाषा में) मिट्टी को सोने में बदल दिया है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में भूमि सुधार

—(Land Reforms in India After Independence)

अभी तक भारतवर्ष में भूमि-सुधार के जो कार्य किये गये थे। उनका वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(i) मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन (Abolition of Intermediaries and Zamindars) (ii) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार (Reform in Tenancy Systems) (iii) जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण (Ceilings of Holdings) (iv) कृषि का पुनर्संगठन—(अ) चकबन्दी (ब) सहकारी खेती (स) भूदान (v) भू अभिलेखों को आधुनिक बनाना।

I. मध्यस्थ-वर्ग की समाप्ति—भारत जब स्वतन्त्र हुआ तो जमींदार, जागीरदार

व इनामदार आदि कई प्रकार के मध्यस्थ वर्ग पूरे देश के लगभग 40% क्षेत्र में फैले हुए थे। भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में अधिनियम पारित करके मध्यस्थों को समाप्त कर दिया है। लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों का अब सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इसके अतिरिक्त, निजी वन-क्षेत्र व कृषि योग्य बंजर भूमि भी सरकार को मिली है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून पारित किये गये हैं उनकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—(i) जमींदारों से उनकी भूमि लेने के बदले उन्हें मुआवजा दिया गया है। केवल जम्मू-काश्मीर में, जहाँ कि भारतीय संविधान लागू नहीं था, बिना मुआवजा दिये ही मध्यस्थों के अधिकारों का उन्मूलन किया गया। इस मुआवजे का आधार तथा दर भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थी। उदाहरण के लिये, मुआवजे का आधार उत्तर प्रदेश में शुद्ध सम्पत्ति है, जबकि असम, मध्य प्रदेश व राजस्थान में शुद्ध आय है। मुआवजे की राशि उत्तर प्रदेश में शुद्ध सम्पत्ति की 8 गुनी और राजस्थान में शुद्ध आय की 7 गुनी है। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी जमींदारों को समान दर से मुआवजा नहीं दिया गया। ज्यो-ज्यो आय बढ़ती जाती है त्यो-त्यो मुआवजे की दर घटती जाती है।

(ii) मुआवजे की यह धनराशि कुछ तो नकद और कुछ बांडों के रूप में दी गई। छोटे जमींदारों को प्रायः नकद क्षतिपूर्ति मिली है।

(iii) जमींदारों को व्यक्तिगत कृषि करने के लिए भूमि रखने की अनुमति दी गई है, परन्तु अधिकतम भूमि की सीमा निश्चित कर दी गई है।

(iv) जमींदारी उन्मूलन के बाद, काश्तकार या असामी ही सरकार का प्रत्यक्ष रूप से लगान देने के लिए जिम्मेदार हो गया है।

(v) भविष्य में जमींदारियाँ फिर से विकसित न हो जायें इस हेतु काश्तकार के लिए अपनी भूमि पर स्वयं ही कृषि करना अनिवार्य हो गया है।

कठिनाइयाँ—जमींदारी उन्मूलन का विरोध हजारों व्यक्तियों ने किया और जब तक जमींदारी उन्मूलन नहीं हो गया था तब तक जमींदारों ने अनेक बाधाएँ डाली, जैसे—(अ) कानूनी आधार पर उनका विरोध किया, (ब) अधिक क्षतिपूर्ति की माँग की, (स) हर प्रकार का दबाव डालकर असामियों से भूमि खाली कराने का प्रयत्न किया, भूमि का बँटवारा कर लिया, सहकारी कृषि का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सरकार के सामने भी बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ आयी, जैसे—भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी आँकड़ों का अभाव, जमींदारों के मुआवजों का धन निश्चित करना, भूमि की सारी पैमाइश का हिसाब फिर से तैयार करना, काश्तकारों के नाम और उनकी भूमि आदि का विवरण रखना। परन्तु अब तो इन सब कठिनाइयों का समाधान हो चुका है और लगभग हर जगह मध्यस्थों को समाप्त किया जा चुका है, केवल धार्मिक तथा दातव्य संस्थाओं के पास ही थोड़े अधिकार रह गये हैं। मुआवजे के रूप में अब तक 461 करोड़ रुपये में से 320 करोड़ रुपये नकद या बांडों के रूप में दिये जा चुके हैं।

जमींदारी उन्मूलन के प्रभाव

जमींदारी उन्मूलन के निम्नलिखित लाभकारी प्रभाव ग्रामीण-क्षेत्रों पर पड़े हैं—

1. शोषण का अन्त—जमींदारों द्वारा काश्तकारों का जो शोषण किया जाता था उसका अन्त जमींदारी उन्मूलन से हो गया है।

2. उत्पादन में वृद्धि—जमींदारी उन्मूलन प्रथा से करोड़ों काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है जिससे वे अब कृषि भूमि में स्थाई सुधार करने लगे हैं। भूमि का स्वामित्व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित करता है।

3. सरकारी आय में वृद्धि—जमींदारी उन्मूलन से सरकारी आय में भी वृद्धि हुई है क्योंकि पहले जो आय मध्यस्थों द्वारा हड़प ली जाती थी वह अब सरकार को प्राप्त होने लगी है।

4. सामन्तवाद का अन्त—जमींदारों के अन्त से सामन्तवाद का अन्त हो गया है। अब कृषक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकते हैं और ग्रामीण जनता भी लोक-तन्त्रात्मक समाजवाद की प्रशासन व्यवस्था में उचित भाग ले सकती है।

5. कृषकों का सरकार से पृथक सम्बन्ध—जमींदारी उन्मूलन से कृषकों का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिससे उन्हें सरकारी सहायता मिलने में आसानी रहती है।

6. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता—जमींदारी प्रथा समाप्त होने से भूमि सुधार के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आसान हो गया है। चकबन्दी, सहकारी खेती, अधिकतम जोत नियम आदि को अब आसानी से लागू किया जा सकता है।

निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं कि जमींदारी उन्मूलन सन्नियमों में कुछ दुर्बलतायें होने के बावजूद कुल मिलाकर इस कार्य ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। परन्तु, जैसे स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, "यह तो केवल विकास के मार्ग की एक बड़ी बाधा को हटाना है," यह एक प्रारम्भिक कदम था। अब जब सब बाधाएँ दूर हो गई हैं, हमें देश में आदर्श भूमि-व्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त ग्राम-व्यवस्था व सहकारी कृषि को शीघ्र एवं बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करना चाहिये। कार्य को सम्पन्न करने के लिए कृषकों को विभिन्न प्रकार की रियायतें तथा आकर्षण के अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

(II) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार—भू-सुधार का एक पहलू उन किसानों से सम्बन्धित है जो पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं। इनकी स्थिति बहुत कमजोर होती है और इनका शोषण किया जाता है। काश्तकारी सुधार के कार्यक्रमों को निम्न 4 भागों में बाँटा जा सकता है—

(i) लगान का नियमन—स्वतन्त्रता से पूर्व कृषक अपने उत्पादन का लगभग 50% भाग लगान के रूप में देते थे जो बहुत अधिक था। प्रथम योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि भूमि का लगान उत्पादन के 20 या 25% से अधिक

नहीं होना चाहिए। अतः प्रत्येक राज्य में लगान के निर्धारण के सम्बन्ध में नियम पास कर दिये गये हैं। देश के सब राज्यों में लगान कम करने के उद्देश्य से कानून बनाये गये हैं। लेकिन लगान की दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तय की गई हैं जैसे पंजाब में यह फसल का $\frac{1}{5}$ भाग, केरल में $\frac{1}{4}$ से $\frac{1}{3}$, कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर आदि में $\frac{1}{5}$ से $\frac{1}{4}$ तय की गई हैं।

(11) भूमि के पट्टे की सुरक्षा—भूमि के पट्टे की सुरक्षा से आशय यह है कि बसामियों के भूमि सम्बन्धी अधिकार स्थायी होने चाहिए। जिससे कि उन्हें साधारण बहाने पर छीना न जा सके।

काश्तकारी अथवा पट्टेदारी की सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों को बनाते समय तीन आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है—(अ) बड़े पैमाने पर किसानों की बेदखली न हो, (ब) भू-स्वामी को केवल स्वयं खेती करने के लिये ही भूमि पुनः प्राप्त करते समय किसान के पास नियत न्यूनतम भूमि रहने दी जाय।

सभी राज्यों में कानून बनाये गये हैं जिनसे काश्तकारों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान की गई है। काश्तकारों को उनके पट्टे से बेदखल नहीं किया जा सकता। कुछ एक विशेष परिस्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है, केवल इनके अन्तर्गत ही काश्तकारों को भूमि से अलग किया जा सकता है।

(111) मुआवजे की व्यवस्था—यदि कोई काश्तकार किसी पट्टे की भूमि पर किसी तरह का स्थायी सुधार करता है, जैसे कुएँ का प्रबन्ध कृषि प्रसाधन का प्रबन्ध आदि और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उससे द्वारा किये गये सुधारों के बदले में काश्तकार को पूरा मुआवजा दिया जाता है।

(iv) काश्तकारों के लिये स्वामित्व अधिकार (Right of ownership for Tenants)—द्वितीय योजना में यह कहा गया था कि पुनर्ग्रहण न किए जाने वाले क्षेत्रों में काश्तकारों को मालिक बना दिया जाय। यह कार्य तीन प्रकार से किया गया है—(अ) गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान में काश्तकारों को स्वामी घोषित कर दिया गया और काश्तकारों से भूमि स्वामियों को उचित किशतो में क्षतिपूर्ति कराने की व्यवस्था की गई। (ब) दिल्ली में सरकार ने स्वयं क्षतिपूर्ति करके स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिये और काश्तकारों को स्वामित्व प्रदान करके उनसे उचित किशतो पर क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने की व्यवस्था की। (स) केरल और उत्तर प्रदेश में सरकार ने स्वयं भू-स्वामियों के अधिकार प्राप्त कर लिये और काश्तकारों से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। काश्तकारों को छूट दी गयी कि या तो वे सरकार को उचित लगान देकर ऐसे ही चलते रहें अथवा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि देकर पूरे स्वामी बन जायें।

अब तक लगभग 30 लाख काश्तकारों, उप-काश्तकारों व बटाईदारों को 28 लाख हेक्टेयर भूमि में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो चुका है।

(III) जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण—इसका आशय किसी किसान परिवार द्वारा अपने कब्जे में रखी जाने वाली भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित

करना है। उस सीमा से अधिक भूमि का सरकार अधिग्रहण कर लेती है तथा इस भूमि को भूमिहीन किसानों में बाँट दिया जाता है।

सीमा कानूनों की प्रगति—सीमा कानूनों को दो स्पष्ट चरणों में पास किया तथा क्रियान्वित किया गया है। (अ) पहला चरण जो कि 1972 तक की समयवधि से सम्बन्धित है तथा (ब) बाद का चरण जो कि 1972 के बाद केन्द्र द्वारा तैयार 'National Guide Lines' से सम्बन्धित है जिनको कि सभी राज्यों ने समान रूप से स्वीकार किया है। सीमा कानून से सम्बन्धित प्रमुख बातें निम्न हैं—(1) सीमा का स्तर; (ii) सीमा के क्रियान्वयन की इकाई; (iii) सीमा से स्वीकृत छूट (iv) अधिशेष भूमि का वितरण।

(i) सीमा का स्तर—जिन क्षेत्रों में पानी की नियमित पूर्ति उपलब्ध है और और वर्ष में कम से कम दो फसलों का उत्पादन किया जाता है, वहाँ भूमि की उत्पादकता तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम सीमा 10 से 18 एकड़ के बीच निर्धारित की गई है। जहाँ सिंचाई निजी साधनों द्वारा होती है वहाँ सीमा निर्धारण के लिए 1.25 एकड़ भूमि को सार्वजनिक साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र के एक एकड़ के बराबर मानने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ऊपरी सीमा दोनों के लिए 18 एकड़ ही होगी। जिन भूमि क्षेत्रों में केवल एक फसल के लिए सिंचाई की सुविधा है, उनके लिए ऊपरी सीमा 17 एकड़ निर्धारित की गई है। शेष सब प्रकार की भूमि के लिए निर्धारित सीमा 54 एकड़ है।

(ii) सीमा के क्रियान्वयन की इकाई—उच्चतम सीमा निर्धारण करने के लिए परिवार को आधार बनाया गया है। परिवार का आशय पति, पत्नी और नाबालिक बच्चों से है।

(iii) सीमा से स्वीकृत छूट—छूट दी गई भूमि में मुख्य उल्लेखनीय हैं बागान क्षेत्र, पशु प्रजनन फार्म, सहकारी फार्म, धर्मार्थ संस्थाओं की भूमि आदि।

(iv) अधिशेष भूमि का वितरण—सीमा से अधिक भूमि का सरकार अधिग्रहण कर लेगी तथा इसे भूमिहीन किसानों में बाँट देगी। इन कानूनों के अन्तर्गत दिसम्बर 1980 तक लगभग 15.12 लाख हेक्टेयर भूमि अधिशेष घोषित की गई थी, जिसमें से लगभग 9.96 लाख हेक्टेयर सरकारी अधिकार में ले ली गई और लगभग 6.95 लाख हेक्टेयर पहले ही लगभग 12.16 लाख लाभभोगियों में बाँट दी गई। इन लाभभोगियों में से आधे से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जातियों और जन जातियों के थे।

अधिकतम जोत सीमा के पक्ष में तर्क

(1) समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में सहायक—यह नियम केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करते हैं और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना में सहायता देते हैं तथा राजनीतिक जागृति की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।

(2) कृषि आय का समान वितरण—इससे कृषि आय का समान वितरण करने में सुविधा होगी।

(3) सहकारी कृषि—बड़ी जोतो की सम्पत्ति से समानता आयेगी तथा सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) रोजगार में वृद्धि—अधिकतम जोत निर्धारण से जोत लघु एव मध्यम आकार की रह जायेगी, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी।

(5) चकबन्दी को प्रोत्साहन—अधिकतम जोत निर्धारण के नियमों के कारण जोतो का आकार छोटा हो जाता है जिससे चकबन्दी कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है।

(6) गहन खेती को प्रोत्साहन—अधिकतम जोत निर्धारण से गहन खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

(7) भूमि के असमान वितरण में कमी—अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से भूमि वितरण की विषमताएँ दूर हो जायेंगी।

अधिकतम जोत सीमा के विपक्ष में तर्क

अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के विपक्ष में निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई जाती हैं—

(1) बड़े पैमाने पर कृषि करने के लाभों से वंचित होना—अधिकतम जोत निर्धारण अधिनियम बड़े खेतों को छोटे-छोटे खेतों में बदल देता है जिसके कारण समाज बड़े पैमाने पर कृषि करने के लाभों से वंचित रहता है।

यह आपत्ति उचित नहीं है क्योंकि खेत प्रबन्धन के अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि छोटे खेतों की उत्पादकता बड़े खेतों की उत्पादकता की तुलना में अधिक होती है। साथ ही बड़े पैमाने पर कृषि करने से प्राप्त होने वाले लाभों को चकबन्दी व सहकारी खेतों जैसे उपायों को अपना कर प्राप्त किया जा सकता है।

(2) कृषि एवं गैर कृषि आय में विषमताएँ—यदि शहरी भूमि पर सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती तो कृषि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देने से कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र में विषमताएँ बढ़ जायेंगी।

आजकल जबकि शहरी भूमि और सम्पत्ति की मात्रा को सीमित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, यह आपत्ति भी निरर्थक है।

(3) सीमा निर्धारण में कठिनाई—भूमियों की उर्वराशक्ति तथा उन पर सिंचाई सुविधाएँ भिन्न-भिन्न हैं। साथ ही भूमियों की विभिन्न श्रेणियाँ भी हैं। अतः एक व्यावहारिक कठिनाई सामने आती है कि सभी क्षेत्रों में कृषि भूमि की एक ही अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

यह कोई विशेष आपत्ति नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं, उर्वराशक्ति तथा कृषि उपज के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित की जा सकती है और वर्तमान समय में ऐसा किया भी गया है।

(4) विपणन योग्य अतिरिक्त की कमी—अधिकतम जोत अधिनियम लागू होने

से खेत छोटे-छोटे हो जायेंगे जिससे किसानों के पास विपणन योग्य अतिरिक्त कम हो जायेगा ।

यह तर्क कुछ सीमा तक उचित प्रतीत होता है क्योंकि पहले जो कृषिहीन किसान बाजार से क्रय करके खाद्य पदार्थ खाते थे वे अब स्वयं उत्पादित करके अपने पास रख लेंगे । इससे विपणन योग्य अतिरिक्त में कमी हो जायेगी ।

(5) भूमिहीन किसानों की समस्या का समाधान न होना भारत में भूमिहीन किसानों की संख्या इतनी बड़ी है कि अधिकतम जोत निर्धारण से मिलने वाली अतिरिक्त भूमि से इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

यद्यपि यह सत्य है कि अधिकतम जोत निर्धारण से भूमिहीन किसानों की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता लेकिन अधिकतम जोत अधिनियमों से कुछ भूमिहीन कृषकों की समस्या तो अवश्य हल होगी और इससे आर्थिक विषमताएँ कम करने में सहायता मिलेगी ।

(6) विपक्ष में अन्य तर्क—(i) भारत में भूमि का अभाव है अतः इस प्रकार के नियमों से कोई विशेष लाभ नहीं होता । (ii) बड़ी जोतों को छोटी-छोटी जोतों में बाँटने का कार्य सरल नहीं है । (iii) क्षतिपूर्ति की एक बहुत बड़ी राशि देनी होगी जिसकी व्यवस्था करने में सरकार को कठिनाई होगी । (iv) जोत की अधिकतम सीमा निम्न स्तर पर रखने से बहुत छोटे खेत हो सकते हैं जो आधुनिक प्रकार से खेती करने में कठिनाई प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यह सभी तर्क ऐसे हैं जिनमें कोई विशेष वजन नहीं है और उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है ।

(IV) कृषि का पुनर्संगठन¹—इसके अन्तर्गत जो कार्य किये गये हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(अ) चकबन्दी—भारतवर्ष में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दिल्ली आदि राज्यों में चकबन्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

(ब) सहकारी खेती—भारतीय कांग्रेस के 1959 के नागपुर अधिवेशन में सहकारी कृषि सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये गये थे ।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सहकारी खेती की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई और इन राज्यों में सहकारी खेती सलाहकार परिषदें स्थापित की गयी हैं ।

(स) भूदान—यह एक ऐच्छिक भू-सुधार कार्यक्रम है और इसके जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे हैं । यहाँ भूदान से आशय, स्वेच्छा से भूमि के दान से है ।² इसका उद्देश्य बताते हुए आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा कि "यह न्याय तथा समानता पर आधारित है कि भूमि में सभी का अधिकार है । इसलिये हम भेंट में

1. इसके अन्तर्गत किए गए कार्यों (चकबन्दी, सहकारी खेती और भूदान आन्दोलन) की विस्तृत चर्चा पृथक् अध्यायों में की गई ।

भूमि की भीख नहीं माँगते बल्कि उस भाग की माँग करते हैं जिसमें निर्धनों का न्यायपूर्ण हक है।”

भूदान आन्दोलन के उद्देश्य एवं गुण—आचार्य भावे ने समय-समय पर अपने भाषणों में भूदान आन्दोलन के उद्देश्यों एवं गुणों पर प्रकाश डाला है जो निम्नलिखित विन्दुओं से स्पष्ट है—

(i) आर्थिक विषमता को अहिंसक ढंग से दूर करना (ii) मध्यस्थों की समाप्ति में सहायता करना (iii) कृषि योग्य बंजर भूमि को अधिक उपयोगी बनाना (iv) भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करा के ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के हल में योग देना (v) स्वाम्बन्ध, सेवा भावना, एवं नैतिकता पर आधारित सर्वोदय समाज की रचना करना (vi) भूमि के पुनर्वितरण के पश्चात् छोटे-बड़े खेतों की उन्नति के लिए सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा मिलना (vii) भूमि पाने वालों को आय-वृद्धि का अवसर प्रदान कराकर उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाना (viii) छोटे-बड़े का भेदभाव दूर कर, समाज में त्याग की भावना जागृत करना ।

भूदान आन्दोलन की कमियाँ—भारत में भूदान आन्दोलन की विगत वर्षों में जो प्रगति हुई है तथा लोगों ने जिस प्रकार की अकृषियोग्य भूमि को अपने निहित स्वार्थवश दान में दिया है व भाई-भतीजे वाद के आधार पर जिस प्रकार भूमि का वितरण किया है उससे इस आन्दोलन की प्रगति में लोगों को शंका होने लगी है। इस आन्दोलन की प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) भूदान में प्राप्त भूमि उत्तर व बंजर होती है, पूर्णतः कृषि के लिये अयोग्य होती है अतः देश की कृषि समस्याओं को हल करने में यह आन्दोलन अधिक सहायक नहीं हो सका है ।

(ii) इस कार्यक्रम के माध्यम से भूमिहीनों को भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े तो मिल जाते हैं किन्तु कृषि कार्य हेतु उनके पास कृषि औजारों का अभाव रहता है ।

(iii) भूदान में पर्याप्त भूमि न मिलने के कारण इसका वितरण छोटे-छोटे टुकड़ों में ही सम्भव हो पाता है । इस प्रकार भूमि का उपविभाजन व अपखण्डन बढ़ता है ।

(iv) भूदान आन्दोलन में प्रचार की कमी है ।

(v) भूदान में प्राप्त भूमि का वितरण बड़ा ही दोषपूर्ण है । इसमें व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

प्रगति—इस भूदान आन्दोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 तैलंगाना (आन्ध्र-प्रदेश) के पोचमपल्ली नामक गाँव में हुई थी । इसी समय आचार्य भावे के सुझाव पर एक कृषक श्री रामचन्द्र रेड्डी ने 70 एकड़ भूमि इस प्रकार के हरिजनों को देने की घोषणा की । अन्तिम रूप में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार विनोबा जी को लगभग 45 लाख एकड़ भूमि तथा 40,000 ग्राम दान में मिल चुके हैं । इसमें से लगभग 12 लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है ।

(V) भू-अभिलेखों को आधुनिक बनाना—भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण न

केवल भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक है बल्कि कृषि-ऋण के लिए भी है। जिसका मिलना भूमि सम्बन्धी हक पर बहुत अधिक निर्भर होता है। भू-अभिलेखों की स्थिति हर राज्य में अलग है। कुछ राज्यों में तो ये अभिलेख काफी संख्या में अद्यतन हैं, पर अन्यो में, विशेषतः पूर्वी प्रदेश में जहाँ जमींदारी प्रथा पुरानी है। अभिलेखों में दी हुई प्रविष्टियों का वास्तविकता से कम ही सम्बन्ध है। अतः सारे देश में भू-अभिलेखों के संकलन और संशोधन का एक कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से शुरू किया गया है ताकि स्वामित्व और आसामियों, बटाईदारों और अन्य धारकों के अधिकारों के बारे में अद्यतन स्थिति स्पष्ट हो जाए। काम तो काफी हो चुका है, पर अभी बहुत कुछ करना शेष है।

भूमि-सुधार-नीति का एक लक्ष्य यह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के अधिक निर्धन वर्गों के पास भूमि (होमस्टेड) का अधिकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान कर दिए जाएँ। सभी राज्यों में पास भूमि का अधिकारों को स्वामित्व के अधिकार दे दिए गये हैं और पट्टे सुरक्षित कर दिए गये हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कामगारों, और कारीगरों को लगभग 78 लाख मकान बनाने की जगह बाँटी गई है।

भूमि-सुधार का मूल्यांकन (Evaluation of Land Reforms)

भूमि-सुधार का मूल्यांकन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं, (i) भूमि सुधारों का प्रभाव (ii) भूमि सुधार नीति की कमियाँ।

I. भूमि-सुधारों का प्रभाव

भारतवर्ष में भूमि-सुधारों का उद्देश्य आर्थिक कुशलता में वृद्धि और सामाजिक न्याय रहा है। अतः हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल रहे हैं।

(अ) भूमि-सुधारों का आर्थिक कुशलता पर प्रभाव—भूमि-सुधारों के आर्थिक कुशलता पर पड़ने वाले प्रभावों को कृषि पदार्थों के उत्पादन में हुई वृद्धि के रूप में प्रकट किया जा सकता है। भूमि-सुधारों के आर्थिक कुशलता पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं—

(i) प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में भूमि-सुधारों का कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि इनमें कई वैज्ञानिक कमियाँ रह गई थी। विगत वर्षों में इन कमियों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ii) प्रथम 3 योजनाओं में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार केवल भूमि-सुधारों तथा अन्य संस्थागत परिवर्तनों पर ही निर्भर रही। फलतः तकनीकी विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन् 1966-67 के बाद ही सरकार ने तकनीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं।

(iii) तृतीय योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन में प्रायः गतिहीनता की स्थिति बनी रही। कृषि की नई तकनीक के आविर्भाव के बाद ही कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि सम्भव हो सकी है। लेकिन नई तकनीक की सफलता के लिए भी संस्थागत ढाँचे में पर्याप्त और उपयुक्त सुधार होना आवश्यक है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि-सुधारों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं दिया है अथवा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केवल संस्थागत परिवर्तन ही उत्तरदायी रहे हैं।

(ब) भूमि-सुधारों का सामाजिक न्याय पर प्रभाव—भूमि-सुधारों को लागू करने के बाद भारत में जिस प्रकार की कृषि संरचना का विकास हुआ है। उससे सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम भूमि-सुधारों के सामाजिक न्याय से सम्बन्धित पहलू पर विचार करेंगे—

(1) कृषि संरचना संक्रान्ति काल की अवस्था में है—भारतीय कृषि संक्रान्ति काल की अवस्था से गुजर रही है जिसकी प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं—(क) प्रमुख रूप से अर्द्ध-सामन्त उन्मुख कृषि में बड़े पैमाने पर भूमि को पट्टे पर दिया जा रहा है (ख) खेती का प्रयोग व्यापारिक खेती तथा बाजार उन्मुख कृषि के लिए किया जा रहा है।

(ii) बड़े भू-स्वामियों के पास भूमि का संकेन्द्रण—Agricultural Census Report 1970-71 के अनुसार, भारत में बड़े भू-स्वामियों के पास कुल जोतो का 4% भाग उपलब्ध है, लेकिन वे लगभग 30.5% क्षेत्र पर खेती करते हैं कि भूमि का केन्द्रीयकरण चन्द बड़े भू-स्वामियों के हाथों में है। ये भूस्वामी भूमि को पट्टे पर देकर खेती कराते हैं।

(iii) छोटे किसानों का बना रहना—छोटे किसानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। छोटे किमान कृषि क्षेत्र की बड़ी मात्रा में खेतिहर मजदूरों की पूर्ति करते हैं। छोटे और सीमान्त किसान मध्यम वर्ग के किसानों के साथ मिल कर भारतीय कृषि को छोटे किसान—मालिक अर्थव्यवस्था का रूप प्रदान करते हैं।

(iv) बढ़ती हुई भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या—विभिन्न आर्थिक और गैर आर्थिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप छोटे किसानों की भूमि से बेदखली के कारण भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। भूमि-सुधारों को लागू करने के बाद अर्द्ध-सामन्त कायतकारों तथा बटाईदारों की भूमि से बेदखली के कारण भी भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ी है। इन किसानों के पास अपनी निजी भूमि न होने के कारण ये खेतों पर मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हो गये हैं।

(v) आधुनिक उपक्रमियों का उद्गम—गत दो दशकों में कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपक्रमियों का विकास हुआ है जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि है जिस पर वे किराए के मजदूरों तथा नई उत्पादन विधियों की सहायता से कृषि करते हैं।

II. भूमि सुधार नीति की कमियाँ और आलोचनाएँ

भारत में भूमि सुधार नीति की मुख्य कमियाँ और आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

1. दोषपूर्ण काश्तकारी कानून—यद्यपि काश्तकारी सुधारों के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है लेकिन अब भी काश्तकारी कानून में निम्नलिखित दोष विद्यमान हैं—

(i) बटाईदार की उपेक्षा—शब्द 'काश्तकार' की परिभाषा में सामान्यतया बटाई दार को सम्मिलित नहीं किया जाता फलतः वे काश्तकारी कानून का सरक्षण प्राप्त नहीं कर पाते ।

(ii) सामन्तवादी प्रणाली के चिह्न—अब भी देश के कई भागों में विभिन्न आधारों पर काश्तकारों की बेदबली की जाती है इनमें लगान का भुगतान न करना, समय पर उपज का हिस्सा न देना, निजी खेती के लिए भूमि का स्वामित्व आदि प्रमुख हैं । इससे सामन्तवादी प्रणाली के प्रभाव में कोई कमी नहीं हुई है ।

(iii) दखलकारी का अधिकार (Occupancy Right)—एक काश्तकार को दखलकारी का अधिकार उसी अवस्था में प्राप्त होता है जबकि वह सिद्ध कर दे कि वह 12 वर्षों से निरन्तर एक ही भूमि पर खेती कर रहा है । लेकिन भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में जहाँ कि जमींदारों का प्रभाव अभी भी बना हुआ है । इस बात को सिद्ध करना बहुत कठिन है ।

(iv) मुआवजों की ऊँची दर—काश्तकारी का प्रमुख उद्देश्य काश्तकार को उस भूमि का स्वामी बनाना था जिस पर कि वह खेती कर रहा था लेकिन अधिकांश काश्तकारों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है कारण यह है कि वे मुआवजों की ऊँची दरों का भुगतान करने में असमर्थ हैं ।

(v) शक्ति का उपयोग—कानून के अन्तर्गत जो ऐच्छिक समर्पण की व्यवस्था की गई है, वास्तव में कभी ऐच्छिक नहीं होते । भू-स्वामी अक्सर भूमि को खाली करवाने या बेदखली के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं ।

2. एकरूपता का अभाव—भूमि-सुधार कार्यों का दायित्व राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है । विभिन्न राज्यों में अधिनियम बनाए गए हैं उनमें काफी भिन्नता है । जैसाकि निम्नलिखित विन्दुओं से स्पष्ट है—

(i) विविध प्रकार की छूटें—अनेक राज्यों में कुछ छूटें दी गई हैं जिनका अनुचित लाभ उठाकर जमींदारियों और अनावश्यक रूप से बड़ी ज़ोतें अब भी बनी हुई हैं । उदाहरण के लिए, ट्रस्टों के द्वारा अब भी दूसरों से काश्त कराई जाने के कारण भू-स्वामित्व अन्य व्यक्तियों के हाथों में ज्यों का त्यों बना हुआ है ।

(ii) ज़ोत की सीमा—ज़ोत की सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सिद्धान्तों पर निर्धारित की गई हैं । अतः अतिरिक्त भूमि कम उपलब्ध हो पाई है ।

(iii) समन्वय का अभाव—विभिन्न कानूनों में समन्वय का अभाव प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न कर देता है तथा विभिन्न कार्यों में ताल-मेल भी नहीं बैठ पाता । परिणाम स्वरूप भूमि-सुधार कार्यक्रम न तो प्रभावी और न शीघ्रगामी हो पाते हैं ।

(iv) खुद काश्तकार का अधिकार—जमींदारी उन्मूलन कानून में कहीं-कहीं यह व्यवस्था की गई थी कि यदि भूस्वामी चाहे तो खुद काश्त के लिए काश्तकारों से अपनी जमीन ले सकता है। अतः बड़ी संख्या में काश्तकारों को खेतों से बेदखल कर दिया गया।

(v) चकबन्दी कानून की कमियाँ—किन्हीं-किन्हीं राज्यों में चकबन्दी को स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। अतः वहाँ चकबन्दी हो ही नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश में चार खेतों का एक चक बनाया जाने की छूट के कारण चकों को वृत्ताकार बनाकर कठिनाइयाँ पैदा कर दी गई हैं।

3. प्रभावशाली क्रियान्वयन का अभाव—देश में भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियम तो बहुत अधिक पारित किये गये हैं लेकिन उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन का अभाव रहा है। प्रो० गुन्नार मिरडल ने लिखा है, “भूमि-सुधार कानून जिस ढंग से कार्यान्वित किये गये हैं। उससे सामान्यतः उनकी (कानूनों की) भावनाओं और अभिप्रायों को हताश होना पडा है।”

इसी प्रकार लेडजिन्स्की का यह निष्कर्ष है कि “भूमि-सुधार के लिए वास्तव में जितने कानून बनाए गए, चाहे उनका सम्बंध लगानों को नियमित करने, सुरक्षा और कब्जे का स्थायित्व अथवा अधिकतम सीमा का आरोपण और भूमिहीनों के लिए फालतू भूमि का बन्दोबस्त ही क्यों न रहा हो, फिर भी उनका देश भर में कार्यान्वयन न हो पाया।” यह तथ्य बम्बई और हैदराबाद के कानूनों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित दो रिपोर्टों के अधिकांश भाग में वर्णित है, एक रिपोर्ट वी०एम० दाडेकर और सी० जे० खुदानपुर तथा दूसरी रिपोर्ट ए० एन० खुसुरु ने तैयार की थी।

प्रभावशाली क्रियान्वयन के अभाव के कई कारण हैं—

(i) कानूनी अड़चनें—भूमि-सुधार कानून अत्यन्त जटिल रहे हैं और बड़े-बड़े जमींदारों द्वारा उन कानूनों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी कमियाँ निकाल ली गई हैं जिससे वे कानून के प्रभाव में बच सकें।

(ii) प्रशासनिक अकुशलता एवं झण्टाचार—प्रशासनिक मशीनरी में झण्टाचार के कारण भी भूमि सम्बंधी रिकार्डों में परिवर्तन किए गए।

(iii) भू-स्वामियों का राजनैतिक सत्ता में प्रभाव—भू-स्वामियों का देश की राजनैतिक सत्ता में सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसके कारण भूमि-स्वामियों के हितों के समर्थकों ने राज्य में भूमि सुधारों को लागू नहीं होने दिया।

(iv) भूमि के नवीनतम रिकार्डों का अभाव—भूमि-सुधारों को लागू करने के लिए नवीनतम रिकार्डों व आँकड़ों की आवश्यकता होती है। किन्तु देश में इनका सदैव अभाव रहा है। इस कारण भी इनकी प्रगति धीमी रही।

(v) छोटे किसानों की निष्क्रियता—जब सरकार किसी कार्य के प्रति उदासीन हो तो कार्य से सम्बद्ध वर्गों का यह दायित्व होता है कि वह सरकार पर जोर डाले और सरकार को उचित काम करने के लिए बाध्य करे। किन्तु ऐसा अभी हो सकता है जब कि वर्ग उचित रूप से संगठित हो। भारत में छोटे किसानों के इस तरह

के संगठन का अभाव रहा है। जिसके कारण भू-सुधार कार्यक्रम के मार्ग में अनेक बाधाएँ आती हैं।

(vi) कार्यक्रम की मूलभूत कमियाँ—भूमि-सुधार कार्यक्रम में ही अनेक मूल-भूत कमियाँ हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—(अ) विभिन्न उपायों के लागू करने में एक एकीकृत नींव का अभाव, प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग अलाप रहा है इससे कार्यक्रम में शिथिलता आ जाती है। (ब) विभिन्न राज्यों में पाये जाने वाले भू-सुधार सम्बंधी कानूनों में विविधता तथा जटिलता; (स) कार्यक्रम की सफलता के लिये अनिवार्य है कि पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हो किन्तु ये अभी तक उपलब्ध नहीं है।

4. भूमि सम्बन्धी प्रलेखों की अपूर्णता—भूमि-सुधार की धीमी प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भूमि सम्बन्धी आँकड़े और प्रलेख पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं जिससे स्वामित्व के निर्धारण में कठिनाई होती है।

5. भूमि के वितरण के परिवर्तन का अभाव—कई वर्षों के भूमि-सुधार कार्यक्रमों के उपरान्त भी भूमि के स्वामित्व में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सीमा निर्धारण के अधिनियमों के क्रियान्वित न किये जाने से स्वामित्व की स्थिति पहले जैसे ही बनी है। कार्यशील जोतों के वितरण में भी विशेष अन्तर नहीं आया है। एक दशाब्दी से अधिक हो जाने पर भी भारत में भू-जोतों का वितरण काफी असमान है। यह इस बात का सूचक है कि भूमि-सुधार जोतों के वितरण को परिवर्तित करने में असमर्थ रहे हैं।

6. सुसम्बद्ध नीति का अभाव—भू-सुधार सम्बंधी सभी पहलुओं को एक साथ तो लिया गया परन्तु उन सबको एक दूसरे का परि-पूरक मानकर न तो उन पर विचार विमर्श किया गया और न उस दृष्टि से उनके कार्यान्वयन का प्रयास किया गया। एक सु-सम्बद्ध नीति अपनाने से लागत भी कम बैठती, कमियों का पता लगाना सरल होता तथा भू-सुधार कार्यक्रम को लागू करना सरल रहता है।

7. अन्वेषण—(अ) प्रोग्राम मूल्यांकन संस्था (Programme Evaluation Committee) द्वारा भू-सुधार के दो दोषपूर्ण प्रभावों का पता चलता है—प्रथम, पुराने भूमि-स्वामियों, जमींदारों द्वारा पुनः काश्त के बहाने भूमियों पर फिर काश्त अधिकार प्राप्त कर लिया गया, परन्तु फिर भी वे भूमि पर सुधार करने के उपायों के सम्बन्ध में स्वामीन रहे। द्वितीय, उन्होंने अपने वित्तीय साधनों को व्यापार और बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना-चाँदी आदि खरीदने में लगा दिया। इन दोनों कारणों ने विनियोग और उत्पादन पर कुप्रभाव डाला है।

(ब) भूमि-सुधार सम्बन्धी नीति ने भू-स्वामियों में अनिश्चितता की भावना पैदा कर दी है, क्योंकि भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों को जल्दी-जल्दी परिवर्तन किया जाता है कि उनके प्रभाव के अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता।

(स) भूमि-सुधार सम्बन्धी नीति देश के लिए काफी महँगी पड़ी, क्योंकि राज्य सरकारों को कई सौ करोड़ रुपये मुआवजों के रूप में देने पड़े।

(द) भूमि-सुधार के फलस्वरूप मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है जिससे बहुत अधिक समय और धन का अपव्यय होता है।

(य) राज्य सरकारों को भू-विधान बनाने का अधिकार संविदा की कार्यविधि है। इस कारण लगान के नियमन और जोत की अधिकतम सीमा के निर्धारण में बहुत भिन्नता पायी जाती है।

(र) भूमि-सुधार अधिनियम जोतो पर अधिकतम सीमा लागू करने में असफल रहे हैं।

(ल) सहकारी कृषि समितियाँ भी बड़े भू-स्वामियों द्वारा बनायी गयी हैं और सहकारी सुविधाओं व साधनों का अनुचित लाभ उठाया गया है। ऐसी सहकारी कृषि-समितियाँ नगण्य हैं जो भूमिहीन मजदूरों या अनार्थिक जोतो के स्वामियों द्वारा उन्ही के लाभ के लिए बनी हो।

देश की केन्द्रीय सरकार अथवा विभिन्न राज्य सरकार भूमि-सुधार कार्यक्रमों को चलाने में कितनी सफल हुई है—यह तथ्य विश्व बैंक रिपोर्टें से स्पष्ट होगा जो पेरिस में 17 और 18 जून 1971 को आयोजित 'भारत-सहायता संघ' (एड-इंडिया कन्सोर्टियम) की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि "अभी कानून अधिनियमित किए जाने हैं ताकि असम, तेलंगाना (आन्ध्र) हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र मैसूर और तमिलनाडु में मध्यस्थ पट्टेदारी और निहित स्वार्थों का उन्मूलन किया जा सके। बिहार में सबसे खराब दशा थी। इस राज्य में जमींदारी वस्तुतः ज्यों की त्यों बनी रही। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, पंजाब तथा तमिलनाडु में काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार उपलब्ध नहीं है। आन्ध्र प्रदेश बिहार, सौराष्ट्र और तमिलनाडु में काश्तकारों और बटाई पर खेती करने वालों में असुरक्षा की भावना बनी रही। हरियाणा और पंजाब में काश्तकारों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर थी कि जमींदारों को भूमि वापस लेने का सतत अधिकार है। बेदखली को रोकने वाले कानूनों की प्रवंचना व्यापक रूप से देखने को मिली। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और काश्मीर (छोटे काश्तकारों के सम्बंध में) और तमिलनाडु में जमींदारों को दिया जाने वाला कानूनी लगान या फसल का हिस्सा अलग ही था।"

भूमि-सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव

1 कानूनी विधियों को सरल बनाना—भूमि-सुधार कानूनों की कानूनी विधियों को सरल बनाना चाहिए ताकि कानून अपना कार्य बिना किसी गतिरोध से कर सके।

2. कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन—भूमि-सुधार कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए एक निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

3. कानूनों का प्रचार—भूमि-सुधार कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार

पत्तों और आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जनता इन कानूनों को समझकर उससे लाभान्वित हो सके।

4 भूमि-सुधार अदालतों की स्थापना—भूमि-सुधार अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। इसके लिए गरीबों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

5 वित्तीय व्यवस्था का प्रबन्ध—जिन नए कृषकों को भूमि दी जाय उन्हें वित्तीय व्यवस्था भी उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वे उस भूमि का समुचित उपयोग कर सकें।

6 खेतिहर श्रमिकों व बटाई वालों के संघ की स्थापना—इन खेतिहर श्रमिकों व बटाईवालों के संगठन बनाए जायें तथा उनके प्रतिनिधियों को भूमि-सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सम्मिलित किया जाय।

7 कुशल प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना—राज्य जिला, व तहसील स्तर पर कुशल प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए लेकिन इसमें पटवारी की भूमिका को नियंत्रित रखा जाना चाहिए।

8. नवीन रिकार्ड तैयार करना—भूमि के सम्बन्ध में नवीन रिकार्ड तैयार किया जाना चाहिए ताकि स्वामित्व के प्रश्न पर मतभेद न हो सके।

9 अन्य सुझाव—(i) भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में जो काफी अनिश्चितता व्याप्त है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। (ii) कृषकों को भूमि-व्यवस्था में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। (iii) रोजगार के वैकल्पिक साधन ढूँढ़े जायें जिससे अतिरिक्त जनसंख्या की आर्थिक दशा में सुधार हो। (iv) भूमि संरक्षण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए (v) दायित्वों और अधिकारियों में समन्वय होना चाहिए जिनके लिए कृषि कर्तव्य-कलापों का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। (vi) भूमि-सुधार में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सहकारी कृषि के लिए भूमि भी एक न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध हो सके। (vii) 20 मूत्रीय कार्यक्रम को सञ्चाई व ईमानदारी से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

भूमि-सुधार समीक्षा समिति के सुझाव

केन्द्रीय सरकार ने जून 1978 में योजना आयोग के सदस्य श्री राजकृष्ण की अध्यक्षता में एक भूमि-सुधार समीक्षा समिति की नियुक्ति की जिससे यह कहा गया कि वह देश में भूमि-सुधारों पर अमल की प्रगति की समीक्षा करे और इस सम्बन्ध में सुझाव दे। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1978 में प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए—

1. राज्यों द्वारा पारित सभी भूमि-सुधार कानूनों को, जिन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि भूमि-सुधारों को किसी भी अदालत में चुनौती न दी जा सके।

2. राज्यों को अपने भूमि-सुधार कानून तुरन्त संशोधित करने चाहिए जिससे कि इससे सम्बन्धित मामले मालगुजारी विभाग द्वारा निपटाए जा सकें।

3. भूमि-सुधारो को चुनौती देने वाली 27155 रिट याचिकाएँ उच्च न्याय-लय में लम्बित पड़ी हैं अतः इस कार्य के लिए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तथा यह कार्य एक या दो न्यायाधीशों को सौंप देना चाहिए।

4. राज्यों के मालगुजारी विभाग की मशीनरी का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि विचाराधीन मामलों का तुरन्त निपटारा किया जा सके।

5. यह समिति थोड़े-थोड़े अन्तर से भूमि-सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग रिपोर्टें देगी जिससे कि सम्बद्ध सरकारें उन पर विचार कर प्रमुख विषयों पर तुरत कार्यवाही कर सके।

6. सभी राज्यों के मालगुजारी अधिकारियों को भूमि-सुधार मामलों के निपटारे के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाना चाहिए जिससे इन अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध एक अपील व एक रिवीजन की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों को संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित कर लिया जाय।

छठवीं योजना में भूमि-सुधार नीति

इस योजना में भूमि-सुधार नीति के निम्नलिखित तत्त्व हैं—

1. भूमि सीमा अधिनियमों का क्रियान्वयन - भूमि सीमा अधिनियमों में जो वैधानिक और तकनीकी कमियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए इन अधिनियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जायेंगे।

भूमि के वितरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. भूमि आँकड़ों को अद्यतन करना—भूमि आँकड़ों को निरंतर नवीन रखने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जायेंगे और इस पर जो व्यय होगा उसे एक विनियोग समझा जायेगा।

3. चकबन्दी—आगामी वर्षों में चकबन्दी को एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम माना जायेगा और सिंचित क्षेत्रों में इस कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. कास्तकारी व्यवस्था में सुधार—कुछ अपवाद जनक स्थितियों को छोड़कर यह व्यवस्था की जायेगी कि भूमि पर स्वामित्व उसी का हो जो कि उसे जोत रहा है। लगान को, जहाँ यह कुल उत्पाद के 20 से 25% तक की सीमा से अधिक है, कम कराने हेतु कानूनी व्यवस्था की जायेगी।

5. ग्राम समितियों का निर्माण—भूमि-सुधारो के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए ग्राम समितियों का निर्माण किया जायेगा। कुछ राज्यों में ऐसी समितियाँ पहले से कार्यशील हैं। अन्य राज्यों में भी इसकी स्थापना करनी होगी। इन समितियों में लाभ प्राप्त कर्ताओं को भागीदार बनाया जायेगा।

विभिन्न राज्यों में भूमि-सुधार अधिनियम

1. उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन—उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन में अग्रणी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने 8 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव पास किया कि जमींदारी का उन्मूलन कर दिया जाय और इस कार्य के लिए एक समिति प० गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बना दी गयी जिसने रिपोर्ट अगस्त 1948 में दे दी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक 7 जुलाई 1949 को प्रस्तुत किया गया जो 16 जनवरी 1951 को पास हो गया। 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी सहमति दे दी और 26 जनवरी 1951 ई० को यह उत्तर प्रदेश गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया और इसी दिन से यह अधिनियम भूमि-कानून का भाग बन गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जमींदारों ने न्यायालय की शरण ले ली। अन्त में 5 मई 1952 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध घोषित कर दिया जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने 1 जुलाई 1952 से राज्य की कृषि जमींदारियों की भूमियों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया।

उत्तर प्रदेश में 30 जून, 1952 को जमींदारों के पास 4.13 करोड़ एकड़ भूमि थी जिनमें से 3.9 करोड़ एकड़ भूमि ही सरकार द्वारा लेने का निश्चय किया गया। क्षतिपूर्ति की मात्रा शुद्ध आय का 8 गुना रखी गयी। जमींदारों की कुल संख्या 20 लाख आँकी गयी जिसमें से 90% जमींदार तो केवल नाम मात्र के ही जमींदार थे और वे 25 रुपये वार्षिक से भी कम लगान देते थे। केवल 30,000 जमींदार (अर्थात् कुल जमींदारों की संख्या का 1.5 प्रतिशत) ही 250 रुपये वार्षिक से अधिक लगान देते थे। इस 30,000 की संख्या में 5,000 जमींदार 1,000 रुपये तक लगान देते थे तथा 400 ऐसे थे जो 10,000 रुपये से अधिक लगान देते थे। कुल क्षतिपूर्ति 150 करोड़ आँकी गई थी।

इस अधिनियम ने 4 प्रकार के कृषकों को जन्म दिया—

(1) भूमिधर—जमींदारी उन्मूलन के समय भूमिधरी के अधिकार केवल जमींदारों को उनकी सीर व खुद-काश्त भूमि पर दिये गये थे किन्तु अन्य प्रकार के काश्तकारों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी सीरदार अपनी भूमि के लगान का 10 गुना जमा करके भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। भूमिधर की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—(i) भूमिधर को अपनी भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त है; (ii) भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए भी कर सकता है (iii) भूमिधर अपनी भूमि का मालिक है, उसको इसे बेचने, रहन रखने व अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार है। (iv) भूमिधर का लगान सीरदार के लगान से आधा होता है।

(2) सीरदार—जो काश्तकार 10 गुना जमान कराना चाहें वे सीरदार कहलायेंगे और वे सरकार को वही लगान देंगे जो वे जमींदार को देते थे।

(3) अधिवासी—वे काश्तकार जो उप-किसान के रूप में कार्य करते थे, अधि

भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधार

वासी कहलायेगे। इनका अपनी खेती की जमीनों को 5 वर्ष तक रखने का अधिकार दिया गया। इसके पश्चात् 15 गुना लगान जमा कराकर सीरदार बन सकते थे।

(4) आसामी—यह वे व्यक्ति थे जो वन, भूमि, रहन भूमि व बगीचों की भूमि आदि पर खेती करते थे। इनके अधिकार स्थायी नहीं होते थे।

2 मध्य प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार अधिनियम—नवम्बर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश के चार अंग थे—महाकोशल, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल। (i) महाकोशल क्षेत्र में 31 मार्च 1951 को राज्य शासन द्वारा 43 हजार ग्रामों के स्वामित्व पर अधिकार कर लिया गया तथा इनके द्वारा राज्य एवं कृषकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले विभिन्न जमींदारों के मालगुजारी के एवं अन्य अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। (ii) जून सन् 1951 में तत्कालीन मध्य भारत राज्य शासन विधान सभा द्वारा मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान स्वीकृत किया गया। (iii) सन् 1952 में तत्कालीन विन्ध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा विन्ध्य प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि-सुधार विधेयक स्वीकृत किया गया जिसे सन् 1953 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। (iv) भोपाल क्षेत्र में भी 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया और जिन जमींदारों ने क्षतिपूर्ति (मुआवजा) लेना स्वीकार नहीं किया उन्हें वार्षिक रकम दिया जाना निश्चित किया गया।

नवम्बर 1956 में नए मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात् भूमि कानूनों को एकत्रित तथा संशोधित करने का कार्य हाथ में लिया और मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1956 बनाई गई। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:—

(अ) व्यवस्था—अब काश्तकार भू-स्वामी कहलायेगे और उसके पास जो भूमि होगी उसके वे वास्तविक स्वामी होंगे।

(ब) काश्तकारों के अधिकार—जमीन को जोतने वाले काश्तकार जो अभी तक उपकाश्तकार अथवा शिकमी पट्टेदारी कहलाते थे वे अब इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत मौसमी काश्तकार कहलायेगे। ये काश्तकार जिन भू-स्वामियों की जमीन जोतते हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी मौसमी काश्तकारी से अपनी व्यक्तिगत खेती के लिए 25 एकड़ तक अर्पित भूमि ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि मौसमी काश्तकार के पास कम से कम 10 एकड़ अर्पित भूमि बचनी चाहिए।

(स) अत्यधिक लगान वसूली पर प्रतिबन्ध—मौसमी काश्तकार द्वारा दिए जाने वाला अधिकतम लगान सिंचित भूमि के लिए भू-राजस्व के चौगुने से अधिक नहीं हो सकता।

(द) सिंचाई के अधिकार—मध्यस्थों की समाप्ति के दिन जिन तालाबों से ग्रामवासी सिंचाई अथवा अन्य प्रकार के कार्य करते रहे वे तालाब भूतपूर्व मालिक को मुआवजा देने के पश्चात् राज्य सरकार के अधिकार में आ जायेंगे। फिर ग्रामवासियों को अधिकार होगा कि वे इस तालाब का प्रयोग कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश के 1961 के भूमि कानून के अधीन एक धारा के अनुसार 12 मासी काम में आने वाली जमीन 25 एकड़ से अधिक रखने का अधिकार न होगा। मध्य प्रदेश में भूमि की चकबन्दी ऐच्छिक ढंग से की गई है।

राज्य में सहकारी कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया है। सहकारी कृषि समितियों में से सबसे अधिक उन्नति कृषि समितियों (Farming Societies) की हुई है।

अन्य सुधार— तीसरी योजना में भूमि सुधार के हेतु ग्राम पंचायत, जनपद सभा एवं जिला परिषदों पर अधिक ध्यान दिया गया है। भूदान आन्दोलन में लगभग 6 एकड़ भूमि तथा 100 ग्राम दान में मिल चुके हैं जिनमें से कुछ भूमिहीन किसानों को वितरित की जा चुकी है।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तावित भूमि-सुधार के कार्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वे अब तक किस सीमा तक लागू किये जा चुके हैं ?

अथवा

भूमि-सुधार प्रयासों की समीक्षा कीजिए और बताइए कि इनका ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

अथवा

भारत में भूमि-सुधार के क्या उद्देश्य हैं ? अभी तक जो भूमि-सुधार हुए हैं उनसे आपकी राय में इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक होती है ?

अथवा

स्वाधीनता के पश्चात् भारत में भूमि-सुधार नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

[संकेत—सर्वप्रथम भूमि-सुधार का अर्थ और महत्त्व संक्षेप में लिखिए। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। अन्त में भूमि-सुधार के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।]

2. भारतीय कृषि के विकास में संस्थान्नात परिवर्तनों की आवश्यकता समझाइए। इसी सन्दर्भ में भूमि-सुधार अधिनियमों का मूल्यांकन कीजिए।

भारत में कृषि जोतें—भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन (Agricultural Holdings, Sub-Division and Fragmentation of Holdings in India)

कृषि जोत का तात्पर्य भूमि की उस सीमा से है, जिस पर एक कृषक वास्तव क खेती करता है। परन्तु किसी को भूमिधर, भू-स्वामी मौरूसी, काश्तकार अथवा पट्टेदार के रूप में जितनी भूमि पर स्थायी और पैतृक अधिकार मिले हो उसे 'भू-स्वामियो की जोत' (Right holder's holding) कहते हैं। वह स्वयं जिस भूमि पर खेती करता है वह जोत कहलाती है।

कृषि जोत की विभिन्न धारणाएँ (Different concepts of Agricultural Holdings)—कृषि जोत के सम्बन्ध में निम्नलिखित धारणाओं का उल्लेख किया जाता है—(1) आर्थिक जोत या लाभकारी जोत (Economic Holding) (2) पारिवारिक जोत (Family Holding) (3) बुनियादी जोत (Basic Holding) (4) अनुकूलतम या इष्टतम जोत (Optimum Holding) (5) क्रियात्मक जोत (Operational Holding)।

1. आर्थिक जोत—आर्थिक जोत के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। जैसे—कीटिंग्स (Keatings) के मतानुसार, "आर्थिक जोत वह है जो एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय निकालने के पश्चात् उसे तथा उसके परिवार को उचित सुविधा सहित पर्याप्त उत्पादन का अवसर प्रदान करती है।" कीटिंग्स का विचार है 40 एकड़ से 50 एकड़ तक अच्छी भूमि, जिसकी सिंचाई के लिए, कम से कम एक कुएँ की व्यवस्था हो, को आर्थिक जोत कहा जा सकता है।

डा० मान का विचार है कि "एक आर्थिक जोत वह है जो एक परिवार को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर सके।"

इस सम्बन्ध में स्टेनले जेवन्स (Stanley Jevons) के अनुसार "आर्थिक जोत वह है जो एक कृषक को न केवल न्यूनतम स्तर अथवा उचित स्तर प्रदान करती है, अपितु रहन-सहन का उच्च स्तर प्रदान करती है।" उनके अनुसार आर्थिक जोत की सीमा 20 एकड़ से 30 एकड़ तक की होती है।

कृषि सुधार समिति ने आर्थिक जोत की जो विशेषताएँ बताई हैं वे इस

प्रकार है—(i) किसान को रहन-सहन का उचित स्तर प्रदान करती हैं। (ii) एक सामान्य आकार के परिवार को सम्पूर्ण वर्ष के लिए रोजगार प्रदान करती हैं। (iii) सम्बन्धित प्रदेश की कृषि व्यवस्था को बल देती हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक जोत एक कृषक द्वारा जोती गयी भूमि का वह क्षेत्र है जिस पर एक औसत आकार के परिवार का श्रम व पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग हो सके तथा इसका शुद्ध उत्पादन कृषक के परिवार को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान कर सके।

2. पारिवारिक जोत—पारिवारिक जोत का आशय उस जोत से है जिससे किसान के कम से कम इतनी पैदावार अवश्य प्राप्त हो सके जिससे उसे प्रतिवर्ष 1600 रुपये की कुल वार्षिक आय प्राप्त हो सके और उसे मजदूरी एवं आवश्यक खर्चों को निकालकर 1200 रुपये की शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जोत का क्षेत्रफल एक हल इकाई से कम न हो। इस प्रकार की जोत का आधार आय मानी गई। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्थिक जोत और पारिवारिक जोत को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है।

3. बुनियादी जोत—कृषि सुधार समिति के अनुसार, “बुनियादी जोत से अभिप्राय कृषि के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से है।” दूसरे शब्दों में बुनियादी जोत के अन्तर्गत भूमि का केवल उतना ही क्षेत्र आता है जिससे जीवन निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आर्थिक जोत की अपेक्षा यह जोत छोटी होती है। योजना आयोग के अनुसार, तीन बुनियादी जोतों को मिलाकर एक आर्थिक जोत के रूप में माना जा सकता है।

4. अनुकूलतम जोत—यह जोत की वह सीमा कही जा सकती है जिस पर कृषक को अपने साधनों-श्रम व पूंजी को सर्वाधिक कुशल ढंग से प्रयोग करने का उचित अवसर प्राप्त हो ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसे आदर्श जोत भी कहा जा सकता है क्योंकि उस जोत पर ही एक निश्चित कृषि पद्धति के अन्तर्गत श्रम एवं पूंजी का सबसे कुशल प्रयोग सम्भव हो सकता है। भारत में इस जोत का आकार आर्थिक जोत के आकार का तीन गुना से अधिक माना जाता है।

5. क्रियात्मक जोत—कृषि संगणना (1970-71) के अनुसार—“क्रियात्मक जोत को उस समस्त भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कृषि के उत्पादन कार्य में प्रयुक्त होती है और एक व्यक्ति के द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर (स्वामित्व, कानूनी स्थिति, आकार एवं स्थानीयकरण को दृष्टि में रखे बिना) एक तकनीकी इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है।” एक तकनीकी इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जो एक प्रबन्ध के अन्तर्गत हो तथा जिसके एक ही उत्पादन के साधन (Same means of Production) हो।

आर्थिक जोत को निर्धारित करने वाले घटक (Factors responsible for determining Economic Holding)—आर्थिक जोत के आकार को स्थान-स्थान

और प्रदेश-प्रदेश के साथ विभिन्न घटक प्रभावित करते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं—

1. भूमि की उर्वरा शक्ति—जो भूमि अधिक उपजाऊ होती है उनसे अपेक्षाकृत अधिक आय व उन पर रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अतः जिन क्षेत्रों में भूमि कम उपजाऊ है। वहाँ जोत की इकाई अपेक्षाकृत अधिक होगी।

2. कृषि पद्धति—खेती करने का तरीका कृषि जोत के आकार को निर्धारित करता है। यदि खेती पुराने ढंग से की जाती है तो आर्थिक जोत का आकार छोटा होगा। इसके विपरीत यदि खेती आधुनिक साधनों ट्रैक्टरों, मशीनों आदि से की जाती है तो आर्थिक जोत का आकार बड़ा होगा।

3. वर्षा व सिंचाई की सुविधाएँ—जिन भागों में सिंचाई तथा वर्षा की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, आर्थिक जोत छोटी होती है। इसके विपरीत अनिश्चित वर्षा या सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ होने पर आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता है।

4. फसलों की प्रकृति—आर्थिक जोत के आकार को फसलों की प्रकृति द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। यदि फसलें जैसे सब्जी, फल आदि की हैं तो आर्थिक जोत का आकार छोटा होगा लेकिन चावल, गेहूँ आदि के लिए आर्थिक जोत का आकार बड़ा होगा।

5. बाजार की समीपता—कृषि जोत से बाजार की दूरी भी आर्थिक जोत के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। उदाहरणार्थ, जो क्षेत्र किसी बड़े शहर के निकट होते हैं वहाँ पर भूमि की थोड़ी मात्रा भी आर्थिक जोत हो सकती है अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों के जो शहर से बहुत दूर हैं तथा वहाँ से आने जाने के पर्याप्त साधन भी नहीं हैं।

6. वित्तीय सुविधाएँ—आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले घटकों में वित्तीय सुविधाएँ भी आती हैं। यदि किसी स्थान पर कृषकों की पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आर्थिक जोत का आकार छोटा हो सकता है। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति में आर्थिक जोत बड़ी ही होगी।

7. कृषकों की शिक्षा एवं कार्य कुशलता—जिन क्षेत्रों के कृषक शिक्षित होते हैं तथा उनकी कार्य कुशलता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है उन क्षेत्रों में भूमि की थोड़ी मात्रा भी आर्थिक जोत हो सकती है अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों के जहाँ के कृषक अशिक्षित हैं तथा जिनकी कार्य कुशलता कम है।

8. अन्य कारक—उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त कृषि पदार्थों का कीमत स्तर, कृषि का उद्देश्य, कृषि की सामाजिक दशा इत्यादि आर्थिक जोत को प्रभावित करती हैं।

भारत में कृषि जोतें

भारत की कृषि-संगणना (Agricultural Census) 1970-71 के अनुसार देश में कुल कार्यशील जोतें (Total Operational Holdings) 7.05 करोड़ हैं जो

16.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में है। यह भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.4 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में आँकड़े नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं—

जोतों का आकार	कुल जोतों का प्रतिशत	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1.0 हेक्टेयर से कम	51	9
1.0—2.0 हेक्टेयर	19	12
2.0—4.0 हेक्टेयर	15	18
4.0—10.0 हेक्टेयर	11	30
100 व अधिक हेक्टेयर	4	31
कुल	100	100

उपर्युक्त सारणी में यह स्पष्ट हो जाता है कि एक हेक्टेयर तक की जोतों की संख्या कुल कार्यशील जोतों की 51 प्रतिशत है लेकिन उनके पास भूमि के कुल क्षेत्र का 9 प्रतिशत ही है जबकि 10 हेक्टेयर व अधिक की जोतों कुल जोतों का 4 प्रतिशत हैं लेकिन उनके पास कुल क्षेत्रफल का 31 प्रतिशत भाग है।

भारत में क्रियात्मक जोतों का औसत आकार 2.30 हेक्टेयर है लेकिन भिन्न-भिन्न राज्यों में औसत आकार ज्ञात भिन्न-भिन्न है जैसे राजस्थान 5.46 हेक्टेयर, मध्य प्रदेश 4.0 हेक्टेयर, हरियाणा 3.78 हेक्टेयर, पंजाब 2.89 हेक्टेयर, बिहार 1.52 हेक्टेयर व उत्तर प्रदेश 1.16 हेक्टेयर है।¹

भारत में औसत जोत अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कम है—भारत में अधिकांश जोतों का आकार अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कम है जैसा कि निम्न सारणी के अंकों से स्पष्ट है—

कुछ चुने हुए देशों में जोत का औसत आकार

देश	हेक्टर में जोत का औसत आकार	देश	हेक्टर में जोत का औसत आकार
अमेरिका	(1959) 122.5	बेल्जियम	(1970) 8.4
इंग्लैण्ड	(1960-61) 40.6	भारत	(1970-71) 2.3
नार्वे	(1970) 17.6	जापान	(1960) 1.2

1. इन आँकड़ों में एक हेक्टेयर से कम वाली जोतों को सीमान्त जोत (Marginal holdings), एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जोतें लघु जोत (Small holdings), दो से चार हेक्टेयर तक अर्द्ध-मध्यम जोतें (Semi-medium holdings), चार से दस हेक्टेयर तक मध्यम जोतें (Medium holdings) तथा दस हेक्टेयर या उससे अधिक की बृहत् जोतें (Large holdings) बताया गया है। लगभग आधे राज्यों में कृषि जोतों का औसत आकार देश के औसत आकार से कम है।

उपर्युक्त सारणी में दिये गए आँकड़े पुराने हैं जब से उक्त देशों में कृषि जोत का आकार और बढ़ा है क्योंकि इन देशों में कृषि पर लगी जनसंख्या का लक्ष्य उद्योगों पर स्थानान्तरण हुआ है किन्तु भारत में औसत जोत का आकार घटा है क्योंकि कृषि पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। इस समय भारत में औसत जोत का आकार लगभग 5 एकड़ है।

अलासकारी जोतों की समस्या (Problem of Uneconomic Holding)— भारत में जनसंख्या का कृषि पर दबाव निरंतर बढ़ने के कारण कृषि जोतों का आकार ही छोटा नहीं है बल्कि यहाँ एक कृषक की जोत विभिन्न टुकड़ों में विभाजित है अर्थात् कृषक की समस्त कृषि योग्य भूमि किसी एक स्थान पर न होकर गाँव के भिन्न-भिन्न भागों में बिखरी होती है। इसे भूमि का अपखण्डन कहते हैं। भूमि के उपविभाजन और अपखण्डन के कारण भारतवर्ष में अनाधिक जोतों की समस्या गंभीर होती जा रही है। अब हमें यह देखना है कि देश में अनाधिक जोतों के क्या कारण हैं। इनके कृषि अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव है अथवा इनके क्या दोष हैं तथा अनाधिक जोतों को किस प्रकार आर्थिक बनाया जा सकता है। इन सभी बातों का उत्तर उप-विभाजन व अपखण्डन की समस्याओं के अध्ययन में मिलता है।

भूमि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन (Sub-division and Fragmentation of Holdings)

अर्थ—जोतों के उपविभाजन का अभिप्राय जोत के कुल आकार में होने वाली कमी से है। इसके विपरीत जोतों के अपखण्डन का अभिप्राय एक जोत के टुकड़ों का दूरस्थ स्थानों या क्षेत्रों में छिटकने या बिखरने से है।

उप-विभाजन तथा अपखण्डन के कारण

डा० राधाकमल मुकर्जी के अनुमान के अनुसार खेतों के उप-विभाजन तथा अपखण्डन की प्रवृत्ति भारत में विगत 200 वर्षों से आरम्भ हुई है। भारत में उप-विभाजन तथा अपखण्डन के कारण मुख्यतः परम्परागत, सामाजिक व आर्थिक हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं—

(i) **उत्तराधिकार नियम**—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति में पुत्र-पुत्रियों को समान अधिकार दिया गया है। फलस्वरूप, प्रत्येक लड़के को पिता के जोत के बिखरे हुए प्रत्येक टुकड़े में से एक-एक हिस्सा मिलता है। इससे दिन-प्रतिदिन उप-विभाजन और अपखण्डन बढ़ता जा रहा है। प्रो० ब्लो के अनुसार “भारत में पिता की मृत्यु के बाद जमीन का कहना ही क्या, पेड़ पर लगे शहद और यहाँ तक कि पेड़ की छाया के विभाजन के लिए भी उसके पुत्रों को लड़ते देखा जा सकता है।”

(ii) **कृषि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि**—जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण श्रमिकों अथवा रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। रोजगार के

अन्य उपयुक्त साधनों के अभाव में कृषि-भूमि की माँग बढ़ने से भूमि के उपविभाजन और अपखण्डन में तेजी से वृद्धि हो रही है।

(iii) व्यक्तिवाद का उदय और संयुक्त कुटुम्ब प्रथा का ह्रास—पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर भारतीय भी अब परिवार से पृथक् रहना ही अधिक पसन्द करते हैं। इससे जोतों का उप-विभाजन एवं अपखण्डन बढ़ता ही जा रहा है। डा० राधाकमल मुकर्जी के अनुसार विगत वर्षों में स्वतन्त्र परिवार स्थापित करने की भावना प्रबल हो गयी है। अतः संयुक्त परिवार-प्रणाली टूटती जा रही है, जिससे भूमि का उप-विभाजन निरन्तर बढ़ रहा है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य खेत में से अपना हिस्सा अलग कर लेता है। प्रो० किन्ले के अनुसार, “जब बँटवारे का निश्चय हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि समानाधिकार के कारण सारी सम्पत्ति में उसको समान रूप से भाग मिले—चाहे वह खेत हो या मकान या बाग या पेड़। जहाँ प्रत्यक्ष विभाजन नहीं होता वहाँ अप्रत्यक्ष विभाजन पाया जाता है।”

(iv) कुटीर उद्योगों का पतन—हमारे देश में कई प्रकार के कुटीर उद्योग विकसित थे। किन्तु ब्रिटिश सरकार की स्वतन्त्र व्यापार नीति और कुटीर उद्योगों की उपेक्षा के कारण लघु तथा कुटीर उद्योगों का अन्त होता चला गया जिससे इन उद्योगों में लगा हुआ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर आश्रित हो गया। परिणाम-स्वरूप कृषि-भूमि की माँग बढ़ने में कृषि-जोतों के उप-विभाजन और अपखण्डन की समस्या उग्र हो गई।

(v) कृषकों की ऋणग्रस्तता—भारतीय कृषक विभिन्न उद्देश्यों से अपनी भूमि को बन्धक रखकर महाजनो से ऋण लेते हैं, किन्तु ऋण को निर्धारित समय पर अदा नहीं करने के कारण, इन्हें बाध्य होकर अपनी भूमि का एक हिस्सा महाजनों के हाथ बेचना पड़ता है जिससे भूमि का उप-विभाजन होता है। भूमि हस्तान्तरण पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये जाने पर, अब यह समस्या इतनी जटिल नहीं रह गई है।

(vi) भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम—साधारणतः भारतीयों का भू-सम्पत्ति से विशेष लगाव होता है। वह भूमि को जीविका का साधन ही नहीं समझता, बल्कि प्रतिष्ठा, सम्मान और सम्पन्नता का आधार भी मानता है। फलस्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति पैतृक भूमि में हिस्सा पाने के लिये लालायित रहता है, चाहे उसका हिस्सा कितना भी कम क्यों न हो। पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त भू-सम्पत्ति के प्रति किसान की इस अनुरक्ति से भू-सुधार एवं चकबंदी जैसे कार्यक्रमों में न केवल रुकावट होती है, बल्कि भू-विभाजन बढ़ता ही जाता है।

(vii) औद्योगीकरण की मंद प्रगति—भारत में जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में आधुनिक उद्योगों के संगठित विकास की प्रगति मंद है जिससे रोजगार के अवसर मन्द गति से बढ़ रहे हैं। फलतः कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता ही जाता है और उप-विभाजन तथा अपखण्डन की समस्या बनी हुई है।

(viii) अन्य कारण—भारत में कृषि जोतों के उप-विभाजन और अपखण्डन के कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं :—(अ) कृषकों की अज्ञानता एवं अशिक्षा, (ब) खेतों

में चकबन्दी का न होना, (स) कृषि की दोषपूर्ण पद्धति, (द) भू-स्वामी द्वारा अपनी भूमि को कई व्यक्तियों को 'बटाई' पर उठा देना, (य) नवाबों एवं जमींदारों द्वारा प्रसन्न होकर अपने नौकरों को भूमि के टुकड़े इनाम में देने की आदत आदि ।

भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन के आर्थिक प्रभाव

उप-विभाजन एवं अपखण्डन के दोष—डा० मान के शब्दों में, “भू-विभाजन और अपखण्डन साहस और परिश्रम को नष्ट करता है, श्रम की अपार बरबादी करता है । बाड़े बनाने के कारण भूमि की अत्यधिक हानि की ओर प्रवृत्ति होती है ।” निम्न हानियाँ उनके मत का प्रबल समर्थन करती हैं—

1. **भूमि का दुरुपयोग**—खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में उप-विभाजित होने से, खेतों के बीच में मेड़ एवं रास्ते बनाने से बहुत-सी जमीन, जिसमें खेती होनी चाहिये, व्यर्थ ही पड़ी रहती है ।

2. **श्रम व समय का अपव्यय**—खेतों के एक जगह न होकर अनेक स्थानों पर बिखरे होने के कारण किसानों को कृषि-कार्य के लिए इन सभी टुकड़ों तक स्वयं तथा बैल व औजारों को ले जाना पड़ता है, जिसमें उनके श्रम तथा समय का अपव्यय होता है और प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ जाती है । प्रो० बी० पी० मिश्र के मतानुसार 500 मीटर की दूरी पर खेत होने पर लागत में निम्न प्रकार से वृद्धि होती है :—

कार्य	लागत में वृद्धि
1. जुनाई हेतु श्रम का आवागमन	5.30 प्रतिशत
2. खाद का परिवहन व्यय	20 35 ,,
3. फसल का परिवहन व्यय	15.32 ,,
	40 97 ,,

इसके अतिरिक्त चौकीदार व अन्य व्यवस्था सम्बन्धी व्यय बढ़ने के कारण लागत में काफी वृद्धि हो जाती है ।

3. **अलाभप्रद व्यवसाय**—सर जान रसल का कथन है कि “खेतों का अप-खण्डन सबसे अधिक हानिप्रद समस्या है । इसके परिणामस्वरूप कृषि एक अलाभकारी व्यवसाय अथवा जीवन-यापन का ढङ्ग मात्र बन गया है ।” निरन्तर उप-विभाजन के कारण खेत छोटा होते-होते इतना अनार्थिक हो जाता है कि कृषक को परिवार का निर्वाह करना कठिन हो जाता है ।

4. **अदालती झगड़ों को प्रोत्साहन**—खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े होने से किसानों के बीच चौहद्दी, रास्ता, मेड़ आदि के लिये प्रायः झगड़े हुआ करते हैं और गाँवों में मुकदमेबाजी को अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है ।

5. **स्थायी सुधारों की असम्भाव्यता**—कृषि में स्थायी सुधार नहीं किये जा सकते । क्योंकि पहले से ही खेतों का आकार इतना छोटा है कि कभी-कभी पुराने हल

भी भूमि में सरलता से नहीं घुमाये जा सकते। ऐसी स्थिति में आधुनिक ढङ्ग के कृषि यन्त्र, मशीनें, ट्रैक्टर, विनोवर आदि कार्य में नहीं लाये जा सकते।

6. सिंचाई में असुविधा—खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे होने से उनकी सिंचाई के लिये न तो कृषक प्रत्येक टुकड़े में कुआँ खुदवा सकता है और न प्रत्येक टुकड़े के पास से होकर नाली निकलवा सकता है, जिससे खेतों को पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। पौ० जयार और बेरी के शब्दों में “जब भूमि का अत्यधिक विभाजन हो जाता है तब पर्याप्त जल उपलब्ध होते हुए भी प्रायः सिंचाई करना अमम्भव हो जाता है।” डा० कैंप के अनुसार छोटे खेतों में सिंचाई कार्य में कृषक को बहुत घाटा होता है।

7. अन्य दोष—(i) खेतों का आकार छोटा होने से किसान उचित ढङ्ग से उनकी देखभाल नहीं कर पाता। (ii) छोटे-छोटे खेतों पर लागत व्यय अधिक होने के कारण लाभ कम मिलता है। (iii) खेतों के अपखण्डन के कारण इन पर गहन कृषि भी मुश्किल से हो पाती है।

उप-विभाजन एवं अपखण्डन के लाभ—यद्यपि भूमि का अत्यधिक उप-विभाजन व अपखण्डन अनेक दृष्टिकोणों में दोषपूर्ण व अवांछनीय है, किन्तु कुछ विद्वानों ने निम्न लाभों के आधार पर इनका समर्थन किया है—

(i) प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का कुछ-न-कुछ भाग मिल जाता है, जो न्याय-संगत है।

(ii) सब के पास भूमि होने से सबकी रुचि कृषि में बनी रहती है।

(iii) अलग-अलग खेतों पर अलग-अलग फसलें बोई जा सकती हैं और यदि एक खेत में एक फसल खराब भी हो जाय तो दूसरे खेत में दूसरी फसल में लाभ उठाया जा सकता है।

(iv) छोटे-छोटे खेतों पर गहन खेती लाभदायक रहती है।

(v) भूमि का कुछ लोगों के पास केन्द्रीयकरण नहीं होने पाता।

(vi) फसलों की अदल-बदल (Crop-rotation) की जा सकती है।

(vii) छोटे-छोटे खेत सभी को कुछ-न-कुछ काम प्रदान करते हैं।

(viii) विभिन्न खेतों से विभिन्न फसलें पैदा करके कृषक स्वावलम्बी बन सकता है।

(ix) विभिन्न उर्वरताओं वाले खेतों में विभिन्न फसलें बोई जा सकती है।

(x) यदि परिस्थितिवश किसी समय बाजार में एक फसल का मूल्य घट जाय, तब किसान को बहुत हानि नहीं सहनी पड़ती है, क्योंकि एक फसल की हानि वह अन्य फसलों से पूरी कर लेता है।

(xi) भूमि का समान वितरण होता है और कृषकों के एक ऐसे वर्ग का निर्माण होता है, जो कि समाज और राज्य को स्थिरता प्रदान करता है।

यद्यपि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े अनेक दृष्टिकोणों से लाभदायक हैं, परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि कृषि के संगठन की कुशलता की दृष्टि से अनुपयुक्त और

हानिप्रद है। प्रगतिशील कृषि के लिए खेतों का उप-विभाजन तथा अपखण्डन रोकना अत्यन्त आवश्यक है, तभी भारतीय कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन सकेगी।

कृषि-जोतों के उप-विभाजन एवं अपखण्डन के उपचार

उप-विभाजन तथा अपखण्डन के दोषों को दूर करने के लिये सामान्यतः निम्न सुझाव दिये जाते हैं—

(1) आर्थिक जोतों का निर्माण (Creation of Economic Holdings)—

आर्थिक दृष्टि से उचित आकार वाले खेत को आर्थिक जोत कहा जाता है। क्रीटिंग के अनुसार “आर्थिक जोत वह है जो एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय घटाने के बाद उसके और उसके परिवार को उचित सुविधाओं सहित भरण-पोषण के लिये पर्याप्त उत्पादन करने का अवसर दे।” किन्तु डा० मान के अनुसार ‘आर्थिक जोत उसे कहते हैं जिस पर खेती करके एक औसत परिवार सन्तोषजनक न्यूनतम जीवन-स्तर प्राप्त कर सके।’

इन परिभाषाओं में ‘न्यूनतम स्तर’ और ‘उचित सुविधायें’ अस्पष्ट धारणायें हैं। वास्तव में आर्थिक जोत से हमारा अभिप्राय उस जोत से है जो कृषक को अपनी साधन इकाइयों का सबसे कुशल ढङ्ग से प्रयोग करने का उचित अवसर प्रदान करे। अर्थात् आर्थिक दृष्टि से जोत का सर्वोत्तम आकार वह होता है जिस पर खेती करने की लागत कम हो।

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने आर्थिक जोत के स्थान पर ‘पारिवारिक जोत’ का विचार प्रस्तुत किया है। इस पारिवारिक जोत की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि “पारिवारिक जोत वह क्षेत्रफल है जो स्थानीय दशाओं के अनुसार तथा कृषि की वर्तमान प्रविधि के अन्तर्गत कृषि काल में उपलब्ध सहयोग सहित कार्य करते हुए औसत परिवार के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। यह एक ‘हल इकाई’ या एक ‘कार्य इकाई’ के बराबर होती है।” इस प्रकार आर्थिक जोत और पारिवारिक जोत में विशेष अन्तर नहीं है।

परन्तु आर्थिक जोत का आकार क्या हो, इस सम्बन्ध में सभी विद्वानों के मत अलग-अलग हैं। डा० क्रीटिंग के अनुसार आर्थिक जोत का आकार 40 एकड़ से 50 एकड़ तक होना चाहिए। स्टैनले जेवन्स के अनुसार आर्थिक जोत का आकार लगभग 30 एकड़ होना चाहिए। प्रो० डार्लिंग का मत है कि आर्थिक जोत का आकार केवल 10 एकड़ तक ही होता है। इसी प्रकार डा० स्टैम्प ने आर्थिक जोत का आकार केवल 1 एकड़ अच्छी तरह से जोती हुई भूमि को माना है।

श्री ईस्ट के अनुसार आर्थिक जोत के लिए प्रति व्यक्ति $2\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि चाहिए। परन्तु श्री स्टैनली जेवन्स का मत है कि “आर्थिक जोत का आकार 30 एकड़ भूमि होना चाहिए।”

भारत के सन्दर्भ में प्रो० डार्लिंग का मत अधिक सही प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि देश के अनेक उपजाऊ भागों में 5 एकड़ भूमि पर एक परिवार का

जीवन निर्वाह सरलता से हो सकता है। इसके साथ ही जहाँ पर भूमि कम उपजाऊ है और सघन कृषि पद्धति की जड़े नहीं जम पाई हैं, वहाँ एक परिवार के निर्वाह के लिए 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। उप-विभाजन व अपखण्डन के दोषों को दूर करने के लिये आवश्यक है कि आर्थिक इकाइयों का निर्माण किया जाय। आर्थिक जोत स्थापित करने के लिये निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं—

(अ) जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण—इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि होती है वह सरकार के पास आ जाती है। इस भूमि को सरकार उन कृषकों को दे देती है जिनके खेत अनाधिक होते हैं। इससे अनाधिक जोतें आर्थिक बन जाती हैं।

(ब) बैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था—जिन कृषकों के पास बहुत ही छोटी जोतें हैं, उन्हें अपनी भूमि छोड़ने के लिये और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य धन्धे अपनाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। इससे छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर आर्थिक जोतें बनाने में सहायता मिलेगी।

(स) उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन—वर्तमान उत्तराधिकार प्रणाली के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्र-पुत्रियों को समान हिस्सा मिलता है। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि भू-सम्पत्ति तो केवल बड़े लड़के को ही मिले, किन्तु वह इस सम्पत्ति की आय में से आनुपातिक हिस्सा अपने भाइयों को भी दे।

(द) विभाजन की न्यूनतम सीमा निर्धारण—सरकार को अधिनियम बना कर भूमि के विभाजन की एक ऐसी उचित सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये, जिससे अधिक भूमि का विभाजन न हो सके।

(घ) चकबन्दी—चकबन्दी से आशय कई छोटे-छोटे खेतों को, पुनर्व्यवस्था द्वारा एक बड़े चक या खेत में परिणत करना, अर्थात् अलाभकारी जोतों को लाभकारी जोतों में परिणत करना है। इस प्रकार, चकबन्दी के द्वारा किसान को कई बिखरे हुए टुकड़ों के स्थान पर, एक ही जगह में सारी भूमि प्राप्त हो जाती है। चकबन्दी के दो तरीके हैं—प्रथम, किसानों में परस्पर स्वेच्छापूर्ण सहयोग की भावना के आधार पर और द्वितीय, कानून द्वारा चकबन्दी को अनिवार्य बनाकर। सहयोग द्वारा चकबन्दी का कार्य शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाता। इसलिये, कानून द्वारा चकबन्दी को अनिवार्य बनाना ही उत्तम तरीका होता है। परन्तु चकबन्दी एक अस्थायी उपचार है। क्योंकि, यदि भूमि-विभाजन या अपखण्डन को बढ़ावा देने वाले कारण भविष्य में बने रहे तो एक दिन जोतें पुनः अनाधिक हो जायेंगी। अतः चकबन्दी के साथ-साथ अन्य उपायों को भी काम में लाना चाहिये।

(ii) भूमि का राष्ट्रीयकरण—कुछ विद्वानों का मत है कि जोतों के उपविभाजन और अपखण्डन के दोषों को दूर करने का एक उपाय देश की सम्पूर्ण भूमि का राष्ट्रीयकरण करके सहकारी कृषि व्यवस्था प्रचलित की जानी चाहिये। रूस तथा चीन में इसके द्वारा कृषि उपज में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। परन्तु भारत के लिये यह

सुझाव व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि भारतीय कृषको में भूमि के प्रति गहरा प्रेम है, जिसे भूमि को लेने पर विद्रोह भड़कने की सम्भावना है।

(111) सहकारी खेती एवं सहकारी ग्राम व्यवस्था—सहकारी खेती द्वारा भी उपविभाजन तथा अपखण्डन की समस्या दूर की जा सकती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन किसानों के पास छोटे या मध्यम आकार के खेत हैं वे सहकारी कृषि समिति बनाकर सहकारी ढंग पर कृषि कर सकते हैं। इससे, इन खेतों के छोटे आकार समाप्त हो जायेंगे और बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। हमारे देश के कुछ भागों में इस प्रकार की व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया गया है। सम्भवतः इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारी कृषि व्यवस्था को भारतीय कृषि व्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य माना गया है।

योजना आयोग ने उप-विभाजन एवं अपखण्डन से मुक्ति पाने के लिये अन्तिम लक्ष्य 'सहकारी ग्राम-प्रबन्ध' रखा है। सहकारी ग्राम-प्रबन्ध की निम्न विशेषतायें होंगी—

(अ) समस्त गाँव को एक इकाई माना जायेगा। (ब) भूमि पर स्वामित्व तो व्यक्ति विशेष का ही होगा, किन्तु कृषि-कार्य सामूहिक रूप से किया जायेगा। (स) लाभ को भूमि स्वामित्व के अनुपात में बाँट दिया जायेगा। (द) गाँव की समस्त भूमि को बड़े-बड़े हिस्सों या निश्चित ब्लॉकों में बाँटा जायेगा, ताकि बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त हो सकें।

(iv) अन्य सुझाव—खेतों के उप-विभाजन और अपखण्डन की समस्या को दूर करने के लिये कुछ अन्य उपाय भी किये जाने चाहिये जैसे (अ) बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाय। (ब) जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिये (स) शिक्षा का प्रसार करना चाहिये, जिससे लोग उन्नत खेती के महत्त्व को समझने लगे। (द) बंजर व व्यर्थ भूमियों को कृषि योग्य बनाना चाहिये, जिससे कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो सके।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम—भारतवर्ष में भूमि के उप विभाजन व अपखण्डन की समस्या को दूर करने के निम्न उपाय किये गये हैं —

(1) अधिकतम जोत सीमा निर्धारण—पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य सभी राज्यों में, वहाँ की स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले अधिनियम पारित हो चुके हैं। ये अधिनियम निर्धारित करते हैं कि कितनी अधिकतम भूमि कोई खूब सकता है। साथ ही, ये अधिनियम भविष्य में भूमि प्राप्त करने पर भी राक लगाते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के कारण राज्य सरकारों को बड़ी मात्रा में भूमि प्राप्त हुई।

(2) भावी उप-विभाजन एवं अपखण्डन पर रोक—भविष्य में भूमि के और अधिक उप-विभाजन और अपखण्डन न हो सके, इसके लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऐसी न्यूनतम सीमाये निर्धारित कर दी गई है, जिसके नीचे भूमि का उप विभा-

जन नहीं हो सकता। कुछ राज्यों में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र इस प्रकार हैं—असम—5 बीघा, उत्तर प्रदेश—3 एकड़, मध्य प्रदेश—15 एकड़ सिंचित क्षेत्र, एवं 15 एकड़ अंसिंचित क्षेत्र।

(3) सहकारी कृषि एवं सहकारी ग्राम प्रबन्ध—सरकार ने कृषि के विकास में सहकारी कृषि के महत्त्व को स्वीकार करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी कृषि के विकास की व्यवस्था की है। पहली योजना की अवधि में प्रायः सभी राज्यों में सहकारी कृषि के लिये आवश्यक नियम बनाये गये। दूसरी योजना में सहकारी कृषि के विकास के लिये एक उचित एवं ठोस नीव रखने की चेष्टा की गई। तृतीय योजना के अन्त तक 5,500 कृषि समितियाँ बनी हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 10 हजार और सहकारी कृषि समितियों के बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्ततोगत्वा एक समय आने वाला है, जबकि सम्पूर्ण भूमि और ग्राम प्रबन्ध सहकारी समितियों के हाथ में आ जायगा।

(4) भूमि की चकबन्दी¹ भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चकबन्दी की व्यवस्था पर पर्याप्त जोर दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, विभिन्न राज्यों में चकबन्दी सम्बन्धी कानून बनाये गये। तृतीय योजना काल में कुल 113 लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी का कार्य हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग 94.2 लाख हेक्टेयर भूमि में चकबन्दी का आयोजन है।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत में जोत उप-विभाजन और विखण्डन के परिणामों का विवेचन कीजिए। इस समस्या को हल करने में जोतों की चकबन्दी से क्या मदद मिल सकती है ?

[संकेत—इसमें उपविभाजन व विखण्डन के गुण-दोष देकर चकबन्दी के गुण देना है।]

2. भारत में अलाभकारी कृषि जोत की समस्या की विवेचना कीजिए। इसके उपचार के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

[संकेत—इसमें उपविभाजन के दोष देकर चकबन्दी के गुणों का वर्णन करना है।]

3. भारत में खेतों के उपविभाजन एवं अपखण्डन से कृषि प्रगति को कैसे बाधा पहुँचती है ? इन कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त हो सकती है ?

[संकेत—इसमें उपविभाजन एवं अपखण्डन के दोष देना है तथा उसे दूर करने के उपाय बताना है।]

4. भारत में कृषि जोतों के विभाजन और अपखण्डन के क्या कारण हैं ?

1. भारत में सहकारी कृषि व भूमि की चकबन्दी का विस्तृत विवरण पृथक् अध्यायों में दिया गया है।

जोतो की चकबन्दी और सहकारी खेती इस समस्या को कहीं तक हल कर सकती है ?

[संकेत—इसमें उपविभाजन व अपखण्डन के कारण दीजिए तथा चकबन्दी व सहकारी खेती का वर्णन कीजिए ।]

5. भारत में कृषि जोतो के उपविभाजन एवं विखण्डन के दुष्परिणामों तथा कारणों पर प्रकाश डालिए । इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

[संकेत—इसमें उपविभाजन के दोष व चकबन्दी का वर्णन कीजिए ।]

कृषि जोतों की चकबन्दी

(Consolidation of Agricultural Holdings)

चकबन्दी के आशय—खेतों की चकबन्दी में हमारा अभिप्राय खेतों के उस पुन-संगठन से है जिससे भूमि के बहुत छोटे-छोटे अथवा बिखरे हुए टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके। स्क्रिटलैंड के अनुसार, “चकबन्दी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी काश्तकारों को हम बात के लिए मनाया अथवा बाध्य किया जाता है कि वे इधर-उधर बिखरे हुए टुकड़ों को त्याग कर उनके बदले में उसी किस्म के उतने ही आकार के एक या दो चक (खेत) ले लें। इस तरह का विनिमय यूरोप के सभी देशों में पिछली तीन शताब्दियों में चालू हुआ है।”

चकबन्दी की प्रणालियाँ

भारत में चकबन्दी के निम्न दो ढङ्ग प्रयोग किये गये हैं :—

1. ऐच्छिक चकबन्दी—इस पद्धति के अन्तर्गत गाँव के कुछ अथवा समस्त किसान स्वेच्छापूर्वक अपने छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों का आदान-प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐच्छिक ढंग पर चकबन्दी के लिए भारत में सर्वप्रथम प्रयास सहकारी समितियों द्वारा सन् 1920 में किया गया था। सहकारी चकबन्दी समितियों का उद्देश्य छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेतों के स्थान पर किसान को एक चक में बड़ा खेत प्रदान करना है। परन्तु भारत में (i) कृषकों की अशिक्षा और अज्ञानता, (ii) पैतृक भूमि के प्रति प्रेम, (iii) सिंचाई के साधनों की तुलनात्मक अनुकूलता, (iv) भूमि सम्बन्धी अधिकारों की विभिन्नता और उनके छिने जाने की आशंका व (v) प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण वह ढंग अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ है। जैसे कि श्री कौटिल्य ने कहा है, “भारत जैसे देश के लिये जहाँ किसानों में घोर अज्ञानता है यह आशा करना कि वे उदारता एवम् बुद्धिमत्ता से अपनी जड़ता छोड़कर चकबन्दी के लिये तैयार होंगे, केवल हठ है।”

2. अनिवार्य चकबन्दी (Compulsory Consolidation)—अनिवार्य चकबन्दी दो प्रकार की होती है—

(अ) आंशिक अनिवार्य चकबन्दी—ऐच्छिक चकबन्दी की असफलता के कारण

बात से सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि जोतो की चकबन्दी के नाम पर काश्त-कारो तथा बटाईदारो के हितो पर कोई आघात नहीं पहुँचना चाहिए।

चकबन्दी कार्यक्रम की उपलब्धियाँ या प्रगति

चूँकि सभी राज्यों ने चकबन्दी कार्यक्रमो को एक समान तत्परता से नहीं अपनाया है इसलिए इस कार्यक्रम की प्रगति विभिन्न राज्यों में असमान रही है—(अ) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चकबन्दी कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है; (ब) महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है; (स) मध्य-प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में भी कुछ काम हुआ है, जब कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार और जम्मू-काश्मीर में यह परीक्षण के दौर से गुजर रहा है; (द) असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है, यद्यपि इन राज्यों में भी इसे लागू करने के लिए वैधानिक व्यवस्था विद्यमान है।

भारत के विभिन्न राज्यों में कुल चकबन्दी क्षेत्र का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है—

भारत में विभिन्न राज्यों में चकबन्दी किये गये क्षेत्रफल का विवरण

(लाख हेक्टेयर में)

क्र०	राज्य	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	तीन वार्षिक योजनाएँ	चौथी योजना	1974-75 से 1977-78
1.	आंध्रप्रदेश	—	1.25	2.06	—	—	—
2.	बासाम	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	0.16	0.60	0.83	0.22	0.27	3.57
4.	गुजरात	0.43	0.65	1.15	0.78	3.98	4.17
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—
6.	जम्मू और काश्मीर	—	—	0.22	—	—	—
7.	मध्यप्रदेश	1.93	3.59	8.02	3.28	7.99	—
8.	महाराष्ट्र	1.75	3.55	16.69	21.22	53.35	30.97
9.	कर्नाटक	1.09	2.88	3.60	2.40	—	—
10.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
11.	पंजाब	24.72	34.19	31.29	—	—	—
12.	राजस्थान	—	5.60	11.27	0.25	—	—
13.	उत्तर प्रदेश	0.76	21.06	45.61	21.53	26.38	19.14
14.	पश्चिमी बंगाल	—	—	—	—	—	—
15.	हिमाचल प्रदेश	0.16	0.49	0.80	अनुपलब्ध	0.40	अनुपलब्ध

चकबन्दी के कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा

चकबन्दी कार्यक्रम की जो भी प्रगति हुई हो वह सन्तोषजनक नहीं है। जो तो इसके कारण बहुत से हैं, किन्तु मुख्य कारण यह है कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं रहा है। दूसरा, कई क्षेत्रों में चकबन्दी के बाद भी कृषक एक से अधिक खेत के अलग-अलग टुकड़े प्राप्त करते हैं। तीसरा, वितरित की जाने वाली भूमि को विकसित किये जाने की व्यवस्था नहीं की गई। अतः बँटवारे में बड़ी कठिनाई होती है। चौथा, चकबन्दी के साथ या उसके बाद भूमि के विकास के अन्य कार्य नहीं किये गये। केवल चकबन्दी ही कृषको अथवा कृषि के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है कि व्यवस्था ऐसी की जाय कि चकबन्दी के होते ही किसानों को अपने छोटे-छोटे खेतों को विकसित करने एवम् उन पर अपने उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिले।

चकबन्दी में कठिनाइयाँ

भारत में भूमि की चकबन्दी के कार्य में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :—

1. भूमि का मूल्यांकन—चकबन्दी में भूमि के मूल्यांकन का कार्य अत्यन्त आवश्यक है, ताकि क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया जा सके। इसके लिए कई बातों, जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति का, सिंचाई आदि की सुविधाओं और गाँव से दूरी आदि की ओर ध्यान देना पड़ता है। साथ ही जिन व्यक्तियों के पास अच्छी भूमि है उसे वे छोड़ना नहीं चाहते।

2. भूमि-अधिकार सम्बन्धी दोषयुक्त अभिलेख—अभी तक देश के कई क्षेत्रों में भूमि-अधिकार सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण हैं तथा कई क्षेत्रों में वे दोषपूर्ण हैं। अतः सही सूचना एकत्रित करने में बहुत समय लगता है, जिससे चकबन्दी के कार्य में बाधा पहुँचती है।

3. प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव—भारत में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है, जिससे कारण चकबन्दी ठीक नहीं हो पाती और किसानों में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आगे के क्षेत्र में चकबन्दी का विरोध होना आरम्भ हो जाता है।

4. किसानों की निरक्षरता व अज्ञानता—भारत में अधिकांश किसान अभी अशिक्षित एवं रूढ़िवादी हैं, जिसके फलस्वरूप वे चकबन्दी के लाभों को ठीक तरह नहीं समझ पाते। वे प्रत्येक नये सुधार का विरोध करते हैं। उनका अपने बाप-दादों की भूमि में अत्यधिक स्नेह है और वे किसी लाभ के लिए उसे त्यागने को तैयार नहीं होते।

5. वित्त का अभाव—चकबन्दी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्त का अभाव है जिसके कारण चकबन्दी कार्य में शिथिलता आ जाती है।

चक्रबन्दी के गुण

शाही कृषि कमीशन के शब्दों में "भारतीय कृषकों को भूमि के उपविभाजन और अपखण्डन की समस्या से छुटकारा दिलाने का एकमात्र साधन चक्रबन्दी ही है।" संक्षेप में चक्रबन्दी के निम्नलिखित लाभ हैं—

1. वैज्ञानिक कृषि—इसमें खेती का आकार बढ़ जाने से वैज्ञानिक कृषि की सम्भावना प्रबल हो जाती है।

2. भूमि अपव्यय की बचत—भिन्न-भिन्न स्थानों के खेतों में बाउन्ड्री लगानी पड़ती है जिसमें भूमि का खासा अच्छा हिस्सा निकल जाता है लेकिन जब सभी खेत एक चक्र होते हैं तो कम भूमि की बाउन्ड्री में निकलती है। इस प्रकार भूमि का अपव्यय होने से बचत होती है।

3. भूमि की उचित व्यवस्था—छोटे-छोटे खेतों की रखवाली करना कठिन होता है लेकिन जब सभी खेत एक चक्र के रूप में हो जाते हैं तो उसकी उचित देख-भाल की जा सकती है।

4. पारस्परिक विवादों में कमी—चक्रबन्दी से पारस्परिक झगड़े समाप्त होकर प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है।

5. रहन-सहन में सुधार—चक्रबन्दी से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है फलतः कृषकों की आय बढ़ती है और उनके जीवन-स्तर में सुधार होता है।

6. पूंजीगत उपकरणों का पूर्ण उपयोग—चक्रबन्दी के कारण कृषकों के द्वारा अपने पूंजीगत उपकरणों हल, बैल, यत्न आदि का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है।

7. श्रम एवं अन्य साधनों की बचत—चक्रबन्दी के कारण एक खेत से दूसरे खेत पर जाने में नष्ट होने वाला श्रम और धन बच जाता है।

8. गाँव में सड़कों, नहरों तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना सरल हो जाता है।

परीक्षा प्रश्न

1. चक्रबन्दी से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में कृषि जोतो की चक्रबन्दी कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुए हैं?

2. चक्रबन्दी की विभिन्न प्रणालियों को बताइए। भारत के सन्दर्भ में कौन-सी प्रणाली अधिक उपयुक्त होगी?

3. हमारे देश में चक्रबन्दी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

4. "भू-विभाजन और अपखण्डन साहस व परिश्रम को नष्ट करता है, श्रम की अपार बरबादी होती है। बाड़े बनाने के कारण भूमि की अत्यधिक हानि की ओर प्रवृत्ति होती है।"—डा० माने।

“अलग-अलग मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि की जोत आवश्यक है, ताकि मौसमों की अनिश्चितता के विपरीत एक निश्चित मात्रा में सुरक्षा या बीमा मिल सके।”—
डा० मुकर्जी ।

इन दो वक्तव्यों का सन्तुलन कीजिए और भारत में भूमि की चकबन्दी के अन्तर्गत सम्पन्न कार्य तथा आवश्यकता बताइये ।

[सकेत : उत्तर के प्रथम भाग में भू-विभाजन व अपखण्डन का अर्थ, हानियाँ व लाभ बताइये व दूसरे भाग में चकबन्दी की आवश्यकता, चकबन्दी की विभिन्न प्रणालियों व भारत में चकबन्दी की प्रगति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।]

सहकारी कृषि (Co-operative Farming)

परिभाषा—विभिन्न देशों में सहकारी कृषि के अलग-अलग रूप अपनाये गये हैं, जिनके कारण सहकारी कृषि की कोई स्पष्ट परिभाषा देना कठिन है। जर्मनी के अर्थशास्त्री डा० ओटो शिलर ने सहकारी कृषि की परिभाषा देते हुए लिखा है—
“आधुनिक साहित्य में सहकारी कृषि का अर्थ, खेतों को ऐसे प्रबन्ध से लगाया जाता है जिसमें भूमि पर किसानों का संयुक्त स्वामित्व होता है। अन्य शब्दों में, भूमि की कृषि में सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रयोग ही सहकारी कृषि कहलाता है।”

सहकारी कृषि की निर्जालगण्णा समिति के अनुसार “सहकारी कृषि समिति कृषकों का एक ऐच्छिक संगठन है, जिससे मानव शक्ति व भूमि जैसे साधन एकत्रित किये जाते हैं, ताकि उनका अधिकतम प्रयोग हो सके। इस संगठन में अधिकांश सदस्य कृषि कार्यों में हिस्सा बँटाते हैं, ताकि कृषि-उत्पादन, रोजगार एवं आय बढ़ सके।”

भारतीय योजना आयोग के शब्दों में “सहकारी कृषि अनिवार्य रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भूमि को इकट्ठा करके संयुक्त प्रबन्ध द्वारा कृषि कार्य किया जाता है।”

इस प्रकार सहकारी कृषि का सामान्य अर्थ उस व्यवस्था से है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है, किन्तु खेती संयुक्त रूप से की जाती है। समस्त व्यय एक सम्मिलित कोष में से किये जाते हैं और कुल आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे विभिन्न सदस्यों में उसकी भूमियों के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

विशेषताएँ—सहकारी कृषि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. भूमि का एकत्रीकरण—सहकारी खेती में सभी सदस्यों की भूमि को मिलाकर जोत की इकाई बना दी जाती है।
2. स्वामित्व—सदस्य अपनी भूमि से स्वामी बने रहते हैं अर्थात् इससे ब्याक्त-गत स्वामित्व का अन्त नहीं होता है।
3. प्रबन्ध-संगठन—सहकारी खेती का प्रबन्ध एवं संगठन संयुक्त रूप से किया जाता है।

4. पारिश्रमिक—सदस्यों को उनके कार्य के बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है ।

5. पूंजी या भूमि—जिन व्यक्तियों से पूंजी या भूमि ली जाती है उन व्यक्तियों को ब्याज या लगान दिया जाता है ।

6. लाभ-विभाजन—सदस्यों को पारिश्रमिक देने के बाद कुल लाभ में से सुरक्षित कोष का अंश निकालकर शेष सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है ।

सहकारी खेती के रूप

सामान्यतः सहकारी खेती के रूप इस प्रकार प्रचलित है :—

1 उच्चतर सहकारी कृषि (Better Co-operative Farming)—इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक अपने खेत पर स्वतन्त्र रूप से खेती करता है परन्तु साथ ही वह सहकारी समिति का सदस्य भी होता है । समिति केवल उसके लिए खेती के तरीकों में सुधार के उद्देश्य से अच्छे बीज, अच्छी खाद और आधुनिक औजार तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था करती है और सदस्यों के उत्पादित मालों को एकत्र कर उसके विक्रय की व्यवस्था भी ये समितियाँ स्वयं करती हैं । इस प्रकार की समिति द्वारा व्यक्तिगत कृषि को उन्नत किया जा सकता है । भारत में ऐसी समितियों को सेवा सहकारी समिति का नाम दिया जाता है । स्पष्ट है कि इस प्रकार की सहकारी खेती से, खेती को अच्छा बनाने की दिशा में सहकारिता के आधार पर सहायता दी जाती है ।

लाभ—(1) कृषको की भूमि बनी रहती है, तथा उन्हें अपनी भूमि से लगाव बनाये रखने का अवसर भी मिलता है । इस प्रकार प्रोत्साहन बना रहता है ।

(ii) यह एक सरल पद्धति है इसमें आपसी संघर्ष होने की कोई सम्भावना नहीं रहती है । इससे कृषको को सस्ते कृषि साधन मिल जाते हैं । (iii) किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल जाता है ।

दोष—(i) इस कृषि से उपविभाजन और अपखण्डन के दोष बने रहते हैं, (ii) बड़े पैमाने पर खेती नहीं हो पाती है ।

2. सहकारी संयुक्त कृषि (Co-operative Joint Farming)—इसके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न भू-स्वामियों द्वारा कृषि की अपनी भूमि को मिला दिया जाता है और फिर उस पर संयुक्त खेती की जाती है, परन्तु प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व ज्यों-का त्यों बना रहता है । संयुक्त खेती व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(1) कृषको द्वारा सहकारी खेती स्वेच्छा से आरम्भ की जाती है । (ii) प्रत्येक सदस्य का अपनी-अपनी भूमि पर स्वामित्व बना रहता है । (iii) खेतों का प्रबन्ध, एक इकाई के रूप में किया जाता है । (iv) विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रबन्ध समिति का चुनाव किया जाता है जिसके निर्देशन में सब सदस्य कार्य करते हैं । (v) इसके सदस्यों को दो प्रकार से आय प्राप्त होती है—प्रथम तो भूमि के स्वामित्व के अनुपात में उपज में भाग मिलता है और द्वितीय, श्रम के लिये मजदूरी मिलती है,

(vi) भूमि से प्राप्त उपज की विक्री सामूहिक रूप से की जाती है और इस प्रकार की विक्री से प्राप्त राशि में से सभी प्रकार के व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे विभिन्न सदस्यों द्वारा उपाजिन मजदूरी के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

लाभ—(i) बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। (ii) व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है जिससे लाभांश प्राप्त करने का अधिकार बना रहता है। (iii) कृषि उपज को सहकारी समिति उचित मूल्य पर बाजार में बेच देती है। (iv) उपविभाजन और अपखण्डन का दाप दूर हो जाता है। (v) रोजगार में वृद्धि की सम्भावना बढ़ जाती है एवं सभी व्यक्तियों को लगाये गये श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

दोष—(i) सामूहिक श्रम से कृषि कार्य अधिक कुशलता से नहीं हो पाता है। सभी किसान स्वच्छन्द होकर काम करते हैं, फलतः यथेष्ट लाभ नहीं मिल पाता है; (ii) अलग होने की स्वतन्त्रता के कारण जब किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बना लेता है तब वह इस पद्धति से अलग हो जाता है। (iii) सहकारिता आन्दोलन की कमियाँ भी इस प्रथा में परिलक्षित होती हैं।

3. सहकारी काश्तकारी कृषि (Co-operative Tenant Farming)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि एक समिति की होती है और कृषि के लिए विभिन्न सदस्यों में अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दी जाती है। प्रत्येक किसान समिति द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार खेती करता है। इस समिति द्वारा सदस्यों को बीज, खाद, साख आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य उपज को समिति के माध्यम से बेच सकते हैं। सदस्यों द्वारा भूमि के प्रयोग के बदले में समिति को निश्चित दर के अनुसार लगान दिया जाता है। ये समितियाँ उन्हीं स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं जहाँ नई भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है।

लाभ—(i) व्यक्तिगत कृषि का लाभ स्वयं कार्यकर्ता लेता है। आसानी से उत्पादन करेगा उसका स्वयं उपयोग कर सकता है; (ii) समिति पूरे जोत की मालिक होती है उसके लिए अपना नियम बनाती है। इस प्रकार कृषि कार्य का संचालन सुचारु रूप से हो जाता है; (iii) कृषकों या असाभियों की स्वतन्त्रता बनी रहती है।

दोष—(i) सहकारिता का कोई लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि कृषक या आसामी स्वच्छन्द रहते हैं; (ii) बड़े पैमाने की खेती नहीं हो पाती।

4. सहकारी सामूहिक कृषि (Co-operative Collective Farming)—इस कृषि-व्यवस्था के अन्तर्गत सदस्यों के सब साधनों को भूमि सहित इकट्ठा कर लिया जाता है तथा इसमें कृषि का स्वामित्व पूर्णतया सामूहिक रूप से सहकारी समिति के हाथ में रहता है तथा पूरे सामूहिक खेत की भूमि एक इकाई के रूप में जोती जाती है। इस प्रकार सदस्य मजदूरों के रूप में सामूहिक खेत पर कार्य करते हैं तथा उन्हें मजदूरी के अतिरिक्त लाभांश भी मिलता है। सोवियत रूस में इस प्रकार की पद्धति बहुत प्रचलित है। भारत में इस प्रणाली का प्रयोग नई भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों

को बसाने के लिए किया गया, परन्तु इस प्रकार की खेती की सम्भावना भारत में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के कृषक भूमि पर से अपना स्वामित्व नहीं समाप्त करना चाहते ।

इस प्रकार सहकारी खेती के चारों रूपों को देखने के बाद यह कह सकते हैं कि भारत की वर्तमान दशाओं को देखते हुए सयुक्त सहकारी कृषि ही उपयुक्त है, क्योंकि यह वर्तमान कृषि समस्याओं को दूर करने में समर्थ है । इसमें गहरी किस्म के बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ, कृषि इकाइयों का एकीकरण, व्यक्तिगत स्वामित्व आदि के लाभ प्राप्त होते हैं । इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार भी मिलेगा ।

भारत में सहकारी खेती का महत्त्व

सहकारी कृषि के पक्ष में तर्क—भारत में सरकारी खेती के पक्ष में निम्न तर्क दिये जाते हैं .—

1 **भूमि का सदुपयोग—**सरकारी कृषि में उपलब्ध भूमि का अच्छा उपयोग किया जा सकता है । भारत में अधिकांश जोते अनाधिक है । सहकारी खेती से इन अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदला जा सकता है । इसके अतिरिक्त, सहकारी कृषि के अन्तर्गत प्रत्येक भूखण्ड उस फसल के प्रयोग में आयेगा जिसके लिये वह सबसे अधिक उपयुक्त है ।

2. **श्रमशक्ति का सदुपयोग—**कृषि सहकारी कृषि में सभी कृषक संयुक्त रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उनमें से प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल जाता है । सहकारी कृषि में भूमिहीन श्रमिकों को भी कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उन्हें अपने श्रम का प्रतिफल मिलने की आशा रहती है ।

3 **कृषि भूमि में सुधार—**छोटे किसान साधनों के अभाव में सघन उन्नत खेती नहीं कर सकते । सहकारी फार्मों में वैज्ञानिक कृषि करना सम्भव हो जाता है, क्योंकि उत्तम बीज, खाद आदि की सुविधायें बढ़ जाती हैं । साथ ही, आदर्श आकार सयुक्त खेतों में कृषि से सम्बन्धित पूँजी, जैसे बैल, औजार तथा सिंचाई के साधन का भी अच्छे प्रकार से उपयोग किया जा सकता है ।

4 **खाद्यान्नो एवं कच्चे मालों के एक विशाल अतिरेक का सृजन—**सहकारी कृषि के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण तर्क यह है कि बड़ी-बड़ी जोतों से खाद्य पदार्थों तथा कृषि से प्राप्त औद्योगिक कच्चे माल का विक्री-योग्य एक विशाल अतिरेक प्राप्त किया जा सकता है । शीघ्र औद्योगीकरण के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक श्रम को भोजन देने के लिये पर्याप्त खाद्यान्न एवं उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल मिलता रहे । इस प्रकार, सहकारी कृषि द्वारा औद्योगीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक कृषि अतिरेक को आसानी से बढ़ाया जा सकता है ।

5. **सामाजिक लाभ—**सहकारी खेती का एक बहुत बड़ा सामाजिक लाभ यह है कि कृषकों का शोषण बन्द हो जाता है, क्योंकि उन्हें जमींदारों पर आश्रित नहीं

रहना पडता, साहूकारों से रुपया उधार लेने की आवश्यकता नहीं पडती तथा कृषि पदार्थों का पूरा मूल्य प्राप्त हो जाता है ।

6. भावात्मक एकता—सहकारी खेती से भावात्मक एकता का भी विकास होता है, क्योंकि सभी धर्मों के व्यक्ति एक साथ बैठकर सामूहिक हित के लिए विचार एवं कार्य करते हैं जिससे अपनी समस्या एवं मान्यताओं को समझने का अवसर मिलता है ।

7. बहुदेशीय नदी घाटी योजना का सदुपयोग—सहकारी खेती से ऐसी योजनाओं का सदुपयोग होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में सहकारी खेती प्रणाली लागू करके हम इन प्रायोजनाओं का विदाहन अच्छी तरह से कर सकते हैं ।

8. भूमि पुनरुद्धार कार्यक्रम—इसके लिये सहकारी कृषि बड़ी उपयोगी व आवश्यक है; क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ध्यर्थ पडी हुई भूमि को खेती में सम्मिलित किया जाता है । अतः व्यय अधिक लगता है । सहकारिता के आधार पर इस कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ।

9. यांत्रिक कृषि—सहकारी कृषि विस्तृत रूप में की जाती है । पूंजी की भी सुविधा रहती है । अतः इससे यांत्रिक कृषि का उपयोग किया जा सकता है और इसके लाभों को प्राप्त किया जा सकता है ।

10. अन्य लाभ—(i) सहकारी कृषि द्वारा ही फसलों का आयोजन सम्भव होता है । (ii) सहकारी कृषि द्वारा सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष व घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिये बड़ी-बड़ी जोतों के साथ सम्पर्क रखना आसान होता है । (iii) कृषि सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करने में भी सुविधा रहती है । (iv) खाद्यान्न में राजकीय व्यापार की नीति को कार्यान्वित करने में इस पद्धति से सहायता मिल सकती है । (v) सहकारी कृषि में कृषकों की आय बढ़ती, उनकी निर्धनता घटती एवं उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठता है ।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सहकारी कृषि के अधिकांश लाभ इसके बड़े आकार, संयुक्त प्रबन्ध एवं व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण उत्पन्न होने हैं । पाटिल शिष्ट मंडल का भी कथन है “सहकारी कृषि के अन्तर्गत कृषि बड़े पैमाने पर की जा सकती है और इससे बड़े पैमाने के उत्पादन की सभी मितव्ययितायें, जैसे लगान में कमी, यन्त्रीकरण व प्रबन्ध कौशल प्राप्त करना सम्भव हो जाता है ।

सहकारी कृषि के विरोध में—सहकारी खेती के विपक्ष में भी कई विद्वानों ने निम्नलिखित तर्क दिये हैं ।

(i) सहकारी कृषि के लाभ वास्तविक नहीं हैं—आलोचकों का कहना है कि सहकारी कृषि के पक्ष में जो लाभ बताये गये वे वास्तविक नहीं हैं । उनका कहना है कि (अ) सहकारी कृषि से रोजगार में वृद्धि की आशा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सहकारी खेती से कृषि का यन्त्रीकरण बढ़ेगा और खेती पर निर्भर भण्डार बड़ी संख्या में बेकार हो जायेंगे और साथ ही पशुधन की उपेक्षा होने लगेगी । (ब) बड़े पैमाने की कृषि ने थोड़े ही वर्षों में एकत्रित मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर दिया

है। वास्तव में जोतो का आकार जितना कम होता है, मिट्टी की उर्वरता भी उतनी ही अधिक होती है। अतः इस दृष्टि से भी सहकारी कृषि लाभदायक नहीं है। (स) कृषि से श्रम-विभाजन मितव्ययिताये होती भी हैं तो वे अकुशल प्रबन्ध के कारण समाप्त हो जायेंगी। (द) सहकारी खेती की उपज प्रत्येक सदस्य की भूमि के हिस्से तथा उसके श्रम के अनुसार बाँटी जाती है अर्थात् उपज के वितरण में असमानता आना स्वाभाविक है। इससे कई सदस्य असंतुष्ट रहेंगे।

(11) भारत में सहकारी कृषि के मार्ग में कठिनाइयाँ व बाधाएँ—आलोचको का यह भी कहना है कि सहकारी कृषि की सफलता में सबसे बड़ी बाधा भारतीय ग्रामों में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमतायें हैं। कुछ प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं—(i) वर्तमान ग्रामीण समाज में सहकारिता की भावना का अभाव, (ii) किसानों का अपनी जमीन के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, (iii) निरीक्षण एवं प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता का अभाव (iv) गाँव में उचित नेतृत्व का अभाव, (v) जमींदारों एवं साहूकारों का विरोध, (vi) जाति प्रथा एवं सामाजिक विशेषतायें, (vii) आर्थिक असमानताएँ, (viii) कृषकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता, (ix) सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का अभाव, (x) कृषि से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव।

(111) अन्य देशों में सहकारी कृषि की असफलता—आलोचको का यह भी कहना है कि विश्व के अन्य देशों में जहाँ कहीं भी सहकारी कृषि अपनाई गई है सफलता नहीं मिली है। यदि कहीं सहकारी कृषि ने कुछ प्रगति दिखाई है तो इसका कारण सरकार का दबाव या सकटकालीन परिस्थितियों का विद्यमान होना रहा है। उदाहरण के लिये, पोलैण्ड में सहकारी कृषि को प्रायः त्याग दिया गया है और चीन में सहकारी फार्मों का उत्पादन कम होने लगा है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए यह तर्कसंगत नहीं होगा कि यह सहकारी कृषि को अपनाये। श्री राजगोपालाचारी के शब्दों में, “साम्यवादी देशों को छोड़कर, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता का अभाव है और लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता है, कहीं भी सहकारी खेती का प्रयोग नहीं किया गया। सहकारी खेती बल प्रयोग के बिना सम्भव नहीं होगी। लोग खुशी से मजदूर बनने के लिये राजी नहीं होंगे और किसान तो और भी कन। हमारे देश में सहकारी खेती भयंकर रूप से विफल होगी।”

(1v) सहकारी खेती के विरोध में अन्य तर्क—सहकारी खेती के विरोध में कुछ अन्य तर्क इस प्रकार दिये जाते हैं—

1 सहकारी खेती को सामूहिक खेती की प्रथमावस्था के रूप में देखा जाता है, जिससे अन्त तक समूह की सत्ता सर्वोपरि हो जायेगी और किसानों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का उन्मूलन होकर वह एक वैतनिक मजदूर रह जाएगा। इसीलिए कई विद्वान् सहकारी खेती को साम्यवाद की दिशा में पहला कदम समझते हैं।

2. भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन तथा किसानों में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की वृद्धि के कारण संयुक्त खेती बहुत कम किसान स्वेच्छा से अपनायेंगे।

3. सहकारी खेती में काम का बँटवारा उचित ढंग से करना बहुत कठिन है।

अतः काम के असमान विभाजन से कई सदस्य असन्तुष्ट रहेंगे जिसका बुरा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा ।

4. सहकारी नेतृत्व का अभाव, किसानों की अशिक्षा व अज्ञानता तथा राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप के कारण सहकारी खेती के वारन्विक संचालन में बहुत-सी कठिनाइयों का उदय होगा । और उसके अनुचित प्रयोग के रूप में नकली समितियाँ बड़ी संख्या में संगठित होने का भय है ।

5 खेतों के प्रबन्ध कार्य में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न होने से कई किसान प्रेरणाहीन होंगे, जिसका बुरा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा, जैसा कि आर्थर लुईस ने बताया, "अर्द्धविकसित देशों में तीव्र कृषि प्रगति का रहस्य कृषि विस्तार में, उर्वरकों में, उन्नत बीजों में, कीटनाशक औषधियों में और जलापूर्ति की व्यवस्था में निहित है, फार्म का आकार बदलने में नहीं ।"

निष्कर्ष—इस प्रकार कई समर्थकों तथा विरोधियों ने सहकारी खेती के पक्ष व विपक्ष में तर्क दिये हैं, किन्तु भारत में सहकारी खेती पर आर्थिक दृष्टिकोण के कम ही विचार किये गये हैं । हमारी मम्मति में भारत के लिए सहकारी खेती लाभदायक ही होगी । सहकारी खेती के विरुद्ध जो अनेक तर्क दिये गये हैं उनका उत्तर दिया जा सकता है । जैसे सहकारी खेती अधिक बेरोजगारी उत्पन्न करेगी ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि देश में औद्योगिक उन्नति से, विशेषकर कृषि से सम्बन्धित लघु उद्योगों के विकास से सहकारी कृषि द्वारा बेकार हुए अधिकांश श्रमिकों को काम मिल जायगा । यह भी आवश्यक नहीं है कि सहकारी कृषि में अवश्य ही बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण किया जाय । सच तो यह है कि सहकारी कृषि रोजगार के अनेक नये अवसर उत्पन्न करेगी, जैसे भूमि समतल करना, नालियाँ तथा बाँध आदि बनाना, कुओं की खुदाई करना आदि । इनमें बेरोजगार कृषकों को काम मिल सकेगा ।

यह भी कहना उचित नहीं है कि कृषकों का अपनी जमीन के प्रति प्रगाढ़ स्नेह होने के कारण सहकारी खेती सफल नहीं होगी । क्योंकि भूमि से प्रेम विश्व के सभी कृषकों में पाया जाता है, फिर सहकारी संयुक्त-कृषि के अधीन कृषक भूमि नहीं खोते, केवल मिल कर कार्य करते हैं । हमारी सरकार एक लोकतंत्रीय सरकार है । अतः सरकार द्वारा किसी प्रकार के दबाव की आशंका नहीं की जानी चाहिये । हम दबाव नहीं अनुरोध का मार्ग अपना रहे हैं । अतः कोई कारण नहीं है कि भारतीय कृषकों पर सहकारी कृषि में शामिल होने के लिये दबाव डालना पड़े । यह भी कहना ठीक नहीं है कि निर्वाचित प्रबन्ध-व्यवस्था अकुशल ही रहेगी । क्योंकि, यदि समुचित प्रेरणाएँ प्रदान की जायँ तो प्रबन्ध में कुशलता बढ़ायी जा सकती है । साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि सहकारी कृषि का निर्माण धीरे-धीरे किया जाय न कि एकदम, जिससे दूसरे कृषकों को धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त होता जायगा और वे कुशल प्रबन्धक बन जायँगे । यह आलोचना भी सही नहीं है कि सहकारी फार्म छोटे फार्मों के समान उत्पादक नहीं होते । भारत के सम्बन्ध में इस बात से सभी भली-भाँति परिचित हैं कि छोटे-छोटे अनाधिक खेतों के कारण ही यहाँ कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में है ।

फिर यह भी जरूरी नहीं है कि खेती के प्रबन्ध कार्य में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न होने से किसान प्रेरणाहीन हो जायेंगे, क्योंकि अभी भी औसत भारतीय कृषक स्वतन्त्र नहीं है। यदि वह काश्तकार है तो जमींदार उसका स्वामी है या वह महाजन अथवा साहूकार के चंगुल में है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में सहकारी खेती के विरोध में दिये गये तर्कों का विशेष महत्त्व नहीं है, बल्कि सहकारी कृषि का पक्ष अधिक प्रबल प्रतीत होता है। वस्तुतः भारत में सहकारी खेती का उद्देश्य बड़े पैमाने पर यांत्रिक खेती करना ही नहीं है, बल्कि असह्य अनार्थिक इकाइयों को मिलाकर किसानों की अर्थ-व्यवस्था को सुधारना है। भारत में सहकारी कृषि को सफल व लोकप्रिय बनाने के लिये सैद्धान्तिक कट्टरता के स्थान पर, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। क्योंकि इसी के द्वारा न केवल भारतीय कृषि को, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय अर्थ-व्यवस्था को उन्नत किया जा सकता है। हमें कृषकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके व्यक्तिगत स्वामित्व एवं स्वतन्त्रता को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। कृषि से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना ही प्रधान लक्ष्य है।

भारत में सहकारी कृषि की प्रगति (Progress of Co-operative Farming in India)—वैसे तो योजनाकाल के पूर्व ही भारत में सहकारी खेती की दिशा में प्रयत्न किये गये थे, किन्तु व्यवस्थित रूप से सहकारी कृषि के प्रचलन के सम्बन्ध में प्रयास पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ही किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना से सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव दिये गए और यह कहा गया कि छोटे-छोटे कृषकों को स्वेच्छा से सहकारी समितियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया जाय। इस योजना में सहकारिता के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 1956 तक देश में 1000 सहकारी कृषि समितियाँ कार्य कर रही थी। इस योजना में पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा बम्बई में सहकारिता का विशेष प्रचलन हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना में उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि समिति की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में 140 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 1960-61 तक 6325 सहकारी कृषि समितियाँ थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में 1100 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान था। सहकारी खेती के विकास के लिए सहकारी सलाहकार मण्डल की स्थापना हुई।

चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाएँ—चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारी कृषि पर तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि के विकास के लिए 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

वर्तमान स्थिति—नवीन आँकड़ों के अनुसार देश में 9,772 संयुक्त सहकारी समितियाँ हैं इनके अधीन कृषि भूमि का लगभग 6.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है तथा इनके सदस्यों की संख्या 2.7 लख है।

सहकारी खेती की धीमी प्रगति के कारण

भारत में सहकारी खेती की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं—

1. राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति—राज्य सरकारों द्वारा सहकारी खेती को उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना आवश्यक था। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश में सन् 1962 तक पथ-प्रदर्शक योजनाओं को शुरू नहीं किया गया था।

2. समन्वय का अभाव—अधिकांश दशाओं में सहकारी कृषि समितियों तथा अन्य समितियों जैसे साख समितियों, सिंचाई समितियों इत्यादि में उचित समन्वय का सर्वथा अभाव रहा है।

3. निकृष्ट भूमि—देश में सहकारी कृषि की अधिकांश प्रगति मध्यस्थों की समाप्ति से प्राप्त भूमि और भूमिहीन किसानों को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में हुई है। ऐसी भूमि का अधिकांश भाग निकृष्ट किस्म का है जिससे समितियों के विकास में कठिनाई रही है।

4. भूमि सुधार कानूनों से बचाव—अनेक सहकारी समितियों का निर्माण एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर भूमि की उच्चतम सीमा के अधिनियमों से बचने के लिए किया गया है। इस प्रकार वे सहकारिता के उद्देश्यों की ओर कोई विशिष्ट ध्यान नहीं देते।

5. सदस्यों की अनुपस्थिति—अधिकांश समितियाँ ऐसी हैं जिनके सदस्य समिति की भूमि पर श्रम नहीं करते जिससे बाहरी श्रमिकों से कार्य कराना पड़ता है। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सहकारी खेती का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाता।

6. अन्य कारण—

(1) ग्रामीण जनता एवं दूसरे लोग इस अभियान की महत्ता को ठीक-ठीक समझ नहीं सके।

(2) निर्मित नियम, अधिनियम एवं वित्तीय व्यवस्थायें समन्वित, व्यवस्थित एवं सुसंगठित नहीं रही। प्रशासनिक व्यक्ति भी पूर्ण सहायक नहीं सिद्ध हो सके।

(3) भूमि के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रेम की नीद से कृषक को इस अभियान के दौरान जगाया नहीं जा सका।

(4) हमारे कृषकों को यह विदेशी चीज प्रतीत होती है और इससे उनकी इस अभियान के प्रति व्यक्तिगत उत्प्रेरणा मारी जाती है।

(5) कृषकों के बीच योग्य कर्मचारियों एवं नेतृत्व का अभाव रहा है।

(6) सहकारी समितियों के लिए योग्य प्रबन्ध का अभाव रहा है। सदस्यों में आपसी झगड़े और व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रधानता रही है।

भारत में सहकारी कृषि को लोकप्रिय और सफल बनाने का सुझाव

भारत में सहकारी कृषि की प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। परन्तु सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि सहकारी कृषि व्यवस्था द्वारा ही भारतीय

कृषि का समुचित विकास हो सकता है। अतः इसे सफल और लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न विद्वानों और कार्यकारी दलों, समितियों एवं विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर सुझाव दिये जाते रहे हैं, जिनका सारांश नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप आजकल गाँव में न्यूनतम सहकारी समितियों में सरकारी अधिकारियों का अधिक हस्तक्षेप है जो कार्य की मंदगति व अनुपयुक्तता के लिए उत्तरदायी है। अतः सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम करना चाहिए।

2. ग्रामीण उद्योगों की स्थापना—सहकारी कृषि समितियों का आर्थिक आकार विस्तृत करने के लिए ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि समिति के सदस्यों को और काम मिल सके। अतः समिति ने इन उद्योगों की स्थापना की सिफारिश की है।

3. ऋण सुविधाएँ—गाडगिल समिति ने सुझाव दिया है कि सहकारी बैंकों द्वारा इन सहकारी कृषि समितियों को अधिक उदार रूप से ऋण देने चाहिए।

4. छोटे तथा मध्यमवर्गीय किसानों को प्राथमिकता—सहकारी समिति की रजिस्ट्री करते समय छोटे तथा मध्यमवर्गीय किसानों की समिति को प्राथमिकता देनी चाहिए।

5. समिति को सहायता सहकारी कृषि समिति को सहायता उसके रूप, कर्म का आकार, सदस्यों के साधन एवं विकास कार्यक्रमों को देखकर दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई कठोर रूप नहीं अपनाना चाहिए।

6. प्रशिक्षण केन्द्र—किसानों को सहकारी खेती के प्रशिक्षण के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए।

7. तकनीकी सहायता—गाडगिल समिति के विचार में तकनीकी सहायता का अभाव भी सहकारी समितियों के विकास में बाधक रहा है अतः उसने सिफारिश की कि इन समितियों की तकनीकी सहायता प्रदान की जाय।

8. निर्बल सहकारी कृषि समितियों का पुनर्गठन—उन सहकारी कृषि समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए जो निर्बल या निष्क्रिय हैं।

9. अन्य सुझाव—(1) गाँव स्तर पर सहकारी कृषि के विकास के कुछ उत्तरदायित्व गाँव पंचायतों पर सौंपा जाना चाहिए।

(ii) भूमि सुधार कार्यक्रमों से मिलने वाली आधिक्य भूमि पर सहकारी कृषि के अन्तर्गत ही कृषि की जानी चाहिए।

(iii) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन करने में सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न इत्यादि खरीदने में सहकारी कृषि समितियों को प्राथमिकता दे सकती है।

(iv) यदि किसी गाँव में अधिकतम कृषक सहकारी कृषि अपनाना चाहते हों तो थोड़े से किसानों के लिए सहकारी कृषि अपनाना अनिवार्य होना चाहिए।

सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि का तुलनात्मक अध्ययन

यद्यपि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि-व्यवस्था में कई समानताएँ हैं, फिर भी

सहकारी कृषि व्यवस्था अनेक दृष्टियों से सामूहिक कृषि व्यवस्था से भिन्न है, जैसे—

(i) आधार—सहकारी कृषि व्यवस्था ऐच्छिकता के आधार पर सगठित की जाती है, जबकि सामूहिक कृषि व्यवस्था में दबाव व अनिवार्यता से काम लिया जाता है।

(ii) सम्बन्ध-विच्छेद—चूँकि सहकारी कृषि व्यवस्था का मूल आधार ऐच्छिक होता है, इसलिए कोई भी सदस्य किसी भी समय समिति से अपना सम्बन्ध कर सकता है। परन्तु सामूहिक कृषि में दबाव का अंश होने के कारण सदस्य को सामान्यतया समिति से सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार प्राप्त नहीं होता।

(iii) स्वामित्व—सहकारी कृषि व्यवस्था में भूमि सदस्य कृषको के व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन रहती है, परन्तु सामूहिक कृषि-व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व का अस्तित्व नहीं रहता।

(iv) खेतों का आकार—सामूहिक कृषि व्यवस्था में सहकारी कृषि-व्यवस्था की अपेक्षा खेतों का आकार बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ अनिवार्यता का अंश रहता है।

(v) सहकारिता की शिक्षा—सहकारी कृषि व्यवस्था में सदस्यों को सहकारिता की शिक्षा दी जाती है और उनको व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर दिया जाता है। परन्तु सामूहिक कृषि-व्यवस्था में इसका प्रायः अभाव पाया जाता है।

(vi) हस्तक्षेप—सहकारी कृषि व्यवस्था में सदस्यों को प्रबन्ध-समिति की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार होता है, किन्तु सामूहिक कृषि-व्यवस्था के अन्तर्गत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं।

(vii) सदस्यों की संख्या—सामूहिक कृषि में सदस्यों की संख्या अधिक होती है जबकि सहकारी कृषि में सदस्यों की संख्या कम होती है।

(viii) भूमि का समाजीकरण—सामूहिक कृषि में भूमि का समाजीकरण कर दिया जाता है जबकि सहकारी कृषि में ऐसा नहीं होता।

(ix) पारिश्रमिक—सामूहिक कृषि में पारिश्रमिक श्रम के आधार पर मजदूरी के रूप में दिया जाता है जबकि सहकारी कृषि में पारिश्रमिक भूमि के अनुपात में दिया जाता है।

भारत के लिए सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि में कौन श्रेष्ठ रहेगा

अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत के लिए सहकारी कृषि ही श्रेष्ठ है और वे इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं—

(अ) भूमि से लगाव—भारतीय किसान किसी भी परिस्थिति में भूमि के स्वामित्व से अलग नहीं होना चाहते क्योंकि अपनी पैतृक भूमि से भारी लगाव है और वे भूमि के स्वामित्व को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषको को सहकारी कृषि के लिए ही तैयार किया जा सकता है।

(ब) प्रोत्साहन—भारतीय किसान आलसी होता है लेकिन जब उसको सहकारी कृषि में मजदूरी मिलती है और भूमि के अनुपात में उत्पादन में हिस्सा मिलता

है तो वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। लेकिन जब उसको सामूहिक खेती में केवल मजदूरी मिलेगी तो वह कार्य करने में आलसी ही रहेगा। फलतः कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी।

(स) सरकारी हस्तक्षेप—सामूहिक खेती में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप रहता है जिसे नौकरशाही, लालफीताशाही, निर्णय में देरी आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(ब) प्रजातन्त्रीय-प्रणाली—भारत में प्रजातन्त्रीय पद्धतियों पर अधिक जोर दिया जाता है इस दृष्टि से सहकारी कृषि ही श्रेष्ठ है।

(इ) राजनैतिक समर्थन—सामूहिक कृषि साम्यवादी सिद्धान्त पर आधारित है परन्तु भारत की वर्तमान सरकार उसमें विश्वास नहीं करती है इसके अतिरिक्त अधिकांश राजनीतिक दल भी इसका समर्थन नहीं देते हैं। हाँ, समाजवाद में अधिकांश दलों का विश्वास है ऐसी स्थिति में सहकारी कृषि ही उत्तम है।

उपर्युक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामूहिक कृषि की तुलना में सहकारी कृषि ही भारत के लिए श्रेष्ठ है लेकिन सहकारी कृषि को भी सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों में सहकारिता की भावना का विकास किया जाय तथा सहकारी विपणन व सहकारी वित्त की उचित व्यवस्था की जाय।

परीक्षा प्रश्न

1. "सहकारी कृषि केवल सामूहिक कृषि की ओर एक अस्थायी मार्ग होगा तथा इससे ग्रामीण जीवन में निश्चय ही सकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।" मीमांसा कीजिए।

अथवा

सहकारी और सामूहिक कृषि में अन्तर बताइए। आपके विचार में इनमें से कृषि-व्यवस्था के लिए कौन उपयुक्त है और उसे आप किस प्रकार अपनायेंगे ?

अथवा

सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि—इन दो पद्धतियों में से आप किसका अपने राज्य में समर्थन करेंगे ? अपने उत्तर के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। क्या सहकारी कृषि एक ओर सामूहिक कृषि और दूसरी ओर व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था की अपेक्षा श्रेष्ठ है ? सकारण उत्तर दीजिए।

अथवा

'व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था' और 'सहकारी कृषि' का दोनों की सापेक्षित उत्पादन क्षमताओं में उपयुक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन कीजिए। दोनों प्रकार की खेती में प्रत्येक में सामुदायिक योजनाओं का क्या योगदान हो सकेगा ?

[संकेत—सहकारी कृषि की परिभाषा दीजिए तथा सामूहिक कृषि से इसका अन्तर बताइए तथा सहकारी कृषि के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।]

2 “भारत में सहकारी खेती सफल नहीं होगी।” इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।

[संकेत—सहकारी कृषि के दोष दीजिए।]

3. ‘भारत में सहकारी खेती को आंशिक सफलता मिली है।’ क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण दीजिए।

[संकेत—सहकारी कृषि के गुण व दोष का वर्णन करते हुए बताइए कि भारत में यह विदेशों की भांति पूर्णरूप से सफल नहीं हो पाई है।]

कृषि में सहकारिता (Co-operation in Agriculture)

सहकारिता की परिभाषा—साधारणतः 'सहकारिता' शब्द का अर्थ होता है 'मिल-जुलकर काम करना'। अर्थशास्त्र में सहकारिता का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जिसका उद्देश्य ईमानदारी से सामान्य आर्थिक हितों को प्राप्त करना है। श्री कल्वर्ट (Calvert) के शब्दों में, "सहकारिता एक ऐसा संगठन है, जिससे व्यक्ति स्वेच्छा से और समान-स्तर पर अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं।" अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार "एक सहकारी समिति आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों का एक संगठन है जिसके अन्तर्गत समान अधिकार व समान उत्तरदायित्व के आधार पर सदस्य लोग स्वेच्छा से कार्य करते हैं।" प्रो० सैलिंगमैन के शब्दों में "सहकारिता का अर्थ उत्पादन और वितरण में प्रतिस्पर्धा का परित्याग तथा सभी प्रकार के मध्यस्थों की आवश्यकता को समाप्त करना है।"

सहकारिता के सिद्धान्त अथवा तत्त्व

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है, जो समानता, आत्म सहायता तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के आधार पर निजी तथा सामुदायिक हित के लिए कार्य करता है।

किसी भी संगठन के सहकारी संगठन होने के लिए निम्न तत्त्वों का होना आवश्यक है—

(1) स्वैच्छिक सङ्घ—सहकारी सस्था की सदस्यता पूर्णरूपेण ऐच्छिक होती है अर्थात् प्रत्येक सदस्य को संस्था की सदस्यता स्वीकार करने और छोड़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

(ii) लोकतंत्रीय—सहकारी समिति का प्रशासन लोकतंत्रीय ढङ्ग से चलता है अर्थात् प्रत्येक सदस्य को एक मत प्रदान करने का अधिकार होता है चाहे उसने कितने ही अंश क्यो न खरीदे हो। 'एक व्यक्ति एक मत' वाला सिद्धान्त ही लागू होता है।

(iii) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता—चूँकि सदस्यों के पास आर्थिक साधनों का अभाव होता है, अतः वे सभी मिलकर और अपने साधनों को एकत्रित

कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अर्थात् एक मन्त्रों लिए और सब एक के लिए मुख्य सिद्धान्त है।

(iv) सामान्य हित—सहकारी सङ्घ सभी सदस्यों के कल्याण में वृद्धि का लक्ष्य लेकर बनाये जाते हैं। उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है।

(v) नैतिक गुणों का विकास—श्री ताल्मकी के शब्दों में, "सहकारिता सदस्यों में स्वामिभक्ति, मित्रता और सहकारिता की भावना का विकास करती है।"

(vi) सहकारिता का उद्देश्य मध्यस्थों का लोप करना और स्पर्धा की इनिश्री करना है।

भारत में सहकारिता आन्दोलन का उद्भव और विकास

भारत में सहकारिता का प्रारम्भ 1904 से ही माना जाता है तथापि इसका वास्तविक इतिहास बहुत पुराना है। 1895 से पूर्व सर विलियम वेडरबर्न व जस्टिस रानाडे ने भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिए सरकार को कृषि बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया था। परन्तु इस सुझाव की उपेक्षा कर दी गई। 1895 में मद्रास सरकार ने श्री फ्रेडरिक निकल्सन को कृषि-साख के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि विकास हेतु 'जनता के बैंक' बनाए जायें। परन्तु मद्रास सरकार ने इस सुझाव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी समय उत्तर प्रदेश में श्री डूपनेक्स तथा पंजाब में एडवर्ड मैकलेगन ग्रामीण ऋण-समितियों की स्थापना कर रहे थे। इधर बंगाल में भी ग्रामीण साख समितियों की स्थापना के विषय में काफी चर्चा थी। इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि भारत के लोग सहकारिता में सर्वथा अपरिचित नहीं थे।

सन् 1901 में द्वितीय अकाल आयोग ने भी कृषि साख समितियों की स्थापना पर बहुत अधिक बल दिया। समिति की रिपोर्ट तथा अन्य सुझावों के परिणामस्वरूप सरकार ने 1904 का सहकारी साख समिति अधिनियम पास किया। इस प्रकार भारत में सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ। बस अधिनियम की कुछ कमियों को दूर करने की दृष्टि में सन् 1912 में 'सहकारी समिति अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम ने साख समितियों के अतिरिक्त गैर-साख समितियों को भी मान्यता प्रदान की।

1912 के बाद सहकारी आन्दोलन को नवीन चेतना प्राप्त हुई और न केवल साख समितियों अपितु गैर-साख समितियों का भी तेजी से विकास प्रारम्भ हो गया। 1912 के अधिनियम के बाद दो वर्षों में ही सहकारी समितियों की संख्या 15,000 तथा सदस्यों की संख्या 9 लाख 95 हजार हो गई (1911-12 में यह संख्या क्रमशः 8,177 एवं 4 लाख थी)। सरकार ने सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर विचार करने के लिए 1915 में मैकलेगन समिति नियुक्त की। समिति के मुख्य सुझाव इस प्रकार थे—(1) अनियमित समितियों को शीघ्र समाप्त किया जाय, (2) ऋण के ठीक समय पर भुगतान

पर बल दिया जाय, (3) सहकारी समितियों का पुनर्गठन हो तथा (4) सहकारी आन्दोलन को एक प्रान्तीय विषय बनाया जाय ।

दुर्भाग्य से इस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा था और इसलिए समिति के महत्त्वपूर्ण सुझावों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् सन् 1919 में मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के फल-स्वरूप सहकारिता का विषय प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया । सन् 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना से सहकारी साख आन्दोलन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय साख समितियों के अतिरिक्त गैर-साख समितियों का भी अच्छा विकास हुआ ।

सन् 1945 में नियुक्त सरैया समिति एवं रिजर्व बैंक ने सरकार को एक-उद्देशीय समितियों के स्थान पर बहुत-उद्देशीय समितियों की स्थापना का परामर्श दिया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार अब सहकारी आन्दोलन का क्षेत्र और विस्तृत हो गया ।

योजनावधि से पूर्व तक भारत में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गई है

भारत में नियोजन पूर्व सहकारिता का विकास

	1906-07	1950-51
सहकारी समितियों की संख्या	843	1,86,000
सदस्य संख्या (प्राथमिक समितियाँ)	90,844	1,37,92,000
कार्यकारी पूँजी	23 लाख रुपये	276 करोड़

स्वतन्त्रता के पूर्व सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करने में हमें यह विद्वित होता है कि सहकारी आन्दोलन में प्रगति के बावजूद भी सहकारी आन्दोलन जन-साधारण को प्रभावित करने में असफल रहा । महाजनो का प्रभुत्व किसी प्रकार कम नहीं था ।

योजनाकाल में सहकारिता की प्रगति

भारत में योजनाबद्ध विकास 1951 से आरम्भ हुआ, और सरकार ने अपनी सभी योजनाओं में सहकारिता को प्राथमिकता दी है और इसे आर्थिक तथा सामाजिक विकास का आधार माना है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए 7 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी । प्रथम योजना के अन्त में (i) सहकारी समितियों की संख्या 1,80,000 से बढ़कर 2,40,000 (ii) सदस्यों की संख्या 138 लाख से बढ़कर 176 लाख तथा (iii) कार्यशील पूँजी 276 करोड़ रुपये से बढ़कर 469 करोड़ रुपये हो गयी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना काल में समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहकारी संस्थाओं के योगदान को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। उस योजना में बृहत् स्तर पर सहकारी कृषि, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी भवन निर्माण तथा औद्योगिक सहकारिता को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था। इस योजना में सहकारिता के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें 1960-61 तक प्राप्त करना था—(अ) सहकारिता समितियों के माध्यम से 225 करोड़ रुपये की कृषि-साख की उपलब्धि, (ब) कृषि साख समितियों की सदस्य-संख्या 150 लाख तथा (स) सहकारि समितियों के माध्यम से अतिरिक्त कृषि उपज के 10% भाग की बिक्री।

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए द्वितीय योजना में प्राथमिक समितियों, विक्रय समितियों, सहकारी भण्डारागारों आदि के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस योजनावधि में सहकारी आन्दोलन पर 34 करोड़ रुपये और रिजर्व बैंक ने 20 करोड़ रुपये व्यय किए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की सहकारिता के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। वास्तव में 82 प्रतिशत गाँव सहकारिता के प्रभाव क्षेत्र में आ गये। इसी अवधि में श्री आर० एन० सिन्धी समिति व प्रो० एम० दान्तवाला समिति भी बनायी गयी। योजना में प्रस्तावित 80 करोड़ रु० की तुलना में 76 करोड़ रु० वास्तव में खर्च हुए। इस योजना के अन्त में समितियों की संख्या वही बनी रही जो द्वितीय योजना के अन्त में थी लेकिन इन समितियों की सदस्यता बढ़कर 585 लाख, अंश पूँजी 663 करोड़ रुपये व कार्यशील पूँजी 4,473 करोड़ रुपये हो गयी।

तीन वार्षिक योजनाओं (Three Annual Plans) के अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन के विकास पर 63.9 करोड़ रुपये व्यय किया गया। 1968-69 तक 48 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया गया था तथा चतुर्थ योजना में सहकारी आन्दोलन के लिए 177.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। इस योजना में सहकारी आन्दोलन के विकास को सुदृढ़ करने के साथ ही समन्वित करने तथा सहकारी कृषि समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा सहकारी साख सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता सहकारी समितियों, सहकारी कृषि समितियों व सहकारी साख समितियों के विकास पर जोर दिया गया। सहकारी आन्दोलन के लिए योजना में 77.28 करोड़ रु० की व्यवस्था थी। इसी योजना काल में सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम का विस्तार किया गया। बैकुण्ठनाथ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान का शीर्ष संस्था के रूप में विकास किया गया। इस योजना के अन्त में समितियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह 3.3 लाख बनी रही लेकिन सदस्यता, अंश पूँजी व कार्यशील पूँजी में कुछ वृद्धि हुई जो क्रमशः 692 लाख, 1226 करोड़ रुपये व 9.648 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास के चार उद्देश्य रखे गये—

(i) सहकारी कृषि समितियों को ऋण, आपूर्ति, विपणन व प्रक्रियन (processing) को सुदृढ़ करना; (ii) उपभोक्ता सहकारी प्रवृत्ति का निर्माण करना, (iii) सहकारी विकास के स्तर में विशेष रूप से कृषि ऋण के क्षेत्र में क्षेत्रीय असन्तुलनों में सुधार करना, व (iv) सहकारी समितियों के पुनर्गठन के प्रयास किए गए हैं। इन उद्देश्यों के लिए इस योजना में 376 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

छठवीं योजना में (i) कृषि-व्यापार, विपणन और प्रक्रियन के लिए एक प्रावै-गिक एवं एकीकृत कार्यक्रम अपनाया जायेगा, (ii) उर्वरकों के सहकारी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा, (iii) उपभोक्ता सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रमुख आधार बनाया जायेगा और 50,000 की आबादी वाले कस्बों एवं नगरों में कम से कम सहकारी विभागीय भण्डार स्थापित किया जायेगा, (iv) प्राथमिक कृषि साख समितियों को कृषक सेवा समितियों या बड़े आकार की बहुउद्देशीय इकाइयों के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा।

भारत में योजना काल में सहकारिता की प्रगति निम्न प्रकार हुई है .

सहकारी समितियों की प्रगति

क्र०	विवरण	वर्ष 1960-61	1970-71	1975-76	1977-78
1	समितियों की संख्या (लाखों में)	3.3	3.2	3 1	3 0
2.	प्राथमिक सदस्यों की संख्या (लाखों में)	342	591	848	931
3	हिस्सा पूंजी (करोड़ रु० में)	222	851	1529	1812
4	कार्य पूंजी (करोड़ रु० में)	1312	6,810	12,432	16,691

भारत में सहकारिता आन्दोलन का ढाँचा


(Structure of Co-operative movement in India)

भारत में सहकारी आन्दोलन को दो भागों में बाँटा गया है—

(1) साख समितियाँ (2) गैर-साख समितियाँ।

साख समितियाँ साख प्रदान करती हैं। साख समिति को भी दो भागों में बाँटा गया है—

सहकारी आन्दोलन



नगरों में सहकारी बैंक और जनता बैंक इसके अन्तर्गत आते हैं।

I. साख समितियाँ (Credit Societies)

कृषि साख समितियों का ढाँचा (Structure of Agricultural Credit Societies)—भारत के सहकारी आन्दोलन में कृषि साख समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर कृषि सहकारी साख संस्थाएँ दो प्रकार की हैं, जैसा कि नीचे चाट में दर्शाया गया है—

कृषि साख समितियाँ

- | | |
|--|--|
| (अ) अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाली सहकारी संस्थाएँ— | (ब) दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाएँ— |
| 1 प्राथमिक कृषि साख समिति (गाँव स्तर पर)
2 जिला सहकारी बैङ्क (जिला स्तर पर)
3 राज्य सहकारी बैङ्क (राज्य स्तर पर) | 1. प्राथमिक भूमि विकास बैङ्क (खण्ड, तहसील, सब डिवीजन व जिला स्तर पर)
2 राज्य भूमि विकास बैङ्क (राज्य स्तर पर) |

उपर्युक्त चाट से स्पष्ट है कि अल्पकालीन व मध्यकालीन साख सुविधाएँ प्रदान करने वाली समितियों का ढाँचा त्रिस्तरीय है जिसमें गाँव स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैङ्क या जिला सहकारी बैङ्क राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैङ्क है। ये सभी संस्थाएँ छोटी व मध्यम अवधि के ऋण देती हैं।

लम्बी अवधि के ऋण देने वाली सहकारी साख संस्थाएँ द्विस्तरीय है। खण्ड तहसील, सब डिवीजन और जिला स्तर पर भूमि विकास बैङ्क तथा राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास अथवा राज्य भूमि विकास बैङ्क है।

(अ) अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाली सहकारी संस्थाएँ—

1. प्राथमिक कृषि साख समिति (गाँव स्तर पर)—

इन्हे कृषि-साख समितियाँ भी कहते हैं। ये समितियाँ गाँवों में पायी जाती हैं। हमारे देश में कृषि साख समितियों की स्थापना किसानों की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए सन् 1904 में 'सहकारी समितियों का संगठन' के अन्तर्गत की गई है।

प्राथमिक कृषि साख समितियों का संगठन—देश में प्राथमिक कृषि-साख समितियों का सविधान एवं संगठन इस प्रकार है :—

(1) **सबस्यता**—कोई भी दस व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो मिलकर सहकारी साख समितियाँ खोल सकते हैं। सदस्यों की संख्या सौ से अधिक नहीं हो सकती।

(2) **पंजीयन**—प्रत्येक सहकारी साख समिति का पंजीयन प्रांतीय सहकारिता विधान के अन्तर्गत करना अनिवार्य है। पंजीयन निःशुल्क होता है।

(3) **कार्यक्षेत्र**—प्रायः एक गाँव में एक समिति होती है। इससे सदस्यों में आपसी सहयोग एवं सम्पर्क रहता है।

(4) **प्रजातन्त्रीय प्रबन्ध**—समिति का प्रबन्ध प्रजातन्त्रीय प्रणाली के आधार पर सदस्यों द्वारा ही होता है जो अवैतनिक होते हैं। प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास सहकारी समिति के कितने ही शेयर्स क्यों न हों। प्रबन्ध के लिए दो समितियाँ हैं—

(अ) **साधारण सभा**—इसमें समिति के सभी सदस्य होते हैं। इस सभा के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—प्रबन्ध समिति को चुनना, सेक्रेटरी की नियुक्ति करना, बजट पास करना, रजिस्ट्रार और आय-व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना, ऋण सम्बन्धी नियम बनाना, समिति के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करना आदि।

(ब) **प्रबन्ध सभा**—इसमें समिति के सदस्यों द्वारा चुने हुए 5 से लेकर 9 तक सदस्य होते हैं। यह सभा दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करती है।

(5) **पूँजी प्राप्ति के साधन**—ये समितियाँ निम्नलिखित दो साधनों से पूँजी एकत्रित करती हैं—

(क) **आंतरिक साधनों से**—इनमें अंश पूँजी, नए सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क, सदस्यों के निक्षेप तथा सुरक्षित कोष सम्मिलित होते हैं।

(ख) **बाह्य साधनों से**—इनमें सहकारी ऋणों, गैर-सदस्यों के निक्षेपों तथा केन्द्रीय और सहकारी बैंकों के प्राप्त ऋणों को सम्मिलित किया जाता है।

(6) **दायित्व**—इन समितियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ऋण के लिए उत्तरदायी होता है।

(7) **केवल सदस्यों को ऋण**—ये समितियाँ केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती हैं। ये ऋण मुख्यतः तीन प्रकार के कार्यों के लिए दिए जाते हैं—

(अ) **उत्पादन कार्यों के लिए** (ब) पुराने ऋणों को चुकाने के लिए, (स) अन्य कार्यों के लिए जैसे विवाह आदि के लिए। ऋण अधिकतर उत्पादन कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ऋण देते समय कम-से-कम दो सदस्यों की जमानत भी ली जाती है। कुछ राज्यों में ऋण लेने वाले सदस्यों को अपनी भूमि जमानत के रूप में रखनी पड़ती है।

सहकारी समितियाँ मुख्यतः अल्पकालीन (एक वर्ष तक) ऋण देती हैं परन्तु विशेष परिस्थितियों में उसकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। सभी प्रकार के ऋणों को किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है।

ऋणों पर ब्याज की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग (5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक) है।

(8) हिसाब-किताब की जाँच—सभी समितियों को एक निश्चित रूप में लेखों को रखना पड़ता है और इन लेखों का अकेक्षण (Auditing) सहकारी विभाग के आडिटर द्वारा किया जाता है।

(9) लाभ का वितरण—प्रारम्भिक साख समितियाँ अपने लाभ का एक अंश अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष सुरक्षित कोष (Reserve Fund) में डालती हैं और शेष लाभांश के रूप में अंशधारियों को बाँट देती हैं। समितियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा किसी भी राज्य में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है जो इस बात को स्पष्ट करती है कि सहकारी समितियों को लाभांजन का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है।

(10) पंचायत—समिति व उसके सदस्यों के मध्य झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था से मुकदमेबाजी कम हो जाती है और समय, शक्ति तथा व्यय बच जाते हैं।

(11) रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन—प्रत्येक समिति 'सहकारी समिति अधिनियम' के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होती है, इसलिए प्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रार ऐसी समितियों को बन्द कर सकता है, जो अकुशल हैं, जिनका प्रबन्धक ईमानदार नहीं है अथवा जिन्हें घाटा होता रहता है।

प्रगति एवं वर्तमान स्थिति—प्राथमिक साख समितियों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है—

क्र०	विवरण	1950-51	1960-61	1970-71	1978-79
1	समितियों की संख्या (हजार में)	105	212	161	102
2	सदस्य संख्या (लाखों में)	44	170	310	516
3.	दिये गये ऋण (करोड़ रु० में)	23	202	578	1395
4.	बकाया ऋण (करोड़ रु० में)	6	44	322	895

2. केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक (जिला स्तर पर)

केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रत्येक जिले में होता है अतः इसे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। जिला सहकारी बैंक की स्थापना 1952 के सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। सामान्यतः प्रत्येक जिले के लिए एक सहकारी बैंक होता है किन्तु कुछ राज्यों में अनेक जिलों के लिए एक ही सहकारी बैंक है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की विशेषताएँ

इन बैंकों की अग्रलिखित विशेषताएँ हैं :—

(1) कार्यक्षेत्र—अलग-अलग प्रान्तों में इन बैंकों के कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। जिस जिले, तहसील में यह बैंक होता है उसका कार्यक्षेत्र वही जिला होता है।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंशधारी बैंक की साधारण सभा के सदस्य होते हैं। हर एक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। साधारण सभा अपने कुछ सदस्यों को संचालक मण्डल के लिए मनोनीत करती है। यही मण्डल बैंक के दैनिक कार्यों का संचालन करता है।

(3) सहकारी बैंक के पदाधिकारी सहकारी बैंकों का चेयरमैन उत्तर प्रदेश में प्रायः जिलाधिकारी होता है किन्तु दूसरे प्रान्तों में चेयरमैन सरकारी कर्मचारी नहीं होता। साधारण सभा का एक अवैतनिक मंत्री होता है। अन्य पदाधिकारियों में एक संचालक तथा एक प्रबन्धक होता है। ये पदाधिकारी वैज्ञानिक होते हैं तथा बैंकों के दैनिक कार्यों का संचालन करते हैं।

(4) पूंजी—इन बैंकों के पूंजी के निम्नलिखित स्रोत हैं :—

(क) जमा राशियाँ—ये बैंक अपनी पूंजी का अधिकांश भाग अपने सदस्य बैंकों एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं। यह पूंजी अल्पकालीन और दीर्घकालीन, दोनों समयावधियों के लिये प्राप्त की जाती है।

(ख) अंश पूंजी—यह पूंजी सदस्य बैंकों से उनके ऋण की मात्रा के अनुसार हिस्सा खरीदने में प्राप्त होती है।

(ग) सुरक्षित कोष—प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक का कानून के अंतर्गत एक सुरक्षित कोष रखना पड़ता है जो वार्षिक लाभ का 25% होता है।

(घ) ऋण लेकर—यह राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों से आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले सकता है।

(5) ऋण नीति—केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रारम्भिक बैंकों से 7% ब्याज लेते हैं तथा उनकी जमाओं पर 5% ब्याज देते हैं। परन्तु यह ब्याज की दरें अलग अलग प्रान्त में अलग-अलग हैं।

(6) लाभ का वितरण—वार्षिक लाभ का 25% सुरक्षित कोष में जमा करने के पश्चात् शेष का 6 से 10% भाग सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। शेष धनराशि अन्य खातों में जमा कर दी जाती है।

(7) निरीक्षण व अंकेक्षण—केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिसाब-किताब का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा होता है। आय-व्यय की जाँच लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति रजिस्ट्रार करता है।

सहकारी बैंक के कार्य

सहकारी बैंकों के निम्नलिखित कार्य हैं :—

- (1) ये बैंक प्राथमिक समितियों के कार्यों की देखभाल करते हैं।
- (2) सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करते हैं।

- (3) कुछ बैंक बाहरी व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान करते हैं।
- (4) कुछ समय पूर्व ये बैंक भूमि क्रय करने को ऋण दिया करते थे।
- (5) रजिस्ट्रार की अनुमति से ये बैंक दूसरे बैंको को ऋण देते हैं।

प्रगति एवं वर्तमान स्थिति—केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंको की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है—

क्र०	विवरण	1950-51	1960-61	1970-71	1978-79
1.	बैंको की संख्या	505	390	341	338
2	अंश पूंजी (करोड़ रु० में)	4	39	141	—
3	दिये गये ऋण (करोड़ रु० में)	83	350	894	2407

(3) राज्य सहकारी बैंक (राज्य स्तर पर) (State Co-operative Banks)

प्रत्येक प्रान्त में, एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई है जो जिला-सहकारी बैंको की देख-रेख एवं उन्हें नियंत्रित करने हैं। सन् 1925 में मैकलेगन समिति ने इन बैंको की स्थापना की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1945 में इस प्रकार की स्थापना की गई।

(1) संगठन—केन्द्रीय सहकारी बैंकों की भांति ही इन बैंको का संगठन होता है। इन बैंको का प्रबन्ध सामान्यतया संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। संचालक मण्डल का पदाधिकारी रजिस्ट्रार होता है। वह कुछ संचालको की नियुक्ति करता है।

(2) राज्य सहकारी बैंको की पूंजी—इन बैंको की पूंजी (i) अंश बेचकर, (ii) जनता से जमा प्राप्त करके, (iii) रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों या सरकार से ऋण लेकर प्राप्त होती है।

(3) कार्य क्षेत्र—इन बैंको का कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होता है। इनके सदस्य (i) सहकारी साख समितियाँ, (ii) केन्द्रीय सहकारी बैंक और (iii) अन्य बाहरी व्यक्ति होते हैं।

(4) राज्य सहकारी बैंकों के कार्य—इनके निम्नलिखित कार्य हैं:—

- (i) केन्द्रीय बैंक सहकारी बैंको को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
- (ii) यह बैंक सहकारी बैंको, सहकारी साख समितियों पर नियन्त्रण रखते हैं।
- (iii) यह बैंक राज्य के मुद्रा बाजार तथा सहकारिता आन्दोलन में समन्वय स्थापित करता है।

(iv) सभी प्रकार के जमा सदस्य बैंको, व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्राप्त करते हैं।

(v) व्यापारिक बैंकों के अन्य कार्य—जैसे चेको का भुगतान, रुपये की वसूली, धन का स्थानान्तरण आदि कार्य भी यह बैंक करता है।

प्रगति एवं वर्तमान स्थिति—राज्य सहकारी बैंको की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है—

क्र० विवरण	1950-51	1960-61	1970-71	1978-79
1. बैंको की संख्या	15	21	25	26
2. निक्षेप (करोड़ रु० में)	22	72	279	1206
3. ऋण (करोड़ रु० में)	42	258	749	2237

(ब) दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाएँ—

1 प्राथमिक भूमि विकास बैंक (खण्ड, तहसील, सब-डिवीजन, व जिला स्तर पर)— प्राथमिक भूमि बन्धक या विकास बैंको का कार्यक्षेत्र एक जिला या तहसील होता है। सामान्यतया ये बैंक लिखित कार्यों के लिये ऋण प्रदान करते हैं। (i) ये बैंक पुराने ऋणों को चुकाने के लिये दीर्घकालीन साख प्रदान करते हैं। (ii) ये कृषको को भूमि पर स्थायी सुधार करने, भूमि खरीदने व मशीनें खरीदने के लिये दीर्घकालीन साख प्रदान करते हैं (iii) ये कृषि भूमि पर मकान बनाने व जोतो की चकबन्दी कराने के लिये भी ऋण प्रदान करते हैं।

कार्यशील पूंजी—प्राथमिक भूमि विकास बैंक कृषको को ऋण प्रदान करने के लिए अधिकांश पूंजी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बैंक अपने अंशो तथा ऋण पत्रों को बेचकर भी पूंजी प्राप्त करते हैं।

2. राज्य भूमि विकास बैंक (राज्य स्तर पर)—ये बैंक सामान्यतया प्रत्यक्ष रूप से किसानों को ऋण नहीं देते, बल्कि प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों को वित्तीय सहायता देते हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं तथा उनके ऋण-पत्रों को बेचने में सहायता करते हैं। स्पष्ट है कि केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक की वित्तीय सहायता करते हैं और प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक किसानों को भूमि की जमानत पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।

भारत के सभी राज्यों में एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक की स्थापना की गई है और सभी महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में एक-एक प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक निर्मित किया गया है।

कार्य—राज्य भूमि विकास अथवा केन्द्रीय भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य अपने राज्य के प्राथमिक बैंकों के कार्य में ताल मेल करना है। इसके यह प्राथमिक बैंकों को अपने कोष में से पूंजी प्रदान करता है तथा उनका उपयुक्त निर्देशन करता है।

पूंजी—राज्य भूमि विकास बैंक प्रमुख रूप से ऋण-पत्रों और अंशों को बेचकर अपनी पूंजी एकत्र करता है। सामान्यतया प्राथमिक भूमि विकास बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाएँ इनके अंशों का क्रय करती हैं और मीबन बीमा निगम, रिजर्व बैंक

तथा स्टेट बैंक इसके ऋण-पत्रों को खरीदते हैं। राज्य सरकारें स्वयं भी इनके ऋण-पत्र व अंशों को क्रय कर इनकी वित्तीय सहायता करती हैं। कृषि पुनर्वित्त निगम भी राज्य भूमि विकास बैंको को पर्याप्त मात्रा में दीर्घकालीन साख प्रदान करती हैं।

प्रगति एवं वर्तमान स्थिति—राज्य भूमि विकास बैंक बैंकों की संख्या 1950-51 में 5 थी वह 1979-80 में बढ़कर 19 हो गई। 1979-80 में राज्य विकास बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों की मात्रा 300 करोड़ रुपये थी और बकाया ऋणों की राशि 1400 करोड़ रुपये थी।

(ब) गैर-कृषि या नगर सहकारी समितियाँ

इस प्रकार की सहकारी समितियाँ साधारणतया कस्बों एवं नगरों में पायी जाती हैं। इन समितियों की संख्या अभी हमारे देश में कम है क्योंकि देश के आर्थिक जीवन में अभी भी कृषि की ही प्रधानता है। इसका वर्तमान कलेवर इस प्रकार है—

(1) संगठन—इन समितियों का संगठन सम्मिलित दायित्वों के आधार पर होता है। कोई भी 10 सदस्य मिलकर इस प्रकार की समिति की स्थापना कर सकते हैं, परन्तु कुल सदस्य संख्या 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) पूंजी—ये समितियाँ अपनी पूंजी का अधिकांश भाग अंश बेचकर प्राप्त करती हैं। प्रत्येक अंशधारी को एक वोट देने का अधिकार होता है।

(3) ऋण नीति—ये समितियाँ साधारणतया उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देती हैं। ऋण सामान्यतया दो वर्षों के लिए अथवा विशेष परिस्थितियों में 3 या 5 वर्षों के लिए दिये जाते हैं। ऋण व्यक्तिगत जमानत तथा सोना-चाँदी की जमानत पर दिये जाते हैं।

(4) प्रबन्ध—समिति के प्रबन्धन के लिए एक साधारण सभा, प्रबन्ध सभा व वैतनिक कर्मचारी होते हैं।

(5) लाभ वितरण—समिति सभा का कम से कम 25% संचित कोष में रखा जाता है। शेष लाभ में कुछ भाग सदस्यों के सामान्य हितों पर व्यय करके बाकी समस्त लाभ सदस्यों में बाँट दिया जाता है।

(6) रजिस्ट्रार का नियंत्रण—रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अकेक्षक इनके हिसाब-किताब की जाँच प्रतिवर्ष करता है।

II गैर-साख समितियाँ (Non-Credit Societies)

इसके पूर्व ही हम अध्ययन कर चुके हैं कि भारत में गैर-साख समितियों का संगठन दो प्रकार का है—

(1) कृषि गैर-साख समितियाँ।

(2) गैर-कृषि गैर-साख समितियाँ।

(1) कृषि और साख समितियाँ—कृषि गैर-साख समितियों का कार्य किसानों

की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है। ये समितियाँ मध्यस्थों को समाप्त करके अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाती हैं। कृषि गैर-साख समितियों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(अ) सहकारी कृषि विपणन समितियाँ—भारत में कृषि-उपज विपणन के बीच अनेक मध्यस्थ पाए जाते हैं जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त होता। अतः इन दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न स्तर पर सहकारी विपणन समितियों का गठन किया गया है।

(ब) कृषि उपज के सहकारी विपणन का ढाँचा—देश में राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सघ (National Agricultural Co operative Federation) है। इस समय इनकी संख्या 20 है। मण्डियों के स्तर पर प्राथमिक विपणन समितियाँ हैं। जून 1975 में इनकी संख्या 2,800 थी। इस सम्बन्ध में एक पृथक् अध्याय 'कृषि-उपज का विपणन' में विस्तृत अध्ययन किया गया है।

(2) सहकारी कृषि उत्पादन समितियाँ—कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने वाली सहकारी समितियाँ बड़ी और छोटी दोनों रूपों में स्थापित की गई हैं। उदाहरणार्थ—सहकारिता के आधार पर चीनी मिल व कताई की स्थापना। ये बड़े आकार की समितियाँ हैं। दूसरी श्रेणी में मध्यम व छोटे आकार की समितियाँ आती हैं। इसके अन्तर्गत चावल मिल, जूट मिल, तेल मिल तैयार करने वाली समितियाँ स्थापित की गई हैं।

(3) सहकारी उन्नत-कृषि समिति—ऐसी समितियों को कृषि के तरीके में सुधार करने के लिए गठित किया जाता है। कृषि औजारों का निर्माण और वितरण, कृषि सेवा केन्द्रों की सहकारिता के आधार पर स्थापना की गई है। ये समितियाँ उत्तम खाद, उत्तम बीज, अच्छे औजारों की व्यवस्था करती हैं।

(4) सहकारी कृषि समितियाँ—भारत में जोत का आकार बहुत ही छोटा होने के कारण वैज्ञानिक ढङ्ग से कृषि करना असम्भव होता है। अतः जोत के आकार में सुधार करने के लिए तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि समितियों की स्थापना की गई है। ये समितियाँ जोत से आकार को बढ़ा करने के लिए चकबंदी जैसी नीतियाँ अपनाती हैं।

(5) सहकारी सिंचाई समितियाँ -ये समितियाँ अपने सदस्यों को सिंचाई की व्यवस्था करती हैं। ये समितियाँ सिंचाई के साधनों का विकास करती हैं।

गैर-साख गैर-कृषि सहकारी समितियाँ

1. सहकारी आवास समितियाँ—आज के युग में बड़े-बड़े शहरों में आवास की समस्या दिनो-दिन जटिल होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए 'सहकारी आवास समितियों' की स्थापना की गई है। वे समितियाँ नागरिकों व श्रमिकों के लिए सस्ते दामों पर भवन निर्माण का कार्य करती हैं, सड़क नालियों की व्यवस्था

कराती है। इन समितियों को सरकार से भी अनेक प्रकार की सहायता मिलती है जैसे कम ब्याज दर पर ऋण, भवन निर्माण सामग्री की सुगम उपलब्धि आदि।

2. उपभोक्ता सहकारी समिति—आवश्यक वस्तुओं के उचित और न्यायपूर्ण वितरण के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों एवं जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराती हैं। इन समितियों का देश भर में एक जाल सा बिछा है।

30 जून, 1978 को 493 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार (3480 शाखाएँ), 16,152 सहकारी समितियाँ, 14 राज्यस्तरीय उपभोक्ता सघ व एक राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ का कार्य करते थे। इस प्रकार कुल 23,000 सहकारी फुटकर संस्थान उन दिन भारत में कार्य कर रहे थे। इन सहकारी समितियों व संघों ने 1977-78 में 650 करोड़ के मूल्य की बिक्री की जबकि 1960-61 में इन्होंने केवल 60 करोड़ के मूल्य की बिक्री की थी।

3. श्रम ठेका और निर्माण सहकारी समितियाँ—ये समितियाँ देश में अपने सदस्यों को उचित मजदूरी और रोजगार दिलाने का कार्य करती हैं। ये समितियाँ ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण से भी बचाती हैं। इन समितियों के सदस्य श्रमिक होते हैं।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ

सहकारी साख समितियों की स्थापना किसी एक उद्देश्य को लेकर ही की जाती थी। यद्यपि विभिन्न प्रकार की समितियाँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए संगठित की गई थीं किन्तु एक विशिष्ट समिति केवल विशेष उद्देश्यों की पूर्ति ही कर पाती थी। जैसे गृह निर्माण समिति केवल अपने सदस्यों की गृहसमस्या को ही हल करती है। विगत वर्षों में सहकारी समितियों में कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है। अब सहकारी समितियों को सम्पूर्ण आर्थिक जीवन के प्रबन्ध का भार सौंपा गया है। गाँव की सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र केवल साख तक ही सीमित न रहकर किसानों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये। जैसे बीज, खाद, सिंचाई, चकबन्दी, पशुपालन आदि का भी सहकारी समितियों को करना चाहिए।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की परिभाषा

ऐसी सहकारी समितियाँ जिनके द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ कहलाती हैं। स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू ने इसकी निम्नलिखित परिभाषा दी है :—

“बहुउद्देशीय शब्द का अर्थ उन कार्यों से लेना चाहिए जिनमें समिति के सभी सदस्य रुचि ले सकते हैं।” अतः बहुउद्देशीय सहकारी समिति एक ऐसी सहकारी समिति होती है जिसके द्वारा अनेक कार्य संचालित होते हैं।

बहुउद्देशीय सहकारी समिति के कार्य—सहकारी समितियों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

(1) कृषि सम्बन्धी कार्य—बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ कृषि से सम्बन्धित अनेक कार्य करती हैं। जैसे (i) मशीनों द्वारा भूमि की सफाई करती हैं, (ii) उन्नत बीज की व्यवस्था करती हैं, (iii) ये समितियाँ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करती हैं (iv) अच्छे कृषि यन्त्रों की भी व्यवस्था करती हैं।

(2) कृषि उपज का विपणन—ये समितियाँ कृषि उपज के विपणन का कार्य भी करती हैं। कृषि उपज की बिक्री करके अपने सदस्यों को अच्छी कीमतें तय करती हैं।

(3) कुटीर उद्योगों का विकास—बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की आय को बढ़ाने के लिए तथा रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक कुटीर एवं ग्राम उद्योगों को विकसित करती हैं।

(4) बचत की प्रोत्साहन—ये समितियाँ अपने सदस्यों में बचत की भावना को जागृत करती हैं।

(5) चकबन्दी आदि भूमि सुधार के कार्य—सहकारी समितियाँ चकबन्दी आदि भूमि सुधार कार्य करती हैं।

(6) सस्ती दर पर ऋण—बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के द्वारा सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान किये जाते हैं। ये समितियाँ कृषकों को दो प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करती हैं—

(i) चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए—इसमें मजदूरी का भुगतान खाद व बीज को खरीदने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(ii) पुराने ऋणों के भुगतान के लिए—समितियाँ पुराने ऋणों के भुगतान के लिए भी ऋण प्रदान करती हैं।

(7) समाज कल्याण के कार्य—बहुउद्देशीय समिति ग्रामीण शिक्षा की समस्या को हल कर सकती हैं। इसके साथ ही मनोरंजन और बाल कल्याण के कार्य करती हैं। इसी प्रकार सहकारी समितियाँ स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं को भी उपलब्ध कराती हैं।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों से लाभ

(i) ग्रामीण विकास—बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी प्रकार के कार्यों में भाग लेती हैं। ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विकास करती हैं। इस प्रकार ये समितियाँ ग्रामीण-जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में काफी मदद देती हैं।

(ii) महाजनों से मुक्ति—बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ कृषकों को सस्ते व्याज की दर पर ऋण प्रदान कर, साहूकारों के पंजों से निकालने का प्रयत्न करती हैं।

(iii) कृषि उत्पादन में वृद्धि—बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ उत्तम प्रकार के बीज, खाद, कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराकर कृषि-उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हैं।

(iv) ऊँचा जीवन-स्तर—ये समितियाँ ग्रामीण जन-जीवन के स्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओ के विकास द्वारा ऊपर उठाती है।]

(v) कुटीर उद्योगों का विकास—सहकारी समितियाँ कुटीर उद्योगो का संचालन स्वय ही कर सकती है अथवा सदस्यो को कच्चे माल की पूर्ति, साख, तैयार माल का वितरण आदि सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें कुटीर उद्योगो की ओर प्रेरित करती है।

(vi) आपसी प्रेम एवं सहयोग में वृद्धि—सहकारी समितियो से आपसी प्रेम और सहयोग मे वृद्धि होती है।

(vii) प्रबन्ध की सुविधा—एक उद्देशीय सहकारी समितियो के प्रबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न कर्मचारियो की आवश्यकता पडती है किन्तु बहुउद्देशीय सहकारी समिति मे विभिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एक ही प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्त की जाती है। इस प्रकार प्रबन्ध मे सरलता और मितव्ययिता होती है।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के दोष

(1) कार्य प्रणाली की जटिलता—बहुउद्देशीय समितियाँ विभिन्न कार्यों को करती है, इनका कार्यक्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत होता है। इसलिये इन समितियो की कार्य-प्रणाली सामान्य आदमी नही समझ सकता।

(2) प्रबन्ध की जटिलता—इन समितियो का कार्य-क्षेत्र अत्यन्त ही व्यापक हो जाता है इसलिए प्रबन्ध करने मे कठिनाई होती है।

(3) किसी कार्य की सफलता, असफलता के ज्ञान का न होना—समिति के बहुत से कार्य होते है, इसलिये उनकी सफलता, असफलता का ज्ञान ठीक तरह से नही हो पाता।

(4) सहकारिता के वास्तविक उद्देश्य की समाप्ति—सहकारी समितियो का कार्य-क्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत होता है जिसके कारण समिति के सदस्यो मे पारस्परिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार बहुउद्देशीय समितियो की स्थापना से सहकारिता के उद्देश्य समाप्त हो जाते है।

सहकारिता आन्दोलन के लाभ

सहकारिता आन्दोलन के लाभो का हम निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते है।—

(1) आर्थिक लाभ

(1) कम ब्याज पर रुपया मिलना—सेठ, साहूकारो से रुपया बहुत अधिक ब्याज पर मिलता है किन्तु सहकारी समिति के सदस्यो को कम ब्याज पर रुपया मिल जाता है।

(2) खेती के उन्नत तरीको का प्रयोग—सहकारी समितियो ने खेती मे उन्नत

तरीको—जैसे उन्नत बीजो व खादा आदि का प्रयोग करना सिखाया है। सहकारिता से मध्यस्थ और दलालो का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अतः सहकारी सदस्यों को बिक्री के क्षेत्र में अधिक लाभ हुआ।

(3) सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सहायता—उपभोक्ता समितियाँ, आवास समितियाँ आदि गैर-साख सहकारी समितियाँ सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध हुई हैं।

(4) उत्पादक कार्यों के लिए साख पर जोर—उत्पादन ऋण का भुगतान, अनुत्पादक ऋणों की अपेक्षा सरल होता है। ग्रामीण साहूकार सभी उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं किन्तु साख समितियाँ अधिकतर उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती हैं।

(5) बचत विनियोग में लाभ—सहकारी समितियों ने ग्रामीण अपव्ययिता एवं सामाजिक उत्सवों पर धन्य को दूर करने में सहायता दी है। अब ग्रामीण अपने धन को जमीन में न गाड़ कर उसे बैंक या डाकखानो में जमा करते हैं। इस प्रकार बचत विनियोग को प्रोत्साहन मिला है।

(6) भूमि बन्धक बैंक द्वारा आर्थिक सहायता—सहकारिता आन्दोलन ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में भूमि बन्धक बैंको द्वारा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की आर्थिक सहायता की है।

(7) अच्छी भण्डार सुविधाएँ - सहकारी समितियों ने अच्छे भण्डार की सुविधाएँ प्रदान कर सहायता की है।

(8) श्रम का उचित पुरस्कार—सहकारी समितियाँ कृषकों और मजदूरों को उनके श्रम का उचित पुरस्कार दिलाने में सहायता करती हैं।

(9) श्रमिकों या कृषकों की कार्यकुशलता में वृद्धि - सहकारी साख समितियाँ अपने सदस्यों की आवास की व्यवस्था करती हैं, तथा उन्हें प्रशिक्षित करती हैं, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

(2) सामाजिक लाभ

(1) ग्राम जीवन की उन्नति में सहायक—सहकारी समितियों ने ग्रामीण जन-जीवन की विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करके उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। सहकारी समितियाँ ग्रामों में शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर फिजूलखर्चों को रोकने में सहायक सिद्ध हुई हैं।

(2) मितव्ययिता और आत्मनिर्भरता का विकास—सहकारी साख समितियाँ अपने सदस्यों में मितव्ययिता तथा आत्मनिर्भरता की प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। सहकारी समितियों के प्रयास से किसानों ने जन्म, मृत्यु तथा विवाह आदि सामाजिक अवसरों पर होने वाले अपव्ययों पर रोक लगा दी है।

(3) नैतिक लाभ

सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का होना

अनिवार्य है। चरित्रहीन, जुआरी, शराबी व्यक्ति को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार सदस्यों का नैतिक स्तर ऊँचा करने में समितियों का योगदान प्राप्त होता है। सर माल्कोम डार्लिंग के शब्दों में “एक अच्छी सहकारी समिति में मुकदमेबाजी और फिजूलखर्ची, शराबखोरी, और जुआबाजी, सब कम हो जाती है और उनके स्थान पर परिश्रम, स्वावलम्बन, ईमानदारी, शिक्षा, बचत, स्व-सहायता और परस्पर सहायता पायी जाती है।” ‘सब एक के लिए और सब के लिए’ इस भावना से काम होता है।

(4) राजनैतिक लाभ

सहकारी समितियों ने ग्रामीण जनता को उचित प्रकार से अपने मत का प्रयोग करना भी सिखाया है। सहकारी समितियाँ मानव समाज के कल्याण के लिये समानता एवं स्वतन्त्रता की भावनाओं का विकास कर जनतन्त्रात्मक प्रणाली को सफल बनाती हैं। इस प्रकार राजनैतिक जागरूकता में भी सहकारी समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

(5) शैक्षणिक लाभ

एक उपयुक्त सहकारी समिति के द्वारा शैक्षणिक विकास भी किया जा रहा है। समितियों की बैठक में भाग लेने, उसकी कार्यवाहियों और हिसाब-किताब समझने से अक्षर ज्ञान एवं मानसिक और बौद्धिक विकास होते हैं। सहकारी समितियों के लोकतन्त्र की प्रणाली पर चलने के कारण लोकतन्त्र की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है।

उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी सहकारी आन्दोलन की प्रगति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती।

सहकारी आन्दोलन की कमियाँ और मन्द विकास के कारण

1. सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप—भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रारंभ एवं संगठन सरकारी अफसरों द्वारा किया गया है, इसलिए अधिकांश जनता ‘अपनी नहीं’ वरन् सरकारी सस्थाएँ समझती है। परिणामस्वरूप जनता में सहकारी आन्दोलन के प्रति उत्साह बहुत कम है।

2. सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता—समितियों के अधिकांश सदस्य सहकारिता के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि इनमें आपस में झगड़े चलते रहते हैं।

3. अपर्याप्त विकास—देश की विशालता को देखते हुए सहकारी बैंकों की संख्या बहुत कम है, इसलिए अभी तक इस आन्दोलन में ग्रामीणों की ऋण समस्या का आंशिक उपचार किया है

4. प्रबन्ध कुशलता—भारत में सुयोग्य मंत्रालयों और प्रबन्धकों का अभाव होने से सहकारी संस्था का प्रबन्ध कुशलतापूर्वक नहीं होता ।

5. ब्याज की ऊँची दर—भारत में सहकारी साख समितियों द्वारा दिये गये ऋणों पर प्रायः 8 से 15 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है ।

6. हिसाब-किताब रखने का बोधपूर्ण ढग—समितियों के हिसाब-किताब अनियमित ढग से रखे जाते हैं जिससे उनका ठीक अकेक्षण व निरीक्षण नहीं हो पाता । इससे बैंक के धन का दुरुपयोग होता है और बहुत ऋण डूब जाते हैं ।

7. लम्बी अवधि के लिए ऋण देते हैं—सहकारी बैंक दीर्घकाल के लिए भी ऋण देते हैं, जबकि उसका उद्देश्य केवल अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण देना है और इस प्रकार उन्हें इन दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ।

8. ऋण की स्वीकृति एवं वसूली—सहकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीकृत करने में प्रायः तीन-चार महीने लग जाते हैं क्योंकि ऋण देने से पूर्व समितियों को भी बहुत-सी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है । ऋण देने से उपरांत बहुत-सी समितियाँ ऋण की वसूली में अत्यधिक कड़ाई करती हैं जिसके फलस्वरूप ऋणियों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है ।

9. अल्प सहायता—सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषक वर्ग के लिए सस्ते ऋण सुलभ कर उसे शोषण से बचाना था । उसे निर्धन पीड़ित जनता के लिये आशा की एकमात्र किरण माना गया था, परन्तु सहकारी साख की सबसे महत्त्वपूर्ण कमी यह है कि वह आवश्यकता के एक अल्प भाग की पूर्ति करता है ।

10. नित्यव्ययिता का अभाव—सहकारी आन्दोलन के सदस्यों में बचत की आदत नहीं होती फलतः सहकारिता का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता ।

11. बाह्य दिक्कावा—केवल दिक्कावे के लिये समितियों के बहुत से कार्य होते हैं । सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये कई बार केवल घर के सदस्य ही समिति बनाने का बहाना कर लेते हैं और इस प्रकार की समिति कागजों में ही रहती है ।

12. झण्टाचार—समितियों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होता । झण्ट और अयोग्य लोगों के हाथ में होने के कारण ऋण देने में पक्षपात, बेईमानी, ऋण के भुगतान में अनियमितता व झण्टाचार चलता है ।

13. नैतिकता की ओर कम ध्यान—सहकारिता में नैतिकता की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है ।

14. अत्यधिक संचालन व्यय—समितियों का संचालन व्यय अधिक होने के कारण ये टिक नहीं पातीं और न ही व्यापारियों के मुकाबले में टिकती हैं ।

15. गैर-साख समितियों की अवहेलना—गैर-साख समितियों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । वास्तव में गैर-साख समितियों का भी साख समितियों के समान ही महत्त्व है ।

सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सुझाव

1. सहकारी सिद्धान्तों की शिक्षा व प्रचार—सहकारी विभाग के कर्मचारियों को सहकारिता की शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि वे कर्मचारी सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्त समझा सकें।

2. सरकारी नियन्त्रण में कमी—सरकारी नियन्त्रण को कम कर देना चाहिये जिससे सदस्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा सके। इससे सदस्यों का विश्वास सस्था के प्रति बढ़ेगा।

3. ऋणों की अवधि—सरकारी बैंकों को अल्पकालीन या अधिक से अधिक मध्यकालीन (3 वर्ष) ऋण ही देने चाहिये।

4. सावधानी—ऋण देने में अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये और ऋणों की स्वीकृति में कम-से-कम समय लगाना चाहिए।

5. ऋणों का भुगतान—जब तक पुराने ऋणों का भुगतान न हो जाये, और ऋण नहीं दिया जाना चाहिये।

6. ब्याज की दर—समितियों को ब्याज की दर में कमी करनी चाहिये। इसके लिये प्राथमिक समितियों को शहरों तथा गाँवों से धन प्राप्त करना चाहिये। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी इन बैंकों को कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए।

7. बहुउद्देशीय समितियाँ—प्राथमिक समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में बदल देना चाहिये अर्थात् प्रत्येक प्रारम्भिक समिति को साख की सुविधा देने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी जैसे कृषि औजार देना, फसलों का सहकारी विक्रय करना व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि शामिल कर लेना चाहिए।

8. अंकेक्षण व निरीक्षण—इन सस्थाओं के निरीक्षण व अंकेक्षण के लिये जिला संघ होना चाहिए।

9 अन्य सुझाव—(अ) प्रशिक्षण, अनुभवी व सहकारी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों को ही महत्त्वपूर्ण पदों पर रखना चाहिये।

(ब) प्राथमिक समितियों को अपने संचित कोषों में अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिये।

(स) सरकार को आयकर, रजिस्ट्रेशन, फीस, स्टाम्प ड्यूटी तथा अतिरिक्त न्यायालय फीस से इन समितियों को मुक्त कर देना चाहिए।

(द) साख समितियों तथा रिजर्व बैंक के कृषि विभाग में पूर्ण समन्वय होना चाहिये।

(य) देशी बैंकों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(र) बैंकों को ठीक समय पर एव ठीक मात्रा में ऋण देना चाहिये जिससे किसान महाजनो के पास न जा सकें।

सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी प्रयास

केन्द्रीय सरकार सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ करने एवं इसकी कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने जा रही है—

1. सहकारिता प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना—भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ के इस सुझाव पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि पूना स्थित बैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारिता मस्थान को विश्वविद्यालय में बदल दिया जाय। यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जो सहकारिता की डिग्री प्रदान करेगा।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम—अगले तीन वर्षों में 30 हजार स्नातक युवक-युवतियों को सहकारिता में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनको प्रशिक्षण काल में 200 रु० माहवार दिया जायेगा। बाद में इन प्रशिक्षितों को सहकारिता सेवा में नियुक्त कर लिया जायेगा।

3. आयोग की स्थापना- केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि सहकारिता आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाय। यह आयोग विभिन्न राज्यों में सहकारी संगठनों के असंतुलित विकास एवं राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के सम्बन्ध में भी विचार करेगा।

4. राष्ट्रीय प्रस्ताव—सहकारिता आन्दोलन की उचित प्रगति की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने सहकारिता नीति पर पहली बार राष्ट्रीय प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव 12 सूत्रीय है और उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(1) छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों और मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के सामान्य उपभोक्ताओं को सहकारिता कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) प्रत्येक स्तर पर सहकारिता आन्दोलन आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए नियोजन की प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित रहेगा।

(3) सहकारिता के विकास को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इसके विकास में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताओं को प्रगतिशील रूप में कम किया जायेगा।

(4) सहकारिता को देश के विकेन्द्रित भ्रम प्रधान और ग्रामीण प्रधान आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में निर्मित किया जायेगा।

(5) निहित स्वाधों के प्रभुत्व से मुक्त और विस्तृत सदस्यों की समझदारी पूर्ण भागीता पर आधारित सहकारी प्रजातंत्र का निर्माण किया जायेगा।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुदृढ़ कार्ययोग्य और समन्वित सहकारी व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा, जिससे पूर्ण और विस्तृत ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

(7) उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य मितव्ययी और लाभप्रद सम्बन्ध बनाने के लिए सहकारी कृषि प्रक्रियन और औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किया जायेगा।

(8) सहकारी आन्दोलन को भ्रष्टाचार और कुरीतियों से मुक्त किया जायेगा।

(9) सहकारी समितियों की स्वायत्तता उनके अधिकाधिक आन्तरिक साधनों के सृजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बचतों के एकत्रीकरण तथा सरकार और बाहरी वित्तीय संस्थाओं पर घटती हुई वित्तीय निर्भरता पर आधारित होगी।

(10) सहकारिता आन्दोलन को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप, अत्यधिक नियन्त्रण तथा राजनीति से मुक्त एक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर आन्दोलन के रूप में विकसित किया जायेगा।

(11) उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विकसित किया जायेगा।

(12) सहकारी समितियों को सरल और विवेकीकृत प्रक्रिया और सुगठित संगठन के साथ कुशल संस्थाओं के रूप में प्रोत्साहित किया जायेगा।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत में सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रकृति के क्या कारण हैं ? भारत में सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के सुझाव दीजिए।

2. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

3. भारतवर्ष में ग्रामीण वित्त-व्यवस्था के लिए कौन-कौन सी एजेन्सियाँ हैं ? सहकारी आन्दोलन ग्रामीण महाजन को कहाँ तक दूर करने में सफल हुआ है ?

4. भारत में सहकारिता आन्दोलन के विकास का सक्षिप्त इतिहास बताइये और इसकी मन्द गति के कारणों पर प्रकाश डालिए।

5. उपभोक्ता सहकारी समितियों व औद्योगिक सहकारी समितियों पर टिप्पणी लिखिए।

6. अभी तक सहकारिता की उन्नति की दिशा में एक अकेला और अपूर्ण कदम माना जाता रहा है। अब सहकारिता आन्दोलन को राष्ट्रीय आर्थिक योजना का एक भाग होना चाहिये। भारत में 1949 में सरकार द्वारा अपनी नीति की घोषणा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने में कहाँ तक प्रगति हुई है ?

7. "सहकारिता असफल रही है, तथापि इसे सफल बनाना है।" भारत में सहकारिता आन्दोलन के संदर्भ में इस वक्तव्य की समीक्षा कीजिए।

[संकेत—सहकारिता के दोष दीजिए, व सफलता हेतु सुझाव दीजिए।]

8. "भारत में सहकारी आन्दोलन अधिकांशतः साख आन्दोलन है।" विवेचना कीजिए।

[संकेत—कृषि सहकारी साख संस्थाओं का विकास दीजिए।]

कृषि में यंत्रीकरण अथवा कृषि में मशीन का उपयोग (Mechanisation of Agriculture or Introduction of Machinery in Agriculture)

कृषि में यंत्रीकरण के अभिप्राय—कृषि के यंत्रीकरण से अभिप्राय, कुछ कार्यों को जो कि प्रायः पशुओं या दोनों के ही द्वारा किये जाते हैं, उपयुक्त मशीनों की सहायता से करने की विधि में है। प्रो० भट्टाचार्य के अनुसार "कृषि कार्यों में यंत्रीकरण का आशय भूमि सम्बन्धी कार्यों में जिन्हें प्रायः बैलो, घोड़ों व अन्य पशुओं या मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, यांत्रिक शक्ति के प्रयोग करने से है।"¹

इन क्रियाओं में भूमि की सफाई से लेकर फसल की बिक्री तक की क्रियाएँ शामिल हैं। इन क्रियाओं को हम 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं : (i) भूमि की तैयारी (ii) उत्पादन विनियोग (iii) आगतों का प्रयोग। भूमि की तैयारी में इसकी जुलाई, बँधवाई, समतलना, निराई और पलटने की क्रियाएँ शामिल हैं। उत्पादन के विनियोग में फसल की कटाई, गहवाई (दाना निकालना) फटकना, सफाई तथा संग्रह एवं बिक्री के लिए परिवहन की व्यवस्था आदि क्रियाएँ शामिल हैं। इसी तरह, आगतों के उपयोग में सिंचाई उर्वरण बीजागोपण, बुवाई, दवाई छिड़कना आदि प्रमुख क्रियाएँ सम्मिलित हैं।

यंत्रीकरण के प्रकार—कृषि के यंत्रीकरण के दो स्वरूप हो सकते हैं : (अ) पूर्ण (Complete) और (ब) आंशिक (Partial)। पूर्ण यंत्रीकरण में फार्म सम्बन्धी समस्त कार्य प्रायः मशीनों द्वारा ही किये जाते हैं, परन्तु आंशिक यंत्रीकरण में फार्म सम्बन्धी कार्यों का आंशिक भाग ही मशीनों द्वारा किया जाता है। पश्चिमी देशों में फार्म-श्रम के अभाव के कारण और रूस से भूमि का अधिकतम विदोहन तथा उत्पादन

1. "Mechanisation of agriculture and farming process connotes application of machine power to work on land usually performed by bullocks, horses and other draught animals or by human labour."

—J. P. Bhattacharjee Mechanisation of Agriculture in India.

में वृद्धि के लिए पूर्ण यंत्रीकरण अपनाया गया है। ब्रिटेन में भी द्वितीय महायुद्ध काल में मानव-शक्ति की कमी के कारण आंशिक यंत्रीकरण हुआ।

प्रमुख कृषि यन्त्र—कुछ प्रमुख कृषि यन्त्र इस प्रकार हैं—(i) ट्रैक्टर जिसके द्वारा भूमि की जुताई होती है। (ii) कम्बाइन्ड ड्रिल जिसके द्वारा खाद और बीज एक साथ डाले जा सकते हैं। (iii) कम्बाइन्ड हारवेस्टर जो फसलो की कटाई में सहायक होते हैं। (iv) प्लाण्टर जो भूमि कुदेरता है और बीज बोता है।

गाँवों का जैसे-जैसे विद्युतीकरण होता जा रहा है वैसे वैसे यन्त्रों के उपयोग की सम्भावनाये बढ़ती जा रही है। कृषि के यंत्रीकरण को प्रोत्साहन टेकनीकल एवं ग्रामीण इंजीनियरिंग स्कूलों में यन्त्रों के प्रयोग की शिक्षा आरम्भ कर देने से भी मिला है।

कृषि में यंत्रीकरण के लाभ

विश्व के प्रगतिशील देशों में कृषि सम्बन्धी समस्त कार्य यन्त्रों की सहायता से किये जाने लगे हैं। कृषि के यंत्रीकरण का समर्थन मुख्यतः मशीन द्वारा सम्भव बनाये गये बड़े पैमानों के लाभों के आधार पर किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं :—

1. **कार्य की गति में वृद्धि**—कृषि में यन्त्रों के प्रयोग से कार्य की गति में वृद्धि हो जाती है। एक मशीन एक निश्चित समय में बहुत से श्रमिकों का काम अकेले कर देती है। फलतः खेती में श्रम की बहुत बचत होती है और प्रति श्रमिक खेती की उपज बढ़ जाती है।

2. **उत्पादन लागत में कमी**—कृषि में यन्त्रों का उपयोग करने से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। एक अनुमान के अनुसार 40 हार्स पावर के ट्रैक्टर द्वारा कृषि करने की लागत 14,520 रुपये है, जबकि 40 हार्स पावर के बराबर बैलों की शक्ति का प्रयोग पर कृषि की लागत व्यय 65,200 रुपये होती है। स्पष्ट है कि यांत्रिक कृषि के अन्तर्गत व्यय कम होता है।

3. **पशु सम्बन्धी व्ययों में कमी**—कृषि में यन्त्रों के प्रयोग के कारण भूमि की जुताई, पानी की सिंचाई, यातायात आदि के लिए पशुओं की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। जब मशीनों से काम नहीं लिया जाता, तब उन पर अधिक व्यय नहीं किया जाता। किन्तु पशुओं के व्यय में कोई कमी नहीं आती चाहे उनसे काम लिया जाय या नहीं, क्योंकि उन्हें चारा आदि देना ही पड़ता है। अतः मशीनों के प्रयोग से पशु सम्बन्धी व्यय में कमी होती है।

4. **बड़े पैमाने पर खेती सम्भव**—मशीनों के प्रयोग के कारण बड़े पैमाने पर खेती करना सम्भव हो जाता है। भूमि के बड़े-बड़े खेत जोते जा सकते हैं। भारी मात्रा से फसले काटी जा सकती है। बड़ी मात्रा में उत्पादन मण्डी तक पहुँचाया जा सकता है। इन सब कार्यों को थोड़े समय में करने के लिये कृषि यन्त्रों का प्रयोग होता है।

5. **विशिष्ट कार्यों के रूपयुक्त**—विशिष्ट कार्यों, जैसे ऊसर भूमि को तोड़ कर

कृषि के योग्य बनाना, सड़को, नालियो और सिंचाई के लिये नहरों को बनाना आदि विभिन्न कार्यों के लिये मशीनों का प्रयोग आवश्यक है।

6. व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहन—यांत्रिक कृषि के अन्तर्गत खाद्यान्नों की अपेक्षा औद्योगिक फसलों को महत्त्व दिया जाता है तथा कृषि उपज की बिक्री के हेतु विदेशी बाजार खोजे जाते हैं। किसान न केवल जीवन निर्वाह के लिए कृषि करने लगता है, बल्कि कृषि उपज को बेचकर लाभ कमाने हेतु भी कृषि करने लगता है।

7. उत्पादकता में वृद्धि—यंत्रीकरण से उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह पाया गया है कि यंत्रीकृत तथा गैर यंत्रीकृत फार्मों की उत्पादकता में लगभग 25 से 30% का अन्तर होता है। मशीनों के प्रयोग से कृषि की विभिन्न क्रियाओं जैसे जुताई, उर्वरण, बुआई; सिंचाई व कटाई आदि का कार्य अधिक कुशलता के साथ होने के कारण कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है।

8. बहु-फसलों का सम्भव होना—मशीनों की सहायता में फसलों की शीघ्र कटाई के कारण खेत जल्दी ही अगली फसल के लिये तैयार किया जा सकता है जिससे बहु फसलों की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं उदाहरण के लिये एक मिश्रित हार्वेस्टर की सहायता से एक हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ की फसल को केवल 1.25 घण्टे में काटा जा सकता है और संग्रह के लिये साफ अनाज उपलब्ध ही जाता है और यदि इसी क्रिया को पशु शक्ति की सहायता से किया जाय तो इसके लिये 36 श्रम दिवसों तथा 7 जोड़ी बैल दिनों की आवश्यकता होती है।

9. रोजगार में वृद्धि—यंत्रीकरण से रोजगार में वृद्धि होती है परन्तु सामान्य धारणा यह है कि यंत्रीकरण से बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि मशीनें तेजी और कुशलता से कार्य करती हैं और मानव शक्ति को प्रतिस्थापित कर देती हैं। प्रो० राज-कृष्ण ने 1968-69 और 1973-74 में गेहूँ के फार्मों पर किये गये अध्ययनों के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि मशीनों के प्रयोग के कारण उपरोक्त अवधि में श्रम का आयोग प्रति हेक्टेयर 557.7 घण्टों से घटकर 464। घण्टे रह गया है अर्थात् श्रम के इस्तेमाल में लगभग 16.5% की कमी हुई है। इस अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि मशीनों के उपयोग से फार्मों की क्रियाओं के लिये श्रम घण्टों में कमी होती है। परन्तु इस अध्ययन में यंत्रीकरण के रोजगार पर पड़ने वाले परोक्ष प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यंत्रीकरण के परोक्ष प्रभाव महत्त्वपूर्ण हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

(अ) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि—यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। उत्पादकता में होनेवाली वृद्धि का प्रभाव यंत्रीकरण के कारण श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण प्रति संतुलित हो जाता है।

(ब) व्यापक निर्घनता—कई अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक इतने अधिक निर्घन हैं कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिये किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिये तत्पर रहते हैं। जिसके कारण अति रोजगार की अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे ही श्रमिकों के आय के स्तर में वृद्धि

होती है, महिलाएँ और बच्चे कार्य पर आना बन्द कर देते हैं फलतः रोजगार के इच्छुक लोगो की पूर्ति कम हो जाती है। यदि हम इस बात का ध्यान रखें कि ग्रामीण जनसंख्या का 57% भाग 15 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगो से सम्बन्धित है और 15 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग में युवक केवल 23% है तो भारत में ग्रामीण श्रमिको का कुल अनुपात 34% होना, एक बड़ी उपलब्धि लगता है। यदि उत्तर काशी की जनसंख्या 64% भाग कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ गरीबी के कारण लोग किसी भी रोजगार के अवसर को प्राप्त करने के लिये तत्पर रहते हैं। इस प्रकार का अति रोजगार सामाजिक रूप से अनुचित है। मशीनो के प्रयोग से इस स्थिति में संतुलन लाने का प्रयत्न किया जाता है।

(स) बाहर-रोजगार अवसरों में वृद्धि—यंत्रीकरण के कारण कृषि से बाहर भी रोजगार के अवसरों का विस्तार होता है। उदाहरणार्थ—मशीनो का निर्माण, उपकरणो की मरम्मत, अतिरिक्त हिस्सो के वितरण, ईंधन तथा चिकनाई आदि में काफी लोगो को रोजगार मिलता है। इस प्रकार यदि यंत्रीकरण के प्रत्यक्ष प्रभावो के कारण श्रम में बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो इसकी क्षति पूर्ति से कृषि से बाहर अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होने से हो जाती है ?

(द) मशीनो की श्रेष्ठता—कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें श्रम की पूर्ति को देखते हुए मशीनो का प्रयोग ही अधिक श्रेष्ठकर होता है। हावेस्टरो के गुण एवं दोषो का विश्लेषण करते हुए N C A E R* (National Council of Applied Economic Research) के एक अध्ययन में कहा गया है कि “कृषि क्रियाओं में फसल काटना सबसे अंतिम क्रिया है। कुशल कटाई के अभाव में उत्पादित फसल का एक बहुत बड़ा भाग उपभोग के लिये उपलब्ध नहीं होगा। प्रत्येक फसल की कब्ज के लिये एक आदर्श समय होता है, कटाई कार्य उसी समय पूरा हो जाना चाहिये। यदि कटाई कार्य के लिये पर्याप्त मात्रा में श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं है तो मशीन के प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फसलो की बुवाई, और कटाई के समय श्रम की घोर कमी एक वास्तविकता है इन कार्यों को मशीन के प्रयोग के द्वारा आसानी से सम्पन्न किया जा सकता है।”

10. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव—यंत्रीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रो में सामाजिक सुधार होने लगता है। कृषक खेती के भारी काम से मुक्त हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उसका जीवन-स्तर उठने लगता है। जब-जब एक ट्रैक्टर गाँव में जाता है वह तकनीकी क्रान्ति उत्पन्न कर देता है। इससे गाँवो के तकनीकी ज्ञान की मात्रा में अभिवृद्धि होती है और ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये आधार तैयार होता है।

11. मूल्यों में स्थायित्व की स्थापना—मशीनीकरण से उत्पादन में वृद्धि होगी और अनिश्चितता की भी समाप्ति हो जायेगी। अतः मूल्यों में स्थायित्व आ जायेगा।

12. अन्य लाभ—

(i) खेती में छिड़कने के यंत्रों के प्रयोग से पौधों का उचित समय पर रोगों से बचाव किया जा सकता है।

(ii) कृषि का यंत्रीकरण होने से ट्रैक्टर पानी के पम्प आदि की मरम्मत के लिए व उनके छोटे-मोटे पुरजे बनाने के लिए सहायक घन्धों का विकास होता है।

(iii) कृषि-यंत्रीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधाओं का भी विस्तार होता है, क्योंकि यंत्रों के प्रयोग में कृषि-उत्पादन काफी बढ़ता है, जिसे शीघ्रता से मण्डी तक पहुँचाना आवश्यक है।

भारतीय कृषि के यंत्रीकरण की समस्या

यह सर्वविदित तथ्य है कि कृषि के यंत्रीकरण द्वारा भारत में कृषि के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। जैसा कि, पाश्चात्य देशों का अनुभव बतलाता है कि कृषि कार्यों में यंत्रों के प्रयोग द्वारा कृषि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसी आधार पर कुछ कृषि शास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि भारत में कृषि का यंत्रीकरण किया जाय। किन्तु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या भारत में पूर्णतया कृषि का यंत्रीकरण किया जा सकता है? प्रायः यह कहा जा सकता है कि भारत में कृषि का यंत्रीकरण (अ) न तो बहुत वांछनीय है और (ब) न ही सम्भव है। अब हम दोनों बातों पर विचार करेंगे।

(अ) भारत में कृषि के यंत्रीकरण की अबांछनीयता—भारत में कृषि का यंत्रीकरण वांछनीय नहीं है क्योंकि—(1) महात्मा गांधी के अनुसार, “यंत्रीकरण अच्छा उस समय है जब कि सम्पादित किये जाने वाले कार्य के लिये अत्यन्त कम व्यक्तियों हो। यह एक बुराई है, जबकि कार्य के लिये आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों हो, जैसा कि भारत में है।”

(2) यंत्रीकरण इसलिये वांछनीय नहीं है कि वह पशुधन को बेकार कर देगा।

(3) यंत्रीकरण की वांछनीयता के प्रति इसलिये भी सन्देह है कि कृषि यंत्रीकरण की दशा में यंत्रों को विदेशों से मँगाना पड़ेगा। फलतः विदेशी विनिमय की समस्या खड़ी हो जायेगी और औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक पूँजी कम हो जायेगी।

(ब) भारत में कृषि का यंत्रीकरण संभव भी नहीं है—इसके निम्न कारण हैं :—

1. खेतों का छोटा व बिखरा होना—भारत में अधिकांश किसानों के खेतों के बहुत ही छोटे होने के कारण यंत्रीकरण के लिये कोई जगह नहीं है। फिर, ये छोटे खेत भी ग्राम के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हैं। विशाल फार्मों की उपस्थिति यंत्रीकरण की एक विशेष शर्त है।

2. कृषकों की निर्धनता—यंत्रीकरण के लिये मशीन व खाद की व्यवस्था

करने के लिये पर्याप्त पैसे की आवश्यकता होती है, जो भारतीय कृषकों के पास इस समय नहीं है।

3. कृषकों की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता—भारत में शिक्षा का निम्न स्तर होने के कारण किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग सम्भव नहीं है। औसत भारतीय किसान द्वारा जटिल कृषि मशीनों की कार्यविधि को समझना कठिन है। रूढ़िवादी होने के कारण वे खेती के अपने पुराने औजारों को छोड़कर नई मशीनों को अपनाने के लिए आसानी से तैयार भी नहीं होंगे।

4. सस्ते ईंधन की कमी—यन्त्रों के संचालन के लिये पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है, किन्तु इन चीजों का भारत में अभाव है।

5. यातायात सम्बन्धी कठिनाइयाँ—भारत में अभी भी गाँव में ऐसी सड़कें नहीं बनी हैं, जिन पर ट्रैक्टर या ट्रक चलाये जा सकें। अतः गाँव के अन्दर गलियों को चौड़ा करने की समस्या उठती है।

6. सस्ती बिजली और सिंचाई की सुविधाओं का अभाव—यंत्रीकरण से पहले, विद्युत्-शक्ति का प्रसार होना आवश्यक है। परन्तु भारत में बिजली का अभी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इसी तरह देश में सिंचाई की सुविधाओं की बहुत कमी है। जब तक ये सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी, कृषि का यन्त्रीकरण सम्भव नहीं है।

7. निर्वाह-प्रधान कृषि व्यवस्था—भारतवर्ष की कृषि अभी निर्वाह-प्रधान कृषि ही है और उसका समुचित वाणिज्यीकरण तथा विशिष्टीकरण नहीं हो पाया है। किन्तु यन्त्रीकरण वही पर सफल हो सकता है जहाँ पर कृषि निर्वाह-प्रधान अवस्था से उठकर विशिष्टीकरण और पूंजीवादी हो गई हो।

8. सुधार व्यवस्था एवं स्पेयरस का अभाव—भारत में मशीनों के सुधार और मरम्मत के लिये उचित सस्थान नहीं है। अलग से पुर्जों की उपलब्धि भी कम है। यदि वे उपलब्ध हो भी जाते हैं तो कीमत बहुत हो जाती है।

9. ऊँची कीमत—छोटे किसान अपनी सूक्ष्म बचतों से ऊँची कीमत वाली मशीनें खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिये, भारतीय सन्दर्भ में किसानों की दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण मशीनों का उपयोग सम्भव नहीं हो सकेगा।

10. तकनीकी ज्ञान का अभाव—यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में कृषि मशीनरी के निर्माण की पर्याप्त क्षमता विद्यमान नहीं है तथा तकनीकी ज्ञान का भी अभाव है।

यन्त्रीकरण के विरोध में दिये तर्कों का मूल्यांकन—हमारे विचार से कृषि के यन्त्रीकरण के विरोध में जो तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं वे अधिक प्रभावशाली नहीं हैं तथा उनका उत्तर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए —

(1) जोत का छोटा आकार एक वास्तविक बाधा नहीं है, क्योंकि सरकार की भावी नीति सहकारी संयुक्त ऋषि अपनाने की है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि खेती का आकार बहुत बड़ा ही हो। वर्तमान समय में 20 से 25 एकड़

खेतों के लिए भी उचित कृषि-मशीनरी मिल सकती है। अतः छोटे खेतों पर भी यंत्रीकरण किया जा सकता है।

(ii) पशु-शक्ति के फालतू होने का तर्क भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं ही उसमें कमी करना चाहते हैं। क्योंकि इनके भोजन व चारे की समस्या भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर बहुत भारस्वरूप है।

(iii) यह आपत्ति कि यंत्रीकरण के कारण विदेशों से भारी मात्रा में मशीनों का आयात करना पड़ेगा, ठीक नहीं है, क्योंकि कृषि मशीनरी का उत्पादन देश में ही किया जा सकता है।

(iv) इसी प्रकार, पेट्रोल, तेल आदि के आयात का जहाँ तक प्रश्न है, भारत में इन खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है तथा विद्युत् शक्ति का विस्तार किया जा सकता है।

(v) यदि हम इस तर्क को स्वीकार कर लें कि किसानों की आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण मशीनों का उपयोग सम्भव नहीं है तो इसका अर्थ यह होगा कि हम नई तकनीक के लाभों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। नई तकनीक की सफलता बहुत बड़ी सीमा तक उन्नत कृषि आगतों के प्रयोग पर निर्भर करनी है।

(vi) तकनीकी ज्ञान के अभाव का भी तर्क ठीक नहीं है क्योंकि योजना काल में देश ने औद्योगीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और तकनीकी ज्ञान का भी समुचित विकास हुआ है।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि यंत्रीकरण एक अच्छी नीति है, क्योंकि इससे कृषि-उत्पादन में वृद्धि होती है। परन्तु हो सकता है कि भारत की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में यह नीति उचित न हो। परन्तु, यदि कृषि का यंत्रीकरण धीरे-धीरे किया जाय तो निश्चय ही भारत के लिए यह उपयोगी होगा।

अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि भारत कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना चाहता है तो उसे आशिक यंत्रीकरण की नीति अपनानी चाहिए ताकि भविष्य में पूर्ण यंत्रीकरण के लिए आधारभूत ढाँचे का सृजन हो सके। "भारत के समस्त यंत्रीकरण का कोई विकल्प नहीं है। सन् 2001 में कृषि के अन्तर्गत अनुमानित 150 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोये गए क्षेत्र के लिए 100 मिलियन h. p. शक्ति की आवश्यकता होगी। भारत में इस समय 48.3 मिलियन h. p. शक्ति उपलब्ध है। इस शताब्दी के अन्त तक फार्म श्रमिकों की संख्या में 20 मिलियन की वृद्धि से 2 मिलियन h. p. शक्ति में वृद्धि होगी। शक्ति के शेष अन्तर को पशु शक्ति की सहायता से पूरा नहीं किया जा सकता। सन् 2000 में खाद्यान्नों की सम्भावित 198.26 मिलियन टन की माँग को पूरा करने के लिए यंत्रीकरण की नीति पर पुनर्विचार आवश्यक है।"

भारत में कृषि के यंत्रीकरण के लिए वर्तमान क्षेत्र—हमारे दृष्टिकोण से भारत में निम्नलिखित कार्यों के लिए, जिनमें मानवीय या पशु-श्रम महँगा या अपर्याप्त पड़ता है, यन्त्रों का प्रयोग करना उचित है, जैसे—

(अ) ट्रैक्टरों का प्रयोग, जंगलों को साफ करने व व्यर्थ पड़ी भूमियों को कृषि योग्य बनाने हेतु; (ब) पम्पिंग सेट्स, भूमि के अन्दर के पानी को सिंचाई के काम में लाने के हेतु; (स) बिजली के मोटर और डीजल इंजन, गन्ने या तिलहन की पेराई के लिये; (द) बाँध और जल भण्डार बनाने, सड़को का निर्माण करने, ऊँची-नीची भूमि को समतल करने तथा पौधों की रक्षा करने के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, (य) दलदली या जल-सिंचित भूमि से जल निकास के लिये; (र) कृषि-उपज तथा कृषि आवश्यकताओं के लिए यातायात में; (ल) इसी प्रकार दुग्ध-व्यवसाय तथा दूध से मक्खन आदि के लिए यंत्रों का प्रयोग अत्यधिक लाभप्रद होगा।

भारत में यंत्रीकरण की प्रगति—भारत सरकार ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था स्थापित की है, जिसका उद्देश्य, उत्तरप्रदेश तथा मध्य प्रदेश में व्यर्थ पड़ी भूमि का सुधार करना है। इस कार्य के लिए विश्व बैंक की सहायता से 240 ट्रैक्टर खरीदे गये हैं। राजकीय संस्थाओं ने भी अपना-अपना ट्रैक्टर संगठन बना लिया है। इनका उद्देश्य व्यर्थ भूमियों का सुधार करना, जंगल साफ करना तथा कृषकों को किराये पर ट्रैक्टर देना है।

भारत में आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग के सन्दर्भ में हमें यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि इनके प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सन् 1956 में देश में 21,000 ट्रैक्टर थे, जिनकी संख्या सन् 1980 में 4 लाख हो गयी। इसी अवधि में शक्तिचालित सिंचाई पम्प सेटों की संख्या 47 हजार से बढ़कर 40 लाख हो गयी। यह उल्लेखनीय है कि पंजाब में कृषि उपकरणों के प्रयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

चौथी योजना के अन्तर्गत कृषि उपकरणों में सुधार के लिए अनेक उपाय किये गये थे जिन्हें केवल आंशिक सफलता ही मिल सकी। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल डिजाइन के औजारों की खोज न हो पाना, उत्पादन-लागत अधिक होने से अनेक उपकरणों का सीमित प्रयोग, मरम्मत की सुविधा न होना तथा बिक्री की उपयुक्त व्यवस्था का अभाव कुछ ऐसे कारण थे कि श्रेष्ठ औजारों का उपयोग अधिक नहीं बढ़ पाया।

पाँचवीं योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त सभी समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिया गया है। कृषि इंजीनियरिंग में अनुसन्धान कार्य की प्राथमिकता क्रम में ऊँचा स्थान प्रदान किया गया।

छठवीं योजना में चुनीदा यंत्रीकरण की नीति अपनायी जायेगी जिससे कि ग्रामीण बेरोजगारी न फैले। इसके लिए प्राथमिकता मानवीय श्रम व बैल को दी जायेगी जिसके लिए हाथ से चलने वाले यंत्रों का विकास किया जायेगा। कम वर्षा वाले या ऐसे स्थान जहाँ भूमि पहली बार कृषि के लिए तैयार की जा रही है ट्रैक्टर का उपयोग उचित माना जायेगा। पम्प सेटों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

भारत में यंत्रीकरण लोकप्रिय एवं सफल बनाने के सुझाव—भारत में कृषि के यंत्रीकरण को लोकप्रिय एवं सफल बनाने के मुख्य सुझाव अग्रलिखित हैं :—

(i) देश की परिस्थिति को देखते हुए छोटे छोटे खेतों में प्रयुक्त करने के हेतु उपयुक्त कृषि-यन्त्रों का निर्माण किया जाना चाहिये।

(ii) चकबंदी और सहकारी खेती द्वारा कृषि जोतों का आकार बढ़ाया जाना चाहिये, जिससे कि इनमें यन्त्रों का प्रयोग सम्भव हो सके।

(iii) इन यन्त्रों को खरीदने के लिए किसानों को आवश्यक वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(iv) बेकार होने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार के नये साधनों का विकास किया जाना चाहिये।

(v) कृषि-यन्त्रों के संचालन के लिये देश में सस्ती जल-विद्युत्-शक्ति को शीघ्रता से विकसित करना चाहिये।

(vi) कृषि-यन्त्रों के संचालन के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

(vii) सर्विसिंग आदि के लिए उपयुक्त स्थानों में मशीन-ड्रैक्टर-स्टेशन बनाये जाने चाहिये।

(viii) यन्त्रीकरण की नीति में बड़े पैमाने पर एक ही बार नहीं अपनायी चाहिये, बल्कि इसे समय तक फैलाकर अपनाते जाना चाहिये।

श्री बर्गमैन¹ थियोडोर ने भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण के सम्बन्ध में निम्न-लिखित सुझाव दिये हैं :—

(i) शुरू में भारतीय कृषि का आंशिक यन्त्रीकरण करना चाहिए।

(ii) अधिक-से-अधिक ट्रैक्टर भारत में ही निर्माण करने के प्रयत्न को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(iii) अधिक-से-अधिक किसानों को, एक ट्रैक्टर के उपयोग के लिये सहकारी समिति बनानी चाहिये।

(iv) ट्रैक्टर-सेवा के लिये पैसे फसल कटने के बाद कृषि उपज के रूप में लेने चाहिए।

परीक्षा प्रश्न

1. भारतीय अर्थ-व्यवस्था में यांत्रिक कृषि की आवश्यकता और क्षेत्र का विवेचन कीजिये।

2. भारत में यांत्रिक कृषि की सम्भावनाओं और सीमाओं का उल्लेख कीजिए इस दिशा में योजना काल में क्या कदम उठाये गये हैं ?

3. यांत्रिक कृषि से आप क्या समझते हैं ? भारत में यांत्रिक कृषि पर संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।

1. Bergman, Theodor : 'Problem of Mechanisation in Indian Agriculture' in Indian Journal of Agricultural Economics, 1963.

4 “भारत में कृषि की एक परमावश्यक कृषि-कार्यकलापो में संलग्न अनगिनत बैलो की संख्या में कमी करना है। बैलो का यांत्रिक, शक्ति द्वारा प्रतिस्थापन, कृषि के लिये उचित अवसर प्रदान करना है।” इस कथन की विवेचना करते हुए भारत में कृषि के यन्त्रीकरण के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।

5. भारत में यांत्रिक कृषि की तत्कालीन और दूरस्थ सम्भावनाएँ क्या-क्या हैं ? क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि का यन्त्रीकरण करना आवश्यक है ?

6. भारत में यांत्रिक कृषि क्षेत्र का परीक्षण कीजिए और देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर उसके सम्भावित प्रभावों को बताइए।

7 देश में यांत्रिक कृषि और बढ़े परिमाण की खेती की क्या संभावनाएँ हैं ? कृषि में इस प्रकार की प्राविधिक व्यवस्था को अपनाने के लिए कौन से संगठनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं ?

[संकेत—प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम यन्त्रीकरण का आशय, भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण की समस्या व वर्तमान क्षेत्र पर प्रकाश डालिए तत्पश्चात् लिखिए कि यांत्रिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि संगठन की व्यवस्था में निम्न परिवर्तन आवश्यक हैं—(अ) उपयुक्त कृषि यन्त्रों का निर्माण, (ब) इन यन्त्रों को खरीदने के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था (स) यन्त्रों की मरम्मत की व्यवस्था आदि।]

कृषि उत्पादन की बिक्री-व्यवस्था (Marketing of Agricultural Produce)

कृषि विपणन का आशय एवं कार्य—‘विपणन’ वह सम्पूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा क्रेता व विक्रेता को निकट लाया जा सके, इसके अन्तर्गत उन सभी क्रियाओं का समावेश किया जाता है जो वस्तुओं को उचित समय पर तथा उचित मात्रा में उपभोक्ताओं के आवश्यकतानुसार उनके पास पहुँचा कर वस्तुओं की आवश्यकता को सन्तुष्ट करने की शक्ति को बढ़ाती हैं।

कृषि विपणन में कृषि उपज को किसानों से लेकर अन्तिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में मध्यस्थों द्वारा की गई सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं। संक्षेप में, कृषि विपणन में आशय कृषकों द्वारा उत्पादित उपज की बिक्री व्यवस्था से।

कृषि विपणन कार्य के अन्तर्गत सामान्यतः निम्न कार्य सम्मिलित किये जाते हैं—(i) कृषि उपज का एकत्रीकरण (Assembling), (ii) कृषि वस्तुओं का विभाजन (Grading), (iii) कृषि वस्तुओं का विधायन (Processing), (iv) कृषि वस्तुओं का संग्रहण (Storing), (v) कृषि उपज का परिवहन (Transportation), (vi) कृषि वस्तुओं को अन्तिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाना (Retailing), (vii) कृषि वस्तुओं की बिक्री के लिये वित्त प्रदान करना (Financing), (viii) कृषि विपणन में होने वाली जोखिम उठाना (Risk-bearing), आदि।

विपणन योग्य अतिरेक (Marketable Surplus)

विपणन योग्य अतिरेक से आशय कृषि उत्पादन की उस अतिरिक्त मात्रा से है जो किसानों के पारिवारिक उपभोग की आवश्यकता को पूरा करने, वस्तु रूप में मजदूरी का भुगतान करने, बीज एवं पशुओं के खाद के रूप में उपयोग होने तथा नष्ट होने से बची हुई कृषि वस्तुओं को विपणन हेतु बाजार में प्रस्तुत की जाती है। दूसरे शब्दों में यह उपज की वह मात्रा है जो बाजार में विक्रय के लिये ले जायी जाती है।

विपणन योग्य अतिरेक का महत्त्व (Importance of Marketable Surplus)

भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि उपज के विपणन योग्य अतिरेक का विशेष महत्त्व है क्योंकि इसके ऊपर कृषि एवं औद्योगिक विकास निर्भर करते हैं। यदि कृषि क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं करता तथा औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं की माँग कृषि क्षेत्र में नहीं होती तो देश की औद्योगिक प्रगति रुक जायेगी। कृषि क्षेत्र का भी विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसान के पास पर्याप्त मात्रा में विपणन योग्य अतिरेक न हो। कारण यह है कि विपणन योग्य अतिरेक की मात्रा पर कृषि विनियोग की मात्रा निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उपज के विपणन अतिरेक का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। प्रो० लेविंस का भी मत है कि आर्थिक विकास के लिए एव औद्योगिक विकास के लिए कृषि वस्तुओं के विपणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास हेतु कृषि क्षेत्र में विपणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास से स्पष्ट है—

1. उद्योगों के लिए कच्चा माल—अर्द्धविकसित देश में उपभोक्ता उद्योगों, जैसे—सूती वस्त्र, जूट, शक्कर आदि का आधिक्य होता है। यदि किसान के पास इन वस्तुओं का विपणन योग्य अतिरेक नहीं है तो इन उद्योगों की कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी न हो सकेंगी तथा औद्योगिक विकास रुक जायेगा। अतः औद्योगिक विकास के लिए कृषि में विपणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है।

2. पूंजी निर्माण का आधार—अर्द्धविकसित देश में पूंजी निर्माण की समस्या व्यापक रूप से होती है। ये देश कृषि-प्रधान होने के कारण इस समस्या का समाधान भी पहले कृषि उत्पादकता और विपणन योग्य अतिरेक में वृद्धि करने पर निर्भर करता है।

3. गैर-कृषि जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पूर्ति—यदि कृषि क्षेत्र में विपणन योग्य अतिरेक की कमी रही तो गैर-कृषि क्षेत्र की जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री का अभाव रहेगा। देश की खाद्य समस्या को दूर करने के लिए इन वस्तुओं का विदेशों से आयात करना पड़ेगा। फलस्वरूप जिस विदेशी मुद्रा का प्रयोग देश के आर्थिक विकास के लिए हो सकता था अब उसका प्रयोग उपभोग के लिए होगा। अतः कृषि क्षेत्र में विपणन योग्य अतिरेक के अभाव का देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

4. विदेशी मुद्रा के अर्जन में सहायक—भारत जैसे राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता होती है, कारण यह है कि इन्हे विदेशों से पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) का आयात करना होता है, परन्तु पूंजीगत वस्तुओं का आयात तब ही हो सकता है जब देश ने निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की हो। विकासशील देशों में निर्यात मुख्यतः कृषि वस्तुओं का होता है। अतः

निर्यात को बढ़ाने के लिए तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु कृषि क्षेत्र में विपणन योग्य अनिरेक का होना अनिवार्य है।

5. कृषकों की आय व जीवन-स्तर में वृद्धि तथा आंतरिक बाजार का विस्तार—कृषि क्षेत्र में विपणन योग्य अनिरेक अधिक होने पर कृषकों की आय बढ़ेगी जिससे किसान गैर-कृषि क्षेत्र की वस्तुओं को अधिकधिक मात्रा में खरीदेंगे। इसका प्रथम प्रभाव यह है कि किसानों का जीवन-स्तर उच्च होगा तथा द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है। फलतः सम्पूर्ण देश में कृषि तथा गैर-कृषि वस्तुओं के बाजार का विस्तार है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में विपणन योग्य आधिक्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।

आदर्श कृषि विपणन के तत्त्व

आदर्श कृषि विपणन के तत्त्वों पर किसानों का अधिकतम लाभ निर्भर होता है। एक आदर्श कृषि विपणन में निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश होना चाहिए—

1. गोदामों की सुविधा - कृषि उपज के उचित विपणन के लिए यह अनिवार्य है कि बाजार में भण्डार गुहों की समुचित व्यवस्था हो। फलतः किसान अपनी उपज को सुरक्षित ढंग से इन गोदामों में एकत्र कर सकें और अपने उपज का उचित समय पर विक्रय कर सकें।

2. उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के हितों की सुरक्षा—कृषि उपज की आदर्श विपणन व्यवस्था में मात्र यह अनिवार्य नहीं है कि किसानों को उनके उपज की यथोचित कीमत प्राप्त हो वरन् उपभोक्ताओं को भी अनिवार्य कृषि वस्तुएँ उचित कीमत पर मिलनी चाहिए तथा वस्तु गुणात्मक दृष्टि से भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। उत्पादन के बाद भी कृषि वस्तुओं के गुणों में श्रेष्ठता खाने का प्रयास करना चाहिए।

4. मध्यस्थों का अभाव—कृषि उपज के विपणन हेतु यह अनिवार्य है कि मध्यस्थों की संख्या कृषकों और उपभोक्ताओं के मध्य कम-से-कम हो। फलतः कृषक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। इसके बीच के मध्यस्थों को जो लाभ होता है वह किसानों और उपभोक्ताओं को प्राप्त होने लगेगा।

4. यातायात व परिवहन सुविधाओं का पर्याप्त विकास—कृषकों को पर्याप्त एवं मितव्ययी परिवहन सुविधाओं की उपलब्धि होनी चाहिये जिससे कृषक उपज को गाँव में ही साहूकारी को न बेचकर बाजारों में विक्रय हेतु ले जायें।

5. पूर्णतः संगठित बाजार—कृषि उपज की उचित विक्रय व्यवस्था हेतु यह भी अनिवार्य है कि बाजार पूर्ण रूप से संगठित हों जिससे वस्तुओं के कीमत में गिरावट अथवा तेजी का संकेत किसानों को समय-समय पर मिलता रहे।

6. पूर्ण-नियन्त्रित बाजार की उपस्थिति—कृषि उपज की समुचित विपणन व्यवस्था हेतु यह भी अनिवार्य है कि कृषि उपज के विपणन होने वाले बाजार पूर्ण-रूपेण नियन्त्रित हों, जिससे किसानों की पैदावार बाजार में उचित कीमत पर बेची

जा सके और दलाली तथा अडतियो अथवा अन्य प्रकार की सेवाओ से सम्बन्धित कटौतियो को रोका जा सके। इसके अलावा बाजारो का नियन्त्रित होना इस कारण से भी आवश्यक है कि जिससे बाजारो मे कृषक की उपज को ठीक प्रकार से मापा जा सके।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि "उपर्युक्त विपणन हेतु आवश्यक तत्त्व, गुण, कीमत, भुगतान, खराब वस्तु की मात्रा, बँधाई और सुपुर्दगी है।" इसीलिए कृषि वस्तुओ के उपयुक्त विपणन हेतु यह आवश्यक है कि इन तत्त्वो पर अधिकाधिक जोर दिया जाय। उचित विपणन व्यवस्था की स्थापना हेतु कुछ क्रियाओ एव सेवाओ का समावेश होना चाहिए जैसे (I) कृषि उपज का सग्रह, (II) अनुकूलतम लागत पर यातायात व्यवस्था, (III) जोखिम उठाना, (IV) श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण द्वारा विक्रय को सरल बनाना, (V) विकृत वस्तुओ को उचित प्रकार से बाँधना, (VI) बिक्री बढ़ाने के लिए बिक्री लागत लगाना, (VII) बाजार मे अथवा उपभोक्ताओ को विपणन समाचार देना।

भारत में कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था—भारत मे कृषि वस्तुओ के विपणन की वर्तमान व्यवस्था निम्न प्रकार है —

1. ग्रामों मे बिक्री—भारतवर्ष मे किसान अपनी उपज का अधिकाश भाग ग्रामो मे ही बेच देता है। एक अनुमान के अनुसार पंजाब मे 60% गेहूँ, 25% कपास और 70% तिलहन तथा उत्तर प्रदेश में 80% गेहूँ, 40% कपास और 75% तिलहन ग्राम मे ही बेच दिये जाते है। गाँवो मे बेची जाने वाली उपज को गाँवो के साहूकार या महाजन, गाँव के बनिये या शहर के ब्यापारी अथवा उनके आडतिये खरीद लेते है। किसान प्रायः ग्रामो मे ही उपज बेचने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि वह साहूकारो से ऋण लिये रहता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि उधार देते समय महाजन किसान से यह तय कर लेता है कि फसल उसे ही बेची जायगी। डा० राधाकमल मुकर्जी के अनुसार भारत के जिन क्षेत्रो मे किसान बहुत अधिक ऋणग्रस्त है वहाँ कृषि उपज का अधिकाश भाग गाँवो मे ही महाजनो को बेच दिया जाता है। किसान द्वारा अपनी उपज को ग्राम मे ही बेच देने का एक अन्य कारण परिवहन साधनो का अभाव तथा उनके अच्छे ढङ्ग का न होना भी है। किसान अपनी उपज बाजार में न ले जाकर गाँव मे ही बेचता है तो उसे बहुत ही कम मूल्य मिल पाता है।

2. मण्डियों मे बिक्री—कुछ उपज की बिक्री पास की मंडियो मे भी होती है। ये मण्डियाँ दो प्रकार की होती है (क) अनियमित मण्डियाँ (Unregulated Markets), (ख) नियमित मण्डियाँ (Regulated Markets)।

(क) अनियमित मण्डियाँ—इन मण्डियो मे क्रय-विक्रय प्रायः प्राचीन व्यवस्था के अनुसार होता है। इन मण्डियों में कोई निश्चित व्यापारिक नियम नहीं होते है। इसमे बहुत बड़ी संख्या मे मध्यस्थ पाये जाते है, जैसे, दलाल, कच्चे आडतिये व पक्के आडतिये आदि। इन मंडियो मे कमीशन, दलाली, तौलाई, धर्मादा आदि के रूप मे

बहुत कटौती होती है। वस्तुओं के मूल्य प्रायः दलाल और आड़तिये अपने हाथों पर कपडा डालकर, एक दूसरे की अँगुली छूकर गुप्त रूप से तय करते हैं जिसका अनपढ़ किसान को कुछ पता नहीं चलता।

(ख) नियमित मंडियाँ—इन मण्डियों में नियमानुसार क्रय-विक्रय होता है। इसका नियमन राज्य कृषि उपज (बाजार) अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। इनमें कार्य करने वालों को लाइसेन्स लेना पड़ता है। इन मण्डियों में, कमीशन तथा अन्य कटौतियाँ आदि निर्धारित कर दी गई हैं और सौदा खुली बोली के अनुसार होता है। भारतवर्ष में गेहूँ, कपास, गन्ना, जूट आदि की नियमित मण्डियाँ पाई जाती हैं। इन मण्डियों में किसान के साथ कोई धोखा नहीं होता और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध हो जाता है।

3 सहकारी विपणन समितियाँ—सहकारी समितियों ने कृषि वस्तुओं के विपणन में भाग लेना आरम्भ कर दिया है। ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठे बेचकर पर्याप्त मूल्य प्राप्त करती हैं।

4 राज्य व्यापार—भारत में राज्य द्वारा कृषि पदार्थों का विपणन भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए है। राज्य की एजेन्सियाँ जैसे-भारतीय खाद्य निगम फसल तैयार होने के समय ग्रामीण क्षेत्रों या मण्डियों के निकट अपने विशेष केन्द्र स्थापित करता है, जहाँ सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपज को खरीदा जाता है।

भारत में कृषि विपणन की समस्याएँ

भारत में कृषि विपणन की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(1) कीमतों में अत्यधिक अन्तर—जिस कीमत पर किसान अपनी उपज का विक्रय करता है, और जो कीमत वह अन्तिम उपभोक्ता से लेता है उसके अन्तर पर दी एक सुदृढ़ विपणन प्रणाली निर्भर करती है। कीमत के इस अन्तर को 'विपणन मार्जिन' कहते हैं। यदि कीमत में बहुत अधिक अन्तर है तो उत्पादक को उपभोक्ता के द्वारा खर्च की गई मुद्रा का बहुत थोड़ा भाग ही प्राप्त हो पाता है। श्री एम० सी० मुंशी ने विभिन्न कृषि पदार्थों के सम्बन्ध में कीमत अन्तर के सर्वेक्षण किए। श्री मुंशी ने यह निष्कर्ष निकाला कि उपभोक्ता जो रुपया व्यय करता है उसमें से लगभग 40 पैसे थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता के पास चले जाते हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि विपणन की लागत कितनी अधिक है, लाभों का मार्जिन कितना है तथा बिचौलिये कितना लाभ प्राप्त करते हैं। विपणन की ऊँची लागत भारत में अकुशल विपणन प्रणाली के स्वरूप को व्यक्त करती है।

(2) अपर्याप्त विक्रय अतिरेक—कृषि विपणन की एक जटिल समस्या कृषि पदार्थों के अतिरेक में वृद्धि करना है। विक्रय अतिरेक की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है—जैसे यह उत्पादन की मात्रा गुण, तथा उपज की कीमतों पर निर्भर करती

है। बाजार के नियमों, नियन्त्रणों, विपणन पर कर आदि का प्रभाव भी विक्रय अतिरेक पर पड़ता है।

(3) **प्रतियोगिता की प्रकृति**—विपणन के क्षेत्र में कृषक को मुद्रा, साख, बाजार, यातायात, तकनीकी ज्ञान आदि के लिए किसी न किसी मध्यस्थ पर निर्भर रहना पड़ता है। इस मध्यस्थ को प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रतियोगिता करनी पड़ती है और इस प्रतियोगिता का लाभ मध्यस्थ को प्राप्त होता है। विगत वर्षों में भारतवर्ष में तेजी की स्थिति रही है, क्योंकि इसका लाभ बड़े व्यापारियों तथा मध्यस्थों को ही प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में भारत में विद्यमान कृषि विपणन की पद्धति में अन्तर्निहित कई समस्याएँ हैं और इसमें सुधार के लिए बहुत क्षेत्र है।

कृषि विपणन के दोष

भारत में विद्यमान कृषि विपणन प्रणाली में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं—

1. **विक्रय की बाधयता**—प्रायः भारतीय कृषक स्वेच्छा से अपनी उपज को नहीं बेचता, बल्कि दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी उपज फसल काटने के तुरन्त बाद गाँव में ही बेचनी पड़ती है। उसे फसल तुरन्त इसलिए बेचना पड़ता है क्योंकि उसने विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लिए होते हैं, और उनका भुगतान करना आवश्यक होता है। श्री एस० एस० शिवकुमार ने मद्रास के दो गाँवों में ऋणों का अध्ययन करके इसके निम्न कारणों पर प्रकाश डाला है : (i) उपभोग के लिए ऋण (ii) किराये के श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के लिए प्राप्त किए गए ऋण (iv) रासायनिक उर्वरकों के वाधितक्रम के लिए (iv) पहले वर्षों में शादी ब्याह उपभोग तथा पशु खरीदों के लिए ऋण आदि। कृषक इन ऋणों के बोझ से इतने अधिक दबे होते हैं कि विक्रय अतिरेक न होने पर भी उनको अपनी फसल का एक बड़ा भाग तत्काल किसी भी कीमत पर बेचना पड़ता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि सामान्यतया उत्पादक अपनी उपज को प्रतिकूल स्थानों, और प्रतिकूल समय पर बेचते हैं और सामान्यतया उनको प्रतिकूल शर्तों पर सौदे करने पड़ते हैं।

2. **परिवहन के साधनों का अभाव**—देश में परिवहन के साधन अपर्याप्त, अविकसित एवं दोषपूर्ण हैं। हमारे अधिकांश ग्राम रेलों व सड़कों द्वारा मण्डियों के साथ सम्बन्धित नहीं हैं, इसलिये किसान अपनी उपज ग्राम में ही बेच देने के लिये बाध्य हो जाता है। शाही कृषि आयोग के शब्दों में “यातायात के दोषपूर्ण साधनों के कारण ही बहुत से मध्यस्थों का प्रवेश हो गया है, जो किसानों को अपनी उपज का ठीक मूल्य नहीं मिलने देते।

यद्यपि योजनाकाल में यातायात के यंत्रीकृत साधनों का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है लेकिन ये इतने अधिक महँगे हैं कि छोटे किसान इनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त

करने में असमर्थ है। कृषि उपज के मूल्य में माल—मोड की मात्रा पहले से ही बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में "policy Committee on Agriculture Forestry Fisheries" की विपणन उप समिति का यह अनुमान है कि कृषि उपज के मूल्य पर माल-मोड का भार गेहूँ की उपज पर 2.1 से 21.7 प्रतिशत, चावल पर 0.7 से 13.2 प्रतिशत, अलसी पर 1.2 से 15.4 प्रतिशत तथा आलू पर लगभग 6.2 प्रतिशत है। ऊँची माल-दुनाई लागत के कारण किसान अपनी उपज को बाजार तक ले जाने में असमर्थ रहते हैं।

3. कृषि उपज की घटिया किस्म—भारत में कृषि उपज की किस्म प्रायः घटिया होती है, जिसके कारण कृषको को कम मूल्य मिलता है। कृषि उपज घटिया किस्म के होने के कई कारण हैं—जैसे, खराब बीजों का प्रयोग, फसलों के रोग, कीड़े-मकोड़े के आक्रमण, अनावृष्टि, या अतिवृष्टि, फसलों की कटाई का दोषपूर्ण ढङ्ग आदि। भारतीय किसान अत्यन्त निर्धन, अशिक्षित और अपनी उपज की ही विक्री-व्यवस्था से अपरिचित है, इसीलिये वह अपनी उपज की किस्म की ओर ध्यान नहीं दे पाता।

4. संगठन का अभाव—कृषको का स्वयं का कोई मुसगठित विक्री संगठन न होने से उन्हें कृषि उपज के संगठित क्रैताओं से प्रतियोगिता में सदैव हानि उठानी पड़ती है। शाही कृषि आयोग ने ठीक ही कहा है, 'जब तक किसान व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरे उत्पादकों के साथ मिलकर विक्री का ढंग नहीं सीखेगा तब तक वे अपनी उपज के क्रैताओं से, जिनको बहुत विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है तथा जिनके पास अपेक्षाकृत अधिक साधन हैं, कभी भी नहीं जीत सकता।'

5. अपर्याप्त एवं अवैज्ञानिक संग्रहण व्यवस्था—कृषि उपज का वैज्ञानिक ढंग से संग्रहण करने के लिये गाँव में सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। प्रायः कृषि-उपजको खतियो, कुड़हूरस, कल्ली, डेक्कास, कोठी, कोठिला, कुण्डा आदि विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बनाये गये बर्तनों में रखा जाता है, जिससे उसके सड़ने, गलने और चूहों एवं चींटियों द्वारा नष्ट होने की आशंका रहती है। इन हानियों के सम्बन्ध में विभिन्न अनुमान लगाए गये हैं। खाद्यान्न निरीक्षण समिति के अनुसार ये हानियाँ कुल उपज का 1.5 प्रतिशत कीमत उपसमिति के अनुसार 2 से 2.5 प्रतिशत तथा डा० बलजीत सिंह के अनुसार यह 5 प्रतिशत तक होती है। यदि इस हानि को 5 प्रतिशत मान लिया जाए तो प्रतिवर्ष होने वाली हानि लगभग 400 करोड़ रुपए होगी। स्पष्ट है कि इस क्षति से सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को हानि होती है और किसानों के लिए तो यह संकट का कारण बन जाती है।

6. श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण का अभाव—हमारे देश में अधिकांश किसान अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण नहीं कर पाते। वे ऊँची व नीची दोनों किस्मों की उपज को मिलाकर बाजार में बेचते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें घटिया उपज के दाम ही मिल पाते हैं।

7. मूल्य सम्बन्धी ज्ञान का अभाव—वर्तमान-विपणन व्यवस्था का एक गम्भीर दोष यह है कि हमारे कृषको को मण्डियों में प्रचलित एवं सम्भावित कीमतों का ज्ञान

नहीं रहता, इसलिये किसान को जो भी कीमत बताई जाती है, उसे वही स्वीकार करना पड़ता है। प्रायः गाँव का बनिया मूल्य के बारे में झूठी सूचनाएँ देकर उन्हें ठग लेता है। इसका मुख्य कारण हमारे गाँवों में सचर की सुविधाओं का अभाव है।

8. मध्यस्थों का बाहुल्य—भारतवर्ष में किसान तथा उनकी उपज के अन्तिम उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यवर्ती लोग पाये जाते हैं। उदाहरण के लिये व्यापारी, कच्चा आढतिया, पक्का आढतिया, दलाल, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी इत्यादि। इन लोगों की एक लम्बी कतार रहती है। इनमें से सभी अपनी-अपनी सेवाओं के लिये कुछ न कुछ लेते हैं। अनुमान लगाया गया है कि मूल्य में से उत्पादको को 50% से 80% भाग ही प्राप्त होता है औप शेष मध्यस्थों द्वारा ही हड़प लिया जाता है।

9 मण्डियों में प्रचलित कपटपूर्ण पद्धतियाँ—शाही कृषि आयोग के अनुसार “मण्डियों में प्रचलित ये कपटपूर्ण पद्धतियाँ किसी भी प्रकार चोरी से कम नहीं हैं।” भारतवर्ष में जब कभी किसान अपना माल मण्डियों (विशेषकर जो अनियमित हैं) में ले जाता है तो वहाँ प्रचलित बहुत-सी बुराइयों व धोखेबाजी के कारण कृषक विक्रेता को बहुत-सी हानियाँ सहनी पड़नी हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति (National Planning Committee) ने मण्डियों में प्रचलित निम्न धोखेबाजियों का संकेत किया है— (अ) हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वजन तथा तौल प्रचलित हैं—आढतिया व व्यापारी दोषपूर्ण तराजू और बाट रखते हैं और वे बड़े बाट से खरीदकर छोटे बाट से माल बेचते हैं। (ब) अनुचित कटौतियाँ—मण्डियों में किसानों से माल की चुङ्गी, तौलाई, दलाली, आढाती आदि शुल्कों के अतिरिक्त, प्याऊ, गोशाला, मन्दिर, अनाथालय आदि के लिये चन्दा लिया जाता है और मुनीम, चौकीदार आदि कर्मचारियों के लिये भी कुछ-न-कुछ देना पड़ता है, जिससे किसान की शुद्ध आय में बहुत कमी आ जाती है। (स) बाजार में दलाल आढतियों से मिले रहते हैं—बाजार के दलाल बहुधा आढतियों से मिले रहते हैं परन्तु किसानों को ऐसा प्रतीत होता है कि दलाल उनके लिये काम कर रहा है। इससे किसान नाहक धोखेबाजी में फँस जाते हैं। (द) गुप्त रीति से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाना—भारतीय मण्डियों में गुप्त रीति से वस्तुओं का मूल्य तय किया जाता है जिससे किसान मूल्य के सम्बन्ध में प्रायः अनभिज्ञ रहता है और उसे अन्धकार में रखकर आढतिया अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाता है।

9. बाजार भाव के ज्ञान का अभाव—किसानों को प्रचलित बाजार भाव के ज्ञान के अभाव में अत्यधिक घाटा होता है। मूल्यों में अत्यधिक भिन्नता आ जाती है।

10. विपणन योग्य अतिरिक्त कम्—भारत में ज्यादातर कृषकों की जोत का आकार काफी कम है। यहाँ 66% जोत 5 एकड़ से कम है तथा उत्तर प्रदेश में 81.2% जोत का आकार 5 एकड़ से कम है। इस जोत पर किसान सिर्फ अपने उपभोग के लिए ही अनाज उत्पन्न कर पाते हैं जिससे इनके पास विपणन योग्य अतिरिक्त की मात्रा अति न्यून होती है। फलतः किसान गाँव में ही कम मूल्य पर उसे बेच देता है।

11. वित्तीय सुविधाओं का अभाव—भारत में आज भी वित्तीय सुविधाओं

का अभाव है। कृषि के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन साख के लिए एवं दैनिक खर्च के लिए धन का अभाव रहता है। छोटे किसानों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने में राष्ट्रीय-कृत बैंक व सहकारी समितियाँ असफल रही हैं जिससे कृषक अपनी उपज को साहूकार के इच्छानुसार बेचता है। देश के लगभग 80% कृषक इस श्रेणी में आते हैं।

12 नियन्त्रित बाजारों की घामी प्रगति—मंडियों में व्याप्त व्यापारियों के कार्यों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से तथा कृषक विक्रेताओं को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से देश में नियन्त्रित बाजारों की प्रगति काफी कम है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब एवं गुजरात आदि राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं है।

कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव और सरकार द्वारा किये गये उपाय

उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था महँगी, अनिष्पन्न व अपव्ययी है, जिसमें सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न समयों पर विभिन्न समितियों व सम्मेलनों, जैसे शाही कृषि आयोग (सन् 1928), केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (1931), भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रान्तीय आर्थिक सम्मेलन (1934), राष्ट्रीय नियोजन समिति (1946), कांग्रेस-भूमि सुधार समिति (1949) विपणन, उपभोक्ता कृषि-वित्त-समिति, सहकारी योजना समिति, ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति, एवं अखिल भारतीय विपणन अधिकारी सम्मेलन आदि ने प्रचलित कृषि विपणन की व्यवस्था के दोषों को सुधारने के नये जो उपयोगी सुझाव दिये हैं, उनका सारांश तथा उन पर की गई कार्यवाही संक्षेप में नीचे दी जा रही है।

1. नियमित मण्डियों की स्थापना—सरकार ने कृषि विक्री-व्यवस्था के सुधार के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वह है नियमित मण्डियों की स्थापना—भारत में केरल, नागालैण्ड, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में मण्डियों का नियमन करने के लिये अधिनियम पारित किये जा चुके हैं। सन् 1974 के अन्त में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या 3,016 थी। 'Central Directorate of Marketing and Inspection' द्वारा इन मण्डियों में विविध प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

नियन्त्रित बाजारों में आने वाली कृषि-उपज में स्वयं किसानों द्वारा लायी गयी उपज का हिस्सा काफी बढ़ गया है। फलस्वरूप गाँवों में जो विक्री होती थी उसकी मात्रा घट गई है। नियन्त्रित बाजारों का एक लाभ और यह हुआ है कि किसानों को जो विभिन्न विपणन खर्च देने पड़ते थे काफी कम हो गये हैं।

1980 के अन्त में देश में 4446 नियमित बाजार थे।

छठी योजना में नियमित बाजारों की स्थापना की ओर बहुत ध्यान दिया गया और यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि नियमित बाजारों को सम्पूर्ण ग्रामीण

ढाँचे के पुनर्निर्माण का महत्त्वपूर्ण उपकरण बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छठी योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं—(i) नियमित बाजारों का तीव्र एवं व्यापक विकास तथा इनका प्राथमिक बाजारों के साथ समन्वय करना (ii) नियमित बाजारों में अधिकारों को लगाकर संसाधनों का सृजन करना तथा इस कार्य में पंचायतों का सहयोग लेना (iii) सम्पन्न क्षेत्रों और अन्तिम बाजारों में नियमित बाजारों का विकास (iv) प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों के साथ समन्वय करना (v) श्रेणीकरण तथा कीमतों के निर्धारण की सुविधाओं को सम्मिलित करना।

2. श्रेणी विभाजन एवं प्रमाणीकरण—बहुत से कृषि पदार्थों का वर्गीकरण किया जा चुका है। कृषि उपज वर्गीकरण व बिक्री अधिनियम सन् 1973 के अन्तर्गत सरकार ने धी, आटा तथा अंडों आदि का वर्गीकरण करने के लिए केन्द्र स्थापित किये हैं। इस नियम के अन्तर्गत विपणन अधिकारियों के निरीक्षण में कृषि पदार्थों का श्रेणीकरण करने के बाद उन पर 'गगमार्क' (Agmark) की मोहर लगा दी जाती है। इससे कृषि वस्तुओं के बाजार में विस्तार हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं में तेल के बीज, तम्बाकू, काजू तथा ऊन आदि का वर्गीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है, ताकि इनका निर्यात बढ़ाया जा सके। नई वस्तुओं के ग्रेड निश्चित करने तथा पुरानी वस्तुओं के ग्रेड सुधारने के लिए नागपुर में भारत सरकार ने केन्द्रीय कृषि नियंत्रण प्रयोगशाला (Central Quality Control Laboratory) खोली है, तथा देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार की अन्य 8 प्रयोगशालायें खोली जा चुकी हैं। अब तक लगभग 1600 वस्तुओं का श्रेणीकरण किया जा चुका है और नवीन वस्तुओं के वर्ग निर्धारण करने तथा पुरानी वस्तुओं के स्तर को सुधारने के लिए नागपुर के केन्द्रीय एगमार्क (AGMARK) प्रयोगशाला और गुण्डूर, जामनगर, बंगलौर, पटना, मद्रास, कोचीन, कानपुर, कलकत्ता, राजकोट, बम्बई तथा साहिबाबाद इत्यादि स्थानों में 17 प्रादेशिक एगमार्क प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं। मार्च 1974 के अन्त में देश में 572 वर्गीकरण इकाइयाँ (Grading Units) कार्य कर रही थीं।

3. प्रमाणित बाट एवं नाप-तौल का प्रचार—1 अप्रैल सन् 1962 से देश में नापतौल की मेट्रिक प्रणाली चालू की गई है। इससे एक ओर तो गणना करने में सुविधा हो गई है और दूसरी ओर बेईमानी व धोखेबाजी के अवसर भी कम हो गये हैं। किन्तु अब भी बहुत से व्यापारी पुराने सेर एवं मन काम में लाते हैं। अतः यह अधिनियम सक्रियता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

4. संग्रह एवं गोदाम की सुविधाओं का प्रावधान—सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में ही व्यापारिक दृष्टि से कृषि उपज के लिए संग्रह और गोदामों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अर्थ-व्यवस्था में संग्रह और गोदामों की सुविधाएँ उपलब्ध करने वाली प्रमुख संस्थाएँ इस प्रकार हैं—केन्द्रीय एवं राज्य गोदाम निगम (C.W.C.), भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारिताएँ। केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना 1962 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई : (1) उपयुक्त स्थानों पर गोदामों एवं भंडार

गृहों को प्राप्त करना तथा निर्माण करना (ii) कृषि उपज एवं प्राग्गो के लिए याता-यात की सुविधाएँ उपलब्ध कराना (iii) राज्य गोदाम निगमों की अंश-पूर्जी में हिस्सा लेना (iv) कृषि फसलों और उपज को खरीदने, बेचने संग्रह एवं वितरण के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना ।

राज्य गोदाम निगमों की स्थापना राज्य एवं जिला स्तर के महत्वपूर्ण स्थानों पर की गई है । इन निगमों को राज्य स्तर पर वही कार्य सम्पन्न करने पड़ते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय गोदाम निगम करते हैं ।

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सन् 1965 संग्रह के उचित सुविधाओं के विकास के लिए की गई । ये सुविधाएँ सहकारी समितियाँ और कृषकों को उपलब्ध हो सकती हैं । सहकारी क्षेत्र में जिन गोदामों का निर्माण किया है उनको दो भागों में बाँटा जा सकता है । (i) मण्डों के स्तर पर गोदाम (ii) ग्रामीण गोदाम । पहले प्रकार के गोदामों का निर्माण उच्च स्तर की विपणन समितियों के द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार जिला क्षेत्र तथा सर्वोपरि विपणन संघ । ग्रामीण गोदाम पर ग्राम सेवा समितियों का स्वामित्व होता है । सहकारी क्षेत्र में जो दो प्रमुख संस्थाएँ कार्यशील हैं वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (N C. D C) तथा राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ (NAFED) हैं ।

छठी योजना के प्रारम्भ में मार्केटिंग क्षेत्र की सभी एजेंसियों की कुल संग्रह क्षमता 148.4 लाख टन थी छठी योजना में संग्रह एवं गोदाम की सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्न लिखित बातों को सम्मिलित किया गया है—(i) निजी क्षेत्र में संग्रह क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देना (ii) प्राथमिक स्तर पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को उनकी संग्रह क्षमता में विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना (iii) कृषि आगंतों के लिए उपयुक्त संग्रह सुविधाओं का विकास करना (iv) संग्रह वैज्ञानिक विधियों का विकास करना ताकि कृन्तकों के विनाश तथा संग्रहित अनाज में नाशक जीव से होने वाली क्षति को कम किया जा सके ।

5. विपणन समाचार—सरकार आकाशवाणी द्वारा देश की विभिन्न मण्डियों की कृषि-उपज के मूल्यों के बारे में समाचार प्रतिदिन प्रसारित करती है । दैनिक समाचार पत्र भी प्रतिदिन प्रमुख मण्डियों के भाव प्रकाशित करते हैं । एक अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा का संगठन भी किया गया है । केन्द्र सरकार का निदेशालय भी कृषि उपज के विभिन्न क्षेत्रों के कटाई मूल्य, शोक-मूल्य व फुटकर मूल्य के बारे में आँकड़ें समय-समय पर इकट्ठा करके प्रकाशित करता है ।

6. विपणन सर्वेक्षण की व्यवस्था—सरकार ने कई महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के उत्पादन, यातायात, संग्रह, प्रक्रिया, श्रणीकरण, वितरण व विपणन खर्च इत्यादि के सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों की मण्डियों के सर्वेक्षण किये हैं । अब तक लगभग 75 ऐसी वस्तुओं का सर्वेक्षण किया गया है और कई विपणन प्रतिवेदन प्रकाशित किये गये हैं ।

7. विपणन व निरीक्षण निदेशालय—भारत सरकार ने सन् 1963 में विपणन व निरीक्षण निदेशालय की स्थापना की कृषि विपणन सलाहकार के निर्देशन में इस विभाग का कार्य आरम्भ हुआ। इस निदेशालय ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, शिलांग व भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जहाँ से उन क्षेत्रों की विपणन समाचार व्यवस्था की उचित देखभाल की जाती है।

8. विपणन कर्मचारियों का प्रशिक्षण—कृषि विपणन व्यवस्था से सम्बद्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये 3 पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। पहला पाठ्यक्रम राजकीय क्रय-विक्रय विभागों के उच्चाधिकारियों के लिए है। इसकी व्यवस्था नागपुर में है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का है। दूसरा पाठ्यक्रम क्रय-विक्रय सचिवों तथा अधीक्षकों के लिए 5 माह की अवधि का है। तीसरा वर्गीकरण निरीक्षकों के लिये त्रैमासिक पाठ्यक्रम है। इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 1,100 से अधिक कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

9. फलोत्पादन तथा प्रशीतन व्यवस्था आदेश—फलोत्पादन आदेश 1955 के अन्तर्गत फलो तथा सब्जियों की किस्म, नियंत्रण व्यवस्था के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। कोल्डस्टोरेज आदेश, 1964 के अनुसार आकार 8.5 घन मीटर था। उससे अधिक की प्रशीतन क्षमता वाले शीतागारों को भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार से सलाह लेना आवश्यक है।

10. मूल्य स्थिरीकरण—कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये कृषि तथा कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से सन् 1966 से सरकार प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्यों की घोषणा करती है।

11. सहकारी विपणन—सरकार ने सहकारी विपणन समितियों की स्थापना द्वारा कृषि विपणन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना आगे की गई है।

12. वित्त की व्यवस्था—ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत-सी सार्वजनिक एजेन्सियाँ कृषकों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

13. खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार—खाद्यान्नों का राज्य व्यापार सबसे पहले केन्द्र एव राज्य सरकारों के खाद्य विभागों ने आरम्भ किया। सन् 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। इस निगम को खाद्यान्नों की खरीद, संग्रह, यातायात, वितरण और विक्रय का कार्य सौंपा गया। यह आशा व्यक्त की गई है कि खाद्यान्नों के विपणन में (FCI) एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खाद्य निगमों द्वारा सम्पन्न किए गए कुछ कार्य भी FCI को सौंप दिए गए हैं।

सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों पर टिप्पणी एवं सुझाव

कृषि विपणन के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रयत्न किये गये हैं, वे निश्चय ही प्रशंसनीय एव महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु आवश्यकता की तुलना में वे नितान्त ही

अपर्याप्त हैं। अतः सरकार को और अधिक प्रयत्न में शीघ्रता करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों में अभी भी बहुत कमी है। अतः विपणन में विकास हेतु इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास की आवश्यकता है। सहकारी विपणन ने जाँच पड़ताल के क्षेत्र में तो प्रगति पर पर्याप्त ध्यान दिया है, किन्तु विकास की ओर कम ध्यान दिया। इस संदर्भ में किये गये सर्वेक्षण में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित किया जाना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि शासन कृषि विपणन के सन्दर्भ में क्षेत्रीय अध्ययन कराये। वर्गीकरण के अधिनियम को दृढतापूर्वक लागू करने की व्यवस्था की जाय। कृषि द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं के बिक्री किये गये माल के 10% वस्तुओं का ही वर्गीकरण हो पाता है। अतः इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास एवं विस्तार की आवश्यकता है। विपणन तकनीक में भी अभी हम बहुत ही पीछे हैं। अतः इसमें अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है। हमारे यहाँ के विपणन रूप-रेखा में भी सुधार की आवश्यकता है। शासन को चाहिए कि भविष्य के कार्यक्रम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाथ में ले।

भारत में सहकारी विपणन (Co-operative Marketing in India)

सहकारी विपणन का अर्थ—जब कुछ उत्पादक अपने उत्पादन को व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग बेचने के स्थान पर सहकारी विपणन समितियाँ बना कर उनके माध्यम से बेचते हैं तो उसे सहकारी विपणन कहा जाता है। के० आर० कुलकर्णी का कहना है कि “उत्पादकों का सहकारी संगठन उत्पाद के छोटे आकार होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वयं गहायता का एक प्रयास है।¹ साधारणतः सहकारी विपणन शब्द का प्रयोग सहकारी विक्रय संगठनों या उत्पादकों के संगठनों को जो कि विक्रय कार्यों को सम्पादित करते हैं, निर्देश करने के लिए किया जाता है।²

सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभ

सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभों को हम निम्नलिखित तीन शीर्षकों में अध्ययन कर सकते हैं—(अ) कृषकों को लाभ (ब) उपभोक्तकों को लाभ और (स) सामाजिक लाभ।

1. “A Co-operative association of producers is an attempt to selfhelp, to overcome the difficulties arising out of the smallness of operations.” —K. R. Kulkarni Agricultural Marketing in India.

2. “The term Co-operative Marketing has been used generally to denote Co-operative sale association or those associations of producers which perform the functions of sale.”

—Beckken Schaars, Economics of Co-operative Marketing, p. 205

(1) (अ) कृषकों को लाभ भण्डारगृहों और गोदामों का प्रबन्ध—सहकारी समिति अपने भण्डारगृहों और गोदामों का प्रबन्ध करती है और इस प्रकार फसल को चूहों, चींटियों एवं सीलन इत्यादि से कोई क्षति नहीं पहुँचती है।

(2) उचित कीमत—विपणन समितियाँ कृषक को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करके उसे साहूकार के चंगुल से मुक्ति दिला देती है। वह उपज को रोककर उचित समय पर बिक्री कर सकता है। साथ ही समय-समय पर इन साख समितियों द्वारा इनको बाजार भाव का ज्ञान प्राप्त होता रहता है।

(3) उत्पादित माल का श्रेणीकरण और मानकीकरण—समिति किसानों को श्रेणीकृत और मानकीकृत माल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देती है और उन्हें उपज में मिलावट करने से प्रतिबन्धित रखती है।

(4) कृषक की सौदा क्षमता में सुधार—ये समितियाँ भावना पैदा करके उनकी सौदा करने की क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है।

(5) मूल्यों को प्रभावित करना—सहकारी समितियाँ उपज की पूर्ति की मात्रा का नियन्त्रण करती है और इस प्रकार कीमतों को प्रभावित करती है।

(6) विज्ञापन एवं प्रचार—सहकारी विपणन समितियाँ विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से अपने सदस्यों के उपाय में वृद्धि कर सकती है तथा मण्डियों का विस्तार कर सकती है।

(7) मध्यस्थों का उन्मूलन—सहकारी समितियों द्वारा माल सीधे मण्डियों में बेचा जाता है जिससे मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मध्यस्थों के अभाव के कारण समितियों को लाभ अधिक होता है जो कृषकों में विभक्त हो जाता है।

(8) विपणन की शिक्षा—आत्म सहायता सहकारिता का एक उद्देश्य होता है। सहकारी विपणन से सम्बन्धित सभी कार्य स्वयं सदस्यों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। इस प्रकार वे विपणन व्यवस्था से पूर्णतः परिचित हो जाते हैं।

(9) वित्त की सुविधा—सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों को वित्त सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं। कृषकों को उनकी उपज बिकने के पूर्व ही अग्रिम धनराशि प्राप्त हो जाती है।

(10) अनियमित मण्डियों के छोड़े से बचाव—सहकारी समितियाँ कृषकों को उचित मार्ग प्रशस्त करके अनियमित मण्डियों की अव्यवस्था व परेशानियों से मुक्त करती है।

(ब) उपभोक्ताओं को लाभ—सहकारी विपणन से एक लाभ यह है कि उपभोक्ता वर्ग को वर्ष भर कृषि माल उचित कीमत पर प्राप्त होता रहता है क्योंकि सहकारी समितियाँ पूंजीपति व्यापारियों की भाँति माल रोककर कृत्रिम दुर्बलता की स्थिति उत्पन्न नहीं करती। यह माल की पूर्ति निरन्तर बनाये रखती है, जिससे बाजार की कीमतों की स्थिति डाँवाडोल नहीं होने पाती।

(स) सामाजिक लाभ—मध्यस्थों के उन्मूलन द्वारा उत्पादक तथा उपभोक्ता

दोनों को ही लाभान्वित करके ये समितियाँ राष्ट्रीय आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। सहकारी विपणन समितियों के सदस्य अपनी अर्थिक एवं विपणन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने हैं एवं एक दूसरे के निकट आते हैं। एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। स्पष्ट है कि सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

भारत में सहकारी विपणन की रचना (Structure of Co-operative Marketing in India)

इस समय देश में सहकारी विपणन की संरचना इस प्रकार है—

(अ) प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ—ये समितियाँ ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। ये दो तरह की होती हैं—प्रथम सामान्य सहकारी विपणन समितियाँ जिनका कार्यक्षेत्र सामान्यतः पूरी तहसील होता है और वे सभी प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करती हैं। द्वितीय, विशिष्ट वस्तु सहकारी समितियाँ, जो किसी विशिष्ट वस्तु का व्यापार करती हैं जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार की गन्ना समितियाँ, उत्तर प्रदेश की घी समितियाँ इसके अच्छे उदाहरण हैं।

(ब) केन्द्रीय विपणन संघ—प्राथमिक समितियों के ऊपर जिला-स्तर पर केन्द्रीय जिला विपणन संघ हैं। इन संघों के सदस्य—व्यक्ति और प्राथमिक समितियाँ—दोनों ही हो सकते हैं। स्वतन्त्र रूप से कृषि वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं और प्राथमिक समितियों का ऋण तथा अन्य प्रकार की सहायता भी देते हैं।

(स) राज्य विपणन संघ—इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होता है। इसका कार्य क्रय विक्रय करना तथा केन्द्रीय विपणन संघों और प्राथमिक विपणन समितियों को ऋण प्रदान करना है। राज्य विपणन संघों के सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों हो सकते हैं।

(द) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ—यह राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं अन्य वस्तुओं में अपने सदस्यों को विपणन एवं व्यापारिक कार्य-कलापों में समन्वय लाना और प्रोत्साहित करना अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्यों को कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना है।

सहकारी विपणन की प्रगति

भारत में पहली सहकारी विपणन समिति की स्थापना 1913 में हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में इनके विकास की गति में काफी तीव्रता आई और सहकारी विपणन समितियों ने कर्पूरों की वस्तुओं, बीज, उर्वरक व औजारों आदि के वितरण कार्य में विशेष भूमिका अदा की। परन्तु विश्वयुद्ध के बाद में अधिक सफल नहीं हो सकी।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् सहकारी विपणन में काफी प्रगति हुई है। इस सम्बन्ध में निम्न तालिका पर दृष्टिपात किया जा सकता है :

(करोड़ रुपये में)

सहकारित वर्ष	सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से कृषि पदार्थों का विक्रय
1960-61	175
1972-73	921
1973-74	1,110
1974-75	1,434
1975-76	1,564
1976-77	1,523
1977-78	1,420

सहकारी विपणन में धीमी प्रगति के कारण

1 प्रशिक्षित व कुशल पदाधिकारियों की न्यूनता—भारतीय कृषक आज भी अशिक्षित व अकुशल हैं जिससे समितियों के कार्य संचालन के लिए कुशल व शिक्षित व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं।

2 निष्ठा की कमी—कृषकों को यह आवश्यक है कि वे समिति के प्रति निष्ठावान् हो तभी समिति सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। परन्तु भारत में निष्ठावान् सदस्यों का अभाव पाया जाता है।

3 विपणन लागत की अधिकता—समिति के कर्मचारी चूँकि वेतन के आधार पर कार्य करते हैं इसलिए वे समिति के कार्य को अपना कार्य नहीं समझते हैं साथ ही इनके पास यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे कृषि के यातायात पर इन्हें अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है। फलतः विपणन लागत अधिक आती है जिससे व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है।

4. वित्त की अपर्याप्तता—सहकारी समितियों की धीमी प्रगति का एक कारण यह है कि इन समितियों के पास वित्तीय-साधनों का अभाव है और इन्हें कम ब्याज की दर पर पर्याप्त नहीं मिल पाता है।

5 व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा—व्यापारी वर्ग सहकारी समितियों को अपना प्रतिस्पर्धी मानता है और सहकारी विपणन समितियों को असफल करने के लिए तरह-तरह के प्रयत्न करता है।

6. वर्ष भर विपणन कार्य का अभाव—सहकारी समितियाँ कृषि वस्तुओं को वर्ष भर खरीद नहीं सकती क्योंकि इनके पास प्रायः भण्डार-गृहों का अभाव रहता है और वित्तीय साधन भी पर्याप्त नहीं होते। स्पष्टतः ये समितियाँ व्यापारियों का स्थान लेने में असमर्थ रही हैं।

7. अन्य कारण—सहकारी विपणन समितियों की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं—जैसे (अ) कृषक वर्ग की उदासीनता (ब) गोदामों का अभाव (स) विपणन समितियों एवं उपभोक्ता समितियों में सम्पर्क का अभाव (द) बाजार सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव आदि ।

सुझाव—उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहकारी विपणन समितियों से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है । परन्तु सम्पूर्ण देश के आकार तथा कृषि की आवश्यकताओं को देखते हुए इनकी प्रगति बहुत धीमी गति से हुई है । सहकारी विपणन के विकास के लिये कुछ सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं :—

1. सहकारिता के विभिन्न पहलुओं—जैसे, साख-विपणन एवं उन्नत कृषि में समन्वय स्थापित करना चाहिये और यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि एक ही समिति इन तीनों प्रकार की सेवाएँ प्रदान करे ।

2. सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के क्षेत्रों में सहकारी-विक्रय पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये ।

3. सहकारी विपणन समितियों को चाहिये कि जहाँ सम्भव हो कृषि वस्तुएँ उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बेचें, ताकि मध्यस्थों का व्यय बच सके ।

4. सहकारी-विक्रय समितियों का प्रबन्ध व संचालन शिक्षित व कुशल व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए । इसके लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ।

5. सरकार की ओर से इन संस्थाओं को कृषि-वस्तुओं के बर्गीकरण की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये ।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संग्रह एवं गोदाम सुविधाएँ विकसित करने के लिए सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये ।

7. सरकार को चाहिये कि वह ग्रामों और बाजारों के बीच यातायात और सम्वाद-वहन के साधनों का विकास करे । प्रारम्भ में सहकारी विपणन-समितियों को मूल्य में वृद्धि की आशा में लम्बी अवधि तक सदस्यों की उपज को नहीं रोके रखना चाहिये, क्योंकि उसमें हानि का खतरा रहता है ।

8. सरकार को चाहिये कि यथासम्भव विपणन समितियों को अपने सहायता कार्यों, जैसे उन्नत बीजों या उर्वरकों के वितरण आदि का माध्यम बनावे ।

9. बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं, जिनके विपणन के पूर्व विधायन कर देने से, अच्छे मूल्य पर और अधिक मात्रा में बेची जा सकती है । सहकारी समितियों को चाहिये कि इन वस्तुओं, जैसे दूध आदि में यह भी कार्य करें ।

10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं सहकारी बैंक को चाहिए कि विपणन सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के लिए आर्थिक सहायता दें, ताकि वे विभिन्न कामों को सुविधापूर्वक कर सकें ।

11. इन सहकारी संस्थाओं द्वारा विधायन एवं व्यापार कार्य के लिए वित्तीय सहायता स्टेट बैंक द्वारा दी जानी चाहिए ।

12. विपणन सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता एवं वैमनस्य का खतरा बना रहता है। इसे दूर किये जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

13. सहकारी विपणन संस्थाओं को प्रयत्न करना चाहिए कि उत्पादित अतिरिक्त खाद्य सामग्री का क्रय कर सके।

14. सहकारी विपणन समितियों को चाहिये कि सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण से उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन को सम्बन्धित किया जाय। इससे ऋण की सुरक्षा में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही कृषकों को अच्छी कीमत भी मिल सकेगी।

15. विपणन सहकारी समितियों के विकास के लिए नियोजित ढङ्ग से प्रयत्न किया जाना चाहिए और उसमें उत्पादन, विधायन विपणन एवं संग्रह आदि पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न

1. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विपणन की प्रगति के लिए कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों सुझाव दीजिये।

अथवा

कृषि विपणन के प्रमुख दोष कौन से हैं? आप किस प्रकार विपणन प्रणाली एवं वित्त की उन्नति करें?

अथवा

भारत में कृषि विपणन की समस्याओं का परीक्षण कीजिये। वर्तमान समय में स्थिति के सुधार के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकलता है?

अथवा

संक्षेप में, भारतीय कृषक को अपनी उपज बेचने में होने वाली कठिनाइयों को बतलाइये। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कौन-कौन से उपाय अपनाये गये हैं?

अथवा

उन बाधाओं का विवेचन कीजिये जिनके अन्तर्गत भारत में कृषक अपनी उपज को बेचने में सामना करता है। उन बाधाओं को दूर करने के लिये उपाय बतलाइये।

अथवा

उन अलाभप्रद स्थितियों को स्पष्ट रूप से बतलाइये जिनके अन्तर्गत भारतीय कृषक अपनी उपज बेचता है। कृषि विपणन को संगठित करने व प्रगति के लिये सुझाव दीजिये।

2. क्या कृषि विपणन के दोषों को सहकारी समितियों द्वारा कार्य का संगठन कर दूर किया जा सकता है? भारत में सहकारी विपणन के विकास के लिए सुझाव दीजिए।

अथवा

कृषि उपज के सहकारी विपणन की सफलता के लिये शर्तें निर्धारित कीजिये ।
गन्ना, कपास, दूध, गेहूँ और घी के सहकारी विपणन के संगठन द्वारा प्राप्त लाभ के अनुभवों के बारे में बताइये ।

भारत में खाद्य समस्या एवं खाद्य नीति (Food Problem and Food Policy in India)

भारत में विगत आठ वर्षों में निरन्तर खाद्यान्नों के 125 मिलियन के औसत वार्षिक उत्पादन से हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्राप्त हुई है। यद्यपि वृत्तन्त्रता के उपरान्त से ही भारत में खाद्यान्नों का अभाव रहा है लेकिन अब खाद्य धति में पर्याप्त सुधार हुआ है। अब देश में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। वस्तुतः भारत में खाद्य समस्या 1975-76 तक विद्यमान रही है।

भारत की खाद्य समस्या के विभिन्न रूप

अथवा

खाद्य अर्थव्यवस्था की प्रकृति

भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख 4 पहलू हैं।

- (1) परिमाणात्मक पहलू अर्थात् माँग की तुलना में खाद्यान्नों की पूर्ति में कमी।
- (2) गुणात्मक पहलू अर्थात् खाद्यों में पोषक तत्वों की कमी।
- (3) प्रशासनिक पहलू अर्थात् दोषपूर्ण वितरण प्रणाली।
- (4) आर्थिक पहलू अर्थात् लोगों की निम्न आय और खाद्यान्नों की ऊँची कीमतें।

(1) खाद्य समस्या का परिमाणात्मक पहलू

अथवा

खाद्य समस्या के कारण

भारत में एक लम्बी अवधि तक खाद्यान्नों की उत्पादन माँग की तुलना में कम रहा है अर्थात् खाद्यान्नों का अभाव रहा है। खाद्यान्नों की माँग व पूर्ति के इस अन्तर के लिए दो प्रकार के कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसा कि आगे चार्ट में दर्शाया गया है।

खाद्य समस्या के कारण

- | | |
|--|--|
| <p>(i) खाद्यान्नों की माँग में वृद्धि</p> <p>(अ) जनसंख्या में वृद्धि</p> <p>(ब) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि</p> <p>(स) शहरीकरण</p> | <p>(ii) खाद्यान्नों की पूर्ति में धीमी वृद्धि</p> <p>(अ) उत्पादकता में धीमी वृद्धि</p> <p>(ब) प्रकृति पर कृषि की निर्भरता</p> <p>(स) खाद्यान्न का अपव्यय</p> <p>(द) उपभोग सम्बन्धी आदत</p> <p>(य) खाद्य साधनों का अल्प उपयोग</p> <p>(र) दोषपूर्ण सरकारी नीति</p> |
|--|--|

(1) खाद्यान्नों की माँग में तीव्रवृद्धि—खाद्यान्नों की माँग में तेजी से वृद्धि के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं जिनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं—

(अ) जनसंख्या में वृद्धि—खाद्यान्नों की माँग में तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण हमारी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही देश में खाद्यान्न के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद खाद्यान्नों की माँग व पूर्ति के बीच की खाई बढ़ती गई है, फलतः खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है।

(ब) प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि—भारत में आर्थिक विकास की योजनाओं के परिणामस्वरूप लोगों की आय में वृद्धि हुई है, तथा साथ ही कृषि वस्तुओं की माँग में भी वृद्धि हुई है। भारत जैसे निर्धन देशों में आय बढ़ने पर खाद्यान्नों के उपभोग में तीव्रता में वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसे देशों में अधिकांश लोग निर्धन होते हैं तथा निर्धन लोगों की खाद्यान्नों लिए माँग की आय लोच 0.7 से 0.8 के समीप होती है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि निर्धन व्यक्तियों की आय में 1 रुपये की वृद्धि होती है तो इसमें से 70 पैसे से लेकर 80 पैसे तक खाद्यान्नों में व्यय किये जाते हैं। स्पष्टतः भारत जैसे निर्धन देशों में लोगों की आय बढ़ने पर खाद्यान्नों की माँग में तीव्रता से वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि देश में खाद्य समस्या को हल करने के लिए उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि होना आवश्यक है।

(स) शहरीकरण—जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ शहरीकरण भी तीव्र गति से हो रहा है। भारत में पहले कभी भी शहरी जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी, जितनी की अब बढ़ रही है। शहरी जनसंख्या की मात्रा में वृद्धि से खाद्यान्नों की माँग भी बढ़ रही है।

(ii) खाद्यान्नों की पूर्ति में धीमी वृद्धि—जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में खाद्यान्नों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर कम रही। यह तथ्य दो बातों से स्पष्ट होता है। प्रथम खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, यह एक लम्बी अवधि तक न्यूनतम पोषक आहार के स्तर 440 ग्राम

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी कम रही है। द्वितीय 1951-76 की अवधि में खाद्यान्नों के उत्पादन के निर्देशांक में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई है।

खाद्यान्नों की पूर्ति में कमी के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटक उत्तरदायी है—

(अ) उत्पादकता में धीमी वृद्धि—भारत में अन्य देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी कम है, जिसके कारण देश में खाद्यान्नों का प्रायः अभाव रहता है। यद्यपि योजना काल में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में सुधार हुआ है परन्तु खाद्यान्नों की उत्पादकता के निर्देशांक में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई है, यह 1968-69 में 100 था जो कि 1976-77 में बढ़कर 109.1 हो सका है। अन्य शब्दों में लगभग एक दशक के दौरान खाद्यान्नों की उत्पादकता में केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि उसके बाद उत्पादकता का निर्देशांक बढ़ा है और 1977-78 में बढ़कर 122.0 हो गया है।

(ब) प्रकृति पर कृषि की अत्यधिक निर्भरता—भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है जिसके कारण प्रतिकूल वर्षा व जलवायु, फसल के रोग व कीटाणु से कृषि उत्पादन अचानक घट जाता है जिससे खाद्य समस्या कठिन हो जाती है।

(स) खाद्यान्न का अपव्यय—भारत में खाद्यान्न का अपव्यय बड़ी मात्रा में होता है। निम्न तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि हम जो उत्पादन करते हैं उसके लगभग 10 प्रतिशत का हम उपभोग नहीं कर पाते। भारत में जहाँ अनाज की कमी है, वहाँ इस बर्बादी का काफी महत्त्व है। 'खाद्य निगम' के डा० पिगले बर्बादी का प्रतिशत 8 से 40 तक मानते हैं। यद्यपि यह एक विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी वैज्ञानिक ढंग से बनाये गये निर्देशांक उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी बर्बादी काफी होती है और बर्बादी से हमारी खाद्यान्न समस्या सम्बन्धित है।

(द) उपभोग सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन—जैसा कि डा० राधाकमल मुकैर्जी ने बताया कि उपभोग सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन भी खाद्य के अभाव के लिए उत्तरदायी है। एक ओर तो किसानों में पौष्टिक खाद्यान्नों के स्थान पर घटिया खाद्यान्नों के उत्पादन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और दूसरी ओर ज्वार, बाजरा, कोदो आदि घटिया खाद्यान्नों की अपेक्षा गेहूँ, चावल आदि बढ़िया खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ रहा है, जिससे बढ़िया खाद्यान्नों की समस्या अधिक कठिन है।

(य) खाद्य साधनों का अल्प उपभोग—भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग शाकाहारी है अतः किसी वर्ष खाद्यान्न का अभाव हो तो उसकी पूर्ति मास मछली आदि वस्तुओं से नहीं की जा सकती। भारत की जनसंख्या के लिए मासाहारी बनने की बड़ी आवश्यकता है।

(र) दोषपूर्ण सरकारी नीति—खाद्यान्न की कमी का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी रहा है कि देश में खाद्यान्नों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई गई। पर्याप्त उत्पादन होने पर भी व्यापारी एवं सटोरिये खाद्यान्न का संचय कर लेते

हैं जिससे बाजार में उपलब्ध पैदावार कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार अनेक बार देखा गया है कि सरकार यह तों निश्चित कर लेती है कि अमुक मात्रा में विदेशों में खाद्यान्न मँगवाना है किन्तु प्रबन्ध व्यवस्था की शिथिलता के कारण उसके मँगाने में अवाञ्छनीय देर हो जाती है।

(2) खाद्य समस्या का गुणात्मक पहलू

हमारी जनता को केवल पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता बल्कि उसका आहार असंतुलित व पौष्टिक तत्त्वों में हीन है। वैज्ञानिकों के अनुसार संतुलित भोजन में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3000 कैलोरी होनी चाहिये, परन्तु भारत में प्रति दिन प्रति व्यक्ति लगभग 2000 कैलोरी ही मिल पाती है। भारत की स्थिति विभिन्न अल्पविकसित देशों की तुलना में कितनी शोचनीय है, यह सारणी द्वारा स्पष्ट हो जाता है।

कुछ अल्पविकसित देशों में खाद्य उपलब्धि के स्तर

देश	वर्ष	कैलोरीज	प्रोटीन
अजेण्टाइना	1960	3160	105
ब्राजील	1970	2820	67
मैक्सिको	1964-66	2620	66
संयुक्त अरब गणराज्य	1968-69	2770	80
सीरिया	1964-66	2450	69
भारत	1969-70	1990	49

भारत में खाद्यान्नो में पोषक तत्त्वों की कमी के लिए उत्तरदायी कारण इस प्रकार हैं :—

(अ) देश में रक्षात्मक खाद्यों का कम उत्पादन।

(ब) धार्मिक भावना के कारण मांस, मछली, अण्डे आदि का प्रयोग न होना।

(स) जनता की निरक्षरता एवं अज्ञान के कारण भोजन में पोषक तत्त्वों की उपयोगिता पर ध्यान न देना।

(द) निर्धनता के कारण पोषक पदार्थ न खरीद पाना। इस असंतुलित आहार का ही परिणाम है कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वे भीष्म ही बीमारी तथा मृत्यु के शिकार हो जाते हैं तथा जनता की कार्य-क्षमता बहुत कम है।

(3) खाद्य समस्या का प्रशासनिक पहलू

खाद्यान्नो के प्रशासनिक तथा वितरणात्मक पहलू से आशय यह है कि देश में जितने भी खाद्यान्न उपलब्ध हैं उन्हें जनता में उचित मूल्य और उपयुक्त समय पर

वितरित कर दिया जाय। संक्षेप में प्रशासनिक पहलू में निम्न कार्य सम्मिलित किये जाते हैं—

(अ) देश में खाद्यान्नों की पूर्ति और माँग का सही अनुमान लगाना।

(ब) खाद्यान्नों के भण्डार को गोदामों में सुरक्षित रखना व सकट कालीन परिस्थितियों के लिए खाद्यान्नों के यथोचित भण्डार बनाना।

(स) कमी वाले स्थानों पर उपयुक्त समय में यथेष्ट खाद्यान्न भेजने का प्रबन्ध करना।

(द) खाद्यान्न के उचित मूल्य निर्धारित करना और उचित मूल्य पर जनता को ठीक समय पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था करना।

उपरोक्त व्यवस्था न करने से अनेक बार देश में खाद्यान्न की कमी न होने पर भी उसकी कमी दिखाई पड़ती है। भारत में खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था भी असतोषजनक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० राज का मत है कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है वरन् सरकार की अदूरदर्शिता और प्रशासन व्यवस्था का अभाव प्रतीत होता है। श्री० पी० के० कृष्ण मेनन के शब्दों में “खाद्यान्न समस्या का मूल कारण वस्तु का अभाव नहीं है, बल्कि दोषपूर्ण, असफल और निर्जीव सरकारी वितरण है जिसके कारण उपभोक्ता तक अनाज नहीं पहुँच पाता है। सन् 1943 के बंगाल के अकाल का मुख्य कारण दोषपूर्ण खाद्य वितरण था।”

(4) खाद्य समस्या का आर्थिक पहलू

भारत में जनता के पास क्रयशक्ति बहुत कम है जिससे हमारे नागरिक देश में जो अन्न उपलब्ध है उसे खरीदने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अतः धनाभाव के कारण भी भारत की अधिकांश जनता अनाज नहीं खरीद पाती व विदेशों से भी पर्याप्त आयात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमारी खाद्य समस्या का एक कारण सामान्य जनता में क्रयशक्ति का अभाव भी है। इधर कई वर्षों से देश में खाद्य की कीमतों में प्रायः लगातार व तेजी से वृद्धि हो रही है। स्थिर आय-स्तर एवं कमजोर वर्ग में बढ़ती हुई बैरोजगारी के सन्दर्भ में खाद्य पदार्थों की कीमत में थोड़ी वृद्धि क्रयशक्ति को बहुत कम कर देती है और जब कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है जैसा कि आजकल देश में हो रहा है, तब ऐसे वर्ग के लोगों को दिन में एक समय भोजन मिलना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भारी भुखमरी के स्तर पर निर्वाह करता है।

खाद्य समस्या को हल करने के सुझाव

भारतीय खाद्य समस्या को हल करने के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं; जैसे :—

1. खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि—खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के उपायों को हम अप्रलिखित तीन शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

खाद्य प्रशासन के कर्मचारियों की अकुशलता और बेईमानी भी है। अतः इसमें सुधार लाना अनिवार्य है।

7. खाद्यान्न अपव्यय पर रोक—दोषपूर्ण यातायात, संग्रह व आहार पद्धति से खाद्यान्नो का जो व्यय होता है उसे न्यूनतम करना चाहिये। साथ ही गोदाम निगम तथा सहकारी समितियों के गोदामों की क्षमता बढ़ानी चाहिये और उनकी वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कदम उठाना चाहिये।

भारत सरकार की खाद्य नीति

खाद्य समस्या को हल करने के लिये भारत सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उनका हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, और

(ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद किये गये प्रयत्न अर्थात् खाद्य नीति।

(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व खाद्य नीति—(1) 1942 में खाद्य विभाग की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य सैनिक एवं नागरिकों के लिए खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करना था।

(ii) 1943 में खाद्यान्न नीति समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने खाद्यान्न की राशनिंग एवं नियंत्रण व्यवस्था को अपनाया एवं खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए आन्दोलन चलाने की सिफारिश की। भारत सरकार ने इस सिफारिश के आधार पर 1943 में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किये। (क) खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि, (ख) सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विस्तार, (ग) खेतों की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, (घ) अच्छे बीजों के प्रयोग का प्रचार।

(ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद खाद्य नीति—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने देश की खाद्य समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान दिया और देश की खाद्य स्थिति की जाँच के लिए 1947 में द्वितीय खाद्य नीति समिति की स्थापना की। इस समिति ने खाद्यान्न समस्या के समाधान के लिए निम्न परामर्श दिये—

(क) खाद्यान्न के आयात पर सरकार का एकाधिकार हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की खाद्य नीतियों में संतुलन की स्थापना हो।

(ग) कृषि योग्य भूमि का पुनरुत्थान किया जाय।

(घ) खाद्यान्न उत्पादन की एक पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जाय।

योजनावधि में खाद्य समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उन्हें हम तीन शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं जैसा कि प्रदत्त चाटें में दर्शाया गया है :—

खाद्य समस्या के समाधान हेतु सरकारी प्रयत्न

1	2	3
खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की दिशा में उपाय	खाद्यान्नों के वितरण सम्बन्धी उपाय	खाद्यान्नों के उपयोग सम्बन्धी नीति
<ol style="list-style-type: none"> 1. तकनीकी उपाय 2. भूमि सुधार 3. प्रेरक मूल्य नीति 4. विशिष्ट मस्यानों की स्थापना 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था 	<ol style="list-style-type: none"> 1. खाद्य नियंत्रण व खाद्य क्षेत्रीय व्यवस्था 2. विशाल अन्न भण्डारों का निर्माण 3. उचित मूल्यों की दूकान पर खाद्यान्न वितरण 4. सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली 5. खाद्यान्नों की जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर नियंत्रण 6. साख नियंत्रण के उपाय 7. भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जनसंख्या नीति 2. पोषण नीति

1. खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि की दिशा में प्रयास

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. तकनीकी उपाय¹—खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों का महत्त्व 1966 के बाद से काफी बढ़ गया है। तकनीकी उपायों के अन्तर्गत सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, सघन कृषि कार्यक्रम, बहुफसली कार्यक्रम अधिक उपज देने वाली किस्मों का उगाना, उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा कृषि के यंत्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इन तकनीकी उपायों से न केवल उत्पादकता में वृद्धि हुई है बल्कि खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है।

2. भूमि-सुधार²—नियोजन के प्रारम्भ से ही देश में भूमि-सुधार कार्यक्रमों को महत्त्व दिया गया है। प्रथम योजना में यह स्वीकार किया गया है कि भूमि स्वामित्व और खेती प्रारूप की संरचना राष्ट्रीय विकास के लिए आधारभूत प्रश्न है।

1. विस्तृत अध्ययन के लिये, 'योजनाओं में कृषि विकास एवं हरी क्रान्ति' नामक अध्याय देखें।

2. विस्तृत अध्ययन हेतु 'भूमि व्यवस्था एवं भूमि-सुधार' नामक अध्याय देखें।

अतः मध्यस्थो को समाप्त करने के लिए सभी राज्यों में कानून बनाये गये। विभिन्न राज्यों में जोतो की उच्चतम सीमाबन्दी की गई। लगान का नियमन हुआ। जमीन्दारों द्वारा काश्तकारों से ली जाने वाली बेकार आदि अवैध करार दी गई। इस प्रकार निश्चय ही भूमि सम्बन्धों में परिवर्तन हुए। उपविभाजित एवं अपखंडित जोतों के कारण कृषि कार्य में दोषों को दूर करने के लिए अनेक राज्यों में चकबन्दी की गई। सरकारी खेती की उपयोगिता की चर्चा यद्यपि बहुत हुई, तथापि व्यवहार में इसे थोड़े लोगो ने ही अपनाया।

3. प्रेरक मूल्य नीति—1 जनवरी 1965 को भारत सरकार ने खाद्यान्नों की कीमतों पर विचार करने के लिए ज्ञा समिति की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। पिछले 12 वर्षों में आयोग ने प्रायः कृषकों को खाद्यान्नों के प्रेरक मूल्य देने के लिए सुझाव दिये हैं। परन्तु आयोग द्वारा निर्धारित खाद्यान्न वसूली की कीमतें बहुत आकर्षक नहीं रही हैं।

4. विशिष्ट संस्थानों की स्थापना—खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि का विकास करने के लिए सरकार ने अनेक संस्थानों की स्थापना की है, जिनमें National seeds Corporation, Agro Industries Corporation Agricultural Prices Commission तथा Food Corporation of India विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था—सरकार अब एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करने की ओर अग्रसर हो रही है। इस समयोचित और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य के चार मुख्य आधार होंगे। सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में भी मुख्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार प्राकृतिक आपदाओं तथा कीड़े-मकोड़ों से फसल का संरक्षण, एक स्थायी अनाज भंडार का निर्माण ताकि अनाज की कीमतों में भारी घटा-बढ़ी को रोका जा सके और एक और भी व्यापक और प्रभावी वितरण व्यवस्था का निर्माण।

इसमें कोई शक नहीं है कि इन चार मुख्य बातों पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली देश के अनाज उत्पादन में स्थायित्व लायेगी और किसी साल कम और किसी साल अधिक उत्पादन के कारण होने वाली अनाज की कीमतों की घटा-बढ़ी पर काबू पाया जा सकेगा और उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को अनिश्चितता तथा हानि से बचाया जा सकेगा।

2 खाद्यान्नों के वितरण सम्बन्धी उपाय

(1) खाद्य नियंत्रण तथा खाद्य क्षेत्रीय व्यवस्था—एक राज्य से दूसरे राज्य को खाद्यान्नों के संचालन पर समय-समय पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इन प्रतिबन्धों को लागू करने के लिए देश को कई क्षेत्र में बाँटा गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र को आत्म-निर्भर बनाना है। इसके अलावा खाद्यान्नों के घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी को अतिरिक्त उत्पादन वाले क्षेत्रों की सहायता से दूर किया

जाता है। खाद्यान्नों के संचालन पर प्रतिबन्ध की नीति को सर्वप्रथम 1957 में अपनाया गया था। सन् 1972-75 में पुनः क्षेत्रीय नियन्त्रणों को लागू किया गया। ये नियन्त्रण 1977 तक लागू रहे। लेकिन 1977 के अन्त में गेहूँ तथा गेहूँ के पदार्थों, चावल एवं अन्य खाद्यान्नों के संचालन पर से सभी नियंत्रण हटा लिए गये। वर्तमान समय में देश के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मुक्त रूप से संचालन किया जा सकता है।

(2) विशाल अन्न भण्डार (बफर स्टॉक) का निर्माण—सरकार की खाद्यान्नों के बाजार में प्रभावशीलता बहुत बड़ी सीमा तक स्टॉकों की मात्रा पर निर्भर करती है। स्टॉकों की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। (अ) वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात् वर्ष भर खाद्यान्नों की नियमित पूर्ति बनाए रखने के लिए तथा (ब) फसलों की कमी वाले वर्षों में खाद्यान्नों की पूर्ति को बनाए रखने के लिए। प्रथम विचार की सहायता से खाद्यान्नों की पूर्ति में होने वाली मीसमी उतार-चढ़ावों को दूर किया जा सकता जबकि दूसरे विचार की सहायता से वार्षिक उतार-चढ़ाव को कम किया जा सकता है। पहले स्टॉक को समान स्टॉक तथा दूसरे को बफर स्टॉक कहते हैं बफर स्टॉक स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और कृषकों की आय में स्थिरता लाना है। भारत में बफर स्टॉक की वर्तमान मात्रा 18 मिलियन टन है।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली—अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्ग को खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश भर में फैली हुई सस्ते दर की दुकानों के माध्यम से काम कर रही है। सन् 1966 में जबकि देश में खाद्यान्नों का घरेलू उत्पादन का स्तर बहुत कम था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश में खाद्यान्नों का योगदान कुल शुद्ध उपलब्धता का 20 प्रतिशत भाग था। लेकिन गत दशक में इस प्रणाली की सहायता से देश में खाद्यान्नों की कुल शुद्ध उपलब्धता का केवल 10 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो सका है।

(4) सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली—सरकार की खाद्य नीति में सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा अनाज की वसूली की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित की गयी हैं (i) एकाधिकार वसूली प्रणाली, (Monopoly Procurement) (ii) उत्पादकों पर वसूली लागू करने की प्रणाली, (Graded levy on Producers) (iii) मिल मालिकों व व्यापारियों पर वसूली लागू करने की प्रणाली (Levy on Mills and Traders), (vi) खुले बाजार में क्रय की प्रणाली (Open Market Purchases)।

(5) खाद्यान्नों की जमाखोरी मुनाफाखोरी के विरुद्ध किये गये प्रयत्न—सरकार ने उन व्यापारियों और उत्पादकों को जो लाभ कमाने की दृष्टि से खाद्यान्नों को बड़े पैमाने पर संग्रह करते हैं सजा देने के लिए 'आवश्यक पदार्थ अधिनियम' और 'भारतीय प्रतिरक्षा नियम' के अन्तर्गत सजा की व्यवस्था की है।

(6) साख नियन्त्रण के उपाय—व्यापारी अनावश्यक सट्टेबाजी-जमाखोरी करने के लिए बैङ्को से उधार लेते हैं। भारत सरकार ने रिजर्व बैङ्क के द्वारा खाद्यान्न के समूह के लिए वाणिज्य बैङ्को द्वारा व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(7) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना—कीमतों को स्थिर रखने के लिए और खाद्यान्नों का न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 1965 को खाद्य निगम (Food Corporation) की स्थापना की। खाद्य निगम सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है और खुले बाजार में खाद्यान्नों को खरीद व बेच सकता है।

3. खाद्यान्नों के उपभोग सम्बन्धी नीति

भारत में खाद्यान्नों के उपभोग के दो पहलू हैं—प्रथम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और द्वितीय अधिकांश लोगों का उपभोग का स्वरूप अनाजों एवं चावल के पक्ष में है।

(1) जनसंख्या नीति—(Population Policy) जनसंख्या नीति के सम्बन्ध में सरकार की नीति का उद्देश्य लोगों को उनके परिवारों के आकार को नियंत्रित करने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का ही अंग है, जन्म दर को कम करने का एक कारगर उपाय है।

(2) पोषण नीति—(Nutrition Policy) सरकार की पोषण नीति का उद्देश्य लोगों के अनाज के उपभोग को गैर अनाज खुराक से प्रतिस्थापित करना है। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि भोजन में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने पोषक आहारों के क्रमिक विकास, संरक्षण और प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पोषक आहारों की आपूर्ति बढ़ाना, खसतौर से आहार कार्यक्रमों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए आहारों की पौष्टिकताएँ बढ़ाना पोषण कर्मचारियों और उपभोक्तों का शिक्षण-प्रशिक्षण और समेकित खाद्य एवं पोषण प्रणाली के विकास का आयोजन करना है ताकि इन उपायों के द्वारा लोगों के पोषण में सुधार लाया जा सके। बोर्ड ने चावल, दाल और मक्के की पिसाई के आधुनिकीकरण तथा अन्य खाद्यान्नों के परिष्करण एवं फल और शाक सब्जी संरक्षण उद्योग, प्रोटीन आहार उद्योग और बैकरी उद्योग के संवर्धन की दिशा में भी कदम उठाये हैं।

खाद्य नीति की असफलताएँ व दोष

(1) उत्पादन में वांछित वृद्धि नहीं—सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत से कार्यक्रम अपनाए परन्तु हम बहुत बार उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इसका मुख्य

कारण यह है कि न तो उत्पादन कार्यक्रमों को भली प्रकार सोच-समझकर बनाया गया है और न उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित ही किया गया है।

(2) राजनीतिक दबाव—राजनीतिक परिस्थितियों का भी खाद्य-नीति पर बहुत प्रभाव रहा है। उदाहरणार्थ 1967 में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के मुख्य-मंत्रियों के दबाव में आकर अन्न की वसूली के लिए मूल्यों को बढ़ाना स्वीकार किया परन्तु यह कृषि मूल्य कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध था। इस प्रकार राज्य सरकारों ने अन्न वसूली कार्यक्रमों को भली प्रकार कार्यान्वित नहीं किया क्योंकि वे अपनी पार्टियों के लोगों व मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे।

(3) जनसंख्या नियन्त्रण में असफलता—भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने में अग्रफल रहे हैं। इस दशा में जितना प्रयत्न होना चाहिए था, वह नहीं किया गया है।

(4) पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय का प्रभाव—अतिरिक्त राज्य (Surplus States) केन्द्रीय सरकार के साथ खाद्य नीति लागू करने में उचित सहयोग नहीं देते और जान-बूझकर अपनी आवश्यकताओं का अनुमान अधिक तथा उत्पादन का अनुमान कम बताते हैं।

(5) सुव्यवस्थित व बोधरहित प्रशासन का अभाव—भारतवर्ष में कुशल, योग्य तथा ईमानदार प्रशासनिक सेवाओं का अभाव है जिसके कारण खाद्य-नीति का कुशल संचालन नहीं हो पाता है।

(6) सरकार की नीतियों में व्यग्रता तथा इसका शीघ्र ही सन्तुष्ट हो जाना—उदाहरण के लिये प्रथम योजना की सफलता ने सरकार को कृषि की ओर से सन्तुष्ट बना दिया। फलतः द्वितीय योजना में कृषि-विकास के लिये अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

भारतीय खाद्य निगम

1957 में अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि 100 करोड़ रुपये की पूंजी से भारत सरकार द्वारा एक खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन स्थापित किया जाय। सन् 1964 में दिल्ली में जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें अशोक मेहता समिति द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर एक भारतीय खाद्यान्न निगम स्थापित करने का निश्चय किया गया। 17 नवम्बर 1964 को भारतीय संसद में एक बिल प्रस्तुत किया गया जो तुरन्त पास कर दिया गया। फलतः जनवरी 1965 में खाद्यान्न निगम की स्थापना 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर की गई।

निगम के कार्य—निगम का उद्देश्य सबके लिये भोजन रक्खा गया है। इस निगम के मुख्य कार्य हैं—

1. अन्न भण्डार—निगम द्वारा अन्न के यथेष्ट भण्डार निर्मित किये जायेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सकेंगे।

2. उचित प्रोत्साहन—खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिये निगम किसानों

को दिये जाने वाले ऋणों को गारन्टी देगा तथा कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिये खाद्य तथा कीटाणु नाशक पदार्थों का प्रबन्ध करेगे ।

3. गोदाम व्यवस्था—निगम द्वारा खाद्यान्नों को सुरक्षित गोदामों में रखने की दिशा मे कार्य किया जायेगा ।

4. कृषि प्रबन्ध—निगम कृषि प्रबन्ध सम्बन्धी नई प्रविधियों का विकास कर किसानों को उनमे प्रशिक्षण देगा ताकि किसानों की कुशलता मे वृद्धि हो सके ।

5. शोध—कृषि फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने और फसलों को कीटाणुओं और रोगों से बचाने के लिये निगम द्वारा कृषि फसलों तथा प्रविधियों मे शोध किया जाएगा ।

6. वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग—खेती मे नवीनतम वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग हो और कृषि का यंत्रीकरण हो सके इस दिशा मे भी निगम द्वारा प्रयास किया जायेगा ।

7. सहायक खाद्य पदार्थों का विकास—मुर्गी, मछली, मास तथा फल, साग, सब्जी आदि सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन का विकास और उनके उपयोग को प्रोत्साहन भी निगम द्वारा दिया जायेगा ।

8. थोक तथा फुटकर मण्डियों की व्यवस्था—उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सके इसलिये निगम द्वारा खाद्यान्नों की थोक बिक्री तथा फुटकर वितरण की व्यवस्था की जायेगी ।

9 अन्य कार्य—(अ) निगम द्वारा बिस्कुट, मिठाई, आदि खाद्यान्नों से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(ब) निगम द्वारा खाद्यान्नों का उपभोग सतुलित करने की चेष्टा की जायेगी ।

(स) निगम आवश्यकता पडने पर अपनी परिवहन व्यवस्था भी करेगा ।

संक्षेप मे खाद्यान्नों की खरीद, संग्रह, परिवहन, वितरण व बिक्री का कार्य मुख्यतः यह निगम करेगा तथा देश के खाद्यान्न व्यापार मे अग्र-स्थान प्राप्त करने की दिशा मे कदम उठायेगा ।

निगम की गतिविधियाँ—निगम वर्ष मे लगभग 4000 करोड़ रुपये का कारोबार करता है । निगम प्रतिवर्ष एक करोड़ टन अनाज की खरीद करने के अलावा आयातित गैरपोटाशिक उर्वरकों और राशन की चीनी का काम भी संभालता है ।

निगम के पास 2 20 करोड़ टन अनाज का भंडारण करने के लिए वैज्ञानिक ढंग के भंडार हैं । विश्व बैंक की सहायता से तथा निगम के अपने जोरदार कार्यक्रमों के अन्तर्गत यह भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है । छठी पंचवर्षीय योजना मे 20 लाख टन भण्डारण क्षमता की और व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । उचित दर की दुकानों से बिक्री के लिए निगम राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज सपलाई करता है ।

विभिन्न राज्यों मे निगम की 25 आधुनिक चावल मिले हैं । निगम बच्चों के प्रोटीन युक्त भोजन बालाहार का भी उत्पादन करता है । समाबनार कोइल (तमिलनाडु)

मे निगम का एक कारखाना है जहाँ चावल की भूमी से तेल निकाला जाना है जो खाने तथा उद्योगों के काम में आता है। मेना क्रय संगठन की जरूरत पूरी करने के लिए लखनऊ में एक दाल मिल भी लगाई गई है।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत में विद्यमान खाद्य समस्या की व्याख्या कीजिये। इसको सुलझाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

2. भारत में खाद्य समस्या का स्वरूप और कारणों की विवेचना कीजिये और समस्या को सुलझाने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिये।

3. "अधिक खाद्यान्न उपजाओ आन्दोलन", बिना "कम बच्चे पैदा करो आन्दोलन" के प्रभावहीन रहेगा।" विवेचना कीजिये।

4. भारत सरकार की वर्तमान खाद्य नीति पर एक निबन्ध लिखिये।

5. भारत में जनसंख्या और खाद्यान्न सन्तुलन समस्या का वर्तमान और सुदूर भविष्य दोनों में विवेचन कीजिये।

6. जनसंख्या की नवीनतम प्रवृत्तियों और कृषि उत्पादन की वृद्धि के सदृश में भारत के आगामी 10 वर्षों में आत्मनिर्भर होने की संभावना की विवेचना कीजिये।

7. भारतीय खाद्य निगम पर एक निबन्ध लिखिये।

8. सन् 1951 के बाद भारत में होने वाली जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न खाद्य-पूर्ति की समस्या का विवेचन कीजिये।

क्या आप समझते हैं कि जनसंख्या-वृद्धि ही वर्तमान खाद्य-समस्या का एकमात्र कारण है ?

[संकेत : सर्वप्रथम जनसंख्या व खाद्य-पूर्ति के बीच 'सैद्धान्तिक सह-सम्बन्ध' के सम्बन्ध में लिखिए फिर खाद्य-समस्या के परिमाणात्मक पहलु की विवेचना कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण (अ) खाद्यान्नों की माँग में वृद्धि, (ब) कृषि के लिए भूमि की कमी, (स) जनता की क्रयशक्ति में कमी हुई है व (द) संग्रह प्रवृत्ति बढ़ी है। फिर खाद्य-समस्या के विभिन्न कारणों को दीजिये। निष्कर्ष के रूप में दीजिए कि जहाँ खाद्यान्न की कमी के अन्य कारण हैं, वहाँ अकेले जनसंख्या की वृद्धि ने इस समस्या को और भी विकट कर दिया है। अतः जनसंख्या नियन्त्रण की सुनियोजित नीति द्वारा ही खाद्यान्न की समस्या को हल किया जा सकता है।]

9. भारत में खाद्य समस्या का स्थायी समाधान एक ओर वैज्ञानिक गहन कृषि व दूसरी ओर जनसंख्या के नियोजन पर निर्भर करता है। व्याख्या कीजिए।

10. आप भारत में कृषि की तीव्रगामी विकास से क्या समझते हैं? उन प्रयत्नों का जिनसे भारत में खाद्य संकट के निवारण में सफलता मिली है, विवेचन कीजिए।

भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग (Cottage and Small Scale Industries in India)

1 कुटीर उद्योग की परिभाषा—कुटीर उद्योग की कुछ परिभाषाएँ निम्न-लिखित हैं.—

1 राजकोषीय आयोग—सन् 1949-50 ने कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहा जो पूर्णतः अथवा अंशतः कारीगर के परिवार की सहायता से पूर्णकालीन अथवा अल्पकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता हो।

2 बम्बई आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने कुटीर उद्योग उन उद्योग को कहा है जहाँ पर शक्ति का प्रयोग नहीं होता तथा उत्पादन साधारणतया कारीगर के घर पर ही होता हो।

3 भारतीय औद्योगिक समिति के अनुसार कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो कि श्रमिकों के घर पर चलाये जाते हैं, जहाँ कि उत्पादन का स्तर छोटा होता है और जहाँ न्यूनतम संगठन होता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से कुटीर उद्योग का अर्थ ठीक से स्पष्ट नहीं होता है। कुटीर उद्योग की एक उपयुक्त परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं :

“कुटीर उद्योग वे हैं जो पूर्णरूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिसमें परम्परागत विधियों तथा स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है और जिनमें प्रायः स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए माल तैयार रहता है।”

उपर्युक्त परिभाषा से कुटीर उद्योग की निम्नलिखित विशेषताओं का आभास होता है।

(1) ये उद्योग पूर्णतः या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाये जाते हैं।

(2) ये पूर्णकालिक अथवा अशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं।

(3) इन उद्योगों में प्रायः परम्परागत विधियों से परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।

(4) इनमें स्थानीय कच्चे माल व कुशलता का प्रयोग होता है।

(5) इनसे प्रायः स्थानीय बाजार की माँग की पूर्ति की जाती है।

कुटीर उद्योगों में सूत कातना, गुड बनाना, बीडी बाँधना, रस्सी और चटाई बुनना, रंग और छवाई, हस्तशिल्प आदि को शामिल किया जाता है।

2 लघु उद्योग की परिभाषा—1980 में घोषित औद्योगिक नीति में लघु उद्योग, अति लघु उद्योग तथा सहायक उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। अब इनकी परिभाषा निम्नवत है—

(अ) लघु उद्योग—लघु उद्योग से हमारा आशय 'उन उद्योगों से है जिनमें 20 लाख रुपये तक की स्थायी पूंजी का विनियोग होता है।'

ये उद्योग कस्बों तथा शहरों में स्थित होते हैं इनमें शक्ति का प्रयोग होता है, तथा वेतनधारी श्रमिकों की सहायता से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।

लघु उद्योगों में कल-पुर्जों का निर्माण, छापाखाना मोजे-बनियान बनाने आदि को शामिल किया जाता है।

(ब) अति लघु उद्योग—'संयन्त्र एवं मशीनों के रूप में जिन इकाइयों में दो लाख रुपये या उससे कम पूंजी नियोजित है तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानी (कस्बों या ग्रामों) में स्थापित है उन्हें अति लघु उद्योग कहते हैं।'

(स) सहायक उद्योग—संयन्त्र और मशीनों के रूप में विनियोजित 36 लाख तक की अचल सम्पत्तियों और उत्पादन में लगे उपक्रम को सहायक उद्योग कहते हैं।'

कृषि उद्योग

(Agro-Industry)

इसमें वे समस्त उद्योग आते हैं जो मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं या कृषि से प्राप्त कच्चे माल की प्रक्रिया से पक्के माल में रूपान्तर करते हैं, जैसे कि पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, दालें, फल, तरकारियाँ, गन्ना, धान, तिलहन आदि की प्रक्रिया करने वाले विभिन्न उद्योग आदि।

कृषि उद्योग के अन्तर्गत ऐसे उद्योग भी आ सकते हैं जो कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करते हैं जैसे कि उर्वरक, कृषि के आधुनिक यन्त्र व यन्त्रों के पुर्जे, कीटाणुनाशक दवा आदि का निर्माण करने वाले उद्योग।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्त्व

भारत की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर व लघु उद्योगों का विशेष महत्त्व है। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के शब्दों में, "भारत गाँवों का देश है। अतः सरकार को संतुलित अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करना चाहिए। योजना आयोग के अनुसार "ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य कार्य के अवसरों में वृद्धि करना, आय एवं रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना तथा एक अधिक सन्तुलित एवं समन्वित अर्थ-व्यवस्था

का निर्माण करना है।" महात्मा गांधी शब्दों में "भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योगों में निहित है।"

वास्तव में गाँव के विकास की बात सबकी ज़बान पर है, वह एक नारा बन चुका है। आगामी 10 वर्षों में भारत से गरीबी और बेकारी को दूर करने के जनता सरकार के संकल्प ने योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों को कृषि और छोटे तथा कुटीर उद्योगों को समान महत्त्व देकर ग्रामीण विकास पर चिंतन करने के लिए बाध्य किया है। इसके आधार पर भारतीय योजना को ग्रामीण आधार प्रदान किया जा रहा है।

सक्षेप में कुटीर व लघु उद्योगों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

(1) रोजगार सम्बन्धी तर्क—लघु उद्योगों में उत्पादन की श्रम प्रधान विधि अपनाई जाती है, अर्थात्, पूँजी का कम उपयोग किया जाता है। भारत ऐसे अर्द्ध-विकसित देश में जहाँ श्रमिक बहुत अधिक मात्रा में है और पूँजी की कमी है, कुटीर तथा लघु उद्योग ही अधिक उपयुक्त हैं। अतः वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत देश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए कुटीर और लघु उद्योगों का विकास होना चाहिये, क्योंकि (अ) इनके लिए अपेक्षाकृत कम पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, (ब) इनकी स्थापना के द्वारा अल्पकाल में ही लोगों को रोजगार मिल जाता है तथा (स) ग्रामीण क्षेत्रों की अर्द्धबेकारी दूर हो जायेगी।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० लकड़ावाला ने महसूस किया कि आधुनिक संगठित उद्योग प्रतिवर्ष रोजगार के 5 लाख अवसर प्रदान कर पाता है। जब कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रतिवर्ष 50 लाख रोजगार अवसरों की आवश्यकता की माँग करती है। इतने बृहद् रूप में बड़े उद्योग रोजगार देने में सक्षम ही नहीं हैं, क्योंकि सरकारी आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूँजी वाले उद्योग रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। विदित है कि देश में लगभग 7,17,000 कारखाने हैं। इनमें से 5 प्रतिशत कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं, जिसमें कुल रोजगार का 20 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध है। कुल उत्पादन में उनका हिस्सा 20 प्रतिशत है और उनमें कुल नियत पूँजी लगी हुई है। इसके विपरीत कुल कारखानों में 70 प्रतिशत ऐसे हैं जो कम पूँजी वाले या जो समझिये 5 लाख से कम पूँजीवाले हैं। लेकिन उनमें 27 प्रतिशत रोजगार प्राप्त होता है। कुल पूँजी में उनका योग 5 प्रतिशत तथा कुल उत्पादन में उनका हिस्सा 17 प्रतिशत है।

(2) आर्थिक समानता का तर्क—लघु तथा कुटीर उद्योग धन के समान-वितरण में भी सहायक होते हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग छोटे-छोटे पैमाने पर चलाये जाते हैं और इनसे लाभ भी अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण नहीं हो पाता है। यही नहीं, कुटीर उद्योगों में आर्थिक शोषण भी सम्भव नहीं हो पाता है। अतः कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण या शोषण जैसी सामाजिक समस्याएँ लघु उद्योगों में उत्पन्न नहीं होतीं। साथ ही, यह उद्योग साधारण श्रेणी की आर्थिक स्थिति वाले लोग भी संचालित कर सकते हैं। अतः उनकी आय में वृद्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है।

(3) विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी तर्क—लघु एवं कुटीर उद्योग विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये देश के कोने-कोने में फैले हुए होते हैं। इससे देश के सभी भाग औद्योगिक वस्तुओं में आन्तर्निर्भर हो सकते हैं। अतः एक विकेन्द्रित आर्थिक समाज की स्थापना होती है। ऐसी विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था से अनेक लाभ होते हैं, जैसे (अ) कच्चा माल, निष्क्रिय बचत, स्थानीय प्रतिभा आदि स्थानीय साधनों को गति मिलती है; (ब) रोजगार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे थोड़े से औद्योगिक नगरों में पाई जाने वाली भीड़ या जन-संकुलता (congestion) की समस्या के हल में सहायता मिलती है; (स) सैनिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधा में वृद्धि होती है तथा (द) विकेन्द्रित उत्पादन के परिणामस्वरूप जनता की क्रयशक्ति देश भर में बिखरी हुई होती है। अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आयोजन दल (The International Perspective Planning Team) ने उचित ही कहा है, “बहुत अधिक पिछड़े क्षेत्र में या सीधे गाँवों में बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना की नीति का विफल होना सर्वथा निश्चित है। आर्थिक दृष्टि से ऐसी नीति का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। विकेन्द्रीयकरण की नीति के अधीन औद्योगिक विकास के केन्द्र न तो महानगर होने चाहिए और न ही गाँव। इन दो सीमाओं के मध्य शहरों और कस्बों का ऐसा सुविस्तृत क्षेत्र, जो क्षमतावान हो, औद्योगिक विकास का केन्द्र होना चाहिए।”

(4) छिपे हुए संसाधन तथा योग्यता का तर्क—यह कहा जाता है कि लघु उद्योग, अपसंचित धन एवं कौशल आदि छिपे हुए साधनों के उपयोग करने में सहायक होते हैं। यदि व्यक्तियों की बचत एवं कौशल को उत्पादक क्रियाओं में नहीं लगाया गया तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास क्षमता व कौशल आदि हैं। परन्तु, वे बिना किसी उपयोग के पड़े हुए हैं और उससे देश किसी प्रकार से लाभान्वित नहीं हो रहा है। यदि देश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय और सहायता दी जाय तो उन निष्क्रिय संसाधनों का देश के विकास के लिये उपयोग किया जा सकता है।

5 कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन तर्क—यह भी कहा जाता है कि कलात्मक, सुन्दर व कीमती वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग में ही हो सकता है। क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उपभोग तथा बाजार सीमित होने के कारण आवश्यकता कम रहती है। अतः इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। फलस्वरूप बड़े पैमाने की उद्योगशालाओं में उत्पादन व्यय अधिक पड़ेगा और उत्पादन अत्यधिक होगा। वृहत् पैमाने के उद्योग केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो एक प्रकार की होती हैं और जिनकी माँग अधिक होती है।

6. नैतिक एवं सामाजिक तर्क—नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी कुटीर व लघु उद्योगों का काफी महत्त्व है। वृहत् पैमाने के उद्योग में कार्य करने से श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं नैतिक स्तर गिर जाता है व वातावरण शून्दा हो जाता है इस प्रकार श्रमिकों की गरिमा और कार्यकुशलता दोनों गिरती हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों में ऐसी बात नहीं होती।

7 शीघ्र उत्पादक उद्योग—लघु एवं कुटीर उद्योग शीघ्र उत्पादक उद्योग माने जाते हैं। इनमें धन विनियोग करने पर शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है।

8 वर्ग संघर्ष से बचाव—कुटीर व लघु उद्योगों में प्रायः छोटे-छोटे कारीगर स्वयं मालिक व श्रमिक भी होते हैं व मजदूरी पर जा श्रमिक लगते हैं वे कम संख्या में होने से मालिक मजदूरी में व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है तथा उनके परस्पर सम्बन्ध भी अच्छे रहते हैं। अतः वर्ग संघर्ष की संभावना कम रहती है।

9 तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता—बड़े उद्योगों में से पूँजी की बड़ी मात्रा व आधुनिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है किन्तु भारत जैसे विकासशील देशों में इन दोनों का ही अभाव है। अतः इस दृष्टि से भी लघु उद्योग भारतीय अर्थ-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

10. शहरीकरण व औद्योगीकरण के पूरे प्रभाव से सुरक्षा—कुटीर एवं लघु उद्योगों के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इनसे बड़े उद्योगों की समस्याओं जैसे—आवास की समस्या, यातायात की समस्या, पानी व जल निकास की समस्या, दूषित वातावरण की समस्या आदि से मुक्ति मिल जाती है। अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ प्रो० किलनार्ड का मत है कि धन, संस्कृति या निर्धनता से अपराधों का सम्बन्ध नहीं है। शहरीकरण से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। बड़े नगरों में अपराध अधिक होते हैं अतः कुटीर एवं लघु उद्योगों की छोटे-छोटे कस्बों एवं गाँवों में स्थापना करके इन दोषों से मुक्ति मिल सकती है।

11 आयात पर कम निर्भरता—भारत में भुगतान असन्तुलन की समस्या बनी रहने से आयातों पर कम निर्भर रहने के लिए लघु उद्योग निश्चय ही उपयोगी होंगे।

12. देश के निर्यात में महत्त्वपूर्ण स्थान—रेशमी कला पूर्ण वस्त्र, चन्दन की वस्तुएँ, हथकरघे के वस्त्र, हाथी दाँत, चमड़े के जूते, बिजली के पंखे, दरियाँ व कालीन, साइकिल व सिलाई यन्त्र, तांबे पीतल के कलापूर्ण बर्तन आदि कुटीर व लघु उद्योग में उत्पादित वस्तुएँ बड़ी मात्रा में निर्यात होने लगी हैं जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

निष्कर्ष—अतः निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की एक ऐसी महत्त्वपूर्ण इकाई है जिस पर हम अपने सुखी जीवन का ढाँचा तैयार कर सकते हैं। सैकड़ों निर्धन ग्रामीणों को एक स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। पूँजीपतियों एवं निर्धन वर्ग के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। हमारी नई सरकार ने अपने नये वक्तव्य में महात्मा गाँधी के उस आवाहन का आभास दिया है 'गाँवों की ओर प्रयाण' जिसे हमारी पूर्व नीतियों ने एकदम भुला दिया था, शहरी चमक दमक बढ़ती ही चली जा रही थी।

भारतीय कुटीर तथा लघु उद्योगों की अवनति के कारण

हमारे प्राचीन सामाजिक जीवन में कुटीर व लघु उद्योग प्रधान तत्त्व थे। रानाडे के अनुसार "ईसा के 200 वर्ष पूर्व की मिस्र देश की ममियाँ बढ़िया किस्म की

भारतीय मलमल में लिपटी हुई पायी गयी है।" भारतीय औद्योगिक आयोग (1918) के अनुसार, "एक ऐसे समय पर जबकि पश्चिमी यूरोप में, जो कि हमारी आधुनिक औद्योगिक पद्धति का जन्मस्थान है, असंख्य जातियाँ निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव और अपने शिल्पियों को उच्च कलात्मक योग्यता के लिये विख्यात था।" अमरीकी विद्वान् कैल्वर्टन ने 1939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "The Awakening of America" में लिखा है—“भारत के कुटीर उद्योग बुद्धिमान मस्तिष्क, विलक्षण योग्यता तथा अद्भुत प्रतिभा की उपज थे और 10वीं शताब्दी तक विश्व में इनका उदाहरण अद्वितीय रहा है।”

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में भारतीय उद्योगों का पतन प्रारम्भ हो गया और भारत अपनी पुगानी ख्याति खोने लगा। भारतीय कुटीर तथा लघु उद्योगों की अवनति के कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(1) राजा और नवाब कलात्मक वस्तुओं के प्रेमी थे, परन्तु पुगाने राजाओं और नवाबों के पतन से देश की कला को प्रोत्साहन देने वाला कोई न रह गया।

(2) मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं के सस्ता होने के कारण हमारे कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ प्रतियोगिता में न टिक सकी और उद्योग समाप्त होने लगे।

(3) विदेशी सरकार की असहायक नीति ने भी कुटीर उद्योग को काफी घम्का पहुँचाया।

(4) विदेशी शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव के कारण भी व्यक्ति देश की बनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा इंग्लैण्ड और यूरोप की बनी वस्तुओं को अधिक पसन्द करने लगे। परिणामतः कुटीर उद्योगों को बहुत हानि पहुँची।

(5) इंग्लैण्ड की सरकार के द्वारा भारतीय मालों पर कड़ा वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण, भारतीय मालों का विदेशी व्यापार धीरे-धीरे छिनता गया, उसकी माँग कम होती गई और यहाँ के विख्यात कुटीर उद्योग नष्ट हो गये।

(6) 19वीं शताब्दी के अन्त में भारतवर्ष में यातायात के आधुनिक साधनों का विकास हो जाने के कारण देश के कोने-कोने में इंग्लैण्ड के माल जाने लगे और उनकी खपत होने लगी, फलतः घरेलू मालों की माँग भी घटने लगी और कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न कारणों से भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हो गया है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ये बिलकुल नष्ट हो गये हैं। आज भी भारतवर्ष में 2 करोड़ से अधिक व्यक्ति कुटीर उद्योगों में लगे हैं। महात्मा गाँधी के स्वदेशी आन्दोलन ने इनमें एक नये जीवन का संचार किया है और देश की स्वतन्त्रता के बाद कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि वे भारत की नवीन अर्थ-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकें।

भारत में बेरोजगारी व अदृश्य (कृषि) बेरोजगारी की समस्या

(Unemployment and Disguised Unemployment Problems in India)

बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ श्रम शक्ति (श्रम की पूर्ति) व रोजगार के अवसरो (श्रम की माँग) में अन्तर होता है। बेरोजगारी श्रमिकों की माँग की अपेक्षा उनकी पूर्ति से अधिक होने का परिणाम है। बेरोजगारी का वास्तविक अर्थ उस श्रम शक्ति से है, जो शारीरिक रूप से समर्थ है व श्रम करने की इच्छुक है, किन्तु जिसे कोई आर्थिक कार्य नहीं मिल पाता।

बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ समाज की श्रम शक्ति में वृद्धि होता है। श्रम की अधिकता के कारण भारत में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी की समस्या बहुत उग्र होती जा रही है श्री जगजीवन राम के शब्दों में, "पिछले 15 वर्षों में रोजगार के जो अवसर प्राप्त हुए थे, वे बहुत सीमा तक बढ़ती हुई जनसंख्या में समा गये।"

भारत में बेरोजगारी की स्थिति

विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव में, बेरोजगारी के सम्बन्ध में पूर्णतया सही स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो भी आँकड़े प्राप्त हैं उनके आधार पर देश में बेरोजगारी की स्थिति निम्न प्रकार है—

पञ्चवर्षीय योजनाओं में रोजगार तथा बेरोजगारी (लाखों में)

मद	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	तीन वार्षिक योजना	चतुर्थ योजना 1974-78	पंचम योजना 1980-85	छठवी योजना
1. योजना के आरम्भ में बेरोजगारों की संख्या	33	53	71	96	126	140	206
2. योजनावृद्धि में श्रमिक संख्या में वृद्धि	90	118	170	140	273	220	295
3. जोड़ (112)	123	171	241	236	399	360	501
4. योजनावधि में अतिरिक्त रोजगार व्यवस्था	70	100	145	4-14	180	150	1492
5. योजना के अन्त में बेरोजगार (3-4)	53	71	96	222-232	219	210	9
6. कुल श्रम शक्ति में बेरोजगारों का प्रतिशत	(2-9)	(5-6)	(4-5)	—	—	—	—

स्रोत—योजना 7 फरवरी—6 दिसम्बर 1979

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक योजना के साथ बेरोजगारी उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है। लगातार दो सूखे के वर्षों, वार्षिक योजनाओं की अवधि में सरकारी व्यय के तुलनात्मक निम्न-स्तर, चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण असफलता के कारण बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हुई। कारण चाहे कुछ भी हो, इतनी भारी मात्रा में बेरोजगारी का विद्यमान होना देश की सामाजिक स्थिरता के लिए भारी खतरा है। गुन्नार मिरडल ने अपनी पुस्तक 'एशिया ड्रामा' में बेरोजगारी के सम्बन्ध में योजना-आयोग के आँकड़ों और उसकी हिसाब पद्धति में गहरा सन्देह प्रकट किया है।

बेकारी की समस्या से निबटने की अपनी व्यूह रचना प्रकाशित करने से पहले छठी योजना ने बेकारी को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है :—

1. पूर्ण बेकार—इस श्रेणी के अन्तर्गत इस तरह के बेकारों को लिया गया है जिन्हें साल भर ही कोई काम नहीं मिलता और ऐसे लोगों की संख्या 1978 में 44 लाख आँकी गयी है।

2. साप्ताहिक बेकार—ऐसे लोग काफी कम ही हैं जिन्हें साल भर में एक भी दिन काम नहीं मिलता। इसलिए साप्ताहिक बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि 1978 में इस तरह के बेकारों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख है।

3. बेकारी का मानव वर्ष अनुमान—साप्ताहिक बेकारी का अनुमान भी एक तरह से अधूरा ही है क्योंकि सर्वेक्षण सप्ताह में यदि किसी को काम न भी मिला हो तो उसे अगले हफ्ते या कुछ समय बाद काम मिल सकता है। इस दृष्टि से बेकारी को मानव वर्षों में मापने के अनुमान सबसे अच्छे हैं क्योंकि हर बेकार आदमी के बेकारी के दिनों का उनमें योग हो जाता है। इस अनुमान के मुताबिक मार्च, 1978 के किसी एक विशिष्ट दिन में देश में 2 करोड़ 6 लाख मानव वर्ष के बराबर बेकारी होने का हवाला छठी योजना के प्रारूप में दिया है।

भारत में बेरोजगारी की प्रकृति

भारत में बेरोजगारी का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं :

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी : कृषि बेरोजगारी

(ब) नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी : कृषि बेरोजगारी—भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है—मौसमी तथा स्थायी या छिपी हुई बेरोजगारी।

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि अधिकतर एक मौसमी उद्योग है। मौसमी बेरोजगारी के अन्तर्गत ग्रामवासी फसल कट जाने के बाद बेकार हो जाते हैं तथा जब तक दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो जाता तब तक बेकार ही रहते हैं। भारतवर्ष में सिंचाई व पूंजी का अभाव

होने से तथा कृषि सहायक व अन्य कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास न होने से लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। मौसमी बेरोजगारों के सम्बन्ध में अलग अलग अनुमान लगाये गये हैं। रॉयल कमीशन (शाही आयोग) के अनुसार कृषक वर्ष भर में कम से कम 4-5 माह तक अवश्य ही बेरोजगार रहते हैं। डॉ० राधाकमल मुकुर्जी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सघन कृषि क्षेत्रों में किसानों को साल भर में केवल 200 दिन ही काम मिलता है। श्री जैक के अनुसार बंगाल में पटसन की खेती करने वाले लगभग 9 माह, चावल की खेती करने वाले $7\frac{1}{2}$ माह खाली बैठे रहते हैं। डॉ० स्टेटर के अनुसार दक्षिण भारत में किसानों को साल भर में केवल 200 दिन ही काम मिलता है।


विभिन्न राज्यों के कृषि श्रमिकों की बेकारी की स्थिति में काफी अन्तर पाया जाता है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुष श्रमिकों के पीछे बेरोजगार श्रमिकों की संख्या असम में 7.94, बिहार में 3.28, बम्बई में 3.88, मध्य प्रदेश में 0.69, उड़ीसा में 2.61, पंजाब में 7.10, राजस्थान में 0.94, आन्ध्र प्रदेश में 1.97, केरल में 28.80, मद्रास में 7.80, मैसूर में 1.78, उत्तर प्रदेश में 1.77, पश्चिम बंगाल में 18.12 तथा समस्त भारत के लिए 4.78 थी।

भारत में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी भी अत्यन्त व्यापक है। छिपी हुई बेरोजगारी से हमारा तात्पर्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम तो होता है, किन्तु उत्पादन में उसका अंशदान नहीं के बराबर होता है। किन्तु भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होने के कारण कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। उनकी सीमान्त उत्पादकता बहुत ही कम होती है या शून्य होती है। कृषि में संलग्न इन अतिरिक्त व्यक्तियों को यदि कृषि से हटा लिया जाय और अन्य व्यवसायों में लगा दिया जाय तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। अर्थात् उनका उत्पादन में अंशदान नहीं के बराबर होता है, जिसके फलस्वरूप छिपी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात 70 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत कर दिया जाय और देश में कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े तो हम कह सकते हैं कि 10 प्रतिशत लोग छिपी बेरोजगारी से प्रभावित हैं। कृषि में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या का अनुमान कई विद्वानों ने लगाया है।

अदृश्य बेरोजगारी की इस अवस्था को आगे चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है।

चित्र से, स्पष्ट है कि OP जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन (AP) अधिकतम है, परन्तु इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ औसत उत्पादन घटने लगता है। अतः OP जनसंख्या को आदर्श जनसंख्या कहा जा सकता है। जब जनसंख्या बढ़ कर OP_1 हो जाती है तो सीमान्त उत्पादन शून्य हो जाता है। P_1 के बाद कुल उत्पादन वक्र (TP) एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित है अर्थात् C बिन्दु पर सीमान्त उत्पादन शून्य है। स्पष्ट है कि ऊपर से देखने में तो OP_1 के बाद के

व्यक्ति भी कार्यरत हैं, परन्तु उनका कुल उत्पादन में योगदान शून्य है। उत्पादन में योगदान की कसौटी पर केवल OP_1 व्यक्ति ही रोजगार में कहे जायेंगे। शेष $P_1 P_2$



या इसके बाद जो भी व्यक्ति रोजगार में लगे होंगे वे सभी अदृश्य रूप से बेरोजगार होंगे, क्योंकि यदि इन्हें उत्पादन में न भी लगाया जाय तो उत्पादन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी।

कृषि में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या का अनुमान भारत में कई विद्वानों ने लगाया है। श्री नब गोपाल दास के अनुसार सन् 1929 में भारत में अतिरिक्त कृषि श्रमिकों (पुरुष) की संख्या लगभग 1.55 करोड़ थी। श्री बस्ता ने यह संख्या सन् 1951 में 1.94 करोड़ अनुमानित की थी। श्री एम० एल० गुप्ता का अनुमान था कि भारत में ऐसे अतिरिक्त कृषि श्रमिकों की संख्या 1954 में 4.23 करोड़ थी जिनमें से 2.67 करोड़ मीसमी बेरोजगारी से प्रभावित थे तथा 1.56 करोड़ अदृश्य बेरोजगारी से प्रभावित थे। श्री अशोक मित्रा ने प्रति हेक्टेयर पंजाब में अनावश्यक रूप से अधिक श्रमिकों के सम्बन्ध में इस प्रकार अनुमान लगाये हैं—2-4 हेक्टेयर के खेतों पर 49.77%, 4-6 हेक्टेयर के खेतों पर 42.11%, 6-8 हेक्टेयर के खेतों पर 34.76%, 8-12 हेक्टेयर के खेतों पर 35.96%, 12-20 हेक्टेयर के खेतों पर 7.70% तथा 20 व उससे अधिक हेक्टेयर के खेतों पर 2.6%। विश्व भारती के कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र द्वारा बिहार में लिये गये जाँच के समंजकों पर डा० जे० पी० भट्टाचार्य ने कृषि श्रमिकों में अदृश्य बेरोजगारी का अनुमान लगाया है। उनके अनुमान के अनुसार यह संख्या उत्तर बिहार में 29.7% तथा मध्य बिहार क्षेत्र में 32.6% है।

श्रीमती शकुन्तला मेहरा ने अपने एक लेख 'भारतीय कृषि में अतिरिक्त श्रम' (Surplus Labour in Indian Agriculture) में इस सम्बन्ध में कुछ समंक प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अतिरिक्त श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि "वे वे हैं जिनको कृषि-क्षेत्र से हटा लिया जाय तो कृषि के उत्पादन में कोई कमी नहीं

होती ।” इन्होंने इसमें मौसमी बेरोजगारी को नहीं सम्मिलित किया है । उनके अनुसार भारतवर्ष में कुल कृषि श्रम शक्ति का 17.1 प्रतिशत अतिरेक है । परन्तु भारत के विभिन्न राज्यों में अतिरेक कृषि श्रमिक के प्रतिशत में काफी विभिन्नता है । उनके अनुसार (अ) केरल, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में कोई अतिरेक-श्रमिक नहीं है; (ब) मद्रास, मध्य प्रदेश व मैसूर में, अखिल भारतीय अतिरेक-श्रमिक प्रतिशत (17.1) की तुलना में, अतिरेक श्रमिक का प्रतिशत कम है, परन्तु (स) असम, बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अतिरेक-श्रमिक का प्रतिशत, अखिल भारतीय प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है ।

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की संख्या अत्यन्त तीव्र दर से बढ़ रही है । प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार 1950-51 में भारत में कुल ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 28 लाख थी जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 16वें दौर में 1960-61 में यह अनुमान लगाया गया था कि उस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में कुल 56.4 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । ग्रामीण बेरोजगारी की संख्या में बढ़ने की यह प्रवृत्ति अगली दशाब्दी में भी बनी रही और फलस्वरूप 1971 में ग्रामीण बेरोजगारी की संख्या बढ़कर 77 लाख हो गई । वर्ष 1973 और 1978 में ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या का एक अनुमान भारतीय योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना 1980-85 के प्रारूप में प्रस्तुत किया । इस अनुमान के अनुसार 1973 में भारत में कुल ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ थी जब 1978 में इसकी अनुमानित संख्या 1 करोड़ 12 लाख हो गई थी ।

नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी

नगरीय क्षेत्र में लगभग सभी बेरोजगारी प्रत्यक्ष है । इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी

स्रोत	समयावधि	नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी (लाखों में)	नगरीय क्षेत्र में श्रम-शक्ति के साथ बेरोजगारी का अनुपात
बी० एन० दातार	मार्च 1951	25-30	12.00
आर० सी० भारद्वाज	मार्च 1951	25	11.4
नेशनल सैंपिल सर्वे और एंप्लायमेंट एक्सचेंज के आँकड़े	सितम्बर 1953	24	11.0
दूसरी पंचवर्षीय योजना	मार्च 1956	25	10.0
विलफ्रेड मैलेनबाम	मार्च 1965	25	10.0
आर० सी० भारद्वाज	मार्च 1956	34	13.5
नेशनल सैंपिल सर्वे और एंप्लायमेंट एक्सचेंज के आँकड़े	मई 1956	34	13.1
आर० सी० भारद्वाज	मई 1961	45	15.5

से सामाजिक-स्तर पर अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था

खतरे में पड़ सकती है। परन्तु फिर भी योजनावधि में शहरी में न केवल बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई है, वल्कि शहरी में कुल श्रम-शक्ति के साथ बेरोजगारी का अनुपात भी बढ़ा है, जैसा कि उपरोक्त सारणी के अंको से पता चलता है। बी० एन० दातार, आर० सी० भारद्वाज, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण योजना आयोग, विलफ्रेड मैलेनबाम आदि अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न समयों पर नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी की संख्या के अनुमान लगाये हैं।

नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है :—

(अ) औद्योगिक बेरोजगारी।

(ब) शिक्षित वर्ग व मध्यम श्रेणी के लोगों में पाई जाने वाली बेरोजगारी।

(अ) औद्योगिक बेरोजगारी—देश में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। ज्यों-ज्यों नगरीय क्षेत्रों का विस्तार होता जा रहा है, त्यों-त्यों ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों को स्थानान्तरित होती जा रही है। इसके अतिरिक्त कम कामकाज वाले मौसम में अनेक कृषि श्रमिक रोजगार की तलाश में औद्योगिक केन्द्रों में आते हैं। इस तरह उद्योगों में काम माँगने वाले व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ती जाती है। किन्तु औद्योगिकरण की गति धीमी होने के कारण रोजगार के इच्छुक श्रमिकों को उद्योगों में पूरी तरह खपाया नहीं जा रहा है। इस प्रकार औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है।

(ब) शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी—भारतवर्ष में शिक्षित बेकारी की समस्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में है। शिक्षित लोगों में बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें मैट्रिक या उससे ऊँची शिक्षा प्राप्त लोग बेकार रहते हैं। शिक्षित वर्ग में पाई जाने वाली बेरोजगारी एक भीषण समस्या है। शिक्षा-क्षेत्र में 'संख्या-विस्फोट' अर्थात् बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का शिक्षा प्राप्त कर निकलने के कारण, शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस प्रकार के बेकार व्यक्तियों की संख्या रोजगार के अवसरों की उपलब्धि तथा पूर्ति और माँग में असंतुलन पैदा हो जाने के कारण अधिक हो रही है। प्रतिवर्ष कितने ही नये कालेज तथा स्कूल खुलते हैं और प्रत्येक वर्ष शिक्षा प्राप्त करके युवक ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं और इस प्रकार रोजगार या काम की तलाश करने वाले व्यक्तियों की संख्या रोज के अवसरों की तुलना में बढ़ती जा रही है। दोष-युक्त शिक्षा प्रणाली से भी यह बेकारी बढ़ती है। हमारी शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय है। उसमें व्यावसायिक या प्राविधिक स्वरूप बहुत कम है। वह किसी विशेष कार्य के लिए छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करती। यही कारण है कि बहुत से शिक्षित लोग बेरोजगार रहते हैं।

शिक्षित बेकारी का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग-अलग लगाया जाता है। सामान्य शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षित व्यक्ति का कार्य तो करना चाहता है, परन्तु उसे कार्य ही नहीं मिलता है अर्थात् वह बेकार रहता है एवं अपनी शिक्षा या योग्यता का मूल्यांकन करने का अवसर उसे प्राप्त नहीं होता है।

समस्या की गम्भीरता—सन् 1980 में लगभग 34,72,000 कुल शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार थे, जिनमें से 1009100 स्नातक बेरोजगार थे, जिसमें इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त 81200 चिकित्सा स्नातक 10300 कृषि चिकित्सा स्नातक व स्नातकोत्तर 8800 थे। कला विज्ञान व वाणिज्य स्नातको की संख्या 903600 थी। अनुमान है कि 1985 तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 4656700 हो जाने की संभावना है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश में इंजीनियर, डाक्टर शिक्षक व अन्य व्यवसाय वाले बेरोजगारों की एक सेना बन गई है।

शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल करने को प्राथमिकता देना चाहिए। क्योंकि “शिक्षित बेरोजगार अपनी आवाज उठा सकता है, उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव होता है, वह यह अनुभव करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, अगर उसे लम्बे समय तक बेकार रहना पडा तथा बेरोजगारी की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही जैसा कि भारत में है तो उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और यह स्थिति निश्चय ही विस्फोटक रूप धारण कर सकती है।” अतः शिक्षित बेरोजगारों देश की सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए भयानक सिद्ध हो सकती है। यही नहीं, लोगों को शिक्षित करने में राष्ट्र को काफी सम्पत्ति खर्च करनी पडती है।

शिक्षित व्यक्तियों में बढ़ती हुई बेकारी के खतरे के साथ साथ कई व्यवसायों में जनशक्ति की कमी का विरोधाभास पाया गया है। हाल ही में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा-होल्डरों की बेकारी देश के कई भागों में बताई गई है। एक अनुमान के अनुसार इंजीनियर स्नातको तथा डिप्लोमा वालों की कुल संख्या का 20% 1970 में बेरोजगार था। लेकिन साथ ही कुछ व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में श्रमिकों का अभाव भी है। जैसे—इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिस्ट, टर्नर, फार्मसिस्ट व ड्राफ्ट्समैन आदि की कमी बनी हुई है। कुछ व्यवसायों में आवश्यक जनशक्ति से अधिक लोग उपलब्ध होना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और व्यवसाय में समुचित संतुलन नहीं रखा गया है। अर्थात् हमारे देश में मनुष्य शक्ति के नियोजन में काफी दोष है। फलतः एक ओर रोजगार चाहने वालों की संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी कई काम-धंधे ऐसे हैं जिनके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं।

बेरोजगारी के कारण

भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के कारण भिन्न-भिन्न हैं, तथापि हम कतिपय सामान्य कारणों का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्न हैं :

2. जनसंख्या में तीव्र वृद्धि—हमारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2.5% से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि के कारण हमारी श्रम-शक्ति भी तेजी से बढ़ रही है, परन्तु रोजगार के अवसर उसी गति में नहीं बढ़ सके हैं। फलतः देश में बेरोजगारी की समस्या उग्र है।

2. कृषि का पिछड़ापन—भारतीय कृषि करने का ढग अब भी बहुत पुराना

है। कृषि उद्योग अविकसित है और वर्षा पर अधिक निर्भर है जिसने उसका स्वरूप अधिक मौसमी है। कृषि की इस पिछड़ी हुई अवस्था के कारण इसमें अधिक लोगो को रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता।

3. **बोधपूर्ण शिक्षा प्रणाली**—हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, क्योंकि वह अधिकतर साहित्यिक है व्यावसायिक नहीं। जिसके फलस्वरूप शिक्षित बेकारी देश में अधिक है। प्रत्येक वर्ष हमारे विश्वविद्यालयों से हजारों विद्यार्थी बी० ए०, एम० ए० पास करते हैं। फलतः प्रतिवर्ष शिक्षित वर्ग में कार्य ढूँढने वाले तथा कार्य के अवसरों में अन्तर बढ़ता जाता।

5. **विनियोग का निम्न स्तर**—अर्थ-व्यवस्था में रोजगार के अवसरों का विस्तार विनियोग के स्तर पर निर्भर करता है। भारत को बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण विनियोग के निम्न स्तर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 1972-71 में अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 11.55 विनियोग किया गया था। प्रति व्यक्ति आय के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए 10% विनियोग करना आवश्यक है। इस प्रकार रोजगार में अवसरों में विस्तार के लिये केवल 35% विनियोग बचती है, जो कि बेरोजगारी की समस्या को गहनता का ध्यान में रखते हुए बहुत अपर्याप्त है। चौथी योजना के सम्बन्ध में सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि विनियोग की कुल मात्रा में उत्पादन में नती वृद्धि नहीं हो पाई जितनी कि आरम्भ में सोचा गया था। इससे रोजगार के अवसरों में भी पर्याप्त विस्तार नहीं हो पाया है।

5. **प्रतिकूल उत्पादन तकनीकी की चुनौतियाँ**—भारत में विभिन्न योजनाओं में उत्पादन के क्षेत्र में विकसित पाश्चात्य तकनीकी का प्रयोग किया गया। फलतः उपभोग वस्तु उद्योगों व भारी उद्योगों में क्षेत्रीकरण इतना अधिक हो गया कि वर्तमान समय में उपभोग वस्तुओं व मशीन बनाने वाले उद्योगों में विनियोग के प्रति इकाई रोजगार प्रदान करने की क्षमता बहुत कम है। योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय तथा बेरोजगारी में एक साथ वृद्धि होने का एक कारण यह है कि योजनाओं के अंतर्गत चुने गये तकनीक उत्पादन की मात्रा में तो वृद्धि करते हैं परन्तु इनसे श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है।

6. **अन्य कारण**—उपरोक्त आधारभूत कारणों के अतिरिक्त देश में व्याप्त बेरोजगारी समस्या के लिये निम्न कारण उत्तरदायी है :—

(क) ब्रिटिश काल में जो नीति अपनाई गई उससे हमारे देश में कुटीर व लघु उद्योगों का ह्रास हुआ है, वे अभी तक पर्याप्त मात्रा में उचित ढंग से विकसित नहीं हो सके हैं।

(ख) देश के प्राकृतिक साधनों की क्षमता का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है।

(ग) कृषि तथा अन्य उद्योगों में पूँजी का अभाव है।

(घ) भारत में श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव है।

(ङ) देश में अशिक्षित व अकुशल श्रमिकों का आधिक्य है।

(च) बहुत से उद्योगो मे लागत कम करने के उद्देश्य से नवीनीकरण व आधुनिकीकरण के कार्यक्रम अपनाये गये हैं जिससे थोडे-बहुत श्रमिको की छँटनी हो गयी है।

(छ) पिछले कई वर्षों मे कई विभाग जो युद्धकाल मे स्थापित किये गये थे, जैसे नागरिक सम्भरण विभाग आदि अब बन्द कर दिये गये है।

(ज) देश का औद्योगीकरण भी धीमी गति से हो रहा है। हाल ही मे विदेशी मुद्रा की कठिनाइयो के कारण आयात पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये गये है जिससे कि औद्योगीकरण की गति मे शिथिलता आ गई है।

(झ) देश मे मानवीय शक्ति का उचित नियोजन नहीं हुआ है। देश की सामाजिक स्थिति ने कुछ अंश तक बेरोजगारी की समस्या को और अधिक कठिन कर दिया है। जैसे जाति प्रथा, बालविवाह व अन्य सामाजिक कुरीतियो के कारण श्रम की गतिशीलता मे अभाव पाया जाता है।

(ञ) इसके अतिरिक्त ऊँची लागत अर्थ-व्यवस्था, सूखा, मन्दी व अवमूल्यन की दशाएँ तथा समाज की बदलती परिस्थितियो मे मध्यम श्रेणी की स्त्रियो का श्रम-बाजार मे प्रवेश आदि को बेरोजगारी के अन्य कारणो के अन्तर्गत उल्लेख किया जा सकता है।

सुझाव—बेरोजगारी की समस्या देश मे अत्यन्त गम्भीर है और इसको शीघ्र से शीघ्र दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि 'साठ' का दशक भारत मे खाद्य समस्या हल करने का दशक रहा है, तो 'सत्तर' का दशक हमारे लिये बेरोजगारी दूर करने का दशक रहना चाहिए। विकास कार्यक्रम इस आधार पर बनाये जाने चाहिये कि 'सब लोगो को रोजगार मिले।' श्री बी० वी० गिरि के अनुसार बेरोजगारी दूर करने के लिए हमे शीघ्र ही सबके लिए रोजगार की भावना से युद्ध-स्तर पर सक्रिय उपाय करने होंगे।

बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए और सुझावो का अध्ययन हम दो शीषको के अन्तर्गत करेगे :

(i) सैद्धान्तिक विवेचना

(ii) व्यावहारिक उपाय

(1) सैद्धान्तिक विवेचना

आर्थिक विकास की दृष्टि में मानवीय ससाधनो के उपयोग हेतु विभिन्न विकासवादी अर्थ-व्यवस्थाओ द्वारा भिन्न-भिन्न उपाय बताये गये है। इन सभी उपायो का अन्तिम उपलब्ध जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग द्वारा वांछित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण विचारधाराएँ इस प्रकार है :—

1. रेगनर नक्स (Regnar Nurkse) की विचारधारा

प्रो० नक्स का मत है कि अर्द्धविकसित देशो में औसत रूप से कुल जनसंख्या

का लगभग 25% अदृश्य-बेरोजगारी से ग्रस्त है। नक्सों का कथन है कि 'घनीभूत श्रम' (Congealed labour) ही पूंजी होती है। अतः अदृश्य बेरोजगारी में निहित श्रम के अपव्यय का पूंजी निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। अतः यह उचित है कि अदृश्य बेरोजगार श्रमिकों को कृषि से हटाकर, सिंचाई, रेल, सड़क, मकान आदि विशेष सामाजिक सेवाओं के निर्माण में लगाया जाये। नक्सों के शब्दों में "अतिरिक्त श्रमिकों को भूमि से हटाया जाना सम्भव है। ऐसे लोग जिस वस्तु का निर्माण करेंगे उससे वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, किन्तु पूंजी के बिना वे क्या उत्पादन करेंगे? सम्भवतः बहुत कम। अतः उन्हें वास्तविक पूंजी के उत्पादन में ही क्यों न लगाया जाये?"

अतिरिक्त श्रम-शक्ति को भूमि से हटाकर पूंजीगत परियोजनाओं में लगाने में दो समस्याएँ हैं—(अ) उपकरणों की उपलब्धि और (ब) योजनाओं का वित्त प्रबंध।

जहाँ तक अतिरिक्त कृषि-श्रम को पूंजीगत योजनाओं में कार्य करने के लिए उपकरणों तथा अन्य सामान उपलब्ध कराने की समस्या है, उसको हल करना अत्यन्त सरल है। इस सम्बन्ध में नक्सों का सुझाव है कि—(अ) जहाँ तक सभव हो उत्पादन कार्य में श्रम-प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए जैसे, जंगल साफ करने में, पेड़ों को गिराने का कार्य श्रमिकों द्वारा होना चाहिए न कि बुलडोजरों द्वारा, (ब) कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रमिकों के स्थानान्तरण से कृषि में प्रयोग किए जा रहे उपकरणों—जैसे, टोकरियो, बेलचो व हथौड़ियों आदि में भी बचत होगी। अतिरिक्त श्रमिक इन फालतू उपकरणों को पूंजीगत योजनाओं में प्रयोग के लिए ले जा सकते हैं (स) विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत ही साधारण किस्म के औजार तथा उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है।

इस सिद्धान्त की सफलता के लिए आवश्यक है कि (1) कृषि क्षेत्र में बची हुई जनसंख्या के उपभोग-स्तर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, (2) कृषि क्षेत्र में जिन श्रमिकों को स्थानान्तरित किया जाये, उनके लिये तुरन्त वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से प्रो० नक्सों का सिद्धान्त काफी महत्त्वपूर्ण है। अर्द्ध-विकसित देशों में पाये जाने वाले श्रम अतिरेक का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अर्द्ध विकसित देशों को बाह्य सहायता पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सिद्धान्त के अनुसार देश में अन्तर्निहित सम्भाव्य बचत का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करके आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सिद्धान्त की व्यावहारिकता का प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी की सही माप अतिरिक्त श्रम को पूंजीगत परियोजनाओं में स्थानान्तरित करना पर्याप्त मात्रा में मशीन, औजारों और उपकरणों की व्यवस्था करना, साधनों को सही दिशा में गतिशीलता आदि अनेक समस्याएँ पूंजी निर्माण में संभाव्य बचत के योगदान को सीमित कर देती हैं।

2. आर्थर लुईस की विचारधारा

प्रो० विलियम आर्थर लुईस अपने लेख 'श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास' (Economic Development with the limited supply of labour) में एक मॉडल के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, कि श्रम की असीमित पूर्ति के बावजूद भी तीव्र आर्थिक विकास सम्भव है। लुईस का यह विश्वास है कि अर्द्धविकसित देशों में असीमित मात्रा में श्रमिकों की पूर्ति जीवन-निर्वाह-मजदूरी-स्तर पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में—“आर्थिक विकास उस समय होता है, जबकि जीवन-निर्वाह क्षेत्र से अतिरिक्त श्रमिकों को निकाल कर पूँजीवादी क्षेत्र में लगाने के कारण पूँजी का संचय या निर्माण होता है।” लुईस का मत है कि अर्द्धविकसित देशों में मानवीय-श्रम सस्ता होता है और उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि जीवन-निर्वाह क्षेत्र से अधिकाधिक मात्रा में मानवीय श्रम प्राप्त किया जाये और उन्हें ऊँची मजदूरी का प्रलोभन दे कर औद्योगिक क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित किया जाये।

लुईस के मॉडल की तीन प्रमुख बातें

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी की दर, चाहे थोड़ी अधिक हो, पर निश्चित हो।

(ब) औद्योगिक श्रम में विनियोग अधिक किया जाय, भले ही वह जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में न हो, तथा

(स) श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की लागत पूरे समय तक समान बनी रहनी चाहिए।

प्रो० लुईस के मॉडल का प्रधान गुण यह है कि यह बहुत स्पष्ट ढंग से विकास प्रक्रिया की व्याख्या करता है और यह स्पष्ट करता है कि उन अर्द्धविकसित देशों में पूँजी-निर्माण किस प्रकार होता है, जहाँ श्रम का बाहुल्य और पूँजी की दुर्बलता होती है।

3. प्रो० लेबेनस्टीन के विचार

प्रो० हारेव लेबेनस्टीन ने अपनी पुस्तक 'Economic Backwardness and Economic Growth' में अर्द्धविकसित देशों के सम्बन्ध में एक वाद या थीसिस को जन्म दिया है। जिसे 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नवाद' कहते हैं। अपने इस ग्रन्थ में लेबेनस्टीन ने भारत, इन्डोनेशिया आदि, उन अर्द्धविकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन किया है, जिनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

लेबेनस्टीन का मत है कि अर्द्धविकसित देशों में केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर ही जन्म-दर कम होगी अर्थात् पहले आर्थिक विकास होगा, फिर जन्म दर घटेगी। लेबेनस्टीन के शब्दों में—“बिना आर्थिक विकास के कोई भी प्रत्यक्ष तरीके जन्म-दर नियन्त्रण में सफल 'नहीं' हो सकते।” वास्तव में उनके यह विचार माल्थस के विचारों के ठीक विपरीत है।

लेबेनस्टीन का मत है कि अधिक जनसंख्या वाले अर्द्धविकसित देशों में तीव्र गति से आर्थिक विकास तभी संभव हो सकता है, जबकि शुरू में अधिक आय उत्पन्न करने वाले विनियोग कार्यक्रमों को शुरू किया जाय। जैसे भी अर्द्धविकसित देशों के प्रारम्भिक विकास काल में बड़ी मात्रा में विनियोग करने की आवश्यकता होती है, ताकि राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से विकास हो सके। अतः इस दृष्टि से किये गये प्रयासों के दो लाभ होंगे—(अ) जनसंख्या वृद्धि की दर गिरेगी, और (ब) फलस्वरूप इस प्रथम अवस्था के बाद आर्थिक विकास का यह विचार आर्थिक जगत में 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धान्त' से जाना जाता है।

स्पष्टतः लेबेनस्टीन के मतानुसार जनसंख्या की इस ऊँची दर को नियन्त्रित करने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

प्रो० लेबेनस्टीन का न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न के सिद्धान्त ने अर्थशास्त्रियों एवं अर्द्धविकसित देशों में योजना बनाने वालों का ध्यान आकर्षित किया है। यह सिद्धान्त अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि अर्द्धविकसित देशों में औद्योगीकरण के लिए पूँजी की कमी के कारण एक बार ही बड़ा धक्का देना कठिन होता है, जबकि अर्थ-व्यवस्था को सतत विकास के मार्ग पर लाने के लिये न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धान्त उचित ढंग से समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा विकास करने का समर्थन करता है। यह सिद्धान्त प्रजातन्त्रात्मक योजना से भी कम मेल रखता है, जिससे अधिकांश अर्द्धविकसित देश सम्बद्ध हैं। परन्तु यह सिद्धान्त भी बहुत व्यावहारिक नहीं है। अर्द्धविकसित देशों में न्यूनतम-स्तर के आवश्यक प्रयत्नों हेतु वाञ्छित मात्रा में विदेशी सहायता, प्रशिक्षित श्रम व विकसित तकनीक आदि उपलब्ध न होने के कारण ये देश आवश्यक औद्योगिक विनियोग करने में भी असमर्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अर्द्धविकसित देश जन्म दर को घटाने के लिए प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम आवश्यक स्तर से अधिक वृद्धि होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि तब तक देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाये। इतना ही नहीं लेबेनस्टीन ने जनसंख्या को एक विशुद्ध आर्थिक घटक माना है, जो कि वृष्टिपूर्ण है कारण यह है कि अर्द्धविकसित देशों में जनसंख्या एक सामाजिक व धार्मिक समस्या है, जिस पर रीति-रिवाज धर्म व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में "पुत्र पैदा होने पर पिता को सब कष्टों से छुटकारा मिल जाता हो, (grand son) के जन्म से वह अमर हो जाता हो, और पड़-पोते के अवतार लेते ही वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता हो," भला ऐसे देशों में आय वृद्धि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को सीमित कर सकती है।

व्यावहारिक उपाय

बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए अग्रलिखित उपाय किए जा सकते हैं :

(1) दीर्घकालीन उपाय—बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए अपनाई गई दीर्घकालीन नीति मे निम्नलिखित बातों का होना अत्यन्त आवश्यक है।

(i) जनसंख्या नियन्त्रण—जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण नियन्त्रण लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इनके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से तेजी के साथ चलाया जाना चाहिये और जन्म दर शीघ्रातिशीघ्र 40 से 52 तक घटाने के प्रयत्न होने चाहिए। चीन मे भी पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए जनसंख्या नियन्त्रण नीति अपनाई गई है।

(ii) तीव्र आर्थिक विकास—देश मे आधारभूत उद्योगों का विकास शीघ्रता से होना चाहिये जिससे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे। विशेष कर शिक्षित तथा कुशल व्यक्तियों के लिए तथा कृषि से अतिरिक्त जनशक्ति हटाकर उद्योगों मे लगाई जा सकेगी, लेकिन औद्योगीकरण के ये लाभ तभी मिल सकेंगे, जबकि वह विकेंद्रित हों, छोटे सहायक उद्योगों व वृहद् उद्योगों के बीच उचित समन्वय रखा जाय और पूंजी प्रधान उद्योगों की अपेक्षा श्रम प्रधान उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

(iii) शिक्षा-प्रणाली मे सुधार—वर्तमान पुस्तकीय शिक्षा-प्रणाली को तकनीकी और व्यावसायिक रूप दिया जाना चाहिये। शिक्षा-प्रणाली को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिये कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बदलते हुए ढाँचे से उसका सामंजस्य हो सके।

रोजगार के अवसर जुटा देने से ही बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। मुख्य समस्या है लोगों को रोजगार के योग्य बनाना। परन्तु दुर्भाग्यवश भारतवर्ष मे इस सम्बन्ध मे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों मे उत्पादन सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिये। कारण यह है कि भारतवर्ष मे 90% व्यक्ति ऐसे है जो कि अकार्यकुशल है, इनमे शिक्षित व्यक्ति भी सम्मिलित है। भारत मे शिक्षित बेरोजगारी का कारण यह नहीं है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है बल्कि यह भी है कि उपलब्ध रोजगार के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है प्रशिक्षण युक्त शिक्षण हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिये ताकि व्यक्ति स्वयं अपना रोजगार प्रारम्भ कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों मे लघु उद्योग एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेतु वर्ष मे कम से कम दो बार शिविर लगाये जाने चाहिये जिनमे ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित ज्ञान ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए।

(iv) निर्माण कार्यों में वृद्धि—देश मे यातायात सेवाओं तथा जनकल्याण सेवाओं के विकास की आवश्यकता है। यातायात के क्षेत्र मे रोजगार की सम्भावनाएँ बहुत अधिक है। अतः इस क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाना चाहिये, क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ेगी तथा साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा। इसी प्रकार हमारे देश मे सामाजिक तथा लोकहितकारी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि का अत्यधिक अभाव है, अतः इन सामाजिक सेवाओं के विस्तार से जनकल्याण मे वृद्धि होने के साथ-साथ बेरोजगारी के निवारण मे सहायता मिलेगी।

(v) अनुकूल उत्पादन तकनीक का चुनाव—भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में जहाँ बहुत अधिक मात्रा में श्रम शक्ति पायी जाती है और जिससे जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ श्रम में वृद्धि होती जा रही है, पूँजी प्रधान तकनीक का अन्धाधुन्ध उपयोग रोजगार की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हुआ है। वस्तुतः हमें श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना चाहिये जिससे उत्पादित तथा रोजगार में एक साथ वृद्धि प्राप्त की जा सके।

(vi) रोजगार कार्यालय का विस्तार—सारे देश में रोजगार कार्यालयों का जाल-सा बिछा देना चाहिये, ताकि श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हो और जो बेरोजगारी केवल कार्य खोजने के कारण है वह दूर हो। विभिन्न विश्वविद्यालयों में रोजगार विभाग खोलकर शिक्षितों को उचित काम के बारे में मार्ग दर्शन करना आवश्यक है।

(vii) मनुष्य शक्ति का नियोजन—भारत में मनुष्य शक्ति के नियोजन में काफी दोष है, इसलिए आवश्यक है कि देश में वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य शक्ति का नियोजन किया जाय। कार्यकुशल जनशक्ति की कमी समझते हुए प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवहीन जनशक्ति का सही अनुमान लगाते हुए सही रोजगार के अवसर अधिकाधिक उपलब्ध कराकर जनशक्ति योजना को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाय। यह सन्तोष की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में प्रयत्न किये गये हैं। इसके लिये सन् 1962 में केन्द्रीय मनुष्य शक्ति अनुसंधान संस्था दिल्ली में स्थापित की गई है।

(viii) सामाजिक सुधार—भारत के सामाजिक ढाँचे से उपयुक्त परिवर्तन किया जाय, ताकि जाति प्रथा, पर्दा, प्रथा, सयुक्त परिवार प्रणाली आदि के दोष दूर हो सकें और श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होकर रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

2. अल्पकालीन उपाय—अल्पकाल में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिये—

(i) सघन कृषि—सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर उन्नत बीज, खाद, दवा आदि कृषि की आवश्यक वस्तुएँ किसानों को उपलब्ध कराकर हमें अधिक से अधिक क्षेत्र सघन कृषि के अन्तर्गत लाना चाहिये जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी।

(ii) सघन फसल कार्यक्रम—अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक से अधिक फसलें बोने के लिए सघन फसल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिससे वर्ष भर में एक से अधिक फसलें उगाने से मौसमी बेरोजगारी की समस्या हल होगी।

(iii) कृषि सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन—पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुआर पालन आदि कृषि सहायक उद्योगों को अपनाकर रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

(1V) कृषि उद्योगों का विकास—कृषि में वैज्ञानिक ढङ्ग अपनाकर इसकी रोजगार प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक खादों, उर्वरक, मिश्रण तथा कीटनाशक दवाइयों आदि की सुविधा उपलब्ध होने से न केवल भूमि के प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि इनके निर्माण से सम्बन्धित उद्योगों का विकास होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी बढ़ेगी।

(V) कुटीर व लघु उद्योगों का विकास—कताई-बुनाई, मिट्टी का काम, चर्म उद्योग आदि कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जाय ताकि एक ओर कृषक वर्ग की आय बढ़े और दूसरी ओर भूमि पर जनसंख्या का दबाव घटे। श्री बी०बी० गिरि के अनुसार 'हर घर में एक कुटीर उद्योग तथा हर एकड़ भूमि पर चारागाह' हमारा ध्येय होना चाहिये।

अन्य सुझाव—(1) रोजगार सदैव लाभकारी होना चाहिए अर्थात् रोजगार की उत्पादकता रोजगार की लागत से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) रोजगार की प्रकृति स्थायी होनी चाहिए। कारण यह है कि अल्पकाल के पश्चात् एक भीड़ फिर से रोजगार की तलाश में भटकेंगी।

(3) रोजगार गुणक प्रभावशाली होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि रोजगार स्वयं वृद्धिशील होना चाहिए ताकि अनेक लोगों को कार्य मिल सके।

(4) रोजगार में वृद्धि होने के साथ बाजार में वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि की सम्भावना रहती है, अतः लोगों की आय में अतिरिक्त वृद्धि होनी चाहिए ताकि अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री हो सके।

(5) रोजगार पर्याप्त आय प्रदान करने वाला होना चाहिए अन्यथा लोगों की अरुचि रोजगार के प्रति हो जायेगी। गरीबी का मुख्य कारण अनाधिक रोजगार भी है।

(6) रोजगार के अवसरों का उचित वितरण होना चाहिए। इस तथ्य पर हमारे देश में अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ परिवार ऊँचे पदों पर अपने सभी सदस्यों को आसीन करा लेने में सफल हो जाते हैं और समाज में असंख्य राज-परिवार विकसित हो जाते हैं।

(7) रोजगार के अवसर जुटाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रोजगार गुणक में वृद्धि हो। प्रायः एक रोजगार एक तक ही सीमित रहता है क्योंकि अधिकांश रोजगार सरकारी प्रतिष्ठानों या कार्यालयों में ही उपलब्ध कराये जाते हैं उन रोजगारों की उत्पादकता भी कम होती है। इसके विपरीत निर्माण सम्बन्धी रोजगार के अवसरों का गुणक अधिक होता है, जैसे विद्युतीकरण, सड़क निर्माण कार्य, भूमि संरक्षण का कार्य आदि लघु सिंचाई योजनाओं पर प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उत्पादन वृद्धि हो।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगारी को दूर करने के प्रयत्न

1 प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम योजना में खाद्य समस्या, कच्चे माल का

अभाव आदि अन्य समस्याओं के कारण बेरोजगारी की समस्याओं व इनके उपचारों पर गहराई से विचार नहीं किया गया। यह ठीक है कि बाद में 1953 में इस समस्या का स्वरूप कुछ स्पष्ट होता गया। 1953 के अन्त में योजना आयोग ने रोजगार अवसर की उन्नति के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम बनाया, जिसमें लघु उद्योग यातायात, शिक्षा के विकास के लिये सुझाव दिये। योजना में 75 लाख व्यक्तियों को काम दिलाने का लक्ष्य रखा गया। परन्तु इस अवधि में अनुमानत 54 लाख बेरोजगारों के लिए काम-धन्धों की व्यवस्था की जा सकी।

2. द्वितीय योजना—द्वितीय योजना के आरम्भ में बेकारी की समस्या भीषण रूप में थी। इस योजना के आरम्भ के समय 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। इन पाँच वर्षों में कार्य ढूँढने वालों की संख्या में 1 करोड़ की वृद्धि हो जाने की सम्भावना थी। दूसरी योजना में 96 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य था जिसमें 16 लाख कृषि क्षेत्र में और 80 लाख गैर कृषि क्षेत्र में थे। किन्तु साधनों की कमी के कारण दूसरी योजना का आकार घटा दिया गया तथा गैर कृषि क्षेत्र में 65 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया गया। इस योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या 71 लाख हो गई। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय योजना के अन्त तक बेरोजगारी की समस्या सुधरने के बजाय और भी अधिक गम्भीर हो गई।

3 तृतीय योजना—तृतीय योजना में कहा गया है कि रोजगार देना भारत में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य है। अनुमान किया गया है कि तृतीय योजना में श्रम शक्ति में लगभग 1 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायगा। परन्तु इस योजना में केवल 149 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। तीसरी योजना में रोजगार सम्बन्धी प्रयत्न मुख्यतः तीन दिशाओं में किये गये :—

(अ) यह प्रयत्न किया गया है कि पहले की अपेक्षा इस बार रोजगार का लाभ लोगों को समान रूप में मिले।

(ब) गाँव के औद्योगीकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाय जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में चेतना जागृत हो।

(स) गाँवों में निर्माण कार्य चलाया गया।

4. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में रोजगार नीति—चतुर्थ योजना में श्रम गहन कार्यक्रमों पर काफी बल दिया गया जैसे—भू-संरक्षण, सहकारिता, सड़क, सिंचाई, लघुसिंचाई, आवास व नगर विकास, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा लघुउद्योग आदि। इन कार्यक्रमों पर व्यय की राशि में पूर्ण की तुलना में वृद्धि की गई। योजना में कृषि गत क्षेत्र के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की क्रियाओं के लिए साधन रखे गये। इन संस्थाओं में भूमि विकास बैंक, कृषि साख निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण उद्योग निगम, सहकारी बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम आदि शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहु-फसल कार्यक्रम, सुधरी हुई विधियों के प्रचार, मशीनरी के आवश्यक उपयोग के प्रसार आदि से श्रम की माँग में विस्तार होने के अनुमान लगाए गये ।

(5) पाँचवीं योजना, 1974-78 में रोजगार बढ़ाने पर अत्यधिक बल :— देश में फैली हुई गरीबी व बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए पाँचवी योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए निम्न क्षेत्रों के विकास को आवश्यक बताया गया—भू-संरक्षण, वन, मछली पालन, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई, पशु पालन व दुग्ध व्यवसाय, सड़के व लघु कृषक विकास एजेन्सी, वेयरहाउसिंग व बिक्री कार्य लघु उद्योग, सीमान्त कृषक व खेतिहर श्रमिक एजेन्सी व सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम । इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्यक्रम में निम्न कार्य सुझाए गये—सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमिहीनों के लिए मकान, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण जल सप्लाई, ग्रामीण विद्युतीकरण व शहरो में गन्दी बस्तियों का सुधार आदि ।

छठी योजना में रोजगार नीति

इस योजना में रोजगार नीति के मुख्यतया निम्न दो उद्देश्य होंगे—

(1) सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की सीमा को घटाना है जिसे कि खुली बेरोजगारी कहते हैं ।

(2) रोजगार बढ़ाने के मुख्य क्षेत्र हैं . कृषि, ग्राम विकास, ग्राम तथा लघु उद्योग, भवन निर्माण, सार्वजनिक प्रशासनिक एवं सेवाएँ । छठी योजना (1980-85) में 343 लाख मानव वर्ष रोजगार कायम किया जायेगा जो योजना काल के दौरान श्रम शक्ति में वृद्धि के लगभग बराबर होगा । इस प्रकार रोजगार में 4 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी जो श्रम शक्ति में 2.54 प्रतिशत की इस काल में वार्षिक वृद्धि से कहीं अधिक है ।

छठी योजना में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अधीन ग्राम निर्धनों के लिए रोजगार कायम करने वाली विकास परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं । राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा चालित योजना के रूप में 50-50 की केन्द्र एवं राज्यों के बीच सहभागिता के आधार पर चलाया जा रहा है । केन्द्र अपना भाग जिस हद तक अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होंगे, खाद्यान्न के रूप में जुटाएगा और शेष भाग नकदी के रूप में ।

(3) छठी योजना में 1979-80 की तुलना में रोजगार क्षमता अग्रलिखित सारणी से स्पष्ट हो जाती है—

अनुमानित क्षेत्रवार रोजगार 1979-80 और 1984-85 में मिलियन मानक व्यक्ति प्रतिवर्ष

क्रम क्षेत्र	1979-80	1984-85
1. कृषि	72·184	85 237
2. वानिकी	6·207	7·794
3. मछली पालन	1 940	2 220
4. खनन एवं पत्थर खान	0·724	0·894
5. मैनूफैक्चरिंग	22·012	27 759
6. निर्माण	9 286	11·321
7. बिजली, गैस एव जलपूर्ति	0·723	0 927
8. रेलवे	1·662	1·704
9. अन्य परिवहन	7·109	8 677
10. संवहन	0 800	0·917
11. व्यापार, भण्डारण एव गोदाम	13 278	16·042
12. बैंकिंग एवं बीमा	1 038	1·225
13. वास्तविक सम्पत्ति अन्य		
सेवाएँ एव आवास	0 028	0 032
14. सार्वजनिक प्रशासन	14 119	16 042
सुरक्षा एवं अन्य सेवाएँ		
15. रोजगार विशेष कार्यक्रम	—	4·000
राष्ट्रीय रोजगार योजना सहित		
16. योग	151·110	185 389

इस प्रकार छोटी योजना में बेरोजगारी की समस्या पर भीषण प्रहार होगा।

बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न

सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो उपाय किये हैं उनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

1 रोजगार कार्यालयों की स्थापना—रोजगार दिलाने के लिए एवं बेरोजगारों के मार्ग दर्शन के लिए रोजगार कार्यालयों की संख्या में बराबर वृद्धि की जाती रही है। जैसा कि प्रदत्त सारणी के अंको से स्पष्ट है—

वर्ष	रोजगार कार्यालय की संख्या	पंजीकृत संख्या (लाखों में)
1950	143	16·07
1961	325	32·30
1966	396	38·71
1977	594	109·24
1978	601	126·77

2 विशिष्ट कार्यक्रम—(अ) सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम—कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम सन् 1970-71 में देश के 54 चुने हुए जिलों में 100 करोड़ रुपये निर्धारित परिव्यय से प्रारम्भ किया गया था। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 करोड़ मनुष्यों को रोजगार मिल चुका है।

(ब) ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्रम—केन्द्रीय सरकार ने सन् 1971-72 में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए कृषि प्रोग्राम बनाया। इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं—श्रम प्रधान ग्रामीण परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक जिले में अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना तथा, स्थायी रूप की नगर निर्माण परियोजनाओं पर बल देना।

(स) अग्रगामी गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना—ग्रामीण जनसंख्या को पूर्ण रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक आवश्यक प्रारम्भिक कार्यक्रम के रूप में सन् 1972-73 में 'PIREP' प्रारम्भ की गई। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की मात्रा और प्रकृति का अनुमान लगाना है।

3 शिक्षित बेरोजगारों सम्बन्धी विशिष्ट कार्यक्रम—शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम अपनाए गये हैं। जैसे स्कूलों की संख्या बढ़ाकर नवीन अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। सरकार ने जनशक्ति नियोजन की बात मान ली है इसलिए उपयुक्त प्रदेशनीति, प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार आदि पर जोर दिया जा रहा है।

4. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास—बेरोजगारी दूर करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। औद्योगिक नीति 1977 में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर काफी जोर दिया गया और प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र खोला जा रहा है। इससे भी बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलेगी।

5. बेरोजगारी भत्ता—पश्चिमी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है।

6. रोजगार के लिए शीर्ष संस्था का गठन—स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को रोजगार उपलब्ध करने या उन्हें प्रशिक्षु योजनाएँ लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार एक शीर्ष संस्था का गठन करने जा रही है।

7. टाइम कार्यक्रम—यह खुशी की बात है कि भारत सरकार के पुनर्निर्माण मन्त्रालय ने टाइम कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों के बेरोजगार युवकों को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए विभिन्न व्यवसायों में 'व्यावहारिक ट्रेनिंग' दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 100 रु० प्रतिमाह वजीफा भी दिया जाता है। बाद में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान देने और बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। वर्ष 1980-81 में 45 युवकों को ट्रेनिंग दी गई और 27,000 रुपये का वजीफा दिया गया।

परीक्षा-प्रश्न

- (1) भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबन्ध लिखिए ।
- (2) भारत में शिक्षित बेरोजगारी के क्या कारण हैं ? इसे दूर करने के उपाय बताइए ।
- (3) भारत में बेरोजगारी की समस्या के स्वभाव की परीक्षा कीजिए । इसे हल करने के हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?
- (4) भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता का विवेचन कीजिए ।
- (5) अदृश्य बेरोजगारी अथवा दृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं ? इसके कारण और उपचार बताइए ।
- (6) भारत में बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डालिए और बताइए कि वह कैसे हल की जा सकती है ।
- (7) “पाचो योजनाओं के क्रियान्वित होने के बाद भी देश में बेकारी की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सका है ।” इस कथन को स्पष्ट करे और समस्या को दूर करने के उपाय बताएँ ।
- (8) “मानव शक्ति के समुचित उपयोग की समस्या जितनी भारत के समक्ष आज उग्र है उतनी सम्भवत अन्य किसी देश के समक्ष नहीं है ।” क्या इस कथन में आप सहमत हैं ?

ग्रामीण ऋणग्रस्तता (Rural Indebtedness)

ऋणग्रस्तता से आशय उस ऋण राशि से है जिसका कृषको को ऋण देने वालो को भुगतान करना है, अर्थात् यह कृषको पर ऋण देने वालो की बकाया राशि का संकेतक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है, जिसके बोझ से लदे भारतीय कृषक आज कृषि में सुधार लाने में असमर्थ है। शाही कृषि आयोग के अनुसार—“भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है, ऋण में मर जाता है और ऋण छोड़ जाता है।” इस ऋणग्रस्तता का सम्बन्ध किसानो की आर्थिक स्थिति, कृषि में विनियोग की क्षमता और देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था से हैं। अतः हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विभिन्न पहलुओ का अध्ययन सविस्तार करेंगे।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता की सीमा

भारतीय कृषको की ऋणग्रस्तता के अनुमान समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियो और विशेषज्ञो द्वारा लगाए गये हैं। सर्वप्रथम अकाल आयोग ने 1901 में अपने प्रतिवेदन में बताया कि भारत के 80% किसान ऋणग्रस्त हैं। इसके उपरान्त सर एडवर्ड मेकलेगन (1911) डाईलिंग (1925) केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (1930) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कृषि ऋण विभाग (1939) आदि ने भी अपने आकलन दिए हैं। पर ये आकलन पुराने हो चुके हैं इसलिए इनका विस्तृत वर्णन उपादेय नहीं होगा।

स्वतन्त्रता के बाद के आकडे हमारे लिए विशेष महत्त्व के हैं, अतः 1951 में से 1981 तक के आँकडो का तुलनात्मक अध्ययन आगे सारणी में दिया जा रहा है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता का तुलनात्मक अध्ययन : 1951-1981

विवरण	50-51	60-61	70-71	80-81	51-81 परिवर्तन
ऋणग्रस्त परिवारों का प्रतिशत					
(क) कृषक परिवार	58.6	52.2	51.5	49.8	(—) 8.8
(ख) गैर-कृषक परिवार	38.6	40.4	42.6	42.3	(+) 3.7
(ग) सभी ग्राम्य परिवार	51.7	48.8	54.1	48.9	(—) 2.8
प्रति परिवार ऋण का बोझ (रुपये)					
(क) कृषक परिवार	209.5	205.4	232.0	244.9	(+) 35.5
(ख) गैर-कृषक परिवार	66.1	111.8	214.6	205.8	(+) 139.7
(ग) सभी ग्राम्य परिवार	159.9	169.6	192.8	201.3	(+) 41.9
प्राप्त ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये)	750	1034	1085	1520	(+) 770
ऋणी कृषकों का प्रतिशत	69.2	66.7	62.3	58.6	(—) 10.6
प्रति ऋणी कृषक पर कर्ज का बोझ (रुपये)	526	708	890	1020	(+) 494

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि—(i) 1951 से 1981 के तीन दशकों में कुल ऋण की राशि में 51% की वृद्धि हुई है। (ii) इसी अवधि में यद्यपि ऋणी कृषकों का प्रतिशत 69.2 से 58.8 हो गया है परन्तु प्रति ऋणी कृषक पर कर्ज का बोझ 506 रुपये से बढ़कर 1020 रुपये हो गया है।

उद्देश्य के अनुसार प्राप्त ऋण—भारतीय कृषकगण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण लेते हैं एवं उस बोझ से लद जाते हैं। नीचे दी गई सारणी में कृषकों द्वारा प्राप्त ऋण में विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार प्रतिशत प्रदर्शित करती है।

कृषकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार प्राप्त कुल ऋण

ऋण का उद्देश्य	प्राप्त कुल ऋण का प्रतिशत			
	1959-51	1960-61	1970-71	1980-81
फार्म व्यवसाय में पूंजी निवेश	31.5	22.1	20.0	18.6
फार्म व्यवसाय में चालू व्यय	10.6	13.5	14.7	16.4
फार्म व्यवसाय के अतिरिक्त कार्यों में व्यय	4.5	6.7	8.9	9.3
घरेलू उपभोग व्यय	46.0	46.6	46.2	44.5
अन्य	6.5	11.1	10.2	11.2
कुल	100	100	100	100

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि प्राप्त ऋण का लगभग आधा भाग (1981 = 44.5%) कृषको द्वारा घरेलू उपभोग आवश्यकताओं में व्यय किया जाता है। इन ती दशकों में घरेलू व्यय के प्रतिशत में खास परिवर्तन नहीं आया है।

प्रतिभूति के अनुसार प्राप्त ऋण—भारतीय कृषक विभिन्न प्रतिभूतियों के बल पर ऋण प्राप्त करते हैं—जैसे व्यक्तिगत प्रतिभूति, स्थायी सम्पत्तियों की प्रतिभूति गहनो की प्रतिभूति इत्यादि। नीचे सारणी में प्रतिभूति के अनुसार कृषको द्वारा प्राप्त ऋण दर्शाए गए हैं—

प्रतिभूति के अनुसार कृषकों द्वारा प्राप्त ऋण

प्रतिभूति	कुल ऋण का%	प्राप्तकर्ता परिवार का %
व्यक्तिगत प्रतिभूति	75.8	45.9
अन्य व्यक्ति की प्रतिभूति	6.8	5.6
फसल की प्रतिभूति	0.9	0.6
स्थायी सम्पत्ति की प्रतिभूति	5.0	2.3
स्थायी सम्पत्ति को बंधक रखकर	9.3	3.6
गहनो की प्रतिभूति	1.7	1.8
कम्पनियों के शेयर, बीमा पालसी आदि की प्रतिभूति	0.1	—
कृषि वस्तुओं की प्रतिभूति	0.2	—
अन्य	0.2	0.3
	100	52.0

उपर्युक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट है कि कृषक प्राप्त ऋण का लगभग तीन चौथाई अंश (75%) व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर प्राप्त करते हैं। प्रतिभूति का दूसरा प्रमुख आधार है—स्थायी सम्पत्ति को बंधक रखना।

भारतीय ऋणग्रस्तता के कारण

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 भूमि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव—भारत में लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या 70% भाग कृषि पर निर्भर है। देश में प्रतिवर्ष जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के साथ जनसंख्या का भूमि पर भार बढ़ता जा रहा है। फलतः प्रति ग्रामीण परिवार की आय कम होती जा रही है, क्योंकि जमीन का साधन तो पहले ही जितना या पहले से कम ही है, किन्तु खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों को अपने उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण लेना पड़ता है।

9. ऊँची ब्याज दर—कृषको की ऋणग्रस्तता का एक यह भी मुख्य कारण है कि महाजनो व साहूकारो द्वारा जो ब्याज दर ली जाती है वह बहुत ही ऊँची होती है। बम्बई बैङ्किंग जाँच समिति के शब्दो मे “ऊँची ब्याज की दर तथा महाजनो की शोषण-प्रवृत्ति किसान की ऋणग्रस्तता मे किसी तरह की कमी नहीं होने देती है।”

10. पैतृक ऋण—वर्तमान ऋणग्रस्तता का एक मुख्य कारण यह भी है कि ऋण पीढी-दर-पीढी चलता रहता है। पैतृक ऋणो का चुकाना किसान अपना परम कर्तव्य समझता है। इस प्रकार एक बार लिया हुआ ऋण कई पीढियो तक चलता रहता है।

11. भूमि और सिंचाई पर कर की अधिकता—भारत मे ऋणग्रस्तता का यह भी कारण है कि यहाँ भूमि एव सिंचाई करो की माला बहुत अधिक है। इसके साथ-ही साथ ये कर किसानो से कठोरतापूर्वक ऐसे समय मे वसूल किये जाते है, जबकि उनके पास मुद्रा का अभाव होता है। अत. इन करो का भुगतान करने के लिए उन्हे ऋण लेना पडता है जो कि ऋणग्रस्तता को बढा देता है।

12. कृषि मे उत्पत्ति-ह्रास नियम का लागू होना—कृषि में सभी साधनो का उपयोग करने पर भी कृषि का उत्पादन इच्छित अनुपात मे नहीं होता और क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होता है। किसान को इस कारण भूमि की उत्पादन-क्षमता को बनाये रखने के लिए महाजनो से ऋण लेकर अधिक साधन जुटाने पडते हैं।

13 अन्य कारण—ऋणग्रस्तता के कुछ अन्य कारण इस प्रकार है (अ) ग्रामीण उद्योगो का पतन, (ब) पशुधन की हानि, (स) कृषि उपज की दोषपूर्ण विपणन प्रणाली आदि।

ऋणग्रस्तता के परिणाम ४९-७१

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित है —

(अ) आर्थिक दुष्परिणाम—आर्थिक दृष्टि से ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम निम्न-लिखित हो सकते हैं —

1. भूमि का हस्तान्तरण—किसानो की भूमि का अधिकांश भाग ऋणग्रसित होने के कारण ऐसे लोगो के पास चला जाता है जो स्वयं कृषि नहीं करते, बल्कि ऋण देने और किसानो की भूमि लिखवा लेने का कार्य करते है। इसका प्रभाव कृषि पर सभी दृष्टिकोणो से बहुत बुरा पडता है।

2. निम्न जीवन-स्तर—न्यूनतम आवश्यकताओ को भी पूरा न कर सकने से कृषको का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। वे ऋण से कभी उऋण नहीं होते। अत वे उपाजर्जन का बडा भाग ऋण पटाने मे ही व्यय कर देते है और अपने रहन-सहन, खाने-पीने पर व्यय नहीं कर पाते। अत उनका जीवन-स्तर धीरे-धीरे नीचा हो जाता है।

3. कृषि विकास मे बाधा—कृषक ऋणग्रस्त होने के कारण मशीनो, अच्छे बीज, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता है,

क्योंकि ऋण और उसका ब्याज पटाने से ही उसको फुर्त नही मिलती। अतः उसका परिणाम यह होता है कि कृषि में वे विनियोग नही कर पाते। अतः कृषि में कोई उन्नति नही हो पाती।

4. कृषि उत्पादन के विक्रय में बाधा—महाजनों द्वारा कृषको की उत्पादित फसल को मनमाने भाव पर खरीद लिया जाता है, क्योंकि वे ऋण प्रायः इसी शर्त पर लिये रहते हैं कि फसल तैयार होने पर अनाज उन्हें बेच दिया जायेगा। अतः महाजन मनमाने भाव पर अनाज खरीद लेते हैं और किसानों की अपनी फसल का उचित मूल्य नही मिल पाता है।

(ब) सामाजिक दुष्परिणाम—ऋणदाता और ऋणी के बीच परस्पर संघर्ष होने से भूमिरहित वर्ग बढ जाता है और उसके पास आजीविका का कोई साधन नही रह जाता, जिससे उसे अपना जीवनयापन करने के लिये बड़े-बड़े भूमि स्वामियों पर निर्भर होना पडता है। ये लोग कृषक से तरह-तरह की राशियाँ आदि लेते रहते हैं। इन कारणों से सामाजिक असंतोष बढ जाता है, जो कि सामाजिक आन्दोलनों को जन्म देते हैं।

डा० थॉमस के शब्दों में “एक ऋणग्रस्त समुदाय निश्चायत्मक रूप में एक सामाजिक ज्वालामुखी है। विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष का उत्पादन होना स्वाभाविक है, तथा शनै-शनै- बढता हुआ असंतोष एक दिन भयानक सिद्ध होता है।”

(स) नैतिक दुष्परिणाम—कृषको को ऋण के बोझ से दबे होने के कारण दासता का जीवन व्यतीत करना पडता है जिससे उनका जीवन निराशापूर्ण एवं असंतोषमय हो जाता है तथा वे अनैतिक कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी व अनेक दूसरी बुराइयाँ बढती जाती हैं। परिणामतः ग्रामीण जनता का चरित्र गिरता जाता है।

✓ ऋणग्रस्तता दूर करने के उपाय

1. ऋण देने वाली संस्थाओं की स्थापना—देश में ऐसी संस्थाओं की बहुतायत से स्थापना की जाय जहाँ से कृषको को आसानी से एव कम तथा उचित ब्याज दर पर आवश्यकतानुसार विभिन्न अवधियों के लिए ऋण प्राप्त हो सके।

2. तकावी ऋणों की उचित व्यवस्था—हमारे देश में यद्यपि किसानों को तकावी के रूप में ऋण प्राप्त होने की सुविधाएँ प्राप्त हैं, परन्तु उनमें और सुधार करने की आवश्यकता है।

3. पुराने ऋणों का निपटारा—पुराने ऋणों को समाप्त किये बिना किसान की उन्नति होना असम्भव है। यदि ऋणी की सम्पत्ति इतनी अधिक न हो, जिससे कि उसके ऋणों को चुकाया जा सके, तो वहाँ उसे दिवालिया घोषित करके पुराने ऋणों को समाप्त करना चाहिए।

4. महाजनों पर नियंत्रण—महाजनों पर उचित नियंत्रण लगाये बिना कृषको को उन्नति सम्भव नही है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिये, ताकि महा-

जन लोग कृषको का शोषण न कर सके। यह कार्य ब्याज-दर पर नियन्त्रण करके पावती किस्तो का हिसाब रखकर तथा ऋणी से रसीदे वगैरह दिलवाकर किया जा सकता है।

5. नये ऋण लेने पर नियन्त्रण—कृषको को नये ऋण लेने पर नियंत्रित किया जाना चाहिये और अनुत्पादक ऋणो को हतोत्साहित किया जाना चाहिये।

6. सहकारी साख समितियों का प्रसार—देश मे सहकारी साख समितियों की सख्या मे और अधिक वृद्धि करके भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इन समितियों द्वारा कृषको को सभी प्रकार के ऋण दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

गाडगिल समिति ने ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिए निम्न सुझाव दिये थे —

1. ऋणी द्वारा लिये जाने वाले ऋण की मात्रा इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिये कि उसे 20 वर्ष मे 4% सूद की दर मे अथवा अपनी अचल सम्पत्ति के सामान्य मूल्य के 50% द्वारा अदा करने मे समर्थ हो सके।

2. कृषि उत्पादन मे लगे हुए कृषको का ऋण अनिवार्य रूप से पुन. निर्धारित किया जाय। लगान का बकाया भी ऋण समझा जाय।

3. ऋण देने वालो, अर्थात् महाजनो को अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहिये तथा पूंजी आदि का विवरण सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिये।

4. बैङ्क अथवा अन्य एजेन्सी इस रकम को कृषक से 20 किस्तो मे वसूल करे।

5. निश्चित की गई कर्ज राशि भूमि बन्धक बैङ्क से या इसी प्रकार की अन्य सस्थाओ से लेकर चुका देनी चाहिये।

इस प्रकार उपर्युक्त सुझाव ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। इन सभी सुझावो का दृढता से पालन करने पर समस्या का पूर्ण हल हो सकता है।

ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने की दिशा में सरकारी प्रयास

(i) भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध—उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारो ने ऐसे कानून बनाये हैं, जिनके अनुसार ऋणदाता अपनी रकम के भुगतान के रूप ऋणी किसानो की भूमि सरलता से नही खरीद सकता है।

(ii) ऋणों को अनिवार्यतः कम करना—मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारो ने ऐसे कानून बनाये है, जिनके अनुसार किसानो के ऋण की रकम अनिवार्य रूप से कम कर दी जाती है।

(iii) ऋण को तय करने से सम्बन्धित नियम—मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों ने ऋण की रकम तय करने से सम्बन्धित कानून पास

किये हैं, जिनके अनुसार किसान की सम्पत्ति के आधार पर उसके ऋण के भुगतान की किस्ते निर्धारित की जाती हैं।

(iv) ब्याज की दर के नियमन सम्बन्धी कानून—सन् 1918 के, अधिक ब्याज के ऋण नियम, जिसका सन् 1925 में संशोधन हुआ, में केवल उचित ब्याज लेने की आज्ञा दी गई है। अधिकतम अनुचित ब्याज की दर का राज्यवार विवरण निम्न सारणी में दिया गया है—

प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज

राज्य	सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण
असम	9 $\frac{3}{8}$	12 $\frac{1}{2}$
बिहार	9	12
बम्बई	9	12
मध्य प्रदेश	12	18
मद्रास	6 $\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{4}$
मैसूर	9	12
उड़ीसा	9	12
पंजाब	7 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
उत्तर प्रदेश	4 $\frac{1}{2}$	6
पश्चिमी बंगाल	8	10
हिमाचल प्रदेश	6	12

कई राज्यों में 'दमदुपत' (Dumduput) का नियम लागू कर दिया गया है जिसके अनुसार ऋणों द्वारा अदा की गई राशि मूल राशि के दुगुने से किसी हालत में अधिक नहीं हो सकती।

(v) महाजनों या साहूकारों पर नियंत्रण—सन् 1930 के बाद विभिन्न राज्यों में साहूकारों पर नियंत्रण रखने के लिये निम्नलिखित मुख्य कानून बनाये गये हैं :—

राज्य	प्रमुख कानून
असम	साहूकार कानून सन् 1934
बिहार	साहूकार कानून सन् 1938
बंगाल	साहूकार कानून सन् 1933
मध्य प्रदेश	साहूकार कानून सन् 1934, ऋणी सुरक्षा कानून, सन् 1937
मद्रास	ऋणी सुरक्षा कानून, सन् 1934, कृषक सहायता कानून, सन् 1934
पंजाब	हिसाब-किताब नियन्त्रण कानून, सन् 1930, साहूकारों का पंजीकरण कानून, सन् 1938
उड़ीसा	साहूकार कानून सन् 1939
उत्तर प्रदेश	कृषक सहायता कानून सन् 1934, ऋण बोझ स्थिति कानून, सन् 1934, बिक्री-नियमन कानून सन् 1934

उपरोक्त कानून द्वारा मुख्यतया निम्नांकित बातों का प्रबन्ध किया गया है.—
(i) नाम रजिस्टर करवाना, (ii) लाइसेंस लेना, (iii) निश्चित विधि से खाता रखना, (iv) ऋणियों को जमा रकम की रसीद देना, (v) ऋणियों को समय-समय पर खाता विवरण भेजना, (vi) ब्याज का नियमन करना, (vii) किसान को तंग करने के विरुद्ध संरक्षण, और (viii) उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था करना ।

(vi) सहकारी साख सुविधाओं का विस्तार—कृषकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने सहकारी साख सुविधाओं के विस्तार पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है । इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति में भी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिये जाने पर जोर दिया गया है ।

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना¹—यद्यपि सरकार ने सहकारी साख समितियों और व्यापारिक बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया, लेकिन इसका अधिकांश लाभ बड़े-बड़े कृषकों को मिला । अतः छोटे-छोटे कृषकों को सरलता से ऋण प्रदान करने की दृष्टि से ग्रामीण बैंकों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया है ।

(viii) बन्धक प्रथा की समाप्ति—नवीन आर्थिक कार्यक्रम में बन्धक-प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई है और प्रायः सभी राज्यों में कानून बना कर (या अध्यादेश निकाल कर) बंधकी रखने को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है । इससे साहूकार द्वारा शोषण का एक माध्यम समाप्त हो गया है ।

(ix) ऋण की मुक्ति—बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों में छोटे किसानों (जिसके पास 2 हेक्टर से कम भूमि है) तथा भूमिहीन श्रमिकों एवं कारीगरों को ऋण मुक्त कर दिया गया है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि साहूकार इन वर्गों के व्यक्तियों से कोई भी रकम वसूल नहीं कर सकते ।

ऋण सम्बन्धी कानून सामग्री ऋणग्रस्तता की व्यापक बीमारी के लिए केवल प्राथमिक चिकित्सा के रूप में ही कार्य कर सके है । ऋणग्रस्तता जैसे भीषण रोग का स्थायी इलाज केवल महाजनो के नियन्त्रण व ऋण तथा ब्याज दर कम करने में निहित नहीं है । इसका अन्तिम समाधान तो केवल कृषि की उन्नति में है । हमें समस्त कृषि विकास की गति बढ़ानी होगी तथा किसान की आय को उच्च स्तर पर स्थिर करना होगा व कृषि विधियों तथा किसान को मनोवृत्ति में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना होगा तभी ऋणग्रस्तता की समस्या का स्थायी समाधान होगा ।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत में ग्रामीण ऋण के मुख्य कारण क्या हैं ? किसान की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ? इस समस्या के उपचार के लिये किये गये उपायों

1. विस्तृत अध्ययन हेतु 'कृषि वित्त' नामक अध्याय देखिए ।

और अपने सुझावों का वर्णन कीजिए ।

2. “भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीवित रहता और ऋण में ही मरता है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारणों पर प्रकाश डालिये ।

3 “ऋण मुक्ति और अदायगी को सभी योजनाये अस्थायी उपचार है । वे विशाल अनुत्पादक ऋण के प्रमुख कारणों को दूर नहीं करती, जो भारतीय काश्तकारों पर भार बन गया है ।” इस वक्तव्य में उल्लिखित प्रमुख कारण कौन से हैं और आप उनका निवारण किस प्रकार करेंगे ?

4. “ऋणग्रस्तता की अनिवार्यता, जिससे उसे मुक्त होने की किंचित् भी आशा नहीं है; भारतीय कृषक को एक बेईमान, ऋणी परिवार का अपव्ययी मुखिया और एक गैर-जिम्मेदार नागरिक बना देती है ।” इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिये ।

कृषि वित्तः (Agricultural Finance)

कृषि वित्त की आवश्यकता—अन्य उद्योगों की तरह कृषि वित्त भी एक आवश्यक तत्त्व है। बीज, औजार तथा खाद इत्यादि को खरीदना, भूमि सुधारना तथा अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब ठीक समय पर और उचित मात्रा में वित्त उपलब्ध हो। भारतीय कृषि को कुछ विशेषताओं के कारण हमारे कृषक की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ और भी अधिक हैं। ग्रामीण साख सर्वेक्षण के विवरण में भी यह कहा गया है, “साख कृषक की उसी प्रकार से सहायता करती है जैसे फाँसी पर लटकते हुए व्यक्ति की जल्लाद की रस्सी।” सर निकोलसन के शब्दों में, “साख कृषि के लिए नितान्त आवश्यक है और उधारी किसान के लिये अनिवार्य है।” वर्तमान समय में जब हमारी कृषि दिनो दिन प्रगति कर रही है, वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ निरन्तर बढ़ती ही जा रही हैं। वित्तीय सुविधाओं का अभाव ही हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण रहा है।

किसानों को अनेक कारणों से ऋण लेना पड़ता है। इन ऋणों को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

1. अल्पकालीन ऋण—ये वे ऋण हैं जो खाद व बीज खरीदने के लिए, फसल बोने से काटने तक काम चलाने के लिये और पशुओं व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लिए जाते हैं।

2. मध्यकालीन ऋण—इसकी आवश्यकता औजार व बैल खरीदने, कृषि प्रणाली में सुधार करने व जमीन में सुधार करने के लिए पड़ती है।

3. दीर्घकालीन ऋण—इसकी आवश्यकता किसानों को अपने पुराने ऋणों को चुकाने के लिये, नयी भूमि खरीदने के लिये या भूमि पर कोई स्थायी सुधार करने लिये पड़ती है।

1. इस अध्याय को कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रामीण साख के नाम से शामिल किया गया है।

अल्पकालीन ऋण की अवधि सामान्यतया 15 माह, मध्यकालीन ऋण की अवधि 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक और दीर्घकालीन ऋणों की अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है। दीर्घकालीन ऋण की अधिकतम अवधि के बारे में कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत में दीर्घकालीन ऋण 15 से 20 वर्षों, फिनलैंड में 30 वर्षों, स्विटजरलैंड में 57 वर्षों, हंगरी में 63 वर्षों और फ्रान्स में 75 वर्षों के लिए प्राप्त किए जाते हैं। इन ऋणों की दीर्घावधि के कारण इनका भुगतान करना सरल होता है।

कृषि वित्त के स्रोत

भारतीय कृषि को वित्त/साख प्रदान करने के लिए (1) गैर संस्थागत एजेन्सियाँ व (11) संस्थागत एजेन्सियाँ कार्य करती हैं। गैर संस्थागत स्रोतों में देशी बैंडर एव साहूकार, कृषक महाजन, वेतनभोगी कर्मचारी एव सम्बन्धी आते हैं। संस्थागत स्रोतों में सहकारी संस्थाएँ, व्यापारिक बैंडर, ग्रामीण बैंडर व भूमि विकास बैंडरों का स्थान है।

इस सारणी में भारत में कृषक परिवारों द्वारा सभी उद्देश्यों हेतु विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त ऋणों के सापेक्षिक अनुपात को व्यक्त किया गया है।

साख प्रदाता एजेन्सी	आल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे (1951-52)	आल इण्डिया रूरल डेट एण्ड इनवेस्ट-मेंट सर्वे (1961-62)	नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च (1970-71)
सरकार	3.3	2.6	3.6
सहकारिता	2.1	15.5	22.7
व्यापारिक बैंडर	0.9	0.6	4.0
महाजन, व्यापारी, कमीशन			
एजेण्ट, मित्र	75.2	58.0	49.6
मित्र सम्बन्धी	14.2	8.8	18.8
जमीदार एव अन्य	3.3	14.5	1.3
योग	100.00	100.00	100.00

स्रोत.—क्रेडिट टिक्कावरमेन्ट फार एग्रीकल्चर, नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च 1974 पृ० 80

उपर्युक्त सारिणी के अंको का आधार पर कृषि वित्त के स्रोतों के सम्बन्ध में दो प्रमुख अवलोकन किए जा सकते हैं.—

1. 1951-52 तक कृषि साख के क्षेत्र में गैर संस्थागत स्रोत (महाजनों और साहूकारों) का स्थान प्रमुख रहा। सन् 1951-52 में कृषकों की कुल ऋण

सम्बन्धी आवश्यकताओं का 92.7 प्रतिशत भाग गैर सस्थागत एजेन्सियों ने ही पूरा किया था।

2 सन् 1951-52 के बाद से कृषि वित्त प्रदान करने में संस्थागत एजेन्सियों का महत्त्व बढ़ रहा है। सहकारिता का अंशदान जो 1951-52 में 3 प्रतिशत था, सन् 1961-62 में 15.5 प्रतिशत और 1970-71 में लगभग 23 प्रतिशत हो गया इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साख की आपूर्ति में संस्थागत स्रोतों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है और गैर संस्थागत एजेन्सियों का महत्त्व घटता जा रहा है। इसी तथ्य की पुष्टि नीचे दी गई सारणी के अंकों से भी हो रही है।

कुल कृषि वित्त में गैर-संस्थागत एजेन्सियों का योगदान

वर्ष	1951-52	1961-62	1971-72	1978-79
प्रतिशत योगदान	92.7	85.0	75.0	65.0

कृषि क्षेत्र में प्रदत्त प्रत्यक्ष संस्थागत वित्त की बकाया राशि 30 जून 1980 को 6,213 करोड़ रुपए अनुमानित थी जो कि जून 79 की बकाया राशि से 1,036 करोड़ रुपए (20%) अधिक थी जबकि जून 76 की तुलना में 764 करोड़ रुपए (7.3%) की वृद्धि हुई। 30 जून 1980 तक बकाया ऋणों में अधिकांश भाग सहकारी समितियों (3758 करोड़ रुपए) का और इसके बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (2455 करोड़ रुपए) का था।

प्रत्यक्ष संस्थागत ऋणों के अतिरिक्त सहकारी बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगमों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खाद्यान्नों की बसूली, कृषि पदार्थों के विपणन और उर्वरकों के वितरण इत्यादि प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष ऋण दिए गए हैं। इन विभिन्न एजेन्सियों द्वारा परोक्ष ऋण 1979-80 (जून) में कुल 839 करोड़ रुपए वितरित किए गए जो कि 1978-79 की वितरित राशि की अपेक्षा 65 करोड़ रुपए (8.4%) की वृद्धि की द्योतक है।

30 जून 1980 तक परोक्ष ऋणों की कुल अनुमानित बकाया राशि 255 करोड़ रुपए थी जो एक वर्ष की अवधि में हुई 474 करोड़ रुपए (26.7%) वृद्धि की परिचायक थी। इन ऋणों में अधिकांश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का (787 करोड़ रुपए अथवा 35.0%) था उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (180 करोड़ रुपए 34.6%) और सहकारी समितियों का (684 करोड़ रुपए अथवा 30.4%) स्थान था।

कृषि वित्त के सम्बन्ध में नीति का विकास

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सरकार की कृषि साख नीति में दो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनको दो महत्त्वपूर्ण अवस्थाएं भी कहा जा सकता है। पहली अवस्था 1970 तक विद्यमान रही तथा दूसरी अवस्था 1970-80 दशक में प्रचलित रही।

1. 1970 से पहले की समयवधि—सन् 1970 से पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वह सहकारी साख समितियों के माध्यम से सस्थागत साख की पूर्ति करेगी। सरकार ने सुनियोजित ढंग से सहकारिताओं के विकास को ही प्रोत्साहन दिया। सहकारी समितियों के विकास के लिए हर प्रकार की छूट और सहायता दी गई परन्तु यह अनुभव किया गया कि सहकारी समितियाँ ग्रामीण साख प्रदान करने में सफल नहीं रही। जुलाई 1966 में श्री बैकनटप्पा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण साख पुनर्वलोकन समिति का गठन किया गया। जिसमें ग्रामीण साख प्रणाली का निरीक्षण किया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि सहकारी प्रणाली सामान्य रूप से साख की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा कुल सदस्यों में से उधार लेने वाले सदस्यों की संख्या के मामले में गतिहीन रही है। समिति ने यह भी अनुभव किया कि अतिदेय (Overdues) की मात्रा बहुत बढ़ गई है, और ये प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। समिति के अनुसार बहुत सारी प्राथमिक कृषि साख समितियाँ न तो व्यवहार्य हैं और न सम्भावी व्यवहार्य हैं, इसलिए उनको साख प्रदान करने की अपर्याप्त और असतोषजनक एजेन्सी मान लिया जाना चाहिए।

1970-80 अवधि—सन् 1966-67 और 1969 में आर्थिक क्षेत्र में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी जिनका प्रभाव कृषि साख पर भी पड़ा। प्रथम घटना हरित क्रांति जो कि नई कृषि तकनीक का परिणाम थी। दूसरी घटना जुलाई 1969 में घटी जबकि देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। (15 अप्रैल 1980 को 6 और बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।)

हरित क्रांति ने कृषि विकास में पहली बार नये मार्गों और विधियों को अपनाने की पहल की। पहली बार यह अनुभव किया गया कि यदि कृषकों को पर्याप्त मात्रा में कृषि आगंतें उपलब्ध हो सके तो कृषि उत्पादन को बहुत कम समय में बढ़ाया जा सकता है। कृषि की विभिन्न आगंतें उसी समय पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध हो सकती हैं जबकि कृषकों के पास पर्याप्त वित्त हो। यह भी अनुभव किया गया कि कृषि वित्त की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में सहकारी समितियाँ सर्वथा असफल हैं अतः व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इनको कृषि वित्त प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस सम्बन्ध में सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ है। पहली नीति में कृषि साख के लिए सहकारिताओं को विकसित किया गया जबकि व्यापारिक बैंकों को इससे पृथक रखा गया। सन् 1970 के बाद से भारत में कृषि साख के लिए बहु एजेन्सीगत दृष्टिकोण को अपनाया गया है।


बहु एजेन्सीगत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रमुख कारण यह है कि कोई भी अकेली संस्था इतनी सक्षम और साधन युक्त नहीं है जो कि कृषि वृत्त की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति कर सके। इसीलिए सशोधन नीति में राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी समितियों के सहभागी के रूप में कृषि साख प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। इसी समयवधि में तीन नई संस्थाओं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, कृषक सेवा समितियाँ, कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक की भी स्थापना की गई है।

अब हम उन बहु एजेन्सी संस्थाओं का वर्णन करेंगे जो कि कृषि साख प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

(1) सहकारी संस्थाएँ (Co-operative Institutions)

भारत में सहकारी साख ढाँचे के दो भिन्न पक्ष हैं। एक पक्ष अल्पकालीन और मध्यम कालीन ऋण प्रदान करता है जबकि दूसरा पक्ष दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। पहले पक्ष का त्रिस्तरीय ढाँचा है, जिसमें राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कार्य करती हैं। दीर्घकालीन सहकारी साख, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंको तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसा कि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है —

कृषि साख समितियाँ



उपर्युक्त सभी संस्थाओं का वर्णन हम “कृषि सहकारिता” नामक अध्याय में कर चुके हैं अतः उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं कर रहे हैं।

(2) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

व्यापारिक बैंको द्वारा विश्व वित्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित अवस्थाओं का अवलोकन किया जा सकता है।

प्रथम अवस्था 1962 से 1967 की समयावधि से सम्बन्धित है जिसमें बैंको की यह धारणा रही है कि किस क्षेत्र को वित्त प्रदान करना उनका कार्य नहीं है अतः इस समयावधि में कृषि वित्त का अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ।

द्वितीय अवस्था 1967 से 1975 तक विद्यमान रही जबकि व्यापारिक बैंको की यह विश्वास हो गया कि किस साख की व्यवस्था भविष्य में बनी रहेगी इस समयावधि में बैंकों ने विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में परीक्षण किये और कृषि वित्त के विकास के लिए सतत् प्रयत्न किये।

तृतीय अवस्था सन् 1975 के उपरान्त शुरू होती है जबकि बैंको ने यह अनुभव किया कि कृषि वित्त के लिए केवल उनके व्यक्तिवात प्रयास अपर्याप्त है क्योंकि कृषि के लिए अत्यधिक कृषि वित्त की आवश्यकता है। कृषि वित्त की आवश्यकता की गम्भीरता को देखते हुए बैंको ने यह निर्णय लिया कि कृषि वित्त की व्यवस्था के लिए अन्य एजेन्सियों का सहयोग भी आवश्यक है। इस समयावधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, कृषक सेवा सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम तथा कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक के सहयोग से कृषि वित्त की व्यवस्था के लिए प्रयत्न किए गये हैं।

प्रगति का विवरण

कृषि साख के क्षेत्र में व्यापारिक बैंको ने यद्यपि बहुत देर से पदार्पण किया परन्तु अब उनका प्रयास यह है कि वे अपने सभी प्रतियोगियों से आगे निकल कृषि वित्त में सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर लें। अतः अब व्यापारिक बैंक पर्याप्त मात्रा में कृषि वित्त प्रदान कर रहे हैं। जहाँ 1951-52 में व्यापारिक बैंको का कुल प्रदत्त ऋणों में कृषि ऋण का अंश 0.9 प्रतिशत था वह जून 1979 में बढ़कर 13% हो गया व्यापारिक बैंको ने 1980 में 850 करोड़ रुपये के ऋण कृषि कार्य के लिए दिये हैं और यह 1984-85 तक बढ़कर 2120 करोड़ हो जायेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने प्रयत्न गावों पर केन्द्रित कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको ने यह निर्णय लिया है कि बैंकों का यह प्रयत्न होना चाहिए कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से ऋण का अनुपात बढ़ाकर 1985 तक 40 प्रतिशत हो जाये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 20 सूचीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों के लिए अर्थ पूर्व अनुपात में समग्र लक्ष्य रखा जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि 1985 तक कुल ऋणों में कृषि क्षेत्र का अंश 16 प्रतिशत हो जायेगा। बैंको को यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि कार्यों में दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों का 50 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसानों व कृषि मजदूरों को मिले।

व्यापारिक बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख समितियाँ

सन् 1970 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के सुझावों पर व्यापारिक बैंको ने प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषि साख प्रदान करना आरम्भ किया। व्यापारिक बैंको द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्त देने की योजना का कई राज्यों में विस्तार किया गया। तथा आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मणिपुर में यह योजना चल रही है। 24 व्यापारिक बैंक अपनी 735 शाखाओं द्वारा 3,151 समितियों को ऋण प्रदान करने हैं। इससे भी अधिक कृषकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों ने उन प्राथमिक साख समितियों को वित्तीय सहायता और संगठनात्मक सहायता प्रदान की है जो कि अब तक दोनों

दृष्टियों से कमजोर थी। इसके अलावा बैंको ने समितियों को अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाने, अंश-पूँजी को बढ़ाने, और ऋणों में विविधता लाने की सलाह दी है।

स्पष्टतः 1970-80 के दशक में व्यापारिक बैंक कृषि क्षेत्र को विभिन्न रूपों में विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। व्यापारिक बैंको ने इसके लिए ग्राम अभिग्रहण योजना, लीड बैंक योजना, क्षेत्रीय विचारधारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना, कृषक सेवा समितियों की स्थापना, प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषको को ऋण, अन्य एजेंसियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ऋण, और ग्रामीण समुदाय को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करके कृषि विकास के इतिहास में एक नये युग को आरम्भ किया है।

कृषि वित्त में व्यापारिक बैंकों की सीमाएँ—व्यापारिक बैंक कृषि वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन उनके समक्ष कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

(1) बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्टाफ को भेजने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गत 10 वर्षों में व्यापारिक बैंको की ग्रामीण स्थिति शाखाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं और अनाचारों की शिकायतें मिली हैं।

(2) व्यापारिक बैंक कृषि वित्त प्रदान करने में जो लागत आती है उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाओं को खोलने तथा कार्यशील रखने में उनको जो हानि होती है उसका विवरण दे पाते हैं।

(3) प्रत्येक गाँव में 100 में से केवल 25 किसानों को ही कृषि वित्त की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। बैंको ने ग्राम अभिग्रहण योजना के अन्तर्गत कुछ विशेष गाँवों को ही चुना है, पिछड़े हुए और अधिक वित्तीय आवश्यकता वाले गाँवों को इस योजना के अन्तर्गत कोई स्थान नहीं प्राप्त हो सका।

(4) व्यापारिक बैंक सीमान्त कृषको को भी ब्याज की उसी दर पर साख की सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो कि बड़े कृषको के लिए निर्धारित की गई है। अधिकांश व्यापारिक बैंको ने साख प्रदान करने की विधि में कोई सुधार नहीं किए हैं। अब भी किसानों को प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में आय और समय नष्ट करना पड़ता है, तथा अनिदियों की मात्रा 49 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

(5) कई अवस्थाओं में बैंको के कर्मचारी और अधिकारीगण ग्रामीण बैंकिंग में अधिक रचि नहीं लेते हैं। कुछ शाखाओं में अग्रिम ब्रांच मैनेजर की इच्छानुसार नहीं दिये जाते, बल्कि क्षेत्रीय मैनेजरों के दबाव के कारण दिए जाते हैं।

(6) व्यापारिक बैंको ने कृषि के विकासात्मक कार्यों तथा सहायक कार्यों के लिए ऋणों की पृथक व्यवस्था नहीं की है जबकि विकासात्मक व्यय से ही गाँव में नये रोजगार के अवसरों का निर्माण हो सकता है।

(3) स्टेट बैंक (State Bank)

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि वित्त उपलब्ध करने का प्रयास किया है कृषको को ऋण देने के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों ही तरीको को काम में लाता है जिनका वर्णन नीचे दिया गया है—

(1) कृषि को प्रत्यक्ष साख—प्रारम्भ में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर यह नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण साख की पूर्ति में केवल सहकारी संस्थाएँ ही कार्य करेगी। अतः प्रारम्भ में भारतीय स्टेट बैंक से यही अपेक्षा की गई कि वह कृषि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं वरन् सहकारी संस्थाओं के माफत ही कृषि साख की पूर्ति में योगदान देगा। लेकिन देश में हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में अधिक कीमती इन्पुट्स के गहन प्रयोग होने व सहकारी साख संस्थाओं को बढ़ती हुई कृषि साख की माँग के परिप्रेक्ष्य में असफल स्वीकार कर लिए जाने के कारण अप्रैल 1968 में सहकारी नीति बदल गई और व्यापारिक बैंको से कृषि को अधिकाधिक साख देने के लिए कहा गया।

(2) कृषि को अप्रत्यक्ष साख—कृषि को अप्रत्यक्ष साख देने में भी स्टेट बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक राज्य सहकारी बैंको तथा केन्द्रीय सहकारी बैंको को धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है। सहकारी बैंक के लिए चैक, विनिमय पत्र तथा अन्य साख पत्रों के संग्रहण करने का कार्य भी रियायती दरों पर करता है इसके अतिरिक्त जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक कृषि पदार्थों के क्रय-विक्रय आदि के लिए ऋण प्रदान करने की स्थिति में नहीं है वहाँ विपणन व विधायन समितियों को ऋण देता है राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम व राज्य बिजली बोर्डों को भी ऋण प्रदान करता है।

1980 के अन्त तक अप्रत्यक्ष कृषि साख के रूप में बैंक ने कुल 180 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। इनमें से 22.2 करोड़ रुपये के ऋण 2.42 लाख कृषको के 926 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माफत दिये गये तथा 5.3 करोड़ रुपये 54358 किसानों को 43 कृषक सेवा समितियों के द्वारा दिये गये।

(4) कृषक सेवा समितियाँ (Farmers Service Societies FSS)

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1973-74 में कृषक सेवा समितियों का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया—

1. साख के अतिरिक्त कृषको को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करना ये सेवाएँ विशेष रूप से छोटे किसानों को कृषि कार्यों के विविधीकरण के लिए समन्वित रूप से एक सम्पर्क बिन्दु से प्रदान की जायेगी।

2. यद्यपि कृषक सेवा समितियों का लाभ क्षेत्र के सभी वर्गों के कृषको को प्राप्त हो सकेगा लेकिन समितियों का नियंत्रण एक बोर्ड के हाथ में होगा जिसमें दो

तिहाई निर्वाचित सदस्य कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगे जिससे कि साख के प्रवाह एवं तकनीकी सेवाओं और परामर्श के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके ।

वस्तुतः कृषक सेवा समितियाँ ग्रामीण साख ढाँचे की एक अद्वितीय एजेन्सी है इसकी अद्वितीयता इस बात से स्पष्ट होती है कि यह सस्था एक स्थान से ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के पूर्ण उत्तरदायित्व को निभाती है तथा अपने सभी सदस्यों और विशेष रूप से छोटे एवं सीमान्त कृषको तथा स्थानीय दस्तकारों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । इसकी अद्वितीयता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि यह सस्था आधार स्तर पर सहकारी संगठन एवं व्यापारिक बैंको से कार्यों में आदर्श समन्वय स्थापित करती है । इस संस्था के प्रयत्नों के कारण व्यापारिक बैंको की सेवाएँ प्रत्येक कृषक को उपलब्ध हो पाती हैं । कृषक सेवा समितियों और व्यापारिक बैंक का सम्बन्ध समानरूप से एक ग्राहक और बैंकर का होता है । व्यापारिक बैंक कृषक सेवा समितियों को ऋण प्रदान करते समय इनकी सुरक्षा और लाभदायकता पर पूर्ण ध्यान रखता है । बैंक इस बात को भी देखने का प्रयत्न करता है कि इन समितियों को दिए गए ऋणों का उपयोग उन्हीं कार्यों में हो रहा है जिनके लिए ये प्राप्त किए गए हैं । अथवा नहीं ।

प्रगति—दिसम्बर 1976 तक देशों में लगभग 311 सेवा समितियाँ कार्यरत थी । जिनमें 181 व्यापारिक बैंको द्वारा और 130 सहकारिताओं के द्वारा प्रवर्तित की गई है । लेकिन इन समितियों का राज्यानुसार वितरण बहुत असमान है । कुल 311 कृषक सेवा समितियों में से 116 समितियाँ केवल कर्नाटक राज्य में ही स्थिति थी, और इनमें से 87 समितियाँ व्यापारिक बैंको द्वारा प्रवर्तित थी ।

किञ्चित् कारणों से कृषक साख समितियों की स्थापना के कार्य में अधिक प्रगति नहीं हो सकी है । ये समितियाँ कई दृष्टिकोणों से परिष्कृत कृषि साख समितियों के समान ही हैं जो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की कल्पना से बहुत दूर हैं । संक्षेप में कृषक सेवा समितियों की प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित हैं—(1) कई राज्यों में कृषक सेवा समितियों के प्रबन्ध बोर्डों में कमजोर वर्ग के दो तिहाई सदस्यों की व्यवस्था को व्यवहार में नहीं अपनाया गया है । (ii) अधिकांश कृषक सेवा समितियाँ लक्ष्यों के अनुसार साख की सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रही हैं । (iii) मार्च 1977 तक 166 कृषक सेवा समितियों में से 55 को तकनीकी स्टाफ या सहायता की कोई सेवाएँ प्रदान नहीं की गई हैं । (iv) कृषक सेवा समितियों का प्रमुख उद्देश्य कमजोर वर्ग के कृषको को साख सुविधाएँ प्रदान करना था, लेकिन कुछ अल्पकालीन ऋणों का केवल 38.8 प्रतिशत भाग ही कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त हो सका । (v) आतिथेयों के सम्बन्ध में भी कृषक सेवा समितियों की स्थिति प्राथमिक साख समितियों से अच्छी नहीं है । अधिकांश साख समितियों के अतिथेय 50 प्रतिशत से भी अधिक थे । (vi) हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कृषि साख विभाग ने 166 कृषक सेवा समितियों के अध्ययन के बाद यह बताया है कि बहुत से राज्यों में अब भी कृषक सेवा समितियों के कार्य क्षेत्र में स्थित प्राथमिक साख समितियाँ बड़ी

मात्रा में कृषि साख प्रदान करती है। (vii) कृषक सेवा समितियों की गैर साख के कार्यों की प्रगति भी अधिक संतोष जनक नहीं रही है। लगभग 76 समितियाँ कोई कृषि आगतें प्रदान नहीं कर रही थी। लगभग 134 समितियों ने अपने सदस्यों के लिए विपणन की कोई सुविधाएँ प्रदान नहीं की थी।

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)

स्थापना—भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही किसानों को ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने के लिये अनेक उपाय किये हैं परन्तु संस्थागत वित्त की अपर्याप्त उपलब्धि किसानों को देशी महाजनो के शिकजे से पूर्ण मुक्ति नहीं दिला पायी थी। किसानों को परम्परागत ऋण-व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार ने प्रथम प्रयास 1960 में बैंको के राष्ट्रीयकरण के रूप में व द्वितीय प्रयास 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पहली बार ग्रामीण बैंको की स्थापना करके किया।

उद्देश्य—ग्रामीण बैंको की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि ग्रामीण बैंक ग्राम समूह को बैंक सेवाएँ उपलब्ध करेगे और साधारण तौर से 5 हजार से 20 हजार ग्रामवासियों के लिये एक बैंक स्थापित किया जायगा।

यह बैंक छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों और सामान्य वर्ग के व्यापारियों एवं उत्पादकों के लिये ऋण की व्यवस्था करेगे और बैंक सुविधाएँ उपलब्ध करेगे। संक्षेप में ये बैंक गाँव वालों की आवश्यकता के अनुसार बैंक सेवाओं का प्रबन्ध करेगे।

संक्षेप में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया जा सकता है—

(i) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण प्रदान करता है।

(ii) सुगम व आसान पद्धति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं की कमी को दूर करना।

प्रगति—जून 1980 के अन्त तक 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश के 17 राज्यों के 130 जिलों में अपनी (2678) शाखाओं के साथ कार्यरत थे। इनमें 40 प्रतिशत से अधिक शाखाएँ (1160) देश के तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रही थी।

(6) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान प्रकृति को देखते हुए प्रारम्भ से ही रिजर्व

बैंक को कृषि वित्त के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्तमान में रिजर्व बैंक कृषि साख क्षेत्र के विकास हेतु अल्पकालीन, मध्यम-कालीन एवं दीर्घकालीन तीनों ही प्रकार की साख सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। रिजर्व बैंक यह साख प्रत्यक्ष रूप से कृषकों के माध्यम से ही नहीं वरन् परोक्ष रूप से राज्य सहकारी बैंको, केन्द्रीय भूमि विकास बैंको एवं राज्य सरकारों के माध्यम से उपलब्ध कराता है जिसका वर्णन निम्न है.—

(1) अल्पकालीन साख सुविधाएँ—राज्य सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक की ओर से अल्पकालीन साख या तो पुनर्कटौती के रूप में मिलती है—अथवा अग्रिम के रूप में मिलती है। पुनर्कटौती व अग्रिम की सुविधाओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

धारा 17 (2) (a) के अन्तर्गत वास्तविक सौदे से उत्पन्न प्रॉमिसरी नोट व बिलो की, जो 90 दिन में परिपक्व होते हैं, पुनर्कटौती की व्यवस्था की गई। धारा 17 (2) (b) के अन्तर्गत 15 महीने में परिपक्व होने वाले उन प्रॉमिसरी नोटों व बिलो की पुनर्कटौती की व्यवस्था की गई जो मौसमी कृषि कार्यों या फसलों की बिक्री के लिए बनाये गये हैं। इस धारा के अन्तर्गत मिश्रित व कृषि-परिनिर्माण कार्य भी शामिल किए गये हैं।

इस प्रकार रिजर्व बैंक ने वर्ष 1980-81 में अल्पकालीन साख के रूप में कुल 950 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृति की जबकि जून 1981 के अन्त में बकाया राशि 378 करोड़ रुपये की।

(2) मध्यकालीन ऋण—रिजर्व बैंक ने 1956 में दो कोषों की स्थापना की है (i) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष व (ii) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायी-करण) कोष। इन दोनों कोषों को क्रमशः 10 करोड़ व एक करोड़ रुपये से स्थापित किया गया है। बैंक इन कोषों में से सहकारी बैंको को मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है जो 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं।

रिजर्व बैंक मध्यकालीन ऋण के रूप में वर्ष 1980-81 में कुल 90 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत की जबकि जून 1981 के अन्त में ऐसे ऋणों की बकाया राशि 132 करोड़ रुपये थी।

(3) दीर्घकालीन वित्तीय सहायता—रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कोष) में से राज्य सरकारों को सहकारी साख संस्थाओं की शेयर पूंजी खरीदने के लिए 12 वर्षों की अवधि के दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करता है ये ऋण केवल 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किये जाते हैं वर्ष 1980-81 में रिजर्व बैंक ने इसके अन्तर्गत 17 राज्य सरकारों को 5284 साख संस्थाओं की शेयर पूंजी में योग देने के लिए 13 करोड़ रुपये स्वीकृत किए ऐसे ऋणों की बकाया राशि जून 1981 के अन्त में 128 करोड़ रुपये थी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि वित्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से कृषि साख प्रदान न करके विभिन्न संस्थाओं जैसे सहकारी बैंको, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम आदि के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करता है यह विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की क्रियाओं को समन्वित करने का भी कार्य करता है। यह कृषि साख प्रदान करने वाली विविध संस्थाओं का नियंत्रण भी करता है। यह उनसे प्रगति का विवरण माँगता है। यह स्थिति का ब्योरा लेने के लिए विशेषज्ञ समितियों का भी गठन कर सकता है। इस प्रकार की समितियों में अन्ततम समिति 'The Committee for Reviewing Arrangements for Financing Institutional Credit for Agricultural and Rural Development' (CRAFICARD) है। यह समिति एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति है जिसका गठन रिजर्व बैंक ने मार्च 1979 में किया था इस समिति का मुख्य कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की वर्तमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव देना है।

(7) कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम

(Agricultural Refinance & Development Corporation : ARDC)

1 जुलाई सन् 1963 को रिजर्व बैंक व केन्द्र सरकार के सहयोग से कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना हुई और भारत के कृषि साख के इतिहास में एक नये अध्याय का सूत्र-पात हुआ। एक जुलाई 1975 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गये तथा निगम की विकासात्मक भूमिका के निर्वाह के सम्बन्ध में इसका नाम बदलकर कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम रख दिया गया। यह संशोधन 15 नवम्बर 1975 से अमल में लाया गया।

उद्देश्य व कार्य—कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम कृषको को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान नहीं करता है बल्कि यह उन संस्थाओं को ऋण देता है जो कि कृषको को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती हैं। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(i) प्रमुख ऋणदाताओं को कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना।

(ii) केन्द्रीय भूमि विकास बैंको, राज्य सहकारी बैंको, अनुसूचित बैंको तथा सहकारी समितियों के द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों को खरीदना या अशदान देना।

(iii) निगम केन्द्रीय भूमि विकास बैंको तथा राज्य सहकारी बैंको को छोड़ कर अनुमोदित अन्य सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण भी उपलब्ध करता है।

(iv) उपर्युक्त कार्यों के अलावा निगम स्थापित भुगतानों की गारंटी देने का कार्य भी करता है।

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत सौदों के लिए अधिकृत सीमा 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही

कार के ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। मध्यकालीन वित्तीय हायता 3 से 5 वर्ष की समयावधि, तथा दीर्घकालीन सहायता अधिकतम 15 वर्ष विशेष परिस्थितियों में 20 वर्ष) के लिए प्रदान की जाती है।

प्रगति—कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की क्रियाओं में अभूत पूर्व वृद्धि हुई है सा कि नीचे दी गई सारणी से प्रकट होता है—

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत वित्तीय सहायता की मात्रा	वितरित ऋण
1970-71	458	293 00	89.71
1974-75	2053	1007.23	423 07
1978-79	8655	2737.79	1333 56

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि के लिए शिखर विकास बैङ्क के रूप में षि पुनर्वित्त और विकास निगम विभिन्न राज्यों में कृषि तथा सम्बन्धित कार्यों में शेषों को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। निगम ने अपनी-स्थापना लेकर जून 1980 तक कुल, 1738 करोड़ रुपये की राशि वितरित की।

सारणी से स्पष्ट है कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के द्वारा स्वीकृत ऋणों का वास्तविक वितरण में बहुत अधिक अन्तर है इससे प्रकट होता है कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के कोषों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। कोषों के अपूर्ण पयोग के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

(i) कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के द्वारा ऋण प्रदान करने में बहुत समय गता है।

(ii) कृषि विकास योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न एजेन्सियों में पूर्ण समन्वय का अभाव है।

(iii) भूमि पुनर्गठन के लिए भारी मशीनों की अनुपलब्धता, परियोजना के वेंक्षण में देरी, तथा सिंचाई के लिए पानी की निकासी में देरी आदि।

(8) कृषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक—नाबार्ड (The National Bank for Agricultural and Rural Development NABARD)

रिजर्व बैंक द्वारा 'कृषि व ग्रामीण विकास के लिए सस्थागत साख की व्यव- गओं के पुनरीक्षण पर' प्रगति शिवरमन कमेटी का एक प्रमुख सुझाव यह था कि त्त में कृषि व ग्रामीण के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जावे। इस समिति की फारिशों को सरकार ने स्वीकार किया और इसी परिप्रेक्ष्य में 18 सितम्बर 1981 े सरकार ने लोकसभा में इस बैठक की स्थापना के लिए एक बिल पेश किया। इस क ने 12 जुलाई 1982 से अपना कार्य शुरू कर दिया है इस बैंक ने रिजर्व बैंक के

कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों को अपने हाथ में ले रखा है इस बैंक की स्थापना के साथ ही साथ वर्तमान कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम का इसमें विलय कर दिया जायेगा।

बैंक के उद्देश्य—कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक वर्तमान संस्थागत वर्तमान कृषि साख नीति के अन्तर्गत कार्य करेगा जिसके प्रमुख निम्न उद्देश्य है :—

- (1) कृषि व ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख को पूर्ति को बढ़ाना व सुनिश्चित करता।
- (2) साख का एक बड़ा भाग कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराना।
- (3) साख की उपलब्धता में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना।
- (4) बहु एजेन्सी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कर रही विभिन्न साख संस्थाओं के बीच-अधिक समन्वय स्थापित करना।
- (5) साख के निरन्तर पुनः प्रवाह को बनाये रखने के लिए संस्थागत ऋणों की बसूली की स्थिति में सुधार लाना।

बैंक के कार्य—(1) ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में रिजर्व बैंक के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करते हुए इसकी परिकल्पना की गई और यह कृषि पुनर्वित्त और विकास (कृपुवि) निगम का समस्त कार्य तथा राज्य सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त पोषण का कार्य अपने हाथ में लेगा।

(2) बैंको के पुनर्वित्त के रूप में यह कृषि, लघु उद्योगों, कारीगरों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्त शिल्प और अन्य सम्बन्धित आर्थिक कार्यों के लिए समकित रूप से सभी प्रकार के उत्पादन और निवेश ऋण प्रदान करेगा।

ऋण प्रावधान—(1) राज्य सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं (रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित) को निम्नलिखित कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा जो 78 महीनों की अवधि में चुकाना होगा कृषि कार्य या फसलों का विपणन कृषि या ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक निवेश योग्य वस्तुओं का विपणन और वितरण, वास्तविक वाणिज्यिक और व्यापारिक लेन देन एवं कारीगरों या लघु उद्योगों, अत्यन्त लघु और विकेन्द्रित क्षेत्रों के उद्योगों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों आदि के उत्पादन और विपणन कार्य।

(2) राज्य सहकारी बैंको को दिये गए अल्पावधि ऋण, सूखे, अकाल या अन्य प्राकृतिक विपत्तियों, सैनिक गतिविधियों या शत्रु की कार्यवाही की स्थितियों में सात वर्ष से अधिक की अवधियों के लिए मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। जैसा कि नाबाब द्वारा निश्चित किया गया है।

(3) राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को कृषि तथा ग्रामीण विकास और अन्य प्रयोजनों के लिए 18 महीनों से कम और सात वर्ष से अधिक की अवधियों के लिए मध्यावधि ऋण प्रदान किए जायेंगे।

(4) भूमि विकास बैंको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, अनुसूचित बैंको, राज्य सहकारी बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने हेतु तथा कारीगरों, लघु उद्योगों अत्यन्त लघु और विकेन्द्रित क्षेत्रों के उद्योगों और ग्रामीण कुटीर

उद्योगों को ऋण देने के लिए पुनर्वित्त के रूप में दीर्घावधि ऋण और अग्रिम प्रदान किए जायेंगे ।

(5) दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों की अवधि 25 वर्ष (पुनर्निर्धारण की अवधि सहित) से अधिक नहीं होगी जैसा कि रिजर्व बैंक अब तक करता रहा है ।

(6) नाबार्ड 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करेगा ताकि वे सहकारी ऋण समितियों की शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अभिदान कर सकें ।

(7) नाबार्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था को भी सीधे ही दीर्घावधि ऋण प्रदान कर सकता है । साथ ही वह कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित किसी संस्था की शेयर पूंजी में अंशदान कर सकता है या उसकी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है ।

बैंक की पूंजी—कृषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की प्रारम्भिक साख आवश्यकताओं के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । चूंकि बैंक भारत सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के स्वामित्व में कार्य करेगा अतः यह व्यवस्था की गई है कि सरकार व रिजर्व बैंक दोनों के पारस्परिक विचार विमर्श से इसकी पूंजी को 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा ।

प्रबन्ध—कृषि व ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक का प्रबन्ध एक संचालक बोर्ड में निहित होगा । इस संचालक बोर्ड में तीन संचालक रिजर्व बैंक के संचालक बोर्ड के ही होंगे । संचालन बोर्ड की सहायता के लिए एक सलाहकारी परिषद होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, ग्रामीण विकास, हैण्डिक्राफ्ट व अन्य ग्रामीण शिल्पो, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के विशेषज्ञ हों । इस परिषद में सहकारी बैंको, व्यापारिक बैंको तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के अनुभवी लोगों को भी स्थान दिया जायेगा ।

बैंक में विभिन्न कोषों की स्थापना—इस राष्ट्रीय बैंक में दो कोषों की स्थापना का प्रावधान भी रखा गया है प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घकालीन कार्यों के लिए) कोष द्वितीय, राष्ट्रीय ग्रामीण साख (स्थिरीकरण) कोष । इन कोषों की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कार्यों के लिए) कोष और राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष को इस नये बैंक को स्थानान्तरित कर दिया जावेगा । इन कोषों में केन्द्र व राज्य सरकारें भी समय-समय पर अपना अंशदान करेगी ।

शोध विकास प्रशिक्षण के लिए बैंक में एक अलग कोष के स्थापना की व्यवस्था की गई है इससे कृषि और ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी ।

निश्चय ही नये बैंक के कार्य वर्तमान कृषि व साख पुनर्वित्त से सम्बन्धित है यह बैंक न केवल कृषि कार्यों के लिए ही अल्पकालीन साख प्रदान करेगा बल्कि फसलों

के विपणन और आवश्यक आदाओं के लिए भी अल्पकालीन साख की सुविधा प्रदान करेगा।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बैङ्क की सफलता उसके विस्तृत और महत्व कार्यों में निहित नहीं है बल्कि इस बात में है कि वह उन्हें कितनी योग्यता और कार्य कुशलता से कर पाता है यह बैङ्क के नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता तथा मगठन के तकनीकी व आर्थिक पक्षों पर निर्भर करेगा कि वह ग्रामीण भारत की चुनौतियों का सामना करने में कहाँ तक सफल होता है।

1980-85 की नयी छठी पंचवर्षीय योजना में साख की पूर्ति सम्बन्धी अनुमान

फरवरी 1981 में स्वीकृत की गई नयी छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि साख की पूर्ति सम्बन्धी अनुमान निम्नांकित सारणी द्वारा दर्शाया गया है—

विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली कृषि साख के लक्ष्य
(करोड़ रुपये में)

संस्थाएँ	1979-80 में अनुमानित अग्रिम	1984-85 में दी जाने वाली साख
1. सहकारी संस्थाएँ		
(i) अल्पकालीन	1300	2500
(ii) मध्यमकालीन	125	240
(iii) दीर्घकालीन	275	555
2 व्यापारिक बैङ्क (क्षेत्रीय ग्रामीण बैङ्को सहित)		
(i) अल्पकालीन	450	1500
(ii) सावधि ऋण	400	620
कुल योग	2550	5415

छठी योजना में कृषि साख नीति में अन्य बातों के अलावा इस बात पर जोर दिया गया है कि उपलब्ध की जाने वाली साख का अधिकांश भाग ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्ग को दिया जाये, साख वितरण में विद्यमान क्षेत्रीय असमानता में कमी की जाये तथा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दी जाने वाली संस्थागत साख के आकार में निश्चित वृद्धि हो।

कमजोर वर्ग को अधिक साख उपलब्ध कराने के लिए यह नीति निर्धारित की गई कि व्यापारिक बैङ्क अपने कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को और इसका 50 प्रतिशत कमजोर वर्ग को विशेषकर कारीगरो, भूमिहीन

श्रमिकों आदि को दिया जाये। साख वितरण के सम्बन्ध में यह तय किया गया है कि बैङ्क रहित क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाओं का विस्तार किया जाय तथा अधिक जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैङ्क स्थापित किए जाये। इसके लिये यह लक्ष्य निर्धारित किया कि वर्तमान के 65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैङ्कों से बढ़कर 1984-85 तक 170 ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैङ्क हो जायेंगे जो देश के 394 जिलों में से 270 जिलों में कार्य करेंगे। योजना में कहा गया कि कृषि ऋणों के वापस न आने का प्रमुख कारण इन सस्थाओं में समन्वय की कमी है। साख ही वसूली के लिए सामान्य वातावरण को भी इसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। योजना में राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे कृषि ऋण दात्री सस्थाओं की ऋण वसूली के कार्य में सहायता करें। साथ ही उन्हें यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अवधिपार ऋणों को माफ करने के विचार से दूर रहे।

कृषि वित्त सम्बन्धी सुझाव (Suggestions for Agricultural Finance)

यद्यपि योजनावधि में संस्थागत साख का काफी विकास हुआ है परन्तु यह विकास कृषि क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। अतः इससे विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

1. **समन्वय**—कृषि वित्त देने वाली विभिन्न प्रकार की सस्थाओं में परस्पर एवं समुचित समन्वय होना चाहिए।

2. **कुशल प्रबन्ध**—वित्त प्रदान करने वाली समितियों का प्रबन्ध कुशल, योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाय।

3. **सहकारी विपणन समिति**—किसान को वित्त देते समय उसे इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह अपनी पैदावार को सहकारी विपणन समिति के द्वारा ही बेचे। इससे सम्बन्धित स्वीकृति लिखित रूप से किसान द्वारा ले लेनी चाहिए। सहकारी साख समितियों और सहकारी विपणन समितियों के मध्य समन्वय एक दूसरे की सफलता में सहायक होता है।

4. **जमा बीमा पद्धति**—विभिन्न स्तरों पर सहकारी बैंकों को स्वयं अधिक से अधिक जमा (Deposit) प्राप्त करना चाहिये तथा जमा बीमा पद्धति को विकसित करना चाहिए।

5. **उपज ऋण पद्धति**—किसानों से उपज ऋण पद्धति की प्रथा को विकसित करना चाहिए। प्रतिभूतियों के रूप में भूमि पर जोर न देकर किसानों की ऋण अदायगी की योग्यता पर जोर देना चाहिए।

6. **केन्द्रीय सहकारी बैंक**—कमजोर जिला केन्द्रीय बैंक पुनर्गठन तथा पुनः स्थापना शीघ्र ही किया जाना चाहिए और एक जिले में मात्र एक केन्द्रीय सहकारी बैंक होना चाहिए।

7. पूंजीगत साधनों में वृद्धि—सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि की जाय जिससे वे किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक से अधिक भाग ले सकें ।

8. ऋण में सरलता—आर्थिक दृष्टि से तो ग्रामीण क्षेत्र में बैङ्क खोलना लाभप्रद तो नहीं होता, लेकिन सामाजिक लाभ को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करना चाहिए । व्यापारिक बैङ्कों को ऋण देते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी सुविधा का केवल बड़े-बड़े किसान ही लाभ न उठाएँ ।

9. कृषि साख में रुचि—व्यापारिक बैङ्कों को कृषि साख में विशेष रूप से रुचि रखनी चाहिए ।

परीक्षा प्रश्न

1. कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं का वर्गीकरण कीजिये । भारत में कृषि के लिए ऋण प्राप्त करने के कौन-कौन से मुख्य साधन हैं और उनका सापेक्षिक महत्त्व क्या है ?

2. भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली विभिन्न सस्थाएँ कौन-कौन सी हैं ? उनके दोष क्या हैं तथा उन्हें दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

3. वर्तमान ग्रामीण अर्थ प्रबन्धन सस्थाओं द्वारा भारतीय किसानों की साख आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिये जो कार्य किये जाते हैं उनका संक्षिप्त विवेचन कीजिये । कृषि वित्त क्षेत्र में रिजर्व बैङ्क का क्या योगदान रहा है ?

4. “विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जो कृषि साख आजकल प्रदान की जाती है वह ठीक मात्रा से कम है आवश्यकता की कसौटी को ध्यान में रखते हुए बहुधा ठीक व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाती है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए ।

4. कृषि पुनर्वित्त निगम पर एक निबन्ध लिखिये ।

6. भूमि बन्धक बैंक के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिए । भारत में कृषि साख प्रदान करने में इसका क्या महत्त्व है ?

अथवा

देश में भूमि विकास बैङ्कों की प्रगति बतलाइए और सावधानी के साथ परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनसे उनकी प्रगति रुकी है ।

7. भूमि विकास बैङ्कों की कार्य-प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । कृषि उन्नति हेतु पूंजी प्रदान करने के लिए आप किन उपायों को स्वीकार करेंगे ?

8. ग्रामीण साख के संगठन में रिजर्व बैङ्क ऑफ इण्डिया के योगदान का मूल्यांकन कीजिए । इस सम्बन्ध में अपने सुझाव भी दीजिए ।

अथवा

रिजर्व बैङ्क और कृषि साख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

अथवा

आपके विचार मे कृषि साख पूर्ति के लिए रिजर्व बैङ्क ऑफ इण्डिया की कैसी भूमिका होनी चाहिए ? कृषि वित्त की वर्तमान प्रणाली को सुधारने के लिए रिजर्व बैङ्क ने जो कदम उठाये है, उनकी विवेचना कीजिए ।

अथवा

देश मे कृषि-साख व्यवस्था मे रिजर्व बैङ्क की भूमिका से क्या आप सतुष्ट हैं । इस दिशा मे बैङ्क के कार्यों के विस्तार के लिए सुझाव दीजिए ।

9 “भारतीय कृषक को वित्त उसी तरह सहायता करता है, जैसे रस्सी किसी लटकते व्यक्ति को ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए ।

भारत में सामुदायिक विकास योजना (Community Development Project in India)

सामुदायिक विकास का अर्थ व उद्देश्य—“सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के सभी लोगों की स्वतः स्फूर्त प्रेरणा व सक्रिय सहयोग से आर्थिक व सामाजिक विकास की स्थिति का सृजन किया जाता है।”¹ श्री एस० के० डे० के अनुसार “सामुदायिक योजना एक ऐसा उद्योग है जिसका परिपालन एक चतुर माली अत्यन्त सावधानी से करता है। यह योजना एक ऐसे जंगल के समान नहीं है जिसमें मुक्त व्यापार की तरह वृक्ष व वनस्पतियाँ भी हों। श्री लोश-बोह के शब्दों में “सामुदायिक योजना गहन विकास की ओर एक सगठित तथा आयोजित प्रयत्न है।”

संयुक्त राष्ट्र ने जो परिभाषा अपनायी है। उसके अनुसार सामुदायिक विकास “एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा स्वयं जनता के प्रयासों को राज्य अधिकारियों के प्रयासों के साथ मिलाकर समाज की आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं में सुधार किया जाता है ताकि ये समाज के राष्ट्रीय जीवन में समन्वित होकर राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान कर सके।”

वस्तुतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण पुनर्निर्माण का एक साधन है। भारत में सन् 1952 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया था तो योजना आयोग ने उस समय इसकी परिभाषा इस प्रकार दी थी, “सामुदायिक विकास वह तरीका तथा ग्रामीण विस्तार वह एजेन्सी है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनायें ग्रामवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को पूर्णरूपेण सुधारने की प्रक्रिया आरम्भ करना चाहती हैं।”

अतः सामुदायिक विकास एक क्रिया या लोगों का आन्दोलन है जिसका मूल स्वयं जनता के स्वैच्छिक तथा लोकतंत्रीय प्रयासों के द्वारा ग्रामों में निर्धनता, अशिक्षा तथा रोग को दूर करना है। इस कार्यक्रम के नाम से भी स्पष्ट रूप से यह प्रतीत

1. United nations : Social Progress through community Development, 1955.

होता है कि यह ऐसी योजना अथवा कार्यक्रम है जिसमे एक समाज के सम्पूर्ण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सम्पूर्ण समुदाय अथवा समाज के सहयोग से प्रयत्न किया जाता है। इसमे कृषि, पशुपालन, सिंचाई, स्वास्थ्य, सहकारिता, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, ग्रामीण उद्योग, पंचायत, यातायात एवं सदेशवाहन आदि वे सभी तत्त्व सम्मिलित किये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध भारत की 80% ग्रामीण जनता की स्थिति और उसके सुधार से है।

उद्देश्य—सामुदायिक विकास योजनाओ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक आर्थिक-जीवन मे क्रान्ति करना है, तदनुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं —

(1) सजग प्रहरी बनाना—ग्रामो के निष्क्रिय एवं जीवनहीन व्यक्तियों को अपने तथा अपने समाज और राष्ट्र के सजग प्रहरी बनाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसमे लोगो की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति मे सुधार करके, उन्हें एक पूर्ण मनुष्य, वास्तविक अर्थों मे, बनाये जाने का प्रयत्न किया जाता है और समाज तथा देश के प्रति उनमे पूर्ण जागरूकता लाई जाती है। भाग्यवाद, अन्धविश्वास और परम्परावाद को समाप्त किया जाता है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि इन सभी रूढियों को तोड़ कर अपनी स्थिति सुधारी जा सकती है।

(2) अपनी सहायता आप करने की आदत का विकास करना—अर्धविकसित एवं पिछड़े देशो की अनेक समस्यायें रहती है। इन सबका समाधान अकेले सरकार के द्वारा किया जाना असम्भव होता है। अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि जनता अपनी समस्याओ और उनके समाधान को समझे तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक साधनो मे आशिक योगदान भी दे। यही कारण है कि इस प्रकार के कार्यक्रम मे सम्मिलित विकास के प्रत्येक प्रयोजन के व्यय का एक निर्धारित भाग स्थानीय लोगो को श्रम अथवा पूंजी के रूप मे देना आवश्यक होता है।

(3) ग्रामीण जनता मे आपसी सहयोग की भावना विकसित करना—यो तो कोई भी योजना जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है, किन्तु भारतीय ग्रामीण क्षेत्रो की समस्यायें इतनी जटिल हैं कि बिना जन-सहयोग के उनका समाधान बिल्कुल ही कठिन है। सामुदायिक विकास प्रायोजनायें ऐसी है, जिममे जनता के सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पडती है। अतः विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो को अपने क्षेत्र की विकास प्रायोजनाओ को पूरा करने के लिए अपना योगदान देने हेतु एक दूसरे के पास आना पडता है और साधनो को सामूहिक रूप से एकत्रित करने का प्रयत्न करना पडता है। फलस्वरूप आपसी सहयोग बढता है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व उत्पन्न करना—ग्रामीण क्षेत्रो का पुनरुद्धार करने के लिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठशालाओ, वाचनालयो, विद्यालयो, पंचायतो व नवयुवक संगठनो की स्थापना की जाती है। इन सभी समस्याओ के माध्यम से लोगो को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि लोग योग्य हो सके

और भारत के ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक लोकतंत्र के विकास का कुशल नेतृत्व कर सकें।

(5) लोगों की आर्थिक स्थिति का सुधार—इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्योग और यातायात तथा संवादवाहन का सुधार और विकास किया जाता है। इससे लोगों के रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। उनकी कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थिति सुधरती है। इन सबका प्रभाव ग्रामीणों और देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और उसमें सुधार होता है।

(6) शिक्षा का प्रसार एवं लोगों का मानसिक विकास—इस योजना का उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास प्रायोजनाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जाय, लोगों को अधिक-से-अधिक शिक्षित किया जाय और उन्हें आधुनिक परिस्थितियों, समस्याओं और उत्तरदायित्वों से अवगत कराया जाय।

(7) स्वास्थ्य सुधार—इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से गन्दगी को दूर करने, अस्पताल की सुविधा बढ़ाने, महामारियों को समाप्त करने, दोषपूर्ण नदी-नालों को पाटने तथा अच्छे कुओं और तालाबों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो और एक स्वस्थ तथा सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सके।

(8) उपयुक्त जीवन-स्तर के निर्माण में आवश्यक सलाह—आर्थिक विकास के प्रयत्नों द्वारा जन-समूह की आय में वृद्धि होती है। किन्तु जन-समूह की स्थिति में दीर्घकालीन सुधार लाने के लिए केवल आय में वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका उचित विनियोग भी आवश्यक है। किन्तु साधारण वर्ग के लोगों को उसका ज्ञान नहीं रहता। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य होता है कि इस क्षेत्र में भी लोगों को मार्गदर्शन दिया जाय।

(9) ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास—इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सन्निहित होने वाले सभी तत्त्वों का सभी प्रकार के लोगों के लिए विकास किया जाय। अर्थात् इसमें कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, गृह-निर्माण आदि सभी विकास कार्यों को लिया जाता है और प्रयत्न किया जाता है कि जो भी क्षेत्र हाथ में लिया जाय उसका पूर्ण विकास करके ही उसे छोड़ा जाय। इस सर्वांगीण विकास के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाती है।

सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा, “सामुदायिक विकास योजनाओं के पीछे एक बहुत ही व्यापक विचार है क्योंकि इसके सहारे हम एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो एक विशाल वृक्ष बनकर समस्त देशवासियों को छाया देगा।” इसी प्रकार स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा, “ये योजनाएँ ऐसे छोटे बीज की तरह हैं जो एक दिन विशाल वृक्ष में परिणत हो जायगा।”

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विभिन्न अंग—उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के इस कार्य क्रम के निम्नलिखित मुख्य अंग हैं—

(1) कृषि व तत्सम्बद्ध कार्य—इसमें ये क्रियायें शामिल की जाती हैं :—(i) भूमि-पुनरुद्धार तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, (ii) तालाब, नहरो, कुओ तथा नलकूपो द्वारा सिंचाई का आयोजन करना, (iii) उत्तम बीज तथा उत्तम खाद सुलभ करना, भूमि के उपयोग तथा आधुनिक कृषि के ढंग का विकास करना, प्राविधिक सूचनाएँ, कृषि के उत्तम औजार, बाजार तथा वित्तीय सुविधाओं का आयोजन करना तथा पशुओं की नस्ल सुधारना व पशु चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध करना, (iv) मूर्गीपालन, मत्स्य उद्योग, फल व तरकारियों की खेती आदि का विकास, वृक्षारोपण तथा लोगों के आहार में सुधार करना ।

(2) कुटीर व ग्रामीण उद्योग—कुटीर तथा लघु ग्रामीण उद्योग-धन्धो का विस्तार किया जाना जिससे गाँवों के बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार लोगों को काम मिल सके ।

(3) सहकारी समितियाँ—कृषि, साख, विपणन, उत्पादन आदि तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए सहकारी समितियाँ संगठित करना ।

(4) यातायात—सड़को का निर्माण तथा यातायान के यांत्रिक साधनों का व पशु-परिवहन का विकास करना । इन योजनाओं में सड़क-निर्माण कार्य द्वारा प्रत्येक ग्राम को राजमार्ग से मिलाने का विचार है ।

(5) शिक्षा—शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास व ग्रन्थालयों का प्रबन्ध आदि के आयोजन करना ।

(6) स्वास्थ्य—इसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में एक डिस्पेन्सरी तथा एक अस्पताल खोला जाना है । ग्रामीण मफाई, स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, छूत की बीमारियों की रोकथाम, प्रसूति-पूर्व व प्रसूति उपरान्त देखभाल की सुविधायें उपलब्ध कराना तथा परिवार-नियोजन-कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना आदि कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं ।

(7) गृह-निर्माण—गाँवों में उत्तम व सस्ते प्रकार के गृह-निर्माण का प्रबन्ध करना ।

(8) प्रशिक्षण व समाज कल्याण—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दृश्य एवं श्रवणीय (Audio-Visual) प्रणाली के अनुसार स्थानीय कलाकार व सांस्कृतिक साधनों की मदद से लोगों का मनोरंजन किया जाता है । खेल-कूद, मेला इत्यादि की व्यवस्था की जाती है । इन कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए पर्याप्त सख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध किये जाते हैं ।

(9) तरुण व महिला कार्यक्रम—तरुणों एवं महिलाओं के लिए क्रमशः युवक-मंगल-दल तथा महिला-मंगल-दल स्थापित किये जाते हैं, ताकि सभी वर्गों का सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हो सके ।

(10) विशेष कार्यक्रम—(1) ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम—इस कार्यक्रम का

उद्देश्य, काम न होने के दिनों में कृषि मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करते हुए सामुदायिक परिसम्पत्ति (जैसे सिंचाई के छोटे साधनों का निर्माण, भूमि को फिर से खेती योग्य बनाना व गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाना आदि) का निर्माण करना है। (11) कुआँ खुदाई कार्यक्रम—इस कार्यक्रम का उद्देश्य पानी के अभाव वाले गाँवों में पानी की समुचित व्यवस्था करना है। (111) पौष्टिक पदार्थ कार्यक्रम—इस कार्यक्रम का उद्देश्य गाँव वालों को फल, सब्जियों, मछली और अडे जैसी वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा उपभोग करने की दिशा में जानकारी देकर उनके आहार में सुधार करना है।

सामुदायिक विकास योजनाओं का संगठन

केन्द्रीय-स्तर—सामुदायिक विकास योजनाओं की सम्पूर्ण प्रशासकीय कार्यवाही की जिम्मेदारी केन्द्रीय सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्त्रालय (जिसका सन् 1967 से खाद्य और कृषि मन्त्रालय में विलय हो चुका है) की है। परन्तु मूल नीति से सम्बन्धित मामलों का निर्धारण केन्द्रीय समिति करती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हैं तथा जिसमें योजना आयोग के सदस्य भी सम्मिलित हैं।

राज्य-स्तर—केन्द्रीय प्रशासन द्वारा निर्धारित सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में राज्य-विकास-समिति तथा विकास आयुक्त हैं। राज्य स्तर से कार्यों का निर्देश जिलों को होता है।

जिला-स्तर—जिलों में कार्यक्रमों को लागू करने के लिये जिला परिषदों की स्थापना की गई है। जिला परिषदों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रखण्ड पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिले के संसद एवं विधान सभा के सदस्य होते हैं। विकास-कार्यों का निर्देशन जिला-स्तर से प्रखण्डों को होता है।

प्रखण्ड-स्तर—प्रखण्ड-स्तर पर इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व प्रखण्ड-पंचायत-समिति के ऊपर होता है, जिसमें ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंच तथा कुछ महिलाओं और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रखण्ड-स्तर का सम्बन्ध गाँवों से होता है।

ग्राम-स्तर—ग्राम-स्तर पर विकास-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये ग्राम सेवक होता है, जिसको नियुक्ति से पूर्व सामुदायिक विकास से सम्बन्धित सभी विषयों में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वास्तव में विकास कार्यों की आधारशिला यही व्यक्ति है। यह एक बहुउद्देशीय व्यक्ति है—कृषकों एवं ग्रामीणों का दोस्त, सहायक, निर्देशक एवं परामर्शदाता है। ग्राम-स्तर पर कार्यक्रम का नियंत्रण पंचायत के हाथ में है।

इस प्रकार सामुदायिक विकास के संगठन ढाँचे में विभिन्न स्तरों पर सरकारी और नैर-सरकारी दोनों प्रकार के प्रतिनिधि हैं। यह ढाँचा ऊपर से (केन्द्र से) चलकर ग्राम-पंचायत के पास आकर समाप्त होता है। यदि इस संगठन को नीचे से देखा जाय

तो यह ग्राम पंचायत मे प्रखण्ड, प्रखण्ड से जिला-स्तर और जिला-स्तर से राज्य तथा राज्य स्तर से केन्द्र को पहुँचता है। विकास की प्रायोजनायें प्रारम्भिक स्तर से बनाई जा सकती है या अन्तिम अथवा ऊपरी स्तर से।

प्रगति—2 अक्टूबर 1952 को 55 परियोजनाएँ आरम्भ करके यह कार्यक्रम संचालित किया गया। हर परियोजना मे लगभग 300 गाँव थे। इन गाँवों का क्षेत्रफल लगभग 1,300 वर्ग किलोमीटर था। उनमे लगभग 2 लाख लोग रहते थे।

प्रथम और द्वितीय योजनाओं के बीच सामुदायिक विकास पर कुल 233 करोड रुपए व्यय किए गए। तृतीय योजना मे इस मद पर वास्तविक व्यय 269 करोड रुपए और तीन वार्षिक योजनाओं मे 80 करोड रुपए थे। तृतीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम का विस्तार लगभग समूचे राष्ट्र मे हो गया था। चतुर्थ योजना के आरम्भ मे देश भर मे 5,365 सामुदायिक विकास-खण्ड थे, लेकिन अनेक प्रान्तों मे पुनर्गठन के पश्चात् अप्रैल 1974 तक 4,177 खण्ड देश मे रह गये। चतुर्थ योजना मे 116 करोड रुपए व्यय किए गए।

पञ्चम योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए 161 करोड रुपए व्यय किए गए। सन् 1977-78 के वर्ष के लिए 28 54 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। षष्ठम योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जैसे—प्राथमिक एव प्रौढ शिक्षा, ग्राम स्वास्थ्य, ग्राम सड़के एव ग्राम विद्युतीकरण, जल सम्भरण पर्यावरण मे सुधार आदि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

जहाँ तक पंचायती राज एव सामुदायिक विकास कार्यक्रम के परिव्यय का प्रश्न है वह कुल 1980-85 तक के लिए 352.07 करोड रुपए निर्धारित किया गया है। इसमे 7 17 करोड रुपए केन्द्रीय क्षेत्र और 344.90 करोड रुपये राज्यों एव केन्द्र शासित प्रदेशों मे व्यय होंगे।

सक्षेप मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम अब सम्पूर्ण राष्ट्र मे चल चुका है और यह कार्यक्रम विकास के पथ पर है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण सुधार की दिशा मे अत्यन्त महत्वाकांक्षी प्रयत्न है। प्रो० टॉयनबी के शब्दों मे “कृषक के जीवन मे होने वाली सबसे लाभप्रद क्रान्तियों मे से एक है।” इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्रीय टेकनिकल मिशन ने कहा कि “भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के प्रमुख प्रयोगों मे से एक है जिसके परिणामों मे समस्त विश्व को रुचि है।” यह कार्यक्रम इस उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था कि यह एक “मानवीय क्रान्ति” उत्पन्न करेगा। यह भी आशा की गई थी कि अपनी प्रगति आप करने की स्थिति को यह कार्यक्रम क्रियाशील बना देगा। अतः यह देखना है कि क्या यह कार्यक्रम इन उद्देश्यों को पूरा करने मे सफल रहा? यद्यपि यह विशाल कार्यक्रम पूरे देश में छा

गया है किन्तु देखना है कि यह कहाँ तक लोगों के हृदय पर छाप छोड़ने में सफल रहा है ?

सामुदायिक विकास कार्यक्रम से भले ही प्रत्याशित प्रगति नहीं हुई हो, फिर भी आवश्यक परिवर्तनों की ओर ग्रामीण लोगों की इच्छाओं को क्रियाशील करने में यह कार्यक्रम अवश्य ही प्रभावशाली रहा है और निम्नांकित उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण रही हैं :—

(1) इससे कुछ क्षेत्रों में नियोजित विकास की नींव पड़ी है और भविष्य के तीव्रतम विकास की आधारशिला डाली गयी है ।

(2) यह कार्यक्रम नये कृषि आदानों को कृषकों में अत्यधिक प्रचलित बनाने में सफल रहा है, जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों आदि का उपयोग ।

(3) परिवार नियोजन को व्यावहारिक बनाने में भी इससे मदद मिली है ।

(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के प्रति जनता में दिलचस्पी उत्पन्न करने में यह सहायक रहा और फलस्वरूप मृत्यु-दर कम हुई है ।

(5) सड़कों और स्कूलों आदि के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी की वृद्धि में इससे सहायता मिली ।

(6) इससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विकास और रोजगार की संस्था वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिली है ।

(7) ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, विकेन्द्रित क्षेत्र के विस्तार तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास में इससे सहायता मिली है ।

(8) यह कार्यक्रम लोगों में अपनी समस्याओं के समाधान की नई विचार-धाराओं का समावेश कर सका है और उनके विचारों को प्रगतिशील बना दिया है ।

(9) देश में वित्तीय कमी की स्थिति में जनता के ऐच्छिक योगदान को जागृत करने के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम उपयोगी रहा है ।

यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के रचनात्मक पक्ष का निषेध नहीं किया जा सकता, फिर भी इन कार्यक्रमों की प्रगति की विभिन्न दृष्टियों से आलोचनाएँ की गई हैं, जो संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

1 आर्थिक विकास की अपेक्षा कल्याण कार्यों पर अधिक बल—इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं (जैसे कृषि व उद्योग) की ओर पर्याप्त ध्यान न देते हुये शिक्षा, चिकित्सा तथा सड़क निर्माण आदि कल्याण कार्यों पर अधिक बल दिया गया है । फलतः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उत्पादिता 20 वर्ष के बाद भी अधिक नहीं बढ़ी ।

2. लाभों के वितरण में असमानता—ग्राम के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर व्यक्ति जैसे शिल्पकार, भूमिहीन श्रमिक व छोटे किसान, जिनके लिये वास्तव में यह कार्यक्रम चलाया गया था, सरकार द्वारा दी गई सहायता का बहुत अल्प भाग प्राप्त कर सके हैं । लगभग 70% लाभ केवल प्रभावशाली व्यक्तियों को ही मिल सका है । ग्राम के जिन व्यक्तियों की खण्ड अधिकारियों तक पहुँच थी उन्हीं को सरकारी सहा-

यता मिल सकी है। फलतः अब भी हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता निर्धनता, बीमारी तथा भूख का शिकार बनी हुई है। अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना नाम सार्थक नहीं कर सका है।

3. कार्यक्रमों में सुपरिभाषित प्राथमिकताओं का अभाव—यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वाकांक्षी है। कृषि विकास को प्रोत्साहन देना, ग्रामोद्योगों की स्थापना करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, नारी-कल्याण, प्रौढ शिक्षा आदि के लिये कार्य करना, मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना, मेलो एवं प्रदर्शनियों का आयोजन आदि सभी कुछ इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। ये सब कार्य एक साथ नहीं किये जा सकते। यही कारण है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कोई भी कार्य सन्तोषजनक ढङ्ग से पूरा नहीं कर सका है। इसमें विभिन्न कार्यों की प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया। उदाहरण के लिये पहले कृषि उत्पादन और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए था।

4. विस्तार की गति का तेज होना—संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी सहायता मिशन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विषय में लिखा था “जिस तेजी के साथ इन सेवाओं का विस्तार किया जायेगा वह निर्णायक होगा। विस्तार की अवास्तविक अत्यधिक तेज दर वर्तमान कठिनाइयों को बढ़ा सकती है और उसके परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। ठीक प्रकार से न चुने जाने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि जो बड़ी संख्या में गाँवों की सेवा के लिए अनुपयुक्त हो अथवा अयोग्य कर्मचारियों की भर्ती से इस कार्यक्रम का आधार ही खतरे में पड़ सकता है।” सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की समझ पूर्णतः उपयुक्त थी। इसका अनुमान सामुदायिक विकास खण्डों की वर्तमान स्थिति को देख कर लगाया जा सकता है। भारत में उपयुक्त आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार न होने पर भी प्रत्येक क्षेत्र को संतुष्ट रखने के लिए राजनैतिक कारणवश विकासखण्डों की स्थापना और विस्तार सुविधाएँ अधिकाधिक क्षेत्र में उपलब्ध की गईं। सभी गाँवों तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहुँचाने की जल्दबाजी में भारी संख्या में अयोग्य और भ्रष्ट कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। फलतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधार कमजोर है और उसका संगठन अयोग्य हाथों में है।

5. नौकरशाही प्रशासन—जॉन पी० ल्युइस के मतानुसार ग्राम विकास का एकीकृत संगठन बनाने के प्रयास में कृषि विस्तार एवं प्रवर्तन का कार्य ऐसे प्रशासकों के हाथ में पहुँच गया है जिनको कृषि सम्बन्धी समस्याओं का ज्ञान नहीं है। सामान्यतया सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा अधिकारी कृषि विशेषज्ञ नहीं होते।

जॉन डब्लू० मिलयोर के विचार में भारतवर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम उत्पादन बढ़ाने की दिशा में दो कारणों से असफल रहे हैं—प्रथम, शोध कार्य और उनके परिणामों का अभाव तथा, द्वितीय, तकनीकी दृष्टि से योग्य कर्मचारियों का अभाव। वास्तव में सामुदायिक विकास अधिकारियों की भूमिका नौकरशाही की न होकर ग्रामवासियों के मित्र, पथ-प्रदर्शक और सहयोगी के रूप में होना चाहिए था।

आज भी ग्रामसेवक ग्रामवासियों का सेवक न होकर एक प्रशासक है। इस प्रकार प्रशासक और जनता के बीच बनी रहने वाली दूरी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को उद्देश्य को विफल कर दिया है।

6. ग्रामवासियों का बहुत कम योगदान—यह आशा की जाती है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये ग्रामीण जनता राज्य द्वारा प्रदान किये जाने वाले वित्तीय साधनों पर निर्भर न रहकर अपने श्रम और धन का अनुदान देकर विकास कार्यों के लिये साधनों का विस्तार करेगी। परन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि ग्रामवासियों का योगदान प्रायः वास्तविक न होकर काल्पनिक ही होता है। यदि कहीं ग्रामवासियों का योगदान अधिक रहा है तो वहाँ वह ऐच्छिक न होकर प्रशासनिक दबाव के कारण हुआ है।

7. ग्रामवासियों में आत्मविश्वास उत्पन्न न करना—सामुदायिक विकास से सम्बद्ध कर्मचारियों ने ग्रामवासियों से विकास के विविध क्षेत्रों में पहल करने की माँग ही नहीं की है। वास्तव में उन्हें आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया है। यही कारण है कि आज भी सामान्य कृषकों में आत्म-विश्वास का अभाव है और वह यह नहीं समझता कि वह स्वयं ही देश की प्रधान उत्पादक शक्ति है।

8. पूँजीवादी कृषि को प्रोत्साहन—जैसा कि हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का लाभ मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही मिला है। ये बड़े किसान ग्रामीण समाज में अपनी लुट्ट आर्थिक स्थिति के कारण सामुदायिक विकास अधिकारियों के अत्यन्त निकट होते हैं। अतः वे विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाकर परम्परागत खेती को पूँजीवादी खेती का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ग भूमि सुधारों के भी कट्टर विरोधी होते हैं। गुन्नार मिरडल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की आलोचना इसी दृष्टि से करते हुए कहा है “यद्यपि भारतीय नेता कहते हैं कि वे चाहते हैं कि कृषि का रूप अधिकाधिक समाजवादी बने तथापि उनके अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रभाव यह हो रहा है कि कृषि कार्य अधिकाधिक पूँजीवादी रूप लेता जा रहा है।”

9. ग्राम को इकाई स्वीकार करना—जॉन पी० लुइस के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक दोष यह भी है कि इसमें गाँव को भारतीय ग्राम्य जीवन की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक इकाई स्वीकार कर लिया गया है। अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस मान्यता के आधार पर तैयार किये गये हैं कि ग्राम विकास गाँव के स्तर पर होना चाहिये। फलतः ग्राम प्रशासन का व्यापक स्तर पर अपखण्डन हुआ है और भारी संख्या में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ी है जो किसी भी कार्य के विशेषज्ञ नहीं हैं।

10. पशुपालन, मछली पालन पर कम ध्यान—पशुपालन और मछली पालन कार्यक्रमों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया

का लोगो मे विस्तार हुआ किन्तु इसके पर्याप्त केन्द्र नही खोले गये । मवेशियो के चारे की व्यवस्था एवं अच्छी नस्ल के साँडो के वितरण मे कमी रही ।

11. शिक्षा व स्वास्थ्य की प्रगति मन्द रही—स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकी, क्योंकि कोई भी प्रखण्ड सहायता की कुल उपलब्ध राशि का उपभोग नही कर सका क्योंकि जनता पर्याप्त एवं प्रत्याशित मात्रा मे भाग नही ले सकी ।

12. ग्रामीण विकास का अभाव—सस्थागत परिवर्तनो एव विकासो मे बडी कमी रही । पचायतो की स्थिति ठीक नही है । नियोजन के प्रति जनता मे तत्परता पैदा नही की जा सकी । पचायतो के सभापतियो को गाँव के लोगो के विकास के लिए काम करने हेतु प्रेरित होने का वातावरण तैयार नही किया जा सका ।

13. अन्य दोष—(i) ग्राम-सेवक का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होने से वे अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढङ्ग से निर्वाह नही कर पाते । (ii) स्वीकृत व्यय राशि का समुचित प्रयोग नही हो पाता है । (iii) भूमिहीन श्रमिको एवं जोतो की चकबंदी की समस्याये उपेक्षित रह गयी । (iv) ग्रामीण और लघु उद्योगो के क्षेत्र मे कोई विशेष सफलता नही मिली है । (v) अधिकारियो के नैतिक पतन, उनके अपर्याप्त प्रशिक्षण, निम्न वेतन-क्रम, उनके द्वारा गलत अथवा अतिशयोक्ति पूर्ण प्रतिबेदन देना आदि कुछ अन्य दोष भी इस कार्यक्रम के है ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अधिक सफलता के लिए सुझाव—सामुदायिक विकास योजनाओ को सफल एव प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते है—

1. ग्रामीण जन सहयोग—सामुदायिक विकास के लिये जन सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से गाँवो मे प्रचार किया जाना चाहिए और ग्रामीण जनता को समझाया जाना चाहिए कि यह कार्यक्रम उनके ही विकास व उन्नति के लिए है । रेडियो, समाचार-पत्र, पत्रिका व न्यूजरील फिल्मे इसमे अपना अच्छा योगदान दे सकती है ।

2. ग्रामोद्योग की स्थापना—सामुदायिक विकास कार्यक्रमो मे ग्रामोद्योग की स्थापना पर अधिक बल दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे ग्रामीण बेरोजगारी और निर्धनता के उन्मूलन मे काफी सहायता मिलेगी ।

3. कृषि उत्पादकता पर अधिक जोर—किसानो मे इस योजना के प्रति अधिकाधिक उत्साह उत्पन्न करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादकता पर अधिक जोर दिया जाय ।

4. प्रशासनिक कुशलता मे वृद्धि—सरकार द्वारा सामुदायिक विकास केन्द्रो मे जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएँ उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे ग्रामो की परिस्थितियो एव समस्याओ को समझकर अपने निर्णय तदनुसार लेने की प्रवृत्ति बना सकें ।

5 विकास खण्डो का क्षेत्रफल कम करना—सरकार ने जो विकास खण्ड बनाए है उनका क्षेत्रफल अधिक है अतः इनको छोटा किया जाना चाहिए जिससे कि

अधिकारी छोटे क्षेत्र पर उचित रूप से ध्यान दे सकें और विकास में रुचि ले सकें। ग्राम-सेवक का क्षेत्र भी सीमित कर छोटा किया जाना चाहिए।

6. राजनीति से छुटकारा—सामुदायिक विकास योजनाओं में दलगत राजनीति बहुत है अतः इसको समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न दलों में एक आचार-संहिता बना ली जाय तो श्रेष्ठ होगा।

7. भूमि सुधार में योगदान—सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को भूमि सुधार कार्यक्रमों से सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। इससे कृषकों के विश्वास में वृद्धि होगी और बेकार भूमि कृषि के अन्तर्गत आ जाएगी जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

8. आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर जोर—सामुदायिक विकास योजनाओं में कल्याणकारी कार्यों के साथ-साथ आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

9. अन्य सुझाव—(i) सामुदायिक विकास खंडों की प्रगति के अनुसार क्रमांकित किया जाना चाहिए और निचले क्रम के खण्ड को ऊपर के क्रम में लाने हेतु तात्कालिक उपाय किए जाने चाहिए।

(ii) कृषकों द्वारा भूमि संरक्षण उपाय अपनाए जाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

(iii) अनुसंधान संबंधी सुविधाएँ बढ़ायी जाएँ।

(iv) ग्राम विकास के कार्यों में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं में अधिक समन्वय होना चाहिए।

(v) ग्राम सेवकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और एक ग्रामसेवक के अन्तर्गत 4,000 से अधिक व्यक्ति न रखे जाएँ।

उपर्युक्त अनेक सुझावों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इन्हें सफल बनाने के लिये हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिये। इसकी सफलता में ही देश के भावी उत्थान का रहस्य निहित है और यह लाखों गाँवों में रहने वाले चिरनिराहत एवं अवहेलित करोड़ों लोगों की आशा है। हमें इन योजनाओं के सबसे बड़े समर्थक स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों को नहीं भूलना चाहिये—“सामुदायिक परियोजनाएँ चमकीली, अत्यंत आवश्यक और प्रावैगिक चिन्तनगरियाँ हैं, जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। इस कार्यक्रम में पूर्णरूपेण परिवर्तन की आवश्यकता है तभी ग्रामीण विकास की क्रान्ति में हम इसका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं।”

परीक्षा प्रश्न

1. “सामुदायिक परियोजनाएँ चमकीली, अत्यन्त आवश्यक और प्रावैगिक चिन्तनगरियाँ हैं जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणें प्रवाहित होती हैं।” इस कथन की व्यक्त्या करते हुए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालिए और उपलब्धियों तथा वृद्धियों का विवेचन कीजिए।

[संकेत—इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के महत्त्व व दोषों की व्याख्या करनी है ।]

2. भारत में आरम्भ की गई सामुदायिक विकास योजनाओं की क्या-क्या मुख्य विशेषताएँ हैं ? ग्रामीण पुनर्संठन में इनकी उपयोगिता का विवेचन कीजिए ।

संकेत—सामुदायिक विकास योजना की विशेषताओं व उपयोगिता का वर्णन करना है ।]

3. सामुदायिक विकास के मूलभूत सिद्धान्तों को दर्शाइये तथा भारत की ग्रामीण व्यवस्था में इनके महत्त्व को बताइये ।

संकेत—इसमें सामुदायिक विकास के सिद्धांत एवं महत्त्व की व्याख्या करनी है ।]


4. सामुदायिक विकास योजनाओं से भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए ।

[संकेत—इसमें योजना के अच्छे एवं बुरे प्रभाव देना है ।]

पंचायती राज (Panchayati Raj)

पंचायती राज 1959 में शुरू किया गया था। यह स्थानीय स्वशासन ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर लागू किया गया त्रिस्तरीय ढाँचा है। इस तीन स्तरीय व्यवस्था (Three tier-system) को लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralisation) भी कहते हैं। इस तीन स्तरीय प्रारूप को त्रिवेचना नीचे की जा रही है—

पंचायती राज का स्वरूप



ग्राम पंचायत (सबसे नीचे स्तर पर)

ग्राम पंचायत गाँव की जनता द्वारा चुनी हुई सस्थाये हैं। सभी वयस्क पुरुष एवं महिलाएँ पंचायत के चुनाव में मतदान करते हैं। विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत के पाँच से लेकर 31 तक सदस्य होते हैं।

1 ग्राम पंचायत के कार्य—ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(अ) नागरिक कार्य—इसके अन्तर्गत गाँव में रोशनी व स्वच्छता का प्रबन्ध, गाँव की निगरानी, जन्म व मृत्यु सम्बन्धी आँकड़े रखना आदि कार्य आते हैं।

(ब) विकास सम्बन्धी कार्य—गाँव के लिए उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना और उनके सहयोग से कृषि साख, उन्नत बीज,

खाद, औजार आदि का प्रबन्ध करना, सरकारी सहायता प्राप्त करके विकास कार्य के लिए उनका उचित उपयोग करना आदि कार्य इसमें सम्मिलित है।

(स) भू-प्रबन्ध व भूमि सुधार कार्य—गाँव की सामूहिक भूमि का उचित उपयोग करना, भूमि सम्बन्धी अभिलेख उचित ढंग से बनाये रखने में सहयोग देना, कृषि जोती पर अधिकतम सीमा लागू होने पर प्राप्त हुई अतिरिक्त भूमि की मात्रा निर्धारित करना आदि कार्य इसमें सम्मिलित है।

(द) न्याय सम्बन्धी कार्य—इसके अन्तर्गत दीवानी, फौजदारी तथा भूमि सम्बन्धी छोटे-मोटे मामलों में न्याय देना व कृषि श्रमिकों की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी लागू करने में सहयोग देना आदि कार्य सम्मिलित है।

2 ग्राम पंचायत के वित्तीय साधन—प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत कोष होता है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व परिषद् आदि विभिन्न सस्थाओं द्वारा प्राप्त अंशदान व अनुदान जमा किये जाते हैं। ग्राम पंचायतों की आय के निम्नलिखित मुख्य स्रोत हैं—

(अ) कर—सभी राज्यों के पंचायत अधिनियमों में पंचायतों द्वारा कर लगाने का प्रबन्ध किया गया है। इनमें से कुछ अनिवार्य कर हैं और कुछ ऐच्छिक कर। ये कर जमीन, घर, मेलो, पशुओं, त्योहारों और वस्तुओं के विक्रय पर लगाये जाते हैं।

(ब) शुल्क—विभिन्न प्रकार के शुल्क द्वारा भी पंचायतें आय प्राप्त करती हैं जैसे (1) गाँव में पीने के पानी का प्रबन्ध करना, रोशनी का प्रबन्ध करना व गन्दे पानी के लिए नालियाँ बनाना आदि विभिन्न सेवाओं के लिए पंचायतें शुल्क लेती हैं। (ii) अवैध कार्य, निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार आदि के लिये पंचायत अपराधियों से दण्ड के रूप में शुल्क लेती हैं।

(स) सामूहिक आय—गाँव की सामूहिक भूमि, तालाब, चरागाह, वन-क्षेत्र, आदि से तथा मेले, बाजार आदि से भी पंचायतों को आय प्राप्त होती है। भूमि संपत्ति व श्रम आदि के रूप में पंचायतों को सामूहिक आय प्राप्त होती है।

पंचायत समिति (मध्यम स्तर पर)

पंचायती राज की तीन स्तरीय संरचना में मध्यम स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है। गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों में पंचायत समिति तहसील स्तर पर कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में ये समितियाँ विकास खण्ड के स्तर पर कार्य करती हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महिलाओं, पिछड़ी हुई एवं अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले भी इसके सदस्य होते हैं। समिति अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है।

कार्य—सभी राज्यों में पंचायत समितियों को विकास कार्य सौंपे गये हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व इन्हीं का है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व संचार के सम्बन्ध में उन पर विशेष प्रशासनिक

उत्तरदायित्व है। ये समितियाँ पंचायतो के कार्यों व उनके बजटों का भी निरीक्षण करती हैं।

वित्तीय स्रोत—पंचायत समितियों के वित्तीय स्रोत मुख्यतः खण्ड बजट में से प्राप्त होते हैं और विशेष परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि राज्य सरकारों से प्राप्त होती है।

जिला परिषद् (सर्वोच्च स्तर पर)

पंचायती राज का सर्वोच्च स्तर जिला स्तर पर होता है, किन्तु असम में यह उपविभाग स्तर पर होता है। आन्ध्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र व पश्चिमी बंगाल में जिला स्तर के पंचायती राज संस्था को जिला परिषद् कहते हैं। मध्य प्रदेश व गुजरात में जिला पंचायत, मद्रास व कर्नाटक में जिला विकास परिषद् तथा असम में मोहकमा परिषद् कहते हैं।

कार्य—अधिकांश राज्यों में जिला परिषद् मुख्यतया समन्वीकरण, पंचायत समितियों का निरीक्षण एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने का कार्य करती है।

अब मेघालय और नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज लागू है और लक्षद्वीप तथा मिजोरम को छोड़कर सभी सघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायत संस्था विद्यमान है। इस समय 228593 ग्राम पंचायतें हैं। इनके अतिरिक्त 4478 पंचायत समितियाँ और 252 जिला परिषदें भी हैं।

पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावित किया है—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है और रहन-सहन का स्तर कुछ उन्नत हुआ है।

(ii) स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ी है।

(iii) ग्रामीण शक्ति संरचना में आनुवंशिक मुखिया तथा समृद्ध लोगों का प्रभाव सापेक्ष दृष्टि से कम हुआ है तथा सामान्य परिवारों के मध्यम आर्थिक स्थिति के अधिक उत्साही एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले युवा शिक्षित लोगों का प्रभाव बढ़ा है।

(iv) अन्धविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव कुछ कम हुआ है।

(v) शिक्षा का प्रसार हुआ है, सामाजिक चेतना बढ़ी है, अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है।

(vi) पंचायती राज व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिवादिता या गुटबन्दी तथा तनाव एवं संघर्ष बढ़े हैं।

(vii) पंचायती राज संस्थाओं के फलस्वरूप ग्रामों की परम्परागत जातीय संरचना में कुछ परिवर्तन आने लगे हैं। अब विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी कम होती जा रही है।

(viii) अब न्याय पंचायतों के द्वारा ग्रामीणों को शीघ्र और सरल न्याय उपलब्ध होने लगा है, यद्यपि इस क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं मिली है।

ग्राम पंचायतों की असफलता के कारण—भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना के द्वारा महात्मा गांधी के 'रामराज्य' की कल्पना को साकार रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था परन्तु ग्राम पंचायतों को अपने कार्यों और उद्देश्यों में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत की असफलता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं—

(1) राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति—देश में पायी जाने वाली विभिन्न राजनैतिक पार्टियाँ पंचायतों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती हैं फलतः वे पंचों को अपने अनुसार खड़ा करते हैं और फिर उनका उपयोग अपने राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं।

(ii) दलबन्दी का उदय—ग्राम पंचायतों के निर्माण से भारत के गाँवों में दलबन्दी का उदय हुआ है। इससे ग्रामीण सदस्यों में वैमनस्यता बढ़ी है। फलतः सदस्य गण सामान्य हितों पर समान दृष्टिकोण नहीं रखते। इसका परिणाम यह होता है कि ग्राम पंचायतों को सफलता नहीं मिलती है।

(iii) जातिवाद—ग्राम पंचायतें जब जाति के आधार पर बनाई जाती हैं, तो वे समस्त जनता की न होकर जाति-विशेष की हो जाती हैं और जनता के हित की उपेक्षा करती हैं।

(iv) अशिक्षा—अशिक्षा और अज्ञानता के कारण ग्रामीण व्यक्ति पंचायत के महत्त्व को नहीं समझ पाते हैं, इससे पंचायत के कार्यों में वे रुचि नहीं लेते हैं।

(v) निर्धनता—अधिकांश ग्रामीण जनता निर्धन है और यह निर्धनता ग्राम के निःस्वार्थ और योग्य व्यक्तियों को ग्राम पंचायत से सम्बन्धित पदों को लेने में बाधा उपस्थित करती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के पदों पर किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है और पंचायत के कार्यों में लगे रहने के कारण व्यक्ति अपने कृषि तथा अन्य कार्यों की देखभाल नहीं कर पाते हैं।

(vi) पेशेवर नेता—चूँकि निःस्वार्थ और योग्य व्यक्ति पंचायतों में नहीं आ पाते हैं, इससे पेशेवर नेताओं को अवसर मिलता है जो पंचायतों के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इससे भी ग्राम पंचायतों को सफलता नहीं मिल पाती है।

ग्राम पंचायतों की सफलता के लिए सुझाव—ग्राम पंचायत को सफल बनाने की दिशा में जो महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(1) राजनैतिक दलों के सदस्य ग्राम पंचायत को अपनी रियाज का अखाड़ा न बनाएँ। ऐसा प्रयास किया जाय कि पंचायतें राजनैतिक दलों आदि से दूर रहें।

(ii) जातिवाद पंचायतों की असफलता का मूल कारण है। अतः जातिवाद समाप्त किया जाय।

(iii) ग्रामीण जीवन में व्याप्त दलबन्दी को समाप्त किया जाय और सदस्यों में एकमतिता की भावना का प्रसार किया जाय। इससे सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और इस प्रकार ग्राम पंचायतों को सफलता प्राप्त होगी।

(iv) शिक्षा का प्रसार किया जाय। ऐसा करने से लोग पंचायतों के महत्त्व को समझेगे और पंचायत के कार्यों में क्रियाशील सदस्य के रूप में भाग लेंगे।

(v) ग्रामीण जीवन में व्याप्त निर्धनता को समाप्त किया जाय।

(vi) गाँवों में ऐसे नेतृत्व का विकास किया जाय जो समुदाय के सभी कार्यों को सम्पादित कर सकें।

(vii) पंचायतों के कार्यों की देखभाल करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय और उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जायें।

(viii) ग्राम पंचायतों में जो चुनाव हों उनमें मत डालने की अपेक्षा सर्वसम्मति को सबसे अधिक महत्त्व प्रदान किया जाय।

(ix) पंचायतों को आर्थिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करना चाहिए।

(x) जनता में इस प्रकार की रुचि का प्रसार किया जाय जिससे वह प्रशासन के कामों में रुचि लेने लगे।

(xi) योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को पंचायत के पदों के लिए चुना जाय।

पंचायत राज संस्थाओं पर अशोक मेहता समिति—देश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए उपाय का सुझाव देने के लिए 1977 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अब एक आदर्श विधान तैयार किया जा रहा है।

परीक्षा प्रश्न

1. ग्राम पंचायतों से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यों की विवेचना कीजिए।

2. भारत में ग्राम पंचायतों की असफलता के क्या कारण हैं? इसकी सफलता के सुझाव दीजिए।

भारत की फसलें और उनका ढाँचा

(Crops in India and Their Pattern)

भारत न केवल एक कृषि प्रधान देश है बल्कि यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। कृषि की विविध फसलों के उत्पादन की दृष्टि से भारत एक अच्छा अजायबघर है।

भारत में कृषि फसलों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) खाद्य फसलें इनमें गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मुख्य हैं तथा (ii) व्यापारिक फसलें—इनमें जूट, कपास, रबर, तम्बाकू तथा गन्ना आदि सम्मिलित हैं। यहाँ कृषि उत्पादन की दो मुख्य विशेषताएँ हैं—एक तो यह कि यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं तथा दूसरी यह कि यहाँ अन्य फसलों की अपेक्षा खाद्य फसलों को अधिक महत्त्व दिया जाता है।

मौसम के अनुसार फसलों को तीन भागों में बाँटा जाता है—खरीफ, रबी तथा ग्रीष्म की फसलें। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, तिल एवं मूँगफली खरीफ की मुख्य फसलें हैं। गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई तथा सरसो रबी की मुख्य फसलें हैं। चावल, मक्का तथा मूँगफली गरमी में भी होते हैं।

1. खाद्य फसलें

(Food crops)

1. गेहूँ (Wheat).

1 सामान्य परिचय—गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न है। भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग अत्यन्त प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है। गेहूँ रबी की फसल के अन्तर्गत आता है। विश्व में गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है।

2. भूमि—गेहूँ की खेती के लिए भारी दुमट या हल्की चिकनी मिट्टी इसके लिए विशेष उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में गेहूँ पैदा किया जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के निकट की भूमि गेहूँ के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।

3. जलवायु—हमारे देश में गेहूँ नवम्बर से दिसम्बर तक बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। साधारण तौर पर गेहूँ ठंडी जलवायु में ही पैदा होता है, परन्तु इसकी उपज में तापक्रम, वर्षा तथा मिट्टी आदि का प्रभाव पड़ता है।

4. वर्षा—गेहूँ के लिए 25 सेन्टीमीटर से 90 सेन्टीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। इसकी उपज के लिए अधिक पानी हानिकारक होता है।

5. उत्पादक क्षेत्र—गेहूँ भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में उत्पन्न किया जाता है, किन्तु यह प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बिहार में उत्पन्न किया जाता है। गेहूँ उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ का सबसे बड़ा क्षेत्र गोरखपुर है। गेहूँ उत्पादक अन्य जिले जैसे—सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, शाहजहाँपुर तथा मेरठ आदि हैं।

भारत में गेहूँ उत्पादन का क्षेत्र और मात्रा निम्न प्रकार है :—

मद	1950-51	1974-75	1979-80
गेहूँ उत्पादन का क्षेत्र (हजार हेक्टेयर्स)	9,746	18,108	21,960
गेहूँ उत्पादन (मिलियन टन्स)	6.82	24.24	31.56

स्पष्ट है कि नियोजन अवधि में गेहूँ के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता सभी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सन् 1875-76 में गेहूँ का उत्पादन 28.33 मि० टन हुआ है।

2. चावल (Rice)

1. सामान्य परिचय—चावल भारत के अधिकांश लोगों का भोज्य पदार्थ है। देश के समस्त बोई हुई भूमि के 25% भाग पर चावल उत्पन्न किया जाता है। विश्व के उत्पादन का 21% चावल भारत में प्राप्त होता है। विश्व में सर्वाधिक चावल चीन में तथा उसके बाद भारत में ही उत्पन्न होता है, अर्थात् भारत चावल उत्पन्न करने वाले राष्ट्रों में प्रमुख स्थान रखता है।

2. भूमि—चावल की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी, कछारी अथवा दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। साथ ही साथ यह भूमि समतल भी होनी चाहिए जिससे जमीन में पानी की सतह एक समान हो जिससे पौधे उचित प्रकार से विकास कर सकें।

3. जलवायु—चावल उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों की उपज है। अतः इसे ऊँचे तापक्रम की आवश्यकता होती है। चावल बोने के समय तापक्रम 20° सेन्टीग्रेट तथा काटने के समय कम से कम 26° सेन्टीग्रेट होना चाहिए।

4. वर्षा—चावल के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अतः जहाँ वार्षिक वर्षा 125 सेन्टीमीटर से 200 सेन्टीमीटर के बीच होती है, चावल उत्पन्न किया जा सकता है।

5 उपज के क्षेत्र—भारत में लगभग विश्व का 21 प्रतिशत चावल उत्पन्न किया जाता है। भारत के प्रमुख चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र-पश्चिमी बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक तथा केरल हैं।

चावल के उत्पादन, क्षेत्र को नीचे सारिणी में दर्शाया गया है—

चावल का उत्पादन क्षेत्र
(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में, उत्पादन लाख टन में)

वर्ष	क्षेत्र	उत्पादन
1960-61	341	346
1973-74	380	438
1979-80	389 8	421 9

3. जौ (Barley)

1 परिचय—गेहूँ की भाँति जौ भी रबी की फसल है। यह एक सस्ता किन्तु पौष्टिक अन्न है। भोजन में इसका प्रयोग दलिया और रोटी के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग शराब बनाने में भी किया जाता है।

2 भूमि—जौ की उपज के लिए साधारण भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है। जौ के पौधे में सर्दी एवं गर्मी सहन की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह कम उपजाऊ भूमि में भी पैदा हो जाती है।

3. जलवायु—जिस भूमि में गेहूँ की फसल अच्छी तरह नहीं की जा सकती उसमें जौ बोया जाना है। यह शीतोष्ण कटिबन्ध का अनाज है लेकिन गर्म व शुष्क प्रदेशों में भी उग सकता है। गेहूँ की अपेक्षा नमी की आवश्यकता इसे कम पड़ती है। इसकी बुआई अक्टूबर-नवम्बर में होती है और मार्च-अप्रैल तक काट ली जाती है।

4. उत्पादक क्षेत्र—प्रायः जौ उन सभी क्षेत्रों में पैदा हो सकता है जहाँ गेहूँ की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में जौ सबसे अधिक मात्रा में पैदा हो सकता है। यहाँ भारतवर्ष का 65% जौ उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश में बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर, गोरखपुर आदि जिले भी जौ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

बिहार राज्य में भारत का लगभग 20 प्रतिशत जौ उत्पन्न किया जाता है। इस प्रदेश में चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में जौ की खेती पर्याप्त रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त पंजाब मध्य प्रदेश में भी जौ की खेती की जाती है।

इस फसल का क्षेत्रफल सन् 1950-51 में 3113 हजार हेक्टेयर्स से घटकर 1979-80 में 1750 हजार हेक्टेयर रह गया। इन दोनों वर्षों में जौ का उत्पादन क्रमशः 2.38 मिलियन टन और 1.62 मिलियन टन था।

4. ज्वार (Jowar)

1. सामान्य परिचय—ज्वार खरीफ की फसल के अन्तर्गत आता है। यह एक मोटा अनाज है। इसको प्रायः गरीब व्यक्ति उपयोग करते हैं। इसके डंठल एवं पत्तों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2. भूमि—ज्वार काली तथा चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह उत्पन्न होता है। वैसे ज्वार की खेती पठारी प्रदेशों की लाल तथा काली मिट्टी में भी की जाती है।

3. जलवायु—ज्वार की खेती के लिए पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती। सामान्य वर्षा होने पर भी इसकी खेती हो जाती है। ज्वार की उपज के लिए 60 सेन्टीमीटर से 75 से० मी० वर्षा होनी चाहिए।

4. उत्पादक क्षेत्र—ज्वार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। दक्षिणी भारत देश का लगभग 89 प्रतिशत भाग ज्वार उत्पन्न करता है।

5. बाजरा (Bajra)

1. सामान्य परिचय—ज्वार की भाँति बाजरा भी शुष्क प्रदेशों का पौधा है। इसका भी महत्त्व चारे एवं दाने के लिए है। यह मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। विश्व में बाजरे के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। यह खरीफ की फसल है।

2. भूमि—इसके उत्पादन के लिए बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है।

3. जलवायु—इसके लिए ज्वार की अपेक्षा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। 40 से० मी० से 45 से० मी० तक वर्षा इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है, एवं 25 से 32 सेन्टीग्रेट तक का तापक्रम उपयुक्त होता है।

4. उत्पादक क्षेत्र—भारत में बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और मैसूर हैं। राजस्थान सबसे अधिक बाजरा उत्पन्न करने वाला राज्य है। यह राज्य देश के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 25% भाग उत्पन्न करता है।

6. मक्का (Maize)

1. सामान्य परिचय—ऐसा माना जाता है कि मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका मेक्सिको है। मक्का गर्म देशों में अधिक उत्पन्न होता है। यह निर्धन लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। मक्का का पौधा 2 से 3 मीटर तम ऊँचा होता है। इस पर कई झुट्टे लगते हैं। यह बहुत ही शीघ्र पकने वाली फसल है। इसे पकने में लगभग 60 दिन लगते हैं।

2. भूमि—मक्के की अच्छे पैदावार के लिए रेत मिली हुई मटियार भूमि की जरूरत पड़ती है। ढालू खेतों में इसकी उपज अच्छी होती है।

3. जलवायु—मक्के की फसल के लिए 50 से 100 सेन्टीग्रेड तक वर्षा की

आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए तापमान 25 सेन्टीग्रेड से 30 सेन्टीग्रेड तक होना चाहिए। मक्के की खेती के लिए खेतों में पानी नहीं भरना चाहिए।

4. उत्पादक क्षेत्र—भारत में मक्का उत्तर प्रदेश, राजस्थान; बिहार, हरियाणा पंजाब आदि राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। भारत में सबसे अधिक मक्का उत्तर प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। मक्का की फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में वृद्धि को सारिणी से स्पष्ट किया गया है।

ज्वार, बाजरा, मक्का का उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन

फसल	उत्पादन क्षेत्र	उत्पादन (मि० टन)
	(हजार हेक्टेयर्स)	
	1979-80	1979-80
ज्वार	16450	11 32
बाजरा	10600	4 03
मक्का	5750	5 58

ज्वार, बाजरा और मक्का तीनों का संयुक्त रूप से सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है।

7 दालें (Pulses)

1 सामान्य परिचय—हमारे खाद्य पदार्थों में दालों का महत्वपूर्ण स्थान है। दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। दालें रबी और खरीफ दोनों फसलों में बोई जाती हैं। ये ऊष्ण कटिबन्धीय एवं शीतोष्ण कटिबन्धीय पौधे हैं।

2. भूमि—दाल की खेती प्रायः सभी प्रकार की भूमि पर की जा सकती है। इसके लिए हल्की तथा जल निकास युक्त भूमि अच्छी होती है।

3. जलवायु—दालों के लिए अधिक तापक्रम तथा कम वर्षा की आवश्यकता होती है।

4 उत्पादक क्षेत्र—अरहर की दाल बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अधिक होती है। मूँग की दाल राजस्थान में अधिक होती है तथा मसूर की दाल के लिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण हैं। भारत में दालों की उत्पादन स्थिति निम्न प्रकार है— •

दाल का उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र

मद	1950-51	1979-80
दाल उत्पादन का क्षेत्र (हजार हेक्टेयर्स)	19.091	21.750
दाल उत्पादन (मि० टन०)	8 41	83.70

सन् 1975-76 के दालों का उत्पादन 13.14 मिलियन टन हो गया है।

व्यावसायिक फसलें (Commercial Crops)

1 गन्ना (Sugar cane)

1. सामान्य परिचय—भारत में गन्ने की खेती अत्यन्त प्राचीन काल से की जा रही है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना भारत में ही उत्पन्न होता है। भारत विश्व में गन्ने के उत्पादन का लगभग 37 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता है।

2. भूमि—गन्ने की खेती के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि पर पानी नहीं रुकना चाहिये। यह पौधा दोमट मिट्टी में पैदा होता है, परन्तु चिकनी मिट्टी इसके लिए लाभदायक है। यह पौधा भूमि के उपजाऊपन को बहुत प्रभावित करता है, अतः भूमि के उपजाऊपन को पूर्ववत् बनाये रखने के लिए रासायनिक खाद देने की आवश्यकता होती है।

3. जलवायु—गन्ना ऊष्ण कटिबन्ध की उपज है। गन्ने की उपज के लिए उपजाऊ भूमि, ऊँचा तापक्रम और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए 150 से 0 मी० वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है।

4. बोने और काटने का समय—गन्ना मार्च अप्रैल में बोया जाता है और नवम्बर से फरवरी तक काटा जाता है।

5. गन्ना उत्पादन करने का तरीका—गन्ने को प्रतिवर्ष बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार गन्ना बो देने के पश्चात् तीन वर्ष गन्ना बोने की आवश्यकता नहीं होती। गन्ने को जड़ से नहीं काटा जाता बल्कि इसे ऊपर से ही काट लिया जाता है। गन्ने का बीज नहीं उत्पन्न किया जाता बल्कि इसकी गांठें ही बोयी जाती हैं।

6. उत्पादक क्षेत्र—भारत में गन्ना गंगा की घाटी में होता है। इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तीनों मिलकर 60% कुल भारत के गन्ने का उत्पादन करते हैं। गन्ने की उत्तम पैदावार आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में होती है। भारत में गन्ने का उत्पादन विभिन्न वर्षों में इस प्रकार है :—

1975-76 में 27 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती की गयी तथा 1450 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। 1978-79 में गन्ना का उत्पादन 1569 लाख टन था। सन् 1982-83 में गन्ने का उत्पादन 1880 लाख निर्धारित किया गया है।

भारत में जितना गन्ना पैदा होता है उसका 50% गुड़ बनाने में 30% स्फेद चीनी बनाने में और शेष चूसने तथा बीज के रूप में काम में लाया जाता है।

2. कपास (Cotton)

1. सामान्य परिचय—कपास भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। कपास की साँग विश्वव्यापी है क्योंकि वह मानव वस्त्र के लिए सबसे उपयोगी पदार्थ है।

कपास एक झाड़ी का सफेद रेशेदार फूल होता है। कपास मूल रूप से भारत का पौधा है। विश्व को कपास से परिचित करने के लिए भारत को ही श्रेय है।

2. भूमि—कपास की खेती के लिए मन्द ढाल वाली समतल भूमि की आवश्यकता होती है ताकि जल का प्रवाह सरलतापूर्वक हो सके। इसकी उपज के लिए दक्षिणी पठार की लावा द्वारा निर्मित मिट्टी या चूना मिश्रित दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। भारत में काली कछारी एवं लाल मिट्टी में इसकी उपज होती है। कपास के लिए ऐसी मिट्टी उपजाऊ होती है जो नमी सोख कर पौधे को समान गति तक पहुँचाती रहे।

3. जलवायु—कपास ऊष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए ऊष्ण जलवायु की जरूरत होती है। गर्मी के दिनों में साधारण वर्षा कपास के लिए लाभदायक है। पाला कपास का शत्रु है। कपास को उगते समय नमी आवश्यक है। 75 से० मी० से 125 से० मी० वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सरलता से की जाती है।

4. बोने का समय—जुलाई से सितम्बर तक इसकी बोआई कर दी जाती है तथा फरवरी मार्च तक इसकी फसल तैयार हो जाती है।

5. कपास के प्रकार—रेशे की लम्बाई की दृष्टि से कपास के चार प्रकार हैं—

(i) छोटे रेशे वाली कपास—यह अधिक वर्षा वाले भागों में पैदा होती है। छोटे रेशे वाली कपास मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागपुर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम आदि राज्यों में उत्पन्न होती है। यह घटिया किस्म की कपास होती है।

(ii) मध्यम रेशे वाली कपास—इसका रेशा कुछ बड़ा और चमकदार होता है। इस प्रकार की कपास मुख्य रूप से कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पैदा होती है।

(iii) लम्बे रेशे वाली कपास—यह सर्वश्रेष्ठ कपास होती है। इसके रेशों की लम्बाई 3 $\frac{1}{2}$ से० मी० से 6 $\frac{1}{2}$ से० मी० तक या उससे भी अधिक होती है। लम्बे रेशे वाली कपास अधिकतर सिंचाई करने वाले भागों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में उत्पन्न होती है। भारत में लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है।

(iv) उत्पादक क्षेत्र—हमारे देश में करीब 77 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास बोयी जाती है। कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य सर्वोपरि है और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। दक्षिणी भारत में उल्लेखनीय उत्पादक तमिलनाडु, मैसूर तथा आन्ध्र-प्रदेश है। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश कपास उत्पन्न करने के लिए उल्लेखनीय हैं।

मद	1950-51	1975-76	1979-80
कपास उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	59	74	80.77
कपास उत्पादन (170 किलो की लाख गाँठों में)	30.4	59.5	76.97

3. जूट (Jute)

1 सामान्य परिचय—भारत की व्यावसायिक फसलों में जूट का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में सर्वप्रथम जूट की खेती डा० बुकानन हेमिल्टन ने की थी। यह भी एक रेशेदार व्यापारिक उपज है। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश, संसार में जूट की खेती के लिए विख्यात हैं। विश्व के कुल जूट उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत भाग भारत में ही उत्पन्न होता है।

विभाजन के पूर्व भारत को विश्व में जूट उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त था। परन्तु विभाजन के पश्चात् जूट के उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगला देश) में चला गया।

2. भूमि—जूट की खेती के लिए सामान्य ढाल वाली भूमि की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों में अधिक दिनों तक जल का रकना हानिकारक होता है। जूट सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। चिकनी मिट्टी से लगाकर बलुई दोमट मिट्टी में पैदा किया जाता है।

3. जलवायु—जूट की उपज के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी उपज के लिए 27 सेण्टीग्रेट से 38 सेण्टीग्रेट तक का तापमान अच्छा होता है। जूट की फसल के लिए 200 से० मी० से 950 से० मी० तक की वार्षिक वर्षा उपयोगी होती है।

4. उत्पादक क्षेत्र—भारत में जूट का उत्पादन निम्नलिखित राज्यों में होता है—

(1) पश्चिमी बंगाल—भारत का आधा जूट पश्चिमी बंगाल से ही प्राप्त होता है। इस राज्य में जूट मुर्शिदाबाद, बर्दवान, नादिया, हुगली, हावडा, जलपाईगुडी आदि जिलों में पैदा किया जाता है।

(ii) उड़ीसा—इस राज्य में बोलगिर कालाहाडी, कोरापुत, कटकपुरी आदि जिलों में जूट का उत्पादन होता है।

(iii) बिहार—इस राज्य में पूर्णिया जिले में जूट की खेती होती है। इसके अतिरिक्त चम्पारन, दरभंगा, सारन, भागलपुर जिलों में जूट उत्पन्न होता है।

उत्पादन स्थिति—जूट के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है —

मद	1950-51	1975-76	1979-80
जूट उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	57	59	842
जूट उत्पादन क्षेत्र (लाख गाँठों में)	42	95	6120

4. चाय (Tea)

सामान्य परिचय—आधुनिक युग में चाय सबसे अधिक प्रिय पेय पदार्थ है। चाय के उत्पादन में भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त है। चाय का पौधा एक प्रकार की जंगली झाड़ी है जिसकी पत्तियों को सुखा कर एवं झुनकर या उबालकर चाय तैयार

की जाती है। भारतवर्ष में चाय के कुल उत्पादन का करीब 75% भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है।

चाय के प्रकार—चाय एक झाड़ीदार पौधे की पत्तियों को सुखाकर तैयार की जाती है। चाय के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं—

1. **काली चाय**—काली चाय तैयार करने के पत्तियों को एकत्र करके सूर्य की धूप या लकड़ी के कोयले की आग पर फैला दिया जाता है। फिर इसमें पानी के छोटे डालकर किसी बेलन या मशीन से इसको चौरस किया जाता है। इससे पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं। बाद में इन्हें चलनियों से छान कर पैक कर दिया जाता है।

2. **हरी चाय**—हरी चाय तैयार करने के लिए पत्तियों को तोड़कर तथा कुछ गर्म करके तत्काल सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाता है जिससे इसका रंग हरा ही रहता है। इसको भूना नहीं जाता।

3 **चूरा चाय**—भारत में एक तीसरे प्रकार की चाय जिसे चूरा चाय कहते हैं तैयार की जाती है। यह पत्तियों के टूटन या बचे हुए चूरे से तैयार की जाती है। यह सबसे घटिया किस्म की चाय मानी जाती है।

(1) **भूमि**—चाय की खेती के लिए ढालू भूमि उपयुक्त होती है। क्योंकि पानी का पौधों की जड़ों तक अधिक समय तक रुकना हानिकारक होता है परन्तु अधिक ढाल होने से भूमि क्षरण होता है। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। चाय की खेती के लिए पोटैश लोहा एव जीवाश्म की मात्रा से मुक्त हल्की तथा गहरी बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है।

(ii) **जलवायु**—चाय चूँकि उष्ण कटिबंध के मानसूनी प्रदेश का पौधा है अतः इसे 24° सेन्टीग्रेड से 30° सेन्टीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। चाय के लिये धूपदार मौसम अनुकूल रहता है। चाय के लिए 150 से० मी० से 200 से० मी० वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही वर्षा का समान वितरण भी होना चाहिए।

(iii) **श्रम**—चाय की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके सभी कार्य हाथों से ही किये जाते हैं। चाय की पत्तियाँ चुनने के लिए महिला श्रमिक अधिक उपयुक्त समझी जाती हैं क्योंकि कोमल अंगुलियों से चाय की कोपले चुनना उचित होता है। चाय बागानों का क्षेत्र 1950-51 में 314 हजार हेक्टेयर्स से बढ़कर अब 364 हजार हेक्टेयर्स हो गया है। सन् 1950-51 में चाय का उत्पादन 275 हजार टन था, जो अब बढ़कर 600 हजार टन हो गया।

5. कहवा (Coffee)

कहवा भी चाय की भाँति एक पेय पदार्थ है। कहवा की झाड़ी के फूलों के बीजों को धुनकर कहवा बनाया जाता है। सर्वप्रथम उसकी खेती कर्नाटक में आरम्भ हुई। कहवा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। विश्व के कुल उत्पादन का 2% भाग भारत में उत्पन्न होता है।

भूमि—इसके लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी का कहवे की जड़ों पर रुकना हानिकारक होता है। अतः चाय के समान कहवे के बागान पहाड़ी

ढालो पर लगाए जाते हैं। कहवा के लिए उपजाऊ दूमट मिट्टी तथा लावा से बनी हुई मिट्टी उपयुक्त होती है।

जलवायु—इसकी खेती के लिए गर्म जलवायु और साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः 150 सेन्टीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इस पौधे के लिए न तो बहुत कम वर्षा होनी चाहिए और न बहुत अधिक वर्षा होनी चाहिए। कहवा के पौधे को उगने के लिए तथा बढ़ने के 15° सेन्टीग्रेट से लेकर 28° तक दैनिक तापक्रम की आवश्यकता होती है।

उत्पादक क्षेत्र—भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश आदि राज्यों में कहवा की खेती की जाती है। भारत में कहवा केवल कर्नाटक से (37%), केरल (33%) और तमिलनाडु (80%) में ही पैदा किया जाता है। पश्चिमी घाट के सुरक्षिता पूर्वी ढाल इसके लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र हैं।

सन् 1974-75 में कहवा का उत्पादन 99.075 टन हुआ। कॉफी बोर्ड इस कृषि-आधारित उद्योग के विकास में सलग्न है।

वर्तमान समय (1975-76) में देश की कॉफी उत्पादन का क्षेत्र 188 हजार हेक्टेयर्स तथा वार्षिक उत्पादन लगभग 120 हजार टन है।

6 तम्बाकू

1. **परिचय**—यह एक नशीली वस्तु है। इसका प्रयोग अनेक रूपों में होता है। तम्बाकू की उपज के आधार पर भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।

2. **भूमि**—तम्बाकू के खेतों में पानी भरा रहना हानिकारक है। इसकी खेती के लिए सामान्य ढाल वाले खेती ही उपयुक्त होते हैं। यह उष्ण आर्द्र प्रदेशों में ऊँचे ढालू भागों में उगाया जाता है। तम्बाकू के लिए हल्की रेतीली दुमट मिट्टी श्रेष्ठ होती है। तम्बाकू के खेतों की मिट्टी में पोटैश, चून और वनस्पति अश मिला हो तो उपज अच्छी होती है।

3. **जलवायु**—तम्बाकू उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में उत्पन्न होती है। इसके लिए 100 सेन्टीमीटर वार्षिक वाले प्रदेश उपयुक्त होते हैं किन्तु वर्षा के समान वितरण की आवश्यकता होती है। तम्बाकू की खेती के लिए 16° सेन्टीग्रेट से 40° सेन्टीग्रेड तापमान तथा 50 से 100 सेन्टीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन भागों में अधिक वर्षा होती है उन भागों में खेती करना असम्भव है।

4. **उत्पादक क्षेत्र**—विश्व तम्बाकू उत्पादन में भारत को तृतीय स्थान प्राप्त है। भारत विश्व के कुल तम्बाकू उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता है। तम्बाकू उत्पादन के निम्नलिखित क्षेत्र हैं।

(1) **दक्षिणी क्षेत्र**—इस क्षेत्र के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य आते हैं। आन्ध्र प्रदेश कुल तम्बाकू उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता है।

(11) पूर्वी क्षेत्र—इस क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्य आते हैं।

भारत में तम्बाकू का उत्पादन लगभग 445 हजार टन प्रतिवर्ष है।

7. तिलहन (Oilseeds)

1. परिचय—तिलहन एक व्यापारिक उपज है। अनेक प्रकार के पौधे एवं वृक्षों के बीजों, फलों अथवा गुठलियों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। भारत का विश्व के तिलहन पैदा करने वाले देशों में प्रमुख स्थान है।

2 तिलहन के प्रकार—भारत में तिलहन दो प्रकार की होती है :—

(अ) छोटे दाने वाली तिलहन—इसके अन्तर्गत तिल, सरसो, राई, अलसी आदि आते हैं।

(ब) बड़े दाने वाली तिलहन—इसके अन्तर्गत मूँगफली, बिनौला, नारियल, आदि आते हैं।

यहाँ विश्व की $\frac{3}{4}$ मूँगफली, $\frac{1}{4}$ तिल, $\frac{1}{4}$ रेडी और $\frac{1}{8}$ सरसो और अलसी उत्पन्न की जाती है। अन्य तिलहनो में एरण्ड, बिनौला, महुआ, नारियल, राई आदि प्रमुख हैं।

तिलहन की माँग न केवल सलाद और खाद्य के लिए बल्कि साबुन, इत्र, वार्निश, दवाइयों एवं स्नेहन तैलों (Lubricants) आदि बनाने के लिए बढ़ती जा रही है।

कुछ मुख्य तिलहनो के उत्पादन की स्थिति

	(हजार टन)		
	1975-16	1976-77	1979-80
तिल	479	404	370.7
अलसी	598	431	269.7
अरण्डी	143	172	232.7
मूँगफली	6755	5262	5771.8
सरसो एवं लाहा	1936	1562	1433.1

फसलों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले तत्त्व

भारत में फसलों के स्वरूप को कुछ विशेष घटक प्रभावित करने हैं, जो निम्नांकित हैं—

1 भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सरकारी (विधि सम्बन्धी एवं प्रशासनिक) राजनैतिक घटक। इसमें अधिक घटक आर्थिक प्रभावशाली हैं। इनकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे की जाती है।

2. भौतिक घटक—इस घटक में मिट्टी, वर्षा, जलवायु एवं मौसम सम्मिलित होते हैं। देश के विभिन्न भागों में जो फसलें होती हैं वे इन घटकों से अत्यधिक प्रभा-

वित है। उदाहरणार्थ, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की फसल पैदा की जाती है, किन्तु जो क्षेत्र शुष्क अथवा कम वर्षा वाले हैं वहाँ ज्वार, बाजरा पैदा किया जाता है। फसलो का उगाया जाना सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में यह साधन बढ़ रहा है वहाँ गन्ना और तम्बाकू की खेती बढ़ रही है।

3. तकनीकी घटक—फसलो के स्वरूप निर्धारण में तकनीक का भी प्रभाव पड़ता है। देश के जिस क्षेत्र में जैसी तकनीकी का विकास हुआ है, उसी के अनुसार कुछ अंश तक फसले पैदा होती है। उदाहरणार्थ, पंजाब में कुछ फसलो के तकनीकी में अधिक विकास है, अतः वे फसले वहाँ विशिष्ट रूप में उगाई जाती हैं।

4. सामाजिक घटक—यह भी फसल का स्वरूप प्रभावित करते हैं। जिस क्षेत्र में लोग सामाजिक दृष्टिकोण में अधिक विकसित रहते हैं, रहन-सहन का स्तर अच्छा रहता है, लोग कम निर्धन होते हैं, वहाँ अच्छी और मँहगी फसले उगाई जाती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्र के लोग मोटे अनाजों का अधिक उत्पादन करते हैं।

5 आर्थिक घटक—आर्थिक घटक कृषि की फसल को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसमें हम कृषको की आर्थिक स्थिति, मूल्य, खेत अथवा जोत का आकार, फसल-बीमा-सुविधा, भू-व्यवस्था, आदानों की उपलब्धि एवं साख की सुविधा आदि सम्मिलित करते हैं जिनकी सक्षित व्याख्या निम्न है —

(अ) कृषको की आर्थिक स्थिति एवं मूल्य—यदि कृषक की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह अच्छी और मँहगी फसल बोयेगा, क्योंकि वह उस फसल का बीज क्रय करने के लिए धन-राशि का व्यय कर सकता है। साथ ही, फसलो का स्वरूप वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर करता है। जिस वस्तु के भाव में तेजी है, किसान अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, उस फसल के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा। मूल्यों में स्थायित्व एवं अस्थायित्व का भी प्रभाव फसल के स्वरूप पर पड़ता है।

(ब) जोत का आकार—बड़ी जोत वाले किसान मौद्रिक फसलो का उत्पादन अधिक करते हैं। किन्तु जिन किसानों के पास भूमि कम है, वे प्रायः अपनी भूमि का प्रमुख उपयोग अपनी आवश्यकता जैसे, भोजन की पूर्ति करने वाले वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं। किन्तु किसानों की आर्थिक स्थिति में जैसे-जैसे सुधार होता जाता है, नकदी अथवा मौद्रिक फसलो की पैदावार बढ़ाते जाते हैं।

(स) फसल-बीमा-सुविधा—मानसून की अनिश्चितता किसानों की कमर को तोड़ देती है। यदि फसलो के नष्ट होने पर फसल-बीमा-सुविधा के अन्तर्गत क्षति-पूर्ति की सुविधा है, तो किसान फसलो के स्वरूप में परिवर्तन ला सकता है। उदाहरणार्थ अपने देश के कई शुष्क क्षेत्रों में बीमा की व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद ज्वार-बाजरे आदि की फसल में वृद्धि हो रही है।

(द) भू-व्यवस्था—भू-व्यवस्था यदि ऐसी है कि कृषक अपने उपार्जन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो कृषक मौद्रिक फसलों का अधिक उत्पादन करेंगे।

(ध) आदानों की उपलब्धियाँ—जब कृषको को अच्छे बीज, उर्वरक, जल,

भण्डार गृह, यातायात एवं विपणन को व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तो किसान प्रगतिशील फसलो का उत्पादन बढ़ाते हैं।

(र) साख की सुविधा—यह भी फसल के स्वरूप को प्रभावित करती है। साख की सुविधा होने पर कृषक अच्छी एवं मूल्यवान फसलो का उत्पादन करते हैं।

6 सरकारी कार्यवाही सम्बन्धी घटक—इसके अन्तर्गत प्रशासकीय एवं विधि सम्बन्धी घटक सम्मिलित किया जा सकता है। प्रशासन जिस प्रकार की फसलो का उत्पादन बढ़ाना चाहता है, उसकी यह विशेष व्यवस्था कर सकता है और उस फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अपने प्रशासन में, शासन प्रत्याशित फसल के उत्पादन में वृद्धि की व्यवस्था कर सकता है और तकनीकी और वैज्ञानिक सुविधा देकर उसका उत्पादन बढ़ा सकता है। विभिन्न प्रकार की कृषि अथवा फसले उनके क्रय-विक्रय सम्बन्धी नियम भी फसल के स्वरूप को प्रभावित करते हैं।

7 राजनैतिक स्थिति—इसमें हम देश की आन्तरिक एवं बाह्य राजनीति को सम्मिलित करते हैं। देश में आयात, निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, खाद्यान्न आदि की जैसी स्थिति रहेगी उसका प्रभाव फसल उत्पादन के स्वरूप पर पड़ेगा। यदि देश की स्थिति ऐसी है कि विदेशी निर्भरता को कम करना और खाद्यान्नो आदि में आत्म-निर्भरता को बढ़ाना है तो इन वस्तुओं का अधिक उत्पादन प्रारम्भ किया जायगा। भारतीय उदाहरण इस तथ्य को चरितार्थ करता है।

यद्यपि उपर्युक्त घटक फसलो के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, किन्तु इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी, विभिन्न प्रयत्न द्वारा लाये जा सकते हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में फसल उत्पादन रीति

प्रथम योजनावधि में खाद्य समस्या की गम्भीरता के कारण नकदी फसलो की अपेक्षा खाद्य फसलो के विकास को प्राथमिकता दी गयी। द्वितीय योजना काल में व्यापारिक फसलो का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, तृतीय व चतुर्थ योजना के अन्तर्गत इनके विकास हेतु सिंचाई, पौध संरक्षण, ऊँची उपज देने वाली किस्मों इत्यादि के कार्यक्रम तैयार किये गए।

छठवीं योजना में फसल उत्पादन के क्षेत्र में एक ओर खाद्यान्नो में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा दूसरी ओर कृषको की आय, एवं रोजगार में वृद्धि के लिए फसलो में विविधीकरण की नीति अपनाई जायेगी। कृषि क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएँ बल्प ही हैं। अतः उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकता पर जोर दिया जायेगा, कृषि उत्पादक एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए जायेंगे—(1) सिंचित क्षेत्रों में बहु-फसली व्यवस्था और वर्षा से सिंचित क्षेत्रों में मिश्रित फसल व्यवस्था अपनाना, (ii) अच्छे बीजों की कमी दूर करना, (iii) उत्पादन तकनीक में सुधार करना, (iv) फसलो की बीमारी पर नियंत्रण करना।

भारत में फसल के प्रतिरूप की विशेषताएँ

भारत में फसल के प्रतिरूप में मुख्यतया निम्नलिखित चार विशेषताएँ विद्यमान हैं—

1. फसलों की विशद किस्में—भारत एक बड़े महाद्वीप के समान है इसमें कई किस्म की मिट्टियाँ पाये जाने के कारण प्रायः प्रत्येक किस्म की फसल का उत्पादन करना सम्भव है। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं।

2. खाद्य फसलों की प्रधानता—भारत में कृषक फसलों का अध्ययन करते समय अपनी आवश्यकताओं पर ही अधिक ध्यान देता है इसलिए वह व्यापारिक फसलों की तुलना में खाद्य फसलों को प्राथमिकता देता है। अखाद्य फसलों की तुलना में खाद्य फसलों की प्रधानता को कुल फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में खाद्य और अखाद्य फसलों के प्रतिशत योगदान के आधार पर समझा जा सकता है, जैसा कि सारणी से स्पष्ट है—

भारत में बोई गई भूमि के क्षेत्रफल का वितरण

वर्ष	1950-51	1960-61	1973-74	1979-80
कुल बोया गया क्षेत्र (मि० हैक्टेयर)	131 9	152·80	169 50	171 00
खाद्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (क)	97·3	115·60	120·60	123·91
(ख)	78 3	75·65	74·70	72 50

सारणी से स्पष्ट होता है कि देश में कुल बोई गई भूमि में क्षेत्रफल का लगभग तीन चौथाई भाग खाद्य फसलों के अन्तर्गत है।

खाद्य फसलों में अनाजों का महत्त्व

खाद्य फसलों को सामान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) अनाज (II) गैर अनाज। अनाजों में गेहूँ एवं चावल का प्रमुख स्थान है जैसा कि सारणी से स्पष्ट है—

खाद्य फसलों के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रों का वितरण

वर्ष	1950-51	1970-71	1978-79	1979-80
अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्र	80·38	101·78	105·35	102 76
गैर अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्र	16·92	22·54	23·46	21·75

सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाद्य फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 80 प्रतिशत भाग अनाजों की फसल के अन्तर्गत है। अनाजों के उत्पादन को

इतना महत्त्व क्यों दिया गया है, इसका कारण उनकी ऊँची कीमते, जोखिम की कमी तथा उत्कृष्ट कोटि के बीजों की उपलब्धि है।

4. निकृष्ट अनाजों का उत्पादन

यद्यपि अनाजों के वर्ग में गेहूँ और चावल का प्रमुख स्थान है लेकिन भारतीय किसान ने ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ आदि के प्रति अपने अधिमान में कोई कमी नहीं की है। अनाज फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत भाग पर निकृष्ट कोटि के अनाजों का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है।

अनाजों के अन्तर्गत भू-क्षेत्र में निकृष्ट फसलों का अंशदान

वर्ष	1950-51	1960-61	1975-76	1979-80
निकृष्ट फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	48.15	48.86	42.23	41.80

सारणी से दो तथ्यों की जानकारी मिलती है—(1) अनाज के अन्तर्गत कुल भूमि के क्षेत्रफल में निकृष्ट फसलों का अंशदान काफी है। (ii) वर्ष 1960-61 के बाद निकृष्ट फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र के अनुपात में कमी हुई। इसका कारण सिंचाई सुविधाओं का विकास तथा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है।

फसल योजना (Crop Planning)

फसल नियोजना एक स्वस्थ और कुशल कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। ऐसी योजना के अभाव में देश के आर्थिक प्रसाधनों का दुरुपयोग होता है तथा उत्पादकता को ठेस पहुँचती है। फसल नियोजन के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं।

1. फसलों के हेर-फेर का स्वरूप—यदि फसलों का उचित हेर-फेर किया जाय तो मिट्टी की उर्वरता अधिक समय तक कायम रह सकती है और भूमि को परती छोड़ने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है इसके अतिरिक्त फसलों का हेर-फेर पौधों के रोग और महामारियों पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है।

2. मिश्रित फसलें बोना—मिश्रित फसलें बोने का अर्थ एक ही खेत में एक से अधिक फसलें एक ही वक्त में बोने से है। मिश्रित फसलों की पद्धति तब अधिक उपयोगी होती है जबकि एक फसल तो गहरी जोड़ो वाली हो और उसके पौधों को एक दूसरे से काफी दूर पर लगाना पड़ता हो और दूसरी फसल छोटे-छोटे पौधे वाली हो जिन्हें कि पहली फसल के दो पौधों के मध्य लगाया जा सकता है।

3. फसलों का वितरण—इसके अन्तर्गत यह निश्चित किया जाता है कि कौन सी फसलें कौन से क्षेत्र में उगाई जाय तथा सम्बद्ध क्षेत्र में फसल वास्तव में कितनी भूमि पर बोई जाय।

भारत में फसल नियोजन की आवश्यकता

एक आदर्श फसल नियोजन अर्थव्यवस्था के बहुत से लाभ हैं किन्तु भारत में इसे अच्छी तरह से नहीं अपनाया गया है यद्यपि यह सत्य है कि फसल नियोजन के लिए सभावनाएँ हमारे देश में हमारे आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सीमित हैं। किन्तु यह आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का उपाय भी फसल नियोजन ही है। भारत में फसल नियोजन के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं—

1. गहन अनुसंधान—चूँकि फसल नियोजन एक प्रावैगिक और बहुमुखी क्रिया है इसलिए हमें इसके सम्बन्ध में काफी अनुसंधान करना पड़ेगा। अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं—

(अ) विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल हेर-फेर—यह अनुसंधान करना होगा कि किस प्रकार के फसल हेर-फेर देश के किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेगे।

(ब) विषम जलवायु को झेलने वाली फसल-किस्मों का विकास—ऐसी विभिन्न फसलों वाली किस्मों का विकास करना होगा जो कि जलवायु की विषमताओं को सहन कर लें और साथ ही भरपूर फसल भी प्रदान करे।

(स) मिट्टियों के अनुरूप फसलों का विकास—ऐसी फसलों का भी विकास करना होगा जो हमारी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को जिसका आजकल गलत शोषण हो रहा है, उचित प्रकार से प्रयोग कर सके।

(द) विभिन्न फसलों की पोषण आवश्यकताएँ—यह भी पता लगाना होगा कि विभिन्न फसलों की पोषण आवश्यकताएँ क्या हैं और विभिन्न फसल रोगों महा-मारियों, कुकुरमुत्ता और मिट्टी में उनके द्वारा छोड़े गये नाइट्रोजन तत्त्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगे।

2. फसल नियोजन सम्बन्धी अध्ययन—क्षेत्रों के मध्य व्यापारिक एवं खाद्य फसलों के बीच वितरण की दृष्टि से सरकार को फसल नियोजन हेतु अध्ययन कराने होंगे और यह पता लगाना होगा कि विभिन्न कीमतों तथा लगान प्रेरणाओं के प्रति किसान क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं।

3. किसानों को शिक्षित करना—किसानों को शिक्षित करने से नात्पर्य यह है कि कृषि अनुसंधान के परिणामों की सूचना किसानों को प्रभावशाली ढङ्ग से देने और नयी तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने से है।

4. वित्तीय सहायता देना—नयी तकनीकों अपनाने पर जहाँ कृषकों को अतिरिक्त विनियोग करने पड़ेंगे वहाँ उन्हें वित्तीय सहायता भी देना होगा इस दिशा में प्रयोगात्मक फार्म नव प्रचलित तकनीकों के प्रभाव का क्रियात्मक प्रदर्शन करके इस दिशा में मार्ग दर्शन कर सकते हैं।

5. प्रेरणादायक कार्यक्रम बनाना—विभिन्न फसलों के बीच उचित सन्तुलन बनाये रखने के लिए सरकार को प्रेरणादायक योजनाएँ लागू करने के कार्यक्रम बनाने होंगे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फसलों के नियोजन की भारत में अत्यधिक

आवश्यकता है और इसकी लाभदायकता निर्विवाद है। भारत में फसल के भावी प्रतिरूप के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए—

- (1) निकृष्ट अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल को कम करना तथा
- (ii) इस प्रकार से उपलब्ध क्षेत्रफल का प्रयोग गैर-अनाज तथा व्यापारिक फसलों के लिए करना।

फसलों के प्रतिरूप में उपर्युक्त परिवर्तनों के लिए सरकार विशेष फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बीज, पानी, उर्वरक आदि आगतों को रियायती दरों पर उपलब्ध करा सकती है। एक क्षेत्र में किसी विशेष फसल के उत्पादन के लिए करो में छूट तथा आर्थिक सहायता एवं प्रलोभन प्रदान किए जा सकते हैं।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत की फसलों के बारे में बतलाइए और उनकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए।
2. भारत के फसल-स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। फसल-स्वरूप के निर्धारण में कौन-कौन से घटक प्रभाव डालते हैं ?
3. भारत के आधुनिक फसल-स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। क्या भारतीय फसल-स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आवश्यक सुझाव दीजिए।
4. भारत में फसल नियोजन की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का विवेचन कीजिए।

भारत में सिंचाई

(Irrigation in India)

अर्थ—जब कृषि कार्यों के लिए वर्षा पर्याप्त नहीं होती तब कृत्रिम रूप से अर्थात् तालाब, नहरों, ट्यूबवेल आदि साधनों से पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है तो उसे सिंचाई कहते हैं। फ़ील्ड के शब्दों में “कृषि के उद्देश्य से जहाँ आवश्यक हो कृत्रिम रूप से पानी देने को सिंचाई कहते हैं।”

विशेषताएँ—उपर्युक्त परिभाषा है सिंचाई में निम्न तीन विशेषताओं का आभास होता है—

1. पानी की कृत्रिमता—कृषि कार्यों के लिए पानी का उपयोग कृत्रिम रूप से किया जाता है।
2. कृत्रिम पानी खेत में दिया जाना—पानी कृत्रिम रूप से खेतों में ही दिया जाना चाहिए। उसका उपयोग तालाब या अन्यत्र इकट्ठा करने के लिए नहीं होना चाहिए।
3. कृत्रिम पानी देने का उद्देश्य कृषि करना—कृत्रिम पानी देने का उद्देश्य कृषि करना ही होना चाहिये।

सिंचाई का महत्त्व या आवश्यकता

भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की पैदावार अन्य चीजों के साथ-साथ पर्याप्त सिंचाई पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि को ‘मानसून का जुआ’ कहा गया है। वर्षा पर निर्भर रहने के कारण ही हमारी कृषि में अस्थिरता रही है। सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि में स्थिरता उत्पन्न की जा सकती है।

भारत में सिंचाई का महत्त्व—अन्य देशों की अपेक्षा भारत जैसे देश के लिए सिंचाई का विशेष महत्त्व है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

1. वर्षा की अनिश्चितता तथा अनियमितता—भारत में वर्षा किसी वर्ष होती है तो किसी वर्ष नहीं और यदि होती भी है तो समय से बहुत पहले अथवा समय से बहुत बाद में। देश के किसी भाग में कम और किसी भाग में अधिक वर्षा होती है।

अतः भारतीय कृषि की स्थिरता के लिए सिंचाई की सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

2 वर्षा के वितरण में असमानता—भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती । अतः अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के उपयुक्त साधनों को जुटाना आवश्यक है ।

3 खाद्यान्न तथा कच्चे माल की आवश्यकता—देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को आवश्यक खाद्यान्न की प्राप्ति तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल को जुटाने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधनों का होना आवश्यक है । सिंचाई के साधन बढ़ाकर वर्षों में तीन फसलें उगाई जा सकती हैं ।

4 वर्षा का ऋतु विशेष में ही होना—शरदकालीन वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है । अतः शरद ऋतु की फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध करना अनिवार्य हो जाता है ।

5 मिट्टी में विभिन्नता—देश में अधिकांशतः मिट्टी बलुई है जो कि नमी को अधिक समय तक कायम नहीं रख सकती । अतः इस कारण से कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है ।

6 विशिष्ट फसलें—भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं, जिनके लिए लगातार और अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है । ऐसी फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है ।

7 रोजगार के अवसरों में वृद्धि—सिंचाई का महत्त्व इसलिए भी है कि इससे कृषि में नये रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे । पहले तो सिंचाई के साधनों का निर्माण तथा उनको संचालित करने में कई व्यक्तियों को रोजगार मिलता है; दूसरे सिंचाई के साधनों की उपलब्धि से जो साल में दो या दो से अधिक फसलें पैदा करना सम्भव हो जाता है, उससे किसानों को अधिक मात्रा में काम अथवा रोजगार प्राप्त होगा और पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी दूर होगी ।

8 उपज की किस्म में सुधार—सिंचाई से उपज की मात्रा के बढ़ने के साथ-साथ किस्म में भी सुधार होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और उनका रहन-सहन का दर्जा ठीक होता है ।

9. नयी भूमि पर खेती सम्भव—भारत में कुछ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है । सिंचाई के साधनों का विस्तार करके अतिरिक्त जमीन खेतों के अन्तर्गत लाई जा सकती है । ऐसी भूमि को सिंचाई के बिना खेती के लिए कभी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । राजस्थान में राजस्थान नहर के बन जाने से नयी भूमि पर पहली बार कृषि प्रारम्भ की जायेगी । इस प्रकार सिंचाई से विस्तृत खेती भी सम्भव बन जाती है ।

10 हरित क्रान्ति की सफलता का आधार—भारतीय कृषि इस समय हरित क्रान्ति के दौर में गुजर रही है । उसमें गहन कृषि, बहु-फसली कार्यक्रम, उत्पादकता

वृद्धि इत्यादि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इन कार्यक्रम की सफलता के लिए सिंचाई के साधनों का शीघ्र विकास और सदुपयोग अत्यन्त आवश्यक है।

11 अकाल के भय से छूटकारा—सिंचाई के अभाव में अकाल पड़ने का भय बना रहता है। जब से भारत में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है तब से अकालों की बारम्बारता व भीषणता घट गयी है।

12. सरकार की आय में वृद्धि—सिंचाई के लिए प्रयोग किये गये कृत्रिम साधनों से केवल कृषि और कृषक की ही उन्नति नहीं होती, वरन् देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। उत्पादन में वृद्धि होने से जनसंख्या के जीवन-स्तर में वृद्धि के साथ ही व्यापार में उन्नति और इसके साथ ही व्यक्ति और सरकार दोनों की आय में वृद्धि होती है फलस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ एवं उन्नति-शील होती है।

अतः सिंचाई के साधनों का भारत में बड़ा महत्त्व और अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ इन साधनों के विकास की बहुत आवश्यकता है। सर चार्ल्स ट्रिबिलियन ने ठीक ही कहा है, “भारत में सिंचाई का सर्वोपरि महत्त्व है। पानी सोने से भी अधिक मूल्यवान् है।”

भारत में सिंचाई के साधन

योजना आयोग ने सिंचाई के साधनों को निम्न तीन वर्गों में बाँटा है—


1. बृहद् सिंचाई योजनाएँ—सिंचाई की उन सभी योजनाओं को बृहद् माना जाता है, जिन पर पाँच करोड़ रुपये से अधिक व्यय करना होता है। इनमें मुख्य रूप से बड़ी-बड़ी नहरें और बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाएँ आती हैं।

2. माध्यम सिंचाई योजनाएँ—ऐसी सिंचाई योजनाओं को मध्यम सिंचाई योजनाओं में शामिल किया जाता है, जिन पर 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक व्यय होता है। इस वर्ग में प्रायः मध्यम श्रेणी की नहरें आती हैं।

3. लघु सिंचाई योजनाएँ—इनमें उन योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें 25 लाख रुपये से कम व्यय होता है। लघु सिंचाई योजनाओं में तालाबों, नलकूपों तथा कुओं द्वारा सिंचाई होती है। परन्तु सूखे की स्थिति में सिंचाई के ये साधन उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि इनमें जल का अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुरक्षण पर भी बराबर व्यय करना पड़ता है।

अध्ययन की दृष्टि से सिंचाई के साधनों का हम 3 शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—जैसा कि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है—

सिंचाई के साधन



1. नहरें

नहरों का वर्गीकरण—नहरे मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं—

1. **स्थायी नहरें**—इन नहरों में पूरे वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि ये उन नदियों से निकाली जाती हैं, जिनमें बारहों महीने पानी भरा रहता है। जैसे—यमुना, गंगा, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र से निकाली गई गंगा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, शारदा नहर आदि स्थायी नहरे हैं।

2. **बरसाती नहरें**—देश में कई नदियाँ ऐसी हैं, जो केवल वर्षा ऋतु में ही पानी से भरती हैं और शेष समय में सूखी पड़ी रहती हैं। ऐसी नदियों से जो नहरें निकाली जाती हैं उनमें पानी केवल बरसात में ही रहता है।

3. **तालाबी नहरें**—इस प्रकार की नहरों का निर्माण किसी नदी में बाँध बना कर बरसात का पानी एकत्र करके किया जाता है। ऐसी नहरों में आवश्यकता के समय पानी छोड़ा जाता है, शेष समय में ये सूखी रहती हैं। इस प्रकार की नहरें प्रायः दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में पाई जाती हैं।

नहरों की विशेषताएँ—नहरों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(i) **निर्माण का क्षेत्र**—नहरों का निर्माण केवल ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है जहाँ की मिट्टी समतल व मुलायम होती है। यद्यपि नहरों द्वारा सिंचाई का विशेष महत्त्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में है परन्तु राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल आदि प्रदेशों में भी नहरों से सिंचाई की जाती है। भारत के लगभग सभी राज्यों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है।

(ii) **नहरों की लम्बाई और सिंचाई क्षेत्र**—भारतीय नहरों की लम्बाई लगभग 1 लाख 21 हजार किलोमीटर है। नहरों द्वारा 12.18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है जो देश के कुल सिंचित क्षेत्र का 41.9% है।

नहरों द्वारा सिंचाई से लाभ

नहरों द्वारा सिंचाई करने से प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

1. **सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि**—नहरों के कारण खेती ऐसे स्थानों पर भी होने लगी है जो पहले नहरों के अभाव में बेकार थे। अतः नहरों से कुल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होती है।

2. **भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि**—नहरों के पानी में अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है।

3. **सस्ता एवं सरल साधन**—भारत के समतल और मुलायम मिट्टी वाले क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई का सस्ता और सरल साधन है।

4. **व्यापारिक फसलें**—कुछ व्यापारिक फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता

होती है, जैसे—गन्ना, कपास, गेहूँ तथा तम्बाकू । नहरों के विकास से इनको उत्पन्न करना सरल हो गया है ।

5. बाढ़ पर नियन्त्रण—बाढ़ के समय नदियों के पानी को नहरों में बाँट कर संकट कम किया जा सकता है ।

6. भूमिक्षरण पर रोक—नहरों के तटों पर वृक्षारोपण करके भूमिक्षरण पर रोक लगाई जा सकती है ।

7. कृषकों की आर्थिक अवस्था में सुधार—नहरों से किसानों की आर्थिक अवस्था सुधर जाती है । उनको सिंचाई में व्यय कम करना पड़ता है एवं उत्पादन में वृद्धि हो जाती है जिससे उनकी क्रय-शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है ।

8. आन्तरिक यातायात का विकास—नहरों के निर्माण से आन्तरिक यातायात का विकास होता है ।

9. सरकार की आय में वृद्धि—नहरों के द्वारा सरकार को कर के रूप में स्थायी आय प्राप्त होती है, जिससे सरकार की कुल आय में वृद्धि हो जाती है ।

10. सारे वर्ष सिंचाई—भारत में अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं, जिनसे नहरों में भी प्रायः हर समय पानी मिल जाता है एवं उससे सारे वर्ष भर सिंचाई की जा सकती है ।

11. अन्न संकट की समस्या का हल—नहरों के निर्माण से देश के प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हो गयी है जिससे दुर्भिक्ष एवं अन्न संकट का सामना किया जा सकता है ।

नहरों द्वारा सिंचाई के दोष

1. उर्वराशक्ति का क्षीण होना—अधिक सिंचाई से निचली भूमि की सतह पर हानिकारक नमक जमा हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वराशक्ति क्षीण हो जाती है ।

2. मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों का प्रकोप—जिस भूमि में नहर का पानी जमा हो जाता है, वहाँ मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि पानी भरा रहने के कारण भूमि दलदली हो जाती है । जिससे मलेरिया एवं संक्रामक रोगों का जन्म हो जाता है ।

3. उचित कीमत का अभाव—सिंचाई अधिक हो जाने के कारण भूमि से इतनी अधिक फसलें प्राप्त हो जाती हैं कि कृषकों को उनकी उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है ।

4. कुओं में पानी का कम हो जाना—जिस भाग में नदियों से नहरें निकाली जाती हैं, वहाँ पानी की कमी हो जाने से आस-पास के भागों में भूमि के नीचे के जल की सतह नीची होने लगती है जिससे कुओं में पानी कम हो जाता है ।

5. आपस में झगड़े होना—कभी-कभी नहरों में पानी के कारण कृषकों में संघर्ष हो जाता है । कारण यह है कि प्रत्येक किसान अपने खेत में पहले पानी देना चाहता है ।

6. धन-जन की हानि—कभी-कभी नहरों की पटरियाँ टूट जाती हैं जिससे आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ के कारण अनेक लोग एवं पशुओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है तथा अपार जन-धन की हानि होती है।

7. फसलों की क्षति—कभी-कभी बहुत-सा जल खेतों तक ही नहीं पहुँच पाता। नहर विभाग के सरकारी कर्मचारी रिश्वत न मिलने के कारण प्रायः किसानों को नियमित रूप में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं देते। इसका फल यह होता है कि किसानों की लहलहाती फसल भी सूख जाती है।

2. कुएँ

भारत में कुओं द्वारा सिंचाई करने का ढंग प्राचीन काल से चला आ रहा है। कुएँ भी दो प्रकार के होते हैं—(अ) कच्चे कुएँ और (ब) पक्के कुएँ। कच्चे कुओं को खोदने में लगभग 300 रु० और पक्के कुएँ को खोदने में लगभग 4 हजार रु० लगते हैं।

विशेषताएँ—सिंचाई में इस साधन की प्रमुख विशेषताएँ, इस प्रकार हैं—

1 कुएँ से सिंचाई करने के ढंग—कुएँ से सिंचाई के प्रमुख तीन ढंग हैं—

(1) पुर या चरस—इसमें चमड़े के एक बड़े पुर की मोटी रस्सी से बाँध कर एक जोड़ी बैलों की सहायता से कुएँ से पानी निकाला जाता है। इसमें तीन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति बैलों को हँकता है, दूसरा पुर लेता है व तीसरा खेत में पानी लगाता है। हमारे प्रान्त में कुओं से इसी विधि से अधिक सिंचाई की जाती है।

(11) रहट—एक पहिये पर बाल्टियों की माला लटकती रहती है। बैलों के साथ-साथ पहिया घूमता है और बाल्टियों की माला पहिये पर घूमती जाती है। इस प्रकार बारी-बारी बाल्टियों में से पानी गिरता रहता है और नाली में होकर खेत में जाता रहता है।

(111) डेकली—लट्टे के एक सिरे पर कुछ बोझ बाँध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर डोल बँधा रहता है। डोल को डुबा देने पर लट्टे को छोड़ देते हैं, तो बोझ वाला सिरा नीचे आता है और डोल वाला सिरा ऊपर उठता है। इस प्रकार भरा हुआ डोल ऊपर आ जाता है।

2. क्षेत्र—कुओं द्वारा सिंचाई का सबसे अधिक क्षेत्र राजस्थान में है। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु का स्थान है।

3 सिंचाई क्षेत्र—भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 33% भाग यानी लगभग 84 लाख हेक्टेयर भूमि पर कुओं द्वारा सिंचाई होती है।

कुओं से सिंचाई के लाभ

1. कम व्यय—नहरों की तुलना में कुओं से सिंचाई करने में अधिक आसानी

रहती है व व्यय भी कम होता है। क्योंकि कुआँ स्वतन्त्र एवं भरोसे का सिंचाई का साधन है।

2. उर्वराशक्ति में वृद्धि—कुएँ के पानी में अनेक रासायनिक पदार्थ घुले रहते हैं जो कि भूमि को उर्वराशक्ति प्रदान करते हैं। इन पदार्थों में नाइट्रेट, सल्फेट, सोडा तथा क्लोराइट का प्रमुख स्थान है।

3. सिंचाई का स्वतन्त्र साधन—नहरो व शासकीय नलकूपों की तरह कृषक को कुएँ से सिंचाई करने में किसी प्रकार का बन्धन नहीं होता है। आवश्यकतानुसार वह कुएँ के पानी का प्रयोग कर सकता है।

4. कम भूमि का बेकार होना—कुओं को खोदने में कम भूमि नष्ट होती है जिससे कृषि योग्य भूमि में कमी नहीं होने पाती है।

5. क्षार-फूटने की समस्या उत्पन्न नहीं होती—चूँकि कुओं का पानी प्रायः स्वच्छ रहता है इसलिए इस पानी से सिंचाई करने पर क्षार फूटने की समस्या उत्पन्न नहीं होती।

6. फसल को आवश्यकतानुसार पानी मिलना—कुएँ की सिंचाई से एक लाभ यह भी है कि फसलों को उनकी आवश्यकतानुसार पानी दिया जा सकता है।

कुएँ द्वारा सिंचाई के दोष

1. सीमित क्षेत्र—कुएँ से केवल सीमित क्षेत्रों में ही सिंचाई हो सकती है। अतः बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं है।

2. खारा जल—अधिकांश कुओं का जल खारा होता है जो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह फसलों को भी नष्ट कर देता है।

3. सिंचाई की असुविधा—जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल बहुत नीचे रहता है वहाँ कुएँ द्वारा सिंचाई में बहुत असुविधा रहती है। प्रायः कुओं के जल खींचना एक थका देने वाला कार्य होता है।

4. जल-स्तर में कमी की आशंका—कुएँ से निरन्तर पानी निकालते रहने से अथवा सूखा पड़ने से पानी भी कम हो जाता है अथवा कभी-कभी सूख भी जाता है, जिससे सिंचाई में बाधा पड़ती है।

5. मरम्मत पर अधिक व्यय—कच्चे कुएँ के निर्माण में यद्यपि कम रुपये लगते हैं परन्तु वे जल्दी ही खराब हो जाते हैं, अतः कच्चे कुओं पर अधिक मरम्मत व्यय करना पड़ता है।

6. पर्याप्त पूँजी—केवल देखने में ही लगता है कि कुआँ सिंचाई का सस्ता साधन है किन्तु प्रारम्भ में ही किसानों को कुएँ के निर्माण के लिए भारी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है।

7. कुछ प्रदेशों में कुएँ से सिंचाई करने में कठिनाई—कुछ प्रदेशों या क्षेत्रों में जल का स्तर बहुत नीचा रहता है अतः स्थानों पर कुआँ खोदने में अधिक व्यय करना पड़ता है।

नलकूपों द्वारा सिंचाई

जिन कुओ से डीजल इंजन अथवा बिजली की मोटर द्वारा पानी निकाला जाता है उनमें नल गहराई तक ठोकना पड़ता है, इसलिए ऐसे कुओ को नलकूप या बिजली के कुएँ कहते हैं।

सर्वप्रथम 'नलकूपों' का निर्माण 1930 में उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. नलकूपों के लिए आवश्यक दशाएँ—(i) नलकूप निर्माण के लिए आवश्यक है कि उपभूमि जल भूमि की सतह से बहुत कम गहराई पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। (ii) तल का धरातल भूमि से 150 मीटर की गहराई से अधिक नहीं हो तथा उसका तल साधारण तल से नीचा हो। (iii) सस्ती विद्युत शक्ति की उस क्षेत्र में सुविधा हो। यह साधारणतः दो पैसे प्रति इकाई से अधिक न हो। (iv) मिट्टी इतनी उपजाऊ हो कि नलकूप निर्माण में किया गया व्यय उस पर अधिक उत्पादन करके प्राप्त किया जा सके। (v) सिंचाई की माँग औसत रूप से वर्ष भर में 3200 घण्टे हो।

2. लागत—एक नलकूप 60 फुट से लेकर 400 फुट तक की गहराई से पानी निकाल सकता है। एक नलकूप के निर्माण में 50 से 80 हजार रुपये तक लग जाते हैं।

3. सिंचाई क्षमता—नलकूप काफी गहराई से पानी खींच लेते हैं। एक नलकूप से सामान्यतः 200 हेक्टेयर भूमि तक सींची जा सकती है। अतः ये विस्तृत क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।

4. निर्माण क्षेत्र—नलकूपों से अधिकांशतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एवं बिहार में सिंचाई होती है।

5. सिंचाई क्षेत्र—देश के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 17% भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है।

नलकूपों द्वारा सिंचाई से लाभ

1. सस्ता और श्रेष्ठ साधन—नलकूप के निर्माण में प्रथम बार अवश्य ही बड़ी मात्रा में पूँजी लगानी पड़ती है परन्तु बाद में व्यवस्था और संचालन व्यय कम होने के कारण सिंचाई भी सस्ती होती है।

2. फसलों की रक्षा—सभी स्थानों में नहरों द्वारा सिंचाई सम्भव होने पर भी कुछ भूमि नहरी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती है, जिससे हानि की सम्भावना रहती है। परन्तु नलकूपों से सिंचाई करने में वह फसलों के लिए अधिक लाभदायक होती है।

3. बड़े पैमाने पर कृषि—भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ सिंचाई का अत्यधिक महत्त्व है। बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए नलकूपों का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है।

4. सिंचाई में निश्चितता—नहर के पानी की अपेक्षा नलकूपों का पानी सिंचाई

के लिए अधिक उपयुक्त होता है। साथ ही नलकूपो से सिंचाई निश्चित समय पर की जा सकती है। प्रत्येक किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में नलकूपो से पानी ले सकता है।

5. मानव एवं पशु श्रम में बचत—नलकूप से कृषको और उनके बैलो, ऊँटो एवं भैंसों आदि पशुओ के श्रम में बचत होती है।

6. क्षार फूटने व जल लगनता की समस्या का अभाव—नलकूपो द्वारा सिंचाई करने में ये समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती।

7. कृषि उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि—नलकूपो की सहायता से रेतीली व बंजर भूमि आदि में भी खेती सम्भव हो जाती है, फलतः कृषि उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है।

8. अधिक फसलें उगाना—जिन स्थानों पर नलकूप है वहाँ आवश्यकतानुसार पानी मिला जाने के कारण किसान तीन-तीन फसलें उगाने लगे हैं।

9. व्यापारिक फसलों का उगाना—नलकूपो की सहायता से कृषि उपज में वृद्धि तो होती ही है साथ ही किसान व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास आदि भी उगाने लगते हैं।

नलकूपो के द्वारा सिंचाई के दोष

1. अधिक पूँजी की आवश्यकता—नलकूपो के निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है इसलिए एक निर्धन किसान नलकूप नहीं लगा सकता है।

2. सफाई पर अधिक व्यय—नलकूपो के पुराने पड जाने पर इनकी सफाई पर बहुत अधिक व्यय करना पडता है।

3. सरकारी कर्मचारियों का द्वारा भ्रष्टाचार—सरकारी नलकूपो के कर्मचारी नलकूपो से पानी देते समय रिश्वत लेते हैं इससे किसानों को पानी महँगा पडता है।

4. प्रतियोगिता के अभाव—जहाँ पर सरकारी नलकूप होते हैं, वहाँ पर व्यक्तिगत नलकूपो के लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, फलतः किसान प्रतियोगिता से होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं तथा नलकूप के खराब होने पर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और उनकी फसल सूख जाती है।

3. तालाब

भूमि पर अपने आप बने हुए या कृत्रिम तरीको से बनाए गये गड्ढे, जिनमें वर्षा का जल भर जाता है, तालाब कहलाते हैं। बड़े तालाबो को झील के नाम से पुकारा जाता है।

तालाब दो प्रकार के होने हैं—1. प्राकृतिक तथा 2. कृत्रिम। 1. प्राकृतिक तालाब—वर्षा का जल प्राकृतिक गड्ढो में इकट्ठा कर लेते हैं जिन्हें प्राकृतिक तालाब

कहते हैं। 2. कृत्रिम तालाब—किसी नदी पर बाँध बनाकर जलाशय बना लिया जाता है, जिन्हें कृत्रिम तालाब कहते हैं। तालाब की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. सिंचित क्षेत्र—तालाबों द्वारा 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है जो कुल सिंचित क्षेत्र का 12 प्रतिशत है।

2. क्षेत्र—तालाबों द्वारा सिंचाई का मुख्य प्रयोग दक्षिणी राज्यों, आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल में होता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र तथा राजस्थान आदि राज्यों में भी तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रचार है। आन्ध्र का 'उपमान सागर', कर्नाटक का 'कृष्ण सागर', केरल की 'पेरियल झील' तथा उदयपुर की 'ढेबर झील' प्रसिद्ध जलाशय हैं। मध्य प्रदेश में इन्दौर, ग्वालियर तथा भोपाल में बड़े-बड़े तालाब हैं।

3. दक्षिण में तालाबों का अत्यधिक प्रसार—दक्षिण भारत में तालाबों के अत्यधिक प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) पथरीली भूमि—पथरीली भूमि होने के कारण इस क्षेत्र में कुएँ और नहर खोदना कठिन है।

(ii) नदियों के झोत—दक्षिण भारत की नदियाँ गर्मी में प्रायः सूख जाती हैं, जिससे नहरों का निर्माण नहीं किया जा सकता। अतः तालाबों का निर्माण किया जाता है।

(iii) बाँधों के निर्माण की सुविधा—दक्षिण भारत की नदियों की तंग घाटियों में बाँध बनाना आसान होता है। अतः बाँध बनाकर पानी एकत्र करके तालाब बनाए जा सकते हैं।

(iv) अनुकूल साधन—तालाब दक्षिण भारत की प्रकृति के अनुकूल सिंचाई का उत्तम साधन है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप में बड़े-बड़े गड्ढे मिलते हैं, जिनमें थोड़ा सुधार करके तालाबों का निर्माण किया जा सकता है।

(v) बिखरे हुए खेत—दक्षिण भारत के पठारी भाग में अनेक छोटे-छोटे खेत ऊँचे स्थलों पर बिखरे हुए हैं, जहाँ सिंचाई का कार्य तालाबों द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

तालाबों द्वारा सिंचाई के लाभ

1. ये सिंचाई के सस्ते व सरल साधन हैं। 2. तालाबों से सिंचाई पर भूमि की उर्वरा-शक्ति में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि तालाबों में वर्षा जल तथा गन्दगी का सम्मिश्रण रहता है। 3. पथरीली भूमि पर कुआँ खोदना कठिन होता है इसी कारण दक्षिण भारत में तालाबों की सिंचाई का बहुत महत्त्व है। 4. तालाबों से वर्षा के पानी का उचित उपयोग सम्भव हो जाता है। 5. तालाबों में मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं, जिससे कुछ सीमा तक खाद्य समस्या हल हो जाती है।

तालाबों द्वारा सिंचाई के दोष

1. जिस वर्ष वर्षा कम होती है, तालाबों का पानी सूख जाता है जिससे सिंचाई

कार्य में बाधा पड़ जाती है। 2 कुछ समय पश्चात् तालाबों में धीरे-धीरे रेत जमा हो जाती है जिससे साफ करने में बहुत धन व्यय होता है। 3 तालाब के निर्माण में जगह अधिक खर्च होती है। 4 तालाबों से खेत तक जल पहुँचाने में काफी श्रम व समय खर्च होता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई साधनों का विकास

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के साधनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। विभिन्न योजनावधियों में सिंचाई के साधनों का विकास निम्न प्रकार हुआ—

1 प्रथम पंचवर्षीय योजना—इस योजना अवधि में सिंचाई के विकास पर 380 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजना काल में 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का और अधिक विस्तार हुआ।

2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस काल में छोटी व मध्यम श्रेणी की लगभग 195 योजनाएँ बनाई गईं। इस योजनाकाल में सिंचाई आदि के विकास पर लगभग 800 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस काल में सिंचाई आदि के विकास पर 572 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस अवधि में लगभग 80 लाख हेक्टेयर नई भूमि पर सिंचाई की गई।

4 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत बड़ी, मध्यम एवं छोटी योजनाओं द्वारा सिंचाई का विस्तार किये जाने तथा वर्षा व सिंचाई व्यवस्था के अभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाने की व्यवस्था की गई थी।

5 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना—पंचवर्षीय योजना में सिंचाई विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई। पाँचवीं योजना के पहले चार वर्षों में 86 लाख हेक्टेयर क्षमता की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

6 छठी पंचवर्षीय योजना—इस योजना में बड़ी एवं मध्यम आकार की योजनाओं के 6702 करोड़ रुपये व छोटी योजनाओं के लिए 1415 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

1950-51 में देश का कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टर था जो 1978-79 में बढ़कर 5.26 करोड़ हेक्टर हो गया। 1979-80 के अन्त तक लगभग 17.50 करोड़ हेक्टर में फसले बोई गईं। 1951 में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 97 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी। 1979-80 के अंत तक अनुमानत. 1.69 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई।

सिंचाई से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ

1. संभाव्य का उचित उपयोग न होना—सरकारी आँकड़े यह बताते हैं कि भारत में सम्पूर्ण सिंचाई संभाव्य का उचित उपयोग नहीं हो रहा है।

आयोजना काल के प्रारम्भ में बड़ी व मध्यम परियोजना द्वारा सिंचाई की क्षमता का विकास और उसके उपयोग सम्बन्धी जानकारी सारणी में दी गई है।

योजना अवधि के अंत में अतिरिक्त क्षमता (लाख हेक्टेयर)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चौथी योजना	पाचवी योजना
क्षमता	25	46	69	112	151
उपयोग	13	34	55	91	115

सिंचाई की इन सुविधाओं का पूर्ण उपयोग न किये जाने का मुख्य कारण इस प्रकार है—(अ) विभिन्न निर्माण कार्यों का समन्वय न होना। (ब) खेतों में नालियों आदि के निर्माण में देर होना। (स) निर्माण कार्यों में फसलों की परिवर्तित रूप-रेखा के सम्बन्ध में सूचना आदि उपलब्ध न कराना। (द) कृषि सम्बन्धी आवश्यक चीजों और साख की पूर्ति के लिए अपर्याप्त व्यवस्था आदि।

2. क्षार आना एवं फसलों को अधिक पानी देना—सिंचाई सुविधाओं के होने से कभी-कभी खेत को अधिक पानी लग जाता है जिससे बीज सड़ जाता है व फसल नहीं उग पाती। इसी प्रकार खेत को खाली न छोड़ने से भी खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है जिसे क्षार आना कहते हैं।

3. सिंचाई की व्यवस्था होने पर भी एक से अधिक फसलें न उगाना—सिंचाई की व्यवस्था होने पर भी दो अथवा तीन फसलें न उगाना साधनों का दुरुपयोग है। पी० आर० राव तथा बालेश्वर नाथ की खोज के अनुसार अनेक राज्यों में, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उन स्थानों की तुलना में अधिक फसलें उत्पन्न की जाती हैं जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं।

4. सिंचाई की बढ़ती हुई लागत—सिंचाई के साधनों के विकास पर विचार करते समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि सिंचाई की व्यवस्था की लागत क्या है और उससे कितना लाभ मिलने की सम्भावना है? भारत में वृहद् और मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं द्वारा सिंचाई-संभाव्य उत्पन्न की प्रति एकड़ लागत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जैसे—(अ) अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण सिंचाई परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है। (ब) बहुधा सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन नहीं किया गया है जिसके कारण भी लागत में वृद्धि हुई है। (स) प्रशासनिक अकुशलता के कारण भी लागत बढ़ रही है।

5. चालू व्यय में वृद्धि—न केवल सिंचाई योजनाओं को पूरा करने की लागत बढ़ रही है, बल्कि इनके पूरा हो जाने के बाद इन पर किये जाने वाले चालू व्यय भी निरन्तर बढ़ रहे हैं। इसका यह फल हुआ है कि सिंचाई परियोजनाओं से सरकार को हानि हो रही है।

यद्यपि यह सत्य है कि सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन हम इनसे सरकार को होने वाले लाभ या हानि के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका महत्त्व तो शुद्ध सामाजिक लाभ द्वारा निश्चित होता है, परन्तु इसमें सदेह नहीं है कि सिंचाई परियोजनाओं से हानि होने पर सरकार की अधिक विनियोग करने की शक्ति कम हो जाती है। अतः इस हानि को पूरा करने के लिए पानी की दरों में संशोधन और कृषकों पर सुधार कर लगाया जा सकता है।

6. जलरोध (Water-Logging) जब सिंचाई नहरें जल-निकास नहरों (Drainage canals) को काटती हैं, तो वर्षा और बाढ़ का जल रुक जाता है, जिससे भूमि जलग्रस्त हो जाती है। कई बार साधारण तौर पर होने वाली वर्षा और बाढ़ों के कारण सिंचित क्षेत्र में पानी की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि लम्बे समय तक जलमग्न रहती है। अति सिंचन (Over-irrigation) जिसका आजकल बहुत प्रचलन होता जा रहा है, अवरोध का एक कारण है।

7. अव्यवस्थित सुविधाएँ—नहरों व अन्य सिंचाई योजनाओं से जो पानी खेतों को दिया जाता है वह उचित समय पर नहीं मिल पाता है, बल्कि कभी समय से पूर्व तो कभी बाद में। इससे किसान उचित लाभ नहीं उठा पाता।

भारत में सिंचाई की उन्नति के सुझाव

1. राशि का पूर्ण उपयोग—सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का पूर्ण उपयोग होना चाहिये।

2. उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग—देश के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधनों का पूर्ण उपयोग तथा विकास करना चाहिए।

3. सहकारी समितियों की स्थापना—कृषि क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिए, जो ट्रैक्टर, उत्तम बीज, श्रेष्ठ किस्म की खाद तथा ट्र्यूब-बेल व पम्पिंग सेट आदि का प्रबन्ध करें।

4. आर्थिक सहायता—सरकार को छोटी योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

5. प्रचार एवं प्रसार—ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कि निकट भविष्य में नहरों का निर्माण सम्भव नहीं है, ट्र्यूबवेल व पम्पिंग-सेट लगाने के लिए प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए।

6. सिंचाई योजनाओं में समन्वय—सिंचाई की जो भी योजनाएँ बनाई जायें, उनमें यह ध्यान रखना चाहिये कि बड़ी, मध्यम एवं छोटी योजनाओं में आवश्यक समन्वय रखा जाना चाहिए अथवा सिंचाई का समुचित विकास नहीं हो सकेगा।

7. अनुसंधान कार्य—देश में सिंचाई से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य अनवरत होना चाहिए।

8. नवीन योजनाओं का उद्देश्य—राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए

नवीन योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इन योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना होना चाहिए।

9. अपूर्ण योजनाओं की प्राथमिकता—अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने को प्राथमिकता देनी चाहिये। इससे विनियोग की गई पूँजी का उपयोग तथा लाभ की प्राप्ति होने लगेगी।

नवीन २० सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

परीक्षा प्रश्न

1. इस विचार की व्याख्या और जाँच करे कि “जल स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है।” भारत की मुख्य सिंचाई तथा जल विद्युत योजनाओं की प्रगति का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारतीय कृषि के लिए सिंचाई के साधनों का महत्त्व बताइए। भारत में सिंचाई के लिए कौन-कौन से साधन प्रचलित हैं? उनके विकास के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं?

अथवा

भारतीय कृषि के विकास में सिंचाई के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। सरकार द्वारा इनके प्रयास के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं?

अथवा

भारत में सिंचाई की कौन-सी मुख्य प्रणालियाँ हैं? पिछले दस वर्षों में देश के अन्दर सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाने के लिये किए गये प्रयत्नों की परीक्षा कीजिए।

अथवा

भारत में नियोजन काल में सिंचाई के सुधार के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों का विश्लेषण कीजिए।

अथवा

भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उनमें से प्रत्येक के पक्ष और विपक्ष में तर्कयुक्त विवेचना कीजिए।

[संकेत—इसमें सिंचाई का महत्त्व दीजिए तथा सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।]

2. “पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषि उत्पादन में वृद्धि की आशा करना कुछ नहीं, परन्तु भारतीय कृषि समस्याओं की पुनरावृत्ति से अनभिज्ञ रहने का प्रदर्शन मात्र था। कृषि उन्नति के अन्य समस्त दूसरे उपायों के विषय में बाद में विचार किया जाना चाहिए न कि सिंचाई के पूर्व।” इस कथन की समीक्षा कीजिए।

३ [संकेत—इस प्रश्न के उत्तर में सिंचाई का महत्त्व और उसकी आवश्यकता का वर्णन करना है।]

3 “यदि मानसून न आये तो कृषि उद्योग में ताला पड़ जाता है।” इस तथ्य का विवेचन कर कृषि में सिंचाई का महत्त्व समझाइए।

[संकेत—इस प्रश्न में कृषि के महत्त्व का वर्णन करना है।]

2. बाढ़ नियन्त्रण—भारत में बाढ़ को नियन्त्रित करने की यह उत्तम पद्धति है। किसी अन्य उपाय से बाढ़ की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

3. जल-विद्युत शक्ति—ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली प्राप्त होगी। फलस्वरूप कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास होगा। अतः ग्रामीणों की स्थिति में सुधार होगा।

4. मछली उद्योग का विकास—नदी घाटी योजनाओं से निर्मित झीलों में मत्स्य उद्योग की प्रगति के परिणामस्वरूप भोज्य पदार्थों में मूल्यवान तथा पौष्टिक पदार्थों की वृद्धि होगी तथा खाद्य समस्या का पूरक हल भी हो सकेगा। मत्स्य उद्योग अनेक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में भी समर्थ है।

5. आन्तरिक जल यातायात—नौका-चालन की सुविधा में वृद्धि होगी। फल-स्वरूप आन्तरिक व्यापार एवं आवागमन की सुविधा में वृद्धि होगी तथा रेलवे पर ट्राफिक का भार कम हो जाएगा।

6. रोजगार में वृद्धि—इन प्रायोजनाओं में काम चलने पर इनसे लोगों की आय में वृद्धि होगी तथा प्रायोजना पूर्ण हो जाने पर आवश्यक कर्मचारियों के काम करते रहने के रूप में रोजगार प्राप्त होगा।

7. वन आन्दोलन को प्रोत्साहन तथा चरागाह का विकास—नदी घाटी योजनाओं से बनारोपण कार्यक्रम में प्रगति होगी जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी। चरागाहों का विस्तार होने से पशु उद्योग का विकास होगा।

8. आय का स्रोत—नदी घाटी योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित बाँध सौन्दर्य स्थलों में परिणत हो जायेगे। प्राकृतिक दृश्यों की छटा से परिपूर्ण मनोरंजन के ये स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर आय की वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे तथा पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री नेहरू का यह कथन उल्लेखनीय है—“वे वस्तुतः देश के नये तीर्थ बन गये हैं, जिन्हें भारतीय श्रद्धा के साथ तथा विदेशी पर्यटक आश्चर्य के साथ देखते हैं।”

9. भू-संरक्षण—इन प्रायोजनाओं के अन्तर्गत वर्षा ऋतु में नदियों का पानी एक बहुत बड़ी मात्रा में जलाशयों या झीलों में एकत्रित कर लिया जाता है। अतः पानी का वेग कम होने से भूमि का कटाव कम हो जाता है।

10. देश में कुटीर-उद्योग-धन्धों एवं अन्य उद्योगों का विकास—इन परियोजनाओं के कारण देश में सस्ती चालक शक्ति प्राप्त होने लगती है जिससे कुटीर-उद्योग व अन्य उद्योग विकसित होने लगते हैं।

प्रमुख बहुउद्देश्यीय घाटी योजनाएँ

1. दामोदर घाटी योजना (Damodar Valley Project)

1. परिचय—दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। यह नदी छोट। नालपुर के पठार से निकल कर बिहार में बहते हुए पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में

मिल जाती है। इस नदी की बाढ़ को रोकने के लिए दामोदर घाटी की योजना बनाई गई है। इस योजना को अमेरिका की 'टेनेसी योजना' के आधार पर बनाया गया है।

2 प्रबन्ध—इस योजना का प्रबन्ध 'दामोदर घाटी कारपोरेशन' के अन्तर्गत किया जाता है। इसकी स्थापना 1948 मे हुई।

3. व्यय—इस योजना पर 170 करोड रु० व्यय होने का अनुमान है।

4. दामोदर घाटी योजना के उद्देश्य—इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(i) इस योजना से लगभग 1181 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिससे 800 कि० मी० दूरी वाले स्थानों पर बिजली की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(ii) सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ मिलने से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(iii) इस योजना के द्वारा उद्योग धन्धों को विद्युत शक्ति प्रदान की जाएगी तथा नये-नये कारखाने स्थापित किए जायेंगे।

(iv) लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धे भी जल-विद्युत की सहायता से विकास कर सकेंगे।

(v) नदियों पर बाँध बनाकर बाढ़ पर नियन्त्रण रखा जायेगा।

(vi) इस योजना के अन्तर्गत दलदलों को सुखाकर मलेरिया नियन्त्रण किया जाएगा।

(vii) नदियों पर बाँध बनाकर जलाशय का निर्माण कर नौका-विहार आदि मनोरंजन की व्यवस्था की जावेगी।

(viii) इस योजना के अन्तर्गत 8 बड़े और छोटे बाँधों का निर्माण होगा तथा उन जलाशयों मे मछलियों के विकास का प्रोत्साहन दिया जायेगा।

5 योजना—इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

1. मूल योजना मे दामोदर घाटी मे आठ बाँध बनाने का प्रस्ताव था। वर्तमान समय मे इस योजना मे दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर चार संग्रहण बाँध बनाने की व्यवस्था है। ये बाँध हैं—तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत। कोनार को छोड़ कर प्रत्येक के साथ 104 मेगावाट क्षमतावाले पन-बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है। इस योजना के सशोधित अनुमान के अनुसार दामोदर तथा उसकी सहायक नदियों पर दस बाँध बनाये जाएँगे जो ये हैं—(i) दामोदर नदी पर पंचेत आधर तथा बामो बाँध। (ii) बाराकर नदी पर मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी बाँध, (iii) बोकारो नदी पर बोकारो बाँध तथा (iv) कोनार नदी पर तीन बाँध बनाये जायेंगे।

2 दामोदर नदी पर दुर्गापुर मे एक बैरेज बनाने की व्यवस्था है जिससे नहरें और शाखायें निकाली जाएँगी।

दामोदर घाटी योजना निर्माण हो जाने के पश्चात् सम्भावित लाभ

इस योजना के निर्माण हो जाने के पश्चात् निम्नलिखित लाभ होंगे—

(क) **खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि**—इस योजना के निर्मित हो जाने पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ मिल सकेंगी जिसके फलस्वरूप कृषि की उपजों के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ख) **औद्योगिक विकास**—इस योजना के पूर्ण हो जाने पर उस क्षेत्र का उचित औद्योगिक विकास होगा।

(ग) **खनिज की प्राप्ति**—दामोदर नदी के बेसिन में बड़ी मात्रा में क्रोमाइट अन्नक, मैंगनीज, बाक्साइट, चूना, कोयला तथा लोहे के भण्डार हैं। किन्तु विद्युत शक्ति के अभाव के कारण इनका उचित उपयोग नहीं हो सका है।

2. भाखड़ा-नागल परियोजना (Bhakhra-Nangal Project)

1. **परिचय**—पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा व नागल स्थानों पर दो बाँध बनाये गये हैं। भाखड़ा सतलज का सबसे ऊँचा बाँध है। इसकी ऊँचाई 226 मी० है।

2. **व्यय व योजना**—इस योजना के निर्माण पर 236 करोड़ रुपये व्यय हुए। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें मुख्य हैं—

1. भाखड़ा बाँध भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज नदी के आर-पार बनाया गया है जो नदी के तल से 226 मी० ऊँचा और 518 मीटर लम्बा है।

2. भाखड़ा नहर प्रणाली के अन्तर्गत 173 किलोमीटर लम्बी भाखड़ा की मुख्य नहर, विस्त दोआब नहर, सरहिन्द नहर और नरवाना नहर हैं।

3. **नांगला बाँध**—भाखड़ा से 13 कि० मी० नीचे की ओर है। यह 29 मीटर ऊँचा और 395 मी० लम्बा तथा 121 मीटर चौड़ा है। इस बाँध में लगभग 32 हजार एकड़ फीट जल जमा होता है।

4. नांगल जल विद्युत नहर नांगल बाँध के बाँधों, किनारे से निर्माणी गई है जो लगभग 64 कि० मी० लम्बी और 8 मीटर गहरी है।

5. **शक्तिग्रह**—नागल जल विद्युत नहर पर तीन शक्तिग्रह बनाने की योजना है जिनमें दो शक्तिग्रह बाँध से 20 कि० मी० और 28 कि० मी० नीचे गगुवाल और कोटला में बनाये गये हैं। इन शक्तिग्रहों से 1,204 मेगावाट शक्ति तैयार होती है। तीसरा शक्तिग्रह रोपड के निकट बनाया गया है।

6. शक्ति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के उद्योगों और सड़कों पर प्रकाश के लिए उपयोग में आ रही है।

योजना के उद्देश्य व लाभ

(1) सतलज और यमुना के मध्यवर्ती भाग की सिंचाई करना, (2) सरहिन्द

नहर में जाल बनाकर उसके सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना, (3) गंगा नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई के लिए जल पहुँचाना; (4) जल से लगभग 12 किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करना, (5) वर्तमान समय में इस योजना से 14.6 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो रही है।

3. हीराकुण्ड परियोजना (Hirakund Dam Project)

परिचय—महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जिले से निकल कर उड़ीसा राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

योजना—(क) सर्वप्रथम सन् 1948 में हीराकुण्ड बाँध के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। (ख) 4,810.2 मीटर लम्बा हीराकुण्ड बाँध (उड़ीसा) संसार का सबसे लम्बा बाँध है। इसको दो चरणों में पूरा किया गया है। (ग) प्रथम चरण में उड़ीसा से सम्भलपुर तथा बलागीर जिलों के 2.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं। इसी चरण की एक सहायक योजना के रूप में महानदी डेल्टा योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके पूरा होने पर कटक और पुरी में 6.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी। (घ) वर्तमान में इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 270.2 मैगावाट है। इससे प्राप्त विद्युत का उपयोग हीराकुण्ड राजगंगपुर, रुरकेला, जोदा, बृजराजनगर, आदि औद्योगिक नगरों तथा पुरी, सम्भलपुर, सुन्दरगढ़, बरगढ़ और कटक नगरों में किया जाता है।

उद्देश्य व लाभ

1. इस योजना के अन्तर्गत 2.54 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
2. इस योजना में महानदी की बाढ़ों की समस्या को हल किया जा सकेगा।
3. इस योजना के अन्तर्गत दो बड़े-बड़े शक्तिग्रह निर्मित किये जाएँगे जिनसे 3 लाख 50 हजार किलोवाट बिजली उत्पादन किया जायेगा।
4. इससे प्राप्त विद्युत का उपयोग हीराकुण्ड राजगंगपुर, रुरकेला, जोदा, बृजराजनगर आदि औद्योगिक नगरों तथा पुरी-सम्भलपुर में किया जाएगा।

4 कोसी परियोजना (बिहार) (Kosi Project)

परिचय—कोसी नदी हिमालय से निकलती है तथा मुंगेर जिले (बिहार) में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में प्रतिवर्ष कोसी नदी की बाढ़ से बड़ी धन-जन की हानि होती है।

व्यय—इस परियोजना के अन्तर्गत 85.34 करोड़ रुपये के व्यय से तीन इकाइयों पर कार्य पूरा करना है; (i) नेपाल में हनुमान सागर के निकट एक अवरोधक बाँध, (ii) लगभग 240 कि० मी० लम्बा बाँध बाढ़ों को रोकने के लिए और (iii) पूर्वी कोसी नहर का निर्माण करना।

योजना के उद्देश्य व लाभ—इसके निम्नलिखित उद्देश्य है—

- (i) इस योजना के अन्तर्गत 18 लाख किलोवाट बिजली उत्पादित की जाएगी।
- (ii) कोसी नदी की बाढ़ की समस्या को हल किया जा सकेगा।
- (iii) इस परियोजना के द्वितीय चरण में कोसी बिजलीघर पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण तथा राजगपुर नहर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्धों के विस्तार की व्यवस्था की गई है।
- (iv) पश्चिमी कोसी नहर में बिहार के दरभंगा जिले में 3012 लाख हेक्टेयर तथा नैपाल के सप्तरी जिले में 12120 हेक्टेयर सिंचाई होगी।

5. नागार्जुन सागर परियोजना (आन्ध्र प्रदेश)

परिचय—आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर योजना कृष्णा नदी पर नदी कोण्डा गाँव के पास बनाया गया है। यह 1400 मीटर लम्बा 130 मीटर ऊँचा बाँध है।

व्यय—इस योजना पर लगभग 165 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

उद्देश्य—इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है—

- (क) इस योजना के द्वारा अकालो पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।
- (ख) इस योजना से 75,000 किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।
- (ग) इस योजना से 14 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी।
- (घ) इस योजना के द्वारा हैदराबाद तथा आन्ध्र प्रदेश में 8.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

6. रिहन्द बाँध या गोविन्दबल्लभ सागर परियोजना

परिचय—यह उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्तर्गत मिर्जापुर जिले में पीपरी नामक ग्राम के पास रिहन्द नदी पर एक 939 मीटर लम्बा और 91.6 मीटर ऊँचा बाँध बनाया गया है।

2. व्यय—इस योजना पर 31.5 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए 1 करोड़ 10 लाख डालर का समझौता 'भारत अमेरिका टेक्नीकल कारपोरेशन एग्रीमेन्ट' के अन्तर्गत हो चुका है।

3 योजना के उद्देश्य—(1) इससे उत्तर प्रदेश के 16 पूर्वी जिलों में 4,000 नलकूपों को विद्युत प्रदान की जाएगी।

(2) इस योजना के द्वारा बिजली वाराणसी से लेकर कानपुर तक के औद्योगिक केन्द्रों को पहुँचायी जाएगी।

(3) रिहन्द नदी की बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

(4) इसके अन्तर्गत मछलियों का विकास किया जावेगा।

(5) नौका-विहार आदि मनोरंजन सुविधाएँ उपलब्ध होगी।

(6) रेलों को जल विद्युत सुविधाएँ दी जाएँगी।

(7) इस योजना के अन्तर्गत 1,70,000 किलोवाट बिजली के उत्पादन का 1970 तक का अनुमान है।

(7) चम्बल परियोजना (Chambal Project)

1. परिचय—मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की यह सम्मिलित योजना है। चम्बल नदी मध्यप्रदेश में विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर राजस्थान होती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अन्तर्गत 5 शक्तिग्रह 1 सिंचाई अवरोधक बनाने की योजना है।

2. उद्देश्य—(क) इस योजना के द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों को औद्योगिक सहायता पहुँचाना है।

(ख) इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करना है।

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।

3. योजना—इस योजना के अन्तर्गत तीन बाँध बनाये जा रहे हैं—

(i) गाँधी सागर बाँध—मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले में चौरासीगढ के निकट 533 मीटर लम्बा तथा 61 मीटर ऊँचा एक बाँध बनाया गया है। इस बाँध से 115 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत गृह का निर्माण किया गया।

(ii) राणाप्रताप सागर बाँध—राजस्थान में रावतभाटा के निकट यह बाँध बनाया गया है। इससे 172 मेगावाट का बिजलीघर स्थापित किया गया है।

(iii) कोटा बाँध—राजस्थान के कोटा नगर के निकट 548 मीटर लम्बा और 24 मीटर चौड़ा बाँध बनाया गया है। यहाँ शक्तिगृह से 60 हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

4. लाभ—(क) इस योजना के अन्तर्गत 21 लाख किलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा।

(ख) इस योजना द्वारा अनेक उद्योग-धन्धों को विद्युत शक्ति प्रदान की जाएगी।

(ग) सिंचाई सुविधाओं के विकास से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(घ) इस योजना से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं।

परीक्षा-प्रश्न

1. बहुउद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा

बहुउद्देशीय योजनाएँ क्या हैं? भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाओं का वर्णन कीजिए।

अथवा

संक्षेप में भारतवर्ष की मुख्य-मुख्य बहुउद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं का वर्णन कीजिए। कृषि तथा उद्योगों के विकास में उनके महत्त्व की व्याख्या कीजिए।

कृषि श्रमिक (Agricultural Labour)

कृषि श्रमिकों की समस्या भारतीय कृषि की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। अतः कृषि सुधार की किसी भी योजना में इनको पर्याप्त महत्त्व देना आवश्यक है। कृषि सुधार समिति के अनुसार “कृषि सुधार की किसी भी योजना में कृषि श्रमिकों की समस्या को सम्मिलित न करना देश की कृषि व्यवस्था में भयंकर घाव को बिना मरहम-पट्टी के छोड़ देने के समान है।”

कृषि श्रमिकों से आशय

1. प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति¹ के अनुसार कृषि श्रमिकों का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो कृषि कार्य में किराये के मजदूर के रूप में कार्य करते हैं तथा वर्ष में जितने दिन उन्होंने वास्तव में कार्य किया है उससे आधे से अधिक दिनों में उन्होंने कृषि में ही कार्य किया है। कृषि श्रमिक परिवार का तात्पर्य उस परिवार से है जिसकी आधे से अधिक आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है।

2. द्वितीय श्रम जाँच समिति—“कृषि-श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो न केवल फसलों के उत्पादन के काम पर रखा गया है बल्कि अन्य कृषि सम्बन्धी धंधों (जैसे बागवानी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन आदि) में किराये के मजदूर के रूप में कार्य करता है। कृषि-श्रमिक परिवार से आशय उस परिवार से है जिसकी अधिकांश आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है।”

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कृषि कार्यों में से किसी एक या अधिक कार्यों को किराये के श्रमिक अथवा विनिमय के आधार पर सम्पन्न करता है और उसे नकद रूप में, किस्म के रूप में, अथवा दोनों रूपों में मजदूरी प्राप्त होती है तो उसे कृषि श्रम कहते हैं—

(i) कृषि जिसमें भूमि की जुताई और खेती सम्मिलित हैं,

(ii) डेरी उद्योग,

(iii) किसी बागवानी की वस्तु का उत्पादन खेती उगाना तथा फसल तैयार

करना।

(iv) कृषि कार्य से सम्बन्धित किसी क्रिया को करना तथा कृषि पदार्थ को संगृहीत करने या विक्रय के लिए तैयार करना अथवा विक्रय के लिए बाजार ले जाना एवं,

(v) पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अथवा मुर्गी पालन आदि ।

कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों से कई दृष्टियों से भिन्न है जैसा कि कृषि श्रमिकों की विशेषताओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा ।

कृषि श्रमिकों की विशेषताएँ

1. कृषि श्रमिक असंगठित है—औद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि श्रमिक संगठित नहीं होते हैं । इसका मुख्य कारण कृषि कार्य की प्रकृति है । कृषि श्रमिकों को एक दूसरे पर आश्रित रहकर कार्य नहीं करना पड़ता कृषकों में परस्पर उपयोगी सगठन स्थापित नहीं हो पाता ।

2. कृषि श्रमिक अस्थायी होते हैं—कृषि श्रमिकों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे एक ही स्थान या खेत पर ही वर्ष भर कार्य नहीं करते । इसका कारण कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति है । भारतवर्ष में कृषि कार्य 6 से 7 महीने तक ही रहता है । वर्ष के शेष अवधि में जीविकोपार्जन के लिए कृषि श्रमिकों को अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है ।

3. कृषि श्रमिक अकुशल होता है—कृषि श्रमिक मौलिक रूप से अकुशल होता है वह खेती के कार्य में भी कुशल नहीं होता है जोकि उसका प्रमुख व्यवसाय है ।

4. कम मजदूरी—चूँकि कृषि श्रमिक अकुशल होते हैं इसलिए उनकी पूर्ण पूर्णतया लोचदार होती है । उत्पादक इस स्थिति का लाभ उठाकर श्रमिकों को कम मजदूरी देने में सफल हो जाते हैं ।

5. सेवायोजक और कृषि श्रमिक में अन्तर नाम मात्र का होता—कृषि श्रमिक का सेवायोजक साधन सम्पन्न व्यक्ति नहीं होता कुछ स्थितियों में तो एक छोटा किसान दूसरे छोटे किसान को रोजगार देता है ऐसी अवस्था में सेवायोजक और श्रमिक के बीच प्रत्यक्ष निकटवर्ती सम्बन्ध होता है ।

6. कृषि कार्य के लिए कानून का अभाव—कृषि कार्य के लिए कोई नियमावली और निश्चित समयवधि नहीं होती । उत्पादक कृषि श्रमिकों को उपयुक्त कार्य की दशाओं का आशवासन भी नहीं दे सकता कारण यह है कि कृषि कार्य प्रकृति पर निर्भर करता है । कई बार तो कड़ी धूप वर्षा व सर्दियों में भी कृषि श्रमिकों को कार्य करना पड़ता है यद्यपि कृषि श्रम पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने का प्रयास किया गया है परन्तु उत्पादक इन अधिनियमों की उपेक्षा करने में आसानी से सफल हो जाते हैं ।

होने के कारण सौदाबाजी करने की शक्ति बहुत कमजोर होती है फलतः उसकी मजदूरी भी कम होती है।

भारत में कृषि श्रम का विकास

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कृषि मजदूरी की संख्या बहुत कम थी, परन्तु गत शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ इनकी संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। सन् 1981 व 1921 के बीच खेतिहर मजदूरी की संख्या 75 लाख से बढ़कर 2 16 करोड़ हो गई। 1951 में कृषि श्रमिकों की संख्या 28 मिलियन थी जो सन् 1961 में 31 5 मिलियन और 1971 में 47 5 मिलियन हो गई।

कृषि श्रम का देश की कुल कार्यशील जनसंख्या में अनुपात बढ़ रहा है। सन् 1901 में यह अनुपात 16 9 था जो कि 1921 में 17 4%, 1951 में 19 7%, 1961 में 16 71% तथा 1971 में 25.96% हो गया। उपर्युक्त आँकड़ों से भारत में कृषि श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या का आभास होता है।

1961 व 1971 दोनों जनगणना रिपोर्टों के अनुसार 17 बड़े राज्यों में कृषि श्रमिकों और कृषकों के भाग की प्रतिशतता इस प्रकार थी—

1 अप्रैल 1961 और 1 अप्रैल 1971 की भारत में कृषि श्रमिकों व कृषकों का अनुपात

क्र०	राज्य	वर्ष 1961	वर्ष 1971
1.	आन्ध्र प्रदेश	0 76	1.18
2.	आसाम	0.07	0.18
3.	बिहार	0.41	0.90
4.	गुजरात	0.31	0.52
5.	हरियाणा	0.13	0 33
6.	हिमाचल प्रदेश	0.02	0 06
7.	जम्मू काश्मीर	0.03	0.05
8.	कर्नाटक	0 28	0 67
9.	केरल	0.90	1 72
10.	मध्य प्रदेश	0.29	0.50
11.	महाराष्ट्र	0.51	0 83
12.	उड़ीसा	0.24	0 58
13.	पंजाब	0.24	0 47
14.	राजस्थान	0.07	0.14
15.	तमिलनाडु	0.47	0.97
16.	उत्तर प्रदेश	0.16	0.35
17.	पश्चिमी बंगाल	0.41	0.83
	अखिल भारतीय	0.33	0.61

उपर्युक्त सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि श्रमिकों और कृषकों के अनुपात में 1961 और 1971 के बीच के वर्षों में वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि राज्यों में समान रूप से नहीं हुई है। अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश में हुई है। कृषि श्रमिकों और कृषकों के अनुपात में जिन राज्यों में काफी वृद्धि हुई है वे राज्य अवरोही क्रम से आसाम, कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार हैं।

योजना आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार कृषि श्रमिकों की संख्या 1977-78 में बढ़कर 530 लाख हो गई है। इस प्रकार भारतवर्ष में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे करोड़ों किसान, विशेषकर सीमान्त और छोटे किसान अपने खेतों से बेदखल कर दिये गये हैं जिनके पास भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी में आने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था।

मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष में कुल कार्यशील जनसंख्या का $\frac{1}{4}$ से अधिक भाग कृषि मजदूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक है।

भारतीय कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण

विगत वर्षों में भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या निरन्तर वृद्धि हुई है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) कुटीर उद्योगों का पतन—कुटीर उद्योग-धन्धों के पतन के कारण बहुत से कारीगर बेरोजगार हो गये और उन उद्योगों से बेकार हुए श्रमिक कृषि कार्य करने लगे। डा० बुचैन का कथन है कि उनके स्वयं के रोजगार नष्ट हो चुके थे। आधुनिक उद्योगों का उस समय (19वीं शताब्दी में) विकास नहीं हुआ था, जबकि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे खेत लेकर उसे जोतने की व्यवस्था कर पाते। किन्हीं कारणों से उन्हें कृषि श्रमिक बनने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था।

(2) कृषि पर जनसंख्या का दबाव—भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, परन्तु दोषपूर्ण भूमि-व्यवस्था होने के कारण भूमि का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथों में होता रहा और कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती गयी।

(3) खेतों का छोटा आकार—भारतीय कृषि की एक विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं। खेतों के छोटे होने के कारण कृषकों को पर्याप्त आय नहीं हो पाती फलतः उसे अपने खेत के अतिरिक्त दूसरे खेतों पर मजदूरी पर कार्य करना होता है।

(4) ऋणग्रस्तता—भारतीय कृषकों की एक महत्त्वपूर्ण समस्या ऋणग्रस्तता रही है। ये अधिकांश ऋण साहूकारों से लेते हैं जिनकी ब्याज की दर इतनी अधिक होती है कि कृषकों को अपनी जमीन मूलधन और ब्याज के भुगतान में बेचनी पड़ती है। इस परिस्थिति के कारण भी कृषि श्रमिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(5) बेरोजगारी की मजदूरी में कृषि कार्य—भारत में बेरोजगारी की सम-

स्या ने विस्फोटक रूप ले लिया है, फलतः व्यक्तियों को सरलता से रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगार व्यक्ति मजदूरी में कृषि कार्य करने को तैयार हो जाता है और फलतः कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रही है।

(6) सरकारी फार्मों पर खेती—भारत में योजना अवधि में सरकारी फार्मों (खेतों) की संख्या में वृद्धि हुई है। इन फार्मों में भी काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है।

(7) वृषित भूमि व्यवस्था—डा० देसाई ने लिखा कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था भी किसी सीमा तक भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी थी। इसके कुछ ऐसे व्यक्ति भी जैसे—जमींदार जागीरदार व रिसालदार आदि होते हैं जो किसानों पर मनमाना अत्याचार करते थे जिसके कारण बहुत से किसान गाँव छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ मजदूरी करना प्रारम्भ कर देते थे।

(8) कृषि में अनिश्चितता की स्थिति—भारत की कृषि हमेशा प्राकृतिक दशाओं पर आश्रित रहती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल नष्ट हो जाती है जिससे उसकी हानि होती है। जोत का आधार छोटा होने से दशा और गम्भीर हो जाती है। एक तरफ किसान ऋणी हो जाता है और दूसरी ओर उसे अपनी भूमि पर साल भर काम नहीं मिलता जिससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सके। अतः किसान मजदूरी करके अपनी जीविका चलाने को बाध्य हो जाता है।

कृषि श्रमिकों की आर्थिक बशाएँ—कृषि श्रम की आर्थिक दशाओं का ज्ञान विभिन्न तथ्यों की जानकारी से हो सकता है, इसमें से कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं :—

1. परिवार का आकार—कृषि श्रमिकों के परिवार के आकार को मापने के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रयत्न नहीं किए गए। डा० एच० लक्ष्मी नारायण ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के तीन गाँवों में कृषि श्रमिकों की बदलती हुई दशाओं का अध्ययन किया। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों के परिवार का औसत आकार 1958-59 में 6 था जो कि 1972-73 में घटकर 4.45 रह गया है। पंजाब में यह औसत आकार 1956-57 में 5.34 था जो कि 1971-72 में बढ़कर 8.65 हो गया। हरियाणा में यह आकार 1959-60 में 5.32 था जो कि 1971-72 में 6.48 हो गया। उत्तर प्रदेश में परिवार के औसत आकार में कमी का मुख्य कारण इस क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर का ऊँचा स्तर था। ऊँची शिशु मृत्यु दर कृषि श्रमिकों की निर्धनता और पिछड़ेपन का परिचायक है।

2. शिक्षा—कृषि श्रमिक परिवारों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सूचना एक स्कूली शिक्षा की प्रगति से प्राप्त होती है। हरियाणा में कृषि करने वाले परिवारों में 4 स्कूल में जाने की उम्रवाली लड़कियों में से एक लड़की ही स्कूल जाती है जबकि मजदूरी करने वाली श्रम परिवार में प्रति 25 स्कूल जाने की उम्रवाली लड़कियों में से केवल एक ही स्कूल जाती है इसी प्रकार पंजाब में कृषक परिवारों के 78%

बच्चे स्कूल जाते हैं जबकि श्रम परिवारों में केवल 40% बच्चे ही स्कूल जाते हैं।

यद्यपि कृषि श्रमिक परिवारों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है किन्तु इसका कुल साक्षरता की दर पर कोई घनात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

3 ऋणग्रस्तता—पहली जाँच समिति के अनुसार 1950-51 में लगभग 44.5% कृषि परिवार ऋणग्रस्त थे प्रति परिवार ऋण की औसत मात्रा बढ़कर 105 रुपये थे। दूसरी जाँच समिति के अनुसार 1956-57 में लगभग 64% कृषि परिवार ऋणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार ऋण की औसत मात्रा बढ़कर 138 रुपये हो गई। सन् 1964-65 में ऋणग्रस्तता के इस प्रतिशत में कमी हुई है और यह 61% रह गया लेकिन औसत ऋण की मात्रा 138 से बढ़कर 244 रुपये हो गई। सन् 1971-72 में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वे का आयोजन किया जिसके अनुसार 35.33% कृषि परिवार ऋणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार औसत ऋण की मात्रा 161.96 रुपये थी।

उपर्युक्त सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि अब भी बहुत से कृषि परिवार देशी महाजनो के चंगुल में फसे हुए हैं यद्यपि 1960 के बाद से सस्थागत साख एजेन्सियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कृषि साख की व्यवस्था की गई है।

4. रोजगार एवं बेरोजगारी—भारतीय कृषि मौसम पर निर्भर करती है अतः फसल की कटाई के दिनों में ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कृषि श्रमिक वर्ष में 4-5 महीनों तक बेकार रहते हैं। प्रथम कृषि आयोग (1950-51) के अनुसार पुरुष श्रमिकों को वर्ष में केवल 200 दिन मजदूरी पर काम मिलता था। द्वितीय कृषि आयोग (1956-57) की जाँच के अनुसार पुरुष श्रमिकों को वर्ष में केवल 197 दिन मजदूरी पर कार्य मिलता था। ग्रामीण जाँच समिति (1963-64) के अनुसार एक पुरुष कृषि श्रमिक को एक वर्ष में 240 दिन तथा स्त्री श्रमिकों को 159 दिन रोजगार प्राप्त होता है। योजना आयोग के अनुसार प्रायः 16% व्यक्तियों की पूरे वर्ष भर कोई कार्य नहीं मिलता।

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि मजदूर को एक वर्ष में लगभग 4 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। इस अवधि में उसे ग्रामीण जीवन की सभी बुराइयों का सामना करना पड़ता है।

5. कार्य करने का समय एवं दशाएँ—कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार “कार्य के घण्टे में कोई नियमितता नहीं थी और यह श्रमिकों और सेवायोजकों के मध्य सहयोग, विश्वास तथा स्थानीय रीति-रिवाजों पर निर्भर करती थी फसल की कटाई और सफाई के समय अनियमित कृषि श्रमिकों को प्रतिदिन 10-11 घण्टे कार्य करना पड़ता था। स्पष्ट है कि कृषि श्रमिकों की कार्य करने की दशाएँ प्रकृति पर निर्भर करती हैं चूँकि कृषि श्रमिक खुले हुए वातावरण में कार्य करते हैं इसलिए उन्हें गर्मी और वर्षा दोनों में ही काम करना पड़ता है।”

6. मजदूरी एवं आय—प्रथम जाँच समिति ने बताया है कि 1950-51 में

पुरुष श्रमिक की औसत मजदूरी 1.09 रुपये प्रतिदिन थी। दूसरी जाँच समिति के अनुसार 1956-57 में घटकर 0.90 रुपये प्रतिदिन रह गई, तथा ग्रामीण जाँच समिति के अनुसार यह 1964-65 में 1.43 रुपये आँकी गई। स्त्री कृषि श्रमिकों के लिए 1950-51 में यह 0.68 रुपये, 1956-57 में 0.59 रुपये और 1964-65 में यह 0.95 रुपये थी, यद्यपि समयावधि 1950-51 से 1964-65 के दौरान पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रकार के कृषि श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि हुई है लेकिन कीमतों में वृद्धि होने के कारण 1964-65 में वास्तविक मजदूरी 1950-51 की तुलना में कम हो गई।

जहाँ तक कृषि श्रमिकों की आय का प्रश्न है पहली कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार कृषि श्रम की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1950-51 में 447 रुपये थी। दूसरी जाँच समिति के अनुसार कृषि श्रम की वार्षिक आय 1964-68 में 660 रुपये थी इससे श्रमिकों की मौद्रिक आय में वृद्धि का आभास होता है। लेकिन यदि मौद्रिक आय में इस वृद्धि की कीमत वृद्धि के साथ तुलना करे तो विदित होता है कि कृषि श्रम की वास्तविक आय में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

7 उपभोग व जीवन-स्तर—एक तो कृषि श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम होती है। दूसरे ये वर्ष में काफी दिन बेकार रहते हैं फलस्वरूप इनकी आय इतनी कम हो जाती है कि इनके न्यूनतम उपयोग का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता और विवश होकर उसे उपभोग के लिए भी उधार लेना पड़ता है द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति का अनुमान था कि सन् 1956-57 में प्रति परिवार उपभोग पर वार्षिक व्यय 617 रुपये था तथा परिवार औसत वार्षिक आय 437 रुपये थी इस प्रकार प्रति परिवार औसत घाटा 180 रुपये का था।

कृषि श्रमिकों के उपभोग व्यय में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भोजन है। कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार “कृषि परिवार अपने उपभोग व्यय का 8.53% भोजन, 6.3% कपड़ों व जूतों तथा 6.5% सेवाओं व अन्य कार्यों पर खर्च करते हैं।” इस उपभोग व्यय के स्वरूप में कृषि श्रमिकों की पिछड़ी हुई दशा एवं बेरोजगारी मिलती है।

कृषि श्रमिकों की समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ

(Problems and Difficulties of Agricultural Labourers)

योजना आयोग ने लिखा है, “कृषि श्रमिकों की समस्याएँ हमारे लिये एक चुनौती हैं और इन समस्याओं का समुचित निदान खोजने की जिम्मेदारी संपूर्ण समाज पर है। अर्थात् कृषि श्रमिकों की समस्याओं की ओर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिये।” केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि-श्रमिकों की समस्याओं के समाधान पर किये गये एक अध्ययन के ये विचार महत्वपूर्ण हैं, “समस्या का समाधान विस्तृत रूप से प्रभाव-शाली और सुविचारित ढङ्ग से किया जाना चाहिये। ऐसा न करने का परिणाम ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र का असन्तुष्ट वर्ग मजबूर होकर सग-

ठित होगा और एक दिन विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देगा।¹ भारतीय श्रमिकों की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(1) मौसमी व छिपी बेरोजगारी—कृषि श्रमिकों को वर्ष पर्यन्त कार्य नहीं मिलता। द्वितीय कृषि जाँच समिति के अनुमान के अनुसार कृषि श्रमिकों को वर्ष भर में केवल 197 दिन ही काम मिलता है और शेष समय वह बेकार रहता है। अन्यत्र रोजगार मिलने की सम्भावनाएँ कम होने से कृषि श्रमिकों का भार आवश्यक रूप से अधिक हो जाता है और कुछ श्रमिक यद्यपि कार्यरत दिखाई देते हैं तथापि कृषि उत्पादन में उनका अंशदान नहीं के बराबर है जिसके फलस्वरूप छिपी बेरोजगारी की समस्या पायी जाती है। भारतीय कृषि श्रमिकों में मौसमी बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी तीनों ही समस्याएँ जटिल रूप में पायी जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अनुमान का प्रयास नेशनल सैम्पल सर्वे (N.S.S.) ने अपने 19वें सत्र में जुलाई 1964 से जून 1975 के मध्य किया। इसका प्रतिवेदन 1970 में प्रकाशित हुआ। उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमशक्ति कुल जनसंख्या की 40.15 प्रतिशत थी जिसमें से 38.4 प्रतिशत लाभप्रद रोजगार में थे, जबकि बेरोजगार रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्ति 1.75 प्रतिशत थे। सप्ताह में 4 दिन या उससे कम तथा एक दिन तक काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 10.24 प्रतिशत था।

(2) भूमिहीनता—भारत में अधिकांश कृषि श्रमिक भूमिहीन हैं और जिनके पास भूमि है वह प्रायः इतनी कम मात्रा में है कि न तो उन्हें उस पर वर्ष भर कार्य मिल सकता है और न वह आर्थिक इकाई के रूप में जोती जा सकती है।

(3) अस्थायी श्रमिकों का आधिक्य—भारत में अधिकांश कृषि श्रमिकों को अस्थायी रूप से ही खेतों पर कार्य मिलता है और भारत में अस्थायी कृषि श्रमिकों का ही आधिक्य है; 1970-71 में लगभग 70 प्रतिशत कृषि श्रमिक अस्थायी थे। अस्थायी होने से उनकी दशा दयनीय है।

(4) कार्य के अनियमित घण्टे—कृषि श्रमिकों के कार्य के घण्टे भिन्न-भिन्न स्थान, ऋतु और फसलों के लिए एक से नहीं हैं। वैसे तो कृषि मजदूरों को वर्ष भर काम नहीं मिलता, किन्तु जब वह खेतों पर काम करता है तो उसके प्रतिदिन काम का समय काफी लम्बा होता है। औद्योगिक श्रमिकों की तरह इनके काम के घण्टे निश्चित किये गये हैं।

(5) संगठन का अभाव—कृषिक श्रमिक अनपढ़ और अजागरूक हैं। वे बिखरे कर हुए गाँवों में असंगठित रूप से रहते हैं। वे अपने को सघों के रूप में संगठित नहीं

1. The Causes and Nature of Current Agrarian Tensions, (Ministry of Home Affairs, Govt. of India, 1969, p. 37.)

पाये हैं। संगठन के अभाव के कारण वे भूमिपतियों से अपने अधिकारों की प्रभावशाली ढङ्ग से माँग नहीं कर पाते।

(6) ऋणग्रस्तता—कृषि श्रमिक बुरी तरह ऋणग्रस्त हैं। भारतीय कृषि श्रमिक की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 140 रुपये लगाया गया है। सन् 1972-73 के अनुमान के अनुसार भारत के समस्त कृषि परिवारों को राष्ट्रीय आय का केवल 8.3 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। इतनी कम आय होने के कारण कृषकों के लिये अपना जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है, फलतः उसे ऋण लेना पड़ता है। एक बार ऋणी होने के बाद कृषि श्रमिक को जीवन भर छुटकारा नहीं मिलता। कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार हमारे देश में कृषि श्रमिकों के लगभग 45 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त हैं और प्रति परिवार और औसत ऋण का अनुमान 105 रुपये है।

सन् 1971-72 में लगभग 60 प्रतिशत कृषि मजदूर परिवारों पर ऋण का काफी भार रहा। ऐसे प्रत्येक परिवार पर औसतन 138 रुपये ऋण रहा।

(7) निम्न सामाजिक स्थिति—अधिकांश कृषि श्रमिक युगों से उपेक्षित एवं दलित जातियों के सदस्य हैं जिनका सदियों में शोषण किया गया है। इसके कारण इनका सामाजिक स्तर नीचा रहता है।

(8) आवास समस्या—भूमिहीन कृषि श्रमिकों के सामने आवास की समस्या भी है। उन्हें या तो भूमिपतियों की या ग्राम संस्थाओं के स्वामित्व की भूमि पर उनकी स्वीकृति लेकर मकान या झोपड़ियाँ बनाकर रहना पड़ता है। ये झोपड़ियाँ अत्यन्त छोटी होती हैं। कृषि श्रमिकों की आवास-व्यवस्था की दयनीय अवस्था के सम्बन्ध में डॉ० राधाकमल मुर्कजी ने लिखा है, “इन झोपड़ियों में श्रमिक केवल पैर फैला कर सो सकता है। एक ही झोपड़ी में अनेक व्यक्तियों के सोने से मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। ‘‘शुद्ध वायु तथा रोशनी के लिये खिड़कियों का पता नहीं होता।’’ इस व्यवस्था का श्रमिकों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(9) बेगारी की समस्या—अधो कुछ समय पहले तक भारत के लगभग सभी भागों में कृषि श्रमिकों से बेगारी (Forced Labour) में कार्य लेने की प्रणाली प्रचलित थी। इसकी भीषणता गुलामी से कुछ कम अवश्य थी, किन्तु इस प्रथा में कृषि श्रमिकों को ऋणग्रस्तता के कारण मालिक के खेत या घर पर स्थायी रूप से काम करना पड़ता था जिसके लिये उन्हें नाममात्र की मजदूरी मिलती थी। अब कानून बनाकर इस प्रथा का अन्त कर दिया गया है।

(10) मजदूरी की निम्न दर—कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दर भारत में बहुत कम है। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—

(अ) कृषि श्रमिकों का अशिक्षित व असंगठित होना, (ब) भारतीय कृषि का मौसमी स्वरूप, (स) श्रमिकों का आधिक्य, (द) सघन खेती और व्यापारिक फसलों की कमी। मजदूरी का स्तर नीचा रहने से श्रमिकों की कार्यक्षमता कम रहती है और भावी संतति के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है।

(11) गैर-कृषि व्यवसायो की कमी—ग्रामो मे गैर कृषि व्यवसायो की कमी भी कृषि श्रमिको की कम मजदूरी और हीन आर्थिक दशा के लिए उत्तरदायी है। ग्रामो मे जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के कारण भूमिहीन श्रमिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। परन्तु दूसरी ओर गैर-कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यदि बाढ़, अकाल इत्यादि के कारण फसल नष्ट हो जाय तो कृषि श्रमिको का जीवन-निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है।

(12) कृषि-श्रमिको में स्त्री और बच्चो का आधिक्य—भारतीय कृषि मे वैसे ही श्रमिको की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक है तथा स्त्री और बच्चो के खेतो पर कार्य करने से कृषि श्रमिको की पूर्ति और प्रतियोगिता अधिक बनती है जिसका बुरा प्रभाव उनकी मजदूरी और बच्चो के शिक्षा-स्तर पर पड़ता है।

(13) मशीनीकरण से बेरोजगारी समस्या—नियोजन काल मे कृषि मे नवीन यन्त्रो और वैज्ञानिक उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इससे अशिक्षित कृषि श्रमिको के समक्ष बेरोजगारी की समस्या और भी अधिक गम्भीर हो गयी है।

कृषि श्रमिकों की समस्याओ के समाधान के सुझाव

(Suggestions to Solve the Problems of Agricultural Labour)

कृषि श्रमिको की समस्याओ को हल करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :—

(1) जनसंख्या नियंत्रण—भारतवर्ष मे कृषि या अन्य क्षेत्रो मे रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयत्न किये गये है तथापि बेरोजगारो की संख्या कृषि व गैर-कृषि क्षेत्रो मे बढ़ती जा रही है। इसलिये आवश्यक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित किया जाय।

(2) कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जाय—कृषि क्षेत्र मे ही रोजगार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किये जा सकते हैं—(अ) कृषि क्षेत्र मे सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर उन्नत बीज, खाद आदि आवश्यक वस्तुएँ किसानो को उपलब्ध कराकर सघन खेती को प्रोत्साहन देना चाहिये। (ब) अधिक से अधिक क्षेत्र मे प्रतिवर्ष एक से अधिक फसलें बोनो के लिये सघन फसल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिए। (स) ग्रामो मे कृषि उद्योग जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, गो-पालन आदि का व्यवसाय किया जाना चाहिये। (द) लोक निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये। सरकार गाँवो मे अपनी परियोजनाये इस तरीके से कार्यान्वित करे कि बेकार समय (off Season) मे खाली श्रमिको को रोजगार मिल सके। सड़क बनाना, तालाबो तथा नहरों की खुदाई और उन्हें गहरा करना, वनारोपण आदि ऐसी ही परियोजनाएँ हैं।

(3) गैर-कृषि-क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना—इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं : (अ) देश मे बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए जिससे गैर-कृषि

क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और कृषि-श्रमिक भी उनकी और आकर्षित होंगे। (ब) बहु उद्देशीय नदी-घाटी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इनसे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में वृद्धि होगी और साथ ही परोक्ष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण और सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने से भी सघन कृषि और ग्रामीण उद्योग प्रोत्साहित होंगे जिनसे रोजगार अवसरों का विस्तार होगा। (स) कतारें, बुनाई, मिट्टी का काम, बांस और लकड़ी का काम आदि कुटीर उद्योग, यन्त्रों के पुर्जे बनाने व छोटे-छोटे यंत्रों का निर्माण करने हेतु लघु उद्योगों तथा धान, तिलहन, कपास, फल, दालें आदि पर प्रक्रिया करने के कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

(4) शिक्षा का प्रसार—कृषि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान की दृष्टि से उनमें व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिये जिससे वे भूमिपतियों के शोषण से बच सकें, अपनी मजदूरी की सही गणना कर सकें और कृषि में हो रही हरित् क्रान्ति के अनुरूप अपने को कार्य करने के योग्य बना सकें।

(5) कृषि कार्य में कार्य के घंटों का नियमन—इटली, जर्मनी आदि कई विकसित देशों में कृषि कार्य के घण्टे नियमित किये गये हैं। अतः भारतवर्ष में भी कृषि श्रमिकों के कार्य के घण्टों का नियमन किया जाना चाहिये और निर्धारित समय से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिये।

(6) काम की परिस्थितियों में सुधार—काम की प्रतिकूल परिस्थिति के बुरे प्रभाव से बचने के लिये जाड़े, गर्मी व वर्षा के मौसम में आवश्यकतानुसार सरक्षक वस्त्र तथा अन्य सुविधायें श्रमिकों को उपलब्ध होनी चाहिये। उनसे बेगार नहीं ली जानी चाहिए, अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दुर्घटना इत्यादि पर सहायता का प्रावधान होना चाहिये।

(7) न्यूनतम मजदूरी का प्रभावशाली क्रियान्वयन—यद्यपि सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में भी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है परन्तु केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के उपाय भी किये जाने चाहिये।

(8) भूमिहीन कृषि कृषिकों के लिए भूमि की व्यवस्था—कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि देना आवश्यक है। वर्तमान समय में भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण तथा भूदान आन्दोलन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, परन्तु जैसा चरण सिंह ने लिखा है, “अधिकतम सीमा निर्धारण के बाद जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई वह भूमिहीनों में वितरित करने का प्रबन्ध योजना काल में किया गया था, किन्तु इससे भूमिहीनों की समस्या के हल करने की सम्भावनाएँ सीमित हैं।”¹ कारण यह है कि अधिकांश भूमिहीन निम्न श्रेणी की होने से तथा

बैल, औजार और वित्त के अभाव में भूमिहीन श्रमिक भूदान से प्राप्त भूमि से अधिक लाभ न उठा सकेंगे ।

(9) स्त्री श्रमिकों की रक्षा—औद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि श्रमिकों को सम्पूर्ण सुविधाएँ मिलनी चाहिये, विशेष रूप से 'प्रसव अवकाश' आदि का प्रबन्ध कम से कम सहकारी व अन्य निजी तथा बड़े खेतों पर उपलब्ध होने चाहिए ।

(10) श्रम सहकारिताओं का निर्माण—कृषि श्रमिकों को श्रम सहकारिताओं का निर्माण करना चाहिये और सरकार को सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य कार्यों में इन श्रम सहकारिताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये ।

(11) ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना—ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि कृषि श्रमिकों की गतिशीलता बढ़े और रोजगार के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी उपलब्ध हो सके ।

(12) कृषि श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना—खण्ड अथवा ब्लाक-स्तर पर कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये जहाँ पर श्रमिकों को मनोरंजन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों ।

(13) कृषि श्रम संगठन की स्थापना—औद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि श्रम संगठनों की स्थापना की जानी चाहिये जिससे कृषि श्रमिक अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकें ।

कृषि श्रमिकों की उन्नति के लिए उठाए गये कदम

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए निम्न कार्य किये हैं.—

(1) कृषि-दास-प्रथा—भारतीय संविधान ने कृषि-दास-प्रथा को अपराध घोषित कर दिया है, जिससे कि कृषि श्रमिकों की दशा सुधरे तथा पूर्णकालीन रोजगार मिल सके ।

(2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं कृषि श्रमिक—सन् 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अधीन तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर शेष सभी राज्यों और मंघीय क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है । केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि शोधन संस्थाओं तथा सैनिक फार्मों पर काम करने वाले श्रमिकों की भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है । अधिनियम में जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने की भी व्यवस्था है ।

(3) श्रमिक सहकारिता का संगठन—श्रम या सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इन समितियों के सदस्य स्वयं श्रमिक ही होते हैं और सड़कों का निर्माण, नहरों और तालाबों की खुदाई, वन-रोपण आदि सहकारी परियोजनाओं के ठेके लेती हैं ।

(4) भूदान आन्दोलन—भूदान, ग्रामदान व प्रखण्डदान आदि आन्दोलनों से

भी कृषि श्रमिकों की दशा को सुधारने में बड़ी सहायता मिल रही है। इन आंदोलनों में प्राप्त हुई भूमि के हस्तान्तरण व प्रबन्ध के लिए राज्यों ने आवश्यक कानून बना दिये हैं।

(5) कृषि मजदूर विकास संस्था—अखिल भारतीय कृषि ऋण पुनरवलोकन समिति ने सिफारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों की विकास संस्था द्वारा उनकी मदद करने को कहा था। भारत सरकार ने उसे स्वीकृत ही नहीं किया बल्कि उससे एक कदम आगे भूमि-रहित मजदूर तथा बहुत छोटे किसानों के लिए भी विकास संस्था खोलने का निश्चय किया और इस निश्चय के आधार पर ऐसी संस्था को सगठित कर दिया गया जो भूमि-रहित तथा छोटे-छोटे काश्तकारों के लिए सहायता प्रदान करेगी। संस्था का मुख्य ध्येय उन्हें रोजगार तथा साधन प्रदान करना है। अगामी 4 वर्षों में देश में इस प्रकार की 40 परियोजनाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(6) ग्रामीण वर्क्स कार्यक्रम—कृषि श्रमिकों को बेरोजगारी के दिनों में उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण वर्क्स कार्यक्रम की योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम में लघु और मध्यम स्तरीय सिंचाई साधनों का विकास, भूमि संरक्षण, इत्यादि सम्मिलित हैं। यह अनुमान है कि प्रति एक करोड़ रुपये का व्यय सम्बन्धित कार्य विधि में 25 हजार से 30 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करेगा।

(7) ग्राम आवास निर्माण योजना—अक्टूबर 1957 में यह योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नि.शुल्क या नाम मात्र कीमत पर मकान प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है।

(8) रोजगार गारन्टी योजना—महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारन्टी योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार सरकार को प्रार्थी को उसके निवास स्थान के 5 किलोमीटर के बीच रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाएँ (अर्थात् सड़क सिंचाई आदि) तैयार करनी होंगी। इसमें मजदूरी की दर ऐसी नहीं होगी जिससे कृषि क्रियाओं में सामान्य रोजगार प्राप्त श्रमिक आकर्षित हो सकें। यह सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का अभिनन्दनीय कदम है। यह आशा की जाती है कि अन्य सभी राज्यों भी ऐसी ही योजनाएँ चालू करेंगे।

(9) बीस सूत्रीय कार्यक्रम—प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी भूमिहीन श्रमिकों एवं समाज के अन्य निर्बल वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कई उपाय किये गये हैं इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

(i) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के कानूनों को लागू करना तथा अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में तेजी से वितरण करने की कार्यवाही करना और अभिलेख को पूर्ण करना।

(II) भूमिहीनो व समाज के निर्बल वर्गों को मकानों की जगह तेजी से वितरित करना ।

(III) बन्धुआ श्रम को गैर कानूनी घोषित करना ।

(IV) ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करना । देहातो मे भूमिहीन मजदूरो, दस्तकारो और छोटे किसानो से ऋण वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून बनाकर प्रतिबन्ध लगाना ।

(V) समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ एवं अधिक विस्तृत करने की योजना ।

(VI) कृषि मजदूरो को न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों की समीक्षा और उनका असरदार तरीके से क्रियान्वयन ।

(VII) बन्धुआ मजदूरो के पुनर्वास की व्यवस्था ।

(VIII) ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनो को आवासीय भूमि देने और मकान बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार ।

(IX) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियो के विकास से सम्बद्ध कार्यों मे तेजी ।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम—प्रारम्भ मे ग्राम पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को प्रारम्भ किया जिसमे कृषि श्रमिको की आर्थिक दशा मे सुधार की भी व्यवस्था की गई थी । लेकिन इसके बाद यह निश्चय किया गया कि ये कार्यक्रम कुछ विशेष जिलो तथा क्षेत्रो मे ही लागू किये जाने चाहिए । इस योजना को ध्यान मे रखकर कई विशेष क्षेत्र कार्य क्रम आरम्भ किये गये इन कार्यक्रमो मे छोटे किसान, विकास एजेन्सियो सीमान्त कृषक एव कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी कार्यक्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

(10) सीमान्त कृषक और श्रमिक योजना—सीमान्त कृषको तथा कृषि श्रमिको की सहायता के लिए सरकार द्वारा देश के 41 चुने हुए जिलो मे पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किये जायेंगे और प्रत्येक जिले मे 20 हजार सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिको को वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

(11) कुटीर व लघु उद्योगो का विकास—कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने हमेशा लघु और कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन दिया है । ग्रामीण क्षेत्रो मे ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ भी स्थापित की गई है ।

(12) कृषि श्रमिकों की स्थायी समिति—केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान कृषि श्रमिकों सम्बन्धी कानूनों एवं व्यवस्थाओ की समीक्षा एवं विस्तृत अधिनियमो की रूपरेखा बनाने के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति की है ।

(13) बन्धुआ मजदूर प्रथा का अन्त—1976 मे बन्धुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित कर बन्धुआ मजदूरी प्रणाली गैर कानूनी घोषित कर दी गई है—जिसके फलस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति ऋणो के चुकाने के लिए मजदूर के रूप मे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

(14) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना—ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करती है।

(15) ऋण मुक्ति कानून—वे भूमिहीन श्रमिक व शिल्पकार जिनकी आय 2,400 रुपए वार्षिक या इसमें कम है इन्हें पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न राज्यों ने अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाये हैं जिनके अनुसार अब इस प्रकार के ऋणों की वसूलयाबी नहीं हो सकती है और यदि कोई डिग्री भी हो गई है तो भी उसकी वसूलयाबी नहीं हो सकती है।

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि श्रमिक

प्रथम योजना में कृषि-श्रमिक की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्य किये गये, जैसे—कम मजदूरी वाले क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरियाँ निश्चित करना, निवास स्थान के सम्बन्ध में श्रमिकों को दखली अधिकार देना, श्रमिक सहकारिताओं का संगठन करना तथा भूमिहीन श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना बढ़ाना, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपये व्यय किये गये। परन्तु इस योजनावधि में कृषि श्रमिक की स्थिति में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

प्रथम योजना काल में भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिए 2 करोड़ रुपये व्यय का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसे आगे कम कर केवल 1.5 करोड़ रुपये का ही रखा गया। किन्तु योजनाकाल में इस मद में एक करोड़ रुपये से भी कम रकम खर्च की गयी। प्रथम योजना में तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश में भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रम लागू किये गये। भोपाल में केन्द्रीय सरकार ने 10,000 एकड़ के फार्म पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाया।

द्वितीय योजना में श्रम सहयोग समितियों की स्थापना, कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन द्वारा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, भूमि के पुनर्वितरण व शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। योजना काल में 1 लाख एकड़ भूमि पर 10 000 भूमिहीन मजदूर परिवारों को बसाने के लिये लगभग 5 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इसके अनिरीक्त, इसी योजना-वधि में पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिये लगभग 90 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

इस योजनावधि में पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, बम्बई व बिहार में श्रम-सहकारी समितियाँ स्थापित करने में सफलता प्राप्त की गई। बिहार में 10 हजार परिवारों को भूदान से प्राप्त भूमि पर बसाया गया। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर व पंजाब में खेतिहर मजदूरों को मकान की जगह दिलाने में सफलता मिली।

तृतीय योजना में कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर पर्याप्त जोर दिया गया और इसलिए विशाल विनियोग की व्यवस्था की गई। विभिन्न विकास-कार्यक्रमों, जैसे कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, गाँवों का विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पीने के पानी की व्यवस्था, सिंचाई कृषि-उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा आदि से कृषि श्रमिकों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। योजनाकाल में कृषि श्रमिकों को बसाने के

लिए 12 करोड़ रुपये व्यय करने थे और 50 लाख एकड़ भूमि पर 7 लाख कृषि-श्रमिक परिवारों को बसाने की व्यवस्था थी। पिछड़ी हुई जातियों के कल्याणार्थ 19 41 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

तृतीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वे प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। अनुमान है कि योजनाकाल के 15 वर्षों में भूमिहीन मजदूरों को एक करोड़ एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—इस योजना में कृषि-श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके अन्तर्गत (1) भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया, एवं (11) कृषि-श्रमिकों को अन्य रोजगारों में लगाने पर ध्यान दिया गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना—इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए 18 सदस्यीय कृषि-श्रम तदर्थ समिति बनायी गयी। साथ ही इस योजना में आवास व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया।

छठी योजना तथा कृषि श्रमिक—छठी योजना में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाए गये हैं उनमें कृषि श्रमिकों को सम्मिलित किया है। योजना में यह उल्लेख किया गया है कि देश की लगभग 20% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और जन जातियों की है, ये जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग का निर्माण करती है। इनके पास साधनों का अभाव है और प्रमुख रूप से ये कृषि पर निर्भर रहते हैं इस योजना में इस वर्ग के आर्थिक विकास के लिए पुनर्वितरण के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है इस योजना में सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ ही कमजोर वर्ग के विकास को जोड़ा गया है।

इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु भी पर्याप्त मात्रा में परिव्यय का प्रावधान है। क्षेत्रीय विकास हेतु ब्लाकों और कार्यक्रमों का चयन इस प्रकार किया जायेगा ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके इसके साथ ही निर्बल वर्गों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

न्यूनतम आवश्यकताओं के संशोधित कार्यक्रम (R M N P) में प्राथमिक और प्रौढ शिक्षा के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिन क्षेत्रों में पिछड़ी हुई जनसंख्या का प्रभाव अधिक है और शिक्षा की सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ प्राथमिक शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी। इस कार्यक्रम में भूमिहीन श्रम आयास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इससे भी निर्बल वर्ग के लोगों की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सकेगी इसके अतिरिक्त गन्दी बस्तियों के वातावरण में सुधार एवं अनुपूरक पोषण आदि के प्रावधान से भी निर्बल वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

स्पष्ट छठी योजना में निर्बल लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। केवल सामान्य विकास कार्यक्रमों व कल्याणकारी कार्यक्रमों से ही नहीं अपितु रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के विकास से भी निर्बल वर्ग के

लोगो को लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह सहायक व्यवसायो मे व ग्रामीण उद्योगो के विकास से भी उन्हे पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकेगा।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत मे कृषि श्रमिको की समस्याओ का उल्लेख कीजिए और इन समस्याओ को सुलझाने के उपाय बताइए।
2. भारत मे कृषि श्रमिको की निम्न आर्थिक दशा के कारण बताइए तथा इसकी दशा सुधारने के सुझाव दीजिए।
3. भारतीय कृषि मे कृषि श्रमिको की समस्या का परीक्षण कीजिए। यह समस्या कैसे हल हो सकती है ?
4. देश में कृषि श्रम समस्या की संक्षेप मे विवेचना कीजिए। क्या वह कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था मे आवश्यक ढाँचे मे परिवर्तन के बिना हल की जा सकती है ?

कृषि-कीमत एवं उनका स्थिरीकरण (Agricultural Prices and Their Stability)

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में कृषि-वस्तुओं की कीमतों का विशेष महत्त्व है। कारण यह है कि कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित करते हैं और सामान्य कीमत स्तर में होने वाले उच्चावचन आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।

कृषि-कीमतों के कार्य या महत्त्व

कृषि कीमतें अनेक कार्य सम्पन्न करती हैं जिनमें से कुछ आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं के लिए विशेष महत्त्व के हैं। कृषि-कीमतों के मुख्य कार्य ये हैं—

1. कीमती आय वितरण के रूप में—कृषि-कीमतें अर्थव्यवस्था के आय वितरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादक की आय उपज के उस भाग के अनुपात में प्रभावित होती है जो वे बाजार में विक्रय करते हैं तथा उपभोक्ताओं की वास्तविक आय उनकी आय के उस भाग के अनुपात में प्रभावित होगी जो वे कृषि पदार्थों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार जब कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे बड़े उत्पादकों को जिनके पास विक्रय-योग्य काफी अतिरिक्त रहता है, लाभ होता है परन्तु छोटे किसानों को अधिक लाभ नहीं होता क्योंकि विक्रय-योग्य अतिरिक्त की मात्रा उनके पास कम होती है। कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से कम आय वाले नगरीय उपभोक्ता की वास्तविक आय में काफी कमी आ जाती है क्योंकि वे अपनी आय का अधिकांश भाग खाद्य पदार्थों के क्रय पर व्यय करते हैं। यह भी हो सकता है कि बढ़ती हुई कीमतों के फलस्वरूप उन्हें अपने धरलू उपभोग में कमी करनी पड़े जो बिलकुल वाछनीय नहीं है।

2. कीमत पूंजी निर्माण के उद्दीपक के रूप में—कृषि-कीमतें आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योग देती हैं। वे इस भूमिका को पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करके निभाती हैं। ऊँची कीमतों के फलस्वरूप उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और अधिक आय प्राप्त होती है। फलतः बचत और विनियोग-दरों में वृद्धि होती है।

3 कीमतें संसाधनों के आवण्टक के रूप में—कृषि कीमते देश के आर्थिक साधनों के बँटवारे या आवण्टक को प्रभावित करती है। किसान उन वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देता है जिसकी कीमत अधिक होती है अथवा जिनकी कीमत बढ़ने की आशा होती है। इस सम्बन्ध में एक प्रमुख तथ्य यह है कि कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का प्रभाव उन वस्तुओं के उत्पादन पर बहुत अधिक नहीं होता जो उपभोग के लिए आवश्यक होती है तथा जिनका सम्पूर्ण कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा भाग होता है जैसे गेहूँ व चावल आदि। कीमत वृद्धि का प्रभाव व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक होता है।

कृषि वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण (Causes of Fluctuation in Agricultural Prices)

1 कृषि उपज की पूर्ति में परिवर्तन—कृषि अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर रहती है, फलतः प्रतिकूल और अनुकूल मौसम के कारण कृषि उपज में प्रतिवर्ष परिवर्तन होते रहते हैं। बाढ़, सूखा, व्यापक पीध रोग आदि के कारण कृषि पैदावार कम हो जाती है जिसका कृषि उपज की पूर्ति पर घातक प्रभाव पड़ता है, जिससे कृषि-कीमतों में काफी वृद्धि होती है। कभी-कभी अनुकूल मौसम से कृषि उपज बढ़ती है, जिससे मंडी में कृषि उपज की पूर्ति बढ़ जाती है। फलतः कृषि कीमतों में कमी आ जाती है।

2 कृषि उपज की माँग में परिवर्तन—कृषि उपज की माँग में वृद्धि होने पर भी कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। कृषि वस्तुओं की माँग में वृद्धि के साधारणतया दो कारण होते हैं—(1) जनसंख्या में वृद्धि (ii) लोगों की आय में वृद्धि।

जनसंख्या में वृद्धि—जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी कृषि उपज की माँग में वृद्धि होती है तथा कृषि उपज की माँग में वृद्धि के कारण कृषि-कीमतों में वृद्धि होती है।

लोगों की आय में वृद्धि—भारतवर्ष ने पञ्चवर्षीय योजनाओं में बहुत अधिक व्यय किए जाने के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि होने के कारण भारत में खाद्यान्नों की माँग और कीमत में भी वृद्धि हुई है।

3. औद्योगिक विकास—भारतवर्ष में बहुत से ऐसे उद्योगों का विकास हुआ है, जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है जैसे चीनी, पटसन व कपड़ा उद्योग इत्यादि किन्तु इन उद्योगों के विकास ने देश के फसलों के ढाँचे को प्रभावित किया है। जैसे खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र कम होता गया है और व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है फलतः खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी है।

4. सरकार की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति—सरकार की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति का भी कृषि कीमतों पर प्रभाव पड़ता है—

(अ) मौद्रिक नीति—देश में जब वास्तविक उत्पादन की वृद्धि की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि अधिक होती है तो कीमतें बढ़ती हैं। भारत में पञ्चवर्षीय योजनाओं में भारी व्यय के कारण मुद्रा की पूर्ति वास्तविक उत्पादन से सदैव अधिक रही है फलतः कृषि कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है।

रिजर्व बैंक की साख-नीति का प्रभाव कृषि-कीमतों की नीति पर पड़ता है। यदि साख-नीति उदार होती है अर्थात् नीचे व्याज की दर पर ऋण मिल जाता है और ऋण लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता तो व्यापारियों को सट्टेबाजी व जमा-खोरी को प्रोत्साहन मिलता है। फलतः कीमते बढ़ती हैं। रिजर्व बैंक ने कृषि-कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चयनात्मक साख-नीति का उपयोग किया है।

(ब) राजकोषीय नीति—भारत ने अपनी पञ्चवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भारी मात्रा में हीनार्थ-प्रबन्धन का सहारा लिया है। इसके अन्तर्गत सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने के लिए कागजी मुद्रा का निर्गमन करती है जिसके कारण बाजार में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर कीमतों में वृद्धि होने लगती है।

5. साख, विपणन, यातायात, संग्रह आदि की सुविधाओं में वृद्धि—किसानों को साख, विपणन, यातायात, संग्रह आदि की जो सुविधाएँ योजनाकाल में प्रदान की जा रही हैं, उससे किसानों की अनुकूल मूल्य मिलने तक उपज अपने पास रोकने की क्षमता बढ़ी है। फलतः कृषि कीमतों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई है।

6 उचित कृषि-कीमत नीति का अभाव—भारत में कृषि वस्तुओं की कीमत में उच्चावचन का एक कारण यह भी रहा है कि या तो सरकार ने उचित कृषि-कीमत नीति नहीं अपनाई अथवा यदि अपनाई तो उसे कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। फलतः कृषि-कीमतों में वृद्धि या भारी गिरावट होती रही।

7. अपूर्ण या सगठित बाजार—भारत में सगठित बाजार नहीं है। यहाँ कृषि विपणन में मध्यस्थों की लम्बी शृङ्खला है और विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएँ प्रचलित हैं। फलतः कृषि पदार्थों की कीमतों में भारी अस्थिरता रहती है।

कृषि-कीमत में परिवर्तनों के दुष्परिणाम

कृषि-कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के दुष्परिणामों का अध्ययन हम निम्न-लिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं।

1 कृषि अर्थ-व्यवस्था के विकास में बाधक—कृषि-कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसानों को मिलने वाली कृषि उपज कीमतों में बार-बार उच्चावचन आने से किसानों की आय में अस्थिरता तथा अनिश्चितता बढ़ जाती है।

किसानों की आय में अस्थिरता कृषि अर्थव्यवस्था को मुख्यतः निम्न दो प्रकार से प्रभावित करती है—

(अ) कृषि क्षेत्र में बचत व विनियोग का अभाव—कृषि-कीमतों की अस्थिरता के कारण किसानों की आय में जो अनिश्चितता आ जाती है, उसके कारण किसान बचत करने व कृषि पूंजी लगाने में हिचकते हैं। स्पष्टतः कृषि-कीमतों में समय-समय पर होने वाला परिवर्तन कृषि क्षेत्र में विनियोग बढ़ाने के मार्ग में बाधक है।

(ब) उत्पादन कम व ऋण के भार में वृद्धि—यदि कृषि-पदार्थों की कीमतें

बहुत कम हो जाती है तो किसानों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो जाती है। किसान-वर्ग पर दुख की छाया फैल जाती है। किसान की भू-राजस्व, सिंचाई, मजदूरी इत्यादि पर एक निश्चित राशि व्यय करनी पड़ती है, किन्तु कृषि वस्तुओं की कीमतें गिर जाने के कारण उसकी आय बहुत कम हो जाती है। फलतः किसानों पर ऋण का भार बढ़ जाता है।

2. उपभोक्ताओं को हानि—भारत जैसे निर्धन देशों में व्यक्तियों की आय का अधिकांश भोजन, कपड़ा आदि प्राथमिक आवश्यकताओं पर व्यय किया जाता है, जिनके कारण इन वस्तुओं की माँग बेलोचदार होती है। इसका अर्थ यह है कि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर व्यय की मात्रा बढ़ जाती है। अतः कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण व्यय की मात्रा बढ़ने पर एक ओर उपभोक्ताओं को हानि होती है और दूसरी ओर उनका जीवन-स्तर गिर जाता है।

3. आयात-निर्यात-नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई—कृषि-कीमतों में अस्थिरता के कारण सरकार को आयात-निर्यात नीति का उचित ढंग से बनाना और क्रियान्वित करना कठिन हो जाता है। उसमें निरन्तर परिवर्तन करने पड़ते हैं, जिसका विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

4. जमाखोरी-मुनाफाखोरी व सट्टेबाजी में वृद्धि—कृषि-कीमतों में अस्थिरता के कारण उत्पादकों की आय अनिश्चित हो जाती है, उपभोक्ताओं के उपभोग का स्तर अनिश्चित हो जाता है और व्यापारियों के व्यापार की स्थिति भी अनिश्चित हो जाती है। इनका संयुक्त प्रभाव यह होना है कि देश में जमाखोरी, मुनाफाखोरी व सट्टेबाजी की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है जिसके कारण व्यापारी वर्ग को तो लाभ होता है परन्तु उत्पादक व उपभोक्ता वर्ग को हानि उठानी पड़ती है।

5. देश के आर्थिक नियोजन कार्यक्रम में बाधा—कृषि-कीमतों की अस्थिरता के कारण देश के आर्थिक नियोजन कार्य में कई बाधाएँ आती हैं। उदाहरण—कृषि पदार्थों की कीमतें बढ़ने के कारण जीवन-निर्वाह का व्यय अधिक हो जाता है। फलतः मजदूरी की मजदूरी में वृद्धि करनी होती है। मजदूरी में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे निर्मित वस्तुओं की कीमतें और बढ़ जाती हैं और मजदूरी की मजदूरी में पुनः वृद्धि करनी पड़ती है। इस प्रकार कीमत वृद्धि का दूषित-चक्र चलता रहता है जिसके कारण आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना कठिन हो जाता है।

कृषि-कीमतों के स्थिरीकरण का आशय (Meaning of Stability in Agricultural Prices)

कृषि एक मौसमी उद्योग होने के कारण तथा भारतीय कृषि की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि उत्पादन में और उसके फलस्वरूप कृषि-कीमतों में उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अतः कृषि वस्तुओं की कीमतों के स्थिरीकरण का यह आशय नहीं है कि इनकी कीमतों को किसी विशेष बिन्दु पर स्थिर रखा जाय

बल्कि इसका तात्पर्य कृषि-कीमतों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करके एक निर्धारित सीमा के अन्दर नियमित करने से है। अशोक मेहता कमेटी के अनुसार “एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न कीमत असमानताओं में प्रतिबिम्बित होती हैं। इन असमानताओं को एक सीमा के भीतर ही रखना ही कीमत स्थिरीकरण है।”

कृषि कीमत-स्थिरता के उद्देश्य

कृषि कीमत में स्थिरता के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- 1 कृषि-कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ावों को न्यूनतम करना।
- 2 कृषि से उत्पादित वस्तुएँ तथा कृषि आवश्यकताओं के बीच उचित कीमत सम्बन्ध स्थापित करना।
- 3 कृषि-कीमतों में भारी व एकतरफा परिवर्तनों को रोकना।
- 4 ऐसे पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना जिससे जन साधारण के उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें तथा उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो सके।
- 5 विभिन्न प्रतियोगी फसलों की माँग व उत्पादन में समायोजन करने के लिए इन प्रतियोगी फसलों की कीमतों में उचित सम्बन्ध बनाये रखना।
- 6 कृषकों को अपनी उपज की लाभप्रद न्यूनतम कीमत प्राप्त हो सके तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कृषि-वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें।
- 7 किसानों से बाजार में विपणन योग्य बचत नियमित रूप से आती रहे इस-लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की कृषि-कीमतों में समन्वीय स्थापित करना।
- 8 मुद्रा स्फीति के दबाव पर नियन्त्रण रखना।
- 9 कृषि उत्पादित वस्तुओं का मुख्यतया ध्यापारिक फसलों का निर्यात स्तर बनाए रखना तथा प्रोत्साहित करना। अस्थिर कृषि-कीमतों का कृषि वस्तुओं के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः निर्यात प्रोत्साहन के लिए कृषि-कीमतों का स्थिरीकरण आवश्यक है।

भारत में कृषि-कीमतों की प्रवृत्तियाँ

प्रथम योजना के आरम्भ में कृषि-कीमत काफी ऊँची थी, लेकिन योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने तथा सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति विरोधी नीति अपनाने से योजना के अन्त में कृषि कीमतों में 20% की कमी हुई। द्वितीय योजना में कृषि उत्पादन में आशानुकूल वृद्धि न होने तथा मुद्रा प्रसारजन्य दबावों के कारण, कृषि-कीमतों में लगभग 39% की वृद्धि हुई। तृतीय योजना में भी कृषि उपज की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति थी।

1965-66 के बाद कृषि उपज की कीमतों एवं सामान्य कीमत स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार थे—(i) भारत-पाक युद्ध (ii) 1965

के बाद दो वर्ष लगातार सूखा पडने के कारण मध्यप्रदेश, बिहार व राजस्थान में फसलो का नष्ट हो जाना (iii) बजट में भारी कराधान (iv) 1971 में बंगलादेश से भारी मात्रा में शरणार्थियों का आगमन (v) 1971 में भारत-पाक युद्ध (vi) 1971-72 के बाद लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलो का नष्ट होना तथा (vii) सरकार द्वारा अत्यधिक मात्रा में मुद्रा-पत्रों का निर्गमन अर्थात् मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि, संग्रह करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी एवं हीनार्थ-प्रबन्धन इत्यादि ।

जनवरी सन् 1977 से 1970-71 को आधार वर्ष मानकर थोक मूल्य सूचकांक की एक नई शृङ्खला प्रारम्भ की गई जिसके अनुसार कृषि मूल्यों की प्रवृत्ति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

कृषि मूल्य की प्रवृत्ति
1970-71 = 100

वर्ष	खाद्यान्न	दाले	तिलहन
1971-72	103	111	90
1975-76	174	182	126
1976-77	153	146	151
1977-78	170	215	184
1979-80	215	315	236

उपर्युक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अल्पकालीन उच्चावचनो को छोड़कर कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति बढ़ने की रही है ।

कृषि-कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उपाय एवं विभिन्न समितियों के सुझाव

भारत सरकार ने समय-समय पर कीमत स्थायीकरण के सम्बन्ध में अध्ययन करने और सुझाव देने हेतु विभिन्न समितियों की नियुक्ति की है । इन विभिन्न समितियों द्वारा कृषि-कीमत के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. **कृष्णमाचारी कीमत उप समिति**—सन् 1944 में श्री कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में कृषि-कीमतों के सम्बन्ध में एक कीमत उपसमिति नियुक्त की गई थी । इस समिति के कृषि-कीमतों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में मुख्य सुझाव इस प्रकार थे—

(i) कृषकों को कीमत सम्बन्धी गारण्टी सरकार प्रदान करे (ii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु अधिकतम कीमत भी निर्धारित की जानी चाहिये (iii) न्यूनतम कीमत निर्धारित करते समय लागत को ध्यान में रखा जाना चाहिए, (iv) कृषि पदार्थों का सरकार द्वारा क्रय-विक्रय करके कीमतों को निर्धारित सीमा में ही रखा जाना चाहिए । (v) एक अखिल भारतीय कृषि कीमत परिषद बने जो कृषि कीमत नीति निर्धारित करे (vi) न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं के मध्य एक उचित कीमत निर्धारित की जानी चाहिए । (vii) आधिकार्यों के आधार पर अन्न के सुरक्षित भण्डार बनाये जाने

चाहिये (viii) कीमतों में कमी एक फसल में $12\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक न हो।

2. अशोक मेहता खाद्यान्न जाँच समिति—1957 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में खाद्यान्न जाँच समिति की नियुक्ति की गई, जिसने खाद्यान्न कीमत स्थायीकरण के लिए निम्न सुझाव दिये थे—(i) कीमत स्थायीकरण के कार्यक्रम की एक सामान्य रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त सत्ता 'कीमत स्थिरीकरण बोर्ड' की स्थापना की जाये। (ii) खाद्यान्न स्थायीकरण संगठन की स्थापना की जाय जो कि खाद्यान्नो के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित नीति को कार्यान्वित करे (iii) एक कीमत अनुसंधानशाला संगठित की जाये जो कि कीमतों से सम्बन्धित आँकड़ों का संग्रह करे। (iv) खाद्यान्नो के वितरण हेतु उचित कीमत की दुकानें खोली जायँ।

3. फोर्ड फाउन्डेशन दल के विचार—कृषि-कीमतों के स्थिरीकरण के सम्बन्ध में फोर्ड फाउन्डेशन दल ने अपनी रिपोर्टें जो 1959 में प्रस्तुत की जिसमें निम्न सुझाव दिये थे—(i) कीमत-नीति के निर्धारण करने हेतु एक स्थायी संगठन बनाया जाना चाहिये। (ii) प्रारम्भ में अखिल भारतीय स्तर पर गेहूँ और चावल की और क्षेत्रीय आधार पर अन्य फसलों की न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाय। (iii) कीमत निर्धारित करते समय घरेलू एवं विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय।

खाद्यान्न वसूली के सुझाव—प्रो० डी० आर० गाडगिल का मत था कि खाद्यान्नो की न्यायोचित वितरण नीति को सफल बनाने के लिए आंतरिक कृषि उपज वसूली का होना अनिवार्य है। प्रो० गाडगिल का विचार था कि कृषको द्वारा विक्रय की जाने वाली कुल उपज का लगभग 30 प्रतिशत सरकार को वसूली के माध्यम से प्राप्त करना चाहिये। आयातों के साथ-साथ घरेलू उत्पादन आधिक्य के माध्यम से समीकरण भंडार बनाना चाहिये तथा इन भण्डारों का उपयोग कमी के समय आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिए। सफल कीमत नीति के समय समीकरण भण्डार योजना बहुत आवश्यक है।

खाद्यान्न नीति समिति 1966—मार्च 1966 में भारत सरकार ने श्री बी० बैकटैया की अध्यक्षता में खाद्यान्न नीति समिति नियुक्त की जिसके मुख्य उद्देश्य प्रचलित खाद्य क्षेत्र व्यवस्था व खाद्यान्न वसूली व वितरण व्यवस्था की जाँच करना तथा देश के विभिन्न राज्यों व वर्गों के बीच उचित कीमतों पर खाद्यान्न वितरण के उचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक सुझाव देना था। इस समिति ने समन्वित खाद्य नीति का सुझाव दिया था, जिसके मुख्य तत्त्व निम्न प्रकार दिये गये हैं—

1. आवश्यक पूर्ति के लिए खाद्यान्नो की वसूली की जाय।

2. अन्तर राज्य खाद्यान्न शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाय।

3. समीकरण भण्डार योजना को सफल बनाया जाय, जिससे कठिन समय में खाद्यान्नो की पूर्ति की जा सके।

4. न्यायोचित बँटवारे की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था को अपनाया जाय।

5. इस समिति ने 'राष्ट्रीय खाद्य-प्रबन्ध' का नवीन विचार रखा। इस हेतु

एक राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाया जाय जिससे कि उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का न्यायोचित वितरण हो सके।

कृषि-कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम

देश में कृषि-कीमतों के स्थायीकरण के महत्त्व को अनुभव करते हुए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- 1 कृषि उत्पादन में वृद्धि।
- 2 अन्तर्देशीय वसूली।
3. खाद्यान्नों का आयात।
4. राशन व्यवस्था तथा उचित कीमत की दुकान।
- 5 खाद्यान्न व्यापार-निगम की स्थापना।
- 6 गेहूँ के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण।
- 7 साख-नियंत्रण।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर पर्याप्त प्रकाश 'भारत में खाद्य समस्या' नामक अध्याय में डाला जा चुका है।

सरकार की कृषि-मूल्य नीति की समीक्षा

सरकार द्वारा जो कृषि-मूल्य नीति अपनाई गई है उसके पक्ष में और विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

पक्ष में तर्क—1 उपभोक्ता को उचित मूल्य की दूकानों से उचित मूल्य पर कृषि पदार्थ मिलते रहे हैं। यदि यह नीति न अपनाई जाती तो मूल्यों में काफी उच्चावचन होते।

2 इस नीति से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

3. कृषि पदार्थों के मूल्य न तो अत्यधिक बढ़े हैं और न अत्यधिक घटे। उनमें एक सीमा तक स्थायित्व आया है।

4. खाद्यान्नों के उत्पादन कम होने की स्थिति में खाद्यान्नों का आयात कर देश को अकाल से बचाया है।

5. उद्योगों को भी कृषि पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी स्थायित्व रहा है तथा औद्योगिक शांति रही है।

6. कृषकों को आवश्यक आदान उपलब्ध किये हैं। उन्नत-बीज दिये गये हैं। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार किया गया है। भूमि सुधार करके कृषकों को स्वामित्व दिलाया गया है आदि।

विपक्ष में तर्क—सरकार की कृषि-मूल्य नीति के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

1. कृषि मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं इससे सभी के मन में अनिश्चितता रहती है।

2. खुले बाजार मे कृषि पदार्थ सदैव ही उपलब्ध रहे है चाहे उनकी कीमतो मे कितनी भी वृद्धि हो गई हो लेकिन सरकार मूल्य वृद्धि के समय पूरा-पूरा खाद्यान्न देने मे असफल रही है ।

3. उपभोक्ता को सदैव ही कठिनाइयो का सामना करना पडता है । राशन की दूकानो पर पूरा राशन नही मिल पाता क्योकि वहाँ सदा ही राशन कार्डों की माँग से कम ही स्टोक रहता है ।

4. कृषि उत्पादन मे जो वृद्धि हुई है वह सरकार के प्रयत्नो से नही बल्कि कृषको के प्रयत्नो व प्राकृतिक सहयोग से हुई है ।

निष्कर्ष—निष्कर्ष के रूप मे हम यह कह सकते है कि सरकार की कृषि-मूल्य नीति से कृषि पदार्थों की कीमतो मे स्थिरता तो आयी है लेकिन जिस स्तर तक हम चाहते थे वैसा नही हो पाया है । “कृषि पदार्थों की कीमतो की समस्या मुख्यतया उत्पादन एव वितरण की समस्या है, अत मूल्यो मे स्थायित्व रखने के लिए उत्पादन तथा पूर्ति का स्त्राव नियमित एवं निश्चित होना चाहिये ताकि असामाजिक तत्त्वो को अभाव का लाभ उठाने का अवसर मिल सके । वस्तुतः कृषि मूल्यो की वृद्धि की समस्या का समाधान अधिक उत्पादन तथा सरकार को निश्चित नीति तथा उसे दृढतापूर्वक क्रियान्वित करने मे सन्निहित है ।

छठवीं योजना मे कृषि मूल्य सम्बन्धी नीति

छठवी योजना मे कृषि मूल्यो मे स्थानीयकरण की नीति अपनई जायेगी । इस नीति में समर्थित मूल्य बफर स्टोक क्रियाएँ और आवश्यक होने पर आयात की व्यवस्था शामिल होगी । इस नीति मे केवल गेहूँ और चावल को ही नही, वरन् कपास और जूट को भी शामिल किया जायेगा । वित्तीय और प्रशासकीय क्षमता के आधार पर दालो और तिलहनो को भी शामिल किया जा सकता है । प्रतियोगी फसलो मे मूल्य के तुलनात्मक निर्धारण का प्रयास किया जायेगा ताकि विभिन्न फसलो में क्षेत्रफल का वितरण नियोजित व्यवस्था के अनुसार बना रहे ।

परीक्षा प्रश्न

1. 'कीमत स्थिरीकरण' से आप क्या समझते है ? प्रमुख कृषि उपजों की कीमतों को स्थिर करने के लिए किये गये उपायो का विवरण दीजिए ।

2. उन विभिन्न रीतियो का वर्णन कीजिये जिनके द्वारा कृषि उपज के मूल्य स्थिर रखे जा सकते है ? क्या आपके विचार मे मूल्यो का ऐसा स्थिरीकरण भारतीय किसान के हित मे होगा ? कैसे ?

भारत में प्रमुख बृहत् उद्योग (Major Industries of India)

लोहा तथा इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण और आधारभूत उद्योगों में से एक है। देश की औद्योगिक प्रगति के लिए इस उद्योग का विकास अनिवार्य है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी इस उद्योग का बहुत महत्त्व है क्योंकि प्रत्येक प्रकार की लड़ाई के अस्त्र-शस्त्रों में लोहे का प्रयोग होता है। इसलिए यदि वर्तमान युग को 'लोहा व इस्पात युग' कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संक्षिप्त इतिहास—ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारा देश लोहे व इस्पात के उद्योगों के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। दिल्ली का लौह स्तम्भ सप्ताह के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के लिए सदैव आश्चर्य की वस्तु रहा है। प्रो० विल्सन के शब्दों में "लोहे की ढलाई तो इंग्लैण्ड में थोड़े ही वर्षों से आरम्भ की गई है, परन्तु हिन्दू लोग लोहा गलाने, ढालने और इस्पात बनाने की कला का ज्ञान प्राचीन काल से रखते हैं।" बाडिया व मर्चेंट के अनुसार "भारतवर्ष में चौथी व पाँचवीं शताब्दी में भी टिकाऊ व सुन्दर लोहे की वस्तुओं का उत्पादन होता था तथा ये वस्तुएँ विदेशों को पर्याप्त मात्रा में निर्यात की जाती थी।" इस प्रकार, भारत प्राचीन काल से ही लोहा बनाने की पद्धति से परिचित था, परन्तु आधुनिक ढङ्ग से लोहा बनाने का प्रथम प्रयास सन् 1830 में किया गया, जो कि असफल रहा। सन् 1847 में बंगाल में बाराकर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई परन्तु यहाँ केवल लोहा ही बनाया जा सकता था, इस्पात नहीं। इसके पश्चात् निम्न कारखानों की स्थापना की गई— 1857 में आसनसोल में बंगाल आयरन कम्पनी, 1875 में बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, 1908 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, 1918 में हीरापुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 1923 में भद्रावती में मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स।

ये कारखाने निजी क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे। केवल भद्रावती का कारखाना मैसूर सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था।

प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात्

प्रथम महायुद्ध ने इस उद्योग को, जो अपने बाल्यकाल में ही था, अधिक उन्नति करने का अवसर प्रदान किया। युद्ध के कारण लोहे एवं इस्पात का मायात घट गया। दूसरी ओर, देश में युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माँग में वृद्धि हो रही थी। साथ ही साथ अन्य देशों में भी लोहे तथा इस्पात की माँग बढ़ रही थी। सन् 1915 में कच्चे लोहे का उत्पादन 1 62 लाख टन था, जो सन् 1916-17 में बढ़कर 2.32 लाख टन हो गया। युद्ध-काल में टाटा कम्पनी ने उन्नति की। टाटा कम्पनी ने अपने विस्तार कार्यक्रम को सन् 1921-22 तक पूरा किया। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध ने इसकी नींव को पूर्णरूप से सुदृढ़ बना दिया।

युद्ध के उपरान्त अन्य उद्योगों की तरह लोहा एवं इस्पात उद्योगों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद लोहे एवं इस्पात की सैनिक माँग समाप्त हो गई और साथ ही साथ इस उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ा। अतः उद्योग की रक्षा के लिए संरक्षण की माँग की जाने लगी और सन् 1934 में इस उद्योग को 3 वर्ष के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण के अधीन उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में ही वृद्धि हुई। सन् 1927 में संरक्षण की अवधि 7 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। परन्तु यह संरक्षण 31 मार्च सन् 1947 तक चलता रहा। इस प्रकार, 23 वर्ष तक इस उद्योग को बराबर संरक्षण मिलता रहा।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्

द्वितीय महायुद्ध ने इस उद्योग की उन्नति एवं विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। माँग में आशातीत वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में भी वृद्धि हुई। अतः बाध्य होकर सरकार को सन् 1944 में इसके उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण लगाना पड़ा। इससे उत्पादन की मात्रा के साथ ही माँग की किस्म में भी सुधार हुआ।

किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद अनेक कारणों से जैसे, माँग में कमी, मुद्रा स्फीति, देश का विभाजन, मशीनों की पुनर्स्थापना की समस्या, कच्चे माल की कठिनाई, श्रम समस्या आदि के कारण इस उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा। उद्योग का उत्पादन घटने लगा। यह स्थिति सन् 1948 तक चलती रही। स्वतन्त्रता से पूर्व इस उद्योग में निम्न बड़े कारखाने थे। जिनका उत्पादन कुल मिलाकर लगभग 10 लाख टन था—(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, (TISCO); (ख) स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल (SCOR)—जिसे सन् 1953 से बर्नपुर की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (HSCO) में मिला दिया गया है; (ग) भद्रावती, मैसूर में मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स।

योजनाकाल में इस्पात उद्योग

1 प्रथम योजना—इस योजना में सिर्फ़ निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार पर जोर दिया गया। (TISCO), (IISCO) तथा (MISW) (अब मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए योजनाएँ बनाई गयीं। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विकास कार्यक्रम पर 34.14 करोड़ रुपये और मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम पर 13.86 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

2 द्वितीय योजना—वस्तुतः इस उद्योग के विकास के लिए ठोस कार्यक्रम द्वितीय योजना में ही लागू किया गया। प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में तीन कारखानों की स्थापना के समझौते किए गए थे। उनका निर्माण द्वितीय योजना की अवधि में ही किया गया—(i) राउरकेला स्टील प्लांट (उड़ीसा) जर्मनी के दो फर्म—Krupf तथा Demag की सहायता से (ii) भिलाई स्टील प्लांट (मध्यप्रदेश) रूस सरकार की सहायता से (iii) दुर्गापुर स्टील प्लांट (पश्चिम बंगाल) ब्रिटेन की सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों का प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (HSC) के अधीन रखा गया।

द्वितीय योजना के अन्त में सन् 1960-61 में कच्चा लोहा 1 140 लाख टन स्टील 3.870 लाख टन तथा निर्मित स्टील 2.980 लाख टन उत्पादित किया गया।

3 तृतीय योजना—इस योजना काल में निम्नलिखित प्रगति हुई—(i) इस्पात का उत्पादन 34 लाख टन से बढ़कर 62 लाख टन हो गया। (ii) भिलाई कारखाने की उत्पादन क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 27 7 मीट्रिक टन कर दी गई। (iii) राउरकेला में सन् 1965 में 10 7 लाख मीट्रिक टन लोहा और 10 8 लाख टन इस्पात की सिल्लियाँ उत्पन्न की गयीं। (iv) बोकारो कारखाना इस योजना काल में पूर्ण न हो सका।

4. चतुर्थ योजना—(i) चतुर्थ योजना में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 81 लाख टन रखा गया है। बोकारो स्टील प्लांट (रूस सरकार की सहायता से) की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया लेकिन 1973-74 में तैयार इस्पात का उत्पादन 44.7 लाख ही हो सका। (ii) इस योजना की एक उल्लेखनीय बात यह थी की बोकारो में 1.7 मिलियन टन की प्रथम चरण की योजना का निर्माण कार्य काफी पूरा हो गया था। (iii) इसी योजना काल में सलेम (तमिलनाडु), विजयनगर (कर्नाटक) एवं विशाखापटनम् (आन्ध्र प्रदेश में) तीन नए इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए योजना तैयार की गईं ताकि पाँचवी योजना की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें (iv) 1972 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया।

5. पाँचवीं व छठवीं योजना—इस योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग के सार्वजनिक कारखानों के विकास के लिए 1622 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था। योजना के अन्त तक 28 लाख मीट्रिक टन इस्पात के उत्पादन का अनुमान था।

इस्पात का उत्पादन 1976-77 (70 लाख टन) में लगातार घटता जा रहा

है। 1977-78 में यह 69 लाख टन हुआ तो 1978-79 में घटकर 60 लाख टन रह गया। छठी योजना में बिक्री योग्य इस्पात व बिक्री योग्य कच्चा लोहा के उत्पादन का अनुमान नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

(लाख टनो में)		
वर्ष	बिक्री योग्य इस्पात	बिक्री योग्य कच्चा लोहा
1979-80	60.39	9.76
छठी योजना		
1980-81	73.20	14.00
1984-85	97.10	14.00
सातवीं योजना (अनुमानित)		
1985-86	105	20.05
1989-90	155.80	19.70

वर्तमान स्थिति

(i) कारखानों की संख्या—इस उद्योग में लगभग 720 फैक्ट्रियाँ कार्य कर रही हैं, जिनमें 3056 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगी है। इस उद्योग में लगभग 3 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं।

(ii) वर्तमान कारखाने—लोहा-इस्पात के कारखानों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—(अ) सरकारी क्षेत्र के कारखाने (ब) निजी क्षेत्र के कारखाने। इस समय देश में 6 इस्पात कारखाने हैं जिनमें से 5 सरकारी क्षेत्र और 1 निजी क्षेत्र में है।

वर्तमान में देश में लोहा एवं इस्पात उत्पन्न करने वाली प्रमुख इकाइयों का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

इकाई का नाम	स्थापना	उत्पादन क्षमता इस्पात पिण्ड (लाख टन)	विक्रय योग्य इस्पात (लाख टन)
निजी क्षेत्र—			
टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी	1907	20.00	15.00
सार्वजनिक क्षेत्र			
(i) भिलाई	1959	25.00	19.65
(ii) राउरकेला	1960	18.00	12.25
(iii) दुर्गापुर	1959	16.00	12.39
(iv) बोकारो	1965	25.00	20.00
(v) इंडियन आयरन एंड स्टील कं०	1919	10.00	8.00

(iii) नये प्रस्तावित कारखाने—नये प्रस्तावित कारखाने निम्नलिखित 3 है।

(अ) सेलम इस्पात कारखाना—मार्च 1977 में सरकार ने सेलम कारखाने में 2.2 लाख टन चादरे और पट्टियों की चीजें बनाने की स्वीकृति दी है।

(ब) विशाखापतनम इस्पात कारखाना—जून 1979 में सरकार ने लगभग 34 लाख टन क्षमता वाले सम्पूर्ण इस्पात कारखाने को विशाखापतनम में स्थापित करने की मंजूरी दी है।

(स) विजयनगर इस्पात परियोजना—विजयनगर कारखाने की विस्तृत रिपोर्ट जो सलाहकारों द्वारा अद्यतन की गई है, परीक्षाधीन है। यह भी निर्णय लिया गया है कि परादीप में समुद्र के किनारे एक इस्पात कारखाना लगाया जायेगा।

(iv) उत्पादन—1980 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 8028 हजार टन और विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन 6039 हजार टन था।

(v) खपत—भारत में प्रति व्यक्ति एक किलो ग्राम इस्पात कार्य में आता है, जबकि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति खपत 800 कि० ग्रा० है।

(vi) आयात-निर्यात—विगत वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर इस्पात का आयात करना पड़ा तथा देश में लोहा-इस्पात की कमी के कारण इसके निर्यात में कमी हुई है।

(vii) लघु इस्पात संयंत्र—इस समय देश में 147 लाइसेन्सशुदा लघु इस्पात संयंत्र हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 33 2 लाख टन की है। 1978-79 में उनका उत्पादन लगभग 17 लाख टन था।

(viii) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल)—लोहा-इस्पात उद्योग को कच्चा माल एवं अन्य सामग्री प्रदान करने वाले सम्बन्धित क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'एक स्टील होल्डिंग कम्पनी' के रूप में जनवरी सन् 1973 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई। अक्टूबर 1977 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों और सेल के ढाँचे और कार्यकलापों का पुनरीक्षण किया और यह महसूस किया गया कि इस्पात मंत्रालय और उद्योग के बीच एक संग्रहकर्ता (होल्डिंग) कम्पनी की कोई आवश्यकता नहीं। तदनुसार 1 मई 1978 से लागू होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्गठन) और सामान्य प्रावधान अधिनियम 1978 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिति इस्पात उद्योग का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार सेल अपने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिति पाँच इस्पात स्क्रन्धों जिनमें भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी (इस्को) भी शामिल है, के साथ एक संगठित इस्पात कम्पनी के रूप में उभरी। इसका उद्देश्य बेहतर प्रबन्ध और इनके परिचालन में अधिक कुशलता सुनिश्चित करना है।

लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याएँ एवं इनका समाधान

1. कच्चे कोयले की कमी—भारत में लोहे को गलाने के लिए कच्चे कोयले का बहुत अभाव है। इस्पात उद्योग की प्रगति के साथ कोयले की मांग, पूर्ति की अपेक्षा

अधिक बढ़ रही है। अच्छे कोयले की कमी के कारण घटिया किस्म के कोयले को काम में लाना पड़ता है, जिसमें राख का अंश अधिक होता है। इससे उत्पादन कम होता है तथा लागत में वृद्धि होती है।

उपाय—इस समस्या को हल करने लिए कोयले धोने वाले कारखानों को स्थापित किया जा रहा है। बिजली की भट्टियाँ तैयार करके ईंधन की समस्या का आंशिक समाधान सम्भव है। सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों को धुला कोयला उपलब्ध कराने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर, दुगड़ा, पाथरडीह तथा भोजपूडीह में अपना कोयला धुलाई घर है।

2. **परिवहन रुकावटें**—अच्छी परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण कच्चे मालों की पूर्ति में अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

उपाय—उद्योग में प्रयुक्त खनिज लोहा, कोयला, चूना, मैंगनीज आदि को ढोने के लिए रेलवे या जल यातायात की व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि ये सभी भारी कच्चे माल हैं। कोयले तथा खनिज लोहे की लगातार कुशल पूर्ति के लिए अधिक रेलवे बैगनों की व्यवस्था की जाये। बार-बार रेलवे परिवहन में आने वाली रुकावटों को दूर कराने की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों में कोयले की ढुलाई व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है।

3. **तकनीकी व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव**—इस उद्योग के लिए उच्च कोटि की तकनीकी व प्रशिक्षित कर्मचारी देश में नहीं मिल पाते फलस्वरूप बहुत अधिक वेतन देकर विदेशों से इन्हें बुलाना पड़ता है।

उपाय—ज्यो-ज्यो देश में प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ती जाएँगी, यह समस्या इतनी गम्भीर नहीं रहेगी। हमारी योजनाओं के अन्तर्गत इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में अप्रयुक्त क्षमता का अधिक होना**—देश में एक तरफ इस्पात की कमी है तथा दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े कारखानों में अप्रयुक्त क्षमता बनी हुई है।

उपाय—अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग के उपाय किये गये हैं, परन्तु अभी भी 35-40 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त है। सम्भवतया आवश्यक कार्यवाही करने पर 1978-79 तक प्रयुक्त क्षमता 90 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी।

5. **ऊँची लागत समस्या**—भारत में इस्पात निर्माण की लागत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक है जबकि खनिज पदार्थों की उपलब्धि को देखते हुए यह बहुत कम होनी चाहिए। खनिज लोहे में एल्यूमिनियम तत्त्व का अधिक होने, कोकिंग कोयले का अभाव, श्रमिकों की उत्पादकता कम होने आदि के कारण लागत अधिक है। मुद्रा-स्फीति, उत्पादन कर, भाडा व कस्टम आदि में वृद्धि के कारण भी लागत बढ़ी है अतः इन तत्त्वों पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है।

6. **श्रम अशांति**—भारत में लोहे एवं इस्पात उद्योग में श्रम अशांति की एक

विकट समस्या है। श्रम अशान्ति सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में और विशेषतः दुर्गापुर सयत्न में अधिक है।

उपाय—श्रम संघों से इस समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन समझौते किये जायें तथा मजदूरी को उत्पादकता से सम्बन्धित कर दिया जाना चाहिए। श्रम संघों को समय की पुकार को समझकर उत्पादन बढ़ाने एवं शांति बनाये रखने में अपना योगदान देना चाहिये।

7. अन्य समस्याएँ—इस्पात के उचित वितरण, मूल्य नियंत्रण, मशीनों का अभाव, पूँजी की कमी आदि अनेक समस्याएँ भी इस उद्योग के विकास में बाधक हैं। सरकार को इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिये आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिये। विदेशों से आयात किये गये इस्पात का मूल्य कम बैठना है परन्तु इसका विक्रय मूल्य आन्तरिक उत्पादन मूल्य के अनुसार बढ़ाकर निर्धारित किया जाता है और इस प्रकार उपलब्ध आधिक्य इस्पात विकास कोष में डालकर इस्पात उद्योग के विकास से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय किया जाता है।

भविष्य—इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। इस्पात उद्योग के विकास के लिए सभी प्रकार का कच्चा माल देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नये इस्पात कारखानों के लिए तकनीकी कुशलता भी देश के अन्दर विकसित हो चुकी है। इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक यन्त्रों और उपकरणों का निर्माण भी देश में होने लगा है और योजनाबद्ध रीति से इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है।

2 सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry)

सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग है। इसको औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में जीवन डालने वाला उद्योग भी कहा जाता है। बुकानन के शब्दों में—“सूती वस्त्र उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव और वर्तमान में कष्टों का कारण किन्तु मद्दा की आशा है।”

संक्षिप्त इतिहास—सूती वस्त्र उद्योग लगभग एक शताब्दी पुराना है। भारत में सूती कपड़े की प्रथम मिल सन् 1818 में कलकत्ते के पास हुसरो नामक स्थान पर बनी थी, परन्तु प्रथम सफल मिल सन् 1845 में बम्बई में स्थापित की गयी थी। धीरे-धीरे इस उद्योग का विकास बम्बई तथा अहमदाबाद में होने लगा। सन् 1861 तक बम्बई में 9 तथा अहमदाबाद और बडौदा में 1-1 मिल खुल चुकी थी।

अमेरिका के गृहयुद्ध के कारण कुछ काल के लिए इसकी प्रगति रुकी रही, किन्तु सन् 1870 के बाद इस उद्योग में पुनः प्रगति करना आरम्भ किया। 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भारत में कई बड़े अकाल पड़े, जिनका सूती वस्त्र उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। परन्तु 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्वदेशी आन्दोलन विद्युत् शक्ति का आविष्कार, बड़ी हुई माँग आदि के कारण इस उद्योग को काफी

प्रोत्साहन मिला। सन् 1905 से सन् 1910 की अवधि में धागा व्यापार और बुनकर मिलों के वस्त्र को ऊँचे लाभ के लिए सम्मिलित करना था। सन् 1914 में मिलों की संख्या 274 थी और ससार के सूती वस्त्र उद्योग में भारत का चतुर्थ स्थान था।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस उद्योग की दो विशेषताएँ थी—(1) तकुवे की तुलना में मिलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि। (2) उत्तम धागों का उत्पादन।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्—प्रथम महायुद्ध के समय आयात में कटौती हो जाने, विदेशी बाजार के विस्तार तथा युद्ध सम्बन्धी माँग की वृद्धि के कारण इस उद्योग के विकास को अच्छा अवसर मिला। परन्तु युद्ध के उपरान्त स्थिति बिगड़ने लगी, विशेषकर जापान की प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण भारतीय धागे के निर्यात में भारी कमी आई।

संरक्षण—सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति इतनी खराब थी कि श्रमिकों की मजदूरी घटानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों ने सामान्य हड़ताल की और सन् 1926 में उद्योग ने संरक्षण के लिए प्रार्थना की। सन् 1927 में उद्योग की संरक्षण की माँग स्वीकृत हुई; जिसके अनुसार विदेशी कपड़े के आयात पर कर लगाया गया। संरक्षण के अन्तर्गत इस उद्योग की प्रगति बड़ी तेजी से हुई। मिलों, कारखानों, तकुवों आदि की संख्या में वृद्धि हुई और आयात कम होता गया।

द्वितीय महायुद्ध—द्वितीय महायुद्ध ने इस उद्योग को साँस लेने का अवसर दिया और इसकी दशा को सुधारने में अत्यधिक सहायता की। इस युद्ध काल में जापान से कपड़े का आयात बन्द कर दिया गया और मित्र देशों की सेनाओं के लिए कपड़े के विशाल आर्डर प्राप्त हुए। इस प्रकार, कपड़ों की माँग में बहुत अधिक वृद्धि हुई। सन् 1944 में 485 करोड़ गज कपड़े का उत्पादन हुआ जो, अब तक हुए उत्पादन में सबसे अधिक था। किन्तु फिर भी देश में कपड़े की अत्यधिक कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई, जिसकी रोक-थाम के लिए सन् 1943 में भारत सरकार ने सूती वस्त्र और धागा नियन्त्रण आदेश पारित किया।

मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर लगाए गए नियन्त्रण कई वर्षों तक चलते रहे। सन् 1947 में देश-विभाजन से सूती कपड़े-उद्योग को बहुत अधिक धक्का लगा, क्योंकि मिलें तो भारतीय क्षेत्र में स्थित थीं, जबकि लम्बी कपास उत्पन्न करने वाला क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। अविभाजित भारत कपास का निर्यात करता था, परन्तु अब कपास का आयात करना पड़ा। सन् 1947 में सूती कपड़ा उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया गया। सन् 1949 में भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया, परन्तु पाकिस्तान ने सन् 1955 तक अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया और साथ ही व्यापारिक समझौतों के अन्तर्गत किए गये वादों का भी पालन नहीं किया। सन् 1950 का वर्ष भी हड़ताल तथा कपास की कमी के कारण अच्छा नहीं रहा। इस प्रकार, विभिन्न कारणों से सन् 1944 के उपरान्त कपड़े का उत्पादन कम रहा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना—सन् 1951 से लेकर सूती कपड़ा उद्योग ने बहुत उन्नति की है। इस योजना को चलाते समय यह ध्यान रखा गया कि सूती वस्त्र उद्योग द्वारा देश की अतिरिक्त माँग की पूर्ति हो सके तथा पर्याप्त मात्रा में निर्यात भी किया जा सके। इस योजना काल में अच्छी फसलो और बढ़ते हुए सरकारी व्यय के कारण कपड़े की आंतरिक माँग में बहुत वृद्धि हुई, जिससे सूती कपड़ा उद्योग के उत्पादन में, योजना के लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई। सन् 1951 में कपड़े का उत्पादन 373 करोड़ मीटर था जो बढ़कर 1955 में 468 करोड़ मीटर हो गया। यह अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। इस योजना के आरम्भ में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत 10.98 मीटर थी, परन्तु योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति औसत खपत बढ़ कर 14.34 मीटर हो गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि देश में प्रति व्यक्ति वस्त्र की वार्षिक खपत 14.3 मीटर से बढ़कर 17.2 मीटर हो जानी चाहिए। प्रति वर्ष सौ करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया। परन्तु माँग की कमी के कारण कई मिले तो बन्द हो गई और कुछ केवल नाम मात्र की ही चल रही थी। मिलों में कपड़े का भण्डार जमा हो गया था। सन् 1960 में हमारे कपड़े का उत्पादन केवल 461 करोड़ मीटर ही था। यद्यपि इस योजना अवधि में कपड़ों का उत्पादन माँग से अधिक था, परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि कपड़े के मूल्यों में कमी नहीं हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इसमें सूती वस्त्र का उत्पादन 1965-66 ई० में 550 करोड़ मीटर करने का आयोजन था। अनुमान लगाया गया था कि 1965-66 ई० में आंतरिक उपभोग के लिए 805 करोड़ मीटर तथा निर्यात के लिए 80 करोड़ मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 1965-66 ई० में कुल 885 करोड़ मीटर तथा विकेन्द्रित क्षेत्र का 335 करोड़ मीटर निश्चित किया गया। किन्तु योजना का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा 1965-66 ई० में सूती वस्त्र का उत्पादन 440 करोड़ मीटर तथा सूत का उत्पादन 90.8 करोड़ किलोग्राम ही हुआ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—इस योजना में मिल क्षेत्र के उत्पादन को मार्च 1974 तक 510 करोड़ मीटर तक बढ़ाने का आयोजन किया गया था। परन्तु इस योजना में सूती वस्त्र की प्रगति बहुत ही असंतोषजनक रही है और लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं।

पंचम पंचवर्षीय योजना^२—पाँचवी योजना में सूती वस्त्र के कुल उत्पादन को 950 करोड़ मीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष 1977-78 में सूती वस्त्र का उत्पादन केवल 844 करोड़ मीटर था।

षष्ठम योजना—इस योजना में सूती वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य 864 करोड़ मीटर रखा गया है जिसमें से विकेन्द्रित तैज का अंश 534 करोड़ मीटर है।

योजनावधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रगति को आगे तात्कालिक द्वारा दर्शाया गया है :—

योजनावधि में सूती बस्त्र के उत्पादन में प्रगति

(करोड मीटर)

वर्ष	मिलो का उत्पादन	हेण्डलूम और पावरलूम का उत्पादन	कपड़े का कुल उत्पादन
1951	372.7	101.3	474.0
1960-61	464.9	208.9	673.8
1970-71	405.5	354.1	759.6
1977-78	412.9	430.6	843.5
1979-80	406.8	430.2	837.0

वर्तमान स्थिति

(1) मिलों की संख्या—वर्तमान समय में कपड़ा की 704 मिलें हैं।

(2) रोजगार और पूंजी—इस उद्योग में 10 लाख से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। लगभग 330 करोड रुपए के विनियोग वाला यह उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है।

(3) उत्पादन—1980 में हमारे देश में कपड़े का उत्पादन 837 करोड मीटर का है। इसमें 406.8 मीटर कपड़ा मिलों में और 430.2 करोड मीटर कपड़ा बिजली चालित करघों पर तैयार हुआ।

(4) कपड़े की खपत—भारत में कपड़े की खपत अत्यन्त कम है। 1980 में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत 14.6 मीटर थी।

(5) निर्यात—भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 8% ही निर्यात कर पा रहा है। गत वर्षों में भारतवर्ष के निर्यात की मात्रा में निरन्तर गिरावट आयी है। सूत के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है।

(6) वितरण—भारत में सूती कपड़ा के व्यवसाय में महाराष्ट्र का स्थान सर्वप्रथम है। इसके पश्चात् गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, व राजस्थान का स्थान है। विभिन्न राज्यों में वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को निम्नलिखित सारिणी द्वारा दर्शाया गया है :—

राज्य	प्रमुख क्षेत्र
महाराष्ट्र	बम्बई, पूना, शोलापुर, नागपुर, वर्धा
गुजरात	अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, पोरबन्दर
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता, हावड़ा, चौबीस परगना
उत्तर प्रदेश	कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मोदीनगर, हाथरस
पंजाब	अमृतसर, लुधियाना
राजस्थान	जयपुर, अजमेर, झिंझावर, कोटा, किसनगढ़

तमिलनाडु	मद्रास, कोयम्बटूर, त्रिचनापल्ली, सलेम, पाण्डिचेरी
मध्यप्रदेश	जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, रायपुर
आन्ध्रप्रदेश	हैदराबाद, सिकन्दराबाद, औरंगाबाद, गंटूर
हरियाणा	भिवानी, हिसार
दिल्ली	दिल्ली
बिहार	गया
केरल	क्विलोन
कर्नाटक	मैसूर और बंगलौर
असम	सिल्चर

भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की मुख्य समस्याएँ

इस समय हमारे सूती वस्त्र उद्योग के सम्मुख निम्नलिखित समस्याएँ हैं, जिनके समाधान से ही इस उद्योग की आशातीत उन्नति की जा सकती है।

(1) पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन की समस्या—द्वितीय महायुद्ध काल में सूती वस्त्र मिलों में दो-दो अथवा तीन-तीन पालियों तक काम हुआ जिससे अधिकांश मशीनें प्रायः जीर्ण-शीर्ण हो गईं। अतः मिलों की सबसे बड़ी समस्या मशीनों के पुराने-पन की है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के ए० हाल के सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि सूती कपड़ा मिलों के 'रुग्ण' हो जाने का सबसे बड़ा कारण मालिकों और प्रबन्धकों द्वारा मशीनों तथा अन्य उपकरणों की दीर्घकाल से चली आ रही गम्भीर उपेक्षा है। परिषद् के अध्ययन के अनुसार आज सूती कपड़ा उद्योग में जो मशीनें हैं। उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक 30 वर्षों से अधिक पुरानी हैं। 20 प्रतिशत मशीनें कमजोर इकाइयों के पास हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल 20% मशीनें बेहतर हालत में हैं। इस स्थिति का नतीजा सामने है। अनेक मिलों संकट में हैं। कपड़े का उत्पादन 1963 की तुलना में 1975 में 40 करोड़ मीटर कम रहा और मजदूरों की संख्या 1963 से 8 लाख से घटकर 7 80 लाख रह गई है। अनेक कंपनियों के सारे संचित कोष ही नहीं उनकी पूंजी तक खत्म हो गयी है। उत्पादकता परिषद् का अनुमान है कि पुरानी और लगभग बेकार हो गयी मशीनों के कारण उद्योग का सालाना 38 करोड़ 40 लाख किलो सूत के उत्पादन की हानि हो रही है। अतः सरकार द्वारा मिलों की पुरानी मशीनें बदलने के लिये उचित ब्याज पर ऋण देना चाहिए। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, सूती वस्त्र उद्योग को इस कार्य में सहायता दे रहा है। सरकार द्वारा स्थापित सूती वस्त्र निगम से भी अत्यधिक सहायता की आशा की जाती है।

(2) बैज्ञानिकीकरण और आधुनिकीकरण—हमारी वर्तमान मशीनें न केवल पुरानी ही हैं, बल्कि पुराने ढंग की भी हैं। विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए पुरानी मशीनों का आधुनिकीकरण अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा नियुक्त अध्ययन दल का मत था कि मिलों के पूर्ण आधुनिकीकरण

के लिए 800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। भारतीय सूती मिलों के सघ का मत है कि सन् 1965-71 की अवधि में ही 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु इस सम्बन्ध में तीन कठिनाइयाँ हैं। पहली तो यह कि मिलों के पास आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त कोष नहीं है। हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की ओर से नई मशीनें लगाने के लिए पूँजी की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी बड़ी कठिनाई सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी मशीनों की उपलब्धि है। निर्यात सहायता योजना के अधीन आधुनिकीकरण के लिए सूती कपड़ा उद्योग मशीनरी के आयात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरी बड़ी कठिनाई यह है कि वैज्ञानिकीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का विरोध स्वयं सगठित श्रम द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ जाने की सम्भावना है। जोशी समिति की सिफारिश पर मिलों को इस शर्त पर स्वचालित करघे लगाने की स्वीकृति दी गई है कि इन नए करघों का समस्त उत्पादन निर्यात किया जाएगा।

(3) विदेशी प्रतियोगिता तथा निर्यात—विदेशी बाजार में स्पर्धा बढ़ रही है। गत कुछ वर्षों से जापान, हांगकांग, पाकिस्तान और ब्रिटेन से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय कपड़ा हांगकांग, ताइवान, पाकिस्तान, कोरिया आदि की तुलना में 40% महंगा होने से विदेशों में उसकी माँग घटती जा रही है। कपड़ा उत्पादन में 60% व्यय कपास पर ही होता है। मैक्सिको, मिस्र, अर्जेंटाइना तथा ब्राजील इत्यादि देशों में सूती कपड़े उद्योग की स्थापना एवं विस्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इस उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंग्लैंड के योरोपीय साम्राज्य बाजार में शामिल हो जाने के कारण भारत से कपड़े के निर्यात में और भी कमी हो जाने की सम्भावना है, क्योंकि भारत द्वारा निर्यात किए गए सूती वस्त्रों का लगभग एक तिहाई भाग इंग्लैंड को ही जाता है। निर्यात जिस तेजी से घट रहे हैं उससे उद्योग व सरकार दोनों ही चिंतित हैं। निर्यात में कमी का मुख्य कारण है उत्पादन की लागत में निरंतर वृद्धि, रुई की कीमत व ईंधन आदि की लागत में लगातार वृद्धि।

(4) कच्चे माल का अभाव—कपास के सम्बन्ध में आज भी हमारा देश स्वावलम्बी नहीं हो पाया है। देश-विभाजन के कारण भारत में कपास का अभाव हो गया है, जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कपास के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। सन् 1965 के अन्त तथा सन् 1966 के प्रारम्भ में कपास के पर्याप्त स्टॉक न होने के कारण बम्बई और गुजरात की मिलें कुछ काल के लिए बन्द करनी पड़ी अथवा उनमें काम कम कर दिया गया। इस समय हम लगभग 20 करोड़ रुपये से लेकर 80 करोड़ रुपये का कपास बाहर से आयात करते हैं।

रुई की खेती का सबसे असंतोषजनक पहलू यह है कि जहाँ भारत के पास रुई की खेती के लिए सबसे अधिक क्षेत्रफल (अर्थात् विश्वक्षेत्र का 26 प्रतिशत) 1967 में उपलब्ध था, वही रुई का उत्पादन कुल विश्व-उत्पादन का केवल 10 प्रतिशत था।

(5) हाथ करघा एवं मिल उद्योग के समन्वय की समस्या—भारत में कुल

सूती वस्त्र के उत्पादन का प्रायः 45% भाग विकेन्द्रित क्षेत्र, विशेषतः हाथ करघा व बिजली से चलने वाला करघा उद्योग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा मिल उद्योग के कपड़े के मूल्य, उत्पादन तथा किस्म पर कई प्रकार से प्रतिबन्ध लगाये गये, जिससे प्राप्त आय का उपयोग हाथ करघा उद्योग के विकास के लिए किया जाता है। हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन देना उचित है। परन्तु मिल मालिकों का कहना है कि मिलों के उत्पादन की सीमा निर्धारित करके व कर लगाकर हाथ करघा उद्योग का विकास करना उचित नहीं है। मिल उद्योगों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। अतः सूती कपड़ा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।

(6) अकुशल तथा अलाभप्रद मिलों की समस्या—भारत में सूती वस्त्र उद्योग में 125 मिलें ऐसी हैं जिनका आकार छोटा है तथा जिनकी उत्पादन लागत अधिक है और उत्पादित कपड़े का गुण न्यून है। आर्थिक दृष्टि से ये अलाभप्रद इकाइयाँ मानी जाती हैं। अतः ऐसी अनार्थिक इकाइयों को या तो समाप्त कर देना चाहिए या उनका सुधार या विस्तार कर उन्हें लाभप्रद तथा आर्थिक इकाइयाँ बनाना चाहिए।

अनार्थिक और बोमार मिलों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 1968 में 'राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम' की स्थापना की है। कुछ राज्य सरकारों ने भी राज्य वस्त्रोद्योग निगमों की स्थापना की है। इन निगमों की स्थापना से बीमार मिलों की समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो रहा है।

(7) अन्य समस्याएँ व कठिनाइयाँ—(अ) सरकार सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क में निरन्तर वृद्धि करती जा रही है जिससे इसके मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। 1963 और अगस्त 1974 के बीच उत्पादन-लागत में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु इसके विरुद्ध कपड़े की कीमत में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामतः लाभ की मात्रा और भी कम हो गयी (ब) भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग के श्रमिकों की उत्पादकता अत्यन्त न्यून है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक हजार तकुओं की देखभाल के लिए दो श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि भारत में इसी कार्य के लिए 10 श्रमिक रखे जाते हैं। (स) भारतीय सूती वस्त्र के सामने एक समस्या प्राविधिक जानकारी की कमी है। इसके लिए नयी प्राविधिक उद्योग प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की जानी चाहिए। (द) सूती कपड़ा उद्योग को पर्याप्त तथा निरन्तर बिजली व शक्ति न मिलने के कारण भी बहुत-सी कठिनाइयाँ होती हैं। (य) सूती वस्त्र उद्योग को कुल्लिम रेशा वस्त्रोद्योग जैसे टैरीकाट, टैरीलीन इत्यादि से काफी प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ रही है, क्योंकि कुल्लिम रेशा का उपयोग और उत्पादन बढ़ रहा है (र) श्रमिक संकट मंहगाई के कारण दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। (ल) इस उद्योग को ऋण देने की नीति बहुत कठोर बना दी गई है। ऋणों की माँग और ब्याज की दरें काफी बढ़ गई हैं। फलतः उद्योगों के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं। (व) वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत मिलों के पास अर्थात् राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास बिना बिके कपड़े का अम्बार लगा हुआ है।

समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

1. **आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन**—प्रत्येक सुदृढ मिल के लिए कानूनी रूप से यह आवश्यक कर दिया जाना चाहिए कि वह अगले दस वर्षों में अपनी आधुनिकीकरण करने की योजना बनाए और सरकार से स्वीकार करा कर इस सन्दर्भ में उचित कदम उठाए। इसके लिए केन्द्र व राज्यों में आवश्यक सरकारी मशीनरी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

2. **बीमार मिलों का निदान**—बीमार मिलों को सुदृढ मिलों में मिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वे भी सुदृढ मिलों के साथ मिलकर अपना कार्य कर सकें। इनकी व्यवस्था सरकार को भी अपने हाथों में ले लेना चाहिए ताकि इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सके और उत्पादन को लाभदायक बना सकें।

3. **लागत में कमी**—ऊँची लागत को कम करने और उद्योग की लाभदायकता को बढ़ाने के लिए उद्योग को आधुनिकीकरण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ जैसे मशीनरी आयात, विदेशी मुद्रा, वित्तीय प्रबन्ध आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4. **कपास उत्पादन हेतु प्रोत्साहन**—कपास की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए किसानों को अधिक कपास उत्पादन की प्रेरणा दी जानी चाहिए इसके लिए समर्पित मूल्यों (Support Prices) में वृद्धि की जानी चाहिए। देश में कपास की सामान्यतया कमी रहती है अतः उसको समय से पूर्व आयात करके, भण्डारण के रूप में रखने की व्यवस्था 'भारतीय कपास निगम' के द्वारा प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए जिससे कि मिलों को कपास निरन्तर अपनी आवश्यकतानुसार मिलती रहे।

5. **शक्ति की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था**—उद्योगों के लिए शक्ति की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जानी चाहिए। ईंधन और विद्युत समयान्तर्गत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विद्युत कटौती की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए।

6. **उत्पादन करों से छूट**—सूती वस्त्रों पर उत्पादन करों का बोझ अधिक है अतः उन्हें उत्पादन करों से भी छूट प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि सूती कपड़ा सस्ता हो सके और माँग में वृद्धि होने से उद्योग भी अपनी उत्पादकता व लाभदायकता में वृद्धि कर सके।

7. **विनियोग एवं विकास छूट प्रदान करना**—जो मिल आधुनिकीकरण करने में जितना धन लगाये उस पर उसके आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऊँची दर से विनियोग या विकास छूट दी जानी चाहिए।

8. **निर्यात वृद्धि हेतु प्रोत्साहन**—निर्यात में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। विदेशों में सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए ताकि सूचियों एवं माँग के अनुरूप उत्पादन को समायोजित किया जा सके।

भविष्य—भारत में सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में वस्त्र की बढ़ती हुई माँग के अतिरिक्त देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, सस्ती

जल-शक्ति की उपलब्धि, लम्बे रेशे के कपास की खेती में वृद्धि, विदेशी निर्यात को बढ़ावा आदि के कारण सूती वस्त्र उद्योगों का विस्तार एवं विकास स्वाभाविक है।

3 चीनी उद्योग (Sugar Industry)

संक्षिप्त इतिहास—देश के संगठित उद्योगों में चीनी उद्योगों का स्थान तीसरा है। चीनी उद्योग भारत का अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। परन्तु आधुनिक ढङ्ग से चीनी का उत्पादन वर्तमान शताब्दी के आरम्भ से ही शुरू हुआ। प्रथम चीनी मिल तो सन् 1903 में स्थापित हुई, परन्तु भारतीय चीनी उद्योग के विकास का इतिहास वस्तुतः 1921 से ही आरम्भ होता है, जबकि इस उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण मिलने के पश्चात् चीनी मिलों तथा उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। सन् 1931-32 ई० में भारत में चीनी के केवल 32 कारखाने थे, जिनका उत्पादन केवल 16 लाख टन था। देश की आन्तरिक माँग की पूर्ति के लिए लगभग 6 लाख टन चीनी आयात की जाती थी। परन्तु सन् 1939-40 में कारखानों की संख्या बढ़कर 145 और उत्पादन 12.4 लाख टन हो गया। इससे स्पष्ट है कि चीनी उद्योग को संरक्षण से पर्याप्त लाभ हुआ। संरक्षण के कारण चीनी उद्योग के विकास को देखते हुए कहा जाता है कि भारतीय चीनी उद्योग संरक्षण का शिशु है। सन् 1950 में यह संरक्षण समाप्त कर दिया गया है। संक्षेप में, चीनी उद्योग सन् 1932 से 1950 तक 18 वर्षों तक संरक्षण के अधीन रहा और इस काल में उद्योग ने बहुत उन्नति की।

द्वितीय महायुद्ध तथा इसके पश्चात्—सन् 1939 से द्वितीय महायुद्ध आरंभ हुआ। तब से लेकर प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक माँग और पूर्ति को ध्यान में रखकर चीनी के वितरण के सम्बन्ध में सरकार ने कभी नियन्त्रण कभी विनियन्त्रण और कभी पुनः नियन्त्रण की नीति अपनाई।

सन् 1941-42 से लेकर 1950-51 तक चीनी उद्योग की स्थिति निम्न प्रकार रही—

चीनी उद्योग प्रगति

वर्ष	चीनी का उत्पादन	(लाख टनो में) उपभोग
1941-42 नियन्त्रण	7.63	7.72
1942-43 „	10.69	8.37
1943-44 „	12.20	8.47
1944-45 „	9.36	7.87
1945-46 „	9.57	8.60
1946-47 „	9.16	7.08
1947-48 विनियन्त्रण	10.92	10.62
1948-49 „	10.27	12.01
1949-50 नियन्त्रण	9.91	12.03
1950-51 आंशिक नियन्त्रण	11.18	12.14

युद्धकाल की स्थिति को सम्हालने के लिये सरकार ने चीनी नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत 15 अप्रैल सन् 1942 को उद्योग पर नियंत्रण लगा दिया, जिसके अधीन गन्ने और चीनी की कीमत के अलावा वितरण को भी नियन्त्रित कर दिया गया। उपभोक्ताओं के लिए सफेद चीनी का राशन कर दिया गया। चीनी के मूल्यों पर नियन्त्रण तथा इसका राशन सन् 1947 तक चला रहा। सन् 1947 में, जबकि देश स्वतन्त्र हुआ, महात्मा गाँधी के प्रयत्न से चीनी के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण हटा लिया गया, परन्तु इससे मूल्य बहुत बढ़ गये और अन्य कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं। अतः सन् 1949 में चीनी पर पुनः नियंत्रण लगाया गया तथा चीनी मूल्य निर्धारण व वितरण का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। चीनी का उत्पादन सन् 1943-44 में 12 लाख टन से कम होकर सन् 1946-47 में केवल 9 लाख टन रह गया।

पंचवर्षीय योजनाओं में प्रगति

प्रथम योजना में चीनी उद्योग—प्रथम योजना की अवधि में चीनी उद्योग में, बहुत अधिक प्रगति हुई। प्रथम योजना प्रारम्भ करते समय (1950-51) चीनी का उत्पादन 11 लाख टन था, जबकि चीनी के कारखानों की उत्पादन-क्षमता 15.4 लाख टन थी। प्रथम योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन बढ़ कर 18.6 लाख टन हो गया। अर्थात् योजना में निर्धारित लक्ष्य से भी उत्पादन अधिक था। इसका प्रमुख कारण योजना के अन्तिम दो वर्षों में गन्ने की बहुत अच्छी फसल का होना था।

द्वितीय योजना में चीनी उद्योग—इस योजना में चीनी उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया। योजना काल में चीनी के उत्पादन को बढ़ाकर 22.5 लाख टन करने का आयोजन था। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरानी मिल्सों के विकास तथा उनकी मशीनों के नवीनीकरण के लिए योजनाएँ बनाई गयीं और सहकारिता के आधार पर 35 नई मिल्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग—चूँकि तृतीय योजना आरम्भ होने के समय मिल्सों के पास जमा चीनी का स्टॉक बहुत अधिक था, इसलिए तृतीय योजना में चीनी के उत्पादन का लक्ष्य कम रखा गया अर्थात् 30 से 35 लाख टन तक। तृतीय योजना काल में, 1965-66 में चीनी का उत्पादन 35 लाख टन हुआ था।

तीनों वर्षीय योजनाओं में—तीसरी योजना के बाद चीनी उद्योग की स्थिति खराब हो गई। सन् 1966-67 और 1967-68 में चीनी का उत्पादन क्रमशः 21.47 लाख टन और 22.27 लाख टन था। सन् 1968-69 के अन्त में मिल्सों के पास स्टॉक की अनुमानित मात्रा 13 लाख टन थी।

चतुर्थ योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य 47 लाख टन निर्धारित किया गया था लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में चीनी का उत्पादन 39.48 लाख टन हुआ था।

पाँचवी योजना—पाँचवी योजना में चीनी का लक्ष्य 54 लाख टन रखा गया था और अतिरिक्त क्षमता के निर्माण में सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी।

विभिन्न वर्षों में चीनी का उत्पादन नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

वर्ष (अक्टूबर-सितम्बर)	1965-66	1970-71	1975-76	1980-81
कुल उत्पादन (मिलियन टन)	123.99	126.37	140.60	153.00

छठा योजना के अन्त तक देश के अन्दर घरेलू माँग कुल 68.00 लाख टन की होगी तथा कुल उत्पादन 76 लाख टन होगा। इस प्रकार हम 8 लाख टन चीनी का निर्यात भी करेगे।

वर्तमान स्थिति

(i) मिलों की संख्या—सन् 1980 में देश में कुल 307 मिलें थी जिसमें से 140 मिलें सहकारी क्षेत्र में थी जिनका उत्पादन कुल चीनी उत्पादन का 52% था।

(ii) पूंजी और रोजगार—इस उद्योग में लगभग 500 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित है और लगभग 300 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

(iii) उत्पादन—विश्व के प्रमुख चीनी उत्पादकों में भारत का पंचम स्थान है। चीनी का उत्पादन 1950-51 में 11.3 लाख टन ही था जो 1977-78 में बढ़कर 64.62 लाख टन हो गया, लेकिन इसके बाद उत्पादन में कमी आ गयी जिसका मुख्य कारण गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी हो जाना था। 1979-80 में चीनी का उत्पादन 39 लाख टन ही था। $62-83 = 80\% \text{ बढ़ा}$, वर्तमान में 39

(iv) निर्यात—भारत चीनी का एक बड़ा निर्यातक भी है, लेकिन विगत वर्षों में चीनी के निर्यात में कमी आयी है। 1979-80 में 2.90 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ जबकि 1978-79 में 8.63 लाख टन चीनी निर्यात की गयी थी।

(v) सरकारी नियंत्रण—16 अगस्त 1978 से 16 अगस्त 1979 की संक्षिप्त अवधि के लिए चीनी पर पूरी तरह से नियन्त्रण हटा लेने के बाद सरकार 17 दिसम्बर 1979 से फिर चीनी पर आंशिक नियंत्रण लागू कर दिया और दोहरी मूल्य नीति अपनाई। इस नीति के अन्तर्गत चीनी मिलों के कुल उत्पादन का 65% सरकार नियंत्रण मूल्य पर लेवी के रूप में खरीद लेती है और शेष 35% उत्पादन को बिना किसी प्रकार के मूल्य नियंत्रण के खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाती है।

(vi) बितरण—चीनी उद्योग की विभिन्न राज्यों में स्थिति अग्रलिखित प्रकार है—

(अ) उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग में सबसे आगे है। यहाँ भारत की कुल उत्पादित चीनी का लगभग 62% उत्पन्न होता है। इस प्रदेश में चीनी के कारखाने प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में हैं—प्रथम गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र और द्वितीय तराई क्षेत्र। गंगा-यमुना दोआब के मुख्य जिले मेरठ और सहारनपुर हैं और तराई क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर तथा शहलखंड के क्षेत्र आते हैं, जिसके मुख्य जिले गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोडा, शाहजहाँपुर, रामपुर, बरेली, सीतापुर, सलेमपुर और बिजनौर हैं। इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती क्षेत्र कानपुर, मुरादाबाद तथा लखनऊ में भी चीनी की मिलें हैं।

(ब) बिहार—चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान बिहार का है। इस राज्य में भारत की लगभग 15% चीनी बनाई जाती है। बिहार में इस उद्योग के मुख्य केन्द्र चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा हैं।

(स) महाराष्ट्र—चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। इस प्रदेश में उत्तम प्रकार का गन्ना उत्पन्न किया जाता है अतः यह प्रस्ताव रखा गया है कि चीनी उद्योग को इस क्षेत्र में बढ़ाया जाय। यहाँ के प्रमुख केन्द्र मनमाण्ड, अहमदनगर, नासिक और पूना हैं।

(द) पश्चिम बंगाल—यहाँ चीनी के कारखाने बेलडांगा, नदिया तथा चौबीस परगना जिलों में स्थित हैं।

(य) तमिलनाडु—इस प्रदेश के उत्तरी अरकाट, दक्षिणी अरकाट, कोयम्बटूर, मदुरा और तिरुचिरापल्ली जिलों में यह उद्योग स्थित हैं।

(र) आंध्र-प्रदेश—यहाँ चीनी के अधिकतर कारखाने विशाखापटनम, विजयवाड़ा हास्पेट, कोट, टावुक, सामलकोट, हैदराबाद आदि में स्थित हैं।

(ल) पंजाब—अमृतसर, जगाधरी, फगवाड़ा, हमीरा, भोगपुर जिलों में चीनी की अनेक मिलें हैं।

चीनी उद्योग की समस्याएँ और उनका समाधान

1. गन्ने सम्बन्धी कठिनाइयाँ—भारत में चीनी मिलों का भाग्य गन्ने के उत्पादन पर आधारित है। गन्ने के अभाव के कारण चीनी का उत्पादन कम होता है और कारखानों को हानि होती है। भारत में गन्ना कम होने के कारण, गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज का कम होना है। भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज ही कम नहीं है यहाँ गन्ने का गुण अत्यन्त न्यून है जिससे गन्ने से उपलब्ध चीनी का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है।

उपाय—गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर कृषि की जानी चाहिए। इसके लिए उत्तम खाद और बीज तथा पर्याप्त पानी का प्रबन्ध करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मिलों के भी अपने गन्ना उत्पादन फार्म होने चाहिये।

2. उप-उत्पादकों की समस्या—चीनी बनाते समय कई सहायक उत्पादन प्राप्त

होते हैं जैसे छोई (Bagasses) तथा शीरा (Molasses)। इनका प्रयोग कई उपयोगी वस्तुएँ बनाने के लिए किया जा सकता है जैसे—छोई से कागज, गत्ता आदि बनाया जा सकता है तथा शीरे से अल्कोहल व उर्वरक।

उपाय—चीनी उद्योग में उत्पादन-व्यय कम से कम करने के लिए गन्ने की छोई और शीरे जैसी उपोत्पत्ति का कागज, सोखता, खाद, गत्ता एवं अल्कोहल आदि वस्तुएँ बनाने में उपयोग करना चाहिए।

3. गुड़ तथा खाँडसारी से प्रतियोगिता—चीनी को गुड़ तथा खाँडसारी से प्रतियोगिता करनी पडती है। इनमें प्रतियोगिता का मुख्य कारण उनके मूल्यों में अंतर पाया जाना है।

उपाय—प्रतिस्पर्द्धा की समाप्ति—चीनी, गुड़, एवं खाँडसारी की प्रतियोगिता को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे उत्पादन में अनिश्चितता न रहे। इसके लिए गुड़ खाँडसारी एवं चीनी मिल क्षेत्र के विकास हेतु एक संग्रहीत योजना तैयार किया जाना चाहिए।

4. आधुनिकीकरण की समस्या—भारत में चीनी मिलों में मशीनें काफी पुरानी हो गई हैं तथा चिम चुकी हैं, इसमें उत्पादन व्यय अधिक होता है। अतः उत्पादन लागत को कम करने के लिए इस उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होगी जिसका सर्वथा अभाव है।

उपाय—पुरानी चीनी मिलों का शीघ्रातिशीघ्र आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

5. अनाधिक कठिनाइयाँ—भारत में बहुत-सी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका आकार छोटा है और आर्थिक दृष्टि से वे अलाभप्रद इकाइयाँ मानी जाती हैं।

उपाय—सरकार को इन अलाभप्रद इकाइयों को या तो इनका आकार बढ़ाकर इन्हें लाभप्रद बनाने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा इन्हें समाप्त कर देना चाहिए।

6. कम उत्पादन क्षमता—भारतीय चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। अतः अन्य देशों की अपेक्षा चीनी का उत्पादन भारत में बहुत कम है।

उपाय—कारखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए और नवीन मिलों को अनुमति देते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी क्षमता 1500 टन प्रति-दिन से कम न हो।

7. कारखानों का दूर होना—भारत में चीनी के अधिकांश कारखाने गन्ने के खेतों से दूर हैं। अतः गन्ने को कारखानों तक पहुँचाने में बहुत व्यय होता है और मार्ग में गन्ने का रस काफ़ी सूख जाता है।

उपाय—चीनी की नयी मिलों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जानी चाहिए जहाँ गन्ने के खेत हैं।

8. कम अवधि—भारत में चीनी के कारखाने नवम्बर से फरवरी तक लगभग 120 दिन कार्य करते हैं। अर्थात् वर्ष में अधिकांश समय वे बेकार रहते हैं।

अतः गन्ने की जल्दी तथा देर से पकने वाली किस्मों को बोने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ।

(9) परिवहन सम्बन्धी असुविधा—भारत में गन्ना उत्पादन क्षेत्र और चीनी की मिलों के बीच काफी दूरी है । इस दूरी को तय करने के लिए परिवहन के सस्ते और उपयुक्त साधनों का अभाव है ।

उपाय—परिवहन के सस्ते और उपयुक्त साधनों को जुटाना चाहिए तथा ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए ।

(10) अनुसंधान सम्बन्धी अभाव—भारत में अनुसंधान सम्बन्धी अभाव के कारण गन्ने की किस्म में सुधार नहीं हो पाता । अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि गन्ना मोटा, मीठा और रसदार उत्पन्न किया जा सके ।

4. पटसन या जूट उद्योग (Jute Industry)

संक्षिप्त इतिहास—भारतवर्ष में आधुनिक जूट उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है देश में जूट उद्योग सन् 1855 में आरम्भ हुआ जब जार्ज आकलैंड ने पश्चिमी बङ्गाल में जूट मिल स्थापित की । इसके पश्चात् इस उद्योग का विकास होने लगा । सन् 1913-14 में भारत में कुल 64 जूट मिलें थी जिनमें 43 3 लाख गाँठ कच्चे जूट की खपत हुई थी तथा २४.३ करोड़ रुपये के जूट का सामान निर्यात किया गया था ।

प्रथम महायुद्ध एवं उसके बाद की प्रगति—प्रथम महायुद्ध तक जूट उद्योग की प्रगति काफी धीमी रही । परन्तु प्रथम महायुद्ध ने, अन्य उद्योगों की तरह जूट उद्योग को भी प्रोत्साहित किया और इसने अच्छी उन्नति की । यह समृद्धि काल, युद्ध के उपरान्त भी जारी रहा । परन्तु सन् 1929 की आर्थिक मन्दी का प्रभाव इस उद्योग पर पड़ा और इस उद्योग को काफी क्षति पहुँची । आर्थिक मन्दी के कारण जूट की वस्तुओं का निर्यात बहुत घट गया । मन्दी के कारण जूट के कारखानों में प्रति सप्ताह काम के घण्टों को घटा दिया गया तथा कुछ करघों को बन्द भी कर दिया गया । सन् 1936 में जूट के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक भारतीय केन्द्रीय जूट समिति की स्थापना हुई । सन् 1938 ई० में विदेशी व्यापार की अनिश्चितता तथा मिलों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जूट उद्योग को भीषण संकट का सामना करना पड़ा । यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक बनी रही ।

द्वितीय महायुद्ध काल—द्वितीय महायुद्ध ने पुनः इस उद्योग को जीवन प्रदान किया, क्योंकि युद्ध के कारण सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूट की वस्तुओं की माँग अत्यधिक बढ़ गई जिससे जूट और जूट की वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई । फलतः उत्पादन एवं निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई । सन् 1939-40 में जूट की वस्तुओं का उत्पादन 12 8 लाख टन तथा निर्यात 11 लाख टन था । सन् 1940 के पश्चात् विदेशी माँग में बहुत कमी हुई । सन् 1942 में भारत में अकाल

पडा और कोयला तथा यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण जूट उद्योग के सामने पुनः संकट उपस्थित हुआ। इस प्रकार, द्वितीय महायुद्ध काल में जूट उद्योग अच्छी तथा विपत्तिपूर्ण दोनों ही अवस्थाओं से गुजरा।

देश-विभाजन का प्रभाव—सन् 1947 में भारत के विभाजन से इस उद्योग को भारी क्षति हुई। विभाजन के फलस्वरूप 75% कच्चा जूट उत्पादित करने वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया किन्तु लगभग सभी मिले भारतीय क्षेत्र में रही। अतः जूट उद्योग को कच्चे माल की समस्या का सामना करना पडा। समस्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सन् 1950-51 में जहाँ कच्चे जूट की मात्रा 70% लाख गठों की थी वहाँ पूर्ति केवल 31 लाख गठों की थी। सन् 1949 से सन् 1951 तक भारत तथा पाकिस्तान में तनावपूर्ण वातावरण के कारण स्थिति बहुत गम्भीर रही। सन् 1949 में भारत ने, पाकिस्तान के विपरीत, रुपये का अवमूल्यन कर दिया जिससे कच्चे माल के आयात में और भी कठिनाई हुई क्योंकि पाकिस्तानी जूट भारत के लिए 44% महंगा हो गया। ऐसी परिस्थिति में देश के भीतर ही जूट का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में विविध प्रयास किए गए और नये क्षेत्रों में जूट की खेती का विस्तार किये जाने लगा और वास्तव में इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता भी मिली है।

पंचवर्षीय योजनाओं में जूट उद्योग

प्रथम पंचवर्षीय योजना—जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जा रही थी उस समय जूट उद्योग के सामने सबसे गम्भीर समस्या कच्चे जूट के अभाव की थी। इसलिए प्रथम योजना में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था। प्रथम योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व, सन् 1950-51 में कच्चे जूट का उत्पादन 33 लाख गठ था। इस योजना काल में इसे बढ़ाकर 53.7 लाख करने का लक्ष्य था। किन्तु वास्तविक उत्पादन 42 लाख गठ के बराबर ही हो सका। इन प्रकार, प्रथम योजना काल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। जूट के सामान को निर्यात करने का लक्ष्य 10 लाख टन करने का था, किन्तु वास्तविक रूप में सन् 1955-59 में जूट के निर्यात की मात्रा 8.75 लाख टन के बराबर ही थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना काल में कच्चे जूट के सम्बन्ध में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य 55 लाख गठ रखा गया। किन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हो सकी। वास्तविक उत्पादन लगभग 33 लाख गठ के बराबर ही था। इस प्रकार, द्वितीय योजना पूर्ण होने पर भी हमारा देश कच्चे जूट में आत्मनिर्भर नहीं हो सका। योजना-काल में उत्पादन व्यय कम करने, मशीनों का आधुनिकीकरण करने तथा निर्यात के प्रयत्नों पर जोर दिया गया। सन् 1957 में भारत सरकार ने एक जूट जाँच समिति नियुक्त की। जूट के उत्पादन की मात्रा एवं गुण को सुधारने के लिए इस समिति ने

सुझाव दिया कि किसानों को बहुदेशीय सहकारी समितियों का निर्माण करना चाहिए तथा उन्हें अच्छे बीज व अच्छी खाद का भी उपयोग करना चाहिए।

तृतीय योजना—तृतीय योजना में उद्योग के विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया। केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लक्ष्य प्राप्त करने व कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जूट की वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य 13 लाख टन रखा गया। सौभाग्यवश वह लक्ष्य 1960-465 में ही प्राप्त कर लिया गया। परन्तु इसके पश्चात् उत्पादन में गिरावट आयी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—चतुर्थ योजना में जूट वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य 14 लाख टन रखा गया। सन् 1971-72 में उत्पादन स्तर 12.29 लाख टन तक पहुँचा, लेकिन 1973-74 में उत्पादन केवल 9.49 लाख टन ही रह गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना—पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जूट की वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य 1280 हजार टन निर्धारित किया गया था। जूट कमिश्नर द्वारा देश में नवीनतम तकनीकों एवं मशीनों से सुसज्जित 5 जूट मिलों की स्थापना करने की योजना थी।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जूट वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात निम्न सारणी के अंकों के अनुसार था।

जूट वस्तुएँ : उत्पादन व निर्यात

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)	निर्यात (करोड़ रुपये में)	कुल निर्यात का प्रतिशत
1960-61	10.23	135.15	21.0
1970-71	9.68	190.44	12.4
1979-80	11.53	275.00	4.6

छठवीं पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्त में जूट वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य 15,000 हजार टन निर्धारित किया गया है। देश में इस उद्योग में पहले ही पर्याप्त उत्पादन क्षमता की स्थापना के कारण विस्तार की कोई विशेष सम्भावना नहीं है।

वर्तमान स्थिति

(i) मिलों की संख्या और रोजगार—जूट उद्योग में 115 मिलें हैं जिनमें लगभग 8 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है।

(ii) वार्षिक उत्पादन—पटसन की वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन 1950-51 में 837 हजार टन था जो बढ़कर 1979-80 में 1355 हजार टन हो गया।

(iii) निर्यात—जूट उद्योग विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक प्रमुख स्रोत

है। यह उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है।

(iv) उत्पादन—यह उद्योग प्रधानतः टाट बोरे एवं गलीचो की परत का उत्पादन करता है। अन्य वस्तुओं में परदे, फर्श पर बिछाने के मैटिंग, सुतली आदि का भी उत्पादन करता है।

(v) क्षमता—उद्योग की पंजीकृत अथवा लाइसेंसिंग क्षमता 20 लाख टन की है किन्तु प्राप्त लाइसेंसो के अनुरूप वास्तविक क्षमताओं का सृजन नहीं किया जा सका है।

(vi) विपणन व्यवस्था—पटसन के आयात-निर्यात और देश के भीतर इसकी पणन व्यवस्था के लिए 1971 में पटसन विभाग की स्थापना की गई। 1977-78 में यह कच्चे पटसन की कीमतों को स्थिर रखने में, विशेषकर असम और त्रिपुरा के कुछ भागों में, सफल रहा।

(vii) वितरण—जूट उद्योग पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पर केन्द्रित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश में भी जूट के कारखाने विद्यमान हैं, लेकिन वे अल्प सख्या में हैं।

जूट उद्योग के विकास कार्यक्रम

जूट उद्योग के विकास के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम अपनाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

(1) बाजार विकास कार्यक्रम—निर्गत को बनाए रखने व बढ़ाने की दृष्टि से बाजार विकास कार्यक्रम अपनाया गया है। भारतीय जूट मिल सङ्घ ने अमेरिका व इंग्लैण्ड में अपना शाखा कार्यालय खोल रखा है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण बाजारों में समय-समय पर शिष्ट मण्डल भेजे जाते रहे हैं।

(2) शोध एवं विकास—भारतीय जूट मिल सङ्घ द्वारा संचालित एक शोध केन्द्र कलकत्ता में कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में बीजों को सुरक्षित रखने, वैज्ञानिक चुनाई, रेशा निकालने की नवीन विधियों इत्यादि पर शोध कार्य हो रहा है।

(3) किस्म नियन्त्रण—निर्यात (किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1905 के अन्तर्गत सभी प्रकार की सक्रिय और हेसियन का निर्यात से पूर्व परीक्षण होना आवश्यक है।

(4) जूट टैक्सटाइल्स परामर्श परिषद्—इस परिषद् की स्थापना जुलाई सन् 1969 में विदेश व्यापार मन्त्री की अध्यक्षता में हुई। यह परिषद् भारत सरकार को जूट उद्योग की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श देती है।

(5) जूट निगम की स्थापना—फरवरी सन् 1971 में जूट निगम की स्थापना 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से की गई। इस निगम के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:—निश्चित मूल्यों पर कच्चा जूट क्रय करना, बफर स्टॉक बनाना, जूट वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा विदेशों से कच्चे जूट का आयात करना।

(6) विकास परिषद—जूट के सामानो पर 1 मार्च 1976 से एक वर्ष की अवधि के लिए शुल्क लगा दिया गया है। जूट के सामानो के लिए एक विकास परिषद् की स्थापना की गई है जो इस शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमो मे करेगी। यह परिषद् उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही उत्पादन कार्यक्रमो मे तालमेल स्थापित करेगी तथा समय-समय पर इसमे हुई प्रगति की समीक्षा करेगी।

जूट उद्योग की प्रमुख समस्याएँ

वर्तमान समय मे भारतीय जूट उद्योग की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ है :—

(1) कच्चे जूट का अभाव—देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल के अभाव की रही है। कच्चे माल के अभाव के कारण भारत मे उत्पादन कुशलता को क्षति पहुँची है और विश्व बाजार मे भारत की प्रतियोगिता सामर्थ्य घट गई है।

जूट के उत्पादन को पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों मे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा मे असम, बिहार व उड़ीसा की राज्य सरकारें प्रयत्नशील हैं। हाल ही मे उत्तर प्रदेश व आन्ध्र-प्रदेश भी इस प्रयास मे सम्मिलित हो गए है। साथ ही हमे अपने देश मे उत्पन्न जूट की किस्म में भी सुधार करना चाहिए।

(2) जूट उद्योग के आधुनिकीकरण की समस्या—भारतीय जूट उद्योग काफी पुराना होने के कारण इस उद्योग मे अधिकांश मशीनें काफी पुरानी है, जिससे उत्पादन लागत बहुत अधिक है। विदेशी प्रतियोगिता मे टिकने के लिए उत्पादन लागत को कम करना आवश्यक है, जो तब तक सम्भव नहीं है जब तक पुरानी और जीर्णोद्धार मशीनो की जगह नई मशीने नही लगाई जाती है। मिलो के आधुनिकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा वित्त की कमी है। बावजूद इसके मिलो ने अपने कोष से पूंजीगत व्यय के रूप मे इस कार्य पर 1958 और 1975 के बीच 135 करोड़ ६० का व्यय किया है। सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए मिलो के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक वित्त निगम के जरिए 250 करोड़ ६० की स्वीकृति दी है। इसमे 100 करोड़ रुपये का व्यय ऐसी मशीनरी के आयात पर किया जायेगा जिसका निर्माण देश मे नही होता। लेकिन आयात शुल्क 45% होने के कारण विदेशो से मशीनरी का आयात करना बहुत ही व्ययसाध्य होगा। सरकार को इस उद्योग की समस्याओ पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए।

(3) स्थानापन्न वस्तुओं की समस्या—अनेक पश्चिमी देशो ने जूट के स्थानापन्न पदार्थों का उपयोग आरम्भ कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपाइन्स, ब्राजील इत्यादि देशों मे पैकिंग के लिए बरलप (Burlap) तथा विशेष प्रकार का

कागज प्रयोग में लाया जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही पोलो प्रीफिलिन (Polypropylene) नाम का नया रेशा निकाला गया है जो गलीचे के नीचे (जूट वस्त्र के स्थान पर) लगाया जा सकता है। अन इस उद्योग के लिए स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग भी बड़ा खतरा है। इस समस्या का समाधान तभी सम्भव है जब जूट की वस्तुओं की कीमत सस्ती की जाय। जब तक भारतीय जूट की बनी हुई वस्तुएँ सस्ते मूल्यों पर बिकती रहेगी तब तक इसे स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतियोगिता का कोई भय नहीं है।

(4) निर्यात की समस्या—भारत का जूट उद्योग मुख्य रूप से एक निर्यातक उद्योग है। परन्तु यह एक चिन्ता की बात है कि इसका निर्यात निरन्तर घटता जा रहा है। सिंथेटिक पदार्थों एवं बंगला देश से तीव्र प्रतियोगिता के कारण उद्योग की बिक्री से आय बहुत घट गई है।

सिंथेटिक रेशे और बंगला देश से प्रतियोगिता वास्तव में 'मूल्य युद्ध' है। मूल्य को प्रतियोगितात्मक स्तर पर बनाए रखने के लिए उत्पादन व्यय को कम करने के प्रयास करने होंगे।

(5) असन्तोषजनक वित्तीय स्थिति—भारतीय जूट उद्योग के लाभ व वित्तीय स्थिति 1950 और 1965 के मध्य सामान्य रहे। परन्तु उसके बाद इस उद्योग को निम्न लाभ के कारण असन्तोषजनक वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जूट मिलों की कमजोर आर्थिक स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट हो रही है कि यह उद्योग लाभों का पुनर्विनियोजन नहीं कर पा रहे हैं। इन मिलों द्वारा पटसन के स्टाक करने तथा माँग के अभाव में निमित्त माल को रोके रखने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(6) बीमार मिलों की समस्या—जूट उद्योग में कच्चे माल की समस्या और लागत विधि की कठिनाई के कारण बीमार मिलों की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। सन् 1978-79 में ऐसी बीमार मिलों की इकाइयाँ 32 थीं। जिनमें से दो इकाइयों को सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया है।

सरकार को चाहिए कि ऐसी इकाइयों को जीवित रखने के लिए उचित ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराये तथा वर्ष भर इन्हे उचित कीमतों पर जूट निगम से पटसन उपलब्ध कराया जाय।

(7) श्रम असन्तोष—भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिमी बंगाल में ही हैं जहाँ पर श्रम समस्या काफी गम्भीर है जिसका श्रमिकों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(8) अनुसंधान की समस्या—देश में जूट उद्योग से सम्बन्धित अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। इण्डियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन के नाम से एक संस्था की स्थापना कुछ वर्षों पूर्व की जा चुकी है किन्तु यह देश की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। इस संस्था ने संयुक्त राज्य अमरीका में फैब्रिक रिसर्च लेबोरेटरीज ब्राफ डैडहम की अनुसंधानशाला में शोध सम्बन्धी समझौता किया है।

(9) अतिरिक्त क्षमता तथा बन्द मिलों की समस्या—जूट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता तथा बन्द मिलों की समस्या भी विद्यमान है। सन् 1966-67 में जूट मिलों का कुल उत्पादन-क्षमता का लगभग 92% उपयोग में लिया गया था, परन्तु सन् 1979-80 में यह उपयोग घटकर 82% रह गया।

(10) दोषपूर्ण कर नीतियाँ—इस उद्योग में आने वाले ज्वार-भाटे का उत्तर-दायित्व सरकार की कर नीतियों पर भी है। जब-जब हमारे जूट उत्पादन का निर्यात बढ़ा है, सरकार ने इतना अधिक निर्यात कर लगाया कि उद्योग के विस्तार को धक्का पहुँचा है। परन्तु अब भारत सरकार ने जूट से बनी सभी वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क हटाकर भारतीय पटसन की अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में व्याप्त कठोर प्रतिद्वन्द्विता के सामने टिक सकने योग्य बनाने के लिये रचनात्मक कदम उठाया है।

जूट उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

जूट उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं —

(1) कच्चे जूट के उत्पादन को प्रोत्साहन—कच्चे माल की पूर्ति हेतु कृषकों को कच्चा जूट अधिक उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गत दशक में प्रति एकड़ जूट का उत्पादन लगभग 2.79 गाँठ था जिसको 4 61 गाँठ तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये अच्छे किस्म के बीज एवं उन्नत खादों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(2) मण्डी विकास कार्यक्रम—जूट निर्मित माल के निर्यात के प्रोत्साहन हेतु मण्डी विकास कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। भारतीय जूट मिल्स संघ ने इस उद्देश्य से ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका में अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं। जूट के सामान के बाजारों में भी समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम को और अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

(3) बीमार मिलों को आर्थिक सहायता—सरकार को चाहिए कि बीमार मिलों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें पुनः कार्यशील बनाये।

(4) पर्याप्त मात्रा में शक्ति की व्यवस्था—जूट उद्योग की पर्याप्त मात्रा में शक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि मिलें अधिक से अधिक इन कार्यशील रहकर अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

(5) आवश्यक साख की व्यवस्था—जूट के उत्पादन में वृद्धि, जूट वस्तुओं के निर्माण एवं निर्यात में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उन्हें आवश्यक साख की सुविधा प्रदान की जाय।

(6) शोध एवं विकास—कृत्रिम रेशों के प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये जूट उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय करके ऐसी तकनीक का विकास करना चाहिए जिससे जूट की वस्तुएँ कृत्रिम रेशों की वस्तुओं से टिकाऊ एवं सस्ती पड़ें जिससे कि प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके।

(7) आन्तरिक माँग की वृद्धि—आन्तरिक माँग में वृद्धि हेतु इस उद्योग में लगने वाले कर को सरकार यदि पूर्णतया समाप्त न कर सके तो इसमें कमी अवश्य करनी चाहिए।

(8) आधुनिकीकरण एवं अभिनवीकरण—जूट उद्योग के विकास हेतु आधुनिकीकरण एवं अभिनवीकरण के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी तक इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह लाभकर हो रही है, अतः इस दिशा में और भी महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जाने चाहिए।

(9) आन्तरिक बचतों में वृद्धि—जूट की वस्तुओं की बढ़ती हुई लागत व गिरते हुए लाभों के नियन्त्रण हेतु आन्तरिक बचतों को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

(10) गुणात्मक नियन्त्रण—जूट की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए इस उद्योग में किस्म नियन्त्रण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अबिष्य—यद्यपि जूट उद्योग वर्तमान समय में सकट से गुजर रहा है परन्तु इसका भविष्य उज्ज्वल है। भारत का जूट उद्योग कृत्रिम धागे व बंगला देश से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है, यदि अनुसंधान व विकास के द्वारा जूट के माल का मूल्य विश्व के बाजार में उचित स्तर पर रखा जावे। पश्चिमी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमरीका में वर्तमान समय में मुक्त प्रसार की प्रवृत्ति विस्तृत हो रही है। अतः भारत के जूट के सामान विक्रय के लिए अच्छा क्षेत्र है। सोवियत रूस आस्ट्रेलिया व सूडान भारत के लिए नये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

5. कोयला उद्योग (Coal Industry)

कोयला उद्योग भारत का एक आधारभूत उद्योग है। किसी भी देश के औद्योगीकरण के लिए कोयले एवं लोहे की आवश्यकता पड़ती है। कोयले का प्रयोग औद्योगिक शक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। कुल मिलाकर देश में 13900 करोड़ टन कोयले के भण्डार का अनुमान लगाया गया है।

संसार के कोयला उत्पादन में भारत का आठवाँ स्थान है। कोयले के प्रधान केन्द्र बङ्गाल व बिहार राज्य में हैं। कोयले का क्षेत्र दामोदर घाटी में फैला हुआ है। रानीगंज व झरिया की खानों से देश के कुल उत्पादन का क्रमशः 30 या 40 प्रतिशत कोयला निकाला जाता है। कोयले की छोटी-छोटी खानें असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र-प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू व काश्मीर में भी पायी जाती हैं।

संक्षिप्त इतिहास

भारत में कोयला उद्योग का आरम्भ सन् 1814 में हुआ, जबकि सर्वप्रथम रानीगंज की खानों में कोयला निकाला गया। परन्तु 1853 तक इस उद्योग का विकास नहीं किया जा सका। सन् 1853 के पश्चात् भारत में रेलों का विकास किया

जाने लगा। जब रेलो बनी तो पहले कोयला इंग्लैण्ड से मँगाया गया। वह कोयला बहुत महँगा पडता था। अत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खानो का पता लगाया और कोयला खोदना आरम्भ किया। कोयले का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा। भारतीय कोयला सस्ता होने के कारण विदेशो जैसे लका, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह आदि को भी भेजा जाने लगा। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होने के पूर्व कोयले का वार्षिक उत्पादन एक करोड़ सैतालीस लाख टन तक पहुँच गया। प्रथम महायुद्ध मे विदेशो से कोयला आना बन्द हो जाने के कारण इम उद्योगो ने पर्याप्त प्रगति की। परन्तु युद्ध समाप्त होने पर अफ्रीका का सस्ता कोयला भारत मे आने लगा और भारतीय कोयले को अफ्रीका के कोयले से प्रतियोगिता करने मे बडी कठिनाई का सामना करना पडा। सन् 1927-30 के बीच अफ्रीका के कोयले की माँग कम हो जाने के कारण भारतीय कोयला उद्योग ने अपने खोए हुए बाजार को पुन प्राप्त कर लिया और कोयले के उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई। इसके पश्चात् मन्दी का युग आया और कोयले की माँग मे अत्यधिक कमी आ गयी, फलतः कोयले की बहुत-सी खानो मे काम बन्द हो गया।

सन् 1934 से कोयला उद्योग ने पुनः उन्नति करना शुरू किया। बन्द हुई खानें पुन चालू की गई और कोयले की माँग पुन बढ जाने के कारण कोयले का उत्पादन फिर बढ गया। विदेशो को भी कोयला निर्यात होने लगा। द्वितीय महायुद्ध काल मे माल के डिब्बे की कमी ने एक समस्या उत्पन्न कर दी। उधर लोहा इस्पात उद्योग की सरकारी माँग पूरा करने के लिए अधिक कोयले की आवश्यकता थी। सन् 1944 मे कोयले पर नियन्त्रण लगा दिया गया, परन्तु कोयले का उत्पादन बढ़ता रहा। सन् 1945 मे पिछले वर्षों की अपेक्षा कोयला का उत्पादन 30 लाख टन अधिक हुआ। उस समय कई खानो से घटिया किस्म का कोयला निकाला जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्त के उपरान्त इस उद्योग की दशा मे कोई उल्लेखनीय सुधार नही हुआ है।

योजना काल में कोयला उद्योग

प्रथम योजना काल के आरम्भ मे भारत मे अनेक कोयले का उत्पादन लगभग 344 लाख टन था, जो सन् 1955-56 में बढ़कर 384 लाख टन हो गया।

द्वितीय योजना के लिए कोयले उत्पादन का लक्ष्य 6 करोड़ टन रखा गया था, किन्तु कुछ कठिनाइयो के कारण कुल कोयले का उत्पादन 5.6 करोड़ टन ही हुआ। घटिया कोयले को धोकर अच्छा कोयला बनाने के लिये योजना अवधि मे चार केन्द्रीय धुलाई के कारखाने खोले गए और एक धुलाई केन्द्र दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने मे खोला गया। दूसरी योजना काल मे ही राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई।

तीसरी योजना के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 9.7 करोड़ टन था, लेकिन वास्तविक उत्पादन 6.7 करोड़ टन ही हुआ। 1968-69 तक योजना अवकाश के तीन वर्षों की अवधि से कुल मिलाकर कोयला निकालने में 40 लाख टन की वृद्धि हुई और इससे कुल प्राप्ति 7.1 करोड़ टन हो गई।

चौथी योजना की अवधि में कोयला प्राप्ति का लक्ष्य तीसरी योजना के लक्ष्य से भी कम 9.35 करोड़ टन रखा गया। 1973-74 में लगभग 800 लाख टन कोयला प्राप्त किया गया। इस मात्रा में लगभग 50 लाख टन की वह वृद्धि भी शामिल है जो सांख्यिकीय हिसाब-किताब से अपेक्षित है।

पाँचवीं योजना इस योजना के अन्तिम वर्ष 1978-79 में कोयला के उत्पादन लक्ष्य 1240 लाख टन निर्धारित किया गया था। लेकिन योजना की समाप्ति (1977-78) पर कोयला का उत्पादन 1010 लाख टन था।

छठवीं पंचवर्षीय योजना—इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में कोयले की माँग 1505 लाख टन हो जाने का अनुमान है। माँग में इस तीव्र वृद्धि का कारण खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बेहताशा वृद्धि हो जाना है। इस योजना में 16500 लाख मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। विद्यमान खानों तथा निर्माणाधीन खानों की क्षमता के पूर्ण उपयोग के अतिरिक्त नवीन खानों भी खोली जायेंगी जिससे अतिरिक्त उत्पादन का 50 प्रतिशत कोयला निकाला जायेगा।

योजना काल में कोयला (लिग्नाइट के अतिरिक्त) का उत्पादन लक्ष्य एवं उत्पादन (लाख टन)

वर्ष	उत्पादन
1950-51	328.0
1960-61	557.2
1973-74	781.7
1979-80	1039.6
1984-85	1650.0

वर्तमान स्थिति

1. कोयले का भण्डार—विश्व में कोयले का प्रत्याशित भण्डार 67,12501 मिलियन टन और लिग्नाइट के भण्डार 29,41,401 मिलियन टन अनुमानित किये गये हैं। भारत में कोयले के भण्डार 82,771 मिलियन टन, लिग्नाइट के भण्डार 2,100 मिलियन टन और टैरीशरी कोयला का भण्डार 902 मिलियन टन अनुमानित किया गया है।

2. खान की संख्या व रोजगार—देश में 843 कोयला खाने हैं जिसमें 6 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है।

3. क्षेत्र—भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र बङ्गाल तथा बिहार राज्य में हैं। रानीगंज (पश्चिमी बंगाल) तथा झरिया (बिहार) की खानों से देश के कुल उत्पादन का क्रमशः 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कोयला निकाला जाता है।

4. उत्पादन—इस समय वार्षिक उत्पादन 10 करोड़ टन से कुछ अधिक है।

सन् 1984-85 तक 1650 लाख मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

5. विदेशी व्यापार—भारत के निकटवर्ती देशो मे कोयले की कमी के कारण भारतीय कोयले की माँग रहती है। दूसरी ओर, यूरोप के औद्योगिक देश भी इसकी माँग करते हैं, अन भारत कोयले का निर्यात भी करता है। नीचे की तालिका मे भारत से कोयले के निर्यात की मात्रा बतलाई है—

भारत से कोयले का निर्यात

वर्ष	मात्रा
1975-76	4.4 लाख टन
1976-77	6.2 लाख टन
1977-78	6.3 लाख टन

भारतीय कोयले का सबसे बडा आयातकर्ता बङ्गला देश (लगभग 33%) है। श्री लंका, बर्मा अन्य आयातकर्ता देश हैं। फ्रांस भी भारतीय कोयले का बडा आयातकर्ता है। पश्चिमी जर्मनी, इटली व बेल्जियम अन्य देश है जो भारतीय कोयले का आयात करते है।

यह ध्यान रहे कि भारत कोयले का बडा निर्यातक कभी नही हो सकता।

6. कोयले का प्रयोग—कोयला उत्पादन का सबसे अधिक भाग (लगभग 35%) रेलो काम में लाती है और दूसरा इस्पात उद्योग का है। इनके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन व अन्य उद्योगो मे इनका प्रयोग होता है।

7 कोयला उद्योग का संगठन—पिछले पाँच दशको मे कोयला खान उद्योग के सम्बन्ध मे गठित अनेक समितियो ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की जिसको ध्यान मे रखते हुये भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 मे की। तत्पश्चात् देश मे कोयले की बढ़ती हुई माँग को देखते हुये, माँग के अनुरूप पूर्ति को बनाये रखने तथा इस्पात उद्योग की नियमित रूप से बढ़िया कोयले देते रहने के लिये 17 अक्टूबर 1977 को भारत सरकार ने कोक बनाने योग्य 214 कोयले की खानो (बिहार की 211 एव ५० बङ्गाल की 3) एवं 12 कोक ओवेन संयन्त्रो का राष्ट्रीयकरण कर लिया। 31 जनवरी 1973 को सरकार ने अध्यादेश के द्वारा 644 गैर कोकिंग कोयला खानो का भी नियन्त्रण अपने हाथो मे ले लिया। वर्तमान समय मे कोयला उद्योग का सम्पूर्ण प्रबन्ध कोल इंडिया लिमिटेड नामक होल्डिंग कम्पनी करती है। इसको पाँच सहायक कम्पनियाँ क्रमशः (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (ख) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ग) सेन्ट्रल-कोल फील्ड्स लिमिटेड (घ) वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड तथा (च) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान हैं। इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे माँग के अनुसार उत्पादन करना, खान मालिको द्वारा श्रमिको का शोषण, आधुनिक तकनीक द्वारा उत्पादन करना तथा खान मालिको पर राज्य सरकार का भी बकाया

आदि मुख्य कारण थे। निजी क्षेत्र द्वारा खान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटनाओं में भी भारी वृद्धि हो रही थी उसे रोकना जरूरी था। मुख्य उद्देश्य इस महत्त्वपूर्ण साधन का संरक्षण और आधुनिक तरीके से विकास था।

कोल इण्डिया लिमिटेड की कुल अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी। राष्ट्रीयकरण के बाद यह आशा की गई थी कि माँग के अनुसार उत्पादन होगा तथा कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले के मूल्य स्थिर रहेंगे परन्तु अनुमान, अनुमान ही रह गया।

केन्द्र सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत भारत कोकिंग कोल के वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे में बड़े परिवर्तन की घोषणा की है। सरकारी क्षेत्रों में देश की सबसे बड़ी कोयला कम्पनी भारत कोकिंग कोल को दो भागों में बाँटने की घोषणा की गयी है जो पूर्व और पश्चिम खंड के नाम से जाने जाएँगे।

8. कोयला धोवन शालाएँ (Coal Washeries)—कोक योग्य कोयले की कमी को पूरा करने के लिए उत्तम और निम्न श्रेणी के कोयलों का मिश्रण करके उससे ब्लैण्डिंग कोयला प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार अधिक राख वाले कोयले को धोकर उसे उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु अब तक 14 कोयला शोधन शालाएँ जिनकी क्षमता 2 करोड़ टन से अधिक है, स्थापित की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त गैर-कोकिंग कोयले को साफ करने के लिए भी एक छोटी शोधन-शाला स्थापित की गई है।

कोयला उद्योग की समस्याएँ एवं उपचार

1. खानों का अनार्थिक आकार—भारत में अनेक कोयला खानों का आकार अनार्थिक है। इसके कारण इन खानों में आधुनिक मशीनों के प्रयोग की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं।

उपाय—अतः यह आवश्यक है कि छोटी-छोटी आर्थिक आकार की इकाइयों का एकीकरण करके उन्हें आर्थिक इकाई का रूप दिया जाय तथा इनका आधुनिकीकरण किया जाय। ऐसा करने से उत्पादन लागत कम होगी तथा उद्योगों को सस्ते मूल्य पर कोयला उपलब्ध हो सकेगा जो देश के औद्योगीकरण में सहायक होगा।

2. यातायात की समस्या—कोयला उद्योग के विकास में सस्ते, सुगम एवं द्रुतगामी साधनों का कोयले के समान वितरण के लिए विशेष महत्त्व है। देश में इन साधनों के अभाव के कारण एक ओर तो कोयला खानों पर खुदा पडा रहता है तथा दूसरी ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उद्योग या तो बन्द हो जाते हैं या अपनी क्षमतानुसार उत्पादन करने में असमर्थ रहते हैं। इसका प्रभाव विदेशी व्यापार पर भी पड़ता है।

उपाय—वर्तमान कोयले की दुलाई का अधिकांश कार्य रेलवे उद्योग करता है किन्तु आवश्यकतानुसार रेलवे उद्योग सफलतापूर्वक कोयले की दुलाई का कार्य करने में पूर्णतः सफल नहीं हो रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कोयला

हुलाई की व्यवस्था में सड़क परिवहन व जल परिवहन का भी सहयोग लिया जाय ।

3. कोयला क्षेत्रों का असमान वितरण—देश के अधिकांश कोयले के भंडार बिहार व पश्चिम बंगाल में केंद्रित हैं । कुछ कोयला मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास और असम से भी प्राप्त होता है । अन्न राज्यों में कोयले का उत्पादन बहुत कम है किन्तु कोयले की मांग देश के प्रत्येक क्षेत्र में है । अतः कोयले के वितरण में अत्यधिक हुलाई व्यय आता है ।

उपाय—इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि कोयले की हुलाई के लिए यातायात के सस्ते साधन उपलब्ध होने चाहिए तथा उद्योग को प्रादेशिक आधार पर संगठित करना चाहिए । इसके अतिरिक्त कोयले के भण्डारों को खोज अन्य प्रदेशों में भी की जानी चाहिए ।

4. आधुनिकीकरण की समस्या—भारत में कोयले की लागत अधिक है । इसका एक महत्वपूर्ण कारण खानों में मशीनीकरण की कमी है, जिसके फलस्वरूप खानों के निचले भाग से कोयला नहीं निकाला जा सकता । भारत में केवल 25 प्रतिशत कोयला मशीनों द्वारा निकाला जाता है, जबकि पश्चिमी जर्मनी में रूस की खानों में 80 प्रतिशत कोयला मशीनों से निकाला जाता है ।

5. कोयला भण्डारों का दुरुपयोग—भारत में कोयले के भण्डार सीमित हैं और आशा की जाती है कि 150 वर्ष में समाप्त हो जायेंगे । इसके बावजूद भी खादान मालिक केवल ऊपरी सतहों में कोयला निकालकर छोड़ देते हैं । क्योंकि नीची खुदाई करने पर उत्पादन लागत बढ़ने लगती है । कोयला निकालने की रीति भी अवैज्ञानिक व त्रुटिपूर्ण है ।

6. खान दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण—कोयला उद्योग में दुर्घटनाएँ अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक रही हैं, किन्तु सुरक्षा के उचित उपाय अपना कर दुर्घटनाओं को पर्याप्त कम किया जा सकता है । अब विभिन्न सुरक्षा समितियों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर खानों में दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए निरन्तर देख-रेख किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

7. घटिया किस्म का कोयला—भारत में जो कोयला खनन किया जाता है वह अत्यधिक राख वाला है ।

8. श्रमिक समस्या—इस उद्योग में लगे श्रमिकों की दशा सोचनीय है एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है । सरकार इनकी दशा सुधारने के लिए काफी प्रयत्नशील है । इनके लिये सरकार ने वेतन बोर्ड भी बना दिया है ।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त ईंधन नीति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न प्रकार के कोकिंग कोयले का उत्पादन इस्पात कारखानों की आवश्यकता के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए ।

भविष्य

वस्तुतः भारतीय कोयले के निर्यात की सम्भावना काफी अधिक है। तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाने से 'काले हीरे' का भविष्य पुनः उज्ज्वल हो गया है। केवल भारत ही नहीं समृद्ध देश भी तेल पर निर्भरता कम करके कोयले के उपयोग की ओर झुक रहे हैं। यूरोपीय सन्नता बाजार के देश ऊर्जा की कुल खपत में तेल का अंश 1974 के 58 प्रतिशत से घटाकर 1980 में 51 प्रतिशत और 1985 तक 48 प्रतिशत ले आना चाहते हैं। जाहिर है कि उन्हें कोयले का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। तेल के उपयोग का तरजीह देने की अब तक की नीति के कारण पश्चिम योरोप के कोयला उद्योग के विकास की अब तक उपेक्षा सी की गयी, यहाँ तक कि कितनी ही खाने बन्द कर दी गयी। ऐसी हालत में इन देशों को आयात करना ही पड़ेगा। पोलैंड आवश्यक मात्रा में कोयला दे नहीं सकेगा। आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका का कोयला मँहगा पड़ेगा। भारतीय कोयले के पक्ष में एक बात यह भी है कि उसमें गन्धक की मात्रा कम है। पर्यावरण दूषण के प्रति अत्यधिक सचेत हो गए ये देश इस कारण से भी भारतीय कोयले की तरजीह देंगे। भारतीय कोयले में राख तत्त्व अधिक होता है, परन्तु पश्चिम योरोप के विजली कारखानों की इससे कोई असुविधा नहीं होती। घटिया किस्म के भारतीय कोयले के लिए अच्छा बाजार मिल जायेगा।

हमारी खानों में लगभग 9,196 करोड़ टन कोयला है। तेल के बढ़ते हुए मूल्य के विकल्प के रूप में कोयला का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आगामी 200 वर्षों तक यह ऊर्जा के विकल्प के रूप में कार्य करने में सक्षम है। औद्योगिक का विकास भी इसी पर आधारित है। जब तक बिजली, सौर ऊर्जा आदि के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है तब तक हमें कोयले के उत्पादन में ही निर्भर करना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कोयला उत्पादन को माँग के अनुरूप बढ़ाया जाए।

6. सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

ऐतिहासिक विकास—भारत में सीमेंट उद्योग का विकास 1904 में हुआ जबकि मद्रास में साउथ इण्डिया इन्डस्ट्रियल लिमिटेड की स्थापना हुई लेकिन शीघ्र ही यह प्रयास असफल हो गया। इसके एक दशक पश्चात् अक्टूबर 1914 में सीमेंट उद्योग की भारत में नींव पड़ी, जबकि इण्डियन सीमेंट कम्पनी लिमिटेड (एजेन्ट्स-टाटा सन्स एन्ड कम्पनी) ने पोरबन्दर के कारखाने में पहला सीमेंट का थैला पैक किया। दो वर्ष के अन्दर ही (1914-19 के बीच) खटाऊ ने कटनी में तथा किलिक निक्सन ने लखेरी (बूंदी, राजस्थान) में सीमेंट के कारखाने स्थापित किए। इन तीनों कारखानों की उत्पादन क्षमता 1918 में जबकि प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ 25,000 टन वार्षिक थी। 1919-24 के मध्य गुजरात, मध्यप्रदेश और बिहार में तीन नवीन सीमेंट इकाइयों की स्थापना की गई तथा पुरानी तीन इकाइयों का विस्तार किया गया। 1924 में देश में सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता 56 लाख टन थी, परन्तु वास्त-

विक उत्पादन इसके आधे से भी कम रहा। माँग की कमी और देशी सीमेन्ट के प्रति उपभोक्ताओं की उदासीनता के कारण सीमेन्ट की बिक्री लागत से कम दाम पर होने लगी। फलतः अनेक कम्पनियाँ बन्द हो गयीं। ऐसी दशा में भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया तथा सीमेन्ट उद्योग की जाँच टैरिफ बोर्ड द्वारा करायी गई। टैरिफ बोर्ड ने सरक्षण देने के अतिरिक्त उद्योग की विद्यमान इकाइयों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। परिणामस्वरूप 1925 में भारतीय सीमेन्ट निर्माता संघ की स्थापना की गई जिसका कार्य सीमेन्ट की कीमतों का नियन्त्रित करना था। 1927 में कंकरीट एसोसियेशन ऑफ इण्डिया का गठन हुआ, जिसका प्रमुख कार्य सदस्यों के उत्पादन का विज्ञापन एवं वितरण करना था। विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1930 में सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना की गई जिससे नियन्त्रित कीमत पर सीमेन्ट की बिक्री तथा वितरण को प्रोत्साहन दिया जा सके। सीमेन्ट उद्योग के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना सन् 1936 में एसोसियेटेड कम्पनी की स्थापना होना है। सगठन एवं वितरण सम्बन्धी विवेकीकरण की दशा में यह महत्त्वपूर्ण प्रयास था। इस कम्पनी की स्थापना के बाद देश का सीमेन्ट उद्योग दो समूहों—ए० सी० सी० ग्रुप और डालमिया-जैन ग्रुप में बँट गया। सन् 1936 में ही राजस्थान में सवाई माधोपुर नामक स्थान पर जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई। सन् 1937 में डालमिया-जैन ग्रुप द्वारा बिहार में कल्याण नामक स्थान पर लाइम और सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई। सन् 1938 में मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के भद्रावती के कारखाने में सीमेन्ट का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में यह पहला सीमेन्ट कारखाना था। सन् 1938-39 में डालमिया-जैन ग्रुप द्वारा बिहार में डालमिया नगर, मद्रास में डालमियापुरम और हरियाणा में दादरी नामक स्थान पर एक नवीन सीमेन्ट इकाई स्थापित हो गई। ए० सी० सी० ग्रुप ने भी इसी अवधि में सीमेन्ट उद्योग में तीन इकाइयों की वृद्धि की जो कि हरियाणा, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की गईं।

सन् 1947 में देश का विभाजन हुआ और फलस्वरूप सीमेन्ट के कुल 24 कारखानों में से 6 कारखाने पाकिस्तान में चले गए और शेष 18 भारत में रहे। डालमिया समूह और ए० सी० सी० ग्रुप में सन् 1938 की तरह 1948 में पुनः आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई, जिसका उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा।

पंचवर्षीय योजनाओं में सीमेन्ट उद्योग

प्रथम योजना—प्रथम योजना के आरम्भ में सीमेन्ट का उत्पादन लगभग 30 लाख टन था। प्रथम योजना में सीमेन्ट उद्योग के 45 लाख टन से अधिक की उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु 45 लाख टन की क्षमता ही स्थापित की जा सकी।

द्वितीय योजना—इस योजना में सीमेन्ट की माँग काफी थी जिससे लक्ष्य को

बढाकर 160 लाख टन कर दिया गया, परन्तु वास्तविक उत्पादन क्षमता 92 लाख टन ही रही।

तृतीय योजना—इस योजना में 150 लाख टन की उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, परन्तु 116 लाख टन की ही उत्पादन क्षमता स्थापित की जा सकी।

चतुर्थ योजना—इस योजना में 1973-74 तक 215 लाख टन की उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु 197.5 लाख टन की ही उत्पादन क्षमता स्थापित की जा सकी। इस प्रकार इस उद्योग के विकास का क्रम सदैव ही लक्ष्य से पीछे रहा है।

पाँचवाँ पंचवर्षीय योजना के अंत तक सीमेन्ट उत्पाद का लक्ष्य 20.8 मिलियन टन निर्धारित किया गया। वर्तमान सीमेन्ट मिलों की क्षमता में विस्तार करने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय सीमेन्ट निगम द्वारा 6 नई इकाइयाँ स्थापित करने की योजना थी।

योजनाओं में सीमेन्ट उद्योग की प्रगति दर्शायी गई है।

वष	1951-52	1960-61	1970-71	1980-81	1984-85 (लक्ष्य)
उत्पादन (लाख टन)	27.0	79.0	144.0	210.0	345.0

छठों (1980-85) याजना में कुल सीमेन्ट का उत्पादन लक्ष्य 345 लाख टन रखा गया है। इस योजना में माँग और पूर्ति के अन्तराल को कम किया जायेगा। सीमेन्ट का इस योजना में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है और 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।

वर्तमान स्थिति

(i) कारखानों की संख्या—इस समय भारत में सीमेन्ट के 65 कारखाने हैं जिनमें से 9 कारखाने सरकारी क्षेत्र में तथा शेष निजी क्षेत्र में हैं।

(ii) पूँजी विनियोग एवं रोजगार—इस उद्योग में लगभग 280 करोड़ रुपये की पूँजी लगी है तथा 85 हजार श्रमिक कार्यरत हैं।

(iii) उत्पादन—1979-80 में सीमेन्ट का कुल उत्पादन 1.76 करोड़ टन था जबकि 1950-51 में केवल 20 लाख टन था।

(iv) उत्पादन क्षमता—सीमेन्ट कारखानों की कुल प्रस्थापित क्षमता 2.58 करोड़ टन वार्षिक है।

(v) निर्यात—भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सीमेन्ट अभी कुछ वर्षों के ही शामिल हुआ है। यहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान व ईरान आदि देशों को सीमेन्ट भेजा जाता है।

(vi) उपभोग—भारत में सीमेण्ट का उपभोग प्रति व्यक्ति 27 किलोग्राम वार्षिक है, जबकि स्विटजरलैण्ड में यह संख्या 753 व पश्चिम जर्मनी में 598 है।

(vii) भारतीय सीमेण्ट निगम—केन्द्रीय क्षेत्र में सीमेण्ट उद्योग का एक ही अभिकरण 'भारतीय सीमेण्ट निगम' नई दिल्ली है। इसके 6 कारखाने हैं—कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और असम में एक-एक कारखाना है और 3 कारखाने मध्य प्रदेश में हैं।

(viii) वितरण—भारतवर्ष में अधिकांश सीमेण्ट कारखाने बिहार में हैं। ये कारखाने सिन्धी, खलारी, डालमियानगर, कल्याणपुर, जापला, झाझर, चायबासा में हैं। बिहार में सीमेण्ट उद्योग केन्द्रित होने के निम्नलिखित कारण हैं—(1) जिप्सम, राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर जिलों से उपलब्ध हो जाता है। (2) कोयले की खानें बिहार में पायी जाती हैं। सीमेण्ट के उत्पादन के लिए इसका विशेष महत्त्व है। (3) चूने का पत्थर सीमेण्ट के कारखाने के समीप मिल जाता है।

सीमेण्ट के अन्य कारखाने निम्नलिखित राज्यों में हैं—

राज्य	प्रमुख क्षेत्र
मध्य प्रदेश	कटनी, सतना, कैमोर
उड़ीसा	राजगंगपुर
राजस्थान	जयपुर, लखेरी, सवाई माधोपुर
गुजरात	द्वारका, ओखामण्डल, जामनगर, सेवालिया
पंजाब	सूरजपुर, भूपेन्द्र नगर
तमिलनाडु	डालमियापुरम, तिन्नेवली, मधुकराय
कर्नाटक	भद्रावती, वागलकोट
पश्चिमी बंगाल	चौबीस परगना
आन्ध्र प्रदेश	कृष्ण, वेजवाडा, शाहबाद
उत्तर प्रदेश	चुर्क
केरल	कोटयाम
असम	उमती नगर

सीमेंट उद्योग की समस्याएँ

भारत के सीमेण्ट उद्योग के समक्ष निम्नलिखित समस्याएँ हैं जिनका तत्काल समाधान आवश्यक है—

(1) उद्योग के विकास की धीमी गति—भारत एक विकासोन्मुख देश है और यहाँ आर्थिक विकास के लिए सीमेण्ट का बहुत महत्त्व है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत जिस गति से बहुमुखी योजनाओं तथा भवनो का निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाता है, उसको देखते हुए सीमेण्ट का उत्पादन अत्यन्त तेजी से बढ़ाया जाना

आवश्यक है, परन्तु भारत में सीमेण्ट उद्योग का विकास निम्नलिखित कारणों से तीव्र गति से नहीं हो सका है—

(अ) निम्न लाभदायकता—सीमेण्ट उद्योग में लाभ अन्य उद्योगों की अपेक्षा काफी कम है। लाभों की कमी के कारण उद्योग आन्तरिक ऋणों का सृजन नहीं कर पाता है सीमेण्ट एक पूँजी सघन उद्योग है और जब तक समुचित प्रत्याय का आकर्षण नहीं होगा तब तक इसे समुचित मात्रा में पूँजी भी प्राप्त नहीं हो सकेगी।

उद्योग की निवेश पर पर्याप्त आय सुनिश्चित करनी होगी जिससे कि विकास को प्रोत्साहन मिल सके। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नई क्षमता पर 14 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। लेकिन सीमेण्ट उद्योग का कहना है कि यह आय पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि सयंत्र की स्थापना पर व्यय प्रति टन 650 रुपये हो गया है जबकि पहले व्यय 250 रुपये ही था। ऐसे समाचार हैं कि सरकार इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सीमेण्ट उद्योग को कर के बाद 12 से 14 प्रतिशत तक लाभ मिल सके। लेकिन नई सरकार नए निवेश पर आय सुनिश्चित करने में सिर्फ सीमेण्ट उद्योग ही नहीं वरन् अन्य उद्योगों के लिए भी कुछ समय लेगी। यदि तत्काल कोई निर्णय ले भी लिया जाता है तो नयी इकाइयों के लिए माँग और पूर्ति के बीच की खाई को पूरा करना सम्भव नहीं हो पायेगा क्योंकि इनमें उत्पादन आरम्भ करने में समय लगेगा।

(ब) अत्यधिक नियन्त्रण—उद्योग की मन्द-गति में प्रगति होने का एक मूल कारण यह भी है कि इस उद्योग पर सरकार का अत्यधिक नियन्त्रण रहा है। इसकी स्थापना, इसकी कीमत, ईंधन, वितरण और यहाँ तक इसकी पैकिंग भी सरकार द्वारा नियन्त्रित की जाती है। इन अत्यधिक एवं अनावश्यक प्रतिबन्धों ने उद्योग के विकास को रोका है तथा नए उपक्रमों की स्थापना को हतोत्साहित किया है।

(स) अव्यावहारिक औद्योगिक लाइसेंस प्रथा—सरकार की औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रथा सीमेण्ट उद्योग के सम्बन्ध में बड़ी अव्यावहारिक रही है। लाइसेंस के साथ अनेक शर्तें लगा दी जाती हैं, विदेशी विनिमय कम मात्रा में दिया जाता है जिसके कारण उद्योगी इस उद्योग की स्थापना में अधिक रुचि नहीं लेते।

(2) कच्चे माल की कमी—सीमेण्ट उद्योग की एक अन्य समस्या कच्चे माल की कमी है। सीमेण्ट के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल कैलकेरिया पदार्थ (चूने का पत्थर, कैलकेरियस रेत तथा सामुद्रिक शैल) तथा अन्य पदार्थ (क्ले, शैल, बाक्सइट, जिप्सम तथा कायला या फर्नेस तेल) है। वास्तविकता यह है कि उच्च कोटि का कच्चा माल देश के सभी प्रदेशों में उचित रूप में बिखरे होने के बजाय कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित है। इसके कारण यातायात व्यय अधिक पड़ता है। अतः घटिया किस्म के कच्चे माल का प्रयोग होता है।

(3) क्षमता का अल्प उपयोग—देश में सीमेण्ट की पर्याप्त माँग होने पर भी सीमेण्ट उद्योग में स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। सीमेण्ट उद्योग की 88 प्रतिशत स्थापित क्षमता का उपयोग हो रहा है।

(4) प्रादेशिक असंतुलन—सीमेण्ट उद्योग प्रादेशिक असंतुलन अर्थात् दोषपूर्ण क्षेत्रीय वितरण की समस्या से भी ग्रस्त है। यह उद्योग मुख्य रूप से दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रित है जिससे इन दो क्षेत्रों में उत्पादन का आधिक्य है लेकिन पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र में सीमेण्ट का अभाव है। सीमेण्ट जैसे भारी यातायात व्यय वाले उद्योग में इन क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है।

(5) परिवहन की कठिनाइयाँ—सीमेण्ट उद्योग एक भारी कच्चे पदार्थ वाला उद्योग होने के साथ-साथ भारी निर्मित पदार्थ उद्योग है जिसके कारण इस उद्योग में परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन भारतीय सीमेण्ट उद्योग में परिवहन की कठिनाई एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका प्रभाव उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों पर ही पड़ता है। वैगनों की कमी तो सदैव ही रहती है और कभी-कभी यातायात की सुविधा न मिलने के कारण फैक्ट्री को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है। यद्यपि हाल में इस दिशा में काफी सुधार हुआ है किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। यह आवश्यक है कि रेल भाड़ा नीति ऐसी हो जिससे कि सभी स्थानों पर सीमेण्ट को बिना मूल्य बढ़ाए आसानी से पहुँचाया जा सके। यह भी आवश्यक है कि सीमेण्ट उद्योग की भावी विस्तार की सभी योजनाएँ परिवहन के विस्तार की योजनाओं के साथ ही बनाई जायें।

(6) ऊँची उत्पादन लागत—भारत में सीमेण्ट की प्रति टन उत्पादन लागत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। बढ़ती हुई उत्पादन लागत से सीमेण्ट उत्पादकों के लाभ में कमी आयी है क्योंकि सीमेण्ट का और अधिक मूल्य बढ़ाना सम्भव नहीं हो सकता है।

(7) सीमेण्ट मशीनरी का अभाव—सीमेण्ट उद्योग का विकास करने हेतु अभी भी अधिकांश मशीनरी का हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। इस हेतु विदेशी मुद्रा की उपलब्धि में कठिनाई होती है। देश में सात स्वदेशी फर्मों इस मशीनरी का उत्पादन करती हैं परन्तु घरेलू मशीनरी की न केवल कीमत अधिक है बल्कि इसका उत्पादन भी माँग की अपेक्षा कम है, फिर भी सीमेण्ट मशीनरी के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है।

(8) अनुसंधान एवं तकनीकी सेवाओं की आवश्यकता—सीमेण्ट उद्योग के लिए अनुसंधान और तकनीकी सेवाओं का भी पर्याप्त महत्त्व है। सभी प्रमुख उत्पादन इकाइयों में शोध की व्यवस्था है जिसमें सीमेण्ट के उत्पादन सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि एक 'केन्द्रीय सीमेण्ट शोध संस्थान' की स्थापना की जानी चाहिए जो सीमेण्ट के नए-नए कच्चे मान तथा उत्पादन तकनीक अनुसंधानों की व्यवस्था करे।

(9) अन्य समस्याएँ—(अ) भारतीय सीमेण्ट उद्योग पर कर भार बहुत अधिक है जिसको घटाया जाना चाहिए।

(ब) सीमेण्ट की लागत अधिक होने के कारण इसका पर्याप्त निर्यात नहीं हो पा रहा है।

उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाने के सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. वर्तमान संस्थापित क्षमता के अप्रयुक्त भाग का अधिक से अधिक प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए।

2. विद्यमान इकाइयों के विस्तार को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. कार्यक्षमता में वृद्धि करने तथा लागत व्यय को कम करने के उद्देश्य से उद्योग को अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण करना चाहिए।

4. राज्य सरकारों को चाहिए कि दीर्घकालीन पट्टे देकर इस उद्योग की उन्नति में सहायता दे।

5. अभी तक सीमेण्ट निर्माण में चूना पत्थर का ही प्रयोग किया जाता है। परन्तु इसके लिए अन्य कच्चे माल जैसे स्लैग (लोहा एवं इस्पात उद्योग का अवशिष्ट भाग) आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6. उचित मूल्य-नीति द्वारा उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का उपयोग नए कारखानों की स्थापना में किया जाना चाहिए।

7. विद्युत-शक्ति के प्रसार एवं प्रयोग से दक्षिण में इस उद्योग के प्रसार की सम्भावनाएँ बढ़ गई हैं। अतः इस उद्योग को सस्ती कीमत पर बिजली उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

8. सीमेण्ट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिनी इस्पात संयंत्रों की भाँति मिनी सीमेण्ट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जोरहट में छोटे आकार के सीमेण्ट संयंत्र का डिजाइन तैयार किया गया है जिसे विकसित करके उपयोग में लाया जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि छोटे आकार के संयंत्रों में प्रतिटन मशीनरी लागत कम होगी। प्रयोग के रूप में इस प्रकार के कुछ मिनी सीमेण्ट संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है।

9. सरकार की लाइसेन्स नीति को अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए।

10. देश में सीमेण्ट मशीनरी का उत्पादन बढ़ाया जाय इसके बावजूद भी यदि सीमेण्ट मशीनरी का आयात करना पड़े तो उसके लिए उदारता से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाय।

भविष्य—भारत में सीमेण्ट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि (अ) पक्के मकानों के निर्माण के लिए सीमेण्ट की माँग बढ़ेगी, (ब) सड़को व बाँधों के निर्माण हेतु भी सीमेण्ट की अधिकाधिक जरूरत होगी, (स) विदेशों में भी भारतीय सीमेण्ट की माँग में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

इंजीनियरिंग उद्योग

(Engineering Industry)

किसी राष्ट्र से औद्योगीकरण में इंजीनियरिंग उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। आज विश्व में समृद्ध कहे जाने वाले राष्ट्रों की तीव्र प्रगति का रहस्य उनके इंजीनिय-

रिंग उद्योग की आश्चर्यजनक क्षमता में छिपा हुआ है। वस्त्र, पटसन, सीमेंट, कागज, कोयला, लोहा व इस्पात, चीनी आदि सभी उद्योग मशीनों पर निर्भर हैं। इन उद्योगों में प्रायः बहुत बड़े आकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। पाश्चात्य देशों में कृषि की सम्पूर्ण क्रियाएँ मशीनों द्वारा की जाती हैं। इंजीनियरिंग उद्योग तो एक ऐसा उद्योग है जिसके विकास के बिना देश में मशीनों का एक पहिया भी नहीं चल सकता। भारत में भी इंजीनियरिंग उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

संक्षिप्त इतिहास

इंजीनियरिंग उद्योग का प्रारम्भ मुख्य रूप से कलकत्ता में हुआ, जहाँ बर्न एण्ड कम्पनी, जैसप एण्ड कपनी, बेथवेट एण्ड कम्पनी इत्यादि ब्रिटिश फर्म स्थापित हुईं। 1924 में देश में 40 इंजीनियरिंग फर्म थीं जिसमें 75,000 व्यक्ति कार्यरत थे। 1929 व 1934 में सामान्य मन्दी के समय सरकार एवं रेलवे की माँग में कमी होने से इस उद्योग को भारी हानि सहन करना पड़ा। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण उद्योग को प्रोत्साहन मिला, जिससे इकाइयों की संख्या बढ़कर 58 व श्रमिकों की संख्या 84,000 हो गई। 1943 में यह संख्या क्रमशः 87 व 15,000 थी। इनमें से अधिकांश इकाइयाँ कलकत्ता, मद्रास व बम्बई के चारों ओर ही केन्द्रित थीं। स्वतन्त्रता के पश्चात् उद्योग में तीव्र प्रगति हुई। भारत ने विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं मशीनरी पिन से वायुयान तक का उत्पादन किया। द्वितीय महायुद्ध की अवधि, इस योजना के लिए एक वरदान सिद्ध हुई और उसके पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं में इस आयोग को प्राथमिकता प्रदान की गई।

योजनावधि में विकास

प्रथम योजना में कृषि विकास पर अधिक ध्यान देने से इंजीनियरिंग उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सूती वस्त्र मशीनरी के उत्पादन में कुछ प्रगति अनुभव की गई जिसका उत्पादन मूल्य 1950-51 में 4 करोड़ रु० से बढ़कर 1955-56 में 11 करोड़ रु० हो गया। सीमेंट, जूट एवं शक्कर मशीनरी का निर्माण भी व्यापक स्तर पर होने लगा।

द्वितीय योजना में भारी व आधारभूत उद्योगों के विकास पर भारी महत्त्व देने के कारण इस उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई। इस अवधि में बर्कशाप भारी फाउण्डरी, ढाँचा दुकानों की स्थापना की गयी। मशीनीकरण एवं विद्युत् इंजीनियरिंग उद्योग में तीव्र प्रगति हुई। डीजल इंजिन के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई।

तृतीय योजना में ढाँचा इंजीनियरिंग उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। निजी क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं जैसे कि हिन्दुस्तान केबिल्स लि० हैवी प्रेशर एवं पम्प, बॉल एवं रॉलर, बीयरिंग, महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट फैक्टरी व सर्जिकल उपकरण आदि।

योजना काल में मशीनीकरण, इजीनियरिंग व विद्युत इजीनियरिंग उद्योग के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई ।

चतुर्थ योजना में विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के प्रयास किये गये । प्रमुख रूप से योजनाओं का पूर्ण करने में विनियोग किये जायेंगे तथा शेष विनियोग कुछ विद्यमान इकाइयों का विवर्तन करने में किया जायेगा जैसे कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, खदान एवं सहायक मशीनरी निगम एवं भारत हेवी विद्युतीकरण आदि । मशीन टूल्स उत्पादन, परिवहन एवं सवहन, उपकरण एवं कृषि मशीनरी का भी विस्तार किया गया ।

पाँचवीं योजना—पाँचवी योजना में इजीनियरिंग उद्योग में स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने उत्पादनों का विविधीकरण करने तथा मशीन निर्माण क्षमता की कमी को पूरा करने पर जोर दिया गया । पाँचवी योजना के अन्त तक इस उद्योग के निर्यात लगभग 400 करोड़ रु० करने का लक्ष्य रखा गया था ।

छठवीं योजना—छठवी योजना में इन्जीनियरिंग उद्योग के सामान की पूर्ति हेतु अप्रयुक्त क्षमता के पूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया है । यन्त्रों के नवीनीकरण, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स के विस्तार और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ी निर्माण करने वाली एक नवीन इकाई की स्थापना के अतिरिक्त शेष पारव्यय, राजकीय क्षेत्र की चालू योजनाओं को पूरा करने में लगाया जायेगा । इस क्षेत्र का निर्यात वृद्धि में विशेष योगदान रहेगा । विशाखापट्टनम एवं कोचीन के जहाज बनाने वाले कारखानों का विस्तार किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का विकास किया जायेगा ।

इन्जीनियरिंग उद्योग का स्थानीयकरण¹

इजीनियर उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः बड़े नगरों में हुआ है । इजीनियरिंग उद्योग के मुख्य केन्द्र एवं वहाँ के विशिष्टीकरण निम्न प्रकार है—

1. **बम्बई (महाराष्ट्र)**—बल्लोद्योग मशीनरी, स्वतःचालित वाहन, पार्ट्स निर्माण एवं संयुक्तीकरण, पोत निर्माण, सूक्ष्म उपकरण, विद्युत वस्तुएँ एवं छोटी मशीनें ।

2. **बंगलौर (कर्नाटक)**—वायुयान मशीन टूल्स, रेलवे डिब्बे, दूर सन्देश उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ।

3. **कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)**—स्वतः चालित वाहन, पार्ट्स निर्माण एवं संयुक्तीकरण । विद्युत वस्तुएँ, सूक्ष्म उपकरण एवं बल्लोद्योग मशीनें ।

4. **बेहल्लो**—विद्युत वस्तुएँ एवं छोटी मशीनरी ।

5. **मद्रास (तमिलनाडु)**—स्वतः चालित वाहन पार्ट्स निर्माण एवं संयुक्ती-

1. Based on Economic Geography of India by V. S. Ganathan

करण, ट्रक्स पार्ट्स निर्माण एवं सयुक्तीकरण, मोटर साइकिल, रेलवे, डिब्बे, साइकिल, डीजल इंजन, विद्युत वस्तुएँ, छोटी मशीनरी, शल्य चिकित्सा उपकरण ।

- 6 अहमदाबाद (गुजरात)—वस्त्र उद्योग मशीने ।
- 7 बड़ौदा (गुजरात)— वस्त्रोद्योग मशीनरी ।
- 8 भोपाल (मध्य प्रदेश)—भारी विद्युत (ब्रिटिश सहयोग से स्थापित केन्द्रीय सरकार की परियोजना)
- 9 चित्तूरंजन (पश्चिमी बंगाल)—स्टीम एवं विद्युत इंजन ।
10. जमशेदपुर (बिहार)—स्टीम इंजन, डीजल ट्रक्स पार्ट्स निर्माण एवं सयुक्तीकरण ।
- 11 कानपुर (उत्तर प्रदेश)—सुरक्षा साज सामान ।
12. मैसूर (कर्नाटक)—मोटर साइकिल पार्ट्स निर्माण एवं सयुक्तीकरण ।
- 13 नाहन (हिमांचल प्रदेश)—कृषि उपकरण विद्युत मोटर्स
- 14 पिंजौर (पंजाब)—मशीन टूल्स
15. पूना (महाराष्ट्र)—डीजल इंजिन और पम्प, आटोमोबाइल्स जीपे, मशीन टूल्स, इलैक्ट्रीकल्स, सुरक्षा साज सामान ।
- 16 राँची (बिहार)—भारी इञ्जीनियरिंग ।
- 17 रूपनारायणपुर (पश्चिमी बंगाल)—केबिल्स और वायर्स ।
- 18 सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)—औजार और सुरक्षा साज सामान ।
- 19 त्रिपुरापल्ली (तमिलनाडु)—बॉयलर्स और रेलवे साज सामान ।
- 20 विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश)—पोत निर्माण ।

वर्तमान स्थिति

1 रोजगार एवं पूंजी—भारत में इन्जीनियरिंग उद्योग में लगभग 20 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं और इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपये की उत्पादक पूंजी लगी है । देश के निर्माणी उद्योग में इन्जीनियरिंग उद्योग का भाग पूंजी में लगभग 35% और रोजगार में लगभग 30% है ।

2 उत्पादन—1950-51 में इन्जीनियरिंग उद्योग का उत्पादन केवल 50 करोड़ रुपये का था जो 1974-75 वर्ष में बढ़कर 3,603 करोड़ रुपये का हो गया था जिसके 1978-79 में लगभग 6,000 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है ।

3. निर्यात—1955-56 में इन्जीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात केवल 5.16 करोड़ था जो बढ़कर 1980-81 में लगभग 900 करोड़ रु० हो गया । नीचे सारिणी में इन्जीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को दर्शाया गया है—

निर्यात की दिशा

क्षेत्र	निर्यात 1956-57 में		निर्यात 1980-81 में	
	कीमत (मिलियन रु० में)	कुल निर्यात में प्रतिशत	कीमत (मिलियन रु० में)	(अनुमानित) कुल निर्यात में प्रतिशत
1. एशिया	37.60	72.86	3477.70	48.50
2 अफ्रीका	12 00	23 23	1501.50	20 97
3 यूरोप	negligible	0 21	1426.80	19.90
4. अमेरिका	negligible	0.36	581.80	8.11
5. ओसीनिया	1 00	1 96	77.10	1.07
6 आस्ट्रेलिया	negligible	1 38	104.40	1.45
कुल	51 60	100.00	7169.30	100.00

समस्याएँ

वर्तमान में भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योग की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ हैं :

1. कच्चे माल का अभाव—इस्पात तथा अलौह धातुएँ इन्जीनियरिंग उद्योग की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं परन्तु भारत में विभिन्न कारणों से इन धातुओं का अभाव बना हुआ है। फलतः इन आधारभूत वस्तुओं के अभाव में हमारे निर्यात भी कम हो जाते हैं।

2. आन्तरिक माँग में अनियमितता—भारत में मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि एवं उद्योगों की इन्जीनियरिंग माल की माँग में अनियमितता बनी रहती है। जिस वर्ष वर्षा ठीक नहीं होती तो कृषि उत्पादन में कमी के कारण कृषकों की आय भी कम हो जाती है फलतः कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टरों, थेसस आदि की माँग कम हो जाती है और इन्जीनियरिंग उद्योग में माँग मन्दी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में निर्यात ही उद्योग को बढावा दे सकते हैं।

3. ऊँची उत्पादन लागत—भारत में विगत वर्षों में इस्पात एवं अलौह धातुओं के कीमतों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त विद्युत व कच्चे माल के अभाव में इन्जीनियरिंग इकाइयाँ अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर पाने में असमर्थ रहती हैं। फलतः इनकी उत्पादन लागत ऊँची हो जाती है। जो हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

4. पूँजी का अभाव—भारी इन्जीनियरिंग उद्योग की स्थापना एवं उसके विकास के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है जबकि भारत में पूँजी का अभाव है।

5. अत्यधिक कर-भार—इस उद्योग पर भारी मात्रा में कर लगाए जाते हैं। करो से इस उद्योग की वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे इन वस्तुओं को देश में बेचने तथा निर्यात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

6. यायायात की कठिनाई—भारत में अधिकांश इन्जीनियरिंग केन्द्रों तक रेल लाइने हैं, परन्तु वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं। सरकार को चाहिए कि इन उद्योगों के उत्पादन केन्द्रों तक दोहरी लाइने बिछाये तथा इन उद्योगों को रेल के ढिब्बे उपलब्ध कराने में कुछ प्राथमिकता देने की व्यवस्था करे।

7. बिजली तथा अन्य शक्तियों की समस्या—इन्जीनियरिंग उद्योगों के लिए कोयला व सस्ती बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना जरूरी है परन्तु देश में अधिकांश भागों में इनका अभाव होने के कारण भारी औद्योगिक इकाइयों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार को चाहिये कि सभी भारी मशीन उद्योगों को बिजली तथा कोयले की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करे।

8. निर्यात में कठिनाई—विगत वर्षों में भारत से डीजल इन्जिन्स और माल के ढिब्बे इत्यादि अनेक वस्तुओं का निर्यात आरम्भ हुआ है, परन्तु इनमें से बहुत-सी वस्तुओं का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है जिससे माल की बिक्री में अनावश्यक देरी होती है व उद्योगपतियों को समय पर भुगतान नहीं मिलता। अतः यह आवश्यक है कि राज्य व्यापार निगम अपनी कार्य प्रणाली को अधिक कुशल बनाये।

उपर्युक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त (अ) इन्जीनियरिंग उद्योग में काफी क्षमता प्रयुक्त पड़ी है इसका उचित उपयोग किया जाना चाहिये। तथा (ब) इस उद्योग में अनेक अनाधिक इकाइयाँ हैं जिनको आर्थिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

उद्योग की दशा सुधारने के लिए उपाय

उद्योग के सुधार के लिए सुधार इस प्रकार दिए जा सकते हैं।

(i) चूँकि इन्जीनियरिंग उद्योग एक निर्यात प्रधान उद्योग है, सरकार को इस उद्योग की निर्यात प्रधान इकाइयों को नियन्त्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में इस्पात व अलौह धातुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ii) सरकार को चाहिए कि कर भार में कुछ कमी कर दे जिससे कि देश के अन्दर उन वस्तुओं की माँग बढ़ सके व निर्यात व्यापार में वृद्धि हो सके।

(iii) इनके पूर्ण उत्पादन क्षमता पर कार्य करने के लिए शक्ति व कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए।

(iv) पूँजी की कमी की पूर्ति के लिए वित्तीय सस्थाओं व सरकार द्वारा मिलकर प्रबन्ध करना चाहिए।

(v) विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला उन्नत तकनीक, कम मूल्य, क्वालिटी नियन्त्रण एवं गारण्टी से किया जा सकता है।

भविष्य

भारत का इन्जीनियरिंग उद्योग निकट भविष्य में ही उज्ज्वल कीर्तिमान स्थापित करने की ओर क्रियाशील दिखता है। सरकारी इकाइयों और निजी क्षेत्र की इकाइयों में एक प्रकार से स्वागत योग्य प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। निजी क्षेत्र के अलावा सरकारी क्षेत्र को हैवी इन्जीनियरिंग आदि तथा मशीनें तथा औजार तैयार करने वाली इकाइयों को विदेशों से काफी बड़े आर्डर मिल रहे हैं। बोकारो का माल अमेरिका तक को निर्यात हो रहा है। इधर अरब देशों में औद्योगिक विकास की जो लहर आयी है और भारतीय इन्जीनियरिंग और तकनीकी ज्ञान और माल की जैसी माँग बढ़ती जा रही है उससे उत्साहित होकर कुछ इन्जीनियरिंग इकाइयों ने एक सच (कन्सोर्टियम) भी बनाया है।

परीक्षा प्रश्न

1. भारत के लोहा और इस्पात उद्योग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत की अर्थ-व्यवस्था के विकास में इसका क्या योगदान है ?

अथवा

भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का परीक्षण कीजिये। 1954, 80

अथवा

स्वतन्त्रता के समय से भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास का संक्षिप्त ब्योरा दीजिए तथा इसकी मुख्य वर्तमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

2. भारत में शक्कर उद्योग की वर्तमान समस्याओं और भावी सम्भावनाओं की विवेचना कीजिए। क्या आप इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं ?

अथवा

भारतीय चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति, समस्याओं तथा उसके भविष्य की व्याख्या कीजिए।

3. सन् 1951 से भारत के सूती वस्त्र उद्योग के विकास का विवरण दीजिए। इस उद्योग की वर्तमान समस्याओं की विवेचना कीजिए।

अथवा

भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास, वर्तमान स्थिति और समस्याओं की विवेचना कीजिये।

4. भारत में जूट उद्योग के विकास एवं वर्तमान स्थिति पर एक विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

अथवा

जूट उद्योग की प्रगति पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।

5. भारत में कोयला उद्योग के विकास तथा उन्नति के बारे में लिखिए तथा इस उद्योग की समस्याओं का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में उद्योग के विकास तथा समस्याओं की चर्चा कीजिए ।

6 भारत जैसे देश के लिए इंजीनियरिंग उद्योग का क्या महत्त्व है ? विवेचना कीजिए । एवं नियोजन काल में इस उद्योग की प्रगति का मूल्यांकन कीजिये ।

अथवा

भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा इसकी मुख्य वर्तमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए ।

7 सीमेन्ट उद्योग की प्रगति पर आलोचनात्मक लेख लिखिए ।

अथवा

भारतीय सीमेन्ट उद्योग की समस्याओं, वर्तमान स्थिति और भविष्य का विवेचन कीजिए ।

भारत में सार्वजनिक उपक्रम—महत्व एवं प्रगति (Public Enterprise in India—Importance and Progress)

सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ—जिन उपक्रमों या उद्योगों पर सरकार अथवा स्थानीय संस्थाओं आदि सार्वजनिक संस्थाओं का स्वामित्व तथा प्रबन्ध होता है उन्हें सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम की विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1. रायचौधरी और चक्रवर्ती के अनुसार, “सार्वजनिक उपक्रम व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है और सरकार का या तो उम पर पूर्ण एकाधिकार होता है या इसके अधिकांश अंग सरकार के हाथ में होते हैं।”

2. टी० आर० शर्मा के शब्दों में, “सार्वजनिक उपक्रम एक ऐसी संस्था है जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबन्ध, व्यवस्था राजकीय यंत्र द्वारा संचालित की जाती हो अथवा ये दोनों ही राज्य के अधीन हो।”

3. एस० एस० खेरा के अनुसार, “सार्वजनिक उपक्रमों से आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या उनके द्वारा मिलकर संचालित औद्योगिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्रियाओं से है।”

संक्षेप में “उन सभी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जिन पर पूर्णतया अथवा अधिकांश सार्वजनिक स्वामित्व हो तथा जिन पर नियन्त्रण एवं संचालन सरकार का ही हो।” इन्हें उद्योगों को राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण भी कहते हैं। सरकारी स्वामित्व तथा सरकारी प्रबन्ध सुमान्यतः साथ-साथ ही चलते हैं। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन दोनों ही एक साथ राज्य के पास हो। उदाहरण के लिए भारत में स्वतंत्रता के पूर्व कुछ रेलों सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत थी, परन्तु उनकी व्यवस्था का भार सरकार ने निजी कम्पनियों के हाथ में दे रखा था।

बहुत समय तक भारत में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन निजी क्षेत्र के अधीन रहा, परन्तु ऐसा अनुभव किया गया कि जब तक सरकार औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय भाग न लेगी, देश का औद्योगिक ढाँचा सुदृढ़ न होगा और न ही देश का

आर्थिक विकास हो सकेगा। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई और सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व

भारत जैसे विकासोन्मुख देश में सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत अधिक महत्त्व है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्त्व या आवश्यकता का निम्नलिखित दृष्टिकोण में से अध्ययन कर सकते हैं—

(अ) आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से महत्त्व, (ब) समाजवादी समाज की स्थापना के दृष्टिकोण से महत्त्व, (स) सामान्य महत्त्व के दृष्टिकोण से महत्त्व।

आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से महत्त्व

भारत आर्थिक नियोजन के युग में गुजर रहा है और आर्थिक नियोजन की सफलता में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। प्रो० हैन्सन के शब्दों में “बिना योजनाओं के सार्वजनिक उद्योग कुछ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बिना सार्वजनिक उद्योगों के योजना सम्भवतः कागज पर ही रह जायेगी।” निम्नलिखित तथ्यों से आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्व स्पष्ट हो जायेगा।

(1) साधनों के वितरण का स्वरूप व सरकारी उद्यम—प्रो० वी० वी० रामानाथम् के शब्दों में, “सरकारी क्षेत्र के विस्तार का मुख्य कारण योजनाओं के अधीन निर्धारित साधनों के आवंटन के ढाँचे में निहित है।” प्रथम योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया था किन्तु द्वितीय योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है। द्वितीय योजना के पूर्व तक निजी क्षेत्र के उद्योगों का प्रभुत्व था। किन्तु द्वितीय योजना से स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई अर्थात् सार्वजनिक उपक्रमों का अब प्रभुत्व हो गया है।

(2) आर्थिक विकास की गति तीव्र करना—आर्थिक विकास की गति तीव्र करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक विकास की गति का लक्ष्य केवल निजी क्षेत्र के प्रयत्नों से प्राप्त करना कठिन है। अन्य शब्दों में आर्थिक विकास की गति की ऊँची दर को जिसे सरकार ने सम्भवतः जान बूझ कर ऊँचा रखा है, प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है। रूस ने लगभग 40 वर्ष की अल्पावधि में ही आश्चर्यजनक आर्थिक विकास किया है और यह सब सरकारी क्षेत्र का विस्तार और विकास करके ही किया जा सका है। आर्थर लुइस के शब्दों में, “आर्थिक क्रिया को बढ़ावा देने या निरस्त/रहित करने में सरकार का योग भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना उद्यमकर्ताओं, माता-पिताओं, वैज्ञानिकों या पुरोहितों का होता है।”

(3) बिशिष्ट और भारी उद्योग—प्रत्येक विकासशील देश में सड़क, विद्यालय, सिंचाई साधन, प्रशिक्षण व्यवस्था आदि का अभाव रहता है। ये उद्योग जनोपयोगी सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। परन्तु ये उद्योग ऐसे हैं जिनका संचालन न-लाभ

न-हानि के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है जो कि केवल सरकार द्वारा ही चलाये जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे उद्योगो मे पूंजी विनियोग के लिए निजी उद्योग-पति इच्छुक नहीं होते।

जिन उद्योगो मे अधिक पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है जैसे इस्पात, भारी मशीनरी, जहाज आदि बनाने के उद्योग, उनका विकास सार्वजनिक क्षेत्र मे ही हो सकता है क्योंकि एक निजी विनियोगकर्ता के लिये इतना बड़ा कारखाना स्थापित करना सरल नहीं होता क्योंकि उनके पास इतनी अधिक पूंजी नहीं होती है। साथ ही निजी साहसी ऐसे उद्योगो की स्थापना अथवा विकास में पूंजी लगाना चाहते हैं जिनमे पूंजी का प्रतिफल शीघ्रता से प्राप्त होता है।

(4) क्षेत्रीय असमानताओ का निराकरण—सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का एक मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश के विभिन्न भागो मे पाई जाने वाली विषमताओ को दूर करना है। केन्द्रीय सरकार अपने सरकारी उपक्रमो को उन क्षेत्रो मे स्थापित कर सकती है जो कि अल्प विकसित हैं, जहाँ कि स्थानीय ससाधन पर्याप्त नहीं है। देश के स्वतन्त्र होने के बाद बहुत से ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रो के विकास के लिए वहाँ बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किये गये हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर मे तीन इस्पात के कारखाने खोलना है।

(5) आर्थिक विकास के लिए वित्त के स्रोत—सार्वजनिक उपक्रमो से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार योजना के लिए वित्तीय साधनो की उपलब्धि मे सार्वजनिक उपक्रम अपना महत्त्वपूर्ण योग देते हैं।

(6) प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग—देश मे उपलब्ध प्राकृतिक साधनो का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमो की सहायता से आवश्यक कार्यों पर लगाया जाता है जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो तथा विकास अवसरों मे वृद्धि हो।

(7) अधिकतम उत्पादन—सार्वजनिक उद्योगो द्वारा अधिकतम मात्रा मे वस्तुओ एवं सेवाओ का उत्पादन किया जाता है जिससे न केवल आन्तरिक आवश्यकताओ की पूर्ति होती है बल्कि अतिरिक्त उत्पादनो का निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की जाती है।

(8) विदेशी सहायता का समुचित उपयोग—सार्वजनिक उद्योगो के विकास हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग सार्वजनिक उद्योगो के विकास एवं कल्याणकारी कार्यों मे किया जाता है जिससे विदेशी सहायता का समुचित उपयोग होने के साथ-साथ कल्याणकारी कार्यों मे वृद्धि भी होती है।

(9) व्यापार संतुलन मे सहायता—सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र मे ऐसे उद्योगो के विकास पर विशेष बल दिया जाता है जिनका विकास नहीं हो पाया है तथा इसी कारण आन्तरिक माँग की पूर्ति आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है। ऐसे उद्योगो का विकास करके आयातों मे पर्याप्त कमी लाई जा सकती है तथा कुछ अवधि के

पश्चात् इन उद्योगों में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर आन्तरिक भाग को पूरा करने के बाद शेष उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है।

समाजवादी समाज की स्थापना के दृष्टिकोण से महत्त्व

भारत सरकार ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का व्रत लिया है और समाज के समाजवादी स्वरूप के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास का दायित्व पूर्णतया सरकार के हाथ में रहे।

सार्वजनिक उपक्रमों के विस्तार से समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे—

(अ) आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण पर नियंत्रण—सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना न की जाय तो उनमें से अनेक उपक्रम निजी क्षेत्र में स्थापित होंगे जिससे निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। समाजवादी समाज की स्थापना में यह प्रवृत्ति बाधक होती है।

(ब) उपक्रमों के लाभों का सार्वजनिक हित में प्रयोग—सार्वजनिक उपक्रमों में होने वाले लाभों का उपयोग जन सामान्य के हित के लिए किया जाता है, जिससे समाजवादी समाज की स्थापना में सहायता मिलती है।

(स) श्रमिकों को लाभ—सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों का शोषण नहीं होता क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का एक उद्देश्य सरकार द्वारा आदर्श सेवायोजक की भूमिका निभाना होता है।

(द) उपभोक्ताओं को लाभ—सार्वजनिक उपक्रम से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है क्योंकि वे पूंजीपतियों द्वारा शोषित होने से बच जाते हैं।

(य) रोजगार में वृद्धि—सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश का तीव्र आर्थिक विकास होने से रोजगार में वृद्धि होती है जिससे समाजवादी समाज की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

(र) शहरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन—जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है वहाँ विद्युत, परिवहन, पर्याप्त जल आपूर्ति, शिक्षा संस्थानों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं विकास किया जाता है जिससे साधारण क्षेत्र भी शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण वहाँ की जनता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है जिससे महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी सम्भव होते हैं।

सामान्य महत्त्व के दृष्टिकोण से महत्त्व

उपर्युक्त महत्त्व के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ सामान्य लाभ भी हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

(अ) राज्य के पास विशाल साधन होने के कारण वह अनुसंधान व उन्नति

हेतु अधिक व्यय कर सकता है और वह अल्पकालीन हानि उठाकर भी अनुसंधान कार्य चालू रख सकता है। (ब) इन उद्योगों से आत्मनिर्भरता होती है और ये अधिकाधिक उत्पादन करके सस्ते दामों में वस्तुएँ उपलब्ध करा सकते हैं। (स) सरकारी उद्योगों के द्वारा अर्द्धविकसित देशों में सरकार भविष्य के लिये देश की आर्थिक व्यवस्था के ढाँचे का निर्धारण कर सकती है, क्योंकि सरकारी उद्यम निजी उद्यम की अपेक्षा अधिक दूरदर्शी होते हैं। वे सोच सकते हैं कि अगले दस-पन्द्रह वर्षों में किस-किस दिशा में क्या-क्या विकास होना परम आवश्यक है और फिर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं।

भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का उद्गम एवं विकास (Growth and Development of Public Sector in India)

यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य अत्यन्त प्राचीन-काल से ही आर्थिक व सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करता रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र गति के साथ विकास एवं विस्तार हुआ है।

स्वतन्त्रता से पूर्व जब देश में ब्रिटिश शासन था तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त सीमित होने का मुख्य कारण यह था कि विदेशी सरकार आर्थिक विकास के प्रति अत्यन्त उदासीन थी। इसके परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति तक सार्वजनिक क्षेत्र की क्रियाएँ रेल, बन्दरगाह, संचार, प्रसारण, बिजली, एवं शक्ति और कुछ विभागीय औद्योगिक संस्थानों जैसे अस्त्र-शस्त्र का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियो, रेलवे वर्कशॉप एवं डाक तार विभाग तक ही सीमित थी।

स्वतन्त्रता के पश्चात् विकास

स्वतन्त्रता के पश्चात् और विशेष रूप से नियोजन काल में देश में सार्वजनिक उपक्रमों का विकास तीव्र गति से हुआ। प्रथम योजना के प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की संख्या केवल 5 थी जिनमें 29 करोड़ रुपए विनियोजित थे। 1 अप्रैल 1979 में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या बढ़कर 176 हो गई जिनमें कुल विनियोजित पूँजी 15602 करोड़ रुपए थी। सार्वजनिक उपक्रमों के विकास का ज्ञान निम्न-तालिका से हो सकता है।

सार्वजनिक उद्योगों की संख्या व विनियोग

	इकाइयों की संख्या	कुल विनियोग रुपए
1. प्रथम योजना शुरू होने पर (1-4-51)	5	29
2. दूसरी योजना शुरू होने पर (1-4-56)	21	81
3. तीसरी योजना शुरू होने पर (1-4-61)	48	953
4. चौथी योजना शुरू होने पर (1-4-69)	85	3092
5. पाँचवी योजना शुरू होने पर (1-4-74)	122	6237
6. छठी योजना के आरम्भ में (1-4-80)	186	18225

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्थान अथवा योगदान

योजना-काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः देश का वर्तमान औद्योगिक एवं आर्थिक ढाँचा पर्याप्त सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान का परिणाम है। सरकार की आय, रोजगार में वृद्धि, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, पिछड़े एवं अर्द्धविकसित क्षेत्रों का विकास एवं सामाजिक न्याय के रूप में इन उपक्रमों ने अपना योगदान दिया है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. राष्ट्रीय आय में योगदान—कुल राष्ट्रीय आय में सरकारी उद्यमों का भाग यद्यपि अभी बहुत अधिक नहीं है परन्तु यह निरंतर बढ़ रहा है। 1960-61 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का भाग लगभग 10.6% था जो 1978-79 में बढ़कर लगभग 20% हो गया है।

2. रोजगार में वृद्धि—सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में प्रायः पार्किन्सन का नियम लागू होता है जिसके अनुसार क्षमता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। सन् 1961-62 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2.67 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था जिनकी संख्या 1978-79 में बढ़ कर 7.20 लाख हो गई। इस समय सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार पाने वालों की संख्या कुल रोजगार का लगभग एक-चौथाई है।

3. उत्पादन में वृद्धि—सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में इन उपक्रमों के उत्पादन का मूल्य लगभग 290 करोड़ रुपये था जो बढ़ कर तीन गुने से भी अधिक हो गया है। कुल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का महत्त्व लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रथम योजना में यह योगदान केवल 3% था जोकि अब बढ़ कर 14% से भी अधिक हो गया है।

4. आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण रोकना—महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और बुनियादी मालों के उत्पादन में सार्वजनिक उपक्रमों के भाग से उनकी महत्त्वपूर्ण स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्य में यह एक सहायक स्थिति है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम के उत्पादन का प्रतिशत इस प्रकार है—हाइड्रो टरबाइन, जहाज निर्माण, अख-बारी कागज, अमोनिया सल्फेटिक नाइट्रेट उर्वरक, स्टीम टरबाइन, टेलीफोन उपकरण, एक्सरे फिल्म, टेलीप्रिंटर उपकरण 100 प्रतिशत, ताम्र अयस्क 98, कोयला 96, इस्पात 85, नाइट्रोजनीय उर्वरक 50, ट्रांसफार्मर 37, फास्फेटिक उर्वरक 36, कैपेसिटर्स 35, अल्युमीनियम 10। इनके माध्यम से सार्वजनिक उपक्रम जिस शक्ति का सृजन कर रहे हैं वह हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्भवतः स्थिरता प्रदान करने वाले तत्त्वों में एक है।

5. क्षेत्रीय तथा सामाजिक उपक्रम को कम करना—सार्वजनिक क्षेत्र का एक

उल्लेखनीय योगदान यह भी रहा है कि इसमें सतुलित प्रादेशिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में विनियोग का अधिकांश भाग पिछड़े एवं अविकसित राज्यों में हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से विनियोजन के वितरण से यह तथ्य स्पष्ट होता है।

6. सामाजिक न्याय—सामाजिक न्याय की दिशा में भी सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान अत्यन्त महत्त्व का है। इस क्षेत्र का प्रादुर्भाव ही जनता के साधनों से जनता का कल्याण करने के लिये हुआ है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में अनेक सामाजिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। श्रम-सन्धियम के अन्तर्गत मिलनेवाली सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टियों की सुविधा, चिकित्सा, आवास, आदि की सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही हैं। नगर निर्माण, सस्ते परिवहन एवं सस्ते जलपान, गृह शिक्षा आदि सामाजिक उपरि-व्यय पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये से भी अधिक व्यय हो रहा है। कर्मचारियों को दी जाने वाली बोनस की राशि में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। कुछ उपक्रमों ने तो दुर्घटना होने पर कर्मचारियों के आश्रितों को प्रदान करने हेतु हितकारी विधि की भी व्यवस्था की है।

7 प्रबन्धकीय विकास—सार्वजनिक उपक्रमों में एक भारी किन्तु नीरव प्रबंधकीय क्रान्ति भी है। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबन्धकीय समूह की संख्या एक लाख से अधिक है, जो अखिल-भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के प्रबन्धकीय अधिकारियों की संख्या के लगभग तिगुनी है। यही नहीं भारत के सार्वजनिक उपक्रमों ने देश में कुछ ऊँचे दर्जे के प्रबन्धक दिये हैं, इसमें संदेह नहीं जिनसे सार्वजनिक उपक्रमों के नये प्रबन्धकीय अधिकारी प्रेरणा लेंगे।

8. निर्यात प्रोत्साहन—विगत वर्षों में सरकारी उद्योगों का निर्यात-निष्पादन (Export Performance) काफी सराहनीय रहा है। राजकीय व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने विश्व के सभी भागों में प्रशंसनीय कार्य किया है। भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं, हल्की इन्जीनियरिंग वस्तुओं और निर्यात की कई नयी मदों को बढ़ाने में काफी सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय तेल निगम ने पेट्रोल के पदार्थों, भारतीय टेलीफोन कम्पनी ने टेलीफोन तथा हिन्दुस्तान मशीनी टूल्स ने मशीनी औजारों व घड़ियों का निर्यात किया। भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं, हल्की इन्जीनियरिंग वस्तुओं और निर्यात की गई मदों को बढ़ाने में काफी सफलता प्राप्त हुई है। केन्द्रीय सरकार के उद्योगों ने 1977-78 में निर्यात द्वारा 1562 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की जब कि 1974-75 में 375 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमाई थी।

9. आयात-प्रतिस्थापना में प्रगति—सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार में देश में विदेशी विनिमय (मुद्रा) की बचत हुई है। हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक्स लि० और इण्डियन ड्रग्स और फार्मेस्यूटिकल्स लि० के औषध निर्माण में प्रवेश के कारण विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसी प्रकार भारत में मशीनी औजारों का आयात

पहले से काफी कम हो गया है और मिट्टी के तेल को छोड़कर पेट्रोल की अन्य वस्तुओं का आयात भी घट गया है। इन सबसे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

यही नहीं, इस क्षेत्र के उदय से तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी हमने अत्यधिक प्रगति की है। विदेशी ज्ञान तथा विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भरता को कम करने भी विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है तथा धीरे-धीरे हम उस स्थिति तक पहुँचने वाले हैं, जहाँ हमें वस्तुओं के रूप में न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी, अपितु तकनीकी योग्यता के क्षेत्र में भी हम आत्म-निर्भर हो जाएँगे।

10 अवस्थापन का विकास—स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में औद्योगिक विकास के लिए विद्युत, शक्ति, यातायात, ईंधन, महत्त्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल एवं टेक्नोलॉजी के रूप में अवस्थापन नाम मात्र को था। भारी उद्योगों के विकास द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इन उपक्रमों द्वारा शोध एवं विकास (R and D) पर विशेष जोर दिया गया।

11. लघु एवं सहायक उद्योगों के विकास में योगदान—सार्वजनिक उद्योगों ने अपने निर्देशन में अपने उत्पादन से सम्बन्धित लघु और सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जिन उपक्रमों ने इस काल में विशेष सहयोग दिया है उनमें बोकारो स्टील लि०, भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं।

12. लाभ-हानि—सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को होने वाली हानि या इनमें किए गए पूँजी निवेश पर मिलने वाले लाभ की कम दर के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रायः आलोचना की जाती रही है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 1978-79 में 31 96 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। लेकिन साथ ही साथ यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इसी वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के 88 चालू प्रतिष्ठानों ने 4475 करोड़ रु० का लाभ कमाया था। ऐसे प्रतिष्ठानों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन आयल, कारपोरेशन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स आदि शामिल हैं। बड़ी संख्या में अन्य प्रतिष्ठानों को वास्तव में इस वर्ष के दौरान 516.71 करोड़ रुपए की हानि हुई। इस हानि में कोल इण्डिया लि० और इसके सहायक प्रतिष्ठानों का बहुत बड़ा भाग था। इसके अतिरिक्त शिपिंग कारपोरेशन, हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को भी काफी हानि हुई।

संक्षेप में, “सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र में नवीन अर्थव्यवस्था की आधार-शिला स्थापित कर रहा है, नये साधनों की खोज कर रहा है और नवीन सभावनाओं का पता लगा रहा है। यह क्षेत्र सामर्थ्य एवं सूक्ष्म तकनीकी शक्ति का निर्माण कर रहा है और देश को औद्योगिक प्रगति के नये युग की ओर ले जा रहा है। जहाँ भी कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग स्थापित हो जाता है, नया जीवन स्पन्दित होना प्रारम्भ हो जाता है, भिलाई, राउरकेला, रुद्र सागर, बरौनी, नामरूप, नगल और कोयली आदि

अज्ञात कस्बे उद्योग के बड़े जीवन्त केन्द्र बन गये हैं। यहाँ विपुल संख्या में कुशल तथा अकुशल कर्मचारी रोजगार के लिए खिंचे चले आ रहे हैं।”

भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएँ (Problem of State Enterprises in India)

भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है क्योंकि स्वतन्त्रता के बाद से ही सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का कार्य शुरू किया जा सका है। वैसे विकास की प्रारम्भिक व्यवस्था में औद्योगिक संगठन के किसी भी स्वरूप में कुछ कमियाँ होना स्वाभाविक ही हैं। लेकिन भारत में सार्वजनिक उपक्रम अपेक्षाकृत अधिक आलोचना के विषय रहे हैं। वस्तुतः इन उपक्रमों की अपनी कुछ समस्याएँ हैं जिनके कारण से सफलता के वांछित स्तर को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। सरकारी उपक्रमों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(1) संगठन के प्रारूप की समस्या—भारतवर्ष में अब तक जितने भी सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए गए हैं उनमें किसी सिद्धान्त के रूप में उनका प्रारूप निश्चित नहीं किया गया। संगठन के प्रारूप का निर्धारण मात्र एक सयोग अथवा सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। स्वतन्त्रता पश्चात् के प्रारम्भिक वर्षों में सार्वजनिक निगम के प्रारूप को प्राथमिकता दी गई थी और वर्तमान में कम्पनी के प्रारूप को प्राथमिकता दी जा रही है। वास्तव में सरकार की यह अविवेकपूर्ण नीति उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या प्रबन्ध और संगठन की समस्या है। श्री नवगोपाल दास के शब्दों में, ‘सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या प्रबन्ध और संगठन की है अर्थात् किस प्रकार समाजीकृत उद्योगों का संगठन और प्रबन्ध किया जाय कि मितव्ययिता एवं क्षमता का त्याग किए बिना सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सके।’¹

(2) प्रबन्ध के स्वरूप की समस्या—श्री गोरखाला के शब्दों में, “चाहे स्वरूप कैसा भी क्यों न हो प्रबन्ध के उच्च स्तर अर्थात् संचालक मण्डल या प्रशासन मण्डल पर योग्य व्यक्तियों के बिना उपक्रम की सफलता की आशा कम होती है। वस्तुतः उच्च प्रबन्धक वर्ग की कुशलता पर ही उपक्रम की सफलता निर्भर करती है परन्तु भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में इस तरह की कुशल प्रबन्ध क्षमता का अभाव रहा है। भारत में प्रायः आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध चलाया जा रहा है जिनको उद्योग एवं व्यवसाय का कोई ज्ञान और अनुभव नहीं होता। फलस्वरूप सार्वजनिक उपक्रम अधिक सफल नहीं हुए हैं। लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी 16वीं रिपोर्ट में बताया था कि “विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में जो संचालक मंडल नियुक्त किए जाते हैं उन्होंने कोई उपयोगी भूमिका अदा नहीं की है क्योंकि वे सभी सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं।” राष्ट्रीय श्रम आयोग के

अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गडकर के शब्दों में “सचिवालय का कार्य चलाना एक और बात है तथा कारखानों का संचालन बिलकुल ही अलग चीज है। इसलिए आई० ए० एस० सब रोगों की दवा नहीं बन सकते। इसके लिए विशेषज्ञ अलग ही तैयार करने होंगे।”

(3) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता की समस्या (Autonomy of Management)—सार्वजनिक उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर उचित प्रकार की वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि उपक्रम का सगठन और प्रबन्ध निष्कलक हो। निष्कलक सगठन एवं प्रबन्ध के लिए प्रबन्धकीय स्वतन्त्रता आवश्यक होती है। प्रो० एम० सी० शुक्ला के शब्दों में, “यदि इन सार्वजनिक उपक्रमों को उचित स्वतन्त्रता दी जाय तो एक व्यापारिक कंपनी की भाँति ये पूरी क्षमता से कार्य कर सकते हैं।” इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता है कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों को पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए अथवा इस स्वतन्त्रता की कोई सीमा होनी चाहिए प्रो० ए० अप्पलबी ने इस सदर्भ में लिखा है, “यह तो निर्विवाद सत्य है कि सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रजातान्त्रिक देश में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। तथापि प्रशासन सम्बन्धी स्वतन्त्रता का आशय केवल यह है कि सरकार के उच्च अंगों को यह बात सिखा दी जाय कि हस्तक्षेप करने में आत्म-समय से काम ले और बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामलों में ही हस्तक्षेप करे।”

(4) संसदीय नियन्त्रण एवं सार्वजनिक जवाबदेही की समस्या—सार्वजनिक उपक्रमों की एक वास्तविक समस्या संसदीय नियन्त्रण एवं सार्वजनिक जवाबदेही की समस्या है। ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट कमीशन के अध्यक्ष लार्ड हरकोम्ब ने सिलेक्ट कमेटी के समक्ष बोलते हुए कहा था, “अन्ततोगत्वा एक बहुत ही वास्तविक समस्या संसद के प्रति जवाबदेही की है।” इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि संसद को सार्वजनिक उपक्रमों पर नियन्त्रण का अधिकार मिलना ही चाहिए क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों में जनता का धन लगा होता है और संसद जनता की एक प्रतिनिधि संस्था है। परन्तु ऐंसा होने पर हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफ संसदीय नियन्त्रण और दूसरी ओर उपक्रमों की स्वतन्त्रता एवं लोच में पूर्णतया विरोधाभास है। यदि संसदीय नियन्त्रण को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाता है तो लोच एवं स्वतन्त्रता में कमी आना स्वाभाविक है।

(5) अंकेक्षण और मूल्यांकन की समस्या—वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों का अंकेक्षण भारत के कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल के परामर्शपर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। कुछ लोग अंकेक्षण की इस वर्तमान पद्धति को उचित नहीं मानते। इनकी दृष्टि से अंकेक्षण की उचित व्यवस्था तभी हो सकती है जबकि उपक्रम के आन्तरिक एवं बाह्य अंकेक्षण को पृथक् कर दिया जाय और बाह्य अंकेक्षण निजी क्षेत्र के कुछ मान्यता प्राप्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाय ताकि वास्तविकता का ज्ञान हो सके। रूस में Khozrachyot एक विशिष्ट संस्था है जो सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय ही नहीं बल्कि कार्य-क्षमता का भी अंकेक्षण करती है

भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में इसका अभाव है। अमरीका ने भी निष्पादन अकेक्षण (Performance Audit) की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर भारत में ऑडिट बोर्ड बन गया है जो सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य निष्पादन का अकेक्षण भी करता है। इस बोर्ड में सम्बन्धित उद्योग के विशेषज्ञों तथा तकनीकी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

(6) श्रम समस्याएँ—यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र आदर्श सेवा-योजक का प्रतीक है परन्तु फिर भी भारत में सार्वजनिक उपक्रमों में दो प्रकार की श्रम सम्बन्धी समस्याएँ पायी जाती हैं—प्रथम, इन उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों में योग्यता, कुशलता और दक्षता का अभाव है। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए व्यावहारिक अर्थशास्त्रियों, लागत लेखापालों बाजार अनुसन्धान एवं संचालन अनुसन्धान के विशेषज्ञों, कम्पनी सचिवों, माल एवं प्रबंध सम्बन्धी विशेषज्ञों इत्यादि की आवश्यकता होती है लेकिन प्रशिक्षित मानवीय ससाधन के अभाव के कारण सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन एवं विकास में काफी बाधा होती है।

दूसरी समस्या कुशल से विवर्गीय प्रबन्ध अर्थात् श्रम-प्रबन्ध सहयोग के अभाव की समस्या है। सार्वजनिक उपक्रम भी निजी क्षेत्र की भाँति घेराव, हड़ताल और तालाबन्दी जैसे रोगों से ग्रस्त है।

सार्वजनिक उद्योगों की असफलता के कारण

(1) लाल फीताशाही—सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लाल फीताशाही भारत के सार्वजनिक उद्योगों में व्यापक रूप से व्याप्त है जिसके कारण न तो उत्पादन, क्रय-विक्रय आदि सम्बन्धी निर्णय समय पर होते हैं, न ही इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी ईमानदारी से परिश्रम करके उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता करते हैं।

(2) प्राविधिक कुशलता का अभाव—सार्वजनिक उद्योगों का प्रबन्ध प्रायः सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को सौंपा जाता है जिन्हें व्यापार तथा व्यवस्था का तनिक भी अनुभव नहीं होता। यह काम अनुभवी, निजी उद्यमियों तथा कुशल प्रबन्धकों का होता है।

(3) संगठन में असमान नीति—भारतीय सार्वजनिक उद्योगों के संगठन में समान नीति का व्यवहार नहीं किया जाना। सुविधानुसार प्रत्येक व्यवसाय की प्रगति और महत्ता पर विचार करके ही यह निर्णय लिया जाता है कि किस सार्वजनिक उद्योग का क्या स्वरूप रखा जाय।

(4) प्रेरणा का अभाव—सार्वजनिक उद्योगों में प्रेरणा का अभाव रहता है क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी उद्योगों को चलाते हैं उनको कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं रहता है। संस्थान चाहे लाभ पर चले या हानि पर, उन्हें तो महीने के अन्त में अपना वेतन मिल ही जाता है।

(5) संसद का अपर्याप्त नियन्त्रण—सरकारी निगमों की कार्य-प्रणाली पर

संसद का कोई नियन्त्रण नहीं है। जो है, वह भी अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप लागत बढ़ जाती है और उनके सम्पूर्ण होने में विलम्ब होता है।

(6) निगमों तथा मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव—निगमों तथा मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव है। निगम को अपनी आंतरिक स्वतन्त्रता का गर्व है तो मंत्रालयों को अपने प्रभुत्व का। इसका दुष्परिणाम उनकी कार्य-कुशलता पर पड़ता है और विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है।

(7) अधिक पूंजीगत व्यय—अनेक परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय काफी अधिक होने से अति पूंजीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। उदाहरण के लिए हैवी इन्जीनियरिंग कॉरपोरेशन, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स इत्यादि में अति पूंजीकरण की स्थिति पाई जाती है।

(8) प्रबन्धकीय व तकनीकी साधनों के विकास में असफलता—सार्वजनिक क्षेत्र की एक असफलता यह भी रही है कि यह प्रबन्धकीय एवं प्राविधिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपने आन्तरिक साधन आवश्यक सीमा तक विकसित नहीं कर सका है। परिणामतः इसे निरन्तर विदेशी विशेषज्ञों और सरकार से बेपुटेशन पर आये हुए कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

(9) क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना—अनेक सार्वजनिक उपक्रम अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि यदि ये उपक्रम अपनी क्षमता का 80% का भी उपयोग कर लें तो उत्पादन में लगभग 100 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है।

(10) उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि न होना—कुछ सार्वजनिक उपक्रम माल की किस्म व कीमत की दृष्टि से पूर्ण संतोष नहीं दे पाये हैं। इस्पात व उर्वरकों की कीमतें भी बहुत अधिक निश्चित की गई हैं। भारत के निर्धन किसान दुनिया में सबसे महंगी खाद खरीदते हैं।

(11) प्रतियोगिता का अभाव—सरकारी उद्योग अधिकांशतः एकाधिकारी हैं। प्रतियोगिता के अभाव के कारण उपभोक्ताओं के प्रति लापरवाही और अकार्य-क्षमता उत्पन्न हो जाती है।

(12) अन्य कारण—सार्वजनिक उद्योगों की असफलता तथा मन्द प्रगति के कारण इस प्रकार है—

(i) बहुत से उद्योगों की स्थापना आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि व्यावसायिक राजनीतिज्ञों द्वारा सरकारी क्षेत्रों में अपनी राजनैतिक शक्ति निर्माण करने का आधार बनाने के लिए की गई है।

(ii) इनके आयोजन में बहुत से दोष पाये जाते हैं जो केवल योजनाओं को कार्यान्वित करने के समय सामने आये हैं। इसके अतिरिक्त बाजार में माँग के अनुकूल समायोजन भी नहीं है।

(iii) सार्वजनिक उपक्रमों को चालू करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और इनकी लागत अनुमानों से अधिक हो जाती है।

(iv) सार्वजनिक उद्योगों में श्रम सम्बन्ध भी अनुकूल नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के सुझाव

(1) संसद का नियन्त्रण—प्रत्येक सार्वजनिक उद्योग को संसद के नियन्त्रण में रखना चाहिए। उद्योगों को वार्षिक रिपोर्ट और खातों पर संसद का निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक उद्योगों को पर्याप्त आर्थिक स्वतन्त्रता रहनी चाहिए और संसद का दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कम्पनी के अध्यक्ष तथा संचालक मण्डल को कम्पनी के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुचित स्वातन्त्र्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्वतन्त्रता के बिना कोई भी व्यक्ति समुचित परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्धकों को कम-से-कम उतनी स्वतन्त्रता तो रहनी ही चाहिए जितनी कि निजी क्षेत्र के प्रबन्धकों के हाथों में होती है।

(2) उच्च प्रबन्ध व्यवस्था—अत्यन्त सावधानी से उच्च प्रबन्धकों का चुनाव किया जाना चाहिए तथा प्रबन्धकों की एक व्यवस्थित सेना पैदा करने के लिए औद्योगिक इकाई में प्रबन्धक प्रतिक्षण दिया जाय। अब समय आ गया है कि उद्यम की प्रत्येक इकाई में आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था कायम की जाय। नियोजन, कच्चे माल की खरीद में Inventory Control, उत्पादन नियोजन तथा Plant Layout आदि पर अत्यन्त नवीन ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रबन्ध कौशल के विकास की दिशा में हम आज प्रयत्नशील हैं। कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई आदि विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध के क्षेत्र में एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। प्रबन्ध-व्यवस्था को सुधारने की दिशा में नैनजमेण्ट एक्जीक्यूटिव ट्रेनिंग व्यवस्था भी अनेक औद्योगिक इकाइयों में चालू हुई है। इस दिशा में सार्वजनिक उद्योग व्यूरो भी समुचित ध्यान दे रहा है।

यह असन्तोष का विषय है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों व दोषों के प्रति स्वयं जागरूक है। कुछ समय पूर्व श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था, “सार्वजनिक क्षेत्र के परिणाम कुल मिलाकर हमारी आशाओं से नीचे रहे हैं। कुछ उपक्रमों ने काफी अच्छा कार्य किया है। अन्य बहुत बुरी तरह असफल रहे हैं तथा बहुत से उपक्रम अपेक्षित प्रगति कर रहे हैं।” इस सम्बन्ध में सरकार को इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र स्वयं में किसी समस्या का समाधान नहीं है। वह तो केवल ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है जिससे अर्थ-व्यवस्था में आधारभूत सुधार किए जा सकें। लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र क्षमता और योग्यता से कार्य करें।

(3) कार्य-कुशलता की जाँच—सार्वजनिक उद्योगों में कार्य-कुशलता की जाँच प्रति वर्ष की जानी चाहिए। गुण नियन्त्रण पर खास ध्यान देना चाहिए।

(4) संचालक मण्डल का चुनाव—सार्वजनिक उद्योगों का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए जिससे उद्योग विशेष के अनुभवी व्यक्तियों का

प्रतिनिधित्व हो तो अधिक अच्छा रहेगा। निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को भी इस संचालक मण्डल में स्थान दिया जाय।

(5) लागत रखा—सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में प्रबन्धक लेखपाल रखे जाने चाहिए और इन विशेषज्ञों की सहायता से निर्मित वस्तुओं के उचित मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(6) नवीनतम प्रविधियाँ—इन सरकारी उपक्रमों में उत्पादन की नवीनतम प्रविधियों को काम में लाना चाहिये और व्यवस्था में भी नवीनता का संचार होते रहने देना चाहिए।

(7) अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में सावधानी—सार्वजनिक उद्योगों में अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ योग्यता अनुभव, प्रशासन क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए कि योग्य एवं प्रतिभावान तथा परिश्रमी व्यक्ति सर्वोच्च स्थान तक पहुँच सके।

(8) श्रम सम्बन्ध—सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिक सम्बन्धों को सुधारने की दृष्टि से प्रबन्धकीय स्टाफ तथा श्रमिकों में उद्योग के प्रति गहरा लगाव एवं अनुभूति पैदा होने की आवश्यकता है। प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के आपसी सम्बन्धों के बारे में जो दृष्टिकोण चल रहे हैं—उनमें भी आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। श्रमिकों व प्रबन्धकों की कुशलता में वृद्धि तभी संभव है, जबकि प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी तथा कार्य करने की अन्य वैज्ञानिक प्रणालियों को दिन प्रति दिन के कार्यों में अपनाया जाय।

(9) उपभोक्ता उद्योग में प्रवेश—सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ चुने हुए उपभोक्ता उद्योगों में भी बड़े तथा मध्यम रूप में प्रवेश करना चाहिये। इससे एक लाभ यह होगा कि उपभोक्ताओं के हित के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण पदार्थों की कीमतों पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा तथा इन उद्योगों से शीघ्र लाभ पैदा करके सार्वजनिक क्षेत्र अपनी आलोचनाओं का उत्तर भी दे सकेगा।

(10) अन्य सुझाव—

(अ) बड़े उपक्रमों में वित्तीय मामलों के अधिकार अपेक्षाकृत अधिक होने चाहिए। वित्तीय सलाहकार की परिषद् बनाई जाय जो प्रबन्धकों को वित्तीय परामर्श दे।

(ब) नये उपक्रमों को खोलने के पहले विद्यमान उपक्रमों को सगठित किया जाना चाहिए।

(स) कुछ सरकारी उपक्रमों को कम से कम 25 से 30 वर्षों की अवधि के लिए निजी उद्योगपतियों के पट्टे पर देना चाहिये।

(द) कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 40% अंशों को जनता में बेच देना चाहिए। जनता अंशधारियों के रूप में सतर्क रहेगी और इस तरह प्रबन्धकों को कार्य कुशल बने रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

(ध) इन उद्योगों के प्रमुख संचालक के रूप में रिटायर्ड अधिकारियों तथा

डेपुटेशन के आधार विभिन्न मंत्रालयों के लोगों का भेजना बन्द किया जाना चाहिए।

(र) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जहाँ पर श्रमिकों की सुख-सुविधा आदि के बारे में पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि उद्योगों में हड़ताल आदि को अवैधानिक घोषित कर दिया जाय।

समय-समय पर विभिन्न समितियों और आयात आयोगों ने जैसे छागला आयोग 1945, कृष्ण मेनन समिति 1949, प्राकलन समिति 1960, योजना आयोग, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग सरकारी उपक्रमों को अधिक कुशल बनाने के लिए सुझाव दिए हैं जिनके सारांश कुछ सुझावों के रूप में दिए गए हैं।

परीक्षा प्रश्न

1. भारतवर्ष में सार्वजनिक उद्योगों की समस्याओं की विवेचना कीजिए और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए।

2. क्या आप इस पक्ष में हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया जाए? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को किन आधारों पर अक्षम बताया गया है?

3. भारत में सार्वजनिक उद्योगों का संगठन किन ढंगों से हुआ है? संक्षेप में प्रकाश डालिए।

4. 'भारत में सार्वजनिक क्षेत्र इतना सफल नहीं रहा है, जितना निजी क्षेत्र।' व्याख्या कीजिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों पर प्रकाश डालिए।

5. 'सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों को राष्ट्रहित में एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं।' विवेचना कीजिए।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of the Government of India)

औद्योगिक नीति का अर्थ—औद्योगिक नीति एक व्यापक विषय है। इसके अन्तर्गत उन सभी सिद्धांतों, सरकारी नीतियों एवं नियमों को सम्मिलित किया जाता है जो औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। उचित औद्योगिक नीति से ही आज के अर्द्धविकसित राष्ट्र आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सके हैं। अतः भारत जैसे अर्द्धविकसित देश के लिए औद्योगिक नीति का अत्यधिक महत्त्व है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार की औद्योगिक नीति—15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ। उस समय देश में औद्योगिक संकट बढ़ा हुआ था। देश-विभाजन के कारण औद्योगिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी और औद्योगिक दशा गिरती जा रही थी। देश के औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था। इस अनिश्चितता और अशान्ति को दूर करने के लिए दिसम्बर सन् 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने यह राय दी कि भारत सरकार को शीघ्रता से स्पष्ट औद्योगिक नीति की घोषणा करनी चाहिए, ताकि देश का औद्योगिक विकास सुव्यवस्थित ढङ्ग से हो सके। अनेक राजनैतिक उलझनों के होते हुए भी, 6 अप्रैल सन् 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की।

सन् 1948 की औद्योगिक नीति

सन् 1948 की औद्योगिक नीति में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न थीं :—

1. उद्देश्य—इस औद्योगिक नीति के उद्देश्य थे—(1) सबके लिए न्याय एवं अवसरों की समानता वाली सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, (2) देश के ससाधनों के सदुपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि करके जीवन-स्तर ऊँचा उठाना, (3) सभी को समाज की सेवा में काम करने का अवसर उपलब्ध कराना।

2. औद्योगिक वर्गीकरण—उद्योगों को निम्न चार भागों में बाँटा गया :—

(1) एकमात्र सरकारी एकाधिकार वाले उद्योग— इस श्रेणी में 3 उद्योग रखे गए—अस्त्र-शस्त्र का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन और रेलवे एवं यातायात तथा डाक-तार। यह निश्चित किया गया कि इसकी स्थापना और विकास का दायित्व पूर्णरूप से सरकार के एकाधिकार में ही रहेगा।

(ii) सरकार नियन्त्रित क्षेत्र—इस श्रेणी के अन्तर्गत 6 उद्योग रखे गए—कोयला, लोहा व इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, समुद्री जहाज-निर्माण, टेलीफोन तथा बेतार उपक्रमों का निर्माण। इन उद्योगों के सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण बातें कही गयी थीं —

(अ) इस श्रेणी के उद्योगों में नयी इकाइयों की स्थापना केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा की जा सकती है।

(ब) इन उद्योगों से सम्बन्धित वर्तमान इकाइयों को दस वर्ष तक विकसित होने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। दस वर्षों के पश्चात् ही इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। यदि राज्य किसी औद्योगिक इकाई को अपने अधिकार में लेगा तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा।

(स) सिद्धान्त के रूप में सरकारी उपक्रम राज्य के नियन्त्रण में सार्वजनिक निगमों के रूप में चलाए जाएँगे।

(iii) सरकारी नियन्त्रण तथा नियमन के अन्तर्गत उद्योग—इन श्रेणी में 15 आधारभूत महत्त्व के उद्योग सरकार के नियन्त्रण तथा निर्देशन में रखे गए, तथा इस श्रेणी में रखे गए प्रमुख उद्योग ये थे—नमक, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल्स इजीनियरिंग भारी रसायन, भारी मशीन, अल्कोहल, सूती तथा ऊनी वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज, जल तथा वायु-यातायात आदि। ये उद्योग निजी क्षेत्र में रहेंगे और इनको राष्ट्रीयकरण का कोई भय नहीं रहेगा। परन्तु इन उद्योगों में भी सरकार नई इकाइयाँ स्थापित कर सकती है।

(iv) अन्य उद्योग—शेष सभी उद्योग सामान्यतः निजी तथा सहकारी उपक्रम के लिए छोड़ दिए गए। यदि किसी उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही तो सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

3 कुटीर तथा लघु उद्योग—औद्योगिक नीति में इन उद्योगों के महत्त्व को स्वीकार किया गया। क्योंकि इनमें व्यक्तिगत, ग्रामीण तथा सहकारी उपक्रम सभव होते हैं। ऐसे उद्योग स्थानीय साधनों के पूर्ण उपभोग तथा कुछ उपभोग-योग्य वस्तुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि विशाल उद्योगों के साथ इनका समन्वय किया जाना चाहिए।

4 श्रमनीति—औद्योगिक विकास के लिए श्रम के महत्त्व को भी स्वीकार किया गया और कहा गया कि सरकार श्रमिकों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेगी। उद्योगों के लाभ में श्रमिकों को भी हिस्सा मिलेगा। उद्योगों में संचालन के लिए श्रमिकों को भागीदार बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। औद्योगिक झगड़ों के फैसले

के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी तथा श्रमिकों की गृह-समस्या के समाधान के लिए आगामी 10 वर्षों में 10 लाख मकान बनाए जाएँगे ।

5. तटकर नीति व कर नीति—सरकार की तटकर नीति इस प्रकार की होगी कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार डाले बिना, देश के साधनों का उपभोग किया जा सके और अनावश्यक विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके । यह भी कहा गया कि करप्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाएगा, ताकि पूंजीगत-नियोजन व बचत में वृद्धि हो सके और कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही सम्पत्तियों का संकेन्द्रण न हो सके ।

6. विदेशी पूंजी—सरकार विदेशी पूंजी का स्वागत करेगी यदि उसे राष्ट्र के हित में समझा गया । यदि विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उचित मुआवजा दिया जायगा ।

7. वितरण—प्रस्ताव में कहा गया कि वर्तमान समय में उत्पादन वृद्धि पर जो दिया जायगा और वितरण की समस्या पर भविष्य में विचार किया जाएगा ।

सन् 1948 की नीति की आलोचनात्मक समीक्षा—सन् 1948 की नीति पर टीका-टिप्पणी मिश्रित रही । कुछ व्यक्तियों ने इसका स्वागत किया । श्री मीनू मसानी के अनुसार “इस नीति के द्वारा प्रजातंत्रात्मक समाजवाद की नींव डाली गयी ।” प्रो० रंगा के अनुसार “यह नीति गांधीवाद की विजय थी ।” इसके विपरीत कुछ प्रमुख पूंजीपतियों ने इसको एक-मार्गीय तथा निजी उपक्रमों के प्रति पक्षपात कहकर इसकी निन्दा की । प्रो० के० टी० शाह के अनुसार, “यह वह नीति नहीं थी जिसे एक प्रगतिशील तथा उन्नति की आशा रखने वाले देश को अपनाना चाहिए ।” श्री बी० के० आर० बी० राव ने इस औद्योगिक नीति को ‘दुलमुल’ बताया था ।

भारत सरकार की सन् 1956 की औद्योगिक नीति

सन् 1948 की औद्योगिक नीति लगभग 8 वर्षों तक चलती रही, परन्तु इन वर्षों में भारत की राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनके कारण औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी । सक्षेप में सन् 1948 की औद्योगिक नीति में संशोधन की अनिवार्यता के प्रमुख कारण निम्न थे—

(1) भारतीय संविधान—भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी सन् 1950 को लागू किया गया, जिसमें जनता को कुछ मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया । अतः यह आवश्यक समझा गया कि संविधान की धाराओं के अनुसार ही औद्योगिक नीति को रखा जाय ।

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—देश में आर्थिक नियोजन का कार्य संगठित ढंग से 1 अप्रैल 1956 से आरम्भ हुआ । योजना के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भारत में औद्योगिक विकास आवश्यक समझा गया ।

(3) समाजवादी समाज की स्थापना—दिसम्बर सन् 1953 में भारतीय संसद ने देश में समाजवादी ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अपनी सामा-

जिक तथा आर्थिक नीति के रूप में स्वीकार किया। अतः सरकारी कार्यक्षेत्र बढ़ाना आवश्यक हो गया।

(4) अन्य कारण—

(अ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धन्धो के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, जिसके अनुरूप ही औद्योगिक नीति का होना आवश्यक था।

(ब) निजी क्षेत्र में प्रथम औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप कुछ अनिश्चितता और आशकाएँ उत्पन्न हो गई थी जिनको दूर करना भी आवश्यक हो गया, ताकि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी औद्योगीकरण में पूरा सहयोग दे सके।

उपर्युक्त परिवर्तन के फलस्वरूप देश के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा अनिवार्य हो गई और 30 अप्रैल सन् 1956 को एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा देश की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई।

सन् 1956 की नवीन औद्योगिक नीति की विशेषताएँ—सन् 1956 की नवीन औद्योगिक नीति की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

(1) नीति का उद्देश्य—इस नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे—

- (अ) आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना,
- (ब) आधारभूत उद्योगों और मशीन-निर्माण उद्योगों का विकास करना,
- (स) एक विशाल एवं प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र की स्थापना करना,
- (द) आय तथा सम्पत्ति की असमानता को घटाना,
- (य) निजी अधिकारों को रोकना और आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर अकुश लगाना।

(2) उद्योगों का वर्गीकरण—इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया—

(अ) वे उद्योग जो पूर्णरूप से राज्य के एकाधिकार में रहेंगे उद्योगों की सूची अ (Schedule A) में रखे गए 17 महत्त्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग पूर्णरूप से राज्य के एकाधिकार में रहेंगे। ये उद्योग इस प्रकार हैं—अस्त्र-शास्त्र एवं सैनिक उपकरण, अणुशक्ति, लोहा और इस्पात, इस्पात के पिंडों की ढलाई, भारी मशीनरी निर्माण भारी विद्युत् मशीनें, कोयला और भूरा कोयला, खनिज-तेल, खनिज लोहे की खुदाई, गंधक, मैंगनीज एवं कुछ अन्य खनिज तथा उनको सफाई जैसे हीरा, सोना, ताँबा, मीमा आदि, आणविक खनिज, वायुयान निर्माण, वायु यातायात, रेल यातायात, जहाज निर्माण, टेलीफोन एवं दूर-संचार उपकरण, विद्युत् उत्पादन व वितरण। इस श्रेणी के सभी नए उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए जाएँगे, परन्तु इस नीति में सन् 1948 की नीति की भाँति वर्तमान इकाइयों के लिए राष्ट्रीयकरण की कोई चर्चा नहीं थी।

(ब) वे उद्योग जिनके विकास में सरकार भविष्य में उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी—उद्योगों की द्वितीय सूची में 92 उद्योग रखे गए जिन पर धीरे-धीरे सरकार

का स्वामित्व हो जाएगा, तथा इस श्रेणी में नए कारखाने स्थापित करने में सरकार ही अग्रणी रहेगी। परन्तु साथ-साथ निजी क्षेत्र भी चालू रहेगा और इस श्रेणी में निजी साहसियों को भी विकास का अवसर दिया जाएगा, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा सरकार की साझेदारी में। द्वितीय सूची के प्रमुख उद्योग अल्युमिनियम तथा लौह धातुएँ, मशीन औजार निर्माण एवं औजारीय धातुएँ, जीवनदायक तथा अन्य दवाएँ, रासायनिक खाद, कृत्रिम रबर, कोयले का कोक बनाना, रासायनिक लुगदी, सड़क और परिवहन तथा अन्य खनिज पदार्थ जो सूची अ में न हो।

(स) अन्य समस्त उद्योग जो सामान्यतः निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहेंगे—शेष सब उद्योग तृतीय श्रेणी में रखे गए, जिनका विकास निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया। इस श्रेणी में विशेषतः सभी उपभोक्ता उद्योग आ जाते हैं। यद्यपि इन उद्योगों का क्षेत्र पूर्णतः निजी उद्यमियों के लिए खुला रहेगा, परन्तु सरकार पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार इन उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान करेगी। साथ ही निजी क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार चले और उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम सन् 1951 के अन्तर्गत लगाए गए नियन्त्रणों का अनुसरण करे।

(3) कुटीर तथा लघु उद्योग (Cottage and Small-scale Industries)—इस नीति में भी कुटीर तथा लघु उद्योग के विकास पर पुनः जोर दिया गया और बेकारी को दूर करने, स्थानीय साधनों का पूर्ण उपभोग करने व राष्ट्रीय आय के अधिक समान वितरण के लिए इनका महत्त्व स्वीकार किया गया। यह व्यवस्था की गई कि सरकार इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को सुधारने वाले उपायों पर जोर देगी। इसके लिए वह मुख्यतः निम्न कदम उठाएगी। कठिनाइयों का निवारण, उत्पादन तकनीकी में सुधार, औद्योगिक बस्तियों और ग्रामीण सामूहिक वर्कशापों की स्थापना, बिजली की सुविधाओं का विस्तार और सस्ती दर पर बिजली प्रदान करना, वित्तीय एवं विक्रय सुविधाएँ उपलब्ध करना और औद्योगिक सहकारी समितियों का संगठन करना।

(4) क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना—तवीन औद्योगिक नीति में यह निश्चय किया गया कि सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देगी, ताकि देश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय विषमताएँ दूर हो जायँ। इस उद्देश्य से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए सरकार बिजली, पानी तथा परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि करेगी विशेषकर, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रोजगार बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है।

(5) सहकारी सिद्धान्त—यथासम्भव सहकारिता का सिद्धान्त लागू किया जाएगा तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यों को सहकारी ढंग पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

(6) श्रम नीति—औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए श्रमिकों और उद्योग-पतियों के बीच सम्बन्धों को सुधारा जाएगा और इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया

जाएगा कि दोनों पक्ष अपने-अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से समझे। इस दृष्टि से श्रमिकों के रहल-सहल में सुधार, श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के औद्योगिक प्रबन्ध में सहयोग तथा इनकी कुशलता में सुधार होना आवश्यक है।

(7) कर्मचारियों का प्रशिक्षण—इस नीति में तकनीकी और प्रबन्ध सम्बन्धी कर्मचारियों की बढ़ती माँग की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाने तथा विश्व-विद्यालयों और अन्य सस्थाओं में प्रबन्ध विशेषज्ञों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया गया।

(8) राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन—सन् 1956 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, प्रथम औद्योगिक नीति जो द्वितीय क्षेत्री के निजी उद्योगों के स्पष्टीकरण के बारे में, 10 वर्ष बाद पुनः विचार करने का प्रावधान था, उससे मुक्ति प्रदान कर दी गई।

(9) सत्ता का विकेन्द्रीयकरण—यह भी कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों की सफलता के लिए सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाएगा और प्रबन्ध कार्य व्यावसायिक आधार पर चलाया जाएगा।

सन् 1956 की औद्योगिक नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण

यद्यपि इस नीति ने सरकारी और निजी क्षेत्र का स्पष्टीकरण कर दिया है, तथापि निजी क्षेत्र के समर्थकों ने इस नीति की आलोचना की है। कुछ प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं —

(अ) निजी क्षेत्र के प्रतिकूल—ऐसा कहा गया है कि सरकार के विस्तृत कार्य-क्षेत्र तथा उसके बढ़ते हुए नियन्त्रण तथा नियमन अधिकारों में परोक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण का संकेत मिलता है, जिससे निजी क्षेत्र में पूँजी-सचय कार्यक्रमों को कुछ क्षति पहुँचेगी। श्री० सी० एच० भाभा (C. H. Bhabha) के मतानुसार “यह नीति देश में राजकीय पूँजीवाद का आरम्भ और निजी उद्योगियों की समाप्ति की शुरुआत है।” विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री यूजीन ब्लैक ने बताया है कि “इस नीति में निजी क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, सरकार के काम अधिकाधिक बढ़ रहे हैं। अतः निजी क्षेत्रों को अपना भविष्य निराशाजनक प्रतीत होता है।”

(ब) अनिश्चित प्रावधान—यह भी कहा जाता है कि इस नीति में अनेक प्रावधान अनिश्चित और अस्पष्ट हैं। प्रत्येक वर्ग के उद्योगों में कुछ ऐसे वाक्यांश जोड़ दिए गए हैं जिनसे उद्योगों के वर्गीकरण की रेखा स्पष्ट नहीं है। जैसे, द्वितीय वर्ग के सम्बन्ध में यह लिखा गया है “निजी क्षेत्रों से यह आशा की जायेगी कि वह राज्य के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में सहयोग देगा।” इसी प्रकार तीसरी श्रेणी के उद्योगों के लिए कहा गया है कि “सामान्यतः इस वर्ग के उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भी किया जाएगा।” फिर भी इस वर्ग में उद्योगों का विकास सरकारी उपक्रम द्वारा भी किया जाएगा। इस तरह के वाक्यांशों से निश्चितता नहीं आ पाती।

(स) सहकारिता के नाम पर राजकीय पूंजीवाद—इस नीति में सहकारी क्षेत्र के विस्तार की जो बात प्रस्ताव में कही गयी है वह भ्रामक है, क्योंकि वास्तव में सहकारी क्षेत्र सरकार के निर्देशन पर ही कार्य करेगा। इस प्रकार भारत में सहकारिता के नाम पर राजकीय पूंजीवाद (State Capitalism) को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ब) विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं—इस औद्योगिक नीति में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि प्रथम नीति में ऐसा किया गया था। आलोचकों का कहना है कि यदि विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होती तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित किया गया होता तो विदेशी पूंजीपति निःशंक होकर भारत में अपनी पूंजी विनियोजित करते और निजी विदेशी विनियोग बहुत अधिक बढ़ सकता था।

(घ) कठिन दायित्व—सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगों का एक विशाल क्षेत्र इस नीति के अन्तर्गत सुरक्षित कर लिया है, किन्तु सीमित साधनों और प्रबन्ध-कुशलता के अभाव में सहकारी उद्योग निजी उद्योगों की अपेक्षा अधिक उत्तम सेवा प्रदान नहीं कर सकेंगे।

(र) अस्थिर नीति—आलोचकों का यह भी कहना है कि देश की औद्योगिक नीति में शीघ्रता से परिवर्तन नहीं होने चाहिए। केवल 8 वर्ष की अल्प अवधि के बाद नवीन नीति का निर्माण, सरकारी नीतियों की अस्थिरता को प्रकट करता है और निजी क्षेत्र के लोगों में अविश्वास उत्पन्न करता है।

औद्योगिक नीति 1977 (Industrial Policy)

1956 की औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करने और जनता की आर्थिक विकास सम्बन्धी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज ने 23 दिसम्बर, 1977 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे :—(i) एकाधिकारवादी प्रवृत्ति और कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति के जमाव को रोकना। (ii) उद्योगों को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। (iii) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना। (iv) मानवीय तथा राष्ट्रीय साधनों का पूर्ण उपयोग करना। (v) रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों का तीव्रता से विकास करना।

औद्योगिक नीति 1977 के प्रमुख तत्त्व (Main Features of Industrial Policy 1977)

औद्योगिक नीति 1977 के प्रमुख तत्त्वों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :—

1. लघु एवं कुटीर उद्योगों को अत्यधिक महत्त्व—इस नीति में लघु उद्योगों

द्वारा देश के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने पर जोर दिया गया। सरकार ने अपनी नीति में यह स्पष्ट कर दिया था कि अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन इस क्षेत्र के लिए पूर्णतया आरक्षित किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित वस्तुओं को 108 से बढ़ाकर 504 कर दिया गया। (वर्तमान में इन वस्तुओं की संख्या 708 हो गई है।)

2. बहुत छोटे अर्थात् टाइनी क्षेत्रों (Tiny Sectors) को औपचारिक मान्यता— इस औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों की विद्यमान परिभाषा को ही स्वीकार किया गया। लेकिन इसमें भी टाइनी क्षेत्र की इकाइयों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। टाइनी क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी इकाइयों को रखा गया जिससे मशीनों और उपकरणों में विनियोग की राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो गाँवों या ऐसे कस्बों में स्थित है जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम है।

3 कुटीर उद्योग (Cottage Industries)—कुटीर एवं गृह उद्योगों के संरक्षण के लिए एक विशेष कानून बनाए जाने का आश्वासन दिया गया ताकि अधिक संख्या में व्यक्तियों को स्वयं रोजगार तथा औद्योगिक विकास में उचित स्थान प्राप्त हो सके।

4. बृहत् औद्योगिक घराने—औद्योगिक नीति में बड़े औद्योगिक घरानों और गैर आनुपातिक विकास को रोकने में सरकारी नीति की असफलता पर चिन्ता व्यक्त की गई और भविष्य में इन घरानों के विकास पर निम्न प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए कहा गया—

(i) विद्यमान उपकरणों का विस्तार एवं नए उपकरणों की स्थापना एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (M R T P Act) के अधीन की जा सकेगी परन्तु अब इस अधिनियम के प्रावधान कड़ाई से लागू किए जाएँगे।

(ii) विद्यमान उपकरणों द्वारा नई वस्तुओं के उत्पादन तथा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बड़े औद्योगिक घरानों को केन्द्रीय सरकार की विशेष स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(iii) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार के लिए इन बड़े औद्योगिक घरानों को अपने आन्तरिक वित्तीय साधनों पर आश्रित होना होगा। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन घरानों को प्रदत्त ऋण की सुविधाएँ कम की जाएँगी। उर्वरक, कागज, सीमेण्ट, जहाजी यातायात, पेट्रो-रसायन आदि पूँजी गहन उद्योगों को छोड़कर शेष अन्य उद्योगों में ऋण पूँजी अनुपात इस प्रकार निश्चित किया गया जिससे अन्य औद्योगिक घरानों को आन्तरिक वित्तीय साधनों को अपेक्षाकृत अधिक जुटाना पड़े।

(iv) सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि कोई भी व्यावसायिक समूह एकाधिकारिक शक्ति प्राप्त न कर सके। लाइसेंस नीति के अन्तर्गत इन घरानों के उद्योगों की क्रियाओं पर नियन्त्रण रखा जाएगा।

(5) स्वदेशी और विदेशी तकनीक (Indigenous and Foreign Techno-

logy)—इस नीति में कहा गया कि देश का भावी औद्योगिक विकास स्वदेशी तकनीक पर आधारित होना चाहिए और इसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिन जटिल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में भारतीय दक्षता एवं तकनीक पर्याप्त नहीं है, उनके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ तकनीक दक्षता का आयात इस नीति में रखा गया।

(6) विदेशी विनियोग (Foreign Investment)—इस औद्योगिक नीति में यह कहा गया कि विद्यमान विदेशी कम्पनियों पर विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act) की शर्तों को कठोरता से लागू किया जाएगा। यदि विदेशी कम्पनियों की समता अर्थात् पूंजी 40% से अधिक होगी तो उनके साथ भारतीय कम्पनियों के समान व्यवहार किया जाएगा अर्थात् इन कम्पनियों पर विस्तार के वही सिद्धान्त लागू होंगे जो भारतीय कम्पनियों के विस्तार के लिए है। विदेशी विनियोग एवं तकनीक की अनुमति सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से निर्धारित शर्तों पर दी जाएगी। जहाँ विदेशी जानकारी एवं तकनीक की आवश्यकता नहीं है वहाँ चालू समझौते का पुनः नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

(7) संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures)—भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशों में वहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों के सहयोग से बहुत सारे उद्योग स्थापित किए हैं। इस सम्बन्ध में इस औद्योगिक नीति में यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे संयुक्त उपक्रमों की दशा में मशीन, साज-सज्जा तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय ज्ञान आदि का निर्यात तो सम्भव होगा परन्तु रोकड़ विनियोग की सिर्फ कुछ आवश्यक दशाओं में एक निश्चित सीमा तक ही अनुमति प्रदान की जाएगी क्योंकि भारत जैसे विकासशील, देश में अत्यधिक पूंजी का निर्यात न तो सम्भव है और न वाञ्छनीय।

(8) आयातों में उदारता की नीति—इस नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि जिन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में रुकावट आ रही है अथवा जिन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादक मूल्य बढ़ाकर अनुचित लाभ कमा रहे हैं वहाँ आयात प्रतिबन्ध में छूट दी जाएगी। यह छूट ऐसे क्षेत्रों में दिए जाने की योजना थी जहाँ विद्यमान मात्रात्मक नियन्त्रण भावी विकास में सहायक होने के स्थान पर बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

(9) उद्योगों के लिए स्थान निर्धारण—सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विषमताओं को धीरे-धीरे कम किया जा सके। इस दृष्टि से सरकार ने यह निश्चय किया कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों तथा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में एक निश्चित परिधि तक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए नया लाइसेंस निर्गमित न किया जाय। सरकार द्वारा बड़े पैमाने की ऐसी विद्यमान इकाइयों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया गया जो महानगरों से पिछड़े क्षेत्रों में स्थानान्तरण चाहेगी।

(10) मूल्य नीति—देश में ऐसी सुदृढ़ मूल्य नीति अपनाए जाने पर बल दिया गया जिससे मूल्यों में वाञ्छनीय स्थायित्व कायम रह सके और कृषि तथा औद्योगिक

गिक उत्पादों के मूल्यों में उचित समता (Fair Parity) रखी जा सके। इसके लिए यह निश्चय किया गया कि नियंत्रित कीमत में पूंजी पर उचित प्रतिफल जोड़ा जाय परन्तु सरकार द्वारा अत्यधिक लाभ अर्जित करने की अनुमति न प्रदान की जाय।

(11) श्रमिकों की सहभागिता—इस नीति में बड़े औद्योगिक घरानों के प्रबन्ध के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया। श्रमिकों को अपने कारखानों की अंश पूंजी में हिस्सा लेने के साथ-साथ उन्हें प्रबन्ध में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

औद्योगिक नीति की 1977 की प्रमुख आलोचनाएँ—निम्नलिखित हैं—

(1) लघु उद्योगों से सम्बन्धित नीति की आलोचनाएँ—यद्यपि इन औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक सुदृढ बनाने की बात की गई है परन्तु यह सब दिखावा और ढकोसला मात्र ही है।

(2) विदेशी कम्पनियों को छूट—इस औद्योगिक नीति के अनुसार विदेशी कम्पनियों की भारत में शत-प्रतिशत स्वामित्व के आधार पर भी पूंजी लगाने की छूट रहेगी और भारत से लाभ, रायल्टी लाभांश और पूंजी अपने देश भेजने की पूर्ण छूट रहेगी। औद्योगिक नीति में विदेशी कम्पनियों के लिए जो अत्यन्त उदारतापूर्ण नीति अपनायी गई है, इससे हो सकता है कि आरम्भ के एक-दो वर्षों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिले लेकिन 5-7 वर्षों के अन्दर ही संकट पैदा हो जाएगा, देश की अपनी कोई मौलिक औद्योगिक पद्धति नहीं बन पाएगी। बुनियादी उत्पादन में विदेशी कम्पनियों की घुसपैठ बढ़ जाएगी व देश की पूंजी भी बाहर जाने लगेगी।

इस औद्योगिक नीति में कहा गया है कि पूंजी की रकम पर सीमा लगायी जायेगी लेकिन सीमा क्या होगी? यह नहीं बताया गया है। विदेशी कम्पनियों के प्रभाव से सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व और घटेगा। इन सबका मिला-जुला परिणाम देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा। देश की राजनीति पर भी विदेशी प्रभाव और देश के व्यापारियों का प्रभाव बढ़ेगा।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र की अस्पष्ट भूमिका—इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उद्योगों की भूमिका के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार ने इन सार्वजनिक उद्योगों के क्षेत्र को सीमित कर दिया है जो कि अनुचित है।

(4) मध्य स्तर के उद्योगों की अनिश्चित भूमिका—इस नीति में मध्य स्तर के उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इनके द्वारा देश के कुल उत्पादन का समुचित भाग उत्पादित किया जा रहा है। यदि बड़े पैमाने का उद्योग मान कर इन पर ही वे नियन्त्रण लगाए जाएँगे तो वह अनुचित होगा।

(5) छोटी औद्योगिक तकनीक सम्भव नहीं—छोटे उद्योगों की परिभाषा के अन्तर्गत छोटी औद्योगिक तकनीक का विकास सम्भव नहीं है। यद्यपि यह कहा गया है कि हम किसी खास प्रकार की तकनीक से बचेगे नहीं, जो भी उपयोगी साबित होगी उसी से काम लेंगे लेकिन हम यह जानते हैं कि प्रचार, घूस और आकर्षण की

शक्तियाँ हमेशा बड़ी तकनीक की ही उपयोगी साबित करती है। छोटे उद्योगों के विकास के लिए छोटी तकनीक के प्रति प्रेम और लगन की आवश्यकता है।

(6) छोटे उद्योगों की उपेक्षा—इस नीति में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को ही कानूनी संरक्षण दिया गया है, छोटे उद्योगों को नहीं। छोटे उद्योग सहकारी क्षेत्र में होंगे या निजी क्षेत्र में। इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट नहीं है।

नई औद्योगिक नीति, 1980 (New Industrial Policy, 1980)

24 जुलाई 1980 को सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नयी औद्योगिक नीति का निर्माण औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 के आधार पर किया गया है।

(1) नीति के उद्देश्य—औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 में निम्नलिखित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों का समावेश किया गया है—

- (i) उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम सम्भव उपयोग करना;
- (ii) उद्योगों की उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाना,
- (iii) अर्थव्यवस्था में अधिकतम सम्भव रोजगार के अवसर उत्पन्न करना,
- (iv) एकाधिकार और आर्थिक केन्द्रीयकरण का विरोध करना,
- (v) ऊँची कीमतों तथा खराब किस्म की वस्तुओं से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना;

(vi) निर्यात-उन्मुख और आयात-प्रतिस्थापना उद्योगों का तेजी से विकास करना;

(vii) कृषि जन्य उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करके कृषि-आधार को मजबूत बनाना और अन्तर-क्षेत्रीय सम्बन्धों का विकास करना।

(viii) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता प्रदान करके क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करना।

(2) नीति में निर्दिष्ट उपाय—उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औद्योगिक नीति 1980 में कई उपाय सुझाए गए हैं जिनमें से प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(1) सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्पूर्वाभिमुखीकरण—सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्पूर्वाभिमुखीकरण—सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्पूर्वाभिमुखीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं—

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का इकाई-दर इकाई गहन अध्ययन किया जाएगा तथा जहाँ भी उनकी क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होगी वहाँ समय बद्ध कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

(ख) कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे कि कार्य विधि, वित्त, विपणन तथा सूचना प्रणाली से प्रबन्धकीय व्यवस्था के विकास के लिए समुचित कदम उठाये जायेंगे।

(ग) जो सार्वजनिक उद्यम हानि में चल रहे हैं उनको व्यवहार्य बनाने के

लिए उनका पुनर्संगठन किया जायेगा और उनको गतिशील एवं कुशल प्रबन्ध प्रदान किया जायेगा ।

(2) लघु-स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन—औद्योगिक नीति 1980 में लघु एवं बड़े उद्योगों के कृत्रिम वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है । लघु उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाएँ गये हैं—

(क) लघु उद्योगों में विनियोग की जाने वाली पूँजी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है ।

(ख) अति लघु उद्योगों में लगायी जाने वाली पूँजी की अधिकतम मात्रा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है ।

(ग) सहायक उद्योगों में विनियोजित पूँजी की अधिकतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है ।

(3) निजी क्षेत्र के विकास के लिए सहायता—औद्योगिक नीति 1980 में निजी क्षेत्र के विकास में सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का अभियान किया गया है—

(क) उद्योगों को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनो का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा ताकि निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके ।

(ख) उद्योगों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को स्वीकार करके उसे नियमित कर दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

(ग) प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए “आधुनिकीकरण के उपायों” को अपनाया जायेगा ।

(घ) निर्यात-उन्मुख उद्योगों में उच्चतर तकनीकों का उपयोग किया जायेगा ।

(4) बीमार इकाइयाँ—बीमार इकाइयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया है—

(क) यदि जानबूझकर कुप्रबन्ध और वित्तीय कुव्यवहारों को अपनाने से बीमार इकाइयों की समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे मामलों को सस्ती से निपटाया जायेगा ।

(ख) जैसे ही किसी औद्योगिक इकाई में बीमारी के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं तो तत्काल ही इसके उपचार के लिए प्रयास किए जायेंगे ।

(ग) जिन बीमार इकाइयों में पुनर्जागृति की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं उनको कुशल इकाइयों के साथ मिला दिया जायेगा ताकि इनको पुनः कार्यशील इकाइयों में परिणित किया जा सके ।

(5) आर्थिक अवस्थापना—1980 की औद्योगिक नीति में यह स्वीकार किया गया है कि आर्थिक अवस्थापना की असफलता के कारण देश में ऊर्जा, कोयला तथा परिवहन का संकट उत्पन्न हो गया है । अतः इस नीति में आर्थिक अवस्थापना के समुचित विकास के प्रयत्नों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । ऊर्जा के साधनों के अनुकूलतम प्रयोग और ऊर्जा के विभिन्न साधनों के विदोहन में प्रयुक्त होने वाली तक-

नीक के विकास के लिए विशेष सहायता दी जायेगी तथा सरल शर्तों पर वित्त प्रदान करने की व्यवस्था भी की जायेगी। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा के नैर परम्परागत साधनों की खोज तथा जलवायु प्रदूषण के नियंत्रण से सम्बद्ध तकनीकी के समुचित विकास हेतु सरल शर्तों पर ऋण प्रदान करने की संभावना पर भी सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(6) नाभिकीय संयन्त्रों की स्थापना (Nucleus Plants)—सरकार का यह प्रयत्न होगा कि लघु तथा मध्यम उद्योगों के बीच इस गलत धारणा से कि वे परस्पर विरोधी हैं। कृत्रिम विभाजन पैदा करने के गत तीन वर्षों के रूप को बदला जाय। औद्योगिक विकास की दशा में भी आवश्यक प्रयत्न करते रहने के साथ यह प्रस्ताव है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रत्येक जिले में नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना द्वारा अधिक से अधिक सहायक तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को अपनाते का अवसर देकर आर्थिक सघीयता (Economic Federalism) की विचारधारा को बोधित किया जाय।

ये नाभिकीय संयंत्र बृहत् आकार के उपक्रम होंगे और ये अधिकांशतः संयोजन (Assembling) का कार्य करेंगे जैसे मोटरकार, स्कूटर, मशीन निर्माण उद्योग आदि। इस प्रकार ये संयंत्र छोटे-छोटे पुर्जे निर्माण करने वाली विभिन्न लघु इकाइयों को जन्म दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना में इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि वे इन लघु उद्योगों में काम आने वाली वस्तुओं (Inputs) का निर्माण करें ताकि आयातीय उपक्रमों व सामग्री पर आश्रितता कम हो सके। उदाहरण के लिए मशीन, निर्माण संयंत्र जहाँ एक ओर विभिन्न कल पुर्जे लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त करेगा वहीं वह लघु इकाइयों की मशीनरी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा।

(7) आधुनिकीकरण (Modernisation)—इस नीति में आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण कार्यक्रम निरूपित किया जाएगा जिसमें उद्योगों में मशीनीकरण करते समय ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग, टेक्नॉलॉजी तथा उत्पादन के आकार की उपयुक्तता आदि से सम्बन्धित तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बड़े उपक्रमों के साथ-साथ लघु क्षेत्र की इकाइयों को भी आधुनिकीकरण की ओर प्रेरित किया जाएगा। इस प्रकार नवीन प्रक्रिया एवं टेक्नॉलॉजी के प्रयोग तथा सुधरे हुए यन्त्रों व औजारों के प्रयोग द्वारा इन लघु एवं ग्राम उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जाएगा।

(8) शोध एवं विकास कार्य (Research and Development Activities)—नवीन औद्योगिक नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय उद्योगों को टेक्नॉलॉजी सम्बन्धी शोध एवं विकास के कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत सरकार ऐसे कुशल एवं बृहत् उपक्रमों को विदेशी प्रविधि आयात करने की भी अनुमति प्रदान करेगी जिनके पास सुव्यवस्थित स्रोत एवं विकास संगठन हैं और जिन्होंने आधुनिक प्राद्योगिकी को ग्रहण करने, अपनाने, तथा प्रसार करने के सम्बन्ध में अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी है। इस प्रक्रिया से साधनों का पूर्ण उपयोग, उपभोक्ता की अच्छी सेवा तथा निर्यातों में वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

(9) औद्योगिक सम्बन्ध (Industrial Relations)—इस औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मधुर औद्योगिक सम्बन्ध जिसमें श्रम एवं प्रबन्ध उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से सहयोग कर सके पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सरकार ने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है।

(10) मूल्य नीति (Price Policy)—इस नीति में यह घोषणा की गई है कि जहाँ एक ओर सरकार उद्योगों को आवश्यक सुविधाएँ व छूट प्रदान करेगी वहीं उनसे यह भी अपेक्षा रखेगी कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाएँ तथा वे जमाखोरी व सट्टेबाजी को हतोत्साहित कर मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। सरकार मूल्यों को उपभोक्ता के हित में बनाए रखने हेतु शीघ्र ही उद्योगपतियों के साथ परामर्श करेगी।

(11) क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional Imbalances)—देश में क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने के लिए नवीन नीति में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नाभिकीय सयत्तों (Nucleus Plants) की स्थापना पर जोर दिया गया है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को विशेष रियायतें व सुविधाएँ प्रदान की जाती रहेगी तथा इनका समय-समय पर आकलन भी किया जाएगा कि वे अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हो पा रही है।

(12) लाइसेंस क्रिया विधि (Licensing Procedure)—यद्यपि सन् 1973 में लाइसेंस क्रिया विधि को काफी सरल एवं सुप्रबन्धी बना दिया गया है। फिर भी इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है जिनके द्वारा नवीन क्षमता के सृजन, क्षमता के विस्तार तथा नवीन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निपटारे के समय में कमी की जा सकती है। सरकार प्रार्थनापत्रों की जाँच के कार्य को गति प्रदान करने तथा लाइसेंस क्रिया विधि को सरल एवं विवेकपूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेगी।

इस नीति में एक समंक बैंक (Data Bank) स्थापित करने का भी प्रावधान है, जो समय-समय पर लाइसेंसों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करेगा।

औद्योगिक नीति 1980 का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Industrial Policy 1980)—औद्योगिक नीति 1980 के उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के पश्चात् इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाय। वैसे 1977 की औद्योगिक नीति की भाँति यह औद्योगिक नीति भी आर्थिक जगत में अधिक सफल नहीं रही है फिर भी जो भी प्रतिक्रियाएँ हुई हैं वे इस नीति के गुण एवं दोषों को काफी सीमा तक स्पष्ट करने में समर्थ हैं। इस नीति का आलोचनात्मक अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(1) नाभिकीय सयत्तों की स्थापना (Establishment of Nucleus Plants)—पिछड़े जिलों के विकास के लिए नाभिकीय सयत्तों के स्थापना के विचार की सफलता भी संदिग्ध है। इस संबंध में हमें अपने पिछले अनुभव से शिक्षा ग्रहण

करनी चाहिए। आसाम में तीन तेल शोधनशालाएँ (Refineries) व दो उर्वरक संयंत्र होते हुए वहाँ लघु उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। राउरकेला व भिलाई इस्पात सयंत्रों का भी हमारा यही अनुभव है। इसके अलावा पिछड़े एवं दूरस्त इलाकों में वृहत सयंत्रों की स्थापना उसकी पूंजीगत लागत में भी काफी वृद्धि कर देती है।

(2) अतिरिक्त क्षमता का वैधानीकरण (Regularisation of Additional Capacity)—भारत में विभिन्न उपक्रमों में उद्योगपतियों ने लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित कर रखी थी। यद्यपि यह लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन है फिर भी सरकार ने इस नीति में साधनों के अपव्यय को रोकने के नाम पर ऐसी अतिरिक्त क्षमता को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। सरकार यही कदम 1975 में भी एक बार उठा चुकी है। यद्यपि यह कदम ऊपरी तौर पर लाभप्रद प्रतीत होता है परन्तु इसके दूरगामी प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होंगे। यह कदम जहाँ एक ओर उद्योगपतियों को कानून की अवहेलना करने का प्रोत्साहन प्रदान करता है वहाँ दूसरी ओर यह बहु राष्ट्र निगमों, बड़े औद्योगिक घरानों तथा वृहत् उपक्रमों को चोर दरवाजे से बिना लाइसेंस के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में भी उत्पादन को बढ़ाने की छूट प्रदान करता है।

(3) राजनीति से प्रेरित—यह औद्योगिक नीति राजनीति से प्रेरित मालूम पड़ती है। इस नीति के वक्तव्य में विभिन्न स्थानों पर जनता के पार्टी शासन काल के तीन वर्षों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इस अवधि में ही अर्थ-व्यवस्था अपग हुई, औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़े, साधनों का अपव्यय हुआ आदि। यद्यपि इन वक्तव्यों में वास्तविकता हो सकती है फिर भी औद्योगिक नीति में इन बातों को कहने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

(4) स्वतः विकास—यद्यपि नई औद्योगिक नीति में देश का त्वरित विकास करने की आतुरता तो परिलक्षित होती है परन्तु नई नीति स्वतः औद्योगिक वातावरण में सुधार नहीं कर सकती। केवल निजी क्षेत्र को अधिक महत्त्व देने से यह आशा करना व्यर्थ है कि विनियोग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी।

(5) सैद्धान्तिक—नई औद्योगिक नीति की प्रमुख बातें—(i) स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग, (ii) औद्योगिक क्षेत्र में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर, (iii) लघु उद्योगों के मामले में विनियोग की सीमा बढ़ाना और (vi) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को वरीयता देकर क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना आदि हैं। परन्तु औद्योगिक नीति वक्तव्य में इस प्रकार के प्रावधान का सर्वथा अभाव है जो कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली हो सके।

(6) विनियोग सीमा—लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विनियोग की जो सीमा बढ़ाई गई है उसका कोई ठोस प्रभाव लघु उद्योगों के भौतिक आकार पर नहीं पड़ेगा क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों के कारण मशीनों और उपकरणों की लागत अत्यधिक बढ़ गई है फलतः रुपए का वास्तविक मूल्य बहुत कम हो गया है। इस

प्रकार विनियोग की सीमा बढ़ने पर भी लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के आकार में वृद्धि नहीं होगी।

(7) राष्ट्रीयकरण—इस नीति में यह घोषित नहीं किया गया है कि अमुक-अमुक उद्योगों का अमुक-अमुक काल तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। ऐसी स्थिति में जिन उद्योगों पर सरकार का विश्वास शून्य पर आ गया है उनसे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे सरकार पर विश्वास जमाएँ रहे।

(8) कीमती नीति—कीमतों का प्रभाव उद्योगों पर पड़ता है लेकिन नई औद्योगिक नीति में इसके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से उत्पादन वृद्धि में क्या योगदान हो सकता है।

(9) नए क्षेत्र व नए उद्योगों से सम्बन्धित आलोचनाएँ—इस नीति में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि नए क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार लाभदायक बनाया जाय और उन्हें परिवहन एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक की साख सहायता किस प्रकार प्रदान की जाय।

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था (Industrial Licensing Policy)

भारत में प्रमुख उद्योग के लाइसेंस एवं नियमन की व्यवस्था देश की औद्योगिक नीति के प्रमुख अंग है। औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत ही भारत में उद्योगों के लाइसेंस नियमन की व्यवस्था की जाती है।

औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951

औद्योगिक नीति 1948 को व्यावहारिक रूप देने के लिए 1951 में औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम पारित किया गया, जिसे 8 मई, 1952 से लागू किया गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: (i) औद्योगिक विकास का नियमन करना एवं योजना प्राथमिकताओं तथा तथ्यों के अनुसार साधनों के प्रवाह को मोड़ देना (ii) एकाधिकार को दूर रखना एवं धन के केन्द्रीयकरण को रोकना (iii) बृहत-स्तरीय उद्योगों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से लघु-स्तरीय उद्योगों को संरक्षण देना (iv) आर्थिक इकाइयों की स्थापना करना एवं आधुनिक विधियों के प्रयोग से उद्योगों में तकनीकी एवं आर्थिक सुधार का प्रयत्न करना (v) नये उद्योगों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना (vi) विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का वितरण अधिक व्यापक रूप से करना।

औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 की मुख्य बातों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—(1) प्रतिबन्धात्मक (2) सुधारात्मक (3) रचनात्मक।

(1) प्रतिबन्धात्मक—पहले इस अधिनियम में 38 उद्योगों के नाम दिए थे जिनमें 6 उद्योग 30 दिसम्बर 1978 के अध्यादेश से बढ़ा दिए गए हैं। इन उद्योगों

को बिना केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए स्थापित नहीं किया जा सकता है और न वर्तमान इकाइयों द्वारा अपना विस्तार किया जा सकता है। लेकिन यदि इकाई की स्थायी सम्पत्तियों (भूमि, मकान एवं सम्पन्न मशीनरी में विनियोग) का मूल्य 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसी इकाई को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार लाइसेंस देते समय उद्योग की स्थापना के स्थान एवं निर्माण की जाने वाली वस्तु के आकार आदि के बारे में शर्तें लगा सकती है।

(2) सुधारात्मक प्रावधान—किसी औद्योगिक इकाई का प्रबन्ध यदि असंतोषजनक हो अथवा वह सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करती हो तो सरकार ऐसे उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है। सन् 1953 के संशोधन के अनुसार सरकार बिना जाँच कराए भी उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। सरकार को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति, वितरण एवं मूल्य पर नियंत्रण रखे।

(3) रचनात्मक प्रावधान—(अ) विधान द्वारा एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की स्थापना का भी प्रावधान है जो सरकार को अनुसूचित उद्योगों से सम्बन्धित उद्योगों तथा तथ्यों पर परामर्श देगा।

(ब) नए-नए उद्योगों तथा इकाइयों को लाइसेंस देने के लिए एक लाइसेंस समिति (Licensing Committee) के निर्माण करने की व्यवस्था की गई।

(स) अनुसूचित उद्योगों तथा सम्बन्धित उद्योगों की उन्नति तथा विकास के लिए पृथक्-पृथक् विकास परिषदों (Developmental Councils) की स्थापना की व्यवस्था की गई।

सरकार की लाइसेंस नीति पर खुली चर्चा की गई है, तथा इसका सरकारी स्तर पर भी अध्ययन किया गया है। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त डा० आर० के० हजारी ने अपने अध्ययन में बताया है कि बड़े एवं मध्यम आकार के व्यावसायिक समूहों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक लाइसेंस प्राप्त हुए हैं और इनके द्वारा निवेश के लिए किए गए आवेदन एवं स्वीकृत राशि की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है।

इस अध्ययन को ध्यान में रखकर सरकार ने 1967 में औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति का गठन किया।

इस समिति के अध्यक्ष दत्त ने अपनी रिपोर्ट के 1969 में प्रेरित की। दत्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1970 तथा 1973 में लाइसेंस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए।

औद्योगिक लाइसेंस नीति, 1970

औद्योगिक लाइसेंस नीति प्रस्ताव 1970 में औद्योगिक नीति को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को ही आधार बनाया गया। इस प्रकार औद्योगिक लाइसेंस नीति प्रस्ताव

1970 को औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का पूरक ही कहा जा सकता है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. लाइसेंसिंग की छूट सीमा में वृद्धि—इस नीति के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त करने की छूट सीमा जो पहले 25 लाख रुपये थी, अब बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।

2 उद्योगों का विभाजन—इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को निम्न क्षेत्रों में बाँटा गया—

(अ) कोर क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्र—इस क्षेत्र में उन सभी उद्योगों को सम्मिलित किया गया है जिनमें पूँजी का कुल निवेश 35 करोड़ रुपये से अधिक है। इस क्षेत्र में 19 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में केवल राज्य द्वारा ही उद्योगों की स्थापना की जा सकती है अर्थात् निजी क्षेत्र को इसमें प्रविष्ट नहीं होने दिया जायेगा।

(ब) भारी निवेश क्षेत्र—इस क्षेत्र में उन सभी उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें कुल पूँजी का निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 35 करोड़ रुपये से कम होता है। इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता है। इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियाँ भी उद्योग की स्थापना कर सकती हैं।

(स) मध्य क्षेत्र—इस क्षेत्र में ऐसे उद्योग शामिल किए जाते हैं जिनकी पूँजी 1 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये से कम है। इस क्षेत्र में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(द) लघु उद्योगों का अरक्षित क्षेत्र—लघु उद्योगों में उन औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनमें पूँजी का निवेश 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। (वर्तमान समय में यह सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई है)।

3 पूर्व स्थापित उपक्रमों का महत्वपूर्ण विस्तार—लाइसेंस प्राप्त किए या रजिस्टर्ड ऐसे पूर्व स्थापित औद्योगिक उपक्रम जिनकी स्थायी सम्पत्ति 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है बिना लाइसेन्स लिए महत्वपूर्ण विस्तार कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसे मूल्य का विस्तार 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

4. उत्पादन का विविधीकरण—लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत उत्पादन के विविधीकरण को छूट सुविधा पहली बार 27 अक्टूबर 1966 को प्रदान की गई थी। समय-समय पर किए गए सशोधनों के बाद इस नीति के अनुसार ऐसी इकाइयाँ जो रजिस्टर्ड हैं या जिनको औद्योगिक एवं नियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स मिला हुआ है भविष्य में बिना लाइसेन्स लिये अपनी रजिस्टर्ड क्षमता के 35 प्रतिशत तक नयी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकती है। 19 फरवरी, 1972 को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर अब 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

5. उद्योगानुसार लाइसेंस मुक्ति व्यवस्था की समाप्ति—औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम सन् 1951 के अन्तर्गत 41 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग

सम्बन्धी मूल धारणाओं को स्पष्ट किया गया है। इस नीति के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं—

(1) संयुक्त क्षेत्र—इसमें विकास के एक पक्ष के रूप में संयुक्त क्षेत्र की धारणा को स्वीकार किया गया है। अब तक संयुक्त क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष में काफी चर्चाएँ होती रही हैं। लेकिन इसका आकार-प्रकार क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं था। लेकिन अब औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ही संयुक्त क्षेत्र की तस्वीर उभर कर सामने आई है। संयुक्त क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण कितना होगा इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि यह भिन्न-भिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सम्बद्ध इकाई के शेयरों में सरकार का अंश कितना है।

संयुक्त क्षेत्र ऐसे उद्योगों में जहाँ राज्य सरकार नये और मध्यम दर्जे के उद्योगों में सहायीदार होगी, प्रोत्साहन देने वाला होगा ताकि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विकास में यह उनका मार्ग दर्शन कर सके।

संयुक्त क्षेत्र के ऐसे उद्योगों में बड़े औद्योगिक घरानों में प्रमुख अधिकरणों और विदेशी कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिनमें उनका प्रभुत्व पहले से है।

संयुक्त क्षेत्र की सभी इकाइयों के संचालन, प्रबन्ध-व्यवस्था और नीति निर्धारण में सरकार का प्रमुख हाथ रहेगा। संयुक्त क्षेत्र के इस तरह के कारखानों का, जिनका अस्तित्व भंग हो गया है, गठन कुछ खास क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जारी रखा जाएगा। संयुक्त क्षेत्र में इस तरह की किमी औद्योगिक इकाई का गठन सरकार के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य के सन्दर्भ में किया जायेगा।

(2) बड़े घराने—बड़े औद्योगिक घराने की चल अचल सम्पत्ति की सीमा 35 करोड़ रुपये से घटा कर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है जैसी कि एकाधिकारी और प्रतिबन्धकारी व्यापार अधिनियम, 1970 (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act of 1970) में व्यवस्था है। यह परिवर्तन सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेंस नीति में किया गया है।

लाइसेंसिंग की व्यवस्थाओं से एक करोड़ रुपये तक की पूंजी से संगठित किए जाने वाले उद्योगों को मुक्त रखने की व्यवस्था जारी रहेगी परन्तु यह छूट बड़े औद्योगिक घरानों, विदेशी कम्पनियों व उनकी साझेदारी की कम्पनियों को नहीं मिलेगी।

(3) आधारभूत उद्योगों की सूची का विस्तार—सरकार ने एक ओर बड़े औद्योगिक गृहों की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया है, और दूसरी ओर इन गृहों के लिए उपलब्ध उद्योगों की सूची का काफी विस्तार भी किया है। अब इस सूची में 19 शीर्षकों के अन्तर्गत अनेक नए उद्योगों के नाम हैं—

(1) धातु कर्म उद्योग (2) बायलर तथा बाह्य जनित सयंत्र (3) प्राइम मूवर्स, औद्योगिक टरबाइन, इन्टरनल कमबशन इंजन (4) विद्युतीय उपकरण (5) परिवहन उपकरण—जलयान तथा वाणिज्यिक गाड़ियाँ (6) मशीन टूल्स (7) औद्योगिक मशीनें (8) अर्थ मूविंग मशीनें (9) कृषि मशीनें, ट्रैक्टर, टिलर आदि (10) औद्यो-

गिक उपकरण (11) वैज्ञानिक उपकरण (12) नाइट्रोजन तथा फास्फेट पर आधारित उर्वरक (13) दवाइयाँ तथा मूल औषधियाँ (14) कागज और लुग्दी (15) रासायनिक पदार्थ (16) मोटर गाडियो के टायर-ट्यूब (17) प्लेट ग्लास (18) सिरैमिक उद्योग तथा (19) सीमेण्ट उत्पादन ।

सरकारी नीति के अनुसार बड़े औद्योगिक गृहों को भी इन 19 उद्योगों को, यदि इनमें से कोई औद्योगिक नीति के अधीन केवल सार्वजनिक क्षेत्र या छोटे उद्योगों के क्षेत्र के लिए सुरक्षित नहीं किया जाता है तो अन्य आवेदकों की तरह लगाने की अनुमति होगी । बड़े औद्योगिक गृह इन उद्योगों के अतिरिक्त वे उद्योग भी लगा सकते हैं जहाँ उत्पादन प्रधान रूप से निर्यात के लिए किया जाता हो ।

(4) लघु क्षेत्र—लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1970 की विद्यमान नीति ज्यों की त्यों बनी रहेगी । अतिरिक्त सुविधा के रूप में यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के उद्योग में प्रवेश कर सकता है, विशेष रूप से इस क्षेत्र की वृहद् उपभोग को वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा । इन उद्योगों में अन्य उपक्रमियों को केवल तभी अनुमति दी जायगी जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से कीमतों में कमी या तकनीकी सुधार की सम्भावना हो, बड़े पैमाने पर पूंजी लगानी पड़ती हो या बड़े पैमाने पर निर्यात संभव हो या आधुनीकीकरण के लिए जरूरी हो ।

(5) सहकारी क्षेत्र का विकास—सरकार कृषि सम्बन्धी उद्योगों में सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए विशेष प्रयत्न करेंगी । कृषि सम्बन्धी उद्योगों में से उल्लेखनीय उद्योग हैं—गन्ना, जूट, कपास, के खेतीबारी सम्बन्धी कृषि उपकरण जैसे उर्वरक, ट्रैक्टर आदि का निर्माण । सार्वजनिक उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित उद्योगों के लिए भी सहकारी क्षेत्र अधिक श्रेष्ठ रहता है ।

(6) नए उपक्रमियों को प्रोत्साहन—इस नीति में नये उपक्रमियों को प्रोत्साहन देने की बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गई है और इन उपक्रमियों को प्रत्येक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकारें विशेष रूप से प्रयास करेंगी ऐसी व्यवस्था भी कर दी गई । नए उपक्रमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् 1956 को औद्योगिक नीति की अनुसूची 'अ' के उद्योगों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र खुले रहेंगे ।

(7) महत्त्वपूर्ण विस्तार एवं नये उपक्रम—सन् 1970 की औद्योगिक नीति में एक करोड़ रुपये तक की कीमत के बराबर उत्पादन में महत्त्वपूर्ण विस्तार की जो छूट दी गई थी उसे बनाये रखा जाएगा परन्तु यह छूट बड़े औद्योगिक गृहों, विदेशी कम्पनियों, प्रभुत्व वाले उपक्रमों तथा 5 लाख रुपये से अधिक सम्पत्तियाँ रखने वाले विद्यमान पंजीकृत उपक्रमों पर लागू नहीं होगी ।

(8) उत्पादन का विविधीकरण—इस नीति के अनुसार ऐसी इकाइयाँ जो पंजीकृत हैं या जिनको औद्योगीकरण अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस मिला हुआ है भविष्य में कुछ निश्चित शर्तों सहित बिना लाइसेंस लिए अपनी पंजीकृत क्षमता के 25% तक नई वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकती है ।

(9) निर्यात प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन—निर्यात करने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। लघु तथा मध्यम आकार वाले उद्योगों की निर्यात क्षमता में विकास करने में सहायता दी जाएगी।

(10) उद्योगानुसार लाइसेंस मुक्ति व्यवस्था की समाप्ति—औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 की 41 उद्योगों को लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करके 1 करोड़ से अधिक विनियोग वाली इकाइयों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार इस नीति में लाइसेंस मुक्ति की व्यवस्था उद्योगों के आधार पर न रहकर पूंजी विनियोग की प्रस्तावित मात्रा के आधार पर रखी गई।

(11) मध्य क्षेत्र—जिन उद्योगों में पूंजी का विनियोग 1 करोड़ ₹० से 5 करोड़ ₹० तक होगा वे मध्य क्षेत्र के उद्योग कहलाएँगे। उस क्षेत्र में नवीन इकाइयों को लाइसेंस उदारतापूर्वक दिए जाएँगे।

(12) सरल पूंजीयन विधि—जिन औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय तकनीकी सत्ताओं में स्वतः ही हो जायेगा और उन्हें अब रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी पड़ेगी।

औद्योगिक लाइसेंस नीति 1975

अक्टूबर 1975 में सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति को अधिक उदार बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की। औद्योगिक लाइसेंस नीति 1975 में 21 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया तथा 30 प्रमुख उद्योगों में विदेशी कम्पनियों एवं बड़े औद्योगिक घरानों को लाइसेंस क्षमता से भी अधिक उत्पादन करने की असीमित छूट प्रदान की गई। विदेशी कम्पनियाँ तथा बड़े औद्योगिक घराने केवल उसी अवस्था में क्षमता का असीमित विस्तार कर सकेंगे जबकि इस अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात किया जायेगा, अथवा सरकारी निर्देशों के अनुसार इसे बेचा जायेगा।

औद्योगिक लाइसेंस नीति, 1978

31 अक्टूबर 1977 को उद्योग मन्त्रालय द्वारा श्री जी० वी० रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई जिसका कार्य औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 के कार्यों एवं संबन्धित नीतियों और कार्य प्रणालियों का अध्ययन करने तथा इसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देने का था।

अध्ययन दल ने फरवरी सन् 1978 में अपने सुझाव सरकार को दिए जिनमें से प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे —

1. लाइसेंस से छूट की सीमा में वृद्धि—अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया कि लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से छूट की सीमा को एक करोड़ ₹० से बढ़ाकर 5 करोड़ ₹० कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान में यह सुझाव सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है।

2. पर्याप्त संशोधनों की आवश्यकता—अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया कि औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 25 साल पुराना हो चुका है अतः सरकार को नयी औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक जगत् में नए परिवर्तनों के सम्बन्ध में अधिनियम में पर्याप्त संशोधन किए जाने चाहिए ।

3 क्षेत्रीय कार्यालयों का महत्त्व—अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ तथा इन संस्थाओं के कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए ।

4. मॉनीटोरिंग व्यवस्था—यह जानने के लिए कि आशय-पत्रों (Letters of Intent) की शर्तें पूरी की जा रही हैं अथवा नहीं, मॉनीटोरिंग सेलो की भी स्थापना की जानी चाहिए ।

5. विकास परिषद् के कार्यों में सुधार—ऐसी सभी विकास परिषद् जिन्हें औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है उनके कार्यों में सुधार कर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए ।

6. प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण—उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक अनुमति पत्रों एवं पूंजीगत माल के आयात के लाइसेंसों की स्वीकृतियों तथा विदेशी सहायता के समझौते के अनुमोदन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ।

7 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संरक्षण—अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि वह लघु उद्योग क्षेत्र के संरक्षण के लिए उपयुक्त नियमों की व्यवस्था करे ।

8. नियमन और विकास पहलू पर जोर—अध्ययन दल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अनधिकृत अथवा अति उत्पादन को रोकने के लिए अधिनियम के नियमन एवं विकास पहलू पर अधिक जोर देना चाहिए ।

9. राज्यों के मुख्यालयों पर औद्योगिक अनुमोदनो के व्यूरो के कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए ।

सरकार ने लगभग इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है । 31 मार्च 1978 को नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई । औद्योगिक नीति 1978 में लाइसेंस की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करके लाइसेंस प्रणाली को अधिक उदार बना दिया गया ।

औद्योगिक लाइसेंस से छूट केवल उसी अवस्था में प्रदान की जायेगी जबकि प्रस्तावित उत्पादित वस्तुएँ, सार्वजनिक तथा लघुस्तरीय क्षेत्र से सम्बन्धित न हों । इसी के साथ M R T P कम्पनियों, प्रभावशाली कम्पनियों तथा 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी हिस्से वाली कम्पनियों को लाइसेंस व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति, 1980

23 जुलाई 1980 को नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा की गई । इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ चुने हुए उद्योगों के स्वचालित

विकास की अनुमति प्रदान की गई। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(क) लघु पैमाने के उद्योगों के विकास की गति को तीव्र बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि इनमें निवेश की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया जाये इस उपाय के द्वारा विद्यमान लघु उद्योगों में आधुनिकीकरण की कार्य सरलता से सम्पन्न हो सकेगा।

(ख) श्रमिकों की उत्पादिता अथवा तकनीकी विकास के कारण उद्योगों की उत्पादन क्षमता में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए नई नीति में निम्न सुझाव रखे गए हैं—

प्रथम—उद्योगों में बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को स्वीकार करना, तथा दूसरा—प्रतिवर्ष 5 प्रतिवर्ष की दर से स्वचालित विस्तार अथवा 5 वर्ष में 25% क्षमता के विस्तार को औद्योगिक अधिनियम के परिशिष्ट 1 के सभी उद्योगों पर लागू करना।

परीक्षा-प्रश्न

1. स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य रहे हैं ? औद्योगिक नीति से सार्वजनिक उद्देश्यों का विकास किस प्रकार हुआ है।

(आगरा बी० कॉम० 1976)

2. 1956 के भारत सरकार की औद्योगिक नीति का विवेचन कीजिए और देश के औद्योगीकरण पर उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए।

(आगरा बी० कॉम० 1974)

3. भारत सरकार की 1956 की औद्योगिक नीति के मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। (पंजाब बी० कॉम० 1974, इन्दौर बी० ए० 1969, मेरठ बी० ए० 1968, कुरुक्षेत्र बी० कॉम० 1965)

4. भारत की 1956 की औद्योगिक नीति में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। इस नीति की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। (जोधपुर बी० ए० आनर्स 1975)

5. 1977 की भारत सरकार की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

6. भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आपके विचार में यह नीति इसमें निर्दिष्ट आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही है। इस नीति को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए सुझाव दीजिए।

7. भारत में औद्योगिक लाइसेन्स नीति, 1973 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 1980 की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं।

भारत में औद्योगिक वित्त (Industrial Finance in India)

औद्योगिक वित्त से अभिप्राय उस पूंजी से होता है, जिसकी आवश्यकता उद्योगों की उत्पादन क्रियाओं के संचालन हेतु पड़ती है। संक्षेप में औद्योगिक वित्त से तात्पर्य उद्योगों की धन या वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं से है।

औद्योगिक वित्त व्यवस्था की विशेषताएँ

औद्योगिक वित्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(1) औद्योगिक वित्त की प्रकृति स्थायी होती है, क्योंकि इसमें दीर्घकालीन विनियोग, भवन, मशीन, सयन्त्र आदि में किये जाते हैं।

(2) औद्योगिक वित्त में अधिकांश पूंजी का विनियोग उत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है।

(3) नवीन उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित उद्योगों की वित्त व्यवस्था की समस्या इतनी क्लिष्ट होती है कि उन्हें वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है।

उद्योगों की वित्तीय (पूंजी) सम्बन्धी आवश्यकताएँ

उद्योगों को सामान्यतया दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है—

(1) स्थायी पूंजी—यह वह पूंजी है जिसका प्रयोग व्यवसाय में ऐसी सम्पत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता है जिन्हें दीर्घकाल तथा निरन्तर उपयोग किया जा सके।

सामान्यतया स्थायी पूंजी की आवश्यकता निम्नलिखित ज़रूरतों के लिए पड़ती है—

(1) स्थायी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, सयन्त्र व मशीनरी, फर्नीचर व फ़िर्निश आदि को क्रय करने के लिए, (ii) घिसी हुई अप्रचलित स्थायी सम्पत्तियों की प्रतिस्थापना एवं उनका पुनरुद्धार के लिए, (iii) आधुनिकीकरण शोध एवं अनुसंधान के

लिए, (1v) विविधीकरण विस्तार एवं विकास की आवश्यकताओं के लिए, तथा (v) नियमित व स्थायी कार्यशील पूँजी के लिए ।

(2) कार्यशील पूँजी—प्रत्येक व्यवसाय के दैनिक कारोबार को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिस पूँजी की आवश्यकता पड़ती है उसे कार्यशील पूँजी कहते हैं । कार्यशील पूँजी का उपयोग सामान्यतया कच्चा माल, निर्मित व अनिर्मित माल का स्टॉक, चल सम्पत्ति के क्रय, उत्पादन व्यय, कर्मचारियों के वेतन, परिवहन व्यय, मजदूरी एवं अन्य दैनिक कार्यों में किया जाता है । कार्यशील पूँजी का कार्यकाल स्थायी पूँजी की अपेक्षा कम होता है, अतएव इसे अल्पकालीन पूँजी भी कहा जाता है ।

औद्योगिक वित्त के साधन

भारत में औद्योगिक वित्त को प्राप्त करने के साधनों में (1) अशो का निर्गमन, (11) ऋण-पत्रों का निर्गमन, (11) जन-निपेक्ष, (1v) लाभो का पुनर्नियोजन, (v) बैंकों द्वारा ऋण, (v1) देशी बैंकर, (v11) वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण, आते हैं ।

(1) अशो का निर्गमन—औद्योगिक संस्थाओं को स्थायी वित्त प्रदान करने का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम साधन है । 'कम्पनीज अधिनियम, 1956' के अनुसार किसी कम्पनी के अश दो प्रकार के हो सकते हैं । (क) समता अश, (ख) पूर्वाधिकार अश ।

समता या साधारण अश—एक कम्पनी की औद्योगिक वित्त व्यवस्था में समता या साधारण अश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिये इनको आधार-स्तम्भ माना जाता है । अधिकांश कम्पनियाँ अपनी पूँजी का बहुत बड़ा भाग इसी प्रकार के अशो को निर्गमित करके प्राप्त करती हैं ।

विशेषताएँ—समता अश पूँजी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं—

(1) यह पूँजी स्थायी होती है क्योंकि इसकी वापसी उद्योग के जीवन-काल में नहीं होती है ।

(11) इस प्रकार की अश पूँजी पर लाभांश उसी समय मिलता है जबकि कम्पनी या उद्योग को लाभ होता है ।

(111) साधारण अश पूँजी से उद्योग को प्रारम्भिक पूँजी प्राप्त होती है उसे ही उद्योग का जोखिम वहन करना पड़ता है ।

(1v) इन अशो के धारक ही कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और कम्पनी के संचालन एवं प्रबन्ध पर उनका पूर्ण नियन्त्रण होता है ।

लाभ—इस अश के कई लाभ होते हैं—

(क) पूँजी का स्थायित्व रहता है, क्योंकि उसके भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती है । (ख) इसके लिए कोई जमानत नहीं दी जाती है । (ग) लाभांश देना बहुत जरूरी नहीं होता है क्योंकि जब लाभ होंगे तभी उनके वितरण का प्रश्न उठता है । इसके अलावा सामान्य अशधारी प्रमण्डल पर पूरा अधिकार रखते हैं, उनकी अज्ञानता के कारण प्रमण्डल को धोखा हो सकता है ।

एक कम्पनी की समता या साधारण अंश पूंजी को 'जोखिम पूंजी' या 'साहस पूंजी' भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम 'स्वामित्व पूंजी' भी है।

(ख) पूर्वाधिकार अंश—पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिनके धारकों को एक निश्चित दर पर लाभांश देने या कम्पनी के समापन की स्थिति में पूंजी को वापस करने का पूर्वाधिकार दिया जाता है। ये अंश अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे—

पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार—पूर्वाधिकार अंश निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं—

(1) सचयी और असचयी पूर्वाधिकार अंश—कम्पनी को लाभ न होने पर यदि लाभांश सचय होता रहे और लाभ होने वाले वर्ष में पिछले वर्षों का लाभांश भी दिया जाय तो अंशों को सचित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इसके विपरीत असचयी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिन पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सचय नहीं होता। यदि किसी वर्ष लाभांश दिया जाता है तो उन्हें पहले लाभांश दिया जायेगा और अन्य अंशधारियों के बाद में।

(11) शोध और अशोध पूर्वाधिकार अंश—यदि पूर्वाधिकारी अंश जारी करते समय कम्पनी यह घोषित कर दे कि इन अंशों का एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर भुगतान अथवा शोधन कर दिया जायेगा तो ऐसे अंशों को शोध पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। इसके विपरीत अशोध पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनका भुगतान कम्पनी के कार्यकाल में नहीं लिया जाता।

(111) परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश—ये वे अंश होते हैं जिनको एक निश्चित समयावधि के पश्चात् साधारण अंशों में बदलने की स्वेच्छा दी जाती है।

(1V) भागीदार पूर्वाधिकार अंश—यदि इन अंशधारियों को अपना निश्चित लाभांश प्राप्त कर लेने के उपरान्त साधारण अंशधारियों को भी एक निश्चित प्रतिशत लाभांश देने के बाद शेष लाभ में हिस्सा बाँटने का अधिकार दे दिया जाय तो इन्हें भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहेंगे जिन अंशों पर यह अधिकार नहीं होता उन्हें अभागीदार पूर्वाधिकार अंश कहा जायेगा।

(V) मताधिकार वाले पूर्वाधिकारी अंश—कम्पनी अपने अन्तर्नियमों में स्पष्ट व्यवस्था करके पूर्वाधिकारी अंशों के स्वामियों को भी कम्पनी की बैठक में साधारण अंशधारियों की भाँति उपस्थित होने तथा मत देने का अधिकार दे सकती है। ऐसे अंशों को मताधिकार वाले पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं।

इन अंशों को निर्गमित करने का उद्देश्य यह है कि स्थापना के समय अधिक पूंजी प्राप्त की जा सके और जब पूंजी का बाहुल्य हो जाय, अर्थात् कम्पनी सुदृढ़ हो जाय तो उन्हें वापस कर दिया जाय। ये अंश उस दशा में भी निर्गमित किये जाते हैं जब ऋण-पत्र निर्गमन के लिए पर्याप्त जमानत नहीं रहती है।

(2) ऋण-पत्रों का निर्गमन—औद्योगिक संस्थाओं के लिए वित्त प्राप्त करने का दूसरा साधन ऋण-पत्र या बॉण्ड का निर्गमन है। ऋण-पत्र या बॉण्ड से अर्थ

प्रलेख से है जिसके आधार पर उसमें लिखित राशि प्राप्त की जाती है। इसका निर्गमन कम्पनी द्वारा अपने पार्षद सीमा नियम के आधार पर ही किया जाता है।

ऋण-पत्रों द्वारा एकत्रित की गई पूँजी की विणेषताये निम्नलिखित है—

(1) दीर्घकालीन पूँजी—साधारणतया ऋण-पत्रों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ii) विक्रय योग्य—ऋण-पत्र अशो की भाँति अश बाजार में आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं।

(iii) ऋण पूँजी—ऋण-पत्र कम्पनी की ऋण पूँजी के अग होते हैं। अत इन पर ब्याज देना आवश्यक होता है। चाहे कम्पनी को लाभ हो अथवा हानि।

ऋण-पत्रों के प्रकार—ऋण-पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है—

(i) रक्षित तथा अरक्षित ऋण-पत्र—यदि ऋण-पत्रों का निर्गमन कम्पनी की सम्पत्ति को बन्धक रखकर किया जाता है तो ऐसे ऋण-पत्रों को रक्षित ऋण-पत्र कहते हैं। इसके विपरीत यदि ऋण-पत्रों का निर्गमन बिना किसी ऐसी जमानत या प्रतिभूति को किया जाता है तो उनको अरक्षित ऋण-पत्र कहते हैं।

(ii) शोध्य या अशोध्य ऋण-पत्र—वे ऋण-पत्र जिनकी राशि एक निश्चित अवधि के उपरान्त वापस कर दी जाती है शोध्य, ऋण-पत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि ऋण-पत्र की राशि कम्पनी के जीवन-काल में कभी वापस नहीं की जाती तो उन्हें अशोध्य ऋण-पत्र कहते हैं।

(iii) रजिस्टर्ड तथा वाहक ऋण-पत्र—उन ऋण-पत्रों को जिनके स्वामियों का नाम पता तथा अन्य विवरण कम्पनी के पास रखे गये ऋण-पत्रधारियों के रजिस्टर में अंकित किया जाना आवश्यक होता है, रजिस्टर्ड ऋण-पत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत वाहक ऋण-पत्र वे ऋण-पत्र होते हैं जिनका धारक ही स्वामी होता है, जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल हस्तान्तरण करने से ही हस्तान्तरित हो जाता है।

(iv) परिवर्तनशील ऋण-पत्र—ये वे ऋण-पत्र होते हैं जिनमें ऋण-पत्रधारियों को अशो में परिवर्तन करने का अधिकार होता है।

(v) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ऋण-पत्र—वे ऋण-पत्र जिनका भुगतान अन्य ऋण-पत्रों से पहले किया जाना अनिवार्य होता है प्रथम श्रेणी के ऋण-पत्र कहलाते हैं जबकि उन ऋण-पत्रों का जिनका भुगतान पहले ऋण-पत्रों के बाद किया जाता है द्वितीय श्रेणी के ऋण-पत्र कहलाते हैं।

उपयुक्तता—ऋण-पत्रों का निर्गमन कम्पनियों या तो अपनी प्रारम्भिक दीर्घ-कालीन पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए या व्यवसाय के विस्तार व आधु-निकीकरण की योजनाओं के लिए मध्यकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए करती है। ऋण-पत्र निर्गमित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋण-पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज साधारणतया कम्पनी की अनुमानित आय के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

तलनात्मक मूल्यांकन

आधार	असाधारण अंश	पूर्वाधिकार अंश	ऋण-पत्र
1. वित्त की प्रकृति	इनसे कम्पनी की दीर्घ-कालीन एवं स्थायी पूँजी प्राप्त की जाती है।	इनसे दीर्घकालीन और मध्यकालीन दोनों प्रकार की पूँजी एक-त्रित की जा सकती है।	इनके निर्गमन से अस्थायी दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण प्राप्त किये जाते हैं।
2. लागत	इन पर कम्पनी को सामान्यतः अधिक लाभांश देना पड़ता है।	इनका लाभांश प्रायः साधारण अंश से कम होता है।	इनको दिया जाने वाला ब्याज सबसे कम होता है। यही नहीं क्योंकि ब्याज को एक खर्च माना जाता है इसलिए इस पर आय कर की भी बचत होती है।
3. प्रबन्ध में हस्तक्षेप	इन्हें कम्पनी के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है।	इन्हें कम्पनी के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता।	इनका भी कम्पनी के प्रबन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
4. प्रतिफल	इन पर लाभांश उसी समय मिलता है जब कम्पनी को लाभ मिलता है। इनका लाभांश कम्पनी की समृद्धि के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।	लाभांश पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है। लाभांश तभी दिया जायेगा जब लाभ हो लेकिन सचयी पूर्वाधिकार अंशों की स्थिति में लाभांश संचित होता रहता है।	इनके ब्याज की दर पूर्व निर्धारित रहती है और इन पर ब्याज देना ही पड़ेगा चाहे कम्पनी को लाभ हो या हानि।
5. लचीलापन	पूँजी के अधिकांश भाग को साधारण अंशों के रूप में प्राप्त करने पर पूँजी की संरचना लोचपूर्ण नहीं होती।	पूर्वाधिकार अंश पूँजी संरचना में थोड़ी लोचता प्रदान करते हैं। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों की राशि आवश्यकता न होने पर	ऋण-पत्र चूँकि ऋण-पत्र हैं इन्हें आवश्यकता नुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। यदि कम्पनी को इनकी

आधार	असाधारण अंश	पूर्वाधिकार अंश	ऋण-पत्र
		वापस की जा सकती है तथा परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों को आवश्यकता पड़ने पर साधारण अंशों में बदला जा सकता है।	आवश्यकता नहीं रहती तो कम्पनी स्वयं अपने ऋण-पत्र वापस खरीदकर उन्हें निर्धारित तिथि पर रद्द कर सकता है।
6. ऋण लेने की क्षमता का प्रभाव	कम्पनी जितनी अधिक पूँजी साधारण अंशों से एकत्र करती है उसकी ऋण लेने की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है।	इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनी की साख तथा उसके ऋण लेने की क्षमता पर नहीं पड़ता।	यदि कम्पनी ऋण-पत्रों के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है तो उसे अपनी संपत्ति ऋण-पत्र-धारियों के पास बन्धक के रूप में रखनी पड़ती है इस पूँजी बाजार में कम्पनी की साख कम हो जाती है।
7. विनियोजको के लिए आकर्षण	वे विनियोजक जो साहसी होते हैं और अच्छी आय के साथ-साथ कम्पनी के प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए साधारण अंश सर्वश्रेष्ठ रहता है।	ये उन विनियोजक के लिए श्रेष्ठ हैं जो निश्चित तथा अच्छी आय चाहते हैं और प्रबन्ध की तरफ उदासीन होते हैं लेकिन कुछ जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहते हैं।	निश्चित व स्थायी आय के साथ पूँजी की सुरक्षा चाहने वाले विनियोजकों के लिए ऋण-पत्रों में रूपया विनियोजित करना सर्वश्रेष्ठ होता है।

(3) जन-निक्षेप—भारत में औद्योगिक वित्त के साधनों में जन-निक्षेप का भी उल्लेखनीय महत्त्व रहा है। जनता द्वारा अपने धन को व्यापारियों या उद्योग-पतियों के पास निश्चित व्याज के बदले में इसलिए रखा जाता था कि बैंकिंग विकास की प्रारम्भिक स्थिति में जनता का विश्वास बैंकों में इतना अधिक नहीं था। प्रारम्भ में इस जन-निक्षेप का उपयोग केवल अल्पकालीन पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था लेकिन समय बीतने पर बम्बई,

अहमदाबाद और कुछ सीमा तक शोलापुर की सूती मिलों तथा बंगाल और आसाम के चाय बगानों में इनको मध्यकालीन वित्त के लिए भी उपयोग किया जाने लगा है।

जन-निक्षेप से लाभ

- (1) पूंजी प्राप्त करने का यह सरल और मितव्ययी साधन है।
- (ii) कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों को बंधक के रूप में नहीं रखना पड़ता।
- (iii) निक्षेपों के कारण कम्पनियों का पूंजी कलेवर लोचदार रहता है।
- (iv) अशुधारियों को ऊँचे लाभांश दिये जाते हैं।
- (v) कम्पनी की ऋण लेने की क्षमता बढ़ जाती है।

(4) **लाभों का पुनर्विनियोजन**—लाभ का पुनर्विनियोजन कम्पनी की वित्त-व्यवस्था की वह पद्धति है जिनके द्वारा कोई कम्पनी अपनी आय के कुछ भाग को बचाकर उसका प्रयोग भावी विकास योजनाओं में करती है। वास्तव में किसी भी पूर्व स्थापित सस्था का भावी विकास उसके आन्तरिक साधनों पर निर्भर करता है। प्रायः देखा जाता है कि किसी भी औद्योगिक सस्था को जितना लाभ होता है, उस समस्त लाभ को उस कम्पनी के अशुधारियों में वितरित नहीं किया जाता वरन् उसका कुछ भाग बचाकर रख लिया जाता है। सस्था को जब अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तब इस बचत का प्रयोग किया जा सकता है।

लाभ

(1) यदि कोई औद्योगिक सस्था अपनी समस्त आय को अशुधारियों में वितरित न करके कुछ भाग को बचा लेती है तो यह बचत भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

(ii) संचित कोष व्यवस्था के आधार पर कम्पनी द्वारा सतुलित लाभांश की नीति अपनायी जा सकती है।

(iii) संचित लाभों में से कम्पनी के विस्तार व आधुनिकीकरण की योजनाएँ आसानी से कार्यान्वित की जा सकती हैं।

(iv) एक ऐसी औद्योगिक सस्था को जिसके पास संचित कोष की अच्छी पूंजी है, व्यवसाय में साहसपूर्ण निर्णय लेने में सकोच नहीं होता।

(v) अशुधारियों की दृष्टि से आय के पृष्ठ विनियोग की योजना से उनके विनियोग अत्यन्त सुरक्षित रहते हैं।

(vi) अशुधारियों को मिलने वाले लाभांश की दर भी समान बनी रहती है। मदी के दिनों में भी लाभांश मिलता रहता है।

(5) **बैंकों द्वारा ऋण**—व्यापारिक बैंकों द्वारा उद्योगों को जो वित्त प्रदान किये जाते थे, वे अब तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यापारिक बैंकों के साथ-साथ औद्योगिक बैंकों तथा मिश्रित बैंकों द्वारा भी औद्योगिक साख दिये दिये जाते हैं। औद्योगिक बैंकों का मुख्य कार्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। भारत में औद्योगिक विकास बैंक

तथा इकाई प्रत्यास इनमें मुख्य है। मिश्रित बैंक वे हैं जो लघुकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हैं।

(6) देगी ब-र.—देशी बैंकरो ने भी उद्योगो के लिए ओर विशेषकर कठिनाई के समय लाभदायक कार्य किया है। बड़े पैमाने के उद्योग इन पर निर्भर नहीं करते किन्तु छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योग देशी साहूकारो से अपनी अचल एव कार्यकारी पूंजी के लिए काफी हद तक सहायता लेते हैं।

(7) वित्तीय संस्थाओ द्वारा ऋण—भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली मुख्य संस्थाएँ इस प्रकार हैं—(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (11) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, (111) राज्य वित्त निगम, (1v) औद्योगिक साख एव विनियोग निगम, (v) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया।

1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India)

इन बैंक की स्थापना जुलाई, 1964 में की गई। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त वित्त प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओ की क्रियाओ का समन्वय करना भी है। औद्योगिक ढांचे की कमियों का पता लगाकर उनका निवारण करना भी इसका उद्देश्य है। यह रिजर्व बैंक की एक मात्र शाखा थी। लेकिन 1975 में इसको रिजर्व बैंक से पृथक् करने का अधिनियम पारित किया गया और 16 फरवरी, 1976 को इसको एक स्वतन्त्र एव स्वायत्त संस्था के रूप में पुनः संगठित किया गया है।

विकास बैंक के कार्य—विकास बैंको के कार्यों का हम तीन शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

(1) पुनर्वित्त (Refinance) व्यवस्था—यह वित्तीय संस्थाओ को निम्न कार्यों के लिए पुनर्वित्त प्रदान कर सकता है—

(अ) वित्तीय संस्थाओ को 3 से 25 वर्ष के लिए।

(ब) राज्य सहकारी बैंको तथा अनुसूचित बैंको द्वारा उद्योगो को दिये गये ऋणो पर 10 वर्ष के लिए।

(स) बैंको अथवा वित्त संस्थाओ द्वारा निर्यात के हेतु दिये गये ऋणो पर 9 माह से 10 वर्ष के लिए।

(2) प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता—विकास बैंक औद्योगिक उपक्रमो को अकेले ही या अन्य वित्त संस्थाओ के साथ मिलकर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता करता है। यह सहायता निम्न रूपो में प्रदान की जाती है—(अ) प्रत्यक्ष ऋण देकर, (ब) अश, बाण्ड्स, ऋण-पत्र खरीदकर एव इनका अभिगोपन कर, (ग) औद्योगिक संस्थानो द्वारा अन्य साधनो से प्राप्त ऋणो के स्थगित भुगतानो की गारण्टी कर, एव (द) व्यापारिक बिलो की कटौती या पुनर्कटौती कर*।

(3) विकास सम्बन्धी कार्य—(अ) उद्योगो के विकास से सम्बन्धित विनियोग

व तकनीकी आर्थिक अध्ययन के बारे में अनुसंधान कार्य एवं सर्वेक्षण करना, (ब) किसी किसी भी उद्योग के प्रवर्तन, प्रबन्ध अथवा विस्तार हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय सेवाएँ उपलब्ध करना, (स) देश की औद्योगिक संरचना की कमियों को पूरा करने हेतु उद्योगों का नियोजन, प्रवर्तन एवं विकास करना ।

बैंक के वित्तीय साधन—यह बैंक अपने वित्तीय साधनों की व्यवस्था निम्न प्रकार करेगा—

(1) **अश पूँजी**—बैंक की अधिकृत पूँजी 50 करोड़ रुपये है जिसे आवश्यकता-नुसार बाद में 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है । निर्गमित एवं प्रदत्त पूँजी 50 करोड़ रुपये रखी गयी है ।

(2) **भारत सरकार के ऋण**—बैंक ने केन्द्रीय सरकार से भी ऋण लिया है ।

(3) **ऋण-पत्रों का निर्गमन**—बैंक अपने ऋण-पत्रों अथवा बाण्डों को बेचकर भी अपने कोष को बढ़ा सकता है । ऐसे ऋणों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

(4) **रिजर्व बैंक के ऋण**—औद्योगिक विकास बैंक को अपनी प्रतिभूतियों की जमानत पर रिजर्व बैंक से 90 दिन तक ऋण लेने का अधिकार होगा ।

(5) **जन-निक्षेप**—विकास बैंक जनता से 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमा भी स्वीकार कर सकता है ।

(6) **विदेशी मुद्रा में ऋण**—भारत सरकार की पूर्वानुमति लेकर बैंक विदेशी बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य साधनों से विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकता है ।

(7) **अनुमान एवं सहायता**—बैंक अनुदान, सहायता, भेट अथवा दानस्वरूप प्राप्त होने वाली सहायता को भी स्वीकार कर सकता है ।

विकास बैंकों के कार्यों की प्रगति

जून 1980 में बैंक ने अपने कार्यकाल के 16 वर्ष पूरे कर लिए हैं । इस अवधि में बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कुल सहायता और साथ ही वितरित कुल सहायता में काफी वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है—

(1) **ऋण**—31 दिसम्बर 1980 तक बैंक कुल 6170 करोड़ ₹० की वित्तीय सहायता (गारण्टी को छोड़कर) स्वीकृत कर चुका था जिसमें से 4,068 करोड़ ₹० वितरित किये जा चुके थे ।

(ii) **अभिगोपन**—बैंक ने जून 1980 तक 1837 करोड़ ₹० की पूँजी का अभिगोपन किया था ।

(iii) **पुनर्वित्त**—बैंक द्वारा औद्योगिक ऋणों के लिए वित्तीय संस्थाओं को 1900 करोड़ ₹० का पुनर्वित्त दिया गया ।

(iv) **पुनर्कटौती**—बैंक द्वारा 1095 करोड़ ₹० के ऋणों की पुनर्कटौती की गयी ।

(v) निर्यात वित्त—औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 390 करोड़ रु० के मूल्य की गारन्टी दी गई ।

(vi) तकनीकी विकास कोष योजना—तकनीकी उन्नत और निर्यात विकास तथा क्षमता के पूरे उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1976 में एक तकनीकी विकास कोष स्थापित किया । इसके अन्तर्गत बैंक सक्रिय भूमिका निभा रहा है ।

(vii) पिछड़े हुए क्षेत्रों में रियायती शर्तों पर सहायता—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सरकार द्वारा घोषित पिछड़े हुए क्षेत्रों के उपक्रमों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ।

(viii) उद्योगानुसार सहायता—बैंक ने कुल स्वीकृत ऋणों का आधे से अधिक भाग (51.5%) आधारभूत व उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को दिया है । उपभोक्ता माल उद्योग में भी सर्वाधिक सहायता (15.1%) वस्त्रोद्योग को प्रदान की गयी ।

(ix) लघु उद्योग और लघु सड़क परिवहन कार्य के लिए ऋण—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योगों और लघु सड़क परिवहन कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है ।

आलोचनात्मक मूल्यांकन—औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों से स्पष्ट होता है कि इसने देश के औद्योगीकरण के असन्तुलन की स्थिति को सम्भालने के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बहुत से प्रयास किए हैं । बैंक ने निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए हैं ।

बैंक ने आधुनिकीकरण के लिए ऋण अल्पतम मात्रा में वित्तीय सुविधाओं के अभाव के कारण दिए हैं । सरकारी हस्तक्षेप के कारण बैंक अपने व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य नहीं कर पाते हैं ।

2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(Industrial Finance Corporation of India)

स्थापना तथा कार्य—निगम की स्थापना औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1948 में हुई । निगम को निम्नलिखित कार्य करने के अधिकार दिए गए हैं—

(1) ऋण की गारन्टी देना—निगम औद्योगिक सस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की गारन्टी देता है, यदि ऐसे ऋण 25 वर्ष के भीतर शोधनीय है ।

(2) ऋण एवं अग्रिम कार्य—निगम औद्योगिक सस्थाओं को अधिक से अधिक 25 वर्षों में चुकता होने वाले ऋण देता है ।

(3) अभिगोपन कार्य—औद्योगिक सस्थाओं द्वारा निर्गमित अशो व ऋण-पत्रों का अभिगोपन करना भी निगम का एक महत्वपूर्ण कार्य हो ।

(4) औद्योगिक संस्थाओं के अंश व ऋण-पत्र खरीदना—निगम औद्योगिक संस्थाओं के अंश व ऋण-पत्र खरीदता है।

(5) ऋण-पत्र जारी करना तथा विश्व बैंक से ऋण लेना—निगम अपनी कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए ऋण-पत्रों को निर्गमित कर सकता है और विश्व बैंक से ऋण ले सकता है।

(6) जमा स्वीकार करना—निगम जनता से जमा स्वीकार करने का भी कार्य करता है, परन्तु जमाओं की कुल राशि 30 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती है।

(7) अन्य कार्य—निगम के कुछ अन्य कार्य इस प्रकार हैं—

(i) ऋण लेने वाली कम्पनियों की संचालक सभाओं में प्रतिनिधि भेजना और देखना कि कम्पनियाँ ऋण राशि का दुरुपयोग तो नहीं कर रही हैं।

(ii) ऋण लेने वाली किसी भी औद्योगिक कम्पनी को समय-समय पर प्राविधिक (Technical) परामर्श देना।

(iii) उद्योगों द्वारा विदेशी बैंकों आदि से प्राप्त किए गए ऋणों को गारण्टी देना।

(iv) उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य कार्य करना जो समय-समय पर सामने आएँ।

ऋण देय की शर्तें—निगम किसी सीमित पब्लिक कम्पनी तथा सहकारी समिति को निम्न शर्तों पर ऋण दे सकता है—

(1) ऋण मुख्यतः जमीन, मकान, यंत्र, औजार आदि स्थायी सम्पत्तियों के प्रथम रेहन (First mortgage) पर दिया जाता है।

(2) ऋण को लौटाने के सम्बन्ध में कम्पनी के संचालकों या प्रबन्ध अधिकारियों से व्यक्तिगत हैसियत से एव सामूहिक रूप से गारण्टी ली जाती है।

(3) निगम ऋण लेने वाली कम्पनी के संचालक बोर्ड में अपने दो संचालकों की नियुक्ति कर सकता है।

(4) ऋण की शर्तों के पालन न करने अथवा अन्य किसी प्रकार की अनुचित कार्यवाही करने पर निगम उस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है।

(5) किसी एक संस्था को एक करोड़ रुपये से अधिक ऋण नहीं दिया जाता है।

(6) निगम 25 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता।

(7) जिस सम्पत्ति की जमानत पर ऋण दिया जाता है उसका बीमा करना आवश्यक है।

(8) जब तक कम्पनी ऋण का भुगतान नहीं कर देती, लाभांश दर 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से सीमित रहती है, परन्तु दोनों की सहमति से इस दर में परिवर्तन सम्भव है।

(9) ऋण का भुगतान सामान्यतः समान किस्तों में किया जाता है, परन्तु किस्तों की राशि दोनों की सहमति से निश्चित होती है।

अगस्त 1970 में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को सम्मिलित कर लेने से निगम का कार्य-क्षेत्र विस्तृत हो गया है। 1973 में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में हुए संशोधन के आधार पर अब यह नियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को भी ऋण प्रदान करता है।

ऋण स्वीकृति के मापदण्ड—निगम किसी भी उद्योग को ऋण देने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है—

(अ) प्रार्थी सस्था की आर्थिक स्थिति। (ब) जिस योजना के लिए ऋण की माँग की गई है उसकी उपयुक्तता। (स) प्रबन्ध-व्यवस्था की कुशलता। (द) लाभ कमाने की शक्ति। (य) ऋण की समय पर अदायगी की सम्भावना।

निगम का प्रबन्ध—निगम का प्रबन्ध दो भागों में विभक्त है—संचालक मंडल (Board of Director) केन्द्रीय समिति (Central Committee)। संचालक मंडल में 13 सदस्य होते हैं, जिनमें एक प्रबन्ध संचालक होता है। केन्द्रीय समिति का कार्य दिन प्रतिदिन के कार्यों में संचालक मंडल को सहायता देना है। इसमें पाँच सदस्य होते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त पाँच परामर्शदायी समितियाँ, जिनमें 29 सदस्य हैं। ये समितियाँ इजीनियरिंग, वस्त्र, रसायन, चीनी तथा विविध उद्योगों के लिए स्थापित की गई हैं। इन उद्योगों को ऋण देने से पूर्व उससे संबंधित व्यक्तियों का परामर्श लिया जाता है।

निगम के आर्थिक साधन—निगम निम्नलिखित साधनों से पूँजी प्राप्त करता है—

(1) **अश पूँजी**—निगम की अधिकृत पूँजी 20 करोड़ रुपये है जो 5,000 रुपये के 40,000 अंशों में विभक्त है। यह पूँजी रिजर्व बैंक, अनुमूचित बैंक तथा बीमा कंपनियों और सहकारी बैंकों द्वारा खरीदी गयी है। 30 जून, 1973 तक निगम की सम्पूर्ण पूँजी निर्गमित हो चुकी थी।

(2) **ऋण-पत्र द्वारा प्राप्त धन**—निगम अपनी प्रदत्त पूँजी एवं सरक्षित कोष के दस गुने तक धन ऋण-पत्र या बाण्ड बेचकर प्राप्त कर सकता है।

(3) **रिजर्व बैंक से ऋण**—रिजर्व बैंक से निगम एक बार में 3 करोड़ रुपये के बराबर 18 माह के लिए ऋण ले सकता है।

(4) **निकषेप**—निगम जनता, राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन सस्थाओं से कम से कम 5 वर्षों के लिए अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपये की धनराशि तक जमा स्वीकार कर सकता है।

(5) **विदेशी मुद्रा में ऋण**—निगम विश्व बैंक के माध्यम से और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से विदेशी मुद्रा में भी ऋण ले सकता है।

(6) **केन्द्रीय सरकार से ऋण**—आवश्यकता पड़ने पर निगम केन्द्रीय सरकार से ऋण ले सकता है।

(7) **संचित कोष**—निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए विशेष संचित कोष बनाया गया है। इस कोष में रिजर्व बैंक, केन्द्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा खरीदे गए अशो का लाभांश जमा किया जाता है।

निगम के कार्यों की प्रगति

(1) अपनी स्थापना से 30 सितम्बर, 1980 तक निगम द्वारा स्वीकृत व वितरित वित्तीय सहायता क्रमशः 1070 करोड़ रु० और 734 करोड़ रु० थी।

(ii) **राज्यानुसार स्वीकृत सहायता**—कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 40 प्रतिशत तीन राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल को मिला है तथा सहायता पाने वाली 45% प्रायोजनाएँ भी इन्हीं राज्यों में स्थित हैं। कम विकसित राज्यों को निगम से प्राप्त सहायता अपर्याप्त है।

(iii) **उद्देश्यानुसार सहायता**—राष्ट्र के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों जैसे चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट, कागज, उर्वरक तथा अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कुल स्वीकृत सहायता राशि का 76% भाग खर्च किया गया।

(iv) **जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान**—इस प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन समिति पजीकरण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कराया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य नवीन उद्यमकर्ताओं विशेष रूप से तकनीकज्ञों तथा व्यावसायिक व्यक्तियों को मझोले आकार की औद्योगिक परियोजनाओं का प्रवर्तन कराने के लिए ब्याज मुक्त या नाममात्र के सेवा प्रभार पर आवधिक ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करना है।

(v) **प्रबन्ध विकास संस्थान**—निगम ने सहायता दिए जाने वाली औद्योगिक इकाइयों के प्रशासकों को प्रबन्धकीय सलाह प्रदान करने के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना की है।

(vi) **तकनीकी सहायता सेवा**—सन् 1974 से निगम राज्यों की वित्तीय एवं विकासात्मक एजेन्सियों के मध्य स्तरीय एवं वरिष्ठ प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता सेवा प्रदान कर रहा है।

(vii) **पीठिकाओं की स्थापना**—निगम ने देहली विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद में अपनी पीठिकाएँ स्थापित की हैं। संस्थान द्वारा दो और पीठिकाएँ कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा बम्बई विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही हैं। निगम ने चार शोध फेलोशिप प्रदान करने की योजना भी तैयार की है।

(viii) **हिमकोन**—वर्ष के दौरान निगम ने हिमाचल कसलटैसी आरगेनाइजेशन लि० (हिमकोन) नाम की एक नयी तकनीकी परामर्शदात्री संस्था का भी गठन किया। इस संस्था का पजीकृत कार्यालय शिमला में है। 'हिमकोन' नये उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और परियोजना का पता लगाने, परियोजनाएँ तैयार करने, तकनीकी और प्रबन्ध परामर्श तथा मार्गदर्शन आदि क्षेत्रों में नियमित आधार पर कार्य करेगी। निगम ने राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में एक-एक सलाहकार संस्था स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

आलोचना—निगम के गत वर्षों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निगम ने ऋणदाता के साथ-साथ एक विकसित बैंक का भी काम किया है। फिर भी समय-समय पर देश के अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों एवं उद्योग-पतियों ने निगम की कार्य-प्रणाली की निम्न आलोचना की है—

(1) अविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि निगम ने विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा अविकसित क्षेत्रों को कम सहायता दी है।

(2) पक्षपातपूर्ण नीति—निगम केवल उन सस्थाओं की सहायता प्रदान करता है जिसमें उनके संचालक किसी विशेष प्रकार की रुचि रखते हैं।

(3) केवल बड़े उद्योगों की सहायता—निगम केवल बड़े-बड़े उद्योगों को ही सहायता देता है जिससे पूंजी के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है।

(4) अल्प सहायता—निगम द्वारा वित्त वर्षों में केवल 406 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जो देश की औद्योगिक आवश्यकता को देखते हुए कम है।

(5) ऊँची ब्याज दर—निगम द्वारा ली गई ब्याज दर काफी ऊँची है, जिसके कारण बहुत ही कम कम्पनियाँ इससे ऋण लेने की इच्छुक रहती हैं।

(6) रूढ़िवादी कार्य प्रणाली—निगम ने अपना कार्य रूढ़िवादी नीति से चलाया है और ऋण की इच्छुक कम्पनियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया है। छोटे-छोटे टेकनिकल कारणों पर आवेदन-पत्र रद्द कर देना उचित नहीं था।

(7) फिजूलखर्ची—निगम के कार्यालय सम्बन्धी खर्च बहुत अधिक है।

(8) निगम ने योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के विपरीत उपभोक्ता पदार्थों को अधिक ऋण प्रदान किये हैं।

3. राज्य वित्त निगम

(State Financial Corporation)

स्थापना—प्रांतीय स्तर पर छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 28 सितम्बर 1951 को राज्य अर्थ प्रबन्ध अधिनियम (State Financial Act) पास किया जिसके अनुसार राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में अर्थ प्रबन्धन निगम स्थापित करने का अधिकार मिल गया। इस समय हमारे देश में 18 राज्य वित्त निगम कार्य कर रहे हैं।

निगम के कार्य—यह निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है—

(1) औद्योगिक सस्थाओं के लिए अधिक से अधिक 20 वर्ष के लिए ऋण देना अथवा ऋणपत्रों को खरीदना।

(2) औद्योगिक सस्थाओं के निर्गमित अशो व ऋण-पत्रों का अभिगोपन अधिक से अधिक 20 वर्षों के लिए करना।

(3) औद्योगिक सस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों की गारण्टी देना।

(अ) अंश पूंजी—किसी भी राज्य वित्त निगम को अधिकृत पूंजी 50 लाख

रुपए से कम और 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। जनता को निगम से अधिक से अधिक 25% अंश बेचे जा सकते हैं।

(ब) ऋण-पत्र—निगम अपनी चुकता पूंजी एव संचित कोष के 5 गुने तक ऋण-पत्रों को निर्गमन कर सकता है।

(स) रिजर्व बैंक से ऋण—आवश्यकता पडने पर राज्य वित्त निगम रिजर्व बैंक से 18 माह की अवधि के ऋण ले सकते हैं।

(द) जन-निक्षेप—राज्य वित्त निगम जनता में 1 वर्ष या अधिक के लिए निक्षेप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त निक्षेपों की कुल राशि निगम की चुकता पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है।

प्रबन्ध—निगम का प्रबन्ध एक सचालक सभा द्वारा होता है जिसमें 10 सदस्य होते हैं। सचालक सभा को राज्य सरकार एव रिजर्व बैंक के परामर्श एव निर्देशन के अनुसार कार्य करना पडता है।

राज्य वित्त निगम की कार्य प्रगति

31 मार्च 1980 तक देश के 18 राज्य वित्त निगमों की प्रगति से सबधित मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(अ) स्वीकृत एवं वितरित ऋण—मार्च सन् 1980 तक देश के सभी 18 राज्य वित्त निगमों द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि 1571 करोड़ रुपए थी।

(ब) उद्योगानुसार वितरण—उद्योगानुसार वितरण में सबसे अधिक ऋण खाद्य उत्पाद को मिला। इसके बाद वस्त्रोद्योग व रसायन उद्योग आते हैं।

(स) अभिगोपन—मार्च 1975 के अन्त तक 12 राज्य वित्तीय निगमों ने अंशों के अपने अभिगोपन सबधी उत्तरदायित्व की पूर्ति में तथा ऋण पत्रों के अभिदान में 12.5 करोड़ रुपए विनियोजित किए। इसमें अकेले तमिलनाडु औद्योगिक विनियोग निगम का भाग 8 करोड़ रुपए था।

(द) लघु उद्योगों को ऋण—राज्य वित्त निगमों ने लघुस्तरीय क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31 मार्च 1980 तक राज्य वित्त निगमों द्वारा 950 करोड़ रुपए (63.3%) की सहायता लघुस्तरीय उद्योगों को स्वीकृत की गई।

कार्यकारी दल की रिपोर्ट (Report of Working Group on State Financial Corporation)—सन् 1962 में रिजर्व बैंक के द्वारा वित्त निगमों की प्रगति की जाँच करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सन् 1964 के आरम्भ में दी। इस रिपोर्ट के अनुसार 'राज्य वित्त निगमों का मुख्य उद्देश्य छोटे एव मध्य आकार के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना था, जिसे पूरा करने में वे सफल नहीं हो सके।' रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों एवं सुझावों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) केवल ऋण पर अधिक ध्यान—राज्य वित्त निगमों ने अब तक अपने

कार्यों को ऋण देने तक ही सीमित रखा है। ऋणपत्रों में पूंजी लगाने तथा ऋणों की गारण्टी देने की दिशा में बहुत कम प्रगति की है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि इन सभी कार्यों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) नये उद्योगों की ओर कम ध्यान—निगम ने अधिकांशतः परम्परागत उद्योगों को ही ऋण प्रदान किए हैं जिनमें जोखिम की मात्रा कम है। अतः राज्य वित्त निगमों को राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए नवीन उद्योगों को ऋण प्रदान करना चाहिए।

(3) पूंजी का अभाव—इन निगमों के समक्ष पूंजी की सबसे बड़ी समस्या है अतः इन निगमों को अपनी चुकता पूंजी बढ़ानी चाहिए और उसमें निजी सस्थाओं एवं व्यक्तियों के सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(4) ऋण-पत्रों से अधिक निर्गमन का सुझाव—राज्य वित्त निगम की आवश्यकताओं की तुलना में उनके द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों की राशि बहुत कम है। रिपोर्ट ने इसके लिए सुझाव दिया है कि निगमों के उधार लेने की सीमा को चुकता पूंजी के 10 गुना से बढ़ाकर 15 गुना कर देना चाहिए।

(5) जन निक्षेप—बैंक समझौते के अन्तर्गत निर्धारित ब्याज दर से कुछ अधिक दर पर जन निक्षेप प्राप्त करने की सुविधा राज्य वित्त निगमों को दी जानी चाहिए।

(6) ऋणों की जमानत के विषय में उदार दृष्टिकोण—ऋणों की सुरक्षा के विषय में निगमों का दृष्टिकोण अत्यन्त कठोर है। रिपोर्ट के अनुसार, “यदि निगम इस बारे में सन्तुष्ट हो जाये कि प्रस्तावित योजना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ है तथा ऋण चाहने वाले व्यक्ति सच्चरित्र एवं निष्ठावान हैं तो जमानत की प्रकृति एवं सीमा के विषय में कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।”

(7) संचित कोषों का निर्माण—वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दल ने संचित कोषों के निर्माण पर अधिक बल दिया है।

(8) तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव—निगम के पास तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव है। इसके लिए दल ने सुझाव दिया है कि एक अर्थशास्त्री, एक प्रबन्ध विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति निगम द्वारा की जानी चाहिए।

(9) राष्ट्रीय औद्योगिक साख—(दीर्घकालीन सहायता) कोष—राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन सहायता) कोष की भाँति राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन सहायता) कोष की स्थापना का सुझाव दल ने दिया।

(10) ब्याज की दर में वृद्धि—कार्यकारी दल ने निगम द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दरों को लागू करने का सुझाव दिया है।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य वित्त निगम धीरे-धीरे अपने राज्यों के लिए औद्योगिक निगमों का स्थान ग्रहण कर ले तो अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

4. भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation of India)

इस निगम की स्थापना विश्व बैंक के मिशन की सिफारिश पर की गई ताकि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम आकार के उद्योगों का विकास हो सके। यह निगम जनवरी 1955 में एक निजी सीमित कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया।

पूँजी तथा अन्य साधन—निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये है और प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रुपये है। इसमें से केवल 5 करोड़ रुपये की पूँजी निर्गमित एव प्रदत्त है। निर्गमित पूँजी में से 2 करोड़ रुपये के शेयर भारतीय बैंकों व बीमा कम्पनियों द्वारा, 1.5 करोड़ रुपये के शेयर भारतीय जनता द्वारा, 1 करोड़ रुपये के शेयर इंग्लैण्ड के पूँजीपतियों द्वारा और 50 लाख रुपये के शेयर अमेरिकी पूँजीपतियों द्वारा खरीदे गये थे। इस प्रकार यह एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम है जिसकी स्थापना में अनेक देशों में योग दिया है।

अपनी स्वीकृत पूँजी के अतिरिक्त निगम के अन्दर व देश के बाहर से साधन एकत्रित करता रहता है। इसने भारत सरकार, विश्व बैंक व पश्चिम जर्मनी के पुन-निर्माण ऋण निगम से प्राप्त किए हैं।

निगम के कार्य—इस निगम के कार्य निम्नलिखित हैं—

- (1) औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।
- (2) नवीन कम्पनियों के अंश एव प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना।
- (3) निजी क्षेत्रों से आए हुए ऋणों की फिर से गारण्टी देना।
- (4) उद्योगों के विकास और नए आविष्कारों की व्यवस्था करना।
- (5) भारतीय उद्योगों को प्रबन्धात्मक, प्राविधिक एव प्रशासनिक सलाह प्रदान करना।

निगम केवल निजी क्षेत्र के उद्योगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। निगम मुक्तया बड़े उद्योगों को ही आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी न्यूनतम ऋण सीमा 5 लाख रुपये है। ऋण भारत के किसी भाग में स्थापित किसी भी औद्योगिक इकाई को दिया जा सकता है, परन्तु ऋण स्वीकृत करने से पूर्व प्रार्थी कम्पनी की योजना आदि की पूरी जाँच कर ली जाती है।

० निगम के कार्यों की प्रगति

निगम की स्थापना के बाद से लेकर 30 सितम्बर 1980 तक कुल राशि (वास्तविक) जो स्वीकृत हुई और वितरित की गई क्रमशः 1444 करोड़ रु० और 1013 करोड़ रु० थी।

1. **उद्योगानुसार सहायता**—निगम ने रसायन उद्योगों को सर्वाधिक सहायता प्रदान की। उसके बाद धातु उत्पादन यन्त्र निर्माण, विद्युत उपकरण आदि का नम्बर आता है।

2. निगम की कुल वित्तीय सहायता 65% चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व पश्चिमी बंगाल को मिला है जो औद्योगिक क्रियाओं के कुछ राज्यों में ही केन्द्रित होने का सूचक है।

3. निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए— (अ) तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण, (ब) योग्य प्रायोजनाओं का सम्भाव्यता अध्ययन, (स) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। इस कार्य हेतु निगम ने बम्बई कार्यालय में पृथक् से एक प्रायोजना प्रवर्तन एवं विकास विभाग खोला है।

भारतीय औद्योगिक वित्त की वर्तमान विषम परिस्थिति में हम यह आशा कर सकते हैं कि सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से यह निगम अपने उद्देश्य में सफल होगा।

5. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया (Unit Trust of India)

भारत के सामान्य विनियोजकों को उद्योगों में धन लगाने की सुविधा प्रदान करने के लिए, 1 फरवरी सन् 1964 को यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की स्थापना की गई।

यूनिट ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी 5 करोड़ रुपये है, जिसमें 25 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक, 75 लाख रुपए जीवन बीमा तथा 75 लाख रुपये स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक तथा शेष 1 करोड़ की पूंजी अनुसूचित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदी गई है।

उद्देश्य—यूनिट ट्रस्ट के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं—

- (1) मध्यम तथा निम्न आय वर्ग की बचत को प्रोत्साहित करना और फिर इन बचतों को एकत्र करना।
- (2) देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लाभों में उन्हें भी भाग लेने के योग्य बनाना।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यों की प्रगति

यूनिटों की बिक्री—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपनी यूनिटें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बेचता है। अब तक इसने तीन योजनाओं के अन्तर्गत यूनिट बेचे हैं। ये हैं—

(1) यूनिट योजना 1964—इस योजना के अन्तर्गत एक यूनिट का अंकित मूल्य 10 रुपए है। प्रत्येक क्रेता को कम से कम 10 यूनिटें खरीदने होते हैं। इस प्रकार एक क्रेता को न्यूनतम विनियोग 100 रु० का करना होता है। इसी योजना के अन्तर्गत विभिन्न बचत योजनाएँ चलायी गयी हैं, जैसे—

(अ) 1966 की पुनर्निवेश योजना—इस योजना में यूनिट योजना 1964 के अधीन देय लाभांश की राशि का विनियोग स्वचालित आधार पर नयी यूनिटों में किए जाने का प्रावधान है जिससे यूनिटों की संख्या व राशि स्वतः बढ़ती रहे।

(ब) 1970 की बाल-उपहार योजना—इस योजना में वयस्क व्यक्ति द्वारा किसी अवयस्क के पक्ष में यूनिट उपाहारस्वरूप दिए जाने का प्रावधान था। इसके अन्तर्गत बच्चों को उपहार भी दिए जाते थे।

(ii) यूनिट योजना 1971—यूनिट योजना 1971 को यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना कहते हैं। इस योजना को अक्टूबर 1971 से लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत बचतकर्ताओं को बचत के विनियोग पर होने वाले लाभ के साथ-साथ जीवन बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी। यह योजना 18 से 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए ही है। इस योजना के लिए विनियोजित धन की राशि न्यूनतम 3000 रु० से अधिकतम 12000 रु० है जिसे 10 वर्षीय समझौते के अन्तर्गत निश्चित किस्तों में जमा कराना होता है।

(iii) यूनिट योजना 1976—ट्रस्ट की इस योजना को पूंजी यूनिट योजना कहते हैं। इस योजना के अधीन 1 जनवरी 1976 से जनता को पूंजी यूनिटों की बिक्री शुरू की गयी। 1964 व 1971 की यूनिट योजनाओं का उद्देश्य यूनिट-धारकों को नियमित बढ़ती हुई आय दिलाना था। इसके विपरीत 1976 की यूनिट योजना मुख्यतः पूंजी वृद्धि के उद्देश्य से प्रेरित थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह निर्णय लिया गया कि प्राप्ति कोषों को अच्छी विकास सभावनाओं से युक्त कम्पनियों की अश पूंजी में निवेशित किया जाय।

चूँकि इतनी अधिक राशि को उपयुक्त विकास अभिमुख अश पूंजी में निवेशित करने में समय लगता है अतः ट्रस्ट ने अस्थायी तौर पर 22 अप्रैल 1976 से पूंजी यूनिटों की बिक्री को रोक दिया गया।

ट्रस्ट द्वारा तीनों योजनाओं के अन्तर्गत बेचे गये, पुन. खरीदे गए तथा बकाया राशियों का विवरण अलग-अलग निम्नांकित तालिका में दिया गया है—

यूनिटों का कुल विक्रय (प्रमुख योजनाओं में)

(धनराशि करोड़ रुपयों में)

गत वर्ष की अपेक्षा कमी/वृद्धि

वर्ष (जुलाई-जून)	विक्रय-धनराशि (पुस्तक-मूल्य)	लाभाश (प्रतिशत)	विक्रय-राशि (पुस्तक-मूल्य)	लाभाश (प्रतिशत)
(क) यूनिट योजना, 1964				
1964-65	19.1	6.10	—	—
1970-71	18.0	8.00	— 4.8	+ .80
1979-80	48.9	10.00	— 47.2	+ 1.00
1980-81	39.7	11.50	— 9.2	+ 1.50
1981-82	65.0	12.50	+ 25.3	+ 1.00
(ख) यूनिट बीमा योजना, 1971				
1975-76	2.7	7.00	—	—
1979-80	39.0	22.50	+ 4.5	+ .50
1980-81	35.3	8.75	— 3.7	+ .25
1881-82	37.3	9.50	+ 2.0	+ .75

यूनिट ट्रस्ट के कार्यों का मूल्यांकन—जुलाई सन् 1964 से यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों का विक्रय भारतीय मुद्रा बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और लघु बचत कर्ताओं को आकर्षित करने में ट्रस्ट सफल रहा है। ऐसा लगता है कि यूनिट ट्रस्ट ने सुरक्षित आय और अत्यन्त सरल विनियोग का साधन प्रदान कर अपने बहु-संख्यक विनियोजकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है। आशा है कि इसकी प्रगति सतोषजनक ही रहेगी। सन् 1971 में यूनिट बीमा योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को निरन्तर बचत की प्रेरणा देना और उसी के साथ बीमा सुविधाएँ प्रदान करना है। परन्तु इसके कार्यकलापों को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार दिये जा सकते हैं—

(1) विनियोजकों की अभिरुचि के अनुकूल विभिन्न प्रकार की यूनिट योजनाएँ बनानी चाहिए।

(2) सरकार को, ट्रस्ट को ब्याज-मुक्त ऋण विपुल मात्रा में देना चाहिए, ताकि वह आकस्मिकताओं का लाभ उठा सके।

(3) अन्य वित्त सस्थाओं के सहयोग से ट्रस्ट को जनता की विनियोग सम्बन्धी आदतों का अध्ययन करना चाहिए।

अन्ततोगत्वा ट्रस्ट की भावी सफलता निम्न मध्यमवर्गीय विनियोजकों के निरन्तर समर्थन पर ही निर्भर रहेगी।

परीक्षा-प्रश्न

1. आधुनिक उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को संक्षेप में समझाइए। भारतीय उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए कौन-सी विभिन्न सस्थाएँ हैं ?

2. भारत सरकार ने सन् 1974 के पश्चात् जो साख तथा वित्तीय सुविधाएँ भारतीय उद्योगों के लिए खोली हैं, उनका उल्लेख कीजिए।

अथवा

भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए।

3. भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सविधान तथा उनकी कार्यविधि को समझाइए। इसकी श्रेष्ठ कार्यविधि के लिए सुझाव दीजिए।

[संकेत—औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना एवं उसकी कार्य-प्रणाली का वर्णन देते हुए सुझाव दीजिए।]

4. भारत में योजनाकाल में स्थापित औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न सस्थाओं के नाम बताइए। औद्योगिक विकास बैंक के उद्देश्यों एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

[संकेत—औद्योगिक वित्त की विभिन्न सस्थाओं के नामों बताते हुए औद्योगिक विकास बैंक के उद्देश्य व कार्यों का वर्णन कीजिए।]

5. भारत में उद्योगों के लिए सस्थागत वित्त व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिये।

[संकेत—इसमें विभिन्न वित्त सस्थाओं का संक्षिप्त विवरण देना है।]

भारत की तट-कर अथवा प्रशुल्क नीति (India's Tariff or Fiscal Policy)

किसी देश के आयात व निर्यात पर लगाये जाने वाले करों से सम्बन्धित नीति को तट-कर नीति अथवा प्रशुल्क नीति कहते हैं। प्रशुल्क करों में प्रायः आयात करों की ही प्रधानता होती है, यद्यपि समय-समय पर निर्यात कर भी लगाये जाते हैं। आयात करों को लगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं—(क) सरकार के लिए आय प्राप्त करना, (ख) घरेलू उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करना।

ऐतिहासिक विकास

भारत की दूसरे महायुद्ध से पूर्व की तट-कर नीति—भारत सरकार की प्रशुल्क नीति प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक व्यापार में हस्तक्षेप न करने की थी। अर्थात् व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था और स्वतन्त्र व्यापार ही पूर्णरूप से चल रहा था। परन्तु युद्धकाल और युद्धोत्तरकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, जिनके कारण स्वतन्त्र व्यापार नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। ये परिवर्तन इस प्रकार थे—

(1) युद्ध के समय में भारत सरकार ने अपनी बढ़ती हुई आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात-कर में वृद्धि की, परन्तु उत्पादन-कर में वृद्धि नहीं की। इससे भारतीय उद्योगों को कुछ अंश में प्रोत्साहन मिला, फिर भी पर्याप्त औद्योगिक विकास न होने से शासकों को युद्ध-संचालन में कई कठिनाइयाँ प्रतीत हुईं और उन्हें स्वतन्त्र व्यापार-नीति की कमियाँ दिखाई देने लगी।

(2) सन् 1916 के औद्योगिक आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि “भारत के औद्योगिक विकास में सरकार को सक्रिय भाग लेना चाहिए जिससे भारत मनुष्य एवं सामग्री की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सके।”

(3) इन दिनों स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा और अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति की बड़ी निन्दा होने लगी। भारतीयों ने उन देशों का अनुकरण करना चाहा, जिनकी औद्योगिक प्रगति संरक्षण नीति के द्वारा हुई थी।

उपर्युक्त कारण से भारत में प्रशुल्क-नीति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में ससद

मे विचार किया जाने लगा। सन् 1917 में इंग्लैण्ड की ससद ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-ही-साथ प्रशुल्क नीति निर्णय में भी भारत को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। सन् 1919 के राजकोषीय स्वतन्त्रता प्रस्ताव (Fiscal Autonomy Convention) में भी यह निर्णय हुआ कि भारत के आर्थिक मामलों में भारत सचिव हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही ऐतिहासिक प्रशुल्क स्वतन्त्रता प्रस्ताव ऐतिहासिक माना जाता है और यही से भारतीय प्रशुल्क नीति की नींव पडती है।

विभेदात्मक सरक्षण की नीति

(The Policy of Discriminating Protection)

प्रशुल्क आयोग, सन् 1921—फरवरी सन् 1921 में ससद ने प्रशुल्क नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया तथा प्रशुल्क नीति पर विचार करने के लिए एक प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया। इस प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष, इब्राहीम रहमत उल्ला थे। इसके सम्मुख मुख्य रूप में दो प्रश्न रखे गये—

(अ) भारत सरकार की प्रशुल्क नीति का अध्ययन करे, तथा

(ब) साम्राज्य के पक्षपात (Imperial Preference) सिद्धांत के औचित्य पर विचार करे और तदुपरान्त अपने सुझाव दे।

आयोग की सिफारिशें—इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् 1922 में प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय उद्योगों को विभेदात्मक सरक्षण दिये जाने की नीति की सिफारिश की थी। विभेदात्मक सरक्षण की नीति से अभिप्राय यह था कि सभी उद्योगों को बिना सोचे-समझे सरक्षण नहीं देना चाहिए, बल्कि सरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को दिया जाना चाहिए जो तीन शर्तों को पूरा करते हैं—

(अ) नैसर्गिक लाभ—उद्योग को प्राकृतिक मुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिये, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, सस्ती शक्ति आदि।

(ब) संरक्षण की अनिवार्यता—उद्योग ऐसा होना चाहिए कि जिसका विकास बिना सरक्षण के सम्भव नहीं है, परन्तु जिनका विकास देश के हित में अत्यन्त आवश्यक है।

(स) अस्थायी संरक्षण—उद्योग ऐसा होना चाहिये जो अन्ततः बिना सरक्षण के विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सके।

आयोग की अन्य सिफारिशें—इस आयोग ने उक्त तीनों शर्तों के अलावा, कुछ अन्य शर्तों का भी सुझाव दिया था, जिसमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—

(१) आधारभूत उद्योगों तथा सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों को सरक्षण अवश्य मिलना चाहिए।

(२) उद्योग इस प्रकार का हो जो कम कीमत पर अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके।

(३) उद्योग ऐसा होना चाहिए कि वह निश्चित समय में देश की समूची आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

(4) एक प्रशुल्क-मण्डल (Tariff Board) का सगठन होना चाहिये, जो सरक्षण के लिये प्रार्थी उद्योगों की आवश्यक जाँच कर सरक्षण के सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक सलाह दे सके।

विभेदात्मक सरक्षण की सफलताएँ—सन् 1923 में भारत में सरकार ने आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सन् 1924 में प्रथम प्रशुल्क मंडल की स्थापना कर दी गई। यद्यपि विभेदात्मक सरक्षण की नीति बहुत लाभदायक नहीं थी, फिर भी विदेशी सरकार द्वारा इस नीति का अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस नीति की मुख्य-मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं—

(अ) औद्योगिक विकास—इस नीति के परिणामस्वरूप देश के औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिला। इस नीति के अधीन भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग तथा कृत्रिम रेशा उद्योग को क्रमशः 1924, 1925, 1926, 1932 और 1934 में सरक्षण दिया गया और इन उद्योगों ने काफी प्रगति की।

सन् 1922-39 के सत्रह वर्षों की अवधि में लोहा-इस्पात का उत्पादन आठ गुना व सूती वस्त्रों का ढाई गुना हो गया। दियासलाई का उत्पादन 38% तथा कागज का 180% बढ़ गया। चीनी का उत्पादन सन् 1922 में केवल 24,000 टन था जो 1938 में बढ़कर 9,31,000 टन हो गया।

(ब) सहायक उद्योगों का विकास—इस नीति के अन्तर्गत उपर्युक्त सरक्षित उद्योगों पर निर्भर कुछ नये उद्योग स्थापित हुए, जैसे—

(1) लौह एव इस्पात उद्योगों के विकास से टिन-प्लेट, तार एव कृषि औजार उद्योगों को बढ़ावा मिला।

(ii) सूती-वस्त्र-उद्योग ने केवल स्टार्च उद्योगों को विकसित किया।

(iii) कागज उद्योग के कारण सैलूलोज (Cellulose) उद्योग उन्नत हुआ।

(स) रोजगार में वृद्धि—सरक्षण-नीति के कारण देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि हुई। सन् 1923 से 1937 तक सरक्षित उद्योगों में रोजगार लगभग ड्योढा हो गया।

(द) मन्दी का कम प्रभाव—जैसा कि विदित है, सन् 1930 में विश्व-व्यापी मन्दी आयी और इसके परिणामस्वरूप जब अन्य उद्योग, जिन्हें सरक्षण का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था, घोर मन्दी की ज्वाला से झुलसते चले जा रहे थे, तब सरक्षित उद्योग अपना विकास कर रहे थे। मन्दी काल में भी उत्पादन में वृद्धि होना, विभेदात्मक सरक्षण नीति की सफलता का पर्याप्त प्रमाण है।

(य) कच्चे माल का उत्पादन बढ़ा—सूती कपड़े तथा चीनी उद्योगों को सरक्षण प्राप्त होने के कारण गन्ना और कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि कच्चे माल की माँग बढ़ गई थी। इन दोनों वस्तुओं की किस्म में भी सुधार हुआ।

विभेदात्मक सरक्षण-नीति की आलोचना—यद्यपि इस नीति से देश के कुछ

उद्योग-धन्धो को विशेष लाभ हुआ, तथापि यह नीति पूर्णतः दोषमुक्त नहीं थी। इस नीति के मुख्य-मुख्य दोष निम्नलिखित हैं—

(1) असन्तुलित विकास (Lopsided development)—सरक्षण को सामान्य आर्थिक विकास का साधन मानकर केवल विशेष उद्योगों को विदेशी प्रति-योगिता से बचाया गया। इससे देश का औद्योगिक विकास असन्तुलित रहा।

(2) कड़ी शर्तें—त्रिसूत्रीय सिद्धान्त को बहुत कड़ाई के साथ लागू किया गया, जैसे कच्चे माल की कमी बताकर काँच उद्योग को सरक्षण नहीं दिया गया। इस प्रकार केवल विस्तृत घरेलू बाजार पर ही ध्यान दिया गया और निर्यात की सभावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए, इजन उद्योग (Locomotive Industry) को सरक्षण नहीं मिला।

(3) नये उद्योगों की उपेक्षा—विभेदात्मक सरक्षण की नीति केवल चालू उद्योगों पर ही लागू की गई। ऐसे उद्योग जो अभी अकुरित ही हुए थे, वे इससे कुछ भी लाभ नहीं उठा सके।

(4) प्रशुल्क बोर्ड का अस्थायी गठन और उसके सीमित अधिकार—वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल अस्थायी प्रशुल्क बोर्डों की स्थापना की गई, जिससे प्रशुल्क नीति में नियमितता और समानता नहीं आ सकी और सचित अनुभव का उपयोग नहीं हो सका। बोर्ड के अधिकार भी सीमित थे।

(5) अन्य दोष—

(i) सरक्षण-नीति के कार्यान्वित करने में बहुत समय लगता था।

(ii) इस नीति के कारण अनावश्यक करों की भरमार हो गई और करदाता पर जितना करभार लदा गया उतना उसे लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) सिद्धांत रूप में भारत प्रशुल्क नीति में स्वतन्त्र था, किन्तु व्यवहार में भारत को पूर्णतः विदेशी शासकों पर निर्भर रहना पड़ता था।

(iv) औद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

विभेदात्मक सरक्षण नीति के ये सब दोष देखते हुए कहा गया, “विभेद था, सरक्षण नहीं था।” (All discrimination on protection) प्रो० बी० पी० अदारकर के शब्दों में, “इसमें उद्योगों को बड़ी ही अनिच्छा और उदासीनता से अपूर्ण सहायता दी और उन्हें प्रायः अपने पैरों पर ही रहना पड़ा।”

निष्कर्ष—उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी विभेदात्मक सरक्षण द्वारा देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिली। सरक्षण नीति की आलोचना करते समय यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि उस समय भारत परतन्त्र था और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन सम्भव नहीं होता था। अतः विभेदात्मक सरक्षण केवल दो परस्पर विरोधी विचारों का समायोजन था और इसका उद्देश्य केवल यह था कि विदेशी हितों की रक्षा की जा सके तथा भारत को कुछ उत्तरदायित्व एवं सम्मान प्राप्त हो सके। अतः विभेदात्मक सरक्षण-नीति का उचित मूल्यांकन करने के लिये उपर्युक्त पृष्ठभूमि को सदा ध्यान में रखना चाहिये।

युद्ध एव युद्धोत्तरकाल मे प्रशुल्क नीति (War and Post-war Tariff Policy)

विभेदात्मक सरक्षण नीति द्वितीय महायुद्ध तक चलती रही। युद्धकाल मे आयात-नियन्त्रण के कारण सरक्षण देने की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन युद्ध के पहले जिन उद्योगो को सरक्षण दे दिया गया था, वह चालू रहा। युद्ध से नये उद्योगो की स्थापना की प्रेरणा मिली और सरकार ने सन् 1940 मे पुन घोषणा की कि जो उद्योग दृढ व्यापारिक नीति का पालन करेगे उन्हें सरक्षण प्रदान किया जायेगा। इससे भारत मे टैरिफ सरक्षण का क्षेत्र विस्तृत हो गया। लेकिन, क्योकि एक दीर्घकालीन टैरिफ नीति का निर्माण तथा एक स्थायी मशीनरी की व्यवस्था करने मे बहुत देर लग जाती है, इसीलिए भारत सरकार ने 3 नवम्बर, सन् 1945 ई० को एक अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड (Interim Tariff Board), युद्धकाल मे स्थापित हुए उद्योगो को सरक्षण देने के दावो की जाँच-पडताल करने के लिए नियुक्त किया।

सरक्षण के लिए चुनाव करते समय अन्तरिम बोर्ड ने निम्न बातो पर विशेष ध्यान दिया—

(अ) उद्योग उचित व्यापारिक ढग पर चलाया जा रहा है या नहीं।

(ब) उद्योग उचित समय के भीतर पर्याप्त विकास कर सकेगा या नहीं, जिससे सरक्षण के बिना भी कार्य चल सके।

(स) उद्योग को सहायता देना राष्ट्रीय हित मे होगा या नहीं।

इस बोर्ड ने मार्च सन् 1949 से अगस्त सन् 1847 तक लगभग 42 उद्योगो के दावो की जाँच की।

पुनर्गठित प्रशुल्क बोर्ड—(1947 ई०) देश के विभाजन के पश्चात् नवम्बर, सन् 1947 मे उपर्युक्त प्रशुल्क बोर्ड का पुनर्संगठन किया गया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया। अन्तरिम प्रशुल्क के कार्यों के अतिरिक्त, इसे निम्न कार्य और दिये गये—

(1) आवश्यकता पडने पर सरकार को यह बताना कि आयात की कई वस्तुओ की अपेक्षा सरक्षण प्राप्त वस्तुओ की लागत क्यो तथा किस समय से बढ रही है ?

(2) सरकार को ऐसे उपाय बताना जिनसे आन्तरिक सरक्षण कम से कम व्यय करके दिया जा सके।

(3) सरक्षित उद्योगो की प्रगति पर निरन्तर निगाह रखना।

पुनर्गठित प्रशुल्क बोर्ड के कार्य-कलापो की विशेषताएँ—

(1) बोर्ड ने इस्पात, वस्त्र, कागज, सुपरफासफेट, लोहे की चद्दर इत्यादि उद्योगो की लागत व्यय एव बिक्री मूल्य की छानबीन की।

(2) सरक्षण देने के लिए मूल्यानुसार-कर और परिमाण-कर, दोनो ही का उपयोग किया गया।

(3) इस अवधि मे जिन उद्योगो को सरक्षण दिया गया, उनमे अल्यूमिनियम,

एण्टीमनी, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, ऐश, साइकिल, सिलाई की मशीन क्लोराइड आदि प्रमुख है।

(4) बोर्ड ने सूती कपडा व सूत, इस्पात, कागज तथा चीनी उद्योग पर से सरक्षण हटाने का सुझाव दिया, फलस्वरूप इन उद्योगों पर से सरक्षण हटा लिया गया।

(5) बोर्ड ने न केवल आयात करो द्वारा, वरन् आर्थिक सहायता तथा अन्य सरकारी मदद के द्वारा सरक्षण देने का सुझाव दिया।

भारत की नवीन तट-कर नीति

अथवा

भारत की वर्तमान तट-कर नीति

भारत की वर्तमान प्रशुल्क-नीति, प्रशुल्क आयोग (1949-50) ने निर्धारित की थी। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद अप्रैल, सन् 1948 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सरकार की प्रशुल्क नीति के बारे में कहा गया कि सरकार अनुचित विदेशी प्रतियोगिता रोकेगी और उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ डाले बिना आर्थिक साधनों का उपयोग करने में मदद देगी। अतः, अप्रैल, सन् 1949 में एक प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की गई, जिसको बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रख कर सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसे द्वितीय प्रशुल्क आयोग भी कहते हैं।

आयोग को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी—

(1) सरक्षण के विषय में सरकार की भावी नीति क्या होगी तथा जिन उद्योगों को सरक्षण दिया जाय उनके क्या उत्तरदायित्व होंगे।

(ii) नवीन प्रशुल्क नीति को कार्यान्वित करने के लिए किस प्रकार के सगठन की आवश्यकता होगी।

(iii) इस नीति को प्रभावशाली बनाने वाली कोई अन्य बात।

आयोग ने जुलाई, सन् 1950 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सरकारी नीति को ध्यान में रखकर यह मान लिया था कि भारत में योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था होगी। इस आधार पर आयोग ने अपनी सिफारिशें की हैं।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें (नई प्रशुल्क नीति की विशेषताएँ)—प्रशुल्क आयोग ने उद्योगों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की जाँच करने तथा उन्हें सरक्षण और सहायता देने के लिए कुछ सिद्धान्त बनाये। इन सिद्धान्तों के अनुसार उद्योगों को तीन भागों में बाँटा गया—

(1) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग—इस वर्ग के उद्योगों को उनके राष्ट्रीय महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरक्षण दिया जाना चाहिये, चाहे इस सरक्षण अथवा सहायता का भार कितना ही हो।

(2) आधारभूत तथा मूल उद्योग—इस श्रेणी के उद्योगों को भी सरक्षण

दिया जाना चाहिये। सरक्षण की प्रकृति, मात्रा तथा शर्तों का निश्चय प्रशुल्क बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) अन्य उद्योग—अन्य उद्योगों को सरक्षण देने के लिए दो बातों पर विचार किया जाना चाहिए—

(अ) वास्तविक व सम्भाव्य लागत का, जिससे उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

(ब) समाज पर उनका भार अत्यधिक नहीं पड़ना चाहिये।

सरक्षण की शर्तें—आयोग ने सरक्षण के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया, जो इस प्रकार हैं—

(1) कच्चे माल की उपलब्धि—सरक्षण देते समय कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता पर जोर नहीं देना चाहिए। यदि उद्योग को अन्य आर्थिक लाभ, जैसे आंतरिक बाजार तथा श्रम की प्राप्ति हो, तो सरक्षण दिया जा सकता है।

(2) भावी निर्यात की संभावनाएँ—सरक्षण देते समय भावी निर्यात की सम्भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

(3) घरेलू माँग-पूर्ति की क्षमता—किसी भी उद्योग को सरक्षण देते समय यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि वह सम्पूर्ण देशी माँग की पूर्ति करेगा।

(4) क्षतिपूरक संरक्षण—सरक्षित उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल को, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को क्षतिपूरक सरक्षण (Compensating Protection) दिया जाना चाहिए।

(5) कृषि संरक्षण—राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कृषि-पदार्थों को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए, परन्तु सरक्षण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(6) नये उद्योगों को संरक्षण—ऐसे नये उद्योगों को भी सरक्षण दिया जाय, जिनमें भारी पूँजी लगानी होती है, लेकिन विदेशी प्रतिस्पर्धा का भय बना रहता है।

(7) उत्पादन कर—सरक्षित उद्योगों पर यथासम्भव सरकार को उत्पादन कर (Excise duties) नहीं लगाना चाहिये।

(8) विकास निधि—सरक्षण करो से प्राप्त होने वाली आय के कुछ अंश को प्रति वर्ष एक विकास-कोष (Development Fund) में जमा करना चाहिए। इस निधि से उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

सरक्षित उद्योगों के कर्तव्य—उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से आयोग ने सरक्षित उद्योगों के लिए कुछ विशेष दायित्वों का भी उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं—

(अ) सरक्षित उद्योगों को अपने उत्पादन का पैमाना निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिये।

(ब) वस्तु की किस्म, निश्चित किये गये नमूने के अनुसार होनी चाहिए।

(स) उद्योगों की नवीनतम मशीनों व पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए।

(द) सरक्षण प्राप्त उद्योगों में शोधकार्य व टेकनीकल शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(य) जहाँ तक सम्भव हो स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग करना चाहिए ।

(र) सरक्षित उद्योगों द्वारा समाज विरोधी नीतियों को नहीं अपनाया जाना चाहिए ।

स्थायी प्रशुल्क आयोग—इस आयोग ने एक प्रशुल्क-आयोग (Tariff Commission) की स्थापना की सिफारिश की । प्रशुल्क आयोग एक स्थायी संस्था होगी जो अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) आधार पर कार्य करेगी ।

प्रशुल्क आयोग (Tariff Commission)

भारत सरकार ने तट-कर आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली और उन्हें कार्यरूप देने के लिए सन् 1952 में एक स्थायी प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया गया ।

प्रशुल्क आयोग के कार्य—

- (1) किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरक्षण मजूर करना ।
- (2) आयात-निर्यात कर एवं अन्य करों में परिवर्तन प्रस्तावित करना ।
- (3) राशिपातन के विरुद्ध कार्यवाही एवं सरक्षित उद्योगों द्वारा सरक्षण के दुरुपयोग की जाँच करना ।

(4) जीवन-स्तर तथा सामान्य मूल-स्तर पर सरक्षण का प्रभाव देखना ।*

(5) सरक्षण से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों पर विचार करना ।

प्रशुल्क आयोग के कार्यकलापों का विवरण—(नयी सरक्षण नीति की कार्य-शीलता)—प्रशुल्क आयोग देश के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहा है । इसने बहुत-सी जाँच-पड़ताल करके उचित सिफारिशें की हैं ।

आयोग की सिफारिशों पर जिन उद्योगों को पहली बार संरक्षण मिला है, उनमें निम्न महत्वपूर्ण उद्योग सम्मिलित हैं—आटोमोबाइल्स एवं तत्सम्बन्धी पुर्जे, बाल बियरिंग, आटोमोबाइल हेड टायर इन्फ्लेटर्स, शक्ति और वितरण परिवर्तक, टिटेनियम डायोक्साइड, रंग, कास्टिक सोडा, रंग उड़ाने का चूर्ण आदि ।

सरकार ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि अल्युमिनियम और रंग सामग्री के उद्योगों का सरक्षण 31 दिसम्बर, सन् 1971 तक बढ़ाया जाय और रंग बनाने के काम आने वाली 50 मध्यवर्ती वस्तुओं को भी सरक्षण दिया जाय ।

राव समिति की रिपोर्ट—डॉ० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में तट-कर आयोग के काम के बारे में समीक्षा करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिए हैं । कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अग्रलिखित प्रकार हैं—

(i) जिन उद्योगों पर से सरक्षण हटा लिया गया है, उसके दो-तीन वर्ष बाद उनकी स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए।

(ii) वैधानिक मूल्य नियन्त्रण (Statutory Price Control) लागू करने के लिए मूल्यों की जाँच का काम आमतौर पर प्रशुल्क आयोग को सौंपा जाना चाहिए।

(iii) आयोग को किसी उद्योग की जाँच करते समय यह पता लगाना चाहिए कि उद्योग की लागत अधिक क्यों है और उसे कम करने के लिए क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं।

प्रशुल्क या तट-कर पुनर्विचार समिति—इस समिति की तीसरी और अन्तिम रिपोर्ट 28 फरवरी, सन् 1978 को प्रस्तुत की गई। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्न थी—

(1) आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची, मुख्य मदों के संशोधित सीमा-शुल्क तट-कर पर आधारित होनी चाहिए।

(ii) नये उपशोर्षक खोलते समय 'परिशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण' को ध्यान में रखना चाहिए।

(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क और तट-कर अनुसूचियाँ यथासम्भव एक-सी होनी चाहिये।

इस समिति ने अपना ध्यान मुख्यतः इस बात पर दिया कि आयात व्यापार नियन्त्रण की व्यवस्था किस तरह की जाये और आयात लाइसेन्स किस तरह लिखे जायँ, जिससे कस्टम में माल छुड़ाते समय कम-से-कम असुविधा हो और समय भी कम लगे।

प्रशासकीय सुधार आयोग का विश्लेषण

प्रशासकीय सुधार आयोग के द्वारा प्रशुल्क आयोग के बारे में कुछ उपाय बताये गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(1) तट-कर आयोग के स्थान पर नया आयोग—मूल्य लागत और तट-कर आयोग को गठित करना चाहिये जिसे निम्न कार्य दिया जाना चाहिए—(अ) मूल्य की उचित नीति निर्धारण में सरकार को मदद करने के लिए औद्योगिक उत्पादनों, कच्चे पदार्थों व मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना, (ब) कुछ औद्योगिक उत्पादनों की लागत का अध्ययन कर लागत में कमी करने के लिए सुझाव देना तथा (स) तट-कर संरक्षण के बारे में जाँच करना और सरकार को परामर्श देना।

(2) नये आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 6 होनी चाहिए और अध्यक्ष के चयन में गैर अधिकारी, योग्य और सक्षम व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सरकार ने लागत और मूल्यों की समस्या सुलझाने के लिए 'औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो' स्थापित करने का फैसला किया है लेकिन तट-कर आयोग को प्रति-स्थापित करने को मंजूर नहीं किया।

परीक्षा-प्रश्न

1. भारत की विभेदात्मक सरक्षण नीति पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए ।
2. भारत की वर्तमान प्रशुल्क नीति की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए ।
3. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की भारत की प्रशुल्क नीति पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए ।

भारत का विदेशी व्यापार

(Foreign Trade of India)

संक्षिप्त इतिहास

(1) सन् 1930 के पहले भारत का विदेशी व्यापार—अति प्राचीन काल से ही भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत की बनी हुई वस्तुओं, जैसे सूती कपड़े, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, इत्र, गरम मसाला आदि की माँग मिस्र, यूनान, रोम तथा ईरान आदि स्थानों में बहुत अधिक थी। इसी व्यापार के लिए भारत ने स्याम, जावा, सुमात्रा और मलाया में अपने उपनिवेश बनाए थे। देश का विदेशी व्यापार उन दिनों जल और स्थल, दोनों ही मार्गों से होता था। भारत में प्राचीन काल में आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी हमारे व्यापार का भुगतान सोना-चाँदी में करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश में करोड़ों रुपए का सोना आ जाता था।

विदेशी व्यापार का परिमाण और विस्तार मुगल शासन काल में और भी बढ़ा। अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसका सारा ढाँचा ही बदल गया। विदेशी सरकार ने ऐसी नीति अपनायी कि देश के उद्योग धन्धे शनैः शनैः नष्ट होने लगे और भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया। भारत, इंग्लैंड के निर्मित माल का आयात करने वाला तथा कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया। संक्षेप में, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ इस प्रकार हो गयीं—

(अ) हम सामान्यतः निर्मित वस्तुओं का आयात करते थे और कच्चे माल का निर्यात करते थे।

(ब) भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर इंग्लैंड और कामनवेल्थ देशों (Commonwealth Countries) से होता था।

(स) हमारे निर्यात, सदैव ही आयात से अधिक होते थे जिसके फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन हमेशा ही हमारे पक्ष में रहता था।

(द) विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। इस वृद्धि के प्रमुख कारण थे स्वेज नहर का निर्माण और परिवहन साधनों में उन्नति।

(2) विश्व व्यापी आर्थिक मन्दी (1929-30) एवं भारत का विदेशी व्यापार-भारत के विदेशी व्यापार पर सन् 1929-30 की भयानक आर्थिक मन्दी का बहुत ही विपरीत प्रभाव पडा। निर्यात की मात्रा में बहुत कमी आ गई। आयात की जाने वाली वस्तुओं में निर्यात वस्तुओं का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होने लगा तथा कच्चे पदार्थों तथा खाद्यान्नों का प्रतिशत बढ़ने लगा। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा, कच्चे पदार्थों व खाद्यान्नों की प्रधानता बनी रही। नीचे की सारणी के अंको से भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में हुए परिवर्तन का स्पष्ट पता चलता है—

वस्तुएँ	कुल आयात के प्रतिशत में		कुल निर्यात के प्रतिशत में	
	1920-21	1938-39	1920-21	1938-39
खाद्यान्न, पेय एवं तबाकू	11.0	15.7	28.0	27.8
कच्चा माल	5.0	21.7	35.0	34.1
निर्मित माल	84.0	62.6	37.0	38.1
	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत के आयात व्यापार में इंग्लैंड का हिस्सा सन् 1913-14 में 64% था, जो घटकर सन् 1933-34 में 42% और सन् 1938-39 में 25% रह गया। निर्यात व्यापार में भी इंग्लैंड का हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा था। सन् 1923-24 के बाद जर्मनी के साथ भारत के व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

(3) द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-45) में भारत का विदेशी व्यापार—सन् 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। इस महायुद्ध ने भारत के विदेशी व्यापार में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(अ) विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन—निर्मित वस्तुओं के निर्यात के परिमाण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और हमारे निर्यातों में कच्चे मालों का प्रतिशत घट गया। अब रुई के स्थान पर सूती वस्त्र, जूट के स्थान पर निर्मित माल, तिलहन के स्थान पर वनस्पति तेल एवं खालों के स्थान पर चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात होने लगा। इस प्रकार कच्चे पदार्थों का निर्यात सन् 1924-25 में जो कुल निर्यात व्यापार का 50% था, घटकर सन् 1941-42 में केवल 28% ही रह गया।

(ब) विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन—अमेरिका एवं ब्रिटिश सामनवेल्थ देशों के साथ हमारा व्यापार पूर्ववत् रहा लेकिन शत्रु राष्ट्रों से व्यापार बिल्कुल बन्द हो गया। तटस्थ राष्ट्रों के साथ व्यापार में भी कई तरह की रुकावटें आ गईं। मध्य पूर्वी एशियाई देशों को भारत के निर्यात बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि जर्मनी, इंग्लैंड व जापान से आयात बन्द हो गया था।

(स) व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता में वृद्धि—चूँकि युद्ध-काल में, निर्यात में आयात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, इसलिए व्यापार सन्तुलन भारत के अनुकूल रहा और पौंड पावने (Sterlin Balances) की राशि बहुत अधिक जमा हुई।

(1) विदेशी व्यापार का आकार और मूल्य—व्यापार के आकार से आशय किसी देश द्वारा आयात-निर्यात की गई समस्त वस्तुओं की भौतिक मात्रा से है। जैसे 1981-82 के दौरान भारत ने 2120 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया अथवा इसी वर्ष 230 लाख टन लोहा चूर्ण का आयात किया गया। विदेशी व्यापार को सामान्यतः मूल्य के रूप में ही व्यक्त किया जाता है।

सन् 1950 से भारत के विदेशी व्यापार में मूल्य एवं आकार दोनों ही दृष्टियों से वृद्धि हो रही है। इससे भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार के बढ़ते महत्त्व का स्पष्ट बोध होता है। सन् 1950-51 के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

चुने हुए वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार का मूल्य

(करोड़ ₹०)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1950-51	650 21	600*64	—48*57
1955-56	678 48	596*32	—82*52
1960-61	1121 62	642*07	—479*55
1965-66	2218*40	1268 90	—649*50
1970-71	1934*20	1535*16	—99*04
1975-76	5265*20	4042*80	—1222*40
1976-77	5073*80	5143*20	—+ 59 40
1979-80	9021*75	6458*77	—3562*98
1980-81 (अनुमानित)	12434*58	6708*84	—5725*74

विदेशी व्यापार के मूल्य में वृद्धि होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

(अ) पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में मशीनों तथा पूंजीगत माल के आयात की आवश्यकता है।

(ब) विभाजन के बाद कपास और जूट के आयात में वृद्धि।

(स) खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि।

(द) आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।

आयातों में वृद्धि—पञ्चवर्षीय योजना काल में भारत के आयातों में तीव्र गति से वृद्धि हुई क्योंकि विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा में मशीनरी, परिवहन, उपकरण तथा खाद्यान्न आदि वस्तुओं का आयात करना पड़ा। सन् 1950-51 में 650 21 करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात किया गया जो 1980-81 में 12438 58 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार 1980-81 की अवधि में आयात लगभग बारह गुने से भी अधिक हो गया।

निर्यातों में वृद्धि—योजनाकाल में निर्यातों में सबवर्द्धन हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए जिसके फलस्वरूप निर्यातों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 में 690.64 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया जो बढ़कर 1980-81 में 6708.84 करोड़ रुपये हो गया।

व्यापार सतुलन—उपर्युक्त सारणी के अंकों से यह भी स्पष्ट होता है कि 1976-77 को छोड़कर भारत का व्यापार सतुलन सदैव प्रतिकूल रहा है। सन् 1950-51 में व्यापार सतुलन में घाटा 48.57 करोड़ रुपये था जो 1980-81 में बढ़कर 5725 74 करोड़ रुपये हो गया। प्रतिकूल व्यापार सतुलन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

(i) देश विभाजन के फलस्वरूप जूट कपड़ा एवं खाद्यान्नों का अधिक आयात करना पड़ा जिससे व्यापार सतुलन प्रतिकूल होता गया।

(ii) देश के आर्थिक विकास हेतु अनेक प्रकार की विकास सामग्री का आयात करना पड़ता है, जिससे व्यापार सतुलन प्रतिकूल रहने लगा।

(iii) चीन एवं पाकिस्तान के युद्ध के कारण बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री का आयात करना पड़ा है।

(iv) खाद्य समस्या के निवारण हेतु प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा जिससे व्यापार सतुलन की प्रतिकूलता बढ़ती रही।

(v) भारत के निर्यात विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के कारण अधिक नहीं बढ़ पाए।

(vi) देश में हड़ताल, तालाबन्दी, अकाल एवं बाढ़ के कारण उत्पादन कम हो जाता है, फलस्वरूप अनेक वस्तुएँ विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं।

(2) **विदेशी व्यापार का स्वरूप या संरचना**—विदेशी व्यापार की संरचना से आशय आयात-निर्यात की वस्तुओं से है।

भारत के प्रमुख निर्यात—स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए हैं। भारत के प्रमुख निर्यात का हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं, जैसा कि आगे चार्ट द्वारा दर्शाया गया है।

भारत के निर्यात-आयात

निर्यात		आयात
परंपरागत निर्यात	गैर-परंपरागत निर्यात	
1. जूट की वस्तुएँ	1. शक्कर	1. खाद्यान्न
2. चाय	2. इजीनियरिंग वस्तुएँ	2. मशीनरी
3. सूती वस्त्र	3. कच्चा लोहा	3. खनिज तेल
4. काजू की गिरी	4. चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएँ	4. लोहा एवं इस्पात
5. खली	5. मछली तथा मछली से बनी वस्तुएँ	5. कपास
6. मसाले	6. मोती-हीरे	
7. तम्बाकू	7 लोहा व इस्पात	
	8. रासायनिक	
	9. चाँदी	

(अ) परंपरागत निर्यात—भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख परम्परागत वस्तुएँ निम्नलिखित हैं—

1. **जूट की वस्तुएँ**—(1) **परिचय**—जूट भारत का परम्परागत निर्यात है। विदेशी निर्यातक वस्तुओं में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चाय से मिलती है और इसके बाद जूट का ही स्थान आता है। (2) **निर्मित वस्तुएँ**—भारत विदेशों को जूट से बने टाट, बोरे, सुतली-रस्से, गलीचे, जूट का कपड़ा आदि निर्यात करता है। (3) **मुख्य ग्राहक**—भारत से जूट की वस्तुएँ अमेरिका, रूस, कनाडा, अर्जेंटाइना, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, मिस्र, न्यूजीलैंड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों को भेजा जाता है। (4) **निष्कर्ष**—जूट की वस्तुओं का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओं में सबसे प्रमुख है। भारत सरकार जूट की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है।

2. **चाय**—(1) **परिचय**—हमारे देश के प्रमुख तीन निर्यातों में चाय को प्रथम स्थान प्राप्त है। भारत एक गर्म देश है जिससे यहाँ के लोगो में चाय पीने की आदत कम है। फलतः बहुत अधिक मात्रा में चाय बच रहती है जिसे विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। कुल चाय उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। (2) **प्रमुख ग्राहक**—भारत की चाय इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ईराक, रूस, पश्चिमी जर्मनी, सूडान, आस्ट्रेलिया आदि देशों को भेजी जाती है। भारत सम्पूर्ण विश्व के कुल चाय के निर्यात का 48 प्रतिशत भाग निर्यात करता है। (3) **निष्कर्ष**—चाय का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओं में प्रमुख है। भारत

से काली चाय (Black Tea) निर्यात की जाती है। भारत सरकार चाय के उत्पादन एव व्यापार में वृद्धि करने के लिए हर सभ्य प्रयास कर रही है।

3. सूती वस्त्र—(1) परिचय—भारत के प्रमुख निर्यातों में सूती वस्त्र का प्रमुख स्थान है। भारतीय निर्यात व्यापार में इसका तीसरा स्थान है। (2) प्रमुख ग्राहक—हमारे देश के सूती वस्त्र के प्रमुख ग्राहक इंग्लैंड, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, मलाया, बर्मा आदि हैं। (3) निष्कर्ष—सूती वस्त्र का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओं में प्रमुख है। यद्यपि भारत में लम्बे व अच्छे किस्म के धागे की कमी है। भारत सरकार उत्तम किस्म के कपास को देश के अन्दर ही पैदा करने की व्यवस्था कर रही है। भारत इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयत्नशील है।

4. काजू की गिरी—(1) परिचय—यह देश के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक है। भारतीय काजू गिरियों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। (2) निर्यातक देश—भारतीय काजू सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात किया जाता है।

5. खली—(1) परिचय—तेल निकालने के बाद खली बचती है। आज देश की निर्यातक वस्तुओं में खली का प्रमुख स्थान है। (2) ग्राहक—इसके प्रमुख ग्राहक देश इंग्लैंड, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा जापान आदि हैं।

6. मसाले—(1) परिचय—भारत में बहुत समय से ही मसालों का निर्यात विदेशों को किया जाता है। मसालों के निर्यात में काली मिर्च, अदरक, हल्दी, लौंग और बड़ी इलायची आदि का प्रमुख स्थान है। (2) ग्राहक देश—भारत से मसाला अमेरिका, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, अरब आदि देशों को भेजा जाता है।

7. तम्बाकू निमित्त—(1) परिचय—भारत के तम्बाकू का उत्पादन क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। संपूर्ण उत्पादन का 50 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात विदेशों को किया जाता है। (2) ग्राहक देश—भारत से तम्बाकू ब्रिटेन, रूस, जापान, स्वीडन, मलाया, अदन आदि देशों को निर्यात किया जाता है। भारत तम्बाकू का एक प्रधान निर्यातक देश है। इससे भी काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत तम्बाकू की किस्म में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील है।

(ब) गैर-परम्परागत निर्यात—भारत के निर्यात की प्रमुख अपरम्परागत वस्तुएँ इस प्रकार हैं—

1. शक्कर—(1) परिचय—भारत से शक्कर का पर्याप्त मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत में गन्ने की पैदावार अधिक होने के कारण शक्कर का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। (2) प्रमुख ग्राहक देश—इंग्लैंड, नेपाल, जापान, कनाडा, मलाया, हांगकांग आदि देश भारतीय शक्कर के प्रमुख ग्राहक हैं। (3) निष्कर्ष—भारत में चीनी का निर्यात काफी प्रगति में है। भारत सरकार गन्ने की किस्म सुधारने व गन्ने के मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील है।

2. **इजीनियरिंग वस्तुएं**—(1) **परिचय**—आज भारत में अनेक प्रकार के औद्योगिक यंत्र और मशीनें, भारी परिवहन उपकरण, पखे, मीटर, साइकिलें बनाई जाती हैं और उन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत के निर्यात व्यापार में इजीनियरिंग सामान महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता आ रहा है। (2) **प्रमुख ग्राहक राष्ट्र**—भारत से इजीनियरी का सामान अफ्रीकी देशों, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आदि देशों को किया जाता है। (3) **निष्कर्ष**—हमारे राष्ट्र का भविष्य इस क्षेत्र में काफी आशावान है। भारत में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है और अच्छे इजीनियर व मैकेनिक भी अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। भारत सरकार इजीनियरिंग की वस्तुओं के अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है।

3. **चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएँ**—(1) **परिचय**—भारतीय निर्यात व्यापार में चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं को दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत के निर्यात व्यापार में करीब 8.9 प्रतिशत भाग चमड़े की वस्तुओं का है। यहाँ से गाय, भैंस व बकरी के चमड़े का निर्यात होता है। (2) **ग्राहक देश**—इंग्लैंड, रूस, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों को इसका निर्यात किया जाता है। (3) **निष्कर्ष**—चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात का भविष्य भी उज्ज्वल है। भारत सरकार इस दिशा में काफी सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है।

4. **मछली तथा मछली से बनी वस्तुएँ**—(1) **परिचय**—भारत के निर्यात व्यापार में मछली तथा इससे बनी वस्तुएँ महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जा रही हैं। (2) **प्रमुख ग्राहक देश**—भारतीय मछली एवं मछली से बनी वस्तुओं के मुख्य ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, लका और आस्ट्रेलिया हैं। (3) **निष्कर्ष**—भारत सरकार द्वारा मछली और मछली से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

5. **मोती और हीरे**—भारत से विदेशों को मोती-हीरे जैसे मूल्यवान पत्थर भी भेजे जाते हैं। इनका निर्यात अमेरिका, रूस आदि में किया जाता है।

6. **लोहा एवं इस्पात**—(1) **परिचय**—भारत में कच्चे लोहे का भंडार विश्व में सर्वाधिक है। हमारे देश में लोहा व इस्पात का निर्यात किया जाता है। (2) **ग्राहक देश**—भारत से कच्चा लोहा व इस्पात मुख्यतः ब्रिटेन और जापान को ही निर्यात किया जाता है।

7. **रासायनिक पदार्थ**—(1) **परिचय**—भारतीय निर्यात में रसायन तथा रासायनिक पदार्थ महत्वपूर्ण स्थान लेते जा रहे हैं। (2) **ग्राहक देश**—भारत से रासायनिक का निर्यात मुख्यतः सोवियत रूस, चैकोस्लोवाकिया, अरब देश, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका आदि में होता है। (3) **निष्कर्ष**—सरकार द्वारा भारतीय रसायन के निर्यात को बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारत के प्रमुख आयात—भारत की आयातित वस्तुओं में से प्रमुख वस्तुएँ निम्नलिखित हैं—

1. **खाद्यान्न**—(1) **परिचय**—भारत एक कृषिप्रधान देश है, लेकिन इसके बाद भी जनसंख्या-वृद्धि एवं प्राकृतिक बाधाओं के कारण भारत को भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। भारत के आयात में आज खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान है। खाद्यान्नों में गेहूँ व चावल को ही अधिक मात्रा में आयात किया जाता है तथा कुछ मात्रा में मक्का का आयात होता है। (2) **निर्यात करने वाले देश**—भारत में गेहूँ व चावल का आयात मुख्यतः अमेरिका से पी० एल० 480 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा कनाडा और आस्ट्रेलिया से भी गेहूँ मंगाया जाता है। (3) **निष्कर्ष**—भारत सरकार खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने का प्रयास कर रही है। देश को केवल सकटकाल में ही खाद्यान्नों का आयात करने को बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार भविष्य में खाद्यान्न पदार्थों का आयात बहुत कम हो जाएगा।

2. **मशीनरी**—(1) **परिचय**—स्वतंत्रता के बाद देश के सर्वाङ्गीण विकास के लिए सरकार ने देश में अनेक विकास योजनाएँ प्रारम्भ की, जिन्हें पूरा करने हेतु देश को काफी मात्रा में मशीनों का आयात करना पड़ता है। भारत के आयात में मशीनों का प्रथम स्थान है। भारत में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनें, कृषि सबधी मशीनें, परिवहन उपकरण, सामान्य मशीनें, बिजली सबधी ओजार व मशीनें आदि का आयात किया जाता है। (2) **निर्यात करने वाले देश**—भारत मशीनों का आयात अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान, रूस तथा फ्रांस से करता है। (3) **निष्कर्ष**—देश के द्रुत आर्थिक विकास के साथ-साथ मशीन पर खर्च होने वाली राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके आयात को कम करने के लिए सरकार हर सभव प्रयास कर रही है। अब देश में विभिन्न प्रकार की मशीनें तैयार करने वाले कारखाने स्थापित हो गए हैं। अतः आशा है कि भविष्य में मशीनों के आयात पर होने वाला व्यय कम होगा तथा इसके निर्यात से लाभ होगा।

3. **खनिज तेल**—(1) **परिचय**—हमारे देश में खनिज तेल अत्यन्त सीमित मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमें तेल के लिए विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। तीव्र औद्योगीकरण के कारण भारत में खनिज तेल की माँग में वृद्धि हो रही है। अतः भारत के आयातों में खनिज तेल का मुख्य स्थान है। (2) **निर्यात करने वाले देश**—भारत में खनिज तेल का, जो बिना साफ किया होता है, बड़ी मात्रा में ईरान, बर्मा, कुवैत, रूस व अमेरिका से आयात किया जाता है। (3) **निष्कर्ष**—पछले कुछ वर्षों से तेल की कीमत में काफी वृद्धि हुई जिससे भारत की विदेशी विनिमय की स्थिति बिगड़ गई है। देश में सरकार ने खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जिससे इसका उत्पादन बढ़ने लगा है।

4. **लोहा एवं इस्पात**—(1) **परिचय**—यद्यपि भारत में लगभग 6 मिलियन टन लोहे व इस्पात का उत्पादन किया जाता है लेकिन औद्योगीकरण के कारण देश की

आवश्यकता को देखते हुए इसकी मात्रा कम है। अतः लोहे व इस्पात की माँग उत्पादन से अधिक होने के कारण विदेशों से इसका आयात किया जाता है। (2) निर्यात करने वाले देश—भारत लोहे व इस्पात का आयात ब्रिटेन, अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी से करता है। (3) निष्कर्ष—सरकार पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोहे व इस्पात के कारखाने स्थापित कर रही है ताकि इसका आयात कम से कम करना पड़े। आशा है कि निकट भविष्य में देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

5. कपास—(1) परिचय—भारत में कपास अधिकाधिक मात्रा में पैदा की जाती है, लेकिन अच्छे किस्म की लम्बे रेणु वाली कपास बहुत कम होती है। अतः सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए कपास का आयात करना होता है। (2) निर्यात करने वाले देश—देश में बढ़िया किस्म की रुई की गाँठी का आयात पाकिस्तान, सूडान, मिस्र, व अमेरिका से किया जाता है। (3) निष्कर्ष—भारत सरकार अपने यहाँ भी अच्छे किस्म की कपास उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। आशा है कि भविष्य में देश को कपास की आयात की आवश्यकता नहीं महसूस होगी।

6. रासायनिक पदार्थ—(1) परिचय—भारत की अपनी औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु काफी मात्रा में रासायनिक पदार्थों का आयात करना पड़ता है। भारत में रासायनिक पदार्थों के आयात में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। (2) पदार्थ—आयात किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक पदार्थ हैं—रासायनिक तत्व और यौगिक, रंगने के पदार्थ, औषधि एवं भेषजीय पदार्थ, उर्वरक तथा अन्य रासायनिक पदार्थ। (3) निर्यात करने वाले देश—भारत रासायनिक पदार्थों का आयात मुख्यतः सयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ईरान, मैक्सिको, फ्रांस, सयुक्त अरब गणराज्य, पोलैण्ड, बल्गारिया आदि देशों से करता है।

7. खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थ—(1) पदार्थ—औद्योगिक विकास के साथ-साथ भारत में खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थों की माँग में वृद्धि हो रही है। भारत में खनिज का भंडार तथा उत्पादन बहुत ही कम है। अतः भारत को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु काफी मात्रा में खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थों का आयात करना पड़ता है। (2) प्रमुख निर्यातक देश—भारत, कुवैत, ब्रह्मा, ईरान, बर्मा, इराक, रूस तथा अमेरिका आदि देशों से भारी मात्रा में तेल का आयात करता है।

अन्य आयात—हमारे देश में उपर्युक्त आयातित वस्तुओं के अतिरिक्त घड़ियाँ, शूज़ का सामान, कागज, बिजली का सामान, सूती, ऊनी व रेशमी वस्तु, प्रलौह वस्तुएँ, रेलवे इंजनों आदि का भी आयात किया जाता है।

1979-80 में हमारे प्रमुख आयात-निर्यात के मूल्य नीचे सारणी में दर्शाया जा रहा है—

प्रमुख आयात		प्रमुख निर्यात	
मद	राशि करोड़ रु० में	मद	राशि करोड़ रु०
(अ) परम्परागत निर्यात			
1. खाद्यान्न	106	1. जूट की वस्तुएँ	341
2. मशीनरी	1350	2. चाय	355
3. खनिज तेल	3032	3. सूती वस्त्र	284
4. लोहा एव इस्पात	802	4. काजू की गिरी	110
5. कपास	0.1	5. खली	115
6. रासायनिक पदार्थ	312	6. तम्बाकू निर्मित	113
(ब) गैर परम्परागत निर्यात			
		7. शक्कर	145
		8. इजीनियरिंग वस्तुएँ	629
		9. कच्चा लोहा	289
		10. चमड़ा व इससे निर्मित वस्तुएँ	556
		11. मछली व इससे बनी वस्तुएँ	249
		12. मोती व हीरे	481
		13. लोहा एव इस्पात	100
		14. रासायनिक	200
		15. चाँदी	200

(13) भारत के विदेशी व्यापार की दिशा—विदेशी व्यापार की दिशा से आशय है कि एक राष्ट्र किन-किन देशों से व्यापार सम्बन्ध रखता है। विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापार की दिशा में स्वतन्त्रता के पश्चात उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा

देश	आयात की दिशा			निर्यात की दिशा		
	1950-51	1979-80	1980-81	1950-51	1979-80	1980-81
1. इंग्लैण्ड	135	708.81	825.43	140	516.05	427.76
2. सं. रा. अमेरिका	119	925.07	1510.88	116	816.99	851.23
3. सोवियत संघ	2	824.33	955.25	1	638.23	1157.30
4. जापान	10	609.40	643.28	10	646.26	611.57
5. प० जर्मनी	—	644.55	758.45	—	380.10	355.80
6. फ्रान्स	11	207.75	267.50	9	197.32	155.14
7. ईरान	37	620.69	1348.95	—	97.11	121.97
योग (अन्य सहित)	650	9021.75	12434.58	601	6458.77	6708.84

उपर्युक्त सारणी के अकों से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं—

(1) इंग्लैण्ड—इंग्लैण्ड एव भारत के बीच स्वतंत्रता के पश्चात व्यापार घरे-घीरे कम हो रहा है। सन् 1950-51 में इंग्लैण्ड से भारत आयातों का कुल 20.8 प्रतिशत माल आयात करता था जो सन् 1980-81 में घटकर 6.6 प्रतिशत ही रह गया। इसी प्रकार सन् 1950-51 में भारत से इंग्लैण्ड को 23.3 प्रतिशत निर्यात होता था जो सन् 1980-81 में घटकर 6.4 प्रतिशत रह गया।

(2) संयुक्त राज्य अमरीका—अमरीका से भारत का व्यापार निरन्तर घट रहा है। सन् 1950-51 में भारत अमेरिका में कुल आयातों का 18.3 प्रतिशत माल आयात करता था जो सन् 1980-81 में घटकर 12.1 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार 1950-51 में भारत से अमेरिका को 19.3 प्रतिशत निर्यात होते थे जो सन् 1980-81 में घटकर 12.7 प्रतिशत हो गए।

(3) सोवियत संघ—साम्यवादी देशों में भारत का सर्वाधिक व्यापार सोवियत संघ से होता है। भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग होने से दोनों देशों में व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है। सन् 1950-51 में रूस से कुल आयातों का केवल 0.03 प्रतिशत माल आयात होता था जो सन् 1980-81 में बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में भारत से रूस को निर्यात 0.17% से बढ़कर 17.3% हो गया।

(4) जापान—भारत एव जापान के बीच व्यापार निरन्तर बढ़ रहा है। सन् 1950-51 में जापान से भारत कुल आयातों का 1.5% माल आयात करता था जो सन् 1980-81 में बढ़कर 5.2% हो गया। इसी अवधि में भारत से जापान को निर्यात 1.7% से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गए।

(5) पश्चिम जर्मनी—यूरोपीय साझा बाजार के देशों में प० जर्मनी का भारत के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय साझा बाजार के देशों में से भारत का सबसे अधिक व्यापार इंग्लैण्ड के पश्चात जर्मनी के साथ ही होता है। सन् 1950-51 में भारत प० जर्मनी से कुल आयातों का 3.0% माल आयात करता था जो बढ़कर सन् 1980-81 में 6.1% हो गया। इसी प्रकार सन् 1950-51 में भारत से प० जर्मनी को 1.3% भाग निर्यात होता था जो बढ़कर सन् 1980-81 में 5.4% हो गए।

(6) फ्रान्स—फ्रान्स से मुख्यतः मशीनरी, विद्युत मशीनरी, व उपकरण आयातों के उपकरण, रासायनिक खाद व रसायन आदि का आयात किया जाता है। सन् 1980-81 में भारतीय आयात व्यापार का 2.1% प्रतिशत और निर्यात व्यापार का 2.4% फ्रान्स के साथ होता है। जबकि सन् 1950-51 में आयात व निर्यात क्रमशः 11 व 9 करोड़ रुपये थे।

(7) ईरान—ईरान के साथ भी भारत का व्यापार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सन् 1950-51 की अपेक्षा आज बहुत अधिक व्यापार होता है। सन् 1980-81 में भारत ने ईरान में 10.8% का आयात किया जबकि सन् 1980-81 में ही 1.8% वस्तुओं का निर्यात किया गया।

(8) अन्य—भारत के व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के प्राय सभी देशों से हैं। उपरोक्त देशों के अतिरिक्त भारत के व्यापारिक सम्बन्ध मुख्यतः अरब गणराज्य, कागो, यूगाण्डा, ईराक, जोर्डन, सउदी अरब, कुवैत, अफगानिस्तान, हांगकांग, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील तथा अर्जेण्टाईना आदि देशों से भी हैं।

विदेशी व्यापार में सरकार का बढ़ता हुआ योगदान (Increasing Government Participation in Foreign Trade)

विगत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि विदेशी व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। यद्यपि सरकार पहले से ही आयातों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाकर व निर्यात प्रोत्साहन के अनेक उपायों को कार्यरूप देकर भारत के विदेशी व्यापार में हस्तक्षेप करती रही है परन्तु सरकार का व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना तथा अपने व्यापारिक कार्यक्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से देखी जाती है।

प्रत्यक्ष रूप से विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार का आगमन 1956 में भारतीय राज्य व्यापार निगम को स्थापना से शुरू हुआ। फिर इस निगम को विभाजित करके खनिज एवं धातु व्यापार निगम की स्थापना 1963 में की गई जो कि खनिज एवं धातुओं के व्यापार में सलग्न है। व्यापार-क्षेत्र में सलग्न जिन प्रमुख सार्वजनिक निगमों की स्थापना की जा चुकी है, उनके नाम नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं—

उपक्रम का नाम	स्थापना का वर्ष
1. भारतीय राज्य व्यापार निगम	1956
2. हस्तकला व हथकरघा निर्यात निगम	1958
3. खनिज एवं धातु व्यापार निगम	1963
4. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम	1963
5. भारतीय खाद्य निगम	1965
6. केन्द्रीय मत्स्य निगम	1965
7. भारत का काजू निगम	1970
8. भारतीय कपास निगम	1970
9. भारतीय दुग्ध निगम	1970
10. भारतीय जूट निगम	1971
11. परियोजना और उपकरण निगम	1971
12. भारतीय चाय व्यापार निगम	1971
13. धातु अवशिष्ट व्यापार निगम	1972

इस प्रकार भारत सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विदेशी व्यापार में अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया है। इस समय देश में जो कुछ भी आयात किया जाता है उसका अधिकांश भाग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सीधे

सरकार द्वारा ही किया जाता है। राज्य व्यापार निगम ने, थोक माल खरीदने की सुविधाओं की तथा वास्तविक उपभोक्ताओं एवं पजीकृत निर्यातकों के लिए माल उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से, आयातों को सारिणीबद्ध करने के साथ-साथ औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र के माध्यम से अपने कार्यकलापों का और अधिक विस्तार किया गया है।

राजकीय व्यापार निगम (State Trading Corporation)

राजकीय व्यापार निगम की स्थापना एकमात्र राज्य द्वारा शासित सस्था के रूप में मई 1956 में 1 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी से की गई। बाद में इसकी प्रदत्त पूंजी बढ़कर 2 करोड़ रुपये की हो गई है।

उद्देश्य—इस निगम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार हैं—

(1) भारत में विदेशी व्यापार के ढाँचे में पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर करके व्यापार में वृद्धि करना।

(2) वर्तमान मण्डियों को ज्यादा निर्यात करने और कुछ वस्तुओं का दीर्घावधि के लिए बड़ी मात्रा में निर्यात करने की चेष्टा करना।

(3) उचित मूल्य पर जरूरी वस्तुओं का आयात करना।

(4) केन्द्रीय सरकार के निर्देशों पर मूल्य स्थिर रखने तथा कुछ वस्तुओं का बफर-स्टॉक बनाने का भी काम करना।

(5) आयातों तथा निर्यातों के अतिरिक्त यह निगम ऐसे घरेलू व्यापारों की भी देखभाल करता है जिससे विदेशी व्यापार में वृद्धि हो।

संक्षेप में, निगम का मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करके देश के विदेशी व्यापार को अधिक सतुलित बनाना है। निगम निजी व्यापारियों के घनिष्ठ सहयोग से काम करता है और उन्हें वित्तीय तथा सगठनात्मक सहायता देता है।

निगम द्वारा किए गए कार्य

यह निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने तथा भारत की परम्परागत तथा अपरम्परागत निर्यात वस्तुओं के लिये नए-नए बाजार खोजने के लिए प्रयत्नशील है। मार्च 1980 तक राजकीय व्यापार निगम द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(1) **पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार**—निगम की स्थापना के समय से ही निगम का यह उद्देश्य रहा है कि पूर्वी योरोपीय समाजवादी देशों के साथ देश के व्यापार का विकास हो। ये देश वल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनतन्त्र गणराज्य, हंगरी, पोलैण्ड, रूमानिया, रूस और यूगोस्लाविया हैं। निगम ने इन बाजारों में न केवल परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात बढ़ाया है बल्कि कई नई मर्दे भी प्रचलित की हैं।

(ii) निगम के कुल व्यापार में वृद्धि—1956-57 में राज्य व्यापार निगम ने केवल 5.8 करोड़ रुपए के निर्यात और 3.4 करोड़ रुपए के आयात किए जो बढ़ कर 1979-80 में क्रमशः 636 करोड़ और 375 करोड़ रुपए के हो गये।

(iii) निर्यात व्यापार—निगम के निर्यात कार्यक्रमों को निम्न पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता है—(अ) रेल के उपकरण (ब) इजीनियरी के सामान (स) रसायन व औषधियाँ (द) उपभोक्ता की वस्तुएँ, जैसे चमड़े के जूते, विग, ऊन की बुनी पोशाके व कपड़े (य) मछलियाँ, ताजे केले, फलों का रस, बढिया किस्म के चावल व दाल। निगम के सुप्रयत्नो का ही परिणाम है कि कई देशों में रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्यात के लिए अनुबन्ध हुए हैं तथा इनकी पूर्ति के लिए समुचित व्यवस्थाएँ की जा सकी हैं। निगम ने विदेशी व्यक्तिगत फर्मों की सुविधा के लिये असेम्बली केन्द्र खोले हैं। जूते के निर्यात को रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के बाद अब पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और कनाडा में भी बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। आमो के निर्यात को बढ़ाने के लिए इनकी पैकिंग टेक्नीक में सुधार किया जा रहा है। मद्रास की विग फैक्ट्री ने भी कार्य चालू कर दिया है। इस प्रकार निगम निर्यात बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्नशील है। राज्य व्यापार निगम के इजीनियरी और रेलों के उपकरण का काम अप्रैल 1971 में इसके सहायक निगम परियोजना और उपकरण निगम ने अपने हाथ में ले लिया है।

(iv) निगम द्वारा आयात—निगम विदेशों से कुछ प्रकार के पूंजीगत सामान, औद्योगिक कच्चा माल और कुछ दुर्लभ वस्तुएँ भी मँगाता है जो देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। निगम द्वारा आयात किए जाने वाले पदार्थों में उर्वरक, रई, इस्पात व औद्योगिक कच्चा माल, कच्चा रेशम, फिल्मे, सोयाबीन का तेल, गन्धक ट्रेक्टर, मुद्रण सामग्री प्रमुख हैं। सीमेन्ट के वितरण का कार्य भी निगम के जिम्मे रहा है। यह बहुत ही सराहनीय बात है कि अल्पकालीन सूचना पर भी निगम कठिन विश्व-बाजार परिस्थितियों के बावजूद पूंजीगत सामान, कच्चे मालों एवं दुर्लभ सामग्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर व्यवस्था करने में समर्थ हुआ है।

(v) सम्पर्क, अदल-बदल एवं समानान्तर व्यवहार—निगम विदेशों में अच्छी ख्याति वाली फर्मों के साथ सम्पर्क, अदल-बदल तथा समानान्तर व्यवहार भी करता है जिससे निर्यात में वृद्धि हो। इस तरीके से सीमित विदेशी मुद्रा प्रसाधनों पर भार डाले बिना ही देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात की व्यवस्था हो गई है।

(vi) मूल्यों में स्थायित्व लाने का प्रयास—निगम ने समय-समय पर मूल्य स्थायित्व एवं बफर-स्टॉक सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी हाथ में ले लिए हैं। ये कार्यक्रम कच्चा जूट, लाख, तम्बाकू, छोटे रेशे वाली कपास आदि के सम्बन्ध में थे और उनमें निगम को यथेष्ट सफलता भी मिली है।

(vii) निगम के दो सहायक संगठन भी हैं—वर्तमान समय में इनके चार सहायक निगम हैं—भारतीय हस्तकला व हथकरघा निर्यात, निगम, दिल्ली (स्थापित अक्टूबर, 1962), भारतीय चलचित्र निर्यात निगम बम्बई (अप्रैल, 1976), भारतीय

काजू निगम, एनाकुलम (अगस्त, 1970), एवं भारतीय परियोजना व उपकरण निगम, दिल्ली (अप्रैल, 1971)। अपनी निर्यात सम्बन्धन सम्बन्धी क्रियाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से ये बने हैं।

(viii) लघु एवं मध्यम उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा—लघु और मध्यम उद्योगों के माल का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम ने उद्योगों को एक पृथक राज्य विपणन प्रभाग के माध्यम से सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है। यह प्रभाव अब लघु उद्योगों की कई समस्याओं को विशेष रूप से निर्यात सम्बन्धी समस्याओं को अपने हाथ में लेने लगा है तथा वित्त, किस्म नियन्त्रण, कच्चे माल और बिक्री सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता कर रहा है। यह प्रभाग राज्य और केन्द्रीय स्तर पर लघु उद्योग विकास निगमों से सम्पर्क स्थापित करता है।

(ix) विदेशों में कार्यालय—निगम ने काहिरा, तेहरान, नैरोबी, प्राग, मास्को, मांट्रियल, राटर्डम, बुडापेस्ट, बैंकाक, वेरुत, पूर्वी वालिन, लाओस और श्रीलंका इत्यादि में अपने दफ्तरों का जाल बिछा रखा है ताकि दुनिया के व्यापार की बदलती हुई प्रवृत्तियों से अवगत हो सके।

राजकीय व्यापार निगम का आलोचनात्मक मूल्यांकन

राजकीय व्यापार निगम के कार्यकलापों के उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट है कि निगम के प्रयासों के फलस्वरूप भारत का विदेशी व्यापार बहुमुखी हुआ है और उसके स्वरूप तथा आकार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसने आवश्यक कच्चे माल को प्राप्त करने और इसके न्यायोचित वितरण में काफी योगदान दिया है। निर्यात करने वालों को आयात करने में प्राथमिकता देकर व्यापारिक आधार को सुदृढ़ किया है। इन सफलताओं के साथ ही साथ निगम की निम्नलिखित दुर्बलताएँ भी सामने आई हैं—

(1) निगम की स्थापना निर्यात बढ़ाने एवं नवीन बाजारों की खोज करने के लिए की गई थी परन्तु निगम ने व्यापारिक दृष्टिकोण का पालन नहीं किया।

(2) निगम उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं के अनुसार समय पर न्यायोचित मूल्यों पर और वांछित किस्म का माल आयात करने में असफल रहा है।

(3) निगम ने कई वस्तुओं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय मूल्यों से कम दरों पर करके विदेशी मुद्रा अर्जन करने में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की है।

(4) यह संस्था एकाधिकार के दोषों से परिपूर्ण है।

(5) इसने निजी निर्यातकों के कोटों में सदा कटौती की प्रणाली अपनाकर देश के निर्यात व्यापार की उपेक्षा की है।

(6) निगम के क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या न होने से वह लाभकर व्यापार को अपने हाथों में ले लेता है जिससे निजी व्यापारी क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और

(7) उसने विश्व बाजार की पूर्ण जानकारी के अभाव में ऊँचे मूल्यों पर वस्तुओं का आयात किया है और इस प्रकार देश की उत्पादन लागतें बढ़ गई हैं।

(8) निगम बाजार को दिशाओं से भिन्न मूल्य नीति का पालन करता है तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा उत्पादकों की तकनीकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(9) सरकार का निगम के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार रहता है जिससे निगम प्रगति के कार्य करने में सफल नहीं हो पाता।

निर्यात संवर्धन के लिए सरकारी प्रयास

निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

- (अ) जाँच समितियों की नियुक्ति।
- (ब) निर्यात प्रोत्साहन सगठन।
- (स) निर्यात प्रोत्साहन एवं सहायता योजनाएँ।
- (द) निर्यात संवर्धन के अन्य कार्य।

(अ) जाँच समितियों की नियुक्ति

निर्यात वृद्धि हेतु निम्न प्रयास किए गए—

(1) गोरवाला समिति 1949—सन् 1949 में श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में एक निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना की गई।

(2) निर्यात प्रोत्साहन समिति—फरवरी 1957 में डॉ० बी० एल० डिसूजा की अध्यक्षता में निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना की गई। समिति ने अपनी सिफारिश नवम्बर 1957 में पेश की।

(3) मुदालियर समिति—सन् 1961 में श्री ए० रामस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयात-निर्यात नीति की स्थापना की गई।

समिति की राय में अनिवार्य निर्यात आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, विदेशी यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने, वस्तु विनिमय व्यापार, राजकीय व्यापार, किस्म नियन्त्रण तथा निर्यात जोखिम आदि के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सरकार ने इनमें से कुछ सुझावों को कार्यान्वित भी किया है।

(ब) निर्यात प्रोत्साहन सगठन

(1) व्यापार मंडल—1968 में इस बोर्ड की स्थापना की गई। इसका कार्य व्यापार तथा वाणिज्य के सभी पहलुओं पर विचार करना तथा इसके सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना है।

(2) **निर्यात सम्बर्धन निदेशालय**—इसकी स्थापना अगस्त 1957 में की गयी। इसका मुख्य कार्य निर्यातको को आवश्यक सहायता तथा सूचनाएँ देना तथा व्यापार मंडल के आदेशों व सुझावों को लागू करना है। निदेशालय ने चार क्षेत्रीय कार्यालय—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित किए हैं।

(3) **निर्यात सम्बर्धन सलाहकार परिषद्**—यह परिषद् केन्द्रीय स्तर पर स्थापित की गई है। इसमें व्यापार के प्रतिनिधि होते हैं। समिति सरकार की निर्यात नीति की समीक्षा करती है तथा सरकार को इस विषय में सलाह देती है।

(4) **क्षेत्रीय निर्यात सम्बर्धन सलाहकार समितियाँ**—देश के प्रत्येक हिस्सों से निर्यात की सम्भावनाओं तथा समस्याओं पर ये समितियाँ विचार करती हैं। अपने क्षेत्र की निर्यात विषयक समस्याओं पर ये अपना ध्यान आकर्षित करती हैं। इस समय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा अर्नाकुलम वन्दरगाहों पर ये समितियाँ कार्य कर रही हैं।

(5) **निर्यात सम्बर्धन परिषद्**—निर्यात की मुख्य वस्तुओं के निर्यात वृद्धि हेतु इस परिषद् की स्थापना की गई, जिनका मुख्य कार्य मंडियों के बारे में ज्ञान बढ़ाना, माल को मंडी में खपाने के तरीके में सुधार लाना आदि हैं।

(6) **वस्तु मंडल**—वस्तु मंडल एक वैज्ञानिक संस्था है, जो अपने कार्य क्षेत्र की विभिन्न वस्तु के उत्पादन, विकास तथा निर्यात के लिए कार्य करते हैं।

(7) **निर्यात साख तथा गारण्टी निगम**—इस निगम द्वारा राजनीतिक व व्यापारिक जोखिमों का बीमा किया जाता है तथा बैंकों को निर्यात विलों पर पुनर्वित्त के रूप में साख प्रदान किया जाता है।

(8) **राज्य व्यापार निगम**—इस निगम की पृथक से व्याख्या की गई है।

(9) **खनिज व धातु व्यापार निगम**—यह निगम सन् 1963 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में यह निगम खनिजों के निर्यात विस्तार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गृह के रूप में कार्य कर रहा है। सन् 1974-75 में इसके माध्यम से 737 करोड़ रु० का व्यापार किया गया था।

(10) **निर्यात निरीक्षण परिषद्**—भारतीय निर्यात निरीक्षक परिषद् की स्थापना निर्यात अधिनियम 1966 के अन्तर्गत की गई। इसमें व्यापार व उद्योगों के प्रतिनिधि तथा तकनीकी विशेषज्ञ हैं। परिषद् को सरकार के द्वारा अनुदान, ऋण आदि के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है।

(11) **व्यापार विकास अधिकरण**—सन् 1971 से व्यापार विकास अधिकरण की स्थापना विदेशी व्यापार मन्त्रालय के अधीन की गई है। अधिकरण का प्रमुख उद्देश्य निर्यातकर्ताओं और सरकार को विस्तृत प्रबन्ध सेवाएँ उपलब्ध करना है। व्यापार विकास अधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रबन्ध-सेवाओं को हम पाँच मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं—(अ) नये बाजार, उत्पाद तथा निर्यातकर्ता के लिये उपलब्ध की जाने वाली सेवाएँ, (ब) निर्यात-वृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली सेवाएँ, (स) निर्यातकर्ताओं को प्राप्त वर्तमान सुविधाओं व सेवाओं में तेजी लाना, (द) निर्यात

सम्बन्धी सेवाओं तथा सहायता में समन्वय स्थापित करना, (य) निर्यातकों को प्राप्त निर्यात सुविधाओं व सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रारम्भिक अवस्था में तो अधिकरण अपनी क्रियाएँ सीमित ही रखेगा, किन्तु बाद में धीरे-धीरे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करता जाएगा।

(12) **भारतीय निर्यात संगठनों का फ़ंडरेशन**—इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली है। यह निर्यात संगठनों को शीर्षस्थ सस्था के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य विभिन्न संगठनों और सस्थाओं को निर्यात सम्बर्द्धन क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर उसे गति प्रदान करना है।

(13) **निर्यात गृह**—निर्यात व्यापार में विशिष्टीकरण प्राप्त के लिए प्रमुख व्यावसायिक फर्मों को निर्यात सदनों के रूप में मान्यता देने के बारे में सरकार ने एक योजना तैयार की है। इन निर्यात गृहों को निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। अब तक मान्यता प्राप्त गृहों की संख्या 224 हो चुकी है।

(14) **भारतीय पैकेजिंग सस्थान**—इसकी स्थापना मई 1966 में हुई थी। पैकेजिंग के बारे में यह पाठ्यक्रम और गोष्ठियाँ आयोजित करता है।

(15) **भारतीय विदेशी व्यापार सस्था**—यह एक स्वशासी सस्था के रूप में समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इस सस्था का कार्य विदेशी व्यापार से सम्बन्धित प्रशिक्षण, गवेषणा तथा बाजार का अध्ययन करना है।

(16) **भारतीय व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी परिषद्**—यह परिषद् एक स्थायी है जहाँ कि बम्बई में स्थित है। इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य निर्यात सबर्द्धन हेतु विदेशों में आयोजित औद्योगिक तथा व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा प्रचार-प्रसार कार्य करना है।

(स) निर्यात प्रोत्साहन तथा सहायता योजनाएँ

विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है—

(1) **कच्चे माल व पुर्जों का आयात**—निर्यातित माल का एक निर्धारित प्रतिशत मूल्य उन कच्चे पदार्थों तथा पुर्जों के आयात हेतु उपयोग की अनुमति दी जाती है जिनकी आवश्यकता निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में पड़ती है।

(2) **अग्रिम लाइसेंस**—कुछ उद्योगों में अग्रिम लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु बनने वाले सामान का कच्चा माल मँगाया जा सके।

(3) **मशीनों का आयात**—कृषि, खनिज, निर्माण उद्योगों व बागान को उनके कुल निर्यातों के 10 प्रतिशत तक आवश्यक मशीन व पुर्जे आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(4) **आयातित माल का विक्रय**—निर्यात सबर्द्धन योजना में जो माल आयात किया जाता है वह मुख्य रूप में निर्यातक को अपने कारखाने में ही काम में लाना

चाहिए। लेकिन विशेष दशाओ में वह माल उम्मी क्षेत्र में अन्य निर्यातक को बेचा जा सकता है।

(5) देशी माल की सुविधा—निर्यात वृद्धि हेतु योजना में कुछ देशी कच्चे पदार्थों को रियायती कीमत में दिया जाता है साथ ही इनके वितरण में प्राथमिकता दी जाती है।

(6) ऋण सुविधाएँ—निर्यातों के प्रोत्साहन हेतु तरह-तरह की ऋण सुविधाएँ दी गई हैं।

(7) कर सम्बन्धी रियायतें—परम्परागत वस्तुएँ जैसे—चाय, पटसन आदि के निर्यात पर समय-समय पर कमी की जाती रही है। 1976 में ही पटसन के वस्तु पर निर्यात पर शुल्क सर्वथा हटा दिया गया है।

(8) निर्यात हेतु परिवहन तथा भाड़े की रियायतें—वृद्धि हेतु अनेक उपायों में से परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं का प्राप्त होना भी काफी महत्वपूर्ण है। निर्यातकों को इस बारे में कई प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं।

(9) निर्यात पर शुल्क वापसी की सुविधा—शुल्क वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यातक निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल तथा सघटकों पर दिए गए सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क वापस प्राप्त कर सकते हैं।

(द) निर्यात सम्बर्द्धन के अन्य कार्य

(1) निर्यात सदन—निर्यात व्यापार में विशिष्टीकरण का विकास करने के उद्देश्य में विख्यात व्यावसायिक फर्मों को निर्यात सदनों के रूप में मान्यता देने के बारे में सरकार ने यह योजना बनायी थी।

(2) विपणन विकास निधि—जुलाई सन् 1963 में भारत सरकार ने विपणन विकास निधि की स्थापना की। इसमें से भारतीय उत्पादकों को विदेशी बाजारों का विकास करने के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में वित्तीय सहायता दी जाती है।

(3) निर्यात अधिनियम 1963—निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रामाणिकता हेतु सन् 1966 में (Export Quality Control and Inspection Act) पास किया गया। इसमें निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म सुधारने के लिए माल के उत्पादन से लगाकर जहाज में लादने तक निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है।

(4) स्थायी समिति 1976—अभी हाल ही में सरकार ने जहाजरानी द्वारा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति (Scope Shipping) का गठन किया गया है। यह समिति निर्यात माल से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जहाजरानी एवं बन्दरगाहों से सम्बन्धित समस्याओं का परीक्षण करके उसे दूर करने का प्रयास करेगी।

निर्यात सम्बर्द्धन के लिए सुझाव

निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें अग्रलिखित दिशाओं में प्रयत्न करने होंगे :—

(1) उत्पादन में वृद्धि—निर्यात कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ाकर ही निर्यात के योग्य बचत में वृद्धि की जा सकती है।

(2) घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध—कुछ वस्तुओं को निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एवं अन्य तरीकों से घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कुल उपभोग अथवा प्रति व्यक्ति वर्तमान उपभोग कम कर दिया जाएगा बल्कि हमें उन वस्तुओं के घरेलू उपभोग पर आवश्यक रोक लगानी होगी। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए यह त्याग आवश्यक है।

(3) परोक्ष करो में कमी—सभी प्रकार के परोक्ष करो को जैसे निर्यात कर, बिक्री कर आदि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सबध में लौटा देना चाहिए। आजकल ऐसा केवल निर्यात करो के लिए किया जा रहा है। अन्य परोक्ष करो के सबध में नहीं, जो कि अभी भी विशाल राशि के हैं।

(4) कच्चे माल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्धि—निर्यात वस्तुओं के मूल्यों को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यातित उद्योगों को आयातित कच्चे माल आदि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाएँ। अभी कुछ थोड़े कच्चे माल ही राजकीय व्यापार निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

(5) निर्यात में विविधता—भारत के लिए निर्यात में विविधता और नई मण्डियाँ ढूँढना अत्यन्त आवश्यक है। भारत को विदेशी माँग के अनुसार नए-नए पदार्थों का विकास करना होगा। हमारे पास कई एक ऐसे कच्चे पदार्थ हैं—कच्चा लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि—जिनसे हम अर्द्धनिर्मित अथवा निर्मित वस्तुएँ विदेशों को भेज सकते हैं। अतः इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्यात में विविधता लाने के लिए भारत से खली, चीनी व डिब्बे में बन्द-मछलियों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। नई वस्तुओं में साइकिलों, कपड़ा सीने की मशीनों, बिजली की मोटर, मशीन टूल्स, दवाएँ, औद्योगिक मशीनरी, प्लास्टिक का सामान व अन्य निर्मित माल का निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। भारत से फल-फूल व सब्जी, कच्चा लोहा, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं आदि का निर्यात बढ़ाना चाहिए। हमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चाहिए क्योंकि अपने वन, पहाड़, नदियों के ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से यह देश पर्यटकों के लिए स्वर्ग तुल्य बनाया जा सकता है।

नई वस्तुओं के उत्पादन और विकास के साथ हमें नये बाजारों की खोज में भी सलग्न रहना चाहिए। सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन व पश्चिमी यूरोप के परम्परागत बाजारों में भारत के निर्यातों में एक महत्पूर्ण वृद्धि की आशा करना उचित नहीं है।

भविष्य में दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत

सामानों व कच्चे माल की काफी आवश्यकता होंगी, भारत, जापान व केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों से निर्यात व्यापार काफी बढ़ सकता है। केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में व्यापार बढ़ाने से हमारे निर्यात व्यापार में स्थिरता भी आएगी।

(6) नवीन तकनीक—कोई देश किन वस्तुओं का निर्यात कर सकता है यह प्राकृतिक साधनों की मात्रा एवं प्रकार के साथ-साथ तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। पुरानी व रूढ़िवादी तकनीकों के साथ काम करते हुए किसी भी देश के लिए विश्व व्यापार में अपना स्थान बनाये रखना सम्भव नहीं है। हम पुरानी व परम्परागत तकनीकों का ही उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण आज हमारी ऊँची लागत वाली घटिया किस्म की वस्तुएँ विश्व बाजार में आधुनिक तकनीकों द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ किस्म की सस्ती वस्तुओं के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। अतः यदि हमें विदेशों में अपनी वस्तुओं के लिए बाजारों का विकास करना है तो यह आवश्यक है कि हम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों को अपनाएँ। आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपनाने के कारण ही आज जापान विश्व व्यापार में अग्रणी हो गया है।

(7) मूल्यों में स्थिरता—निर्यात में मुख्यवस्थित ढंग से वृद्धि करने के लिए मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। जब तक आन्तरिक लागत मूल्य स्तरों को काफी सीमा तक कम नहीं किया जाएगा तब तक निर्यातकों की वास्तविक प्राप्तियों में कमी रहेगी और इसका परिणाम यह होगा कि निर्यातकों से प्राप्त साधनों का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग देश में बेची जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता रहेगा।

(8) कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धि—निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्यात व्यापार सस्थान ने यह सिफारिश की है कि मुख्य कच्चे मालों की भावी माँग को ध्यान में रख कर उनकी मात्राओं का अनुमान लगाया जाना चाहिए और उनकी निरन्तर उपलब्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हमारे निर्यात करने वालों की यह एक बड़ी शिकायत रही है कि उन्हें आवश्यकतानुसार कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता। अतः कच्चे माल का ठीक प्रबन्ध करना आवश्यक है।

निर्यात व्यापार सस्थान का एक सुझाव निर्यातों का क्षेत्रीय विभाजन करने, यहाँ तक कि प्रत्येक देश के लिए निर्यात के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में विशेष अध्ययनों द्वारा नये बाजारों की खोज की आवश्यकता है।

(9) जो लोग निर्यात क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाते हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। सन् 1967 में पहली बार सफल निर्यातकों को पुरस्कार दिए गए।

(10) निर्यात बढ़ाने के लिए हमारे प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब विकसित देश उदार आयात नीति अपनाएँ और विकासोन्मुख देशों की बनी हुई वस्तुओं का स्वागत करें। अन्य शब्दों में, विकासशील देशों का निर्यात सबर्द्धन कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब विकसित देश आयात सबर्द्धन कार्यक्रम अपनाएँ।

(11) अन्य सुझाव—

(i) कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में निर्यात इकाइयों के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(ii) हमारा माल विदेशी मण्डलों में बिके और हमें नयी-नयी विदेशी मंडलियाँ मिले तो सबसे पहले हमें अपना उत्पादन व्यय घटाना होगा ताकि हमारी वस्तुओं का दाम कम हो सके।

(iii) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्मों को सुधारा जाए।

(iv) निर्यात के लिए पर्याप्त भण्डार बनाया जाए ताकि निर्यात माँग की निरन्तर पूर्ति की जा सके।

(v) निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय नुमाइशों और मेलों में अधिकाधिक भाग ले जिससे हमारे माल का पर्याप्त विज्ञापन हो सके।

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की निर्यात में अधिक अशदान करना चाहिए।

(vii) यदि निर्यातकर्ता राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करे तो विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

प्रभ्यास के लिए प्रश्न

1. भारत के आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुओं का उल्लेख कीजिये। भारत के आयात और निर्यात व्यापार में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त क्या परिवर्तन हुए हैं ?

अथवा

भारत के आयात व निर्यात व्यापार की कुछ प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिये। हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिये ?

2. भारत के आयात व निर्यात व्यापार की तीन-तीन प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिये। भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान समय में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये ?

3. भारत के आयात एवं निर्यात व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये। भारतीय निर्यात व्यापार में वृद्धि कैसे की जा सकती है ?

भारत में रेल यातायात

(Rail Transport in India)

भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलों का महत्त्व—आधुनिक युग में आर्थिक तथा व्यापारिक विकास एक बड़ी सीमा तक पग्वहन के साधनों, विशेषत रेलों के विकास पर निर्भर है। रेलों ने हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को निम्न प्रकार में प्रभावित किया है—

(1) आर्थिक

रेलों ने आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार, वनसंपदा आदि सभी इससे प्रभावित हुए हैं।

(1) **कृषि में योगदान**—कृषि की उन्नति करने में रेलों का पर्याप्त योगदान है। रेलों के विकास के कारण ही (अ) कृषि पदार्थों का बाजार विस्तृत हुआ। (ब) कृषक उत्तम बीज तथा यन्त्र आदि प्राप्त करता है। (स) फल तथा सब्जियों जैसे नाशवान पदार्थों को उत्पन्न करने में आर्थिक प्रेरणा मिलती है। (द) कृषि वस्तुओं का दश के विभिन्न भागों में वितरण समान हो गया है। (य) विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पदार्थों के मूल्यों का अन्तर कम हुआ है। (र) भ्रमण से किसानों के ज्ञान में वृद्धि हुई। (ल) गाँवों की आत्मनिर्भरता और अलगाव समाप्त हो गये हैं।

(2) **उद्योगों को लाभ**—रेलों ने नए कारखानों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों के विकास को गति प्रदान करके देश के औद्योगिक विकास को प्रासंगिक किया है। संक्षेप में रेलों से उद्योगों के विकास में निम्न लाभ प्राप्त हुए हैं—

(1) रेलों से उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं को उपभोग केन्द्र तक ले जाया जाता है।

(ii) उद्योगों के लिए कच्चा माल भी रेलों द्वारा कारखानों तक पहुँचाया जाता है।

(iii) रेलों से उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को कारखानों तक पहुँचाया जाता है तथा रेलों द्वारा ही देश के एक कोने का व्यक्ति दूसरे कोने तक काम करने हेतु पहुँचाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलों द्वारा ही श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि हो पायी है।

(iv) स्वयं रेलवे विभाग भी औद्योगिक माल का बहुत बड़ा उपभोक्ता है।

(3) **व्यापार की उन्नति**—रेलो के चलने से देश के आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार में आशातीत उन्नति हुई है। देश में बना माल अब देश के कोने-कोने में पहुँचने लगा है। विदेशों से आया हुआ माल बन्दरगाहों से नगरों तक पहुँचाने का कार्य भी रेलों सुगमतापूर्वक कर देती है। दूध, फल, मछली, सब्जी, अण्डे आदि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का देशव्यापी व्यापार रेलों के कारण ही सम्भव हो सका है।

(4) **वन उद्योग का विकास**—वन की उपज और उसके उपयोग की मात्रा को बढ़ाने में रेलों का प्रशसनीय योग रहा है। रेलों के डिब्बे तथा रेल के स्लीपर बनाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती है। लकड़ी की प्राप्ति वनों से होती है, अतः वन-उद्योग का विकास हुआ है। यही नहीं, रेलों स्वयं वन-लकड़ी को ढोकर उपभोग केन्द्रों तक पहुँचाती है।

(5) **राजस्व प्राप्ति**—रेलें सरकारी राजस्व का एक बड़ा स्रोत हैं। 1980-81 में रेलों से प्राप्त आय 2975 करोड़ रु० आँकी गई है। इसके अतिरिक्त परोक्ष रूप से (उक्त विकास-कार्यों के परिणामस्वरूप) भी रेलों द्वारा अधिक राजस्व प्राप्ति में सहयोग मिलता है।

(6) **रोजगार की उपलब्धि**—भारतीय रेलें आज 17 लाख परिवारों के लगभग 90 लाख व्यक्तियों की रोजो-रोटी का साधन हैं। इनमें 14 लाख कर्मचारी तो स्थायी हैं, शेष आकस्मिक श्रम के रूप में हैं। साथ ही नवशिक्षित बेरोजगारों के लिए चलायी गयी अप्रेंटिसशिप की योजना में भी भारतीय रेलों द्वारा एक वर्ष में 12 हजार व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।

(7) **अकालों पर नियन्त्रण**—रेल परिवहन के विकास से अकाल पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सका है। आज कोई भी अकाल देशव्यापी नहीं होता। रेलें प्रचुर मात्रा के क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक पदार्थ पहुँचाकर अकालों की कठिनाई को कम कर देती हैं।

(8) **नगरों में वृद्धि**—रेल परिवहन के कारण देश में अनेक नगरों का विकास हुआ है। हावड़ा, इटारसी, कानपुर, सिकन्दराबाद इत्यादि नगरों का विकास रेलवे जंक्शन होने के कारण हुआ है।

(9) **डाक सेवा**—आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र की विभिन्न गति-विधियों के सफल संचालन के लिए सस्ती नियमित और कुशल डाक सेवा का श्रेय भी भारतीय रेलों को ही है।

(2) सामाजिक एवं धार्मिक महत्त्व

(अ) **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन**—रेलों के विकास के साथ-साथ लोगों के सामाजिक रीति-रिवाजों, विचारों तथा प्रथाओं में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया, तथा लोगों का सम्पर्क अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से बढ़ना प्रारम्भ हो गया, जिससे लोगों के विचारों रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

(ब) **राष्ट्रीय भावात्मक एकता**—रेलों ने भारत जैसे विशाल एवं विविधता

सपन्न राष्ट्र को भावात्मक रूप में एकता के सूत्र में पिरोने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रेल परिवहन के माध्यम में विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं।

(स) जनसंख्या के वितरण में सहायक—रेले जनसंख्या के उचित वितरण में सहायक होती है। इनके कारण श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ती है।

(द) शिक्षा-प्रसार में सहायक—रेले शिक्षा-प्रसार का प्रमुख साधन है। इनके द्वारा पत्र-पत्रिकाएँ तथा अनेक प्रकार की पुस्तकें दूर-दूर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पहुँचाई जाती हैं जिससे न केवल विद्यार्थी वर्ग को लाभ होता है वरन् समाज के सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार होता है।

(3) राजनीतिक एवं सामरिक महत्त्व

राजनीतिक विचारधाराओं का विकास परिवहन सेवाओं के माध्यम से ही संभव होता है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विस्तार का प्रमुख कारण उनकी जहाजरानी का विकसित होना था।

परिवहन सेवाओं का सामरिक महत्त्व भी कम नहीं है। 1948 में काश्मीर से आक्रामक पाकिस्तानियों को खदेड़ भगाने का श्रेय वायु परिवहन तथा 1965 में भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में पाकिस्तान को लाहौर तक पदाक्रान्त करने का श्रेय सड़क परिवहन को है।

(4) प्रशासनिक महत्त्व

प्रशासन के सफल संचालन में रेल परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है। अशांति, अकाल प्राकृतिक प्रकोप आदि समस्याओं के निराकरण में रेलें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डाक सेवाओं का संचालन भी रेलों पर ही निर्भर करता है। अतः जिन क्षेत्रों में रेलों का विकास नहीं हो पाया है वहाँ प्रशासन के संचालन में अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं।

रेल उद्योग की विशेषताएँ

रेल उद्योग की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं —

1. एकाधिकार—एकाधिकार से आशय पूर्ति में एकमात्र नियंत्रण और प्रसिद्धि-योगिता के अभाव से है। एकाधिकार प्रायः 4 प्रकार के होते हैं—(1) प्राकृतिक (ii) सामाजिक (iii) कानूनी एवं (iv) ऐच्छिक। रेल उद्योग की गणना सामाजिक एकाधिकार के अन्तर्गत की जाती है। देश और समाज के हित में इस एकाधिकार को कायम रखना आवश्यक समझा जाता है। इसीलिये इस एकाधिकार को कानूनी और सरकारी संरक्षण प्रदान किया गया है। रेल उद्योग पूँजी प्रधान उद्योग है तथा इसमें दीर्घकाल के लिए पूँजी विनियोजित की जाती है साथ ही यदि उद्योग में हानि हो जाय तो पूँजी बिलकुल नष्टप्राय हो जाती है। अतः निजी संस्थाएँ सार्वजनिक रेल

उद्योग से प्रतिस्पर्धा करके जोखिम नहीं लेना चाहती है। परिणाम स्वरूप इस उद्योग में प्रतियोगिता के अभाव की स्थिति बनी हुई है।

रेल उद्योग को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि उन्हें परिवहन के अन्य साधनों जैसे—सड़क, जल, तथा वायु परिवहनो में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है जिसके कारण रेल उद्योग के किराये व भाड़े अधिक नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। इस प्रकार रेल उद्योग आंशिक एकाधिकारी उद्योग है।

2 लोकोपयोगी सेवा—लोकोपयोगी सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य लाभ प्राप्त करना न होकर लोक कल्याण, आर्थिक विकास तथा समाज की सेवा करना होता है। रेल उद्योग भी लोकोपयोगी सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज को न्यूनतम मूल्य पर परिवहन सेवाएँ प्रदान करना है। एकाधिकारी प्रकृति के कारण इस उद्योग को यात्रियों से उनकी भुगतान-क्षमता के अनुसार कम या अधिक मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है। इस उद्योग द्वारा समाज कल्याण व आर्थिक विकास हेतु कुछ अनावश्यक वस्तुओं के आवागमन पर प्रतिबन्ध तथा आवश्यक वस्तुओं पर छूट भी प्रदान की जाती है। इस उद्योग को अपना व्यक्तिगत हित समाज और उपभोक्ता के साथ रखना पड़ता है। इस उद्योग के प्रबन्ध की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। उसे एक प्राइवेट निगम तथा सरकार के प्रतिनिधि, दोनों रूपों में कार्य करना पड़ता है।

3 लोकवाहन—लोकोपयोगी सेवा प्रदान करने वाली संस्था होने के नाते रेलों को अपने व्यावसायिक हितों की अपेक्षा जनता के सामाजिक हितों पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है। यह विशेषता रेलों को अन्य परिवहन-साधनों से भिन्न करती है। रेल उद्योग की सेवाएँ सर्व साधारण के लिए सुलभ हैं। कोई भी नागरिक स्वतंत्रतापूर्वक इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। लोकवाहनों का कार्य यात्रियों तथा माल को सुरक्षित रूप से गन्तव्य स्थल तक पहुँचाना होता है। इस प्रकार उनका व्यक्तिगत हित, लोकहित के साथ जुड़ा रहता है। चूँकि रेलें उक्त कार्यों का निष्पादन सुचारु रूप से करती हैं अतः हम कह सकते हैं कि ये लोकवाहन हैं।

4. अपार स्थायी पूँजी—रेल उद्योग में जितनी प्रारम्भिक पूँजी की आवश्यकता होती है उतना अन्य उद्योगों में नहीं होती है। इस उद्योग में एकबार पूँजी विनियोजित कर देने के बाद हम उसे हटाकर अन्य उद्योगों में नहीं लगा सकते हैं। यह पूँजी न केवल उद्योग में बँध जाती है अपितु उस स्थान विशेष से बँध जाती है जहाँ उसे लगाया जाता है। इस उद्योग में कुल विनियोजित पूँजी का लगभग 90% भाग स्थायी पूँजी के रूप में लग जाता है। इसमें चालू पूँजी की अपेक्षा बहुत कम होती है।

5. प्रतियोगी उद्योग—एकाधिकारी व्यवसाय होते हुए रेल उद्योग एक प्रति-योगी व्यवसाय भी है। रेल उद्योग में जो विशाल पूँजी लगती है उसे लाभप्रद बनाने के लिए अधिक से अधिक यातायात प्राप्त करना उसके लिये आवश्यक हो जाता है। यातायात-वृद्धि के प्रयासों के कारण प्रत्यक्ष प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रतियोगिता दो या दो से अधिक रेलों के बीच या रेलों तथा अन्य परिवहनो के बीच होती

हैं। रेलों को उद्योगपतियों की पारस्परिक होड़ में उत्पन्न प्रतियोगिता का भी अप्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है। ये प्रतियोगिताएँ अत्यन्त हानिप्रद होती हैं।

6. **सयुक्त व्यय और संयुक्त उत्पादन**—जब किसी वस्तु की उत्पत्ति करने पर उसी लागत में अन्य कोई वस्तु या वस्तुएँ उत्पन्न हो जाती हैं तो इन वस्तुओं को संयुक्त उत्पत्ति या सयुक्त पूर्ति अथवा सयुक्त लागत कहते हैं इसका मुख्य लक्षण यह है कि दो या अधिक वस्तुएँ एक ही स्रोत से उत्पन्न की जाती हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ के साथ भूसा, शक्कर के साथ शीरा, भेड़ पालने पर ऊन के साथ मास, और कपास के साथ बिनौला की उत्पत्ति होती है। इसमें से कम मूल्यवान वस्तु जो मुख्य वस्तु के साथ उत्पन्न होती है, उपोत्पाद या गौण उत्पाद कहलाती है।

रेल उद्योग में यह सिद्धान्त लागू होना है क्योंकि एक ही रेलवे लाइन पर और उन्हीं स्टेशनो में होकर सवारी गाड़ियाँ तथा माल गाड़ियाँ गुजरती हैं। सवारी गाड़ियों में भी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के यात्री होने हैं और माल में भी कई आकार-प्रकारों के कीमती एवं मसने माल होने हैं। स्पष्टतः रेलवे उद्योग में भी विभिन्न प्रकार की यातायात सेवाएँ प्रदान करने के लिए व्यय एक ही साथ करने पड़ते हैं। यह सिद्धान्त भी आंशिक रूप से ही लागू होता है क्योंकि रेलों के व्यय की एक बड़ी मात्रा स्थायी अवश्य होती है किन्तु फिर भी कुछ व्ययों को प्रत्येक इकाई में बाँटा जा सकता है। रेल उद्योग में यातायात विशेष की कमी हो जाने पर तन्मस्वन्धी अस्थायी व्यय अवश्य ही कम हो जाते हैं।

सयुक्त व्यय सिद्धान्त रेलों में रिक्त स्थान होने पर पूर्णतया लागू होता है जैसे— A में B स्थान तक यदि इतनी मात्रा में यातायात प्राप्त होता है कि गाड़ियाँ पूरी भर जाती हैं किन्तु B में A स्थान तक आने में उतना यातायात प्राप्त नहीं होता तो भी रेलवे को पहले के समान ही व्यय करने पड़ते हैं। इन व्ययों की पूर्ति के लिए रेलवे दूसरी ओर से किराये की दरों में कमी करके यातायात को अधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। ऐसा न करने पर A में B जाने वाले यातायात का भार खाली गाड़ियों के लौटने के व्यय के बराबर और बढ़ जायेगा।

सक्षेप में रेलों में सयुक्त व्यय अथवा सयुक्त उत्पादन का नियम केवल आंशिक रूप में लागू होता है। रेलों के लिये इस सिद्धान्त का महत्त्व केवल गौण रूप में है, मुख्यतया नहीं।

7. **बृहत्-कार्य व्यवसाय**—आधुनिक युग में रेलों के आकार, समूहन, पूँजी, लाभ-हानि आय-व्यय आदि सभी बातों में अन्य व्यवसायों से आगे हैं। कोई व्यवसाय कितना बड़ा है इसका निर्धारण प्रायः उसमें विनियोजित पूँजी के अनुसार किया जाता है। रेलों में जितनी पूँजी लगी है उतनी कितनी अन्य व्यवसाय में नहीं लगी है। इस उद्योग में लगभग 4099 करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित है। रेलों की आय भी कुल आय का 33% है।

भारत में रेलों का विकास (Railway Development in India)

रेलवे विकास का इतिहास अत्यन्त विस्तृत है। अध्ययन की सुविधा के लिए रेलवे के इतिहास को (काल-विभाजन की दृष्टि से) निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है—

- (1) प्रारम्भ काल से 19वीं शताब्दी तक
 - (i) पुरानी गारण्टी पद्धति (1844-1869)
 - (ii) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (1869-1879)
 - (iii) नयी गारण्टी पद्धति (1879-1900)
- (2) द्वितीय विश्व-युद्ध के अन्त तक समय
 - (iv) तीव्र प्रगति और विकास काल (1900-1914)
 - (v) प्रथम महायुद्ध काल—रेल व्यवस्था का विघटन (1914-1919)
 - (vi) नई नीति निर्धारण काल (1920-1929)
 - (vii) आर्थिक मन्दी का समय (1930-1939)
 - (viii) द्वितीय महायुद्ध काल (1940-1944)
- (3) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् का काल
 - (ix) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व का काल (1945-1950)
 - (x) पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय रेलवे का विकास (1951-82)

~ (i) पुरानी गारण्टी पद्धति (1844-1869) भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन अप्रैल 1853 में थाना तथा बम्बई के मध्य निर्मित की गई। वस्तुतः भारत में रेलों का निर्माण 1844 ई० में ही प्रारम्भ हुआ जब 'ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी' ने इंग्लैंड में स्थापित कम्पनियों को एक निश्चित लाभ के आश्वासन पर रेल निर्माण का ठेका दिया। कलकत्ता और बम्बई के समीप दो छोटी रेल लाइनों के निर्माण के लिए अगस्त 1849 में सरकार ने दो अंग्रेजी कम्पनियों (ईस्ट इंडिया रेलवे कम्पनी व ग्रेट इण्डियन पेनिन्सुला रेलवे कम्पनी) के साथ समझौता किया जिसे पुरानी गारण्टी पद्धति कहते हैं। इस गारण्टी प्रथा की मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं—

 - (क) इस समझौते की अवधि 99 वर्ष होगी।
 - (ख) रेल कम्पनियों को रेलमार्ग, स्टेशन भवन आदि का निर्माण करने के लिए सरकार भूमि निशुल्क देगी।
 - (ग) सरकार ने रेलवे कम्पनियों को उनके द्वारा लगाई गई पूँजी पर 4% से 5% तक ब्याज देने की गारण्टी थी।
 - (घ) विनिमय की दर 22 पैसे प्रति रुपया निश्चित की गई।
 - (ङ) ब्याज के पश्चात् जो लाभ शेष बचेगा वह कम्पनियों तथा सरकार के बीच आधा-आधा बाँट दिया जायेगा।
 - (च) किराये-भाड़े के दर निर्धारण, गेज नियंत्रण व निरीक्षण आदि में सरकार का निर्णय माना जायेगा।

(छ) सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा कि वह चाहे तो 25 या 50 वर्ष के बाद रेलवे को खरीद सकती है।

यह प्रथा 1869 तक चलन में रही। इस अवधि में कुल 4,287 मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण हुआ। रेलों के निर्माण और संचालन पर दोहरा नियंत्रण होने तथा सरकार को गारण्टी पूरी करने में 20 करोड़ रुपये की हानि होने के कारण 1869 में गारण्टी प्रथा को त्याग दिया गया। श्री बिलियम थार्डन ने ससदीय समिति के समक्ष गवाही देते हुए कहा था, “गारण्टी पद्धति से कोई भी लाभ न हुआ जो इसके बगैर नहीं हो सकता था। मेरी राय में ये ठेके कलक है चाहे जिस आदमी ने इन्हे मान्यता दी हो।”

(ii) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (1869-1879)—1869 में गारण्टी प्रथा को त्याग दिया गया और सरकार ने स्वयं ही रेलों के निर्माण एवं उनकी व्यवस्था का कार्य सम्भाल लिया। इस काल की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी—(अ) सरकार ने 6 रेलों का निर्माण कराया। (ब) पुरानी गारण्टी प्रथा में निर्माण व्यय 20,000 पाँड प्रति मील पड़ता था, अब यह निर्माण व्यय घटकर 19,000 पाँड प्रति मील हो गया। (स) मुख्य रेलवे मार्गों के लिये चौड़ी रेलवे लाइने तथा सहायक मार्गों के लिए कम चौड़ी लाइने बनाई गईं। (द) रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सरकार को सामरिक महत्त्व की रेलों का निर्माण करना पड़ा।

1869-1879 की मध्यावधि में रेलमार्गों की लम्बाई 9,875 मील हो गई तथा इस अवधि में सरकार ने कुल 134 करोड़ रुपये व्यय किये। पूँजी की अपर्याप्तता से विवश होकर सरकार ने 1879 में कम्पनियों की सहायता पुन ली।

(iii) नयी गारण्टी पद्धति (1879-1900)—अतः सरकार ने फिर कम्पनियों की सहायता में रेलों का निर्माण किया, किन्तु समझौते की शर्तों में कुछ परिवर्तन किये गये। अतः इस प्रथा को नयी गारण्टी पद्धति कहने है। इस समझौते की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी—

(अ) कम्पनियों को 3% से 3½% ब्याज की गारण्टी दी गयी।

(ब) सरकार रेलवे कम्पनियों का प्रबन्ध 25 वर्ष के पश्चात् या उसके प्रति 10 वर्ष बाद अपने हाथ में ले सकती थी।

(स) शुद्ध लाभ का 60% भाग सरकार के लिये सुरक्षित किया गया।

सरकार ने रेलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया—(क) उत्पादक रेलें, (ख) अनुत्पादक रेलें और (ग) सुरक्षात्मक रेलें।

1900 तक रेल मार्गों की कुल लम्बाई 24,752 मील हो गई थी और 98 रेल मार्गों पर 33 रेल कम्पनियों कार्य करती रही थी।

(iv) तीव्र प्रगति और विकास का काल (1900-1914)—तीसवीं सदी के आरम्भ होते ही रेलों के विकास में बहुत तेजी आई और रेलवे को घाटे के स्थान पर लाभ प्राप्त होने लगे। पूँजी का अभाव समाप्त हो गया और रेलों को इतनी धनराशि मिलने लगी जिसे खर्च करना एक समस्या बन जाती थी। 1901 में श्री टामस राब-

टंसन को भारतीय रेलों के प्रबन्ध और संचालन की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया। स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् उन्होंने रेलवे बोर्ड स्थापित करने, रेलवे में सुधार के लिये सामान्य राजस्व से अलग एक रेज़र्व कोष स्थापित करने तथा सरकार और कम्पनियों के दोहरे प्रबन्ध की समाप्ति के लिए सुझाव दिया। सरकार ने इन सुझावों को नहीं माना। फिर भी 1905 में रेलों के प्रबन्ध के लिए रेलवे बोर्ड बनाया गया। 1907 से बैंके समिति की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष सर जेम्स बैंके थे। इस समिति ने तत्कालीन रेल मार्गों को देश की आवश्यकता में कम बताया।

सन् 1914 तक रेलों की लम्बाई बढ़कर 35,285 मील हो गयी थी। औसतन प्रतिवर्ष 774 मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण हुआ।

(i) प्रथम महायुद्ध काल रेल व्यवस्था का विघटन (1914-1919)—युद्धकाल में रेलों की प्रगति रुक गई, क्योंकि आवश्यक सामान (डिब्बे, इंजिन आदि) का आयात बन्द हो गया था तथा सरकार के पास धन की कमी थी। साथ ही युद्ध के लिए कुछ रेल मार्गों का उखाड़ कर पूर्वी अफ्रीका और मेसोपोटामिया भेजना पड़ा। इस प्रकार युद्ध का प्रभाव रेलवे पर प्रतिकूल पड़ा।

(vi) नई नीति निर्धारण काल (1920-1924)—भारतीय रेलों की बिगड़ती हुई स्थिति की जाँच के लिए भारत सरकार ने नवम्बर 1920 में रेलवे विशेषज्ञ विलियम एजवर्थ की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसने निम्न सुझाव दिये—

- (अ) रेलवे बोर्ड के सङ्गठन एवं कार्य-पधाली में सुधार किया जाए।
- (ब) रेल ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाये जो रेल भाडों को निश्चित करे।
- (स) रेलवे अपना बजट पृथक् बनाए।
- (द) सरकार और कम्पनियों के दोहरे प्रबन्ध की वजाय केवल सरकार द्वारा ही प्रबन्ध किया जाए।
- (य) केन्द्रीय एवं स्थानीय परामर्शदात्री समितियों की स्थापना द्वारा जन-सहयोग प्राप्त किया जाए।
- (र) रेलवे ह्रास कोष (Depreciation Fund) तथा संचित कोष (Reserve Fund) की स्थापना की जाए।

सरकार ने वस्तुतः इस समिति के सभी सुझावों को मान लिया। फरवरी 1923 में रेलों के प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई, सितम्बर 1924 से रेलवे बजट पृथक् बनने लगा। एक संचित कोष भी स्थापित किया गया तथा ह्रास कोष की भी व्यवस्था की गई। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

इस अवधि में रेलवे का विकास तीव्रगति से हुआ, जैसा कि अग्रांकित अङ्कों से स्पष्ट है—

रेलवे का विकास

वर्ष	रेलो की लम्बाई (मील)	विनियोजित पूंजी (करोड़ रु०)	आय (करोड़ रु०)
1919-20	36,735	566 38	89.15
1929-30	41,724	156.75	116.08

(vii) आर्थिक मन्दी का समय (1930-39)—सन् 1929-30 की आर्थिक मन्दी का प्रभाव भारतीय रेलो पर भी पडा, रेलो की आय में कमी और व्यय में वृद्धि हुई। घाटे की पूर्ति के लिए संचित कोष तथा ह्रास कोष का सहारा लेना पडा। व्यय में कमी हेतु सुझाव देने के लिये 1932 में पोप समिति और 1936 में रेलो की आर्थिक दशा की जाँच के लिये वैजवुड समिति नियुक्ति हुई। वैजवुड समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे—

(i) केन्द्रीय बचत अनुसंधान समिति की स्थापना की जाए।

(ii) मितव्ययिता लाने के लिए भविष्य में रेलो को आठ क्षेत्रों में बाँट दिया जाए।

(iii) रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला अशदान कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए।

(iv) अतिरिक्त आय का प्रयोग यात्रियों को सुविधाये देने में किया जाए।

(v) रेलवे ह्रास कोष व संचित कोष की उचित व्यवस्था की जाए।

(vi) रेल सामग्री का सदुपयोग एवं रेल सड़क प्रतियोगिता को कम री समाप्त किया जाए।

सरकार ने समिति के कुछ सुझावों को मान लिया। सन् 1936-37 के बाद भारतीय रेलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा तथा इनकी आय में पुनः वृद्धि होने लगी। सन् 1937 में बर्मा भारत से पृथक् हो गया, अतः 2,000 मील रेलमार्ग बर्मा में चला गया। सन् 1939-40 में भारतीय रेलो की लम्बाई 41,156 मील थी।

(viii) द्वितीय महायुद्ध काल—(1940-1944)—द्वितीय महायुद्ध काल भारतीय रेलो के लिए आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का समय था, क्योंकि रेल-सेवाओं के लिए माँग में वृद्धि हुई, और इनकी आय बढ़ी। युद्धकाल में रेलवे का नवीनीकरण कार्य बन्द कर दिया गया, बहुत-सी रेल-सामग्री अन्य देशों की भेज दी गई। सन् 1942 में युद्ध परिवहन बोर्ड स्थापित हुआ एवं रेलो ने अपनी सेवाएँ प्रदान करने में प्राथमिकता पद्धति अपनाई जिसके अनुसार रेल द्वारा आवश्यक वस्तुएँ भेजने में प्राथमिकता दी जाने लगी। सन् 1944 में एक सुधार कोष भी स्थापित हुआ।

सन् 1939-40 में रेलवे की आय 111.5 करोड़ रुपए थी जो 1944-45 में बढ़कर 232.65 करोड़ रुपए हो गयी।

(ix) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व का काल—(1945-1950)—सन् भा० या०—29

1947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप बहुत से रेल-मार्ग पाकिस्तान में चले गए। विभाजन के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे के कारण भारतीय रेलों को बहुत बड़ी सख्या में शरणार्थियों को ढोना पड़ा। साथ ही देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव हो गया, क्योंकि बहुत से कुशल कर्मचारी पाकिस्तान चले गए। विभाजन के पश्चात् देश में ड्राइवरो की सख्या पहले की अपेक्षा 18 प्रतिशत घट गई। मुगलपुरा और सैदपुरा के वर्कशाप भी पाकिस्तान में रह गए। इससे रेलों की कार्यक्षमता बहुत घट गई।

31 मार्च, 1951 को भारतीय रेलवे की लम्बाई 34,079 मील थी तथा उसमें विनियोजित कुल पूंजी 838.17 करोड़ रुपए थी।

पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय रेलवे

(अ) प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम योजना में भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन पर अधिक जोर दिया गया जो द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन के कारण अत्यन्त शोचनीय स्थिति में थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था रेलों के डिब्बों, इंजनों, लाइनों तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा नवीनीकरण करना, जनता के लिए सुविधाएँ बढ़ाना तथा कुछ नई लाइनें बिछाना। इन सब कार्यों पर प्रथम योजना में 423.73 करोड़ रुपये व्यय हुआ। इसका अधिकांश अर्थात् 55.7 प्रतिशत इंजनों तथा डिब्बों के नवीनीकरण में व्यय हुआ। प्रथम योजना काल में 496 रेल इंजन 4,351 यात्री डिब्बे तथा 41,192 मालगाड़ी के डिब्बों का उत्पादन हुआ था। प्रथम योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप रेलों की माल ढोने की क्षमता 16 प्रतिशत वृद्धि हो गई।

(ब) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना में भारतीय रेलों के विकास का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रखा गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे—(1) रेलों की परिवहन क्षमता को बढ़ाना, (2) रेल मार्ग, पुलों तथा इंजन और डिब्बों आदि के पुनर्स्थापन के कार्य को पूरा करना, व (3) रेल सम्बन्धी सामग्री का देश में उत्पादन बढ़ाकर रेलों को आत्मनिर्भर बनाना।

द्वितीय योजना में लगभग 1,311 किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाई गयीं। 1,512 किलोमीटर लम्बी लाइनों को दुहरा बनाया गया। सन् 1950-51 से सन् 1960-61 के दस वर्षों में ढोये जाने वाले माल में 60 प्रतिशत तथा यात्रियों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस योजना में रेल पर लगभग 1,100 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

(स) तृतीय योजना में रेल परिवहन के विकास पर 1,685 करोड़ रुपया व्यय किया गया। इस योजना काल में 1,801 किलोमीटर नये रेलमार्ग का निर्माण, 3,228 किलोमीटर मार्ग का दोहराकरण तथा 1,746 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। इसी अवधि में डीजल इंजनों का निर्माण भी देश में प्रारम्भ हुआ।

(द) तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) की अवधि में रेलों में 763 करोड़

रूप का विनियोग हुआ। इस अवधि में 1,061 किलोमीटर नये रेलमार्ग का निर्माण, 1,268 किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण तथा 905 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया।

(य) चौथी पंचवर्षीय योजना के रेलवे—इस योजना में रेल विकास के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे—(अ) रेल क्षमता को उचित अंश में बढ़ाना, (ब) रेल उपकरणों एवं कार्यप्रणाली का यथाशक्ति अधिकतम आधुनिकीकरण करना, (स) अधिक परिवहन सभावना वाले क्षेत्रों में अधिक सक्षम बड़ी लाइन का विस्तार करना, (द) दूर संचार चलयान, कारखाना उपकरण, रेलपथ अनुरक्षण और तकनीकी क्षेत्र में गुणमूलक सुधार पर बल दिया जाना।

चौथी योजना में रेलों के विकास पर 1,419 करोड़ रु० व्यय किए गए जिसका विवरण आगे सारणी न० 1 में दिया गया है।

2. पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में विस्तृत कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर रेलवे की निम्नलिखित योजना तैयार की गई—

1. रेलवे की लम्बाई के 24 प्रतिशत पर ही सबसे व्यस्त ट्रैफिक 72 प्रतिशत माल की ढुलाई होती है इसकी तरक्की की जानी चाहिए।

2 जनता द्वारा ले जाया जाने वाला माल जैसे—सीमेंट, कोयला, उर्वरक, रसद, पेट्रोल जिससे 58 प्रतिशत की आय 1950-51 में होती थी उसे 1971-72 में 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य बनाया गया।

3. पैसेन्जर गाडियाँ प्रमुख नगरों एवं उद्योगों के स्थानों पर बढ़ाने एवं ठहराव करने की वृहत योजना बनायी गयी।

प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार रहे—

1. माल ट्रैफिक—पाँचवी पंचवर्षीय योजना में माल ढुलाई का लक्ष्य 1978-79 तक लगभग 300 लाख टन रखा गया।

2 पैसेन्जर ट्रैफिक—इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की जनता के लिए लगभग 4 प्रतिशत रेलों से सड़कों पर यात्रा बढ़ाने के लिए जोर दिया गया ताकि दूर से आने वाली जनता को आसानी से जगह मिल सके। फलतः 67 प्रतिशत पैसेन्जर ट्रैफिक जो दूर से आते हैं उन्हें सुविधा प्रदान करने में आसानी होगी।

3. विकास योजना—विदेशी सहायता 330 करोड़ रुपये के साथ रेलवे पर सम्पूर्ण व्यय 2350 करोड़ रुपए रखा गया। लगभग 68 प्रतिशत इस रकम का रोलिंग ट्रैक एवं लाइन स्टाक पर खर्च करने के लिए रखा गया। कम खर्च में अधिक वस्तु प्राप्त हो सके की नीति अपनायी गयी इसे अग्राकित सारणी में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी न० १

चौथी व पाँचवी योजना में रेल विकास पर खर्च (करोड़ रुपये में)

विवरण	चतुर्थ योजना	पंचम योजना
1. रोलिंग स्टॉक	609	900
2. वर्कशाप एव शेड	22	120
3. मशीनरी एव प्लान्ट	22	40
4. ट्रैक का नवीनीकरण	161	200
5. पुल का कार्य	30	60
6. लाइन क्षमता	230	500
7. तार एव सुरक्षा	59	110
8. विद्युतीकरण	68	120
9. अन्य विद्युतीकरण कार्य	18	20
10. नई लाइनें	32	100
11. कर्मचारी हित	16	20
12. कर्मचारी आवास	65	40
13. उपभोक्ता सुविधा	20	20
14. अन्य विशेष कार्य	11	20
15. राजकीय रोडवेज में लगाया गया	14	30
16. इन्व्हेन्टरीज	61	50
17. पोस्ट एव टेलीग्राफ की लाइनों का अधिग्रहण	2	—
योग	1419	2350

योजना काल में रेलमार्ग, यात्रियों की संख्या व ढोए गए माल सभी में वृद्धि हुई है, जिसका ब्यौरा निम्न है—

वर्ष	रेलमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)	यात्रियों की संख्या (करोड़ों में)	ढोया गया माल (करोड़ टनों में)
1950-51	53,596	128	9
1955-56	55,011	128	12
1960-61	56,247	159	16
1965-66	58,399	208	20
1973-74	60,234	265	18
1977-78	60,693	350	—
1978-79	60,777	372	22
1979-80	60,933	351	19.3
1980-81	60,966	395	24.0

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

छठी पंचवर्षीय योजना में रेलों के लिए 5100 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। इसमें 2250 करोड़ पुनर्स्थापन एवं नवीनीकरण तथा 165 करोड़ 'रोड सेवा' कर्मचारी कल्याण तथा कर्मचारी आवास व उपभोक्ता आराम के लिए रखा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में रेल के विकास से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1. **चल स्टाक**—इस योजना के अन्तर्गत 780 डीजल-विद्युत इंजन 1,00,000 माल डिब्बे 4 पहिया वाले जिसमें लगभग आधे पुनर्स्थापन किये जाने वाले हैं, के प्राप्त होने का उद्देश्य रखा गया है। अधिक दिनों वाले यात्री यानों में 5,000 यात्री यानों की पुनर्स्थापना कर कुल 5,680 यात्रीयानों को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

2. **विद्युतीकरण**—छठी योजना काल में 2,800 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाता है जिसके लिए 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

3. **यातायात सुविधायें**—छठी योजना के दौरान बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए लगभग 1,675 कि० मी० लाइन को बड़ी लाइन कर सुविधा प्राप्त करने की योजना बनायी गयी है। 300 कि० मी० लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना है जो सातवीं योजना के प्रथम चरण तक पूरी होगी। इस कार्य के लिये 480 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

4. **ट्रैक नवीनीकरण**—इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6,000 कि० मी० पूर्ण रूपेण प्राथमिक ट्रैक का नवीनीकरण तथा 2,000 कि० मी० द्वितीयक ट्रैक के नवीनीकरण की आशा की गई है।

5. **नई लाइनें**—छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग 300 कि० मी० लम्बी नई लाइनों का निर्माण हो चुका है। शेष 3 वर्षों में अतिरिक्त 400 कि० मी० लम्बी नई रेल लाइन बनाने की योजना है।

6. **कर्मचारी आवास**—छठी योजना के अन्तर्गत लगभग 22,000 रेलवे आवास बनाने की योजना है इसके अतिरिक्त अन्य प्रोजेक्टों के लिए भी क्वार्टर बनाने का प्रावधान किया गया है।

7. **यातायात क्षमता**—छठी योजना के अन्त तक योजना आयोग ने यातायात क्षमता के 309 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। चूँकि 64 हजार माल डिब्बे तथा 7,800 यात्रीयानों की मरम्मत करना है इसलिए चलयान को सीमित मात्रा में बनाया जायेगा। ट्रैफिक सुविधाओं के अन्तर्गत 480 करोड़ रुपया रखा गया है।

वर्तमान स्थिति

योजना के दौरान रेलों की प्रगति का अनुमान निम्न तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है—

(1) **रेलो की लम्बाई**—भारत में रेल की लम्बाई जो वर्ष 1950-51 में

53,596 किलोमीटर थी, 1980-81 के आरम्भ में बढ़कर 60,966 किलोमीटर हो गई थी।

(ii) यात्री परिवहन—पहली पाँच योजनाओं के दौरान रेलों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में दो गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। पहली योजना के आरम्भ में प्रत्येक वर्ष 12,840 लाख यात्री रेलों का प्रयोग करते थे, जबकि 1980 के आरम्भ में रेल की यात्री संख्या बढ़कर 39,500 लाख प्रतिवर्ष हो गई थी।

(iii) माल यातायात—वर्ष 1950-51 में रेलों पर 930 लाख टन माल ढोया गया जबकि छठी योजना के प्रारम्भ में रेलों पर 2,400 लाख टन माल ढोया गया। छठी योजना के अन्त तक इसके 3,000 लाख टन बढ़ जाने की आशा है।

(iv) रेल इंजन की संख्या—पहली योजना के आरम्भ में भारतीय रेलों के पास 9,209 रेल इंजन थे जबकि छठी योजना के प्रारम्भ में यह संख्या बढ़कर 11,043 हो गई थी। छठी योजना के दौरान 800 नए इंजन जोड़े जाएंगे।

(v) माल डिब्बों की संख्या—रेलों के पास उपलब्ध डिब्बों की संख्या वर्ष 1950-51 में 206 लाख थी जो 1980-81 के आरम्भ में बढ़कर 428 लाख हो गयी थी।

(vi) सवारी डिब्बों की संख्या—रेलों के पास उपलब्ध सवारी डिब्बों की संख्या भी दुगुनी हो गई है। पहली योजना के प्रारम्भ में भारतीय रेलों के पास 19,628 सवारी डिब्बे उपलब्ध थे जबकि चौथी योजना के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर 36,426 हो गई थी। पाँचवी योजना में 76,426 हो गई थी। पाँचवी योजना में 7,600 सवारी डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। छठी योजना में 3,500 सवारी डिब्बे जोड़ने का कार्यक्रम है।

(vii) उत्पादन कारखाने—भारतीय रेलों के तीनों कारखाने (अ) चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क्स (ब) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और (स) इन्टीगल कोच फैक्ट्री देश की आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करते बरन् निर्यात भी करते हैं।

(viii) परामर्श सेवा—भारतीय रेलों की परामर्श सेवा को दुनिया में इस क्षेत्र की अच्छी सेवाओं में एक माना जाता है। हाल की अवधि में भारतीय रेलों ने ईरान, ईराक, श्रीलंका, मिस्र, ताइवान, सीरिया, सऊदी अरब, फिलिपाइन्स और जॉर्डन आदि देशों को परामर्श सेवा उपलब्ध की है।

(ix) क्षेत्र—भारतीय रेलें 9 क्षेत्रों में विभाजित हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है—

(i) उत्तरी रेलवे—यह रेलमार्ग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इस रेलमार्ग की कुल लम्बाई 10,688 किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। यह रेलवे भारत को कश्मीर से जोड़ती है, इसलिए इसका सैनिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्व है। इस रेलवे द्वारा गेहूँ, गन्ना, चावल, कपास, गुड़, तिलहन, चीनी तथा मूती कपड़े आदि पदार्थ ढोये जाते हैं।

इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएँ निम्नलिखित हैं—

(अ) सहारनपुर से मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ और वाराणसी होती हुई मुगलसराय तक ।

(ब) दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद होती हुई मुगलसराय तक ।

(स) दिल्ली से भटिण्डा होती हुई फिरोजपुर तक ।

(द) दिल्ली से अम्बाला, जालन्धर होती हुई अमृतसर तक ।

(ii) पश्चमी रेलवे—यह रेलमार्ग दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है । इस रेल मार्ग की कुल लम्बाई 10,147 कि० मी० है । इसका प्रधान कार्यालय बम्बई (चर्च गेट) में है । इस रेलवे द्वारा सूती कपड़ा, कपास, तिलहन, नमक, सीमेन्ट आदि पदार्थ ढोये जाते हैं । इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएँ निम्नलिखित हैं—

1 बम्बई से सूरत, बडौदा, रतलाम होते हुए दिल्ली तक ।

2 दिल्ली से आबू रोड होकर अहमदाबाद तक ।

3 मथुरा से उज्जैन तक ।

4 काँधला से गाँधीधाम तक ।

(iii) मध्य रेलवे—यह रेल मार्ग मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश व उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है । इसकी कुल लम्बाई 6,047 किलोमीटर है । इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है । इस रेलवे के क्षेत्र में बम्बई, नागपुर, शोलापुर व हैदराबाद आदि प्रमुख औद्योगिक नगर स्थित हैं । इस रेलवे द्वारा कपास, सूती कपड़ा, मैगनीज, सीमेन्ट, तिलहन आदि पदार्थ ढोये जाते हैं ।

(iv) दक्षिणी रेलवे—इसका विस्तार दक्षिण भारत में है । यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र, केरल व महाराष्ट्र में फैला हुआ है । इसकी कुल लम्बाई 7,502 किलोमीटर है । इसका प्रधान कार्यालय मद्रास में है । इस रेलवे के क्षेत्र में कई प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र तथा बन्दरगाह हैं । इस रेलवे द्वारा कपास, चावल, कहुवा, तिलहन, गन्ना, रबड़ आदि पदार्थ ढोये जाते हैं । इस रेल मार्ग की प्रमुख शाखाएँ निम्नलिखित हैं—

(अ) मद्रास से विजयवाडा होते हुए वाल्टेयर तक ।

(ब) मद्रास से कोयम्बटूर और कालीकट होते हुए मंगलौर तक ।

(स) मद्रास से त्रिचनापल्ली होते हुए धनुषकोटि तक ।

(द) मद्रास से मदुराई होते हुए टिन्नेवली तक ।

(v) पूर्वी रेलवे—मह रेल मार्ग पश्चिमी बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है । इस रेल मार्ग की लम्बाई 4,229 किलोमीटर है । इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है । इसी के क्षेत्र में कलकत्ता प्रसिद्ध बन्दरगाह के पृष्ठभूमि का भाग भी पड़ता है । इस रेलवे द्वारा चाय, अभ्रक, लोहा, कोयला, मैगनीज, रासायनिक खाद, जूट, चावल आदि पदार्थ ढोये जाते हैं । इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएँ अग्रलिखित हैं—

(अ) मुगलसराय से पटना होने हुए कलकत्ता तक ।

(ब) मुगलसराय में गया होते हुए कलकत्ता तक ।

(स) कलकत्ता से जमशेदपुर तक ।

(vi) **उत्तरी-पूर्वी रेलवे**—यह रेल मार्ग असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इस रेल मार्ग की लम्बाई 4,977 किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है। इस रेलवे द्वारा चीनी, कोयला, जूट, चाय, पेट्रोल आदि पदार्थ ढोये जाते हैं। इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएँ निम्नलिखित हैं—

(क) लखनऊ से सीतापुर और बरेली होती हुई मुरादाबाद तक ।

(ख) गोरखपुर से सारन और वाराणसी होती हुई इलाहाबाद तक ।

(ग) गोरखपुर से लखनऊ, कानपुर व कासगज होती हुई आगरा तक ।

(घ) गोरखपुर से कटिहार, सिलीगुड़ी और फकीरगाम होती हुई असम तक ।

(vii) **उत्तरी-पूर्वी सीमान्त रेलवे**—यह रेलमार्ग पहले उत्तरी-पूर्वी रेलवे का ही भाग था, किन्तु सन् 1958 में इसको एक अलग रेलवे क्षेत्र बना दिया गया है। यह रेल मार्ग नेपाल व बांग्ला देश की सीमाओं से मिलता है। इसकी कुल लम्बाई 3,628 किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय मालीगाँव (गोहाटी) में है। इस रेलवे का सैनिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है, क्योंकि यह उपर्युक्त सीमावर्ती प्रदेशों से होकर गुजरती है। इस रेलवे द्वारा चाय, पेट्रोल व चावल आदि पदार्थ ढोए जाते हैं।

(viii) **दक्षिणी-पूर्वी रेलमार्ग**—यह रेलमार्ग पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश व उड़ीसा में फैला हुआ है। यह रेलमार्ग 6,842 किलोमीटर लम्बा है। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है। राउरकेला तथा भिलाई के लोहे व इस्पात के कारखाने इसी के मार्ग पर स्थित हैं। कलकत्ता व विशाखापत्तनम बन्दरगाहों की पृष्ठभूमि इसी रेलवे के मार्ग में पड़ती है। इस रेलवे द्वारा कोयला, लोहा, मैंगनीज, चूना, डोलोमाइट, बाक्साइट, ताँबा आदि महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ ढोये जाते हैं। इसकी शाखाएँ निम्नलिखित हैं—

(क) हावडा से होकर नागपुर तक ।

(ख) रायपुर से विशाखापत्तनम तक ।

(ग) कटनी से बिलासपुर होकर रायपुर तक ।

(घ) वाल्टेयर से कटक होते हुए खडगपुर तक ।

(ix) **दक्षिणी-मध्य रेलवे**—इस रेलवे क्षेत्र का निर्माण सन् 1966 में हुआ है। यह आन्ध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भाग में फैला हुआ है। इसकी कुल लम्बाई 6,175 किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय सिकन्दराबाद (आन्ध्र) में है। 'अजन्ता' और 'एलोरा' की प्रसिद्ध गुफाएँ इसी रेलवे के मार्ग में स्थित हैं।

उत्तरी भारत में रेल मार्गों का जाल बिछा है—भारत के सभी भागों में घंरातल एक समान नहीं पाया जाता इसलिए भारत में सर्वत्र रेल मार्गों का विकास एक समान नहीं हुआ है। उत्तरी भारत में समतल धरातल होने के कारण रेल की

पटरियाँ बिछाना बहुत सरल है। यही कारण है कि उत्तरी भारत मे रेल मार्गों का जाल-सा बिछा है।

भारतीय रेलो की समस्याएँ

(क) प्रशासनिक समस्याएँ	(ख) आर्थिक समस्याएँ	(ग) जन असहयोग की समस्याएँ	(घ) प्राकृतिक समस्याएँ
1 रेलो मे भीड़- भाड़	2 रेलो के पुनर्स्थापन की कमी	1 बिना टिकट यात्रा	1 दैवी एव मानवीय आपदाएँ
2 भ्रष्टाचार	2. ईंधन की कमी	2 माल की चोरी	2. दुर्गम स्थानों तक पहुँच असम्भव
3 दुर्घटनाएँ	3. सीमित साधन	3. उदासीनता	
4. अन्तर्माप की समस्याएँ	4. वेतन वृद्धि से भार		
5. बिस्लब सि चलना	5. अनुसंधान की कमी		
6 प्रतिस्पर्धा	6. क्षतिपूर्ति		
7. सुविधाओं का अभाव	7. अलाभप्रद शाखाएँ		
8. दुर्ब्यवहार	8. रेल मार्गों की कमी		

(क) प्रशासनिक समस्याएँ—ये वे समस्याएँ है जो रेलवे प्रशासन की कमियों के कारण उत्पन्न होती है। प्रमुखतः ये समस्याएँ निम्नलिखित है—

(1) रेलों में भीड़-भाड़ की समस्या—वर्तमानक समय मे रेलो मे अत्यधिक भीड़ रहती है कि जिससे एक ओर तो जनता को असुविधा रहती है और दूसरी ओर रेलो की कार्यक्षमता मे ह्रास होता है। श्री डी० पन्त के शब्दो मे “पूर्ण भरी हुई लम्बी गाडियाँ छत पर, फुटबोर्ड पर लटकते हुए यात्री, भेड़-बकरियों की तरह भरे हुए, कुछ बन्दरो की तरह बाहर लटके हुए और दमे के रोगी की तरह साँस भरता हुआ इन्जन, यह देश मे सामान्य दृश्य है।”

इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है—

(i) जनसंख्या मे वृद्धि—जनसंख्या मे तीव्र गति से हो रही वृद्धि रेलो की भीड़-भाड़ का प्रमुख कारण है।

(ii) त्योहार एवं पर्व—भारत पर्वों एव त्योहारो का देश हे। यहाँ हर महीने देश के किसी न किसी भाग मे कोई न कोई त्योहार या पर्व होते रहते है। परिणामतः उस पर्व या त्योहार पर गाडियो मे भीड़-भाड़ अधिक हो जाती है।

(iii) शिक्षा में वृद्धि—देश मे शिक्षा के प्रसार के कारण भी रेलो मे विद्यार्थियों की संख्या मे अत्यन्त वृद्धि हुई है।

- (iv) जो यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
 (v) गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाए।

2. भारतीय रेलों में भ्रष्टाचार—अन्य क्षेत्रों की भांति भारतीय रेलों में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत अधिक गंभीर है। डा० डी० पन्त ने अपनी पुस्तक 'भारत में यातायात समस्याएँ' में लिखा "यदि आपको एक वैगन की आवश्यकता है तो इसके आगे बढ़ने से पहले आप स्वयं आगे बढ़िए। सम्बन्धित पक्ष के कर्मचारियों से मिलिए और उनकी शर्तें स्वीकार कीजिए। यदि आपको माल छुड़ाना है तो या तो पाँच घण्टे बैठकर इन्तजार कीजिए या इनसे समझौता करके शीघ्र माल छुड़ा लीजिए और यदि अपने नम्बर से पहले आपको डिब्बा चाहिए तो 100 रुपए का एक नोट खिसकाइए, डिब्बा मालगाड़ी में जोड़ दिया जाएगा चाहे यह अतिरिक्त डिब्बा इजन पर जोर ही क्यों न डाले।" कभी-कभी तो बारात की बारात बिना टिकट के होती है और चेक करने वाला अपना हक लेकर बारात को जाने देता है। जब यात्रियों को टिकट नहीं मिलते तो रेलवे अधिकारियों को कुछ रुपया देकर यह समस्या हल कर ली जाती है। लगेज अधिक होने पर यात्रियों से पैसा वसूल कर लिया जाता है और बिना रसीद दिए उनको छोड़ दिया जाता है। स्वतन्त्रता पाने के बाद देश का नैतिक स्तर और भी गिर गया है जिससे भ्रष्टाचार का रोग और भी पनप उठा है।

सन् 1948 में कुँजरू समिति ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक रेल कर्मचारी से उसकी अचल सम्पत्ति की घोषणा करा लेनी चाहिए। ससद सदस्यों की माँग पर सरकार ने इसके निवारणार्थ सन् 1953 में भ्रष्टाचार समिति की नियुक्ति की। समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें भ्रष्टाचार के निम्नलिखित प्रकार बताये गये —(i) माल बुक करते समय (ii) माल उतारते-चढ़ाते समय (iii) मार्ग में विलम्ब कर (iv) तौल में कमी-बेशी कर (v) विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क (vi) माल सुपुर्दगी के समय एव (vii) पार्सल यत्तायात में।

भ्रष्टाचार निरोधक संगठन की रचना की गयी। इसका कार्य भ्रष्ट अधिकारियों एव कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है। चौकसी संगठनों ने व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चारों तरफ जाल बिछाये है। प्रत्येक रेल क्षेत्र में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। उनके अधीन सतर्कता निरीक्षक होते हैं जो हर रेल के विभागों में भ्रष्टाचारियों को ढूँढ दिलाते हैं। इन निवारक जाँच कार्यों से एक ओर राजस्व प्राप्त करने में सहायता मिलती है तथा दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों का दंडित कर प्रशासन स्वच्छ बनाया जाता है।

समय-समय पर रेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम्नाज उठती रहती है लेकिन समस्या का निदान नहीं हो सका है।

भ्रष्टाचार जाँच समिति, 1955 ने रेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं।

- (1) रेलवे विभाग के निर्धारित नियमों तथा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए।

(11) निरीक्षकों को अपना कार्य न्याय से निष्ठापूर्वक और निडर होकर करना चाहिए।

(11x) पत्र-व्यवहार में कम से कम समय लगाना चाहिए।

(1iv) थोड़े-थोड़े समय के पश्चात् रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर देना चाहिए, जिससे ये लोग व्यापारियों से अनुचित लाभ न उठा सके।

(v) रेलवे कर्मचारियों के प्रति बनाए गए नियमों व उपनियमों का कठोरता के साथ पालन होना चाहिए।

(vi) अपराधियों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

(vii) सुयोग्य एवं ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कार मिलना चाहिए।

(viii) रेलवे पुलिस में सुधार होना चाहिए।

(ix) जनता की शिकायतें सुनने के लिए जाँच प्रणाली सरल होनी चाहिए।

(x) चलती-फिरती अदालतों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले सुने जाने चाहिए।

(xi) सामान्य अनुशासन पर अधिक बल देना चाहिए।

(xii) रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यों पर अधिक धन व्यय किया जाना चाहिए।

(xiii) रेलवे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए।

(xiv) प्रत्येक क्षेत्र में एक रेलवे न्यायालय स्थापित होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों पर शीघ्र निर्णय दे सके।

(xv) देश की जनता को भी भ्रष्टाचार मिटाने में सहायता देनी चाहिए। जो रेलवे कर्मकारी रिश्वत माँगता है उसे रिश्वत न देकर उच्च अधिकारियों से तथा पुलिस से उसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए।

(3) दुर्घटनाओं की अधिकता—आधुनिक युग में रेल दुर्घटनाएँ एक गम्भीर समस्या बन गई हैं जिससे मानव, पशु और धन की हानि होती है और रेलवे की ख्याति को भी कलक लगता है। भारतीय रेल दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आँकड़े नीचे सारिणी में दिये गये हैं।

वर्ष	टक्कर	गाड़ी का पटरी से उतर जाना	गाड़ियों में आग लग जाना	क्रांसिंग पर होने वाली दुर्घटनाएँ	कुल गाड़ी दुर्घटनाएँ
1	2	3	4	5	6
1962-63	98	1316	55	168	1637
1970-71	59	648	12	121	840
1975-76	64	768	27	105	964
1777-78	54	705	14	93	866
1978-79	55	778	12	86	931
1979-80	72	692	21	115	900
1980-81	69	825	29	90	1013

रेल दुर्घटनाओं के कारणों में रेल फाटकों का खुला रह जाना, विस्फोटक पदार्थों से आग लगना, रेल कर्मचारियों की अकुशलता, यत्र में खराबी होना आदि मुख्य हैं। कुछ रेल दुर्घटनाएँ विध्वंस कार्यों के कारण भी हुई हैं, सन् 1978 में रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'दुर्घटनाओं की तथ्योक्तमक' समीक्षा के अनुसार अधिकांश दुर्घटनाएँ रेल कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुई थी।

रेल प्रशासन और सरकार ने रेल दुर्घटनाओं की समस्या की रोकथाम और रेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किये हैं; इस सम्बन्ध में सन् 1954 में शाहनवाज समिति, सन् 1969 में कुजूरु समिति और सन् 1969 में बांचू समिति की नियुक्ति की गयी और इनके सुझावों के आधार पर उचित पग उठाये गये हैं।

रेल दुर्घटनाओं के सदर्थ में सरकारी प्रयत्न

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है। रेल कानून में सशोधन करते समय सरकार रेल यात्रियों के जीवन और उनकी सम्पत्ति का बीमा करने के सुझाव पर विशेष ध्यान देगी।

सरकार निम्नलिखित उपायों को युक्तिसंगत बनाने और उन्हें प्रभावकारी ढङ्ग से लागू करने के सम्बन्ध में विचार रखती है—

1. नियमित अन्तरालों पर गतायु रेल पथ की अल्ट्रासोनिक जाँच।
2. आधान लाइनों के लिए रेल पथ अन्तर्पार्शन और धूरागणक जैसे तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग।
3. ड्राइवरो की अनिवार्य स्वास्थ्य विश्लेषण परीक्षा को लागू करना ताकि वे नशे की हालत में काम पर न आ सकें।
4. सभी डीजल और बिजली के रेल इंजनों में शक्तिशाली प्लैस, प्लाइट लगाना ताकि निकटवर्ती लाइनों पर ड्राइवरो को गाडी के पट्टों से उतर जाने आदि के कारण उत्पन्न किसी सम्भावित बाधा के बारे में सचेत किया जा सके।
5. परिचालनिक कोटियों में समस्या-कर्मचारियों का पता लगाने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए सुरक्षा परामर्शदाताओं का अधिक उपयोग करके कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
6. महाप्रबन्धकों द्वारा सुरक्षा पर अधिक बल देते हुए ट्रैक मार्गों पर सर्वाङ्गपूर्ण निरीक्षण को जारी रखना।

इस प्रकार सरकार रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अनेकों प्रयास कर रही है, ताकि यात्री निश्चिन्त होकर सुरक्षित यात्रा कर सकें। आशा है कि अब रेल दुर्घटनाओं में पर्याप्त कमी आयेगी।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

- (i) कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा की जानी चाहिए।
- (ii) दोषी कर्मचारियों को शीघ्र और कठोर सजा दी जानी चाहिए।
- (iii) कर्मचारियों के स्वास्थ्य का

पूर्ण ध्यान रखना चाहिए (iv) कर्मचारियों के लिये समय-समय पर 'रिफ्रेजर कोर्स' की व्यवस्था होनी चाहिए। (v) मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से उपयोगी सूचनाएँ प्रसारित की जानी चाहिए। (vi) यात्रियों को नियमानुसार और सावधानी पूर्वक रेल यात्रा करनी चाहिए। (vii) अधिक भीड़-भाड़/को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। (viii) प्रत्येक रेलवे जिले, क्षेत्र, कर्मशाला तथा मुख्यालय स्तर पर सुरक्षात्मक सग-ठन शुरू किया जाना चाहिये। रेलवे मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये हैं।

(4) अन्तर्माप की समस्याएँ (Gauge Problem)—भारत में 4 रेल अन्तर्माप हैं। बड़ी लाइन (5 फीट 6 इंच) छोटी लाइन (3 फीट 3 $\frac{3}{4}$ इंच) उससे छोटी लाइन (2 फीट 6 इंच) और सबसे छोटी लाइन (2 फीट) हैं। जिसमें बड़ी लाइन और छोटी लाइन का अधिक प्रचार है।

विविध प्रकार के गेज होने के कारण व्यवसाय एवं व्यापार में असुविधा पैदा होती गई। कई स्थानों पर यानान्तरण यार्ड बनाये गये जिससे किराया भाड़ा अधिक पड़ता था फलतः माल अधिक कीमती होता था और जनता को अधिक पैसे चुकाने पड़ते थे। कभी-कभी यानान्तरण में कई दिन लग जाते थे जिससे आवागमन रुक जाता था।

उपर्युक्त कठिनाइयों में छुटकारा पाने के लिए सारे देश में एक गेज के माप की रेल का होना उचित होगा। इस समय भारत सरकार अन्तर्माप परिवर्तन का कार्य विशेष प्रकार से कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 46 मील छोटी लाइन बड़ी लाइन में बदली गई। द्वितीय योजना काल में 265 मील तृतीय में 350 कि० मी० तथा चौथी में 750 कि० मी० को बड़े पथ में परिवर्तित किया गया। रेलवे बोर्ड ने आगामी 10-15 वर्षों में लगभग 3000 कि० मी० अन्तर्माप परिवर्तन की योजना बनायी है परन्तु भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 5 फीट 6 इंच, 3 फीट 3 $\frac{3}{4}$ इंच, 2 फीट 6 इंच तथा 2 फीट के गेजों का रहना उचित है। जहाँ तक हो सके उसे 5 फीट 6 इंच में परिवर्तित होना अधिक लाभकारी होगा।

(5) रेलों का बिलम्ब से चलना—रेलों की कार्यक्षमता कम होने के कारण रेलें अक्सर बिलम्ब से चला करती हैं। रेलों के बिलम्ब से चलने से राष्ट्रीय समय की बर्बादी एवं उत्पादकता में कमी हो जाती है जो कि रेलों की प्रमुख प्रशासनिक समस्या है।

(6) प्रतिस्पर्द्धा—भारत में रेलों की समस्याओं का एक कारण सड़क से प्रतिस्पर्द्धा का होना भी है। रेल किराये-भाड़े में कोई बढ़ोतरी होने पर सड़कों से प्रतिस्पर्द्धा हो जाती है। यद्यपि उक्त दोनों परिवहनों में समन्वयकारी नीति निर्धारित कर ली गई है, फिर भी सड़क परिवहन अपनी तीव्र सेवा और व्यापक उपयोगिता के कारण रेलों से टक्कर लिए हुए है।

(7) सुविधाओं का अभाव—रेलों में उठने-बैठने की व्यवस्था, प्रसाधन सुविधा,

खाद्य सामग्री विक्रय व्यवस्था इत्यादि अभी तक उचित मानको तक नहीं पहुँच पायी है, और यह रेल परिवहन की एक समस्या बनी हुई है।

(8) दुर्व्यवहार—भारतीय रेलों के प्रशासन तन्त्र में सामान्य व्यक्ति को हर स्थानों पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़े हर्ष की बात है कि “अच्छा बर्ताव कीजिए, जनता का दिल जीतिए” का नारा अब भारतीय रेलों में भी गूँजने लगा है।

(ख) आर्थिक समस्याएँ—एक विकासशील राष्ट्र के कारण भारत में आर्थिक साधनों की सीमितता है। इन सीमित आर्थिक साधनों से वृहत् रेल व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। अतः ऐसी प्रमुख आर्थिक समस्याएँ इस प्रकार हैं—

(1) रेलों के पुनर्स्थापन की कमी—निरन्तर प्रयोग के कारण रेलवे रोलिंग स्टॉक (इजन, डिब्बे) रेलवे ट्रैक, स्टेशन इत्यादि की कार्यक्षमता में काफी ह्रास हुआ है। अतः रेलगाड़ियाँ चलाने की लागत बढ़ जाती है जिससे रेलवे को काफी हानि उठानी पड़ती है। फलतः इनके पुनर्स्थापन की समस्या उत्पन्न होती है।

(2) ईंधन की कमी—ईंधन की समस्या आधुनिक औद्योगिक युग की प्रमुख समस्या है। भारत में अधिकांश रेलें कोयले से चलायी जाती हैं, और कोयले के भंडारों की भी मात्रा सीमित होने के कारण, समय-समय पर रेलों को ईंधन के अभाव के कारण बन्द करना पड़ता है। रेलों के विद्युतीकरण एवं इजनों को डीजल से चलाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

(3) सीमित साधन—हमारे देश में रेलों पर जो व्यय किया जाता है वह आवश्यकता से कम है। सीमित आर्थिक साधनों के कारण रेल मार्गों की लम्बाई आवश्यकता से कम है, तथा रोलिंग स्टॉक की मात्रा भी विशेष नहीं है। इस प्रकार भारतीय रेल सीमित आर्थिक साधनों के कुचक्र में फँसी हुई है।

(4) अनुसंधान की कमी—भारत में रेल समस्याओं का एक प्रमुख कारण अनुसंधान की कमी है। कुंजरू समिति ने अनुसंधान पर बहुत बल दिया है। अनुसंधान में कमी के कारण यात्री सुविधाएँ, गति वृद्धि, लागत कमी, आदि के सम्बन्ध में नवीन आविष्कार नहीं हो पाते।

(5) वेतन वृद्धि से भार—वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करने से रेल कर्मचारियों में हुई वेतन वृद्धि से रेल वित्त पर लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक का भार पड़ा है, जो कि रेल विभाग की दिन-प्रतिदिन की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

(6) क्षतिपूर्ति समस्या—रेलो द्वारा भेजा गया माल अगर खो जाये, चोरी हो जाये, या खराब हो जाये तो इसके लिए रेलवे विभाग को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। 1978-79 में लगभग 30 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी थी। इससे रेलवे विभाग को भारी वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है।

(7) अलाभप्रद शाखाएँ—अनेक समस्याओं के कारण रेलवे की अनेक शाखाएँ

घाटे में चल रही है। इनको बन्द करना भी सम्भव नहीं है। इन शाखाओं से विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। अतः अलाभप्रद शाखाएँ भी रेल विभाग की प्रमुख समस्या हैं।

(8) रेल मार्गों की कमी— अब भी देश में अनेक ऐसे भाग हैं जिनमें रेलमार्गों की कमी है। भारत में प्रतिवर्ग कि० मी० क्षेत्र में केवल 18 मीटर लम्बे रेल मार्ग हैं और देश के अनेक भाग रेल सेवा से अभी भी वंचित हैं।

(ग) जन असहयोग की समस्याएँ भारतीय रेलवे में जन असहयोग की समस्या भी गंभीर रूप से विद्यमान है। जन असहयोग की प्रमुख समस्याएँ निम्नांकित हैं—

(1) बिना टिकट यात्रा—रेल प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जाने के बावजूद बिना टिकट यात्रा रेल परिवहन की एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। 'डब्लू टी' शब्द जनता में साधारण रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के कारण रेलों को 20 से 25 करोड़ रुपए तक वार्षिक हानि उठानी पड़ती है। रेलों को भारी हानि के अतिरिक्त यात्रियों को भी भीड़-भाड़ के कारण बड़ी असुविधा होती है।

कुंजर समिति ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया है—

(क) बैँडमान तथा कपटी व्यक्ति—ऐसे यात्री जिनके पास रुपया तो है किन्तु देना नहीं चाहते और रेलों को धोखा देकर पैसा बचाना चाहते हैं।

(ख) धनहीन यात्री—टिकट विहीन यात्रियों का वह वर्ग जो अत्यन्त निर्धन होता है, अतः निर्धनता के कारण टिकट प्राप्त नहीं कर पाता है।

(ग) विवश यात्री—जिन्हें बुकिंग आफिस समय से न खुला होने अथवा बुकिंग की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण प्रयत्न करने पर भी टिकट न मिला हो।

(घ) विद्यार्थी एवं पुलिस—विद्यार्थी वर्ग केवल बिना टिकट यात्रा ही नहीं करते हैं बल्कि रेल कर्मचारियों के प्रति अभद्रता भी करते हैं। यह वर्ग बिना टिकट यात्रा करना अपना गौरव समझता है।

पुलिस कर्मचारी अपने वर्दी का लाभ लेते हैं, और वर्दी पहनकर यात्रा करते समय टिकट नहीं लेते हैं।

रेल प्रशासन द्वारा बिना टिकट यात्रा की समस्या के समाधान के लिये अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे—(i) टिकट निरीक्षकों की संख्या बढ़ाना (ii) अनायास निरीक्षण करना (iii) चलते-फिरते न्यायालयों की योजना चलाना (iv) बिना टिकट यात्रा पर दण्ड बढ़ाने की व्यवस्था करना (v) अतिरिक्त बुकिंग आफिसें स्थापित करना (vi) स्टेशन क्षेत्र के दोनों ओर बेड़े लगाना और कड़ी देखभाल करना। (vii) बिना टिकट यात्रा के दृष्टपरिणामों का रेलवे द्वारा व्यापक सर्चित्र विज्ञापन भी किया जा रहा है।

समस्या के समाधान के लिये उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त कुछ सुझाव इस

प्रकार दिये जा सकते हैं—(अ) टिकट घर गाड़ी के समय से बहुत पूर्व खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। (ब) रेलवे के प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को टिकट देखने का अधिकार होना चाहिए। (स) महिलाओं के लिये टिकट बाँटने की खिडकियाँ अलग होनी चाहिए। (द) 24 घण्टे काम करने वाले टिकट घर खोलने चाहिए। (य) शहरों में अधिक स्थानीय टिकट घर स्थापित किये जाने चाहिए। (र) मेला या नुमा-इश के अवसर पर टिकट खिडकियों और टिकट बाबुओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। (ल) टिकट परिवर्तन तथा विस्तार के लिये टिकट निरीक्षक सुविधापूर्वक मिलने चाहिए (ब) शिक्षा संस्थाओं में बिना टिकट यात्रा सम्बन्धी वाद-विवाद एवं निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन करके जनजागृति उत्पन्न करनी चाहिए।

(2) माल की चोरी—प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की रेलवे सम्पत्ति या जनता द्वारा भेजा गया सामान रास्ते में चुरा लिया जाता है। रेलों में होने वाली चोरी व उठायीगीरी को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(*) लदान के माल की चोरी और (ii) रेल सम्पत्ति की चोरी। रेलवे को ऐसे चुराये गये माल के सम्बन्ध में 1978-79 में 12 3 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। सरकार ने इसको रोकने के लिये रेल सुरक्षा दल आदि तैनात किये हैं लेकिन वे अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। अतः उनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न जन आन्दोलनों, आक्रोशों और हड़तालों से रेल विभागों को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ती है। रेल प्रशासन ने राज्यों के अधिकारियों एवं रेल सेवा के अधिकारियों तथा श्रम सगठनों के प्रतिनिधियों का एक सगठन राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर अपराध रोकने के लिए बना रखा है। रेल मार्गों की गहन निगरानी आर० पी० एफ० और आर० पी० एस० एफ० के जवानों द्वारा कराई जा रही है। सी० आई० डी० पुलिस की व्यवस्था भी रेल विभाग में की गई है। इसका कार्यालय कलकत्ता में रखा गया है। बंगाल पुलिस ने रेल सामान के चोरों के खिलाफ आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का भी प्रयोग किया है।

सुझाव—आवश्यकता इस बात की है कि हमारा रेल प्रशासन इस ओर अवि-लम्ब ध्यान दे तथा इन अपराधों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये। इसके लिए निम्न सुझाव उपयोगी हो सकते हैं—

(1) रेल सुरक्षा दल के सगठन में आमूल परिवर्तन कर उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए।

(ii) रेल सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन कर उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशा-शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा सेवकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

(iv) खुले वैगनों की संख्या में कमी कर बन्द वैगनों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये।

(v) एक डिब्बे में दूसरे डिब्बे में सुरक्षा कर्मचारियों के आवागमन की सुविधाओं से युक्त डिब्बों का निर्माण कराया जाना चाहिए।

(vi) रेल वैगनों के निर्माण की तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए जिससे तोड़-फोड़ की सम्भावनाएँ कम हो सकें।

(vii) लेबल लगाने के तरीके में सुधार कर वैगनों को गाड़ी से तोड़ लेने या गलत पते पर पहुँचने के अपराध रोके जाने चाहिए।

(viii) घटनाओं की सूचना तत्काल प्रहरी को देने के लिए रेलवे के मुख्य स्टेशनों व जंक्शनों पर विद्युत ध्वनि प्रसारक यन्त्र लगाये जाने चाहिए।

(ix) अनिच्छित व्यक्तियों के प्रवेश का रोकने के लिये रेलयादों की हदबन्दी की जानी चाहिए।

(3) उदासीनता—भारतीय जन मानस रेलों को अपने राष्ट्र की सम्पत्ति नहीं समझते और उनकी सुरक्षा, देख-रेख आदि के सम्बन्ध में पूर्णतः उदासीन रहते हैं। तोड़-फोड़ जैसी अनुचित हरकतों को भी करने में वे नहीं झिझकते। फलतः इससे रेलों को भारी क्षति होनी है।

(4) प्राकृतिक समस्याएँ - ये वे समस्याएँ हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न होती हैं। प्रमुख प्राकृतिक समस्याएँ इस प्रकार हैं -

(1) दैवी एवं मानवीय आपदाएँ— ये आपदाएँ आकस्मिक होती हैं, अतः कभी भी आ सकती हैं। इन आपदाओं से रेलों को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ती है। दैवी आपदाओं में मृच्छ्यत घोर वर्षा, आँधी, ओला, भूकम्प तथा बाढ़ हैं।

मानवीय आपदाओं में हड़ताल, आन्दोलन, प्रदर्शन उपद्रव आदि प्रमुख हैं। परिणामतः इनसे भी रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है।

(2) दुर्गम स्थानों तक पहुँच असम्भव— प्राकृति ने भारत को विभिन्नता एवं विविधता प्रदान की है। देश में अनेक उच्चावचन हैं। कहीं तो पठार है और कहीं पर्वत है। अतः रेल विकास की दृष्टि से इसका स्वरूप समस्या जनक रहा है। हिमालय पर्वत के उच्च भाग, व अन्य अनेक ऊबड़-खाबड़ प्रदेश आज भी अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण रेल सुविधाओं से वंचित हैं।

रेलों की प्रगति के लिए सुझाव

भारतीय रेलों की स्थिति को सुदृढ़ एवं प्रगतिशील बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) प्रमापीकरण—रेल सामग्री एवं उपकरणों का सार्वजनिक उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि उनका प्रमापीकरण किया जाए जिससे समरूप माल का आयात किया जा सके।

(2) सड़क परिवहन उपयोग—कम मात्रा में परिवहन और आंशिक वैगन-

लदान का व्यय बहुत ही अधिक होता है अतः उपयुक्त क्षेत्रों में इसे सड़क परिवहन को सौंपा जा सकता है।

(3) आधुनिकीकरण में सतर्कता—हमारे यहाँ रेल के भण्डार अत्यन्त ही सीमित मात्रा में हैं। अतः डीजल इन्जिन का उपयोग मावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। क्योंकि आयात पर निर्भरता उचित नहीं है।

(4) सड़क परिवहन का विकास—नवीन रेल मार्ग के निर्माण की अपेक्षा सड़क परिवहन को विकसित किया जाना चाहिए जिससे गैर औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

(5) सड़क गेज का अन्त—जिस स्थान पर सड़क परिवहन की सुविधाएँ मौजूद हैं वहाँ पर सड़क रेल मार्ग को समाप्त कर दूसरे परिवहन साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

(6) मीटर गेज का ब्रॉड गेज में रूपान्तरण—मीटर गेज को चलाने में अधिक खर्च पड़ता है अतः मीटर गेज को धीरे-धीरे ब्रॉड गेज में बदल देना चाहिए। परिवर्तन के कार्य में प्रमुख रूप से रेल मार्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(7) यात्रियों की सुविधाएँ—यात्रियों के लिए विभिन्न योजनाओं में सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखा गया, किन्तु अभी भी दूसरे दर्जे की कठिनाइयाँ मौजूद हैं। अतः इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(8) डीजलीकरण एवं विद्युतीकरण—ऐसे मार्ग जिनका घनत्व अधिक है, उन्हें बिजलीकृत या डीजल युक्त किया जाना चाहिए। तकनीकी आर्थिक अध्ययन कराए जाएँ जिससे विद्युतीकरण एवं डीजलीकरण का पुनरीक्षण किया जा सके।

(9) हवा के ब्रेकों का उपयोग—गाड़ियों की चाल मार्ग तय करने की शक्ति एवं सवारी गाड़ियों के भार में वृद्धि हेतु हवा ब्रेको का उपयोग किया जाना चाहिए।

(10) अन्य सुझाव—(i) रेल पथ एवं सिगनल व्यवस्था में सुधार किया जाए। (ii) बिना टिकट यात्रा को निरापद बनाया जाए। (iii) रेल प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए। (iv) रेल सामग्रियों की वृद्धि की जाए (v) रेल कर्मचारियों की असावधानी से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना पर कठोर नियन्त्रण रखा जाए।

सन् 2000 में रेलों की सम्भावित स्थिति

उपनगरीय (Suburban) रेल यात्री परिवहन 69,000 से 80,000 मिलियन यात्री किलोमीटर के मध्य होने की संभावना है जब कि अउपनगरीय (Non-Suburban) यात्री परिवहन 2,50,000 से 4,20,000 मिलियन यात्री किलोमीटर के मध्य होने की संभावना है।

माल के यातायात की दृष्टि से अनुमान 2,50,000 से 6,00,000 मिलियन टन कि० मी० के मध्य है।

विद्युतीकृत रेल मार्गों की लम्बाई सन् 2000 में 25,000 कि० मी० होने की सम्भावना है तथा उस समय लगभग 4000 डीजल इंजन और 8000 इलेक्ट्रिक इंजनों की आवश्यकता होगी। सन् 2000 में यात्री डिब्बों की संख्या लगभग 75,000 और माल डिब्बों की संख्या लगभग 15,00,000 (चार पहियों के) होने की सम्भावना है।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 रेलों को 'राष्ट्र की जीवन रेखा' कहा जाता है। विवेचन कीजिये ?
2. कृषि उद्योग एवं व्यापार पर रेलों का जो प्रभाव पड़ा है, उसकी विवेचना करिये ?
- 3 "रेल परिवहन एकाधिकार राष्ट्रीयकरण के लिये आदर्श है।" टिप्पणी कीजिये ?
- 4 योजनावधि में भारतीय रेलों के विकास के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिये ?
- 5 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे के विकास का परीक्षण कीजिये ?
- 6 रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिये ?

रेल किराया-भाड़ा सिद्धान्त व वस्तुओं का वर्गीकरण (Principles of Rates and Fares and Classification of Goods)

बाजार में जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम रेल परिवहन की सेवाओं का उपयोग करते हैं तो उसका मूल्य हमको देना होगा। किराये-भाड़े को रेल-सेवा के मूल्य की भाँसा दी जाती है। यात्रियों के स्थानान्तरण के लिए जो मूल्य लिया जाता है उसे दर (Rate) और माल के स्थानान्तरण के लिए जो मूल्य लिया जाता है उसे भाड़ा (Fare) कहते हैं।

रेल दरो व भाड़े के निर्धारण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

1. सेवा लागत सिद्धान्त (Principle of Cost of Service)
2. सेवा की उपयोगिता या सेवा मूल्य का सिद्धान्त (Utility or Value of Service Principle)
3. विभेदात्मक मूल्य सिद्धान्त (Principle of Differential Charging)
4. अन्य सिद्धान्त (Other Principles)
 - (i) समानान्तर दर या मील भाड़ा (Flat or Mileage Rate)
 - (ii) प्रादेशिक भाड़ा (Zone Rate)
 - (iii) शृण्डीकार भाड़ा (Tapering Rate)
 - (iv) डाक सिद्धान्त (Postal Principle)
 - (v) सामूहिक भाड़ा (Group Rate)
 - (vi) वर्ग भाड़ा (Block Rate)
 - (vii) विशेष भाड़ा (Special Rate)

1. सेवा लागत सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार रेलवे का भाड़ा (या दरे) उन व्ययों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए जो कि सम्बन्धित सेवाओं को प्रदान करने में की गई हो। सक्षेप में जिस सेवा को प्रदान करने में जितनी लागत लगे उसी के अनुसार भाड़ा निश्चित किया जाना चाहिए। लागत के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है परन्तु लागत से तात्पर्य यहाँ औसत लागत से है। प्रति व्यक्ति या वस्तु जो औसत लागत आती है उसमें एक निश्चित लाभ जोड़कर प्रति व्यक्ति या वस्तु मूल्य

निश्चित कर लिया जाता है। सबसे पहल इस सिद्धान्त का प्रयोग 1867 में जर्मनी में किया गया था।

सिद्धान्त के प्रयोग करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ—देखने में सेवा की लागत का सिद्धान्त बहुत सरल प्रतीत होता है किन्तु जब इसे व्यवहार में लाने की चेष्टा की जाती है तो अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

(i) प्रति इकाई लागत व्यय निकालना कठिन है—प्रतिव्यक्ति और प्रति-वस्तु लागत निश्चित करना सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि रेलें माल भी ले जाती हैं और सवारों भी। माल में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं और यात्रियों में भी श्रेणियाँ होती हैं। स्पष्टतः प्रति इकाई यातायात का औसत लागत ज्ञात करना कठिन है और जब तक औसत लागत मालूम नहीं होगा तब तक किस इकाई से कितना वसूल किया जाय यह कठिन है।

(ii) सेवा से पूर्व ही किराया-भाडा निर्धारण की कठिनाई—सेवा की लागत सेवा के पश्चात् मालूम हो सकती है जब कि इस सिद्धान्त के अनुसार किराये-भाडे की दरें पहले ही निश्चित करनी पड़ती हैं। अतः यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है।

(iii) रेल लागत व्यय निश्चित धनराशि नहीं—रेल उद्योग के लिए लागत व्यय का अर्थ विशेष व्यय, अतिरिक्त व्यय अथवा अस्थिर व्यय से लिया जाता है। परन्तु ये व्यय कोई निश्चित धनराशि नहीं होते क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। अतः यातायात को किसी एक इकाई की लागत मालूम करना कठिन है क्योंकि यह मालूम करना सम्भव नहीं है कि यातायात की किसी इकाई पर कितनी मात्रा में पूंजी व्यय होती है और कितनी मात्रा में संचालन व्यय।

(iv) सेवा प्रदान करने की दशाओं में भिन्नता—रेलवे बड़ी भिन्न दशाओं में सेवा प्रदान करती है जिनमें उसका व्यय समान नहीं होता। कोई रेल परिवहन सेवा करती है, कोई माल का संचय एवं वितरण करती है, कोई माल स्वयं लाती है आदि। यदि हम परिवहन सेवा की ओर ध्यान दें तो हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं जैसे—माल किस प्रकार की गाडी और किस प्रकार के डिब्बे में जायेगा, माल किस मार्ग से जाएगा, माल का जोखिम क्या है, माल रेलवे की अपनी जिम्मेदारी पर ले जाया जाएगा अथवा स्वामी के उत्तरदायित्व पर आदि। इस प्रकार की सभी बातें यातायात सम्बन्धी लागत को प्रभावित करती हैं। अतः स्पष्ट है कि सेवा की लागत जिन दशाओं में सेवा दी जाती है उसके अनुसार बदलती रहती है। दशा विशेष में सेवा की लागत क्या होगी यह निश्चित करना बहुत कठिन है।

(v) केवल पूर्ति पर ध्यान देना—सेवा के लागत व्यय सिद्धान्त की एक कमी यह भी है कि इसमें पूर्ति को तो विचार में लिया गया है किन्तु माँग पक्ष की उपेक्षा की गई है।

(vi) सङ्कलन खर्च—रेलो में सयुक्त व्यय का सिद्धान्त लागू होता है जिसके

फलस्वरूप प्रत्येक यातायात की इकाई के लिये ठीक-ठीक लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(vii) एकाधिकारी स्वभाव से सिद्धान्त की असंगति—केवल प्रतियोगिता की दशाओं में लागत व्यय कीमतों का नियंत्रण करता है किन्तु रेलों को एकाधिकार के ढंग पर चलाया जाता है।

महत्त्व — इस सिद्धान्त में उपर्युक्त कमियों के होते हुए भी इसके महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता। इस सिद्धान्त की उपयोगिता निम्नलिखित है—

(i) न्यूनतम दर निर्धारित करने में सुविधा—यह सिद्धान्त किराये-भाडे की न्यूनतम दर को बताता है जिससे कम किराया-भाडा निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि किया जाता है तो रेलों को अपना व्यावसायिक दृष्टिकोण बन्द कर देना पड़ेगा।

(ii) तुलनात्मक लागतों को मालूम करना—यद्यपि सही लागत निर्धारित करना कठिन कार्य है फिर भी विभिन्न वस्तुओं की तुलनात्मक लागत मालूम की जा सकती है और उसी के अनुसार भाडे को समायोजित किया जा सकता है।

(iii) अधिकारियों की मनमानी पर अकुश—रेलवे अधिकारियों की मनोवृत्ति, ऊँची दरों को सेवा-मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर उचित ठहराने की होती है। उनकी मनमानी पर सेवा की लागत का सिद्धान्त एक समुचित अकुश का कार्य करता है।

(iv) देश की आर्थिक उन्नति—यह सिद्धान्त इस दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है कि रेलवे विकास के लिये उनको भाडे से हुई आय सेवा की लागत के लिये पर्याप्त रहे, नहीं तो रेलवे के विकास के लिये धनराशि नहीं बचेगी।

2. सेवा की उपयोगिता या सेवा मूल्य का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार रेल अधिकारियों को चाहिए कि वे रेल का भाडा यात्रियों व माल भेजने वाले ग्राहकों को परिवहन की सेवा से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर निर्धारित करें। व्यक्तिगत ग्राहक को जितनी सेवा दी जाती है, उससे उतनी रकम ली जाती है। सेवा के मूल्य की अधिकतम सीमा व्यक्ति के मूल्य देने की क्षमता पर निर्भर होती है। सेवा का मूल्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के आधार पर निश्चित किया जाता है। इसी प्रकार ऊँचे मूल्य वाली वस्तुओं की देय क्षमता अधिक और कम मूल्य वाली वस्तुओं की देय क्षमता कम होती है।

कठिनाइयाँ—इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं—

(i) प्रत्येक व्यक्तियों की सेवाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं हो पाता है।

(ii) उपयोगिता में परिवर्तन समय-समय पर होता रहता है जिसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है।

(iii) यह अधिकतम मूल्य की ओर विशेष ध्यान देता है।

(iv) यह सिद्धान्त अन्यायपूर्ण है क्योंकि इससे समाज को विकसित होने का मौका नहीं मिलता है।

(v) यह सिद्धान्त सेवा लागत सिद्धान्त की उपेक्षा करता है।

(v1) यह केवल माँग पक्ष की ओर ही ध्यान देता है।

महत्त्व

(1) यह सिद्धान्त कुछ व्यावहारिक प्रतात होता है क्योंकि प्रत्येक यातायात द्वारा उतना ही किराया-भाडा लिया जाता है जितना कि वह वास्तव में दे सकता है।

(11) इस सिद्धान्त में गरीब और अमीर, कम मूल्यवान व अधिक मूल्यवान वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3 विभेदात्मक मूल्य सिद्धान्त—जिस सिद्धान्त द्वारा रेल अपनी किराये-भाडे की नीति निर्धारित करती है। उसे विभेदात्मक मूल्य सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार रेल अमीर-गरीब में भेद-भाव करके किराया-भाडा लेती है। इसमें ग्राहक की देय शक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। अतः जितना यातायात सहन कर सकता है (What the Traffic will Bear) नाम से भी इस सिद्धान्त को पुकारा जाता है और प्रायः यही नाम अधिक प्रचलित और लोकप्रिय हो गया है।

विभेदात्मक सिद्धान्त का आधार—विभेदात्मक नीति के निम्नलिखित आधार हैं—

(1) माँग भेद—रेल परिवहन से भेजी जाने वाली वस्तुओं में माँग के अनुसार विभेद किया जाता है। इस माँग विभेद के बहुधा 3 रूप देखने में आते हैं—

(क) वस्तु विभेद

(ख) स्थान विभेद

(ग) व्यक्ति विभेद

(क) वस्तु विभेद—परिवहन लागत समान होते हुए भी केवल वस्तु मूल्य के आधार पर भाडे में भेद-भाव करना वस्तु-विभेद कहलाता है। छोटे आकार के मूल्यवान पदार्थ अधिक परिवहन व्यय सहन कर सकते हैं किन्तु इसके विपरीत बड़े आकार के सस्ते पदार्थ अधिक परिवहन व्यय सहन नहीं कर सकते। इसी सिद्धान्त के अनुसार रेल, चाँदी, सोने जैसे मूल्यवान पदार्थों के सम्बन्ध में अधिक किराया लेती है और कोयला, लकड़ी आदि के सम्बन्ध में कम किराया लेती है।

(ख) स्थान विभेद—वस्तुओं की भाँति विभिन्न स्थानों में भी भेदभाव किया जाता है। चक्करदार मार्गों का किराया-भाडा, समुदाय सम्बन्धी किराया-भाडा और कम व अधिक दूरी का किराया-भाडा इसके सजीव प्रमाण हैं।

(ग) व्यक्ति विभेद—इसमें माल भेजने वाले या यात्री से उसी सेवा के लिए दूसरे की अपेक्षा ऊँचा किराया-भाडा लिया जाता है अथवा उसी किराये-भाडे पर एक को दूसरे की अपेक्षा अच्छी सेवा प्रदान की जाती है।

(ii) लागत भेद—किराया-निर्धारण में लागत (औसत लागत) को आधार मानकर विभेद किये जाते हैं। जहाँ रेलवे पहाड़ी स्थानों के भारी उतार-चढ़ावों से

अथवा सुरगो से निकलती है वहाँ उनका प्रारम्भिक पूंजीगत व्यय ही अधिक नहीं होता बल्कि उनको संचालन व्यय भी अधिक करना पडता है। ऐसे क्षेत्रो वाली रेलो द्वारा लागत व्यय के आधार पर अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा अधिक किराया-भाडा लगाया जाता है जो कि न्याय सगत भी है। लागत व्यय के अनुसार ही उन वस्तुओ का भाडा भी अधिक होता है जिन्हे ले जाने में रेलो को अधिक सावधानी बरतनी पडती है जैसे काँच का सामान अथवा अन्य वस्तुएँ जिनके लिए अधिक गति अपेक्षित है जैसे—ताजे फल इत्यादि।

(111) माँग और लागत भेद—माँग और लागत दोनों के भेद के कारण किराये-भाडे में अन्तर होने का व्यावहारिक उदाहरण प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया है। प्रथम श्रेणी के यात्री अधिक सुख-सुविधाएँ चाहते हैं जिसके लिए रेलो को अधिक व्यय करना पडता है किन्तु साथ ही साथ उनकी माँग तीव्रतर और उनकी आय अधिक होने के कारण ही उनसे अधिक किराया लिया जाता है।

(1iv) भावी हित—रेल किराये-भाडे की नीति में भेद-भाव हितो को ध्यान में रखकर किया जाता है। रेले एकाधिकारी व्यवसाय है। अतः उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास रहता है कि वर्तमान में किसी उद्योग विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कम भाडा लिया जाता है तो भविष्य में उसके समुन्नत होने पर अधिक भाडे का लाभ उन्हीं को मिलेगा, अन्य किसी को नहीं।

(v) सामाजिक या लोक हित—रेले किराये-भाडे में लोकहित से प्रेरित होकर भी विभेद करती है। सस्ती वस्तुओ का भाडा कम रखा जाता है ताकि ऐसी वस्तुओ का परिवहन प्रोत्साहित किया जा सके। भारत में कोयले, भूसा व चारे एव जीवित पशुओ के लिए विशेष प्रकार के सस्ते भाडे की दरें रखी गयी हैं। बाढ और अकाल के समय भी रेल में कुछ परिवर्तन किये जाते हैं।

(vi) राष्ट्रीय विकास—देश के विकास में कुछ आधारभूत वस्तुओ का विशेष महत्त्व होता है। उन पर किराये-भाडे की दर कम रखी जाती है।

इस विभेदात्मक नीति में एक ओर तो रेले यातायात की देय शक्ति का पूरा ध्यान रखती है और दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान रखती है कि यातायात क्या सहन करेगा। यही दोनों इस भेद-भाव की उच्चतम और न्यूनतम सीमाये बाँधती हैं अतः इन दोनों बातों का अर्थ समझ लेना उपयोगी होगा।

1. यातायात क्या सहन करेगा (What the traffic will bear)—यह यातायात की देय शक्ति की ओर संकेत करता है। रेलु एक एकाधिकारी व्यवसाय है जिसे विभेदात्मक किराये लगाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का रेले सदुपयोग भी कर सकती है और दुरुपयोग भी। यदि रेले किराया-भाडा इस प्रकार निर्धारित करती है कि यातायात बढ़ता रहे और उसमें कमी न आने पाये तो इस शक्ति का सदुपयोग समझा जायेगा। यह स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब रेल दरें उपभोक्ता की उच्चतम देय शक्ति के अनुसार नहीं बल्कि उच्चतम लाभ की मात्रा का ध्येय रखकर लगाये इसके विपरीत यदि दरें उपभोक्ता की उच्चतम देय शक्ति के अनुसार ही लगायी जाती

है और यातायात के ऊपर उनके प्रभाव की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो रेलें अपनी एकाधिकारी शक्ति का दुरुपयोग करेंगी। संक्षेप में, देय शक्ति के अनुसार किराया-भाड़ा लगाने समग्र यातायात की नब्ज पर हाथ रख कर रेलों को काम करना चाहिए।

2 रेल क्या सहन कर सकती है (What the Railway can bear)—यातायात की देय शक्ति रेल भाड़े की उच्चतम सीमा का निर्धारण करती है और रेलों का यातायात ले जाने का विशेष व्यय उसकी न्यूनतम सीमा बाँधता है। यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम सीमा भी सदैव यातायात का दुलाई व्यय ही नहीं होता बल्कि रेलों की अपनी सामर्थ्य होती है। खाद, नमक, कोयला इत्यादि ऐसी वस्तुएँ हैं जिन्हें रेलें अपने वास्तविक दुलाई व्यय से कम भाड़े पर ले जाने में समर्थ हैं किन्तु औद्योगिक कच्चे पदार्थ इत्यादि वस्तुएँ ऐसी हैं जिनसे उनका वास्तविक दुलाई व्यय अवश्य वसूल होना चाहिए। कुछ और वस्तुएँ जिनसे दुलाई व्यय से ऊँचा मूल्य लेकर ही रेलें उन्हें सेवा प्रदान कर सकती हैं। इस प्रकार भाड़े की न्यूनतम सीमा लगाने समय रेलें अपनी निजी सहन शक्ति को ध्यान में रखती हैं।

कठिनाइयाँ

इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं

(1) सहन क्षमता का निर्धारण—इस सिद्धान्त में यातायात की देय शक्ति व रेल की सहन शक्ति आदि ऐसी धारणाएँ हैं जिनका निर्धारण करना सम्भव नहीं है। इनको निश्चित करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है।

• (ii) विवाद ग्रस्त—किराया निर्धारण एक विवाद ग्रस्त विषय है क्योंकि इसमें भुगतान क्षमता का निर्धारण नहीं हो पाता है। उपभोक्ता की भुगतान क्षमता क्या है यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। समाज के हित के मूल्यांकन का कोई निश्चित आधार न होने के कारण रेलवे अधिकारी इस सिद्धान्त के अनुसार मनमानी ढंग से किराया निश्चित कर सकते हैं।

महत्त्व

(1) न्यायपूर्ण—यह एक न्यायपूर्ण एवं नीति सगत सिद्धान्त है क्योंकि इसमें कम आय वाले व्यक्तियों से कम किराया और अधिक आय वाले व्यक्तियों से अधिक किराया लिया जाता है। इसी प्रकार कम मूल्य वाली वस्तुओं पर कम भाड़ा और अधिक मूल्य वाली वस्तुओं पर अधिक भाड़ा लेना न्याय सगत है।

(ii) रेलों का विकास—यह सिद्धान्त रेलों के विकास के लिए अच्छा है क्योंकि रेलों को अधिक मात्रा में यातायात उपलब्ध होता है और उनके लाभ की मात्रा बनी रहती है।

(iii) यातायात की निरन्तर भाँग—इस सिद्धान्त के अनुसार यातायात की निरन्तर भाँग बनी रहती है क्योंकि सभी व्यक्तियों से उनकी क्षमता के अनुसार ही किराया लिया जाता है।

(iv) प्रतिस्पर्धा को कम करना—इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कम से कम किराया भाडा लिया जाता है जिससे प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है। यातायात के दूसरे साधनों से अधिक सुविधा और कम किराया लेकर प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

(v) संयुक्त लागत की पूर्ति—सेवा लागत और सेवा मूल्य सिद्धान्त में लागत और उपयोगिता को सही-सही आँकना असम्भव है अतः भुगतान करने की क्षमता के आधार पर किराया निर्धारित करके सम्पूर्ण लागत को निकाला जा सकता है। गरीबों से कम किराया और अमीरों से अधिक किराया लेकर लागत को पूरा किया जा सकता है।

(vi) सामाजिक कल्याण—इस सिद्धान्त में सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व को ध्यान में रखते हुए किराया का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। उदाहरण के लिये सुरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए आर्थिक विकास के लिये, क्षेत्रीय तथा सतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिये अलग-अलग किराया लिया जाता है।

भाडे के प्रकार या अन्य सिद्धान्त

(Kinds of Fares or Other Principles)

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न प्रकार की भाडा-दरे प्रयोग में आ रही हैं। प्रमुख भाडा-दरे निम्न हैं—

1. समानान्तर दर या मील भाडा—इस सिद्धान्त के अन्तर्गत भाडा अथवा दर दूरी के अनुपात में घटता-बढ़ता है। जैसे 25 मील का भाडा 5 मील के भाडे का ठीक 5 गुना होता है। स्पष्टतः जिस अनुपात में यातायात की दूरी बढ़ती है उसी अनुपात में उसके किराये में भी वृद्धि होती जाती है। सन् 1948 तक भारतीय रेलों के वर्ग भाडे (Class Rates) इसी सिद्धान्त पर आधारित थे।

लाभ—(i) इस सिद्धान्त का प्रमुख गुण सरलता है। इसी गणना अत्यन्त सरल है।

(ii) यह सिद्धान्त एकाधिकारी की भेद-भाव नीति पर एक स्वाभाविक प्रतिबन्ध है।

(iii) दूरी के अनुसार भाडा वृद्धि न्याय सगत प्रतीत होती है।

(iv) इस सिद्धान्त को अपनाने के लिये मनुष्यों अथवा माल के वर्गीकरण की विशेष आवश्यकता नहीं रहती है।

दोष—(i) यह सिद्धान्त दूरवर्ती यातायात को हतोत्साहित करता है।

(ii) यह सिद्धान्त अवैज्ञानिक है क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ-साथ ढुलाई व्यय उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, वरन् कम दर से बढ़ता है।

(iii) इसे कठोर, लोचहीन एवं अवास्तविक कहा जाता है, क्योंकि यह यातायात को सीमित कर देता है।

(iv) यह रेल सञ्चालन की भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थितियों की उपेक्षा करता है।

(v) यह भाडा सिद्धान्त न्यायोचित नहीं माना जाता क्योंकि औद्योगिक कच्चे माल, कोयला और अन्य बड़े आकार किन्तु कम मूल्य की वस्तु में दूरवर्ती भाडा सहन नहीं कर सकती।

2 प्रादेशिक भाडा—इस पद्धति में रेल के प्रदेश को समान दूरी के क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है और उस क्षेत्र के अन्तर्गत माल ले आने और ले जाने का भाडा एक ही रहता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने में भाडा बढ़ता है। दूसरे क्षेत्र में चाहे यात्रा बहुत थोड़ी ही क्यों न हो, भाडा पूरा ले लिया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि 100 किलो मीटर रेलवे लाइन को 10-10 किलोमीटर के वर्गों में बाँट दिया जाय तो किसी एक वर्ग में चलने वाले परिवहन से केवल 10 किलोमीटर के लिये निर्धारित औसत भाडा लिया जावेगा जैसे—4, 7 या 9 किलोमीटर तक जाने वाले ट्रेफिक के लिये भाडा एक ही होगा।

लाभ—(1) इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण सरलता है। एक प्रदेश का भाडा याद रखना सहज सम्भव है।

(ii) यह सिद्धान्त मितव्ययी भी है क्योंकि इसमें भाडा दर-पुस्तके रखने तथा जटिल हिसाब प्रणाली अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

(iii) यह सिद्धान्त पर्याप्त व्यावहारिक है, क्योंकि कुछ यातायात कम दूरी का होता है तथा कुछ अधिक दूरी का तथा आशा यह रहती है कि दोनों प्रकार का यातायात मिलना रहेगा और एक की हानि दूसरे से पूरी हो सकेगी।

दोष—(i) यह सिद्धान्त कम दूरी के यातायात को हतोत्साहित करता है क्योंकि उसे अपने उचित भाग से अधिक भाडा देना पड़ता है तथा दूरवर्ती यातायात को उचित भाग से कम किराया देना पड़ता है।

(ii) इससे रेलों को हानि होती है, क्योंकि यातायात अन्य साधनों की ओर चला जाता है।

(iii) क्षेत्र का भाडा दूरी के औसत के अनुसार लगाया जाता है। यदि क्षेत्र अधिक बड़े है तो जनता में असन्तोष उत्पन्न करते है।

(iv) इस पद्धति के अन्तर्गत दूरे बार-बार बदलनी पड़ती है और एक उचित संतुलन नहीं रह पाता।

(v) रेलों के लिये प्रादेशिक प्रभार पद्धति अनुपयुक्त है क्योंकि न तो रेलों को डाकखाने जैसा एकाधिकार होता और न रेल भाडे उतने हो सकते है जितने कि डाक व्यय।

3. मुष्डाकार भाडा—इस पद्धति के अन्तर्गत भाडे की दरों में दूरी के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता बल्कि जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे किराये-भाडे की दरों में कमी होती जाती है।

भारतवर्ष में माल परिवहन पर इस प्रथा के अनुसार ही भाडा वसूल किया

जाता है। इसी पद्धति के आधार पर भारत में सवारी गाड़ियों की दरों में अप्रैल सन् 1955 से परिवर्तन किया गया।

लाभ—(1) समानान्तर भाड़े की अपेक्षा यह अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि ठीक दूरी के अनुपात से परिवहन व्यय नहीं बढ़ता वरन् कुछ कम बढ़ता है।

(ii) इस प्रकार की दर से दूरवर्ती यातायात को प्रोत्साहन मिलता है तथा विकेन्द्रीयकरण व औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है।

दोष—(1) यह सिद्धान्त अल्प दूरी के यातायात को हतोत्साहित करता है और उसे सीमित करता है।

(ii) इसका अकेला प्रयोग सम्भव नहीं है, इसे भेदमूलक सिद्धान्त के साथ अपनाया जाता है।

4. ढाक सिद्धान्त—यह सिद्धान्त प्रादेशिक प्रमाण सिद्धान्त के समान है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश को एक प्रदेश माना जाता है। अतः चाहे पत्र इलाहाबाद से बम्बई भेजे या इलाहाबाद से कलकत्ता ढाक दर एक ही होगी अर्थात् देश के अन्दर ढाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं में दूरी को महत्त्व नहीं दिया जाता। इस प्रकार इस पद्धति में एक ही किराया भाडा होता है।

लाभ—(1) इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ इसकी सरलता है। इसमें हिसाब लगाना अत्यन्त सरल होता है सयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा सिद्धान्त कुछ रेलों में अपनाया है।

दोष—(i) यह पद्धति बेकार और अन्यायपूर्ण है क्योंकि इसमें लागत, सामाजिक हित, आर्थिक विकास, यात्रा की इच्छा आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ii) अधिक दूरी की यात्रा को यह पद्धति प्रोत्साहित करती है इससे कम दूरी की यात्रा नहीं की जाती है क्योंकि यात्रियों को यदि कहीं सस्ता साधन मिल जायेगा तो उसी का प्रयोग करेंगे।

(iii) यह पद्धति व्यावसायिक हित को भी ध्यान में नहीं रखती है।

5. सामूहिक भाड़ा—किसी क्षेत्र विशेष के अनेक स्थानों को एक समुदाय मान लिया जाता है जिसमें सभी स्थान प्रेषण स्थान से समान दूरी पर नहीं होते। इस केन्द्रीय स्थान से उस सभी स्थानों का भाडा बिना दूरी के विचार के एक ही रखा जाता है। वास्तविक भाडा कम से कम दूरवर्ती स्थान के भाड़े के समान रखा जाता है, इस पद्धति का लाभ यह है कि इसमें पुस्तके लिखने-पढ़ने का काम बहुत कम रहता है।

6. वर्ग भाड़ा—इसके अन्तर्गत रेलों को छोटे-छोटे वर्गों में बाँट दिया जाता है। इन वर्गों को स्टेशनों के अनुसार उपवर्गों में बाँट दिया जाता है और वर्ग से वर्ग तथा उपवर्ग से उपवर्ग के लिए अलग-अलग दरें निश्चित की जाती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में इस सिद्धान्त को मान्यता प्राप्त है।

विशेष भाड़ा—विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के स्थानीय यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रकार का सस्ता भाडा लिया जाता है। भारतीय रेलें स्टेशन से स्टेशन (Station to Station) तक के भाड़े इसी सिद्धान्त के अनुसार लगाती हैं।

व्यवहार में रेल भाड़े एव दरे

(Railway Rates and Fares in Practice)

व्यवहार में रेलवे भाड़े किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित नहीं होते बल्कि अनुभव के द्वारा रेल दरो एव भाड़ों का निर्धारण किया जाता है। रेलवे थोड़े ट्रैफिक से अपना कार्य शुरू करती है इसलिये प्रारम्भ में रेल दरे एव भाड़े भी ऊँचे होते हैं परन्तु जैसे-जैसे ट्रैफिक बढ़ता है और सेवा लागत कम होती जाती है तथा रेलवे भाडा भी कम होता जाता है। ट्रैफिक बढ़ने के साथ-साथ भाड़े घटना तब तक जारी रहता है जब तक कि सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर नहीं हो जाती। अन्य शब्दों में, जब तक निम्नतम दरवाले ट्रैफिक को ले जाने की लागत उससे प्राप्त आय के बराबर नहीं हो जाती। यदि रेलवे इस सीमा में कम भाड़े लेती है तो उन्हें हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति के लिये अन्य वर्ग के ट्रैफिक दर में रेलवे वृद्धि करेगी।

व्यवहार में सभी देशों की रेलों ने उक्त नीति का अनुकरण किया है जिसमें उन्हें निम्न आदर्शों से मार्ग-दर्शन मिला है। “(i) ट्रैफिक प्राप्त करो। जितना अधिक ट्रैफिक ले जाया जायेगा, उतनी ही कम कीमत उनके ले जाने में पड़ेगी। इसलिये सर्वप्रथम ट्रैफिक प्राप्त करो (ii) भाडा दर इतनी ऊँची मत रखो कि कोई ट्रैफिक हाथ से निकल जाय, किन्तु यह ध्यान रहे कि, (iii) भाडा-दर इतनी कम भी न हो कि उसमें सम्बन्धित ट्रैफिक के लिये व्यय हुई अतिरिक्त लागत भी न निकल पाये।”

वस्तुओं का वर्गीकरण

(Classification of Goods)

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की भुगतान क्षमता पृथक्-पृथक् होती है, परन्तु प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग भाडा निर्धारित करना सम्भव नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाय और प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्-पृथक् भाडा निर्धारित किया जाय।

वर्गीकरण का आधार जितना उचित और न्यायपूर्ण होगा भाडा-निर्धारण उतना ही उचित और वैज्ञानिक होगा। वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित 3 आधारों को अपनाते हैं—

1. माँग पक्ष—जिस वस्तु को रेल यातायात की सुविधा की अधिक आवश्यकता होगी उसका भाडा अधिक होगा। कम माँग वाली वस्तुओं का भाडा कम होगा। माँग की तीव्रता के आधार पर भाडा देने की अधिकतम क्षमता निर्धारित होती है। इसका निर्धारण करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए—

(i) वस्तु का मूल्य—माँग की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु की भाडा सहन करने की शक्ति का ध्यान रखना आवश्यक है। माँग का अनुमान मूल्य से लगाया जाता है।

सस्ती वस्तुओ की सहन-शक्ति कम और मूल्यवान वस्तुओ की अधिक होती है। इसी कारण सस्ती वस्तुओ को वर्गीकरण करते समय निम्न श्रेणी में और महंगी वस्तुओ को उच्च श्रेणी में रखते हैं। निम्न श्रेणी का भाडा कम और उच्च श्रेणी का भाडा अधिक होता है।

(11) यात्रा के प्रारम्भिक और अन्तिम स्थानों का मूल्य—यात्रा के प्रारम्भिक और अन्तिम स्थानों के बीच वस्तु के मूल्य का सीमान्तर (margin) जितना अधिक होगा उतनी ही ऊँची श्रेणी प्रदान कर वस्तु से ऊँचा भाडा लिया जा सकता है और यह मूल्यान्तर जितना कम होगा उतनी ही निम्न श्रेणी में वस्तु रखी जाएगी तथा भाडा कम लिया जायेगा।

(111) प्रतिस्पर्धा—जिन वस्तुओ के यातायात में अन्य परिवहन-साधनों से प्रतिस्पर्धा रहती है उन्हें अपेक्षाकृत नीची श्रेणी प्रदान की जाती है जिससे कि वस्तु पर अधिक भाडा न देना पड़े और वह अन्य परिवहन प्रसाधनों के प्रति आकर्षित न हो। भारतीय रेल कोयले की दुलाई लागत से भी कम भाडे पर करती है क्योंकि ऊँचा भाडा लेने की स्थिति में इसका परिवहन समुद्र मार्ग से होने लगेगा।

(1V) नये उत्पादन केन्द्र—नये उत्पादन केन्द्रों अथवा नये बाजारों की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बचाव के लिए भी वहाँ निर्मित या विक्रय की जाने वाली वस्तुओ को नीची श्रेणी प्रदान करके नीचा भाडा लिया जाता है।

(v) समान स्वभाव—वस्तुएँ यदि समान उपयोग की हैं तो उन्हें एक ही श्रेणी में रखा जाएगा जैसे साबुन, सोडा आदि को एक ही श्रेणी में रखा जाता है और लग-भग समान भाडा वसूल किया जाता है।

(vi) सामाजिक हित—सामाजिक हित की वस्तुओ को निम्न श्रेणी में रखा जाता है और उनसे कम भाडा लिया जाता है। अनाज, नमक, हाथकरघा के वस्त्र आदि का विशेष महत्त्व है जिससे उनको निम्न श्रेणी में रखा जाता है।

2. पूर्ति पक्ष—पूर्ति की दृष्टि से परिवहन सेवा की लागत को ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रदान की गई सेवा का लागत व्यय अलग-अलग होता है। अतः वस्तुओ का वर्गीकरण करते समय निम्न परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है।

(1) भार और आकार का अनुपात—भाडा वस्तुओ के भार के अनुसार निर्धारित होता है लेकिन जो वस्तुएँ छोटे आकार की होती हैं किन्तु जिनका भार अधिक होता है उनको ले जाने में रेलों को अधिक सुविधा होती है। दूसरी तरफ जो वस्तुएँ अपने भार के अनुपात से आकार में बड़ी होती हैं, उनको ले जाने में रेलों को असुविधा रहती है क्योंकि बड़े आकार के कारण एक डिब्बे में थोड़ी-सी वस्तुएँ रखी जा सकती हैं और उनका भाडा भी कम मिलेगा। अतः प्रथम श्रेणी की वस्तुओ को उनके मूल्य का विचार छोड़कर उच्च श्रेणी में रखा जाता है (अर्थात् अधिक भाडा लिया जाता है) और द्वितीय श्रेणी की वस्तुओ को निम्न श्रेणी में।

(11) वस्तु का परिमाण अथवा गॉठों का आकार—साधारणतया कम मात्रा

मे जाने वाले माल को उच्च श्रेणी और एक साथ अधिक मात्रा मे जाने वाले माल को निम्न श्रेणी दी जाती है। कारण यह है कि छोटी गाँठों के सम्बन्ध मे रेल को माल के एकत्र करने, लादने-उतारने इत्यादि की अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करनी पडती हैं जिनके लिये अतिरिक्त व्यय करना पडता है।

(iii) मार्ग का जोखिम—जिस वस्तु को ले जाने मे जितनी अधिक जोखिम पडती है उसको उतनी ही ऊँची श्रेणी मे रखा जाता है। चीनी मिट्टी एव काँच के पदार्थ के टूटने का अधिक भय रहता है। जिससे उनको ऊँची श्रेणी मे रखते है और उन पर अधिक भाडा लिया जाता है। पेट्रोल, तेजाब तथा गन्धक के कारण अन्य वस्तुओं के क्षण होने का भय बना रहता है जिससे उन्हें उच्च श्रेणी मे रखा जाता है।

(iv) समय—वस्तुओं के वर्गीकरण मे समय भी एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। तेज गाडियों से भेजी जाने वाली वस्तुओं की लागत अधिक पडती है जिससे उनको उच्च श्रेणी मे रखते है और भाडे की रकम भी अधिक होती है। अडे, फल, मछली आदि को सुरक्षित भेजने के लिये तेज गाडियों की आवश्यकता पडती है। अतः इनको उच्च श्रेणी मे रखा जात है।

(v) पैकिंग—जिन वस्तुओं की पैकिंग सुदृढ होती है उनको निम्न श्रेणी मे रखा जाता है। इसका कारण यह है कि अच्छी पैकिंग से मार्ग की जोखिमे कुछ कम हो जाती है तथा माल को उतारने-चढाने मे भी सुविधा हो जाती है। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की पैकिंग कमजोर रहती है उनको उच्च श्रेणी मे रखा जाता है तथा भाडा भी अधिक लिया जाता है क्योंकि इसमे रेल कर्मचारियों को अधिक सावधानी बरतनी पडती है।

(vi) नियमितता—यदि रेल अधिकारी इस बात से पूर्ण आश्वस्त हो कि कोई माल अथवा वस्तु अधिक मात्रा मे नियमित रूप से आता रहेगा तो वे ऐसे माल को कुछ कम भाडे पर भी ले जामा स्वीकार कर लेगे क्योंकि ऐसे परिवहन से रेल सेवा का नियमित उपयोग होता रहता है और उसका संचालन व्यय भी कम हो जाता है।

(vii) डिब्बे का प्रकार—विशेष प्रकार की वस्तुओं को भेजने के लिये विशेष प्रकार के डिब्बों की आवश्यकता होती है। कुछ पदार्थ खुले डिब्बे मे ले जाये जाते है जैसे—लकडी, कोयला आदि, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके लिये पूर्णतया बन्द डिब्बों की आवश्यकता पडती है जैसे—अन्न, वस्त्र, बर्तन आदि तथा कुछ पदार्थों के लिये विशेष प्रकार के डिब्बे आवश्यक होते हैं जैसे—पेट्रोल आदि के लिये गोलाकार डिब्बे। जो वस्तुएँ खुले डिब्बे मे जाती है उनको निम्न श्रेणी मे रखा जाता है और जो बन्द डिब्बों मे जाते है अथवा जिनके लिये विशेष प्रकार के डिब्बों की आवश्यकता पडती है उनको उच्च श्रेणी मे रखा जाता है, क्योंकि इन डिब्बों का लागत व्यय अधिक होता है।

(viii) दुलाई में रिक्त स्थान—माल के लादने अथवा ले जाने में डिब्बों मे जितना ही अधिक रिक्त स्थान होगा, उतना ही उसका वर्गीकरण ऊँचा होगा।

(ix) प्रतिबोधिता—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके लिये विभिन्न वाहनो

जैसे—रेल, मोटर व जलमार्ग मे प्रतियोगिता होती है। ऐसी वस्तुआ को रेल मार्ग की ओर आकर्षित करने के लिये निम्न श्रेणी मे रखा जाता है।

(x) स्थानापन्न वस्तुएँ—जो वस्तुएँ अन्य किसी वस्तु की स्थानापन्न होती है उन्हें प्राय एक ही श्रेणी मे रखा जाता है जिससे कि उनमे से एक का परिवहन भाडा बढ़ने से उसका आना-जाना बन्द न हो जाय।

उपर्युक्त विवेचन मे स्पष्ट है कि वस्तुओ का वर्गीकरण कोई सरल कार्य नहीं है।

भारतीय वस्तु वर्गीकरण (Indian Classification of Goods)

1 अप्रैल 1970 मे वस्तुओ का एक नवीन वर्गीकरण शुरू किया गया। वर्गों मे अ, ब, स, का अन्तर समाप्त कर दिया गया और दो प्रकार के वर्गीकरण की रचना की गयी। एक वर्गीकरण (30 वर्ग सख्याएँ) थोक दुलाई के निमित्त है जो दस क्विंटल अथवा अधिक माल की दुलाई पर लागू होता है और दूसरी वर्गमाला (17 वर्ग सख्याएँ) वह है, जो अल्प दुलाई (10 क्विंटल से कम) पर लागू होती है।

1 वस्तु वर्गीकरण मे समय-समय पर आवश्यकतानुसार समायोजन एवं सशोधन भी होते रहते है। कुछ न कुछ ऐसे हेर-फेर लगभग हर वर्ष होते रहते है जो विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के सूचक है।

परीक्षा-प्रश्न

1 उन सिद्धान्तो की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये जिनके द्वारा रेले अपने किराये भाडे निर्धारित करती है ?

2. रेल दरे निर्धारित करने मे 'सेवा लागत सिद्धान्त' और 'सेवा मूल्य सिद्धान्त' मे से किसे उत्तम समझते है और क्यों ?

3 'सेवा का मूल्य' एवं 'सेवा की 'लागत' सिद्धान्तो को समझाइये। रेल किराये भाडे के निर्धारण मे इनके योगदान का विवेचन कीजिये। आपकी सम्मति मे दोनो मे से कौन-सा सिद्धान्त रेल दरे निर्धारण मे अधिक उचित एवं व्यावहारिक है ?

4. उन सिद्धान्तो को संक्षेप मे बतलाइये जिन पर रेले भाडा दर निर्धारण के लिये माल का वर्गीकरण करती है ?

5. रेल भाडा दर रूपी महल वस्तुओ के वर्गीकरण की नीव पर खडा होता है ?

भारत में सड़क यातायात

(Road Transport in India)

सड़क यातायात का महत्त्व—भारत जैसे विशाल तथा ग्राम प्रधान देश के लिए सड़को का विशेष महत्त्व है। जैसा कि जरमी बेन्थम ने ठीक ही कहा है, “सड़के किसी देश की रक्तवाहिनी धमनी और शिराएँ हैं जिनसे होकर प्रत्येक मुधार प्रवाहित होता है।” रस्किन ने भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बात कही है—“राष्ट्र की सारी सामाजिक व आर्थिक प्रगति सड़को के निर्माण में निहित है।” वास्तव में देश की आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक प्रगति अच्छी सड़को पर निर्भर करती है। “सड़को को किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास व सभ्यता का माप-यन्त्र माना जा सकता है।” सड़को के महत्त्व का हम निम्नांकित शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं।

(1) आर्थिक महत्त्व

(1) कृषि में महत्त्व—सड़को का विकास कृषि के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

(अ) बेकार पडी हुई भूमि पर खेती प्रारम्भ करने के लिए सड़क परिवहन से सहायता मिलती है। (ब) सड़को से उत्तम बीज, खाद तथा औजार शीघ्र पहुँचाने की सुविधा मिलती है। (स) सड़को के माध्यम से कृषको को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। वे अपना माल मण्डियों में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। (द) खाद्यान्न के अभाव को दूसरी जगह से खाद्यान्न लाकर पूरा किया जा सकता है और इस प्रकार सड़के अकाल की तीव्रता को कम करती है। (य) सड़को के विकास से कृषि-स्वरूप बदला जा सकता है अर्थात् खाद्यान्न फसल के स्थान पर व्यापारिक फसले (चाय, कपास, जूट आदि) उत्पन्न की जा सकती हैं तथा फल व सब्जियों जैसी नाशवान वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री बढ़ायी जा सकती है। (र) ग्रामीण क्षेत्र के पुन-निर्माण में सड़को का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

(ii) उद्योग में महत्त्व—(अ) सड़कों के विकास में कारखानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त होता है तथा बना हुआ माल दूर-दूर तक फैले हुए उप-भोक्ताओं तक पहुँचता है। (ब) सड़के और सड़क परिवहन लघु और कुटीर उद्योगों

के तो प्राण है, क्योंकि इनसे बना माल शहरो में आसानी से पहुँच जाता है। (स) सड़क परिवहन के विकास से सभी बड़े पैमाने के उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलती है। (द) सड़क माल को रेलों तक पहुँचाकर उनके लिए पोषक का कार्य करती है। (य) जिन क्षेत्रों में रेल सेवाएँ नहीं हैं वहाँ ट्रक द्वारा माल शीघ्रता से पहुँचाया जा सकता है। सक्षेप में उच्च कोटि का औद्योगिक विकास अच्छी सड़कों पर निर्भर करता है।

(iii) व्यापार में महत्त्व—सड़कें अन्य साधनों के सहायक के रूप में कार्य करके आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार की उन्नति करती हैं, क्योंकि अच्छी सड़कें होने से माल तथा मनुष्य देश के भीतरी भागों से बहुत बड़ी मात्रा में आसानी से बन्दरगाहों, रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर पहुँचाए जा सकते हैं। पहाड़ी व पठारी इलाकों में जहाँ रेल व जल यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, सड़कों का विशेष महत्त्व है।

(iv) अन्य आर्थिक महत्त्व—(1) सड़कों से सरकार को विविध करों के रूप में आय प्राप्त होती है। (ii) अन्य यातायात के साधनों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण-व्यय कम होता है। (iii) सड़कों से भी रेलों की भाँति रोजगार बढ़ता है, मूल्यों में समानता लाई जाती है तथा श्रम की गतिशीलता बढ़ती है।

(2) सामाजिक महत्त्व

अच्छी सड़कों का सामाजिक महत्त्व भी है। (i) सड़कें देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को निकट लाती हैं और उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग व एकता की भावना भरती है। (ii) सड़कों के द्वारा अनेक सामाजिक सुविधाओं, जैसे योग्य चिकित्सक, वकील, इंजीनियर, प्रसूतिगृह इत्यादि की व्यवस्था की जा सकती है। (iii) अच्छी सड़कों के द्वारा पर्यटक यातायात को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। (iv) सड़कें प्रजातन्त्र का उपकरण हैं तथा गलतफहमियों व भेद-भाव का शत्रु हैं। इस प्रकार सड़कें देश की मानसिक तथा नैतिक उन्नति को तीव्र करती हैं।

(3) राजनैतिक महत्त्व

देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी सड़कें महत्त्वपूर्ण हैं। सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए। समुचित सड़कों के विकास के अभाव में देश के सभी स्थानों पर फौजी चौकियाँ बनाना मुश्किल हो जाता है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फौजी सामान न्यूनतम समय में पहुँचाया जा सके। चीन-पाक आक्रमणों ने हमें यह सबक सिखाया है कि सीमान्त सड़कों का विकास देश की सुरक्षा-व्यवस्था का आधार है। डॉ० एस० एम० अग्रवाल के शब्दों में “प्रतिरक्षा की दृष्टि से सड़कों को ‘शान्ति की पूँजी’ कहा जा सकता है, जो कि युद्धकाल में मुनाफा देती है।”

सड़क परिवहन की विशेषताएँ

सड़क परिवहन समाज की एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह यातायात का प्राचीन साधन है। सड़क परिवहन का अपना अलग क्षेत्र व विशेषताये हैं जिनके कारण उसका महत्त्व अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक है। ये विशेषतायें निम्न हैं—

(1) **लोचकता**—सड़क परिवहन अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण है। इसकी सेवाएँ कहीं भी प्राप्त की जा सकती हैं अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर बैलगाड़ी, ताँगे व मोटर को घर या गोदाम के द्वार तक ले जा सकते हैं। यह सुविधा रेल, जल व वायु परिवहन में नहीं प्राप्त है। इसी प्रकार माँग के अनुसार इनमें शीघ्रता से कमी व वृद्धि भी की जा सकती है। अतः लोचकता सड़क परिवहन की मूलभूत विशेषता है।

(2) **स्वतंत्रता**—स्वतंत्रता से आशय इच्छानुसार मार्ग अथवा सेवा परिवर्तन में है। यदि कोई मार्ग वर्षा अथवा अन्य कारणों से खराब हो जाता है तो हम दूसरे मार्ग पर गाड़ी चला सकते हैं। इसी प्रकार सड़क परिवहन में गाड़ी को हम सवारियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं और माल के लिए भी। सक्षेप में सड़क परिवहन में मार्ग और सेवा परिवर्तन की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है।

(3) **कम पूँजी**—सड़क परिवहन में कम पूँजी की आवश्यकता होती है। जब कि रेल, वायुयान व जहाज परिवहन में विशाल पूँजी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सड़क परिवहन का संचालन निजी व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है।

(4) **पूर्ण सेवा**—सड़क परिवहन पूर्ण सेवा प्रदान करते हैं अर्थात् इस यातायात के साधन से माल भेजने वाले के गोदाम से माल उठाकर पाने वाले के गोदाम तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार बीच में माल चढाने या उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा माल शीघ्रता से बिना किसी जोखिम के पहुँच जाता है।

(5) **बहुमुखी सेवा**—रेल, जल व वायु मार्ग विशेष प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए निर्मित किये जाते हैं किन्तु इसके विपरीत सड़कों का निर्माण किसी वाहन विशेष के लिए न होकर सार्वजनिक हित के लिये किया जाता है। सड़क परिवहन का प्रयोग बैलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल, मोटर, ट्रक आदि किसी भी सेवा में हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सड़कें बहुउद्देशीय भावना से प्रेरित होकर सार्वजनिक हित के लिए बनाई जाती हैं।

(6) **सस्ती सेवा**—सड़क परिवहन में पूँजी की कम आवश्यकता पड़ने के कारण सेवा सस्ती पड़ती है। सड़क निर्माण, व मरम्मत तथा गाड़ी का संचालन व्यय भी अन्य सभी साधनों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। अतः यह सेवा पर्याप्त सस्ती पड़ती है।

(7) **सुरक्षा**—माल की सुरक्षा सड़क परिवहन में अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि इसमें माल एक विशेष व्यक्ति के सुपुर्ब कर दिया जाता है तथा यात्रा की समाप्ति तक उसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व बना रहता है। रास्ते में माल उतारने व चढाने की आवश्यकता न होने से टूटने-फूटने का भय भी नहीं रहता है।

(8) **समय की बचत**—यद्यपि वायुयान और रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन

की चाल धीमी होती है। परन्तु थोड़ी दूर के लिए अनेक प्रकार से समय की बचत होती है। माल भेजने अथवा ले जाने वाले के अधिकार में गाड़ी के रहने के कारण उसे बीच में उतारने-चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके साथ ही थोड़े से माल से गाड़ी भर जाती है और नुरन्त यात्रा प्रारम्भ कर दी जाती है। अतः सड़क परिवहन में समय की पर्याप्त बचत हो जाती है।

(9) पैकिंग—जहाज अथवा रेल से माल भेजने पर मजबूत पैकिंग की आवश्यकता होती है। मजबूत पैकिंग के अभाव में रेल अथवा जहाजी कम्पनियाँ माल स्वीकार नहीं करती हैं जबकि सड़क परिवहन में पैकिंग में इतने चातुर्य की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत-सी वस्तुएँ तो बिना पैकिंग के भी लाद दी जाती हैं।

(10) अधिकतम सामाजिक हित—रेल, जहाज तथा वायुयान में वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जिनके पास पर्याप्त धन है। किन्तु सड़क परिवहन में यह समस्या नहीं होती है क्योंकि जिसके पास स्वयं की गाड़ी है वह सड़क से माल ले जा सकता है अथवा यात्रा कर सकता है। जिसके पास गाड़ी नहीं है वह पैदल यात्रा व सिर पर माल आदि ले जा सकता है। सक्षेप, में सड़क परिवहन धनी व गरीब सबके लिए समान रूप से लाभदायक है तथा अधिकतम सामाजिक हित में वृद्धि करता है।

भारत में सड़को का विकास

प्राचीन काल में भारत में बड़ी-बड़ी सड़कें थीं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में विस्तृत सड़कें मिली हैं जो यह बताती हैं कि भारत के निवासी ईसा से 5000 वर्ष पूर्व भी सड़क बनाने की कला में निपुण थे। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक महान् और शेरशाह जैसे राजाओं के शासन काल में सड़को का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, किन्तु ब्रिटिश शासन काल के आरम्भ में सड़को पर ध्यान नहीं दिया।

भारत में लार्ड डलहौजी के समय से सड़को के निर्माण का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। सन् 1885 में देश में प्रथम बार सड़को के विकास के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग खोला गया। उसी वर्ष विभिन्न प्रान्तों में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग खोले गए। इससे देश में सड़क निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला। सन् 1919 में सड़को को प्रान्तीय विषय बना दिया गया। सन् 1927 में डा० एम० आर० जयकर के सभापतित्व में एक सड़क विकास समिति की नियुक्ति हुई जिसके सुझाव के फलस्वरूप सन् 1929 में केन्द्रीय सड़क विकास कोष स्थापित हुआ, जिसमें पेट्रोल पर आयात कर व उत्पादन कर से प्राप्त आय जमा की जाती थी। इस कोष की सहायता से सन् 1939 तक सड़को का विकास धीरे-धीरे किया जाता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में सड़को का अभाव सरकार को विशेष रूप में खटका। अतः सरकार ने दिसम्बर 1943 में चीफ आफ इन्जीनियरो का एक सम्मेलन नागपुर में बुलाया गया। इसने सड़को के विकास की दस-वर्षीय योजना बनाई। यह योजना नागपुर योजना के नाम पर विख्यात हुई।

नागपुर योजना—नागपुर योजना के मुख्य तत्त्व अग्रलिखित थे :—

(1) योजना में सड़कों को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया --

राष्ट्रीय सड़कें (National Highways), प्रान्तीय सड़कें (Provincial Highways), बड़ी जिला सड़कें (Major District Roads), लघु जिला सड़कें (Minor District Roads) व ग्रामीण सड़कें (Village Roads) ।

(ii) योजना का उद्देश्य था कि विकसित कृषि क्षेत्र में कोई भी गाँव सड़क से पाँच मील दूर तथा अविकसित कृषि क्षेत्र में दस मील से अधिक दूर न हो ।

(iii) योजना में पुरानी सड़कों का सुधार एवं नयी सड़कों का निर्माण, ये दोनों कार्य सम्मिलित थे ।

(iv) एक निष्पक्ष सड़क बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया गया ।

(v) सड़क अनुसन्धान, सड़क-निर्माण सामग्री, इन्जीनियरो के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया ।

(vi) अविभाजित भारत के लिए 448 करोड़ रुपये के व्यय से 4 लाख मील लम्बी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया था । देश विभाजन के भारतीय सड़क में नागपुर योजना के अनुसार 3,31,000 मील लम्बी सड़कों का निर्माण करना था, जैसा कि प्रदत्त अंको से स्पष्ट है ।

नागपुर सड़क योजना

सड़कें	सड़कों की लम्बाई (मीलों में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1. राष्ट्रीय सड़कें (National Highways)	16,600	39.0
राष्ट्रीय अनुयायन (National Trail)	4,150	2.5
2. राजकीय सड़कें (Provincial Highways)	53,950	100.3
3. जिला की सड़कें—बड़ी (Major)	49,800	51.4
जिला की सड़कें—छोटी (Minor)	83,000	66.5
4. गाँव की सड़कें—(Village Roads)	1,23,500	24.7
5. युद्धकाल में पिछड़े हुए कार्य (Areas of war)		8.3
6. पुलों का निर्माण (Bridging)		37.8
7. भूमि प्राप्त करना (Land acquisition)		41.6
	कुल—3,31,000	371.5

भारत सरकार और राज्य सरकारों ने नागपुर योजना को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया । सम्मेलन के सुझाव के अनुसार 1 अप्रैल 1947 से राष्ट्रीय सड़क के निर्माण, सुधार और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । एक केन्द्रीय सड़क संगठन (Central Road Organisation) की स्थापना की गई परन्तु (1) देश-विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई अव्यवस्था, (2) आर्थिक कठिनाइयाँ, (3) सड़क-निर्माण की सामग्री की कमी, (4) भूमि-प्राप्त करने में विलम्ब

तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण इस योजना के अधीन प्रगति बहुत धीमी रही। प्रथम योजना के आरम्भ तक केवल 27.11 करोड़ रुपये ही व्यय हुए थे। नागपुर योजना की प्रगति का अनुमान निम्न अंको से लगा सकते हैं।

वर्ष	पक्की सड़के	कच्ची सड़के
1947	88,000 मील	1,32,000 मील
1950-51	98,000 ,,	1,51,000 ,,

1950-51 में प्रथम योजना के आरम्भ होने पर नागपुर योजना के कार्यक्रमों को योजना कार्यक्रम का अंग बना लिया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों का विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम योजना में सड़कों के निर्माण पर 147 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा 26,000 किलोमीटर नई पक्की तथा 72,398 किलोमीटर कच्ची सड़के बनाई गईं। लगभग 16 हजार किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई तथा विभिन्न स्थानों को मिलाने के लिए 1,030 किलोमीटर लम्बी श्रृङ्खला-सड़के बनाई गयीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में सड़क यातायात के विकास पर 254 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस योजना में पक्की सड़कों की लम्बाई, 2 लाख 35 हजार किलोमीटर और कच्ची सड़कों की लम्बाई 4 लाख 73 हजार किलोमीटर हो गई। सन् 1960 में सीमा क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक मंडल (Border Road Development Board) स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में सड़कों के विकास को तीव्र करके इन तक पहुँचाने के लिए परिवहन का साधन उपलब्ध करना है। केन्द्रीय सड़क संगठन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस योजनावधि में इस प्रकार रहे—जम्बू श्रीनगर मार्ग पर जवाहर सुरंग के दोनों ओर छोटी सुरंगें बनाई गईं। रायगज से दालखोला तक राष्ट्रीय सड़क बनाई गई तथा देहली-आगरा राष्ट्रीय मार्ग को चौड़ा किया गया। इस प्रकार इस योजना काल में हम नागपुर योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये।

हैदराबाद योजना—सन् 1959 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मुख्य इंजीनियरों का जो हैदराबाद में सम्मेलन हुआ था, उसमें सड़कों के विकास के लिए एक 20 वर्षीय योजना तैयार की गई जिसका समय सन् 1961 से 1981 तक रखा गया। इस योजना का लक्ष्य सन् 1980-81 के अन्त तक 4 लाख 5 हजार किलोमीटर पक्की सड़क व 6 लाख 51 हजार किलोमीटर कच्ची सड़के बनाने का था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—

(क) हर एक विकसित व कृषि क्षेत्र का गाँव पक्की सड़क से 6 किलोमीटर व अन्य सड़क से 2.5 किलोमीटर के अन्दर आ जाय।

(ख) अर्द्धविकसित क्षेत्र का गांव पक्की सड़क के 13 किलोमीटर के अन्दर और किसी सड़क के 5 किलोमीटर के अन्दर आ जाय।

(ग) अविकसित और अकृषि योग्य क्षेत्र का गाँव पक्की सड़क के 19 किलोमीटर के अन्दर और किसी भी तरह की सड़क के 8 किलोमीटर के अन्दर आ जाय।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना—तृतीय योजना में सड़कों के विकास का कार्यक्रम हैदराबाद योजना के लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित किया गया। इस योजना में 40 हजार किलोमीटर नयी पक्की सड़कों के निर्माण का आयोजन था। इस योजना के अंत तक पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 2,85,300 किलोमीटर हो गयी। ग्रामों व अविकसित क्षेत्रों तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर विंगेष बल दिया गया। साथ ही पुलों का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने व मुधारने की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में सड़कों के विकास पर 440 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) में सड़क विकास पर 308 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

चतुर्थ योजना काल में सड़क विकास—चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में सड़कों की लम्बाई में 29,000 कि०मी० की वृद्धि हुई जिसमें पक्की सड़कों की लम्बाई 1,31,000 कि० मी० और कच्ची सड़कों की लम्बाई 1,02,000 कि० मी० हो गई। इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों में 1,800 कि० मी० नई सड़के जोड़ी गई। योजनावधि में 826 94 करोड़ रुपया व्यय किया गया था।

पाँचवीं योजना में सड़क विकास—पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना में सड़कों के विकास पर 1,348 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजना के अन्तर्गत सड़कों के विकास के जो कार्य किये गये व इस प्रकार हैं—

(i) प्रमुख औद्योगिक, केन्द्रों, खनिजों और विकास योजनाआ सम्बन्धी परि-योजनाओं के बीच दाले क्षेत्रों में सड़क का निर्माण किया गया।

(ii) 1,500 या उससे अधिक जनसख्या वाले गाँवों को जोड़ने वाली सड़के बनायी गईं।

(iii) पहाड़ी क्षेत्रों तथा तटीय भागों में विकास के लिए सड़कों का निर्माण किया गया।

(iv) बड़े नगरों, राजधानियों और उनके निकटवर्ती भागों में सड़कों का विकास किया गया।

(v) पटना के निकट गर्गा पर तथा कलकत्ता के निकट हुगली पर दूसरा पुल बनाया गया।

(vi) चौथी योजना की अछूरी सड़कों को पूरा किया गया।

(vii) लगभग 1,000 कि० मी० राष्ट्रीय राज्य मार्गों को चौड़ा किया गया।

(viii) योजना के अन्त तक पक्की सड़कों की लम्बाई 5,50,000 कि० मी० की गई।

योजनाकाल में सड़कों की प्रगति निम्न प्रकार रही है—

सड़क निर्माण प्रगति

(हजार किलोमीटर)

वर्ष	पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	योग
1950-51	157	243	400
1960-61	263	261	525
1971-72	423	598	1021
1975-76	538	829	1367
1978-79	530	950	1480
1979-80	630	980	1910

छठी योजना में सड़क विकास—छठी योजना में सड़क विकास के लिए प्रस्तावित परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 830 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के लिये 2,609 करोड़ रुपये हैं। इस योजना में सड़क विकास कार्यक्रम में देश में सड़कों के जाल से समन्वित एवं सतुलित विकास पर जोर दिया गया है। इनमें ये सड़कें होंगी—

(1) प्रमुख सड़कें जिनमें राष्ट्रीय राज्य मार्ग आते हैं।

(ii) गौण और सहायक सड़कें, जिनमें राज्यीय राजमार्ग और प्रमुख जिले शामिल हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। इस योजना में सड़क परिवहन के विकास पर जो व्यय किये जायेंगे उनका विवरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है—

सड़क परिवहन का परिव्यय

(केन्द्रीय क्षेत्र में परिव्यय)

(करोड़ रुपये में)

1	राष्ट्रस्तर की सड़कें	660 00
2	मशीनरी	18 00
3.	स्ट्रेटिजिक रोड	38 00
4.	आर्थिक एवं अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें	40 00
5	सीमा क्षेत्रों में सड़क सम्बन्ध	50 00
6	सड़क विकास अनुसंधान एवं योजना अध्ययन	4 00
7	रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एवं नीचे के पुलों के लिए विशेष प्रावधान	9 00
8	आदिवासी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए विशेष प्रावधान	6 50
9	सड़क प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये	1 00
10	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान	3 00
सकल योग		830 00

राज्य क्षेत्र में परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

1	ग्रामीण सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत	1164 90
2	अन्य सड़के	1444 96
	सकल योग	2608 96

सड़क का वर्गीकरण

सड़को का वर्गीकरण आज भी प्रायः वैसा ही है जैसा नागपुर योजना में प्रस्तुत किया गया था। अब हमारी राष्ट्रीय सड़क प्रणाली में एक्सप्रेस सड़के और अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी सम्मिलित हैं। सक्षेप में भारत में सड़को का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है—

1. **राष्ट्रीय सड़कें**—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सड़को का प्रबन्ध करती है। यह सड़के भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ती हैं।

2. **प्रान्तीय सड़कें**—इन सड़को को बनवाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। ये सड़के राज्य के विभिन्न नगरों को जोड़ती हैं।

3. **जिले की सड़कें**—जिला बोर्ड या नगरपालिका द्वारा इन सड़को को बनवाया जाता है। ये सड़के अधिकतर कच्ची हैं और इन सड़को पर वर्षा के दिनों में मोटरगाडियाँ नहीं चल सकती। ये सड़के जिलों के उत्पादन केन्द्रों तथा मंडियों को आपस में या रेलवे स्टेशनों व राजमार्गों से मिलाती हैं।

4. **गाँव की सड़कें**—ये सड़के ग्राम पंचायत और गाँव वालों के सहयोग से बनती हैं। ये सड़के एक गाँव को दूसरे गाँव से मिलाती हैं या उन्हें राष्ट्रीय, प्रान्तीय व अन्य सड़को से मिलाती हैं।

5. **एक्सप्रेस-सड़कें**—ये राजमार्ग तेज मोटरवाहनों के लिए निर्मित किये गये हैं। इनमें से दो बम्बई नगर के उत्तरी छोर पर हैं जिन्हें क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग कहा जाता है और तीसरा मार्ग कलकत्ते को दमदम हवाई अड्डे से मिलाता है। चौथे व पाँचवें एक्सप्रेस सड़को पर काम जारी है।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग**—इकाफे (ECAEF—Economic Commission for Asia and Far East) के सुझाव पर तृतीय योजनावधि से अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना शुरू हुई है, जिसके अनुसार भारत अपने राष्ट्रीय राजमार्गों को अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्गों से मिला देगा। अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग भारत में आगरा, बम्बई, दिल्ली, मुल्तान, बङ्गलौर, मद्रास, गोलावाट, लोडो मार्ग हैं।

7. **सीमावर्ती सड़कें**—मार्च 1960 में एक सीमावर्ती सड़क विकास-मण्डल स्थापित किया गया ताकि पार्श्व मार्गों के विकास के माध्यम से उत्तर और उत्तरी-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सुगम मार्गों का निर्माण कर उनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। मण्डल के तत्काल कार्यक्रम में लगभग, 7,200 कि० मी० सड़को

का निर्माण, लगभग 63 कि० मी० वर्तमान सड़को का विकास और लगभग 11,400 कि० मी० सड़को का पक्का करना शामिल है।

भारत की प्रमुख सड़के

भारत की प्रमुख सड़के निम्नलिखित हैं—

1 **ग्राण्ड ट्रंक रोड**—यह भारत की सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण सड़क है। इसकी लम्बाई 2400 कि० मी० है। इसकी दो शाखाएँ हैं—

(1) **उत्तरी ग्राण्ड ट्रंक रोड**—यह बम्बई से बडौदा, अहमदाबाद, अजमेर व जयपुर होती हुई दिल्ली को जाती है, जहाँ से यह अमृतसर होती हुई पाकिस्तान की सीमा तक चली जाती है।

(11) **पूर्वी ग्राण्ड ट्रंक रोड**—यह कलकत्ता से वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली व अम्बाला होती हुई पाकिस्तान की सीमा तक चली जाती है।

2 **बम्बई-कलकत्ता रोड**—यह सड़क बम्बई से प्रारम्भ होकर नागपुर, सम्बलपुर व रायपुर होती हुई कलकत्ता को जाती है।

3. **बम्बई मद्रास रोड**—यह सड़क बम्बई से पूना, कोल्हापुर, बेलगाँव, धार-वार और बङ्गलौर होती हुई मद्रास तक जाती है।

4 **कलकत्ता-मद्रास रोड**—यह सड़क कलकत्ता से प्रारम्भ होकर सम्बलपुर, रायपुर, विजयवाडा व गन्दूर होते हुए मद्रास तक जाती है।

5. **बम्बई-आगरा रोड**—यह सड़क बम्बई से नासिक, इन्दौर, ग्वालियर होती हुई आगरा तक जाती है।

6. **ग्रेट डेकन रोड**—यह सड़क उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर नगर से निकल कर जबलपुर, नागपुर होती हुई बङ्गलौर तक जाती है। दक्षिणी भारत की यह सबसे प्रमुख सड़क है।

7. **गौहाटी चैरापूँजी रोड**—यह सड़क गौहाटी से शिलांग होती हुई चैरापूँजी (मिघालय) तक जाती है।

8. **पठानकोट जम्बू रोड**—यह सड़क पठानकोट से जम्बू तक जाती है तथा बाद में श्रीनगर रोड से मिल जाती है।

9 **अन्य सड़कें**—उपर्युक्त सड़कों के अतिरिक्त कुछ अन्य सड़के निम्नलिखित हैं—

(1) दिल्ली-मेरठ-सहारनपुर, देहरादून और मसूरी रोड। (11) अम्बाला-कालका-शिमला रोड (111) मद्रास-कालीकट रोड (1V) बरेली-नैनीताल-अल्मोडा रोड (V) पूर्णिया-दार्जिलिङ्ग रोड (VI) मणिपुर-कोहिमा-इम्फाल रोड (VII) पठान-कोट-कुल्लू रोड (VIII) जम्बू-श्रीनगर-उरी रोड (IX) मद्रास-ट्रावनकोर रोड (X) गौहाटी-चैरापूँजी रोड (XI) दिल्ली-लखनऊ रोड।

दक्षिण के पठार पर असमतल धरातल के कारण रेलों की अपेक्षा सड़को का अधिक विकास हुआ है। यातायात के प्रमुख मार्ग सड़कें ही हैं।

सड़क परिवहन का विकास (मोटर परिवहन)

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक—भारत में मोटर परिवहन का विकास प्रथम महायुद्ध के समय में हुआ। सन् 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तब रक्षा के हेतु अनेक मोटरों का आयात किया गया और 1918 के पश्चात् जब लड़ाई समाप्त हुई तब वही मोटरें अन्य व्यक्तियों को बेच दी गईं। इस प्रकार 1918-20 में मोटर परिवहन लोकप्रिय होने लगा व धीरे-धीरे मोटरों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सन् 1935-36 तक यह संख्या बढ़कर 11,500 हो गई।

मोटर परिवहन के नियमन के लिए सर्वप्रथम सन् 1914 में मोटर वाहन अधिनियम बनाया गया जिसमें ड्राइवरा को लाइसेंस देने, मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराने और असावधानी की दशा में दण्ड देने की व्यवस्था थी। स्थानीय सरकारों को मोटरगाड़ियों के नियम बनाने के अधिकार मिल गए। युद्ध के पश्चात् मोटरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी परन्तु मन्दी काल में मोटर परिवहन की स्थिति बिगड़ गई। मन्दी के समय (1929) से रेल तथा मोटर यातायात में प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गई। सन् 1932 में इस प्रतियोगिता की समस्या पर विचार करने के लिए मिचेल किर्किन्ग समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने मोटर यातायात के कड़े नियमन पर जोर दिया। सन् 1937 में नियुक्त वेजवुड समिति ने भी मोटर यातायात के नियमन का सुझाव दिया। इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सन् 1939 में नया मोटर वाहन अधिनियम बना। इसके अन्तर्गत पहली बार राज्य परिवहन और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की स्थापना परमिट देने के हेतु की गई और परमिट देने की शर्तें निर्धारित की गईं। इस अधिनियम में मोटर यातायात के नियमन तथा नियन्त्रण के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। सन् 1955-56 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद मोटर परिवहन—द्वितीय महायुद्ध (1939-45) काल में मोटर यातायात के समक्ष कठिनाइयाँ आयीं। यातायात के साधनों की माँग बढ़ी परन्तु मोटरों का यातायात बन्द हो गया। देश में पेट्रोल की कमी तो थी ही, मोटर के पुर्जे भी कठिनाई से मिलते थे। सन् 1945 तक यही दशा रही। सन् 1945 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के पथ-प्रदर्शन के लिए एक सिद्धान्त व्यवहार संहिता लागू की जिसका उद्देश्य रेल हितों की रक्षा करनी थी। इसके द्वारा माल ले जाने के लिए मोटर परिवहन पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाए गए। मोटरगाड़ियों के क्षेत्र को 75 मील तक ही सीमित कर दिया गया। मोटर पर करों में भी भारी वृद्धि की गई। इन प्रतिबन्धों की कड़ी आलोचना की जाने लगी। अतः 1950 में मोटर वाहन कर जाँच समिति नियुक्ति की गई। समिति ने करा में कमी करने, सिद्धान्त व्यवहार संहिता को 3 वर्षों तक स्थगित करने आदि के सम्बन्ध में सुझाव दिया परन्तु सरकार इन सुझावों को कार्यान्वित न कर सकी।

योजनाकाल में विकास—सन् 1953 में नियुक्त परिवहन अध्ययन दल ने मोटर यातायात की समस्याओं का अध्ययन किया तथा मोटरों के सेवा-क्षेत्र को 75 से

150 मील कर देने व कड़ों में कमी करने का मुझाव दिया। सन् 1956 में मोटर परिवहन अधिनियम में आवश्यक सशोधन किए गए। सन् 1958 में केन्द्रीय सरकार ने श्री मसानी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति नियुक्ति की। इसने सड़क परिवहन को रेलवे से आवश्यक बताया और मोटर यातायात की प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण मुझाव दिए। सन् 1959 में श्री नियोगी की अध्यक्षता में परिवहन नीति एवं समन्वय समिति नियुक्ति की गई। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि सड़क परिवहन का विकास इस प्रकार किया जाय कि इसके द्वारा निश्चित योजनाओं तथा क्षेत्रों में उचित लागत पर सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

स्वतन्त्रता के पश्चात् सड़क परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

1. सड़क परिवहन मोटर गाड़ियाँ—31 मार्च 1979 को सड़क पर मोटर गाड़ियों की संख्या 36.96 लाख थी जो 1947 की संख्या से 16 गुनी अधिक थी।

2. सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण—अधिकतर राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में पूर्णतः अथवा अंशतः यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। 31 मार्च, 1979 को सारे देश में अनुमानतः 55.5 प्रतिशत बसे सरकारी क्षेत्र द्वारा चलायी जा रही थी। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अनेक राज्यों में सम्बन्धित निगम स्थापित किये जा चुके हैं।

3. राष्ट्रीय परमिट योजना—सड़क परिवहन गाड़ियों द्वारा माल ले जाने में आने वाली कठिनाइयाँ दूर करने के लिए 1975 में एक राष्ट्रीय योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य या संघीय क्षेत्र द्वारा जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या निश्चित कर दी।

4. यात्री वाहन—पिछले 10 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में यात्री वाहनों का बेड़ा 1970 के 35,193 के बढ़कर 1980 में 69,478 हो गया तथा इनकी माँग विशेषकर नहानगरों में निरन्तर बढ़ रही है।

5. परिवहन निकाय—केन्द्र और राज्यों की नीतियों और विभिन्न तरीकों से परिवहन व संचालन में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक परिवहन विकास परिषद स्थापित की है। अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सड़क परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय और नियमन का जिम्मेदार है।

मोटर परिवहन की प्रगति के लिये मुझाव

(Suggestions for Improvement in Motor Transport)

भारतीय अर्थव्यवस्था में मोटर परिवहन का सर्वाधिक महत्त्व है। अतः इसका द्रुत एवं समुचित विकास होना परम आवश्यक है। मोटर परिवहन को स्वस्थ बनाने के लिये निम्नलिखित मुझाव दिये गये हैं—

(1) आधुनिक सड़कों का निर्माण—ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिये जो कम से कम 20 फीट चौड़ी हों। जिस पर नवीन गाड़ियाँ चलाई जा सकें।

(2) कर के भार में कमी—विभिन्न राज्यों में लगाये जाने वाले करों में समरूपता होनी चाहिये। करों में कम से कम 20% की कमी की जानी चाहिये।

(3) सब राज्यों में भार की समरूपता—ऐसी सीमा का निर्धारण करने में पुल-पुलियों की दशा और जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखना चाहिये। प्रतिगाड़ी सीमा लगाने के बजाय प्रति घुरी भार सीमा बाँधना अधिक वैज्ञानिक है।

(4) प्रशासकीय संगठनों में सुधार—प्रत्येक राज्य में परिवहन मंत्रालय विशेष रूप से होने चाहिये जिसका एक कक्ष सड़कों से तथा दूसरा कक्ष सड़क परिवहन से सम्बन्धित हो। प्रत्येक कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिये परिवहन आयुक्त के अधीन तीन उपायुक्त होने चाहिये। राज्य परिवहन प्राधिकारों का सभापति उस व्यक्ति को बनाया जाय जो अनुभवी हो। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के सदस्यों की सख्या जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निश्चित करना चाहिये। जहाँ प्राधिकार बड़े हो वहाँ प्रत्येक जिले में उनकी शाखा या कार्यालय होना चाहिये।

(5) वित्तीय सुविधायें प्रदान करना—श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन मूल ने सड़क परिवहन के लिये वित्त व्यवस्था का अध्ययन करने के उपरमन्त एक रिपोर्ट दी जिसमें निम्न सुझाव दिये गये हैं—

(i) विकास फ़ूट को पुनः प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(ii) सड़क परिवहन उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

(iii) आयकर में 80% की अतिरिक्त फ़ूट और भी दी जानी चाहिए।

(iv) विशेष सुविधाएँ प्रदान करने वाली परिवहन साख समितियों एवं सहकारी किराया क्रय समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

(v) सरकारी सड़क परिवहन निगमों को राज्य विद्युत मण्डलों की भाँति खुले बाजार में ऋण लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(6) राष्ट्रीयकरण का क्रमबद्ध कार्यक्रम—यात्रा सेवा सम्बन्धी मोटर व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के क्रमबद्ध कार्यक्रम को राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए। माल यातायात के राष्ट्रीयकरण को चौथी योजना तक स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। जिन क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं की कमी है वहाँ मोटर मालिकों की दीर्घकालीन परमिट स्वतन्त्रतापूर्वक दिए जाने चाहिए। विस्थापित होने वाले संचालकों को अन्य मार्गों पर मोटरें चलाने का परमिट देना चाहिए।

(7) राज्य में सहयोग-समझौते—जिस प्रकार व्यक्तिगत पर्यटकों को बिना किसी बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतन्त्रता होती है उसी भाँति माल व यात्री सेवा प्रदान करने वाली बसों को भी जाने देना चाहिए। कुछ राज्यों ने पड़ोसी राज्यों की मोटरों पर कर लगाने की पारस्परिक सहयोगी व्यवस्था की। दूसरे राज्यों की भी इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

(8) प्रतियोगी इकाइयों का निर्माण करना—योजना आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि मोटर संचालन की इतनी वृहद होनी चाहिए कि वर्कशाप और अन्य

प्रबन्धको का प्रबन्ध कर सके। तभी कम व्यय पर कुशल सेवा दी जा सकती है। अतः वर्तमान निजी मोटर सञ्चालन इकाइयों की परस्पर मिल कर आर्थिक इकाई बना लेनी चाहिए।

(9) नियमन विधि में सुधार—मोटर वाहन अधिनियम की अस्पष्ट धाराओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा परमिट प्रदान करने की कार्य विधि में सुधार किया जाना चाहिए।

(10) समन्वय व्यवस्था—परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय चाहिए जिससे पूर्ण विकास हो सके। समन्वय की स्थापना करने के लिए परिवहन विकास परिषद् अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग और राज्य परिवहन सड़क सस्था कार्य कर रही है।

अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति मील सड़क के अनुसार गाड़ियों की संख्या बहुत थोड़ी है। हमारे यहाँ प्रति मील सड़क पर 0.5 ट्रक है जबकि अन्य देशों में 5 से 10 तक ट्रक पाये जाते हैं। प्रति मोटर वाहन व्यक्तियों की संख्या इंग्लैण्ड में 63, कनाडा में 32, अमेरिका में 2.4, श्रीलंका में 85, ईरान में 156 और भारत में 695 है।

सड़क परिवहन की समस्याएँ

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सड़क परिवहन के विकास करने की आवश्यकता है लेकिन इसके विकास में निम्नलिखित बाधाएँ हैं—

(1) अपर्याप्त एवं बुरी सड़कें—सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण समस्या अपर्याप्त एवं बुरी सड़कें हैं। प्रति 10 वर्ग कि० मी० में जापान में 272 कि० मी०, पश्चिमी जर्मनी में 167 वर्ग कि० मी० तथा फ्रांस में 143 कि० मी० सड़कें हैं जबकि भारत में प्रति 100 वर्ग कि० मी० में केवल 36 कि० मी० सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त भारत में दो-तिहाई सड़कें कच्ची हैं, रास्तों में पक्के पुलों का अभाव है और सड़कों की चौड़ाई कम है।

(2) अपर्याप्त मोटरगाड़ियाँ—यद्यपि स्वतन्त्रता के पश्चात् मोटरगाड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी अन्य देशों की तुलना में भारत में मोटरगाड़ियों की संख्या बहुत कम है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है।

(3) अत्यधिक कर भार—मोटर परिवहन के विकास में अत्यधिक कर भार बहुत बाधक है। मोटरगाड़ियों पर इतना अधिक कर भार भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है। सड़क यातायात कर जाँच समिति के अनुसार भारत में एक मोटरगाड़ी पर कर का भार 3500 रुपया है जबकि अमरीका में यह कर भार केवल 862 रुपया तथा ब्रिटेन में 472 रुपया है।

(4) राष्ट्रीयकरण का भय—सन् 1947 से अनेक राज्यों में सड़क यात्रा और माल परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है। कभी-कभी तो राष्ट्रीयकरण करते समय मोटर मालिकों को बहुत कम समय पूर्व सूचना दी जाती है, उन्हें उचित क्षति-

सड़क परिवहन के विकास के लिए सुझाव

सड़क परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं :—

(1) सड़क कर को समाप्त करके सड़क परिवहन को अधिक द्रुतगामी बनाया जा सकता है ।

(2) राष्ट्रीय मार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर के अन्तर से ऐसे पेट्रोल स्टेशनों की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ सर्विस एव मरम्मत का प्रबन्ध हो ।

(3) प्रमुख शहरों में औद्योगिक केन्द्रों एव पर्यटन स्थलों पर रात्रि विश्राम-गृह बनाए जाने चाहिए ।

(4) विभिन्न क्षेत्रों में समानता लाने की दृष्टि से पिछड़े एव पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिए ।

(5) पेट्रोल स्टेशनों पर चिकित्सा एव पुलिस की सुमुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

नई सरकार ने ग्रामीण विकास का जो नया रास्ता अपनाने का निश्चय किया है उसके लिए अच्छी सड़कें पहली आवश्यकता हैं । जब तक हम गाँवों को सड़कों से अच्छी तरह जोड़ नहीं पाते तब तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम अधूरा ही रह जाएगा ।

भारत में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में अनेक राज्यों में सड़क परिवहन (बस) का या तो पूर्ण अथवा आंशिक राष्ट्रीयकरण हो गया है । किन्तु सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विषय में आज भी वाद-विवाद चलता है ।

हमारे देश में सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं—

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क—

(1) सड़क परिवहन सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, इसीलिए इस पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए ।

(2) यह समाजवादी समाज की व्यवस्था की दिशा में सहायक होगा ।

(3) राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के समय महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी ।

(4) अलाभकारी मार्गों में भी परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

(5) इससे सरकार को पर्याप्त अतिरिक्त आय प्राप्त होगी जिसे देश के आर्थिक विकास में लगाया जा सकता है ।

(6) यातायात के विभिन्न साधनों में समन्वय की सम्भावना बढ़ जाएगी ।

(7) कर्मचारियों की दशा में सुधार एव उनके कल्याण में वृद्धि होगी ।

(8) सड़कों के राष्ट्रीयकरण से यात्रियों को भी लाभ होगा क्योंकि (अ) राष्ट्रीय भा० या०—32

कृत मोटर सेवा अपेक्षाकृत अधिक सस्ती होती है। (ब), किराये भाडे पूर्णतः निश्चित होते हैं। (स) भीड़-भाड़ की समस्या से मुक्ति मिलती है। (द) समय की नियमितता का लाभ भी हो जाता है।

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क—

(i) सरकारी परिवहन सेवाओं में लोच का अभाव रहता है, क्योंकि वह निर्धारित स्थानों पर ही सवारी लेते हैं और माल की कुकिंग इत्यादि भी नियमानुसार करते हैं।

(ii) व्यक्तिगत मोटर-वाहन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाने के उपरान्त राष्ट्रीयकरण अनावश्यक हो गया है।

(iii) सरकारी कर्मचारियों में लगन, मेवा-भाव व व्यावसायिक योग्यता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है।

(iv) सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण राजनैतिक दलबन्दी के लिए एक नया क्षेत्र खोलता है।

(v) राज्य सरकारों के पास राष्ट्रीयकरण करने के लिए पर्याप्त धन का अभाव है।

(vi) सरकार और कर्मचारियों में सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रहते हैं।

(vii) प्रतिस्पर्धा के अभाव में हो सकता है कि सरकारी बसों में वे सुविधाएँ उपलब्ध न हों जो निजी चालकों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

निष्कर्ष—वर्तमान परिस्थितियों में देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने, रेलवे तथा सड़क के बीच प्रतियोगिता को समाप्त करने तथा सड़क यातायात के आयोजित विकास के लिए सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण अति आवश्यक है। राष्ट्रीयकृत सड़क पर परिवहन सेवा के महत्त्व को अधिक बल देने के लिए सरकार को निम्न चार बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए—(i) सस्तापन, (ii) नियमितता, (iii) सुरक्षा तथा (iv) सुविधाएँ। वास्तव में भारत में मोटर सेवा में शून्य-शनैः राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई है।

सन् 2000 में सड़क परिवहन की सम्भावित स्थिति

सन् 2000 में माल परिवहन की दृष्टि से माँग 5,00,000 मिलियन टन कि०मी० होगी जो रेल परिवहन से 1,00,000 मिलियन टन कि०मी० अधिक होगी। पक्की सड़कों की लम्बाई 13,25,000 कि०मी० और कच्ची सड़कों की लम्बाई 32,00,000 से 6,75,000 कि०मी० के मध्य होगी। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों की लम्बाई पक्की सड़कों की लगभग 30% होगी।

सड़क यात्री परिवहन 4,00,000 से 8,00,000 मिलियन यात्री कि०मी० होने की सम्भावना है। (5% आध में वृद्धि पर) और इसे उचित रूप से 6,00,000 मिलियन कि०मी० माना जा सकता है। यदि रेल यात्री परिवहन सन् 2000 में

3,00,000 मिलियन यात्री कि०मी० हो तो सड़को का कुल भाग कुल यात्री परिवहन में लगभग दो तिहाई ($\frac{2}{3}$) हो जायेगा ।

बसों द्वारा एक वर्ष में औसतन रूप से 1 50 मिलियन यात्री कि०मी० ढोने की सम्भावना है । अतः सन् 2000 में 4,00,000 बसों की आवश्यकता होगी । सन् 1951 में यह औसत 6 7 लाख यात्री कि०मी० तथा 1968-69 में 1 13 मिलियन टन यात्री कि०मी० था ।

परीक्षा-प्रश्न

- 1 भारत में सड़क यातायात के महत्त्व व विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए । मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ है ?
- 2 विगत वर्षों में सरकार ने सड़क यातायात के विकास के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

परिवहन समन्वय

(Transport Co-ordination)

अर्थ—परिवहन समन्वय से आशय प्रत्येक परिवहन सेवा को केवल यह कार्य सुपुर्द करना है, जिसे वह दूसरो की अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक करने में समर्थ हो और जिसे करने से उसका उस क्षेत्र में अधिकतम विकास सम्भव हो। समन्वय से विविध परिवहन सेवाओं का पारस्परिक विरोध समाप्त हो जाता है और प्रत्येक पक्ष के उसी यातायात को ले जाने में हाथ डालता है जिसके ले जाने में वह निम्नतम भाड़े ले सकता है।

रेल सड़क प्रतियोगिता के कारण

(Clauses Competition Between Rail Road)

भारत की रेल एव सड़क परिवहन के मध्य प्रतियोगिता के प्रमुख कारण निम्न हैं :—

(i) रेल परिवहन में असुविधाएँ—रेल द्वारा माल के यातायात में अनेक शिकायतें रहती हैं। इनमें माल नुक करने में देरी, परिवहन में अधिक समय, चोरी से माल का नुकसान इत्यादि शामिल हैं। इसके विपरीत सड़क परिवहन में माल का यातायात तेजी से होता है। और सामान्यतः माल की चोरी का डर नहीं रहता।

(ii) समय सारणी में लोच—सड़कों की समय सारणी में रेलों की तुलना में अधिक लोच पायी जाती है जिससे सड़क परिवहन की प्रतियोगिता शक्ति अधिक रहती है।

(iii) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति—रेलों के सामाजिक उद्देश्यों के अधीन परिवहन सुविधाओं में अनेक रियायतें देनी होती हैं जैसे खाद्यान्नों को रियायती दर पर ले जाना जब कि सड़क परिवहन द्वारा ऐसी सुविधाएँ न देने से उसकी प्रतियोगिता शक्ति अधिक रहती है।

(iv) द्वार-द्वार सेवा—सड़क परिवहन द्वारा माल तथा यात्रियों को द्वार से द्वार सेवा की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं किन्तु रेल परिवहन में इस प्रकार की सुविधाओं का अभाव होता है। रेल परिवहन में माल को रेलवे स्टेशन तक पहुँचाना होता

है और वही से प्राप्त भी किया जाता है। इस कारण सड़क परिवहन रेलों की प्रतियोगिता में सफल हो जाता है।

(v) मार्ग परिवर्तन की सुविधा—सड़क परिवहन में मार्ग का परिवहन आसानी से किया जाता है किन्तु रेलें निश्चित मार्ग पर ही चलती हैं। अगर रेलों के मार्ग को परिवर्तन करना पड़े तो भारी पूंजीगत हानि सहन करनी पड़ती है।

(vi) सड़क परिवहन की कम लागत—रेलों की अपेक्षा सड़क परिवहन की कम लागत आती है, जिससे उसकी प्रतियोगिता शक्ति अधिक रहती है साथ ही रेलवे को रेल मार्गों की सुरक्षा और मरम्मत पर भी व्यय करना पड़ता है जबकि सड़क परिवहन में यह व्यय मोटर-मालिकों को व्यय नहीं करना पड़ता है।

रेल एवं सड़क परिवहन में माल ढोने की लागत (प्रति टन)

(रूपों में)

दूरी किलोमीटर	रेल परिवहन		सड़क परिवहन
	स्टीम इंजन	डीजल इंजन	
50	21.35	20.72	10.35
100	23.67	22.35	15.75
200	65.28	32.65	26.50
500	59.53	63.95	49.23
1000	102.86	92.85	87.58

समन्वय की आवश्यकता

(Need of Co-ordination)

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर सड़क और रेल परिवहन में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता का समर्थन किया जाता है।

(i) समन्वय का प्रमुख लाभ अस्वस्थ प्रतियोगिता को दूर करना है। इससे विभिन्न साधनों के सम्बन्ध अच्छे हो जाते हैं और सभी को विकास के समान अवसर मिलते हैं।

(ii) देश में सुनियोजित परिवहन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए परिवहन के दोनों साधनों में नियोजित समन्वय आवश्यक है।

(iii) रेल और सड़क परिवहन में प्रभावशाली समन्वय के बिना व्यर्थ का दोहरा परिवहन स्थापित होगा।

(iv) रेलों द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिवहन सुविधाओं में अनेक रियायतें देनी होती हैं।

(v) यातायात का चालन छोटे-छोटे मार्गों से होने लगता है जिससे माल शीघ्रता से निर्दिष्ट स्थान पर समय से पहुँच जाता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है।

भारत में परिवहन के लिए किए गए प्रयास

देश में रेल और सड़क परिवहन के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—

- 1 स्वतन्त्रता के पूर्व किए गए प्रयास ।
- 2 स्वतन्त्रता के पश्चात् किए गए प्रयास ।

स्वतन्त्रता के पूर्व किए गए प्रयास

• (1) मिचेल किर्कनेस समिति (Mitchel Kirkness Committee)—सर्व-प्रथम सन् 1932 में मिचेल किर्कनेस समिति नियुक्ति की गई । इस समिति से प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे—(i) मोटर यातायात पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय, (ii) मोटर सेवा के लिए 50 मील का क्षेत्र नियत किया जाय, (iii) रेलवे को सड़को पर अपनी मोटरों चलाने का अधिकार दिया जाए, (iv) परिवहन के प्रबन्ध प्रशासन हेतु एक केन्द्रीय यातायात मण्डल स्थापित किया जाए व (v) मोटर-स्वामियों के लिए कर देना और भाड़े व समय की सारणियाँ रखना अनिवार्य बनाया जाए ।

(2) रेलवे-सड़क सम्मेलन शिमला, 1933 (Rail-Road Conference)—सन् 1933 में शिमला में रेल-सड़क सम्मेलन हुआ, जिसमें अनुचित प्रतियोगिता को दूर करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव पास किए गए ।—सम्मेलन का यह मत था कि समन्वय की योजना प्रान्तों तथा केन्द्रों की सहमति से लागू की जाए और रेल एवं सड़क अधिकारियों में अधिक सहयोग एवं विवेकपूर्ण समन्वय होना चाहिए, ताकि अलाभकारी प्रतियोगिता समाप्त हो सके ।

(3) रेलवे अधिनियम 1933—भारत सरकार ने रेलवे सड़क सम्मेलन के सुझावों को व्यावहारिक रूप देने के लिए रेलवे अधिनियम सन् 1933 पारित किया, जिसके अनुसार रेल कम्पनियों को सामानान्तर सड़को पर अपनी मोटरों चलाने का अधिकार दिया गया ।

(4) केन्द्रीय परिवहन परामर्शदात्री परिषद् 1935—सन् 1935 में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय यातायात परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख कार्य परिवहन के समस्त साधनों को सयोजित करके ऐसी नीति प्रस्तुत करनी थी, जो प्रान्तों द्वारा अपनाई जा सके ।

(5) सन् 1937 में एक यातायात एवं सड़क-विभाग की स्थापना की गई, जिसको रेलवे, डारू-तार विभाग तथा सड़क आदि का काम मिला । इससे समन्वय कार्य में कुछ सुविधा हुई ।

इतने प्रयास के पश्चात् भी रेल-सड़क प्रतियोगिता गम्भीर होती ही चली गई ।

(6) वेजवुड समिति (Wedgewood Committee 1937)—यह समिति सन् 1936 में रेल-सड़क परिवहन के समन्वय हेतु व्यावहारिक नीति का सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई थी । इस समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे—(i) मोटर

परिवहन पर कठिन नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। (ii) मोटर-गाडियाँ चलाने से पूर्व लाइसेन्स लेना अनिवार्य बनाया जाए। (iii) टाइम-टेबुल और किराये निश्चित होने चाहिए। (iv) मोटर वाहनों का एक क्षेत्र सीमित किया जाना चाहिए। (v) सभी प्रान्तों की मोटरगाडियों की दर सम्बन्धी नीति में समता रहनी चाहिए। (vi) सार्व-जनिक और प्राइवेट दोनों प्रकार की मोटरों पर एक से नियम लागू करने चाहिए। (vii) सामानान्तर सड़कों पर रेल कम्पनियों की मोटरों अधिक सख्या में चलानी चाहिए।

(7) मोटरगाड़ी अधिनियम (Motor Vehicles Act 1939)—सन् 1939 में ब्रेजलड समिति की सिफारिशों के अनुसार मोटरगाड़ी अधिनियम पारित हुआ जिसमें सड़क परिवहन पर नियन्त्रण स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(i) प्रादेशिक राज्यों की मोटरगाडियों के पूर्ण नियन्त्रण का अधिकार दे दिया गया।

(ii) प्रादेशिक एव क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

(iii) मोटरगाडियों के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य बना दिया।

(iv) प्रत्येक मोटरगाड़ी का तीसरे पक्ष के प्रति नुकसान के लिए बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया।

(v) मोटर-ड्राइवरो के लिए काम के 9 घण्टे प्रतिदिन तथा 45 घण्टे प्रति सप्ताह निश्चित किए गए।

(vi) मोटर वाहनों का संचालन क्षेत्र भी सीमित कर दिया गया।

इस अधिनियम द्वारा मोटर-परिवहन पर सरकार का कड़ा नियन्त्रण हो गया। द्वितीय महायुद्ध काल में परिवहन के साधनों की अधिक माँग के कारण रेलसड़क प्रति योगिता समाप्त हो गई।

(8) परिवहन समन्वय की युद्धोत्तर योजना—सन् 1945 में सरकार ने राज् सरकारों को मोटर परिवहन के नियन्त्रण के लिए सिद्धान्त और व्यवहार सहित (Code of principle and practices) लागू की, जिसके अनुसार मोटर व्यवस्था का क्षेत्र 75 मील तक सीमित कर दिया गया। 75 मील से अधिक दूर तक मोटरों द्वारा माल ले जाने की अनुमति उसी प्रकार दी जाती है जब रेल माल ले जाने में असमर्थ हो।

(2) स्वतन्त्रता के पश्चात् किए गए प्रयास

(1) 1950 में मोटर वाहन कराधान जाँच समिति की नियुक्ति की गई जिसने रेल-सड़क समन्वय की समस्या पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि जब तक मोटर परिवहन पर कर भार अधिक है, तब तक रेल-सड़क प्रतियोगिता की को सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपभोक्ता को किसी भी साधन के प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(2) सन् 1953 में परिवहन आयोग अध्ययन दल की नियुक्ति की गई। इस

अध्ययन दल न यह मुझाव दिया कि "परिवहन के समस्त साधना के अनुपूरक और समुचित विकाम के लिए एक दीर्घकालीन परिवहन नीति निश्चित की जानी चाहिए।"

(3) सन् 1958 में सड़क परिवहन की जाँच के लिए मसानी समिति को नियुक्ति की गई। सड़क परिवहन के उचित विकास के लिए इस समिति ने सिफारिश की कि (i) प्रत्येक राज्य में एक परिवहन मन्त्रालय की स्थापना होनी चाहिए। (ii) अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। (iii) अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग के पाम यथेष्ट कर्मचारी होना चाहिए और लाइसेन्स देने की उसे अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए। (iv) यातायात के ऐंसे साधन को सहायता देना जो कार्यक्रम में नहीं है, राष्ट्र-हित के विरुद्ध है।

(4) इन सुझावों के अनुसार सन् 1958 में अन्तर्राज्य मार्गों पर सड़क परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय एवं नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय परिवहन समन्वय नीति, 1966

(National Transport Co-ordination policy, 1966)

1. सन् 1959 में सरकार ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में रेल सड़क समन्वय समिति नियुक्ति की, जिसने सन् 1966 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की। समिति के विचार तथा मुझाव निम्नलिखित थे -

(क) राष्ट्रीय स्तर पर संगठन - समिति के विचार केन्द्र में किसी स्थायी संगठन की आवश्यकता है जो स्वतन्त्र रूप में समन्वय समस्याओं का अध्ययन कर सके, लागत सम्बन्धी आँकड़े संकलित कर सके तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय ले सके और उस निर्णय के अनुसार काम कर सके।

(ख) राज्य स्तरीय संगठन -- राज्यों के अन्तर्गत परिवहन समन्वय की समस्याओं पर विचार करने का काम वर्तमान राज्य परिवहन अधिकारी (State Transport Authority) के सुपुर्द किया जाना चाहिए। अन्तर्राज्य परिवहन आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार यह अधिकारी कार्य करेंगे।

(ग) सलाहकार परिवहन बोर्ड -- प्रत्येक राज्य में विशेष योजनाएँ बनाने के लिए राज्य सलाहकार परिवहन बोर्ड (State Advisory Transport Board) होना चाहिए।

(घ) समन्वय के उचित मापदण्डों का निर्धारण -- परिवहन के समन्वय के लिए परिवहन साधनों के मध्य द्राफिक का बँटवारा किए जाने के लिए ऐसे मापदण्डों का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे यह बँटवारा उचित रूप से हो सके।

(च) परिवहन के विभिन्न साधनों का समन्वित विकास -- यदि परिवहन प्रणाली को एक माना जाता है तो परिवहन के विभिन्न साधनों का एक दूसरे के पूरक के रूप में इस अनुपात में विकास करना चाहिए कि समाज की परिवहन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति न्यूनतम लागत पर हो सके।

(घ) परिवहन समन्वय परिषद् की स्थापना—परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए 'परिवहन समन्वय परिषद्, (Council for Transport Co-ordination) का गठन किया जाना चाहिए।

(ज) परिवहन साधनों का समक एकत्रण—परिवहन के अनेक साधनों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं और समक के एकत्रीकरण तथा विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे परिवहन के विभिन्न साधनों की माँग इत्यादि बातों पर नियमित ध्यान रखा जा सके।

(झ) सड़क परिवहन के विकास सम्बन्धी सुझाव—(1) सड़क यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हे लाइसेन्स प्रदान करने में अधिक उदारता से काम लेना चाहिए और इन्हे सम्पूर्ण राज्य के लिए लाइसेन्स प्रदान करना चाहिए।

(2) सड़क परिवहन का विकास एक सुसंघटित उद्योग के रूप में किया जाना चाहिए।

(3) सड़क परिवहन के नियमों को सरल किया जाना चाहिए तथा उनमें एक-रूपता लानी चाहिए।

पंचवर्षीय योजनाओं में रेल-सड़क समन्वय

योजना आयोग ने भी यातायात के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता तथा महत्व का अनुभव करते हुए प्रथम योजना में कहा था, "यातायात के विभिन्न साधनों के विकास को, अन्य योजनाओं से पृथक् करके नहीं सोचा जा सकता। उन्हें विभिन्न कृषि तथा औद्योगिक योजनाओं की आवश्यकता के अनुकूल ही बनाना चाहिए और उनको इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि एक प्रकार के परिवहन का सम्बन्ध दूसरे से हो और प्रत्येक का विकास उसके क्षेत्र में प्रभावपूर्ण सेवा के लिए हो।" अतः प्रथम योजना में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए वर्गीकृत कार्यक्रम बनाए गए।

द्वितीय योजना में भी विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों में समन्वय की नीति को और अधिक आगे बढ़ाया गया। इसका लक्ष्य, विभिन्न परिवहन साधनों का सन्तुलित तथा एक साथ विकास करना था और प्रत्येक का क्षेत्र निर्धारित करके उन्हें सगठित करना था।

तीसरी योजना में परिवहन नीति एवं समन्वय समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में समन्वय सम्बन्धी उपयोगी सुझाव दिए।

चौथी एवं पाँचवीं योजना में सर्वाधिक राशि रेल परिवहन के लिए नियत की गई। तत्पश्चात् सड़क परिवहन का नम्बर है। ग्राम मार्गों के लिए राज्य सरकारों ने जिम्मेदारी ग्रहण की है। स्पष्ट है कि योजनाबद्धि में माल व यात्री ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। आन्तरिक एवं तटीय जल-परिवहन तथा वायु-परिवहन से इस दिशा में अधिक सहायता न मिल सकेगी। अतः मुख्य जिम्मेदारी रेल एवं सड़क परिवहन पर ही आ गई है।

छठी योजना में परिवहन-साधना की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाएगा उनकी कार्यक्षमता बढ़ायी जाएगी एवं लागत व्ययों को घटाने का प्रयास किया जाएगा।

समन्वय से लिए व्यावहारिक योजना

आजकल हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों पर परिवहन समन्वय का कार्य करती है

(1) अन्तर राज्य परिवहन आयोग— यह सस्था अन्तरराज्यीय मार्गों में साम-जस्य स्थापित करती है तथा उन्हें नियन्त्रित करने के लिए कानून बनाती है तथा सड़क परिवहन सेवाओं का विकास करती है। इस आयोग ने पड़ोसी राज्यों के बीच सम-झौते करके जोनल परमिट योजना प्रारम्भ की है।

(2) राष्ट्रीय अनुज्ञा योजना— इस योजना को जुलाई 1975 से शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत मोटर ट्रक को लाइसेन्स दिए जाने लगे हैं। अब एक जोन से दूसरे जोन के बीच माल का यातायात बेरोक-टोक होने लगा है।

(3) परिवहन विकास परिषद्— यह परिषद् केन्द्रीय सरकार की सड़कों, सड़क परिवहन एवं जल मार्गों के विकास एवं समन्वय के सम्बन्ध में नीतियाँ बनाती है। परिषद् में एक स्थायी समिति भी है, जो समन्वय एवं विकास सम्बन्धी समस्याओं को विचार-विमर्श करके उसे उचित सलाह देती है।

(4) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम परिषद्— इसका गठन 1973 में हुआ। इसका उद्देश्य राज्यों की सरकारी सड़क सेवाओं के बीच विचार-विमर्श के अवसर प्रदान करना है। परिषद् के तत्वावधान में विविध परिवहन आयुक्त वर्ष में एक बार मिलते हैं तथा समान हित की समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं।

समन्वय हेतु व्यावहारिक योजना

देश में परिवहन समन्वय के लिये एक व्यावहारिक योजना के लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं : (1) जहाँ जनसंख्या का 80% भाग रहता है, वहाँ विशेष रूप से सड़कों के विकास को और बड़े उद्योगों के क्षेत्रों में रेल परिवहन को प्रधानता दी जानी चाहिये। (2) यद्यपि रेल आधुनिक परिवहन व्यवस्था का आधार है परन्तु ऐसा होते हुए भी अन्य साधनों का विकास किया जाना चाहिये। (3) यात्री परिवहन रेलों से मोटरों की ओर हटने के कारण रेलों द्वारा माल बुलाई की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये। (4) किराये-भाड़े की दरे उचित सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिये और इनमें समन्वय रखने की जिम्मेदारी कोई राष्ट्रीय सस्था उठाए। (5) 200 किलो-मीटर तक के परिवहन के लिये सड़क को प्रोत्साहित करना चाहिये। (6) परिवहन समन्वय की योजना बनाते और लागू करते समय उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना चाहिये। (7) रेल-सड़क समन्वय स्थापित करने के लिये विशिष्ट यातायात के प्रवाहों (Specific flow of traffic) की लागत का अध्ययन किया जाना चाहिये। (8) योजनाओं में विनियोग की नीतियों के जरिये समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

(9) पिछड़े हुए क्षेत्रों व देहातों के आर्थिक विकास के लिये सड़क के निर्माण व सड़क-परिवहन के विकास पर विशेष ध्यान देना उचित होगा। (10) एकीकरण की प्रक्रिया तीन दिशाओं में फैलायी जा सकती है—(अ) जहाँ परिवहन का काम विभागीय तौर पर चलाया जाता है, वहाँ इसे निगम या कंपनियों में परिवर्तित कर देना चाहिए जिससे यह पूर्णतया व्यापारिक दिशाओं में चलायी जा सके। (ब) केन्द्रीय व राज्य निगमों के कार्यों को भारतीय रेलवे के सहयोग से इतना विकसित कर लेना चाहिये कि उनको यातायात में महत्वपूर्ण अंश मिल सके। (स) भारतीय रेलवे व राज्य सड़क-परिवहन निगमों व अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिये बनाये गये केन्द्रीय निगम के सहयोग से यात्री व माल के संयुक्त रेल-सड़क परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

भारत जैसे विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिये परिवहन समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ताकि परिवहन सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ एक स्थान पर दोहरी परिवहन सुविधाओं का विस्तार न हो और सीमित साधनों का दुरुपयोग भी न हो। परिवहन के आयोजित, समन्वित व एकीकृत विकास से आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को तेज करने में आसानी होगी। अतः भारत में परिवहन विकास समन्वित एवं पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किया जाना चाहिये और उसका संचालन जनता के सामान्य हित में होना चाहिये।

राष्ट्रीय परिवहन समिति (National Transport Policy)

छठवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकताएँ निश्चित की गयी हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके इस उद्देश्य में योजना आयोग ने 28 अप्रैल 1978 को भूतपूर्व मन्त्रिमंडल सचिव श्री बी० डी० पाण्डेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिससे कि राष्ट्रीय परिवहन नीति बनायी जा सके। इस समिति के अन्य सदस्य थे—श्री पी० सी० लाल, श्री जी० पी० वारियर, डा० एफ० पी० जस्तिया, डा० एम० क्यू० डालवी व परिवहन सलाहकार योजना आयोग।

समिति द्वारा दिये गये सुझाव इस प्रकार हैं—(i) चुगी कर समाप्त किया जाय जिससे कि समय की बचत हो (ii) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परमिटों वालों से कर उनके राज्य में ही लिया जाय तथा इनके करों में भी विभिन्नता होनी चाहिए (iii) परिवहन के लिए योजनाओं में अधिक राशि दी जाय (iv) एक राष्ट्रीय परिवहन योजना बनायी जाय (v) एक राष्ट्रीय परिवहन आयोग बनाया जाय जिससे कि परिवहन के सभी साधनों, राज्यों व केन्द्र में समन्वय स्थापित किया जा सके। (vi) उत्तरी पूर्वी दोनों क्षेत्रों में परिवहन के लिए सहायता दी जाय। (vii) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परमिटों की संख्या बढ़ायी जाय।

परीक्षा-प्रश्न

✓⁶³ भारत में परिवहन के समन्वय तथा नियोजन में उठनेवाली कठिनाइयाँ की

सक्षिप्त विवेचना कीजिये तथा परिवहन के भिन्न-भिन्न साधनों के मध्य उत्तम समन्वय करने हेतु सुझाव दीजिये ।

2. भारत में रेल-सड़क स्पर्धा तथा समन्वय पर एक निबन्ध लिखिये ।

3. भारत में रेल-सड़क समन्वय की स्थापना के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं और उनमें क्या सफलता मिली है ? इस दिशा में अपने व्यावहारिक सुझाव दीजिए ।

भारत में जल परिवहन (Water Transport in India)

परिवहन के विभिन्न साधनों में जल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन समय में जब रेल और मोटर विकास नहीं हुआ था, उस समय जल यातायात ही प्रमुख साधन था। भारत में प्राचीन काल से ही जल मार्गों का प्रयोग होता रहा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जल परिवहन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(1) आंतरिक जलमार्ग (2) समुद्री जलमार्ग।

1. आंतरिक जलमार्ग—आंतरिक जलमार्ग में देश के आंतरिक भागों में नदियाँ एवं नहरों द्वारा किए जाने वाले परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन भारत में देशी व्यापार के लिए आंतरिक जलमार्गों का विशेष महत्व था। जब रेलें नहीं थीं तब अधिकांश व्यापार और मनुष्यों का आवागमन नदियों द्वारा ही होता था। किन्तु आधुनिक युग में रेल मार्गों और सड़कों का विकास हो जाने के कारण आंतरिक जल मार्गों का महत्व घट गया है।

भारत में प्रधान आंतरिक जलमार्गों को निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है
(1) नदी परिवहन और (2) नहर परिवहन।

1 नदी परिवहन—उत्तरी भारत की नदियाँ अधिकांश रूप से वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती हैं जिससे इनमें नावें चलाई जा सकती हैं। इसके विपरीत दक्षिण भारत की नदियाँ पठारी भूमि पर बहने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं हैं। भारत में इस समय निम्नलिखित नदियों में स्टीमर चलाए जा सकते हैं—

(i) ब्रह्मपुत्र नदी—ब्रह्मपुत्र नदी में मुहाने से लेकर डिब्रूगढ़ तक 1300 कि० मी० तक जहाज चलते हैं। बंगाल और असम में यातायात की दृष्टि से इस नदी का बहुत ही महत्व है। इसके द्वारा जूट, चावल, वनों की लकड़ी, चमय आदि ढोयी जाती है।

(ii) गंगा नदी—गङ्गा नदी में पटना तक स्टीमर चला करते हैं। गङ्गा की सहायक नदी घाघरा में भी फैजाबाद तक स्टीमर चलाए जाते हैं।

(iii) यमुना नदी—यमुना नदी में आगरा तक नावें चला करती थीं किन्तु वर्तमान में इसका महत्व नहीं रह गया है।

(iv) हुगली नदी— हुगली नदी परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। इस नदी में अब भी नदिया नामक स्थान तक नावे चलायी जा सकती है। वर्षा ऋतु में स्टीमर भी चल सकते हैं।

(v) भागीरथी नदी— वर्षा ऋतु में गङ्गा नदी में कलकत्ता से केवल 288 कि० मी० तक स्टीमर चलाये जा सकते हैं।¹

2 नहर परिवहन— भारत में नाव चलाने योग्य नहरों का बहुत ही अभाव है। हमारे देश में अधिकांश नहरें सिंचाई के लिए बनायी गयी हैं जो नगरों से दूर खेतों में होकर जाती हैं। भारत में नाव चलाने योग्य नहरों की लम्बाई 24140 कि० मी० है। जल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहरें इस प्रकार हैं—

(i) गङ्गा की ऊपरी और निचली नहरें (उत्तर प्रदेश)

(ii) उड़ीसा तट की नहरें (उड़ीसा)

(iii) कर्नूल कङ्कणा नहर (तमिलनाडु)

(iv) बकिंघम नहर (तमिलनाडु)

(v) सरहिन्द नहर (पंजाब व हरियाणा)

(vi) सर्कुलर नहर (पश्चिमी बंगाल)

(vii) गोदावरी व कृष्णा डेल्टा की नहरें

(viii) पूर्वी नहर (पश्चिमी बंगाल)

योजनाकाल में आन्तरिक जल परिवहन की प्रगति

* प्रथम योजना काल—(1952) में गङ्गा एव ब्रह्मपुत्र नदियों में अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास का पता लगाने के लिए गङ्गा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई जो केन्द्रीय सरकार बिहार उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व असम की सरकारों द्वारा मिलकर बनाया गया था।

द्वितीय योजना काल में केरल बाडगरा से माही तक नहर का विस्तार व दामोदर घाटी में नौ-परिवहन सम्बन्धी कार्यों को शामिल किया गया।

तृतीय योजना काल में भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय (Inland water transport directorate) की स्थापना की। 1967 में गङ्गा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड इस निदेशालय में मिला दिया गया तथा इसी वर्ष केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (Central Inland water transport corporation) की स्थापना की गयी।

चतुर्थ योजना काल में आन्तरिक जल परिवहन समिति (Inland water transport committee) नियुक्त की गयी जिसने आन्तरिक जल परिवहन के विकास पर 273 करोड़ रुपये व्यय करने की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपये की 20 योजनाएँ स्वीकार की जा चुकी हैं।

प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में एक-एक करोड़ रुपये, तृतीय योजना में 252 करोड़ रुपये, चतुर्थ योजना में 11 करोड़ रुपये व पाँचवीं योजना में 10.8 करोड़ रुपये आन्तरिक जल परिवहन विकास पर व्यय हुए हैं।

भारत में आन्तरिक जलपरिवहन की अवनति के कारण

(1) नदियों में जल की मात्रा का कम होना—प्राचीन काल में गङ्गा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ नाव चलाने के लिए प्रसिद्ध थीं। किन्तु इनके किनारे पर जंगलों को नष्ट कर दिये जाने के कारण भू-संरक्षण के प्रभाव से इन नदियों में कहीं-कहीं पर रेत के टीले बन गये जिसके कारण जल स्तर में भारी कमी आयी है।

(11) शासन की एकपक्षीय नीति—आन्तरिक जल परिवहन की अपेक्षा रेलों से अधिक लाभ है इसलिए जल परिवहन रेलों से कभी भी प्रतियोगिता नहीं कर सकता। भारत में ब्रिटिश काल में रेलों का काफी पक्ष लिया गया जिसके कारण भारत के आन्तरिक जलमार्गों की अवनति होती चली गई।

(111) सिंचाई के लिए जल का उपयोग—नदियों और नहरों का पानी अब सिंचाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में निकाल लिया जाता है जिसके कारण जल-स्तूर अपर्याप्त रहता है और नावे सरलतापूर्वक नहीं चलाई जा सकती।

(1V) संगठन का अभाव—रेल व सड़क परिवहन की तरह देश के आन्तरिक जल परिवहन का कोई संगठन नहीं है जिसके कारण इस परिवहन का विकास नहीं हो सका।

आन्तरिक जलपरिवहन के विकास के लिए सुझाव

भीतरी जल परिवहन के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

(i) शक्ति चालित नौकाएँ—शक्ति-चालित नौकाओं के प्रयोग में वृद्धि से परिवहन की गति में वृद्धि हो जायेगी।

(11) सहकारी सङ्गठनों का निर्माण—नाविकों के सहकारी संगठन बनाये जाने चाहिए, जिससे जनता में इनके प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सके।

(111) घाट व बन्दरगाहों का निर्माण—राज्य सरकारों को पक्के घाट व बन्दरगाह बनवाना चाहिए और इन्हें सड़कों द्वारा शहरों और नगरों से जोड़ा जाना चाहिए।

(1V) किराये का निर्धारण—राज्य सरकारों को जल यातायात के किराये का निर्धारण करना चाहिए।

(V) प्रशिक्षण—ऐसे नाविक जिन्हें नाव चलाने का अच्छा ज्ञान न हो उन्हें ही नाव चलाने का अधिकार प्रदान करना चाहिए।

(VI) निश्चित समय सारिणी—जिन क्षेत्रों में जल परिवहन अधिकांश रूप से

सम्भव है वहाँ रेल-मोटर परिवहन सारिणी के अनुसार नौका चालको को भी समय-सारिणी निश्चित करना चाहिए ।

भारत में जहाजरानी (Shipping in India)

संक्षिप्त इतिहास—प्राचीन काल में भारत का समुद्री यातायात उन्नति के चरम शिखर पर था और उसे 'पूर्वी सागरो की रानी' का पद प्राप्त था । डॉ० राधा कमल मुखर्जी की दृष्टि में 'पूरी तीस शताब्दी तक भारत की स्थिति पुरानी दुनिया के मध्य में उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण रही, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय की' भारत समार के सामुद्रिक राष्ट्रों में अग्रणी देश और महान् सामुद्रिक शक्ति बना रहा । अपनी जहाजरानी के कारण भारत का सम्बन्ध रोम, मिन, यूनान जैसी प्राचीन सभ्यताओं के साथ था । मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जहाजरानी की विषय चर्चा मिलती है । भोज नरपति नाम के संस्कृत विद्वान् की पुस्तक 'युक्ति कल्पतरु' में भारत के जहाज-निर्माण उद्योग के बारे में पर्याप्त उदाहरण मिलने हैं । मुगल काल में 'आईने-अकबरी' से पता चलता है कि केवल सिन्धु नदी के व्यापार में ही 40,000 जहाज लगे हुए थे । सदियों तक समुद्री मार्गों पर भारत का प्रभुत्व बना रहा, परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से इस प्रसिद्ध भारतीय उद्योग का पतन प्रारम्भ हुआ ।

भारतीय जहाजरानी का पतन—भारतीय जहाजरानी के पतन का प्रमुख कारण विदेशी प्रतियोगिता तथा ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीति थी । महात्मा गांधी के शब्दों में, "भारतीय जहाजरानी को इसलिए नष्ट होना पड़ा कि ब्रिटिश जहाजरानी पतन सके ।" भारत में अंग्रेजों के आने पर स्टीमशिप और जहाज-निर्माण में इस्पात का प्रयोग होने के कारण भारतीय जहाजरानी उद्योग को बहुत धक्का लगा । विदेशी शासन द्वारा भारतीय जहाजरानी पर लगाए गए प्रतिबन्धक कानून ने तो इस उद्योग का गला ही घोट दिया । संक्षेप में, भारतीय जहाजरानी के पतन के कारण इस प्रकार थे—(i) इस्पात के जहाजों का प्रचलन । (ii) विदेशी सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति । (iii) अंग्रेजी व्यापारियों की ईर्ष्या । (iv) अंग्रेजी जहाज कम्पनियों द्वारा भाड़े में रियायत, भुगतान की सरल प्रणाली तथा अन्य सुविधाओं द्वारा प्रतियोगिता करना । (v) किराए भाड़े की लड़ाई । (vi) भारतीय जहाज की धीमी गति । अतः विदेशी सरकार की उदासीनता तथा विदेशी कम्पनियों की प्रतियोगिता के कारण भारतीय जहाजरानी का विकास न हो सका । भारतीय जहाज-व्यवसाय का पतन इस मीमा तक हुआ कि वर्तमान समय में भारत की कुल जहाजरानी शक्ति समस्त विश्व की जहाजरानी शक्ति का केवल 2% भाग है ।

भारत में आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ—भारत में आधुनिक जहाजरानी का वास्तविक प्रारम्भ सन् 1920 में हुआ; जबकि ब्रिटिश जहाजों एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी की स्थापना की गई । परन्तु इस कम्पनी की स्थापना के पूर्व भी इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए गए थे, जैसे सन्

1893 मे टाटा ने चीन और जापान मे सूत और रई का व्यापार करने के लिए जहाज कम्पनी प्रारम्भ की थी। सन् 1906 मे चिदम्बरम् पिल्ले ने तूतीकोरन मे स्वदेशी जहाजी कम्पनी की स्थापना की, सन् 1905 मे वङ्गाल स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने बटगॉव-रगून मार्ग पर अपनी जहाजी-सेवा प्रारम्भ की। सन् 1927 तक 33 भारतीय जहाजी कम्पनियाँ बनी थी, परन्तु केवल चार ही शेष रही।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारत मे राष्ट्रीय भावनाएँ उभरने लगी फलत भारतीय जहाजी व्यवसाय का भारतीयकरण करने को जनता की माँग काफी तीव्र हो गई। बढ़ते हुए विरोध के कारण सन् 1923 मे सरकार ने हेडखाम की अध्यक्षता मे भारतीय व्यापारिक जहाजी बेडा समिति (Indian Mercantile Marine Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च सन् 1924 मे प्रस्तुत की, जिसमे निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें थी—

(1) भारतीय जहाजों के लिए तटीय व्यापार लाइसेन्स प्रणाली द्वारा सुरक्षित किया जाए।

(2) सरकार किसी एक ब्रिटिश मार्ग को खरीदकर उसे किसी मान्यता प्राप्त भारतीय कम्पनी को सौंप दे।

(3) भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण-पोत (Training Ship) की स्थापना की जाय।

(4) विदेशी जहाजों पर भी प्रशिक्षित भारतीयों को नौकरी दी जाए।

यद्यपि समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण थी, परन्तु सरकार ने इन्हे कार्यान्वित करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। दो वर्ष पश्चात् केवल प्रशिक्षण सुम्बन्धी मुझाव को स्वीकार किया। तदनुरूप सन् 1927 मे भारतीय व्यापारिक प्रशिक्षण पोत 'डफरिन' का सङ्गठन किया गया।

सन् 1928 मे श्री साराभाई नेमीचन्द हाजी ने विधान सभा मे भारतीय तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करने के लिए एक बिल पेश किया। इस पर असेम्बली के अन्दर तीव्र संघर्ष हुआ। फलत इस बिल पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

वायसराय लार्ड इरविन ने जनवरी सन् 1930 मे शिपिंग कान्फ्रेस का आयोजन किया परन्तु ब्रिटिश कम्पनियों से असहयोग के कारण यह सम्मेलन असफल रहा।

सन् 1935 मे भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय असेम्बली से भारतीय जहाजरानी के विकास की शक्ति छीन ली।

सन् 1937 मे सर अब्दुल हलीम गजनवी ने जहाजी क्षेत्र मे अनुचित प्रति-योगिता की समाप्ति के लिए बिल प्रस्तुत किया। इस बिल को जनता का अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने भारतीय व्यापारिक जहाजी व्यवसाय को विकसित करने के इरादे की घोषणा की और उसके लिए एक अलग विभाग बनाया।

द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल—द्वितीय विश्वयुद्ध मे सरकार को यह आभास हुआ कि भारतीय कम्पनी को परिवहन के क्षेत्र मे समुचित भाग प्रदान किया जा० या०—33

जाना चाहिए। अतः सन् 1941 में सिंधिया कम्पनी को विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण करने का कारखाना स्थापित करने के लिए प्रीत्साहित किया गया और जहाजी परिवहन की समस्या पर विचार करने के लिए नवम्बर सन् 1945 में सर सी० पी० राजास्वामी अय्यर के सभापतित्व में पोतचालन पुनर्निर्माण नीति उपसमिति (Reconstruction Policy Sub-committee on Shipping) की नियुक्ति की गई। इस समिति ने सन् 1947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने सरकार की भूतपूर्व नीति की निन्दा करते हुए कहा, 'भारतीय जहाजरानी का इतिहास वचन-भंग अपूर्ण आश्वासनों और अवसरों की उपेक्षा की दुःखद कहानी है।' समिति के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे —

(1) भारतीय जहाजरानी की परिभाषा में परिवर्तन किया जाए तथा केवल भारत के नागरिकों के स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रबन्ध-प्रणाली वाली जहाजी कम्पनी को भारतीय माना जाए।

(2) भारत को सब मिलाकर 20 लाख टन वजन के जहाजों की आवश्यकता है। आगामी 5-7 वर्षों में इस लक्ष्य की पूर्ति की जानी चाहिए।

(3) देशों के विदेशी व्यापार में भाग लेने वाली जहाजी कम्पनियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

(4) आँकड़ों के प्रकाशन सम्बन्धी दोष को दूर किया जाए।

(5) पोर्ट ट्रस्ट का प्रबन्ध वाणिज्य विभाग के अधीन होना चाहिए।

(6) उपर्युक्त सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए व्यापारियों, जहाजी कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा एक जहाजी बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए, जिसे लाइसेंस देने, आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में सुझाव देने तथा एकाधिकार से उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करने का अधिकार होना चाहिए।

भारत सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया। 3 नवम्बर सन् 1947 को बम्बई में सी० एच० भाभा के सभापति में एक जहाजी-सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि सरकार जहाजी उद्योगों की समस्याओं के समाधान के कार्य में पूर्ण सहयोग तथा यथाशक्ति आर्थिक सहायता देगी। इससे यह भी निश्चित किया गया कि तीन जहाजी निगम स्थापित किए जाएँ, जिनमें से प्रत्येक की पूंजी 10 करोड़ रुपए हो।

सर्वप्रथम मार्च सन् 1950 में पूर्वी जहाजी निगम (Eastern Shipping Corporation) स्थापित किया गया। इसका प्रबन्ध सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी करती थी। 15 अगस्त सन् 1956 को भारत सरकार ने इस निगम का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। दूसरे निगम, पश्चिमी जहाजी निगम (Western Shipping Corporation) की स्थापना जून सन् 1956 में की गई। 2 अक्टूबर, सन् 1961 को इन दोनों निगमों को मिलाकर एक भारतीय जहाजी निगम (Shipping Corporation of India) की स्थापना की गई, जिसकी अधिकृत पूंजी 35 करोड़ रुपए थी। इसके पास 63 जहाज हैं। इसके माल जहाज भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-सुदूर

* पूर्व-जापान, भारत-काला सागर, भारत का पश्चिमी तट-पाकिस्तान-जापान, भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन यूरोप, भारत-पोलैण्ड, भारत सयुक्त अरब गणराज्य और भारत-अमेरिका-कनाडा जलमार्गों पर चलते हैं। सवारी और माल जहाज बम्बई-पूर्वी अफ्रीका, मद्रास-सिंगापुर जलमार्गों पर चलते हैं। इस निगम की सहायक कम्पनी मुगल लाइन लि० है।

पंचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना—इस योजना के प्रारम्भ (अर्थात् 1950-51) में देश के पास 3 91 लाख टन के जहाज थे। प्रथम योजना काल के अन्त में जह्जों का कुल वजन 4 80 लाख टन था। इस काल में 18 7 करोड़ रुपए जहाजों के विकास पर व्यय किए गए। बन्दरगाहों के विकास पर 27 6 करोड़ रुपए व्यय किए गए। जिससे कादला का नया बन्दरगाह बना तथा बम्बई, कलकत्ता व अन्य बन्दरगाहों का विकास किया गया। इस योजना में प्रकाश-स्तम्भों के विस्तार और विकास पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जहाजी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाई गईं।

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना में जहाजी सेवा पर 52 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गए तथा भारत के कुल सामुद्रिक व्यापार का 8 से 9 प्रतिशत भाग भारतीय जहाजी कम्पनियों द्वारा किया जाने लगा। योजनाकाल में जहाजी क्षमता 8 6 लाख टन हो गई।

द्वितीय योजनाकाल में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे—(1) जहाजी विकास कोष की स्थापना की गई, जिससे जहाजी कम्पनियों को अतिरिक्त जहाज क्रय करने हेतु दिए जाते हैं। (2) जून सन् 1956 में पश्चिम पोत निगम की स्थापना की गई। (3) सन् 1959 में मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड की स्थापना, सरकार को जहाजी प्रशिक्षण के विषय में परामर्श देने के लिए तथा प्रशिक्षण की योजनाओं की देखरेख करने के लिए की गई। (4) बड़े-बड़े बन्दरगाहों के पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजनावधि में जहाजी क्षमता 15 4 लाख टन हो गई, जबकि लक्ष्य 10 4 लाख टन का ही था। इस योजना में कलकत्ता के बन्दरगाह में भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से हल्दिया में सहायक बन्दरगाह बनाने तथा फरक्का में गंगा पर एक बाँध बनाने का कार्यक्रम रखा गया। बम्बई बन्दरगाह के सुधार की व्यवस्था की गई। बड़े बन्दरगाहों की माल उठाने की क्षमता 5 7 करोड़ टन और मध्यम तथा छोटे बन्दरगाहों की क्षमता 9 0 लाख टन हो गई। इस योजनावधि में जहाजी सेवा पर 40 करोड़ रुपए व्यय हुए तथा प्रकाश-गृहों के विकास तथा विस्तार के लिए 4 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

तीन वार्षिक योजनाओं—(1966-69) में जहाजरानी के विकास पर 25 4 करोड़ रुपए और बन्दरगाहों के विकास पर 55 3 करोड़ रुपए व्यय किये गये। इन

योजनाओं के अन्त तक भारतीय जहाजरानी की क्षमता 21 लाख टन से ऊपर पहुँच चुकी थी।

चतुर्थ योजना में जहाजी क्षमता का लक्ष्य 35 लाख टन निर्धारित किया गया। 'जहाजों' को खरीदने के लिए 135 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इस योजना में हृल्दिया गोदी योजना, बम्बई में गोदी रिस्तार योजना, मद्रास के बाहरी बन्दरगाह में तेल गोदी योजना तथा मंगलोर और तूतीकोरन बन्दरगाह परियोजनाओं को पूरा किया गया।

पाँचवी योजना—पाँचवी योजना में जहाजरानी की क्षमता बढ़ाकर 96 लाख टन करनी था तथा बन्दरगाहों और शिपयार्ड की क्षमता बढ़ाने का भी उद्देश्य था। भारतीय पोत परिवहन का स्थान एशिया महाद्वीप में प्रथम है तथा विश्व में 16वाँ है। 1978 तक 53.6 लाख टन क्षमता के 375 जहाज थे। 1977 में पहली बार 2 रेफ्रीजरेटेड जहाज चलाये गये।

छठवी योजना—छठवी योजना में जहाजरानी की क्षमता 1984-85 तक 83 लाख टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है तथा उद्योग के विकास के लिए 2,196 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। योजनावधि में भारतीय जहाजरानी ने भारत से माल ले जाने में भी अच्छी उन्नति की है। 1955-56 में विदेशी व्यापार में भारतीय जहाजों का हिस्सा 6.5 प्रतिशत था यह 1979-80 में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया।

योजना काल में जहाजरानी का विकास निम्न प्रकार हुआ है -

जहाजरानी की क्षमता का विकास

वर्ष	क्षमता (लाख GRT)	जहाजों की संख्या
1950-51 (प्रथम वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना)	3.7	94
1955-56 (अन्तिम " " ")	4.8	126
1960-61 (" " द्वितीय " ")	8.6	172
1965-66 (" " तृतीय " ")	15.1	220
1973-74 (" " चतुर्थ " ")	30.9	274
1975-76 (द्वितीय " पंचम " ")	47.2	336
1978-79 (— — " ")	56.0	381
1980-81 (— — " ")	56.8	383

जहाजरानी की वर्तमान स्थिति—विकासशील क्षेत्रों में भारत का व्यापारिक जहाजी बेड़ा सबसे बड़ा है और जहाजों टन भार में विश्व में उसका स्थान पन्द्रहवाँ है।

जहाजरानी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(1) क्षमता —31 मार्च 1980 को भारत का चालू टन भार 56.77 लाख

जी० आर० टी० (सकल टन) था जबकि स्वतंत्रता के समय 1.92 लाख जी० आर० टी० ही था ।

(2) **जहाजरानी निकाय**—राष्ट्रीय जहाजरानी मण्डल जिसका पुनर्गठन 25 जुलाई 1977 को हुआ था, जहाजरानी सम्बन्धी मामलों पर सरकार को सलाह देता है ।

(3) **जहाजरानी कम्पनियाँ**—इस समय देश में 63 जहाजरानी कम्पनियाँ हैं जिनमें 19 पूर्णतया तटीय व्यापार में रत हैं, 35 वैदेशिक, शेष दोनों प्रकार के व्यापार में रत हैं ।

(4) **जहाज निर्माण**—भारत के 4 बड़े जहाज निर्माण घाट हैं—कोचीन शिपयार्ड (कोचीन), हिन्दुस्तान शिपयार्ड, (विशाखापट्टनम), गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इजीनियर्स (कलकत्ता) और मन्नगॉव गोदी (बम्बई) । सभी शिपयार्ड सरकारी क्षेत्र में हैं ।

(5) **बन्दरगाह या पत्तन**—भारत में 10 बड़े और 160 से अधिक मध्यम और छोटे बन्दरगाह हैं जो 6,000 किलोमीटर लम्बे तट पर फैले हुए हैं

सन् 2000 में आन्तरिक जल परिवहन की सम्भावित स्थिति

यह मानते हुए कि आन्तरिक जल परिवहन और तटीय जहाज परिवहन का कुल यात्री परिवहन में (वायु परिवहन को सम्मिलित करते हुए) भाग सन् 2000 में 10% होगा तो कुल यात्री परिवहन (सब साधनों का) 10,00,000 यात्री कि० मी० हो जायगा ।

समस्याएँ एवं उपचार—स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय जहाजरानी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, तथापि इसके विकास के मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ व समस्याएँ हैं—

(1) **विदेशी जहाजों से प्रतियोगिता**—भारतीय जहाजों की आज भी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा इटली के जहाजों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है, जिससे स्वदेशी जहाजी कम्पनियों को नुकसान पहुँच रहा है । अतः उन्हें इस प्रतियोगिता से बचाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए । भारतीय जहाजों द्वारा तटीय व्यापार का शत-प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का कम से कम 50 प्रतिशत भाग किया जाना चाहिए ।

(2) **जहाजी क्षमता का अभाव**—भारत में जहाजी क्षमता का अभाव है । भारत की जहाजी क्षमता विश्व क्षमता का केवल 1 प्रतिशत है । अतः भारतीय जहाजी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी व्यापार से लाभ कमाया जा सके ।

(3) **रेल से प्रतियोगिता**—सामान्यतः जहाजों द्वारा माल ढोने का व्यय रेलों की अपेक्षा कम होती है परन्तु रेलों में कम दर पर ही वस्तुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है । रेलों की इस प्रतियोगिता के कारण तटीय जहाजरानी को कठिनाई होती है । रेल समुद्र समन्वय समिति (1955) में इस प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए सुझाव दिया था कि (1) रेल-भाड़े लागत-व्यय के अनुसार निश्चित

किए जाएँ तथा (11) कोयले का भाग रेलों से हटाकर समुद्र मार्ग को दे दिया जाय। परन्तु रेलों की प्रतियोगिता अब भी जारी है। रेलों की प्रतियोगिता पर प्रतिबन्ध चाहिए।

(1) जहाजों की कीमत में वृद्धि—वर्तमान समय में जहाजों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गयी है। ब्रिटेन में नए जहाजों का मूल्य मन् 1945 की अपेक्षा इस समय लगभग 175% अधिक है। भारत में जहाजों की कीमत ब्रिटेन से भी अधिक है। जहाजों की अधिक माँग के कारण ही उनकी कीमत में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अतः सरकार को जहाज-निर्माण कार्य में अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

(5) ध्वजा भेद—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक जहाजी सम्मेलन हैं जिनमें विदेशी जहाजी कम्पनियों का प्रभुत्व है, इन सम्मेलनों में भारतीय जहाजरानी को सदस्यता नहीं दी जाती है, जिससे वे सम्मेलनों के मार्ग पर अपना व्यापार नहीं कर पाती।

(6) उपयुक्त बन्दरगाहों के लिए सुविधाओं का अभाव—भारतीय समुद्र-तट 6083 कि० मी० लम्बा होने के बावजूद भी उपयुक्त बन्दरगाहों का अभाव है क्योंकि किनारे सपाट है, कटे-फटे नहीं।

(7) जहाजों की मरम्मत—वर्तमान समय में हमारे देश में 8 ऐसे कारखाने हैं जिनमें जहाजों की मरम्मत होती है। परन्तु टन क्षमता विस्तार की दृष्टि से यह सुविधाएँ जहाजी बेटों को समुचित दशा में रखने के लिए कम हैं।

(8) संचालन व्यय बढ़ाना—भारतीय जहाजों का संचालन व्यय बहुत ही ज़्यादा है और प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि कोयला, तेल की कीमते, लदाई व्यय, सामुद्रिक कर, नहर कर, मजदूरी वेतन आदि बढ़ गए हैं।

(9) अकुशल व छोटी कम्पनियाँ—इस समय भारतीय समुद्र-तट पर छोटी-बड़ी 27 कम्पनियाँ व्यवसाय करती हैं, उनके कार्य का स्तर बहुत ही निम्न है।

(10) प्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता—भारतीय जहाजरानी की टनभार क्षमता तो तीव्र गति से बढ़ रही है किन्तु कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में वृद्धि असंगति से नहीं हो रही है।

(11) प्राविधिक ज्ञान में कमी—देश के जहाजों के डिजायन और अन्य जहाज सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान की कमी है।

(12) अन्य समस्याएँ—(1) स्वदेशी जहाजी कम्पनियों के पास पूँजी का अभाव। (2) भारतीय बन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा आए दिन हड़ताल और अन्य अवरोधात्मक क्रियाएँ। (3) अधिक पूँजी लगने से इस उद्योग पर भी मोनोपोली का नियन्त्रण लागू है। विकास छूट, विदेशी और देशी ऋण अत्यधिक व्याज चुकाने की समस्याओं से भी वह ग्रस्त है।

भारतीय जहाजरानी के तीव्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि उपर्युक्त समस्याओं का समाधान किया जाए।

परीक्षा-प्रश्न

- ३५
1. भारत में जहाजरानी के विकास का विवेचन कीजिए तथा इसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए ।
 2. देश में जहाजरानी के विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सुलझाने के लिए सुझाव दीजिए ।

भारत में वायु परिवहन (Air Transport in India)

महत्त्व, विशेषताएँ एवं सीमाएँ—श्री फेचर एवं विलियम्स के शब्दों में “मनुष्य को उपलब्ध परिवहन के साधनों में वायु परिवहन सबसे नवीनतम, सबसे अधिक विकासोन्मुख, सबसे अधिक चुनौती देने वाला और हमारे आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सबसे अधिक क्रांति लाने वाला है।” वस्तुतः वर्तमान युग में आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सभी दृष्टियों में वायु परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा

(i) व्यापारिक क्षेत्र में महत्त्व—वायु परिवहन व्यापारिक क्षेत्रों के विस्तार करने में काफी सहयोग देते हैं, जैसे (अ) शीघ्र नाष्ट होने वाली वस्तुएँ यथा अण्डा, मछली, दूध आदि वायुयान द्वारा अल्प समय में विश्व के कोने-कोने में पहुँच जाती है। (ब) बहुमूल्य वस्तुएँ, जैसे हीरा, जवाहरात आदि वायु परिवहन द्वारा भेजना सुविधाजनक व सुरक्षापूर्ण रहता है। (स) तार द्वारा आदेश प्राप्त करके थोड़ी ही अवधि में माल भेज दिया जाता है। (द) समाचारपत्र-पत्रिकाएँ भी वायु यातायात के द्वारा शीघ्रान्तर्देशीय एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकती हैं। (य) एक उद्योगपति वायुयान द्वारा प्रधान कार्यालय पर से शाखा कार्यालय पर पहुँच कर उनका उचित प्रबन्ध कर सकता है।

(ii) कृषि क्षेत्र में महत्त्व—कृषि-विकास के क्षेत्र में भी वायु परिवहन का योगदान प्रशंसनीय है। (अ) वायुयानों द्वारा कीटनाशक पाउडर फसलों पर छिड़क कर उसकी रक्षा की जाती है। (ब) हवाई जहाजों द्वारा टिड्डियों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया जाता है। (स) वायुयान खेतों के बोने में सहायता करते हैं तथा इनका प्रयोग खेतों में खाद डालने के हेतु भी किया जाता है।

(iii) देश की सुरक्षा में महत्त्व—(अ) देश के अन्दर साम्प्रदायिक झगड़े व राजनैतिक उपद्रव आदि की स्थितियों को वायुयानों द्वारा पुलिस या सेना को घटनास्थल पर शीघ्रान्तर्देशीय भेजकर नियन्त्रित कर लिया जाता है। (ब) विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने में वायु परिवहन का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इनके माध्यम से सैनिक क्षेत्रों के अस्त्र-शस्त्र तथा भोजन पदार्थ इत्यादि बहुत कम समय में

भेजा जाता है। वायु सैनिका को आपधिया व चिकित्सा-सहायता ममय पर पहुँचाने और खतरे के समय उनकी प्राणरक्षा करने में भी वायु परिवहन का अद्वितीय योग्य रहता है। वायु फोटोग्राफी द्वारा शत्रु सेना तथा उनके गुप्त सैनिक अड्डा का पता लगाया जाता है। वायुयान को आधुनिक युग का विजय दूत कहे ताँ काई अतिशयोक्ति न होगी।

(iv) **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास**—आज वायुयानों के फल-स्वरूप एक देश के विभिन्न भाग निकट आ चुके हैं। विदेशों में सम्बन्ध घटाने हुए हैं एवं विश्व सरकार की स्थापना के आसार बढे हैं। अतः वायु परिवहन साम्प्रतिक एकता व सम्पर्क बढ़ाने में योगदान देता है।

(v) **आपत्ति के समय महत्त्व**—आपत्ति काल में जैसे बाढ़, भूकम्प और युद्ध में वायु परिवहन का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लाखों व्यक्ति बाढ़ में फँस जाते हैं तब उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का कार्य वायुयान ही करते हैं। भारत में आसाम के अकाल के समय अकाल पीडित जनता की रक्षा वायुयान द्वारा यथा-समय खाद्यान्न पहुँचा कर की गई थी।

(vi) **अन्य महत्त्व**—(i) वनों में लगी आग को बुझाने में वायुयानों में बड़ी सहायता ली जाती है। (ii) वायु फोटोग्राफी से विविध कार्यों के लिए विस्तृत क्षेत्रों का सर्वेक्षण सुविधाजनक हो गया। (iii) विमानों द्वारा मच्छरों को मार्ग मलेरिया से छुटकारा पाया जा सकता है। (iv) इससे ऋतु-विज्ञान को सहायता मिलती है। (v) वायु परिवहन में अन्य मार्गों की भाँति मार्ग-निर्माण में व्यय नहीं करना पड़ता।

विशेषताएँ

वायु परिवहन की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जो परिवहन के अन्य साधनों में नहीं हैं—

(i) **द्रुतगति**—वायु परिवहन सबसे अधिक तीव्रगामी है। इसकी औसत गति 500 किलोमीटर प्रति घण्टे तक हो गई है। आजकल इनकी गति ध्वनि की गति से भी दुगुनी होती जा रही है।

(ii) **भौगोलिक बाधाओं से मुक्ति**—वायुयान, स्थल और जल दोनों के ऊपर बिना किसी विशेष बाधा के उड़ जाता है। ऊँची-नीची भूमि, घने वन, मरुस्थल, बर्फीले प्रदेश, समुद्र आदि भौगोलिक बाधाएँ उसके मार्ग में बाधक नहीं होती।

(iii) **मार्ग व्यय में बचत**—वायु परिवहन में सड़को, रेलों अथवा अन्य मार्गों की भाँति मार्ग-निर्माण में व्यय नहीं लगता, क्योंकि आकाश प्रकृति की निःशुल्क दान है।

सीमाएँ

उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी वायु परिवहन की कुछ अग्रलिखित सीमाएँ हैं—

(i) प्रतिकूल मौसम, जैसे कुहरा, तेज हवा, बादल, अधिक बर्फ आदि वायु परिवहन की सेवा की अनिश्चितता को बढ़ाता है। -

(ii) रेलों और जलयानों की दुर्घटना की अपेक्षा विमान दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रहती है। प्रत्येक दुर्घटना के पश्चात् यातायात की प्रवृत्ति घटने की हो जाती है।

(iii) वायुयानों के निर्माण और उनकी मरम्मत, कल-पुर्जों, तेल आदि पर खर्च अधिक बैठता है, इसलिए वायुयान का किराया बहुत अधिक होता है अतः केवल धनी व्यक्ति एव मूल्यवान पदार्थ ही, जो अधिक किराया सहन कर सकते हैं, वायुयान का उपयोग कर पाते हैं।

(iv) तीव्रगति से तकनीकी विकास होने के कारण वायुयान आदि अपेक्षाकृत कम समय में अप्रचलित हो जाते हैं।

(v) वायुयान के चलने पर तीव्र ध्वनि होती है जो कानों को अच्छी नहीं लगती।

(vi) वायुयान अपने देश के वायुमण्डल में ही उड़ सकते हैं। दूसरे देश की वायु सीमाओं में उड़ने के लिए उस देश की सरकार से हवाई समझौता करके आज्ञा लेनी पड़ती है। फलतः वायु परिवहन कम्पनियाँ विभिन्न सरकारों की दया पर निर्भर हैं। दो देशों में युद्ध होने पर भी वायु सेवा स्थगित करनी पड़ती है।

भारत में वायु परिवहन का विकास

भारत में वायु परिवहन अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा। रामायण में श्री रामचन्द्र जी के लका में पुष्पक विमान द्वारा लोटने का वर्णन मिलता है। आधुनिक युग में, भारत में सन् 1911 से प्रयोगात्मक उड़ान प्रारम्भ हुई थी, जबकि बम्बई व कराची के बीच प्रथम बार उड़ान की व्यवस्था की गई थी। परन्तु भारत में वायु परिवहन का वास्तविक प्रारम्भ सन् 1927 से हुआ, जबकि नागरिक उड्डयन विभाग (Civil Aviation Department) की स्थापना की गई और कई उड्डयन क्लब (Flying Clubs) स्थापित किए गए। सन् 1929 में ब्रिटेन, फ्रांस व हालैंड की साम्राज्य वायु सेवा (Empire Air Services) के विमान भारत में भी आने-जाने लगे।

भारतीय प्रयास—भारत में वायु परिवहन आरम्भ करने के लिए टाटा बन्धुओं ने सबसे पहला कदम उठाया। टाटा एण्ड सन्स लिमिटेड ने सन् 1932 में टाटा एयरवेज कम्पनी की स्थापना की, जिसने प्रति सप्ताह एक बार कराची और मद्रास के बीच वायु उड़ान सगठित की। धीरे-धीरे टाटा एण्ड सन्स ने इलाहाबाद, कलकत्ता और कोलम्बो के बीच वायु परिवहन सेवा शुरू कर दी। सन् 1933 में एक दूसरी भारतीय वायु कम्पनी इण्डियन नेशनल एयरवेज स्थापित की गई। इसके वायुयान कराची-लाहौर तक चलाए गए। इन्हीं दो कम्पनियों ने हमारे देश में वायु परिवहन

की नींव डाली। सन् 1936 में एयर सर्विस आफ इण्डिया (Air Service of India) की स्थापना की गई और इनके वायुयान बम्बई काठियावाड मार्ग पर चलाए गए। किन्तु मितव्ययिता की कमी के कारण इस कम्पनी को अधिक हानि होने से इसे सन् 1940 में बन्द कर दिया गया।

साम्राज्य हवाई डाक योजना (Empire Air-Mail Scheme)—भारत में वायु परिवहन के विकास के लिए एक नया प्रशासनीय कदम सन् 1938 में साम्राज्य हवाई डाक योजना शुरू करना था। इस सेवा के अन्तर्गत साम्राज्य के सभी देशों में वायुयान द्वारा डाक पहुँचाने का निश्चय किया गया। इसके अन्तर्गत टाटा एयरवेज लिमिटेड तथा इण्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड के साथ 15 वर्ष के लिए समझौता किया गया। सरकार ने टाटा सन्स लिमिटेड को 15 लाख रुपए वार्षिक देन की गारण्टी दी और इस कम्पनी ने नियमित मार्गों पर 5,00,000 पाँड भार की डाक ले जाने का वचन दिया। इण्डियन नेशनल एयरवेज को लाहौर-कराची मार्ग पर 1,30,000 पाँड वार्षिक डाक ले जाने के लिए 3.25 लाख रुपए देने का वचन दिया गया। इस हवाई डाक योजना से भारत में वायु परिवहन के विकास को काफी प्रोत्साहन मिला। द्वितीय महायुद्ध-काल में साम्राज्य वायु सेवा बन्द कर दी गयी। सन् 1942 में इन दोनों कम्पनियों को War Transport Command के अधीन कर दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध—द्वितीय महायुद्ध काल में वायु परिवहन को अधिक प्रोत्साहन मिला। इस युद्ध में समस्त वायु सेवाएँ सरकार तथा सुरक्षा के कार्यों में लग गयीं। भारत की प्रमुख दो कम्पनियाँ 16 मार्गों पर जहाज चला रही थीं। युद्ध ने फ्लाइट क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त योग्य छात्रों को एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। सन् 1940 में श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र न मैसूर राज्य के सहयोग से बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरलाइन्स कम्पनी की स्थापना की। सन् 1942 में भारत सरकार ने बालचन्द्र हीराचन्द्र का हिस्सा खरीद लिया। संक्षेप में युद्धकाल में देश के हवाई अड्डों, हवाई स्थलों और पायलटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। सन् 1944 में सन् 1938 की अपेक्षा यात्रियों की संख्या तथा ढोए गए माल की मात्रा में क्रमशः 8 गुनी तथा 3 गुनी वृद्धि हुई।

युद्धोत्तर पुनर्संगठन नीति—युद्ध समाप्त होने पर वायु यातायात के विकास के लिए Reconstruction Policy Sub-Committee on post-war Aviation 1946 नियुक्त की गई, जिसने वायु यातायात के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत सरकार ने इन सुझावों को मानकर और उनके आधार पर परिवहन की उन्नति एवं विकास के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की। समिति के सुझाव इस प्रकार थे .—

(1) व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा देश की वायु सेवा संचालित की जानी चाहिए।

(11) किसी भी कम्पनी को बिना लाइसेंस लिए इस क्षेत्र में काम न करने दिया जाना चाहिए।

(iii) कम्पनियां पर ही हानि-लाभ का सम्पूर्ण दायित्व होना चाहिए ।

(iv) आवश्यकता पडने पर विशेष अवस्थाओं में सरकार द्वारा कम्पनियां को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ।

(v) विशेष परिस्थितियों में सरकार को कम्पनियों के संचालन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए ।

सन् 1946 में वायु परिवहन लाइसेंसिंग बोर्ड स्थापित किया गया जो लाइसेंस देने का कार्य करता था । उस बोर्ड की स्थापना के बाद वायु-परिवहन में काफी उन्नति की । इस बोर्ड के स्थापित होने के दो वर्ष के अन्दर ही 11 नई कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए ।

अब सन् 1947 में भारत विभाजित हुआ तो ओरिएण्ट एयरवेज अपना हेड-ऑफिस कराची ले गई । एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक बड़ा हवाई अड्डा एवं छ मध्यम व लघु हवाई अड्डे भी पाकिस्तान में चले गए । विभाजन के पश्चात् भारतीय वायु परिवहन में आशानीय उन्नति की । सन् 1947 से 1950 तक वायु परिवहन के विकास पर 60 करोड़ रुपया खर्च किया गया ।

वायु परिवहन जांच समिति (An Transport Inquiry Committee)—द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारत में वायु परिवहन का विकास बहुत ही अव्यवस्थित था । अतः फरवरी सन् 1950 में वायु परिवहन जांच समिति की नियुक्ति की गई । उसने अपनी रिपोर्ट में वायु परिवहन की अवस्था को सुधारने के लिए निम्न मुद्दाव दिए -

(i) ~~राष्ट्रीय~~ आवश्यकता का देखने हुए कबल 1 वायु परिवहन कम्पनियां होनी चाहिए, जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में स्थापित हों ।

(ii) अस्थायी लाइसेंसों की अवधि खत्म होने पर उनका नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए ।

(iii) कम्पनियों के भाड का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कम्पनियों को अपनी पूंजीगत स्थायी सम्पत्ति का 10 प्रतिशत लाभ प्राप्त हो सके ।

(iv) वायुयान कम्पनियों के लाभ पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपना नियन्त्रण जारी रखी जाय ।

(v) कम्पनियों को सरकार से मिलान वाली आर्थिक सहायता सन् 1952 तक जारी रखी जाय ।

(vi) लाइसेंसिंग-बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिए ।

(vii) वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण अगले 5 वर्षों तक स्थगित रखा जाय ।

वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण—उपर्युक्त रिपोर्ट के पश्चात् भी कम्पनियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और निजी कम्पनियां स्वेच्छा से एकीकृत नहीं हुईं, इसलिए सरकार को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा ।

सन् 1953 में वायु निगम अधिनियम पास किया गया, जिसके द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो वायु निगम स्थापित किए गए --

(अ) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन (An India International Corporation)—अब इसका नाम एयर इण्डिया (Air India) है। इसके वायुयान विश्व के समस्त मुख्य वायु मार्गों पर चलाए जाते हैं।

(ब) इण्डिया एयर लाइन्स कारपोरेशन (Indian Airlines Corporation)—इस निगम की स्थापना 8 वायुयान कम्पनियों को मिलाकर की गई। यह देश-के अधिकांश प्रमुख केन्द्रों को मिलाता है तथा बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को भी सेवा प्रदान करता है।

योजनाकाल में वायु परिवहन का विकास

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना—सन् 1947 से प्रथम योजनाकाल के प्रारम्भ तक वायु परिवहन विकास के लिए 6.6 करोड़ रुपए व्यय किए गए। प्रथम योजना में वायु परिवहन पर 7.2 करोड़ रुपए व्यय किए गए। योजनाकाल में हवाई अड्डे सुचारु सुविधाओं और यन्त्र-उपकरण आदि की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। सन् 1947 से प्रथम योजना के अन्त तक यात्रियों की संख्या में 34 प्रतिशत और माल के परिवहन में 1,700 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में वायु परिवहन पर 15.9 करोड़ रुपए व्यय किए गए। वायुयान के विकास को काफी महत्त्व दिया गया, ताकि बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हो सके। बम्बई (शान्ताक्रुज), कलकत्ता (दमदम) और दिल्ली (पालम) के हवाई अड्डों पर विस्तृत कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए तथा उन्हें जेट वायुयानों की सेवा के योग्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त, वायु सेवा सम्बन्धी प्रशिक्षण व्यवस्था का केन्द्रीयकरण इलाहाबाद में किया गया।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में वायु परिवहन पर 49 करोड़ रुपए व्यय किए गए। तीसरी योजना में विद्यमान धावन-पथों (Runways) का प्रसार करने, टैक्सी पथ, एप्रान (Apron) अड्डों के सीमान्त भवन एवं अन्य तकनीकी इमारतें बनाने और धावन-पथों पर प्रकाश का स्थायी प्रबन्ध करने के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की उपलब्ध क्षमता में 61 प्रतिशत की तथा इसके द्वारा दिये जाने वाले माल के 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इण्डियन एयरलाइन्स के ये आँकड़े क्रमशः 20% तथा 18% हैं।

(4) वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans 1966-69)—इन योजनाओं में वायु परिवहन पर 70 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(5) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वायु परिवहन—इस योजना में 202 करोड़ रुपए वायु परिवहन पर व्यय किए गए हैं जिनमें से 72 करोड़ रुपए नागरिक उड्डयन विभाग पर, 55 करोड़ रु० इण्डियन एयर लाइन्स पर, 60 करोड़ रु० एयर इण्डिया

पर तथा 15 करोड़ रु० भारतीय ऋतु सूचना विभाग पर व्यय किए गए। योजना-वधि में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान स्थलों पर विमानों के अवतरण पथ, सीमान्त भवन एवं संचार सुविधाओं को उन्नत किया गया। आन्तरिक वायु सेवाओं के लिए विभिन्न विमान घाटों के विकास के लिए भी प्रयास किया गया।

पाँचवीं योजना--इस योजनावधि में दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र और उसी स्तर की सुविधाएँ बढ़ाई गईं। कलकत्ता और मद्रास के वर्तमान हवाई अड्डों की इमारतों का विस्तार किया गया। सुदूर पूर्व मार्ग पर नई जम्बूजेट-सेवाएँ प्रारम्भ की गईं। इस योजना में विशाल वायुयानों के खरीदने का कार्य भी किया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात वायु परिवहन ने काफी प्रगति की है जिसे निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है—

वायु परिवहन की अनुसूचित सेवाएँ

वर्ष	उड़ान (करोड़ कि० मी०)	यात्री (लाखों में)	माल एवं डाक सेवा (टनों में)
1947	2.2	3.1	4,560
1971	6.3	26.3	52,000
1973	6.4	33.7	61,300
1974	5.4	28.4	52,200
1977	—	43.4	—
1978	—	47.0	—
1980	6.9	72.0	—

छठवीं योजना--इस योजना में 850 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है।

नागरिक परिवहन की वर्तमान स्थिति

31 दिसम्बर, 1980 को आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त 671 हवाई जहाज थे तथा उड़ान योग्यता के आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त 266 हवाई जहाज थे।

(1) हवाई सेवाएँ - सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगमों--इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा प्रचालित हैं। दोनों ही निगमों का गठन 1953 में किया गया था।

(अ) इण्डियन एयरलाइन्स--देश के भीतर हवाई सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जो अधिकांशतः औद्योगिक तथा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ती है।

(ब) एयर इण्डिया--34 देशों को हवाई सेवाओं की व्यवस्था करता है।